

केनरा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)



Canara Bank
(A Government of India Undertaking)
Together We Can

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2016-17



कैशलेस सुविधा का इरादा,
सुरक्षित भविष्य का वादा

Going Cashless
with
Promising future

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS



श्री टी.एन. मनोहरन
अध्यक्ष
SRI T N MANOHARAN
CHAIRMAN



श्री राकेश शर्मा
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
SRI RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER



श्री हरिदीश कुमार बी
कार्यपालक निदेशक
SRI HARIDEESH KUMAR B
EXECUTIVE DIRECTOR



श्री दीनबन्धु महापात्र
कार्यपालक निदेशक
SRI DINABANDHU MOHAPATRA
EXECUTIVE DIRECTOR



श्रीमती पी.वी. भारती
कार्यपालक निदेशक
SMT P V BHARATHI
EXECUTIVE DIRECTOR



श्री सुचिन्द्र मिश्रा
भारत सरकार के प्रतिनिधि निदेशक
SRI SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR REPRESENTING GOI



श्रीमती उमा शंकर
भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि निदेशक
SMT UMA SHANKAR
DIRECTOR REPRESENTING
RESERVE BANK OF INDIA



श्री कृष्णमूर्ति एच
शेयरधारक निदेशक
SRI KRISHNAMURTHY H
SHAREHOLDER DIRECTOR



श्री महादेव नागेन्द्र राव
शेयरधारक निदेशक
SRI MAHADEV NAGENDRA RAO
SHAREHOLDER DIRECTOR



श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर
शेयरधारक निदेशक
SRI VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
SHAREHOLDER DIRECTOR



वार्षिक रिपोर्ट
2016-2017
ANNUAL REPORT

वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017

विषयवस्तु

1. नोटिस	3
2. प्रगति की झलक	15
3. निदेशकों की रिपोर्ट 2016-2017	16
• प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण	17
• केनरा बैंक वर्ष 2016-2017 में	24
• निदेशक मंडल में परिवर्तन	74
• निदेशकों के दायित्व वक्तव्य	76
4. कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट	77
5. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	103
6. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	126
7. एकल वित्तीय विवरण	
• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	129
• तुलन पत्र	133
• लाभ व हानि खाता	134
• तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	135
• लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	143
• लेखांकन नीतियाँ	145
• लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	154
• स्तंभ 3 (बासेल III) प्रकटन	212
• नकद प्रवाह विवरण	314
8. समेकित वित्तीय विवरण	
• लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	318
• समेकित तुलन पत्र	322
• समेकित लाभ व हानि खाता	323
• समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	324
• समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	331
• लेखांकन नीतियाँ	333
• समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	346
• समेकित नकद प्रवाह विवरण	363
9. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास	365
10. प्रॉक्सी फार्म	367

ANNUAL REPORT 2016-2017

CONTENTS

1. NOTICE	3
2. PROGRESS AT A GLANCE	15
3. DIRECTORS' REPORT 2016-2017	16
• MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS	17
• CANARA BANK IN 2016-2017	24
• CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS	74
• DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT	76
4. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT	77
5. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE	103
6. AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE	126
7. STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS	
• AUDITORS' REPORT	129
• BALANCE SHEET	133
• PROFIT AND LOSS ACCOUNT	134
• SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET	135
• SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT	143
• ACCOUNTING POLICIES	145
• NOTES ON ACCOUNTS	154
• PILLAR 3 (BASEL III) DISCLOSURES	213
• CASH FLOW STATEMENT	314
8. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	
• AUDITORS' REPORT	318
• CONSOLIDATED BALANCE SHEET	322
• CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT	323
• SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET	324
• SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT	331
• ACCOUNTING POLICIES	333
• NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	347
• CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT	363
9. ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS	366
10. PROXY FORM	368

नोटिस

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की पन्द्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक, गुरुवार, 20 जुलाई, 2017 को अपराह्न 03.30 बजे ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूरु – 560 001 में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है:

1. यथा 31 मार्च, 2017 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ व हानि लेखा, लेखा द्वारा प्रावरित अवधि हेतु बैंक की कार्रवाई व गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र व लेखा पर लेखापरीक्षक के रिपोर्ट पर परिचर्चा करना, उसे अनुमोदित करना व अंगीकृत करना।
2. वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु लाभांश घोषित करना।
3. इसे विचारार्थ लेना एवं यदि सही पाया गया तो संशोधन सहित या संशोधन के बिना, निम्न विशेष संकल्पों को पारित करना:

“संकल्प लिया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और समय-समय पर संशोधित अनुसार केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (“आर बी आई”), भारत सरकार (“जी ओ आई”), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (“सेबी”) और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात् सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2009 (आई सी डी आर विनियमावली) / दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 और सभी अन्य लागू नियम तथा सभी संबद्ध प्राधिकारों के अधीन अधिसूचनाएं / परिपत्र और स्पष्टीकरण तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किये गये सूचीकरण करार के अधीन, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयरों का सूचीकरण किया गया है, एतद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके

NOTICE

Notice is hereby given that the Fifteenth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on Thursday, the 20th July, 2017 at 3.30 P.M. at Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bengaluru – 560 001, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2017, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2017, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors’ Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the financial year 2016-17.
3. To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following special resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **“the Board”** which shall be deemed

बाद "निदेशक मंडल" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकार सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गयी या आगे की जानेवाली कोई समिति भी शामिल है) को दी जाती है कि (इश्यू के ऐसे हिस्से को पक्का / प्रतिस्पर्धी आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज / नियमावली अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्मित दिशानिर्देशों के अनुसार सतत् या शोध्य या अशोध्य, ऐसे अधिमान श्रेणियों के प्रत्येक वर्ग को, इस प्रकार के अधिमान श्रेणियों के प्रत्येक वर्ग को जारी किए जाने की सीमा को और उन शर्तों एवं निबंधनों जिनके अधीन अधिमान श्रेणियों के प्रत्येक वर्ग जारी किए जा सकते हैं तथा / या अन्य अनुमत प्रतिभूतियाँ जो इक्विटी में अंतरण के लिए सक्षम हो, **सकल राशि जो ₹3,500 करोड़ (तीन हजार पांच सौ करोड़ मात्र)** से अधिक नहीं होगी, इक्विटी श्रेणियों पर निर्धारित प्रीमियम सहित ऐसे समय या समयों पर ऐसे मूल्य या मूल्यों पर, **बाजार मूल्य या मूल्यों पर छूट या प्रीमियम पर** एक या एक से अधिक श्रृंखलाओं में ऐसे तरीके से है कि केंद्र सरकार हमेशा बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 51% से कम नहीं रखती है, जिसमें एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय ("एन आर आई"), कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्ह संस्थागत खरीदारों ("क्यू आई बी") जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूच्युअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेन्शन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफ आई आई") या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के इक्विटी श्रेणियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से इनमें से किसी का मिश्रण हो, बाजार मूल्य पर बट्टा या प्रीमियम सहित होगी”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, साधिकार इश्यू, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना, निजी प्लेसमेंट / अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) या भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य तरीका के जरिए होगा और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली 2009 (आई सी डी आर विनियमावली) एवं

to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and / or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, **for an aggregate amount not exceeding ₹3,500 Crores (Rupees Three Thousand Five Hundred Crore only), inclusive of such premium** as may be fixed on the Equity Shares at such time or times, at such price or prices, **at a discount or premium to market price or prices** in one or more tranches in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”) like Foreign Institutional Investors (“FIIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity / preference shares / securities of the Bank as per extant regulations / guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on Public Issue, Rights Issue, Private Placement / Qualified Institutional Placement (QIP) or any other mode approved by GOI / RBI with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer

भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य किसी यथा लागू प्राधिकरण द्वारा ऐसे समय पर और ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे।”

“आगे संकल्प लिया जाता है जहां आवश्यक हो लीड प्रबंधक और / या हामीदार और अन्य सलाहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आई सी डी आर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू नियम विनियमावली और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक जो बैंक के विद्यमान सदस्य हो या न हो के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड या इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समिति का होगा जो आई सी डी आर नियमावली की संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो।”

“आगे संकल्प लिया जाता है तत्संबंधी सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों, आई सी डी आर नियमावली के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों व विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली 2000 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डी आई पी पी) एवं इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से सामूहिक रूप से "समुचित प्राधिकारी" कहा जाएगा) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और या / मंजूरी के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और / या मंजूरी (जिसे इसके बाद "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक अंशों में, समय-समय पर अधिपत्रों को छोड़कर ईक्विटी शेयर या अन्य प्रतिभूतियां जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या इसके साथ विनियम योग्य हो, इस प्रकार जारी, प्रस्तुत या आबंटित कर सकता है कि पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में जैसा कि

of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (“ICDR Regulations”) and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital

आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के तहत व्यवस्था है, स्थान नियोजन दस्तावेज और / या अन्य किसी दस्तावेजों / प्रलेखों / परिपत्रों / ज्ञापनों के माध्यम से और इस तरीके से और इस प्रकार मूल्य, शर्तों और निबंधनों जैसा कि उस समय पर प्रचलित आई सी डी आर विनियमावली या कानूनों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो, पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यू आई बी) (जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली में परिभाषित है) की तुलना में केंद्र सरकार किसी भी समय बैंक की ईक्विटी पूँजी का 51% से कम धारित न करता हो।”

“आगे संकल्प लिया जाता है पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के अनुसरण में

क) पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के आशय के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी और इस संकल्प की तिथि से 12 माह के भीतर इस प्रकार की प्रतिभूतियों का आबंटन पूरा कर लिया जाएगा।

ख) बैंक आई सी डी आर विनियमावली के विनियम 85(1) के प्रावधानों के अनुसार आधार मूल्य से कम मूल्य पर, जो पाँच प्रतिशत से कम न हो, पर शेयर आबंटित करने के लिए प्राधिकृत है।

ग) आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार प्रतिभूतियों के आधारित मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि होगी।”

“आगे संकल्प लिया जाता है अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी / स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा।”

“आगे संकल्प लिया जाता है अनिवासी भारतीयों / विदेशी निवेशक व्यक्तियों और या अन्य पात्र विदेशी निवेशक को नए ईक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर / प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करना, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जो अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा।”

of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations

a) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.”

b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.

c) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/ RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/preference shares/securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

“आगे संकल्प लिया जाता है जारी किये जानेवाले उक्त नए ईक्विटी शेयर यथा संशोधित केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के अधीन जारी किये जाएँगे और ये बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले किसी भी लाभांश के लिए पात्र होंगे।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या ईक्विटी शेयर / अधिमान शेयर / प्रतिभूतियों को आवंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तें निर्धारित करने हेतु जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियाँ आवंटित की जानी है, प्रत्येक श्रृंखला में आवंटित किए जाने वाले शेयर / प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामलों और चीजों और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करने जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वांछित समझें तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार की सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, उच्छेदन, संवर्धन, संबंधी शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, सदस्यों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प के द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को किसी भी बुक रनर, लीड प्रबंधकों, बैंकरों, हामीदारों, निक्षेपागारों, जमाकर्ताओं, रजिस्ट्रारों, लेखापरीक्षकों एवं इस प्रकार की सभी एजेंसियों से जो इस प्रकार के ईक्विटी / अधिमान शेयरों / प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हों, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं इसके पूर्ण निष्पादन का तथा इस प्रकार की सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को, बैंक द्वारा नियुक्त लीड प्रबंधक, हामीदार, सलाहकार और / या अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करके, जिन निवेशकों को शेयर आवंटित किया जाना है उनके वर्ग, प्रत्येक श्रृंखला में आवंटित किये जानेवाले शेयर, निर्गम मूल्य (यदि कोई हो तो,

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/preference shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/


प्रीमियम सहित), अंकित मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि / प्रतिभूतियों के रूपांतरण / अधिपत्रों का प्रयोग / प्रतिभूतियों का शोधन, ब्याज की दर, शोधन अवधि, ईक्विटी शेयर / अधिमान शेयर या प्रतिभूतियों के रूपांतरण या शोधन या निरसन के बाद अन्य प्रतिभूतियों, निर्गम का मूल्य, किस्त या बट्टा / प्रतिभूतियों का रूपांतरण, ब्याज की दर, रूपांतरण की अवधि, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक पर बट्टा, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण सहित निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझे, इश्यू के स्वरूप एवं शर्तों को निर्धारित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों/ प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत हो।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने, जिन्हें वे आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझें और ईक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी भी प्रश्न, कष्ट या शंका का समाधान करने के लिए है और आगे ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने तथा ऐसे सभी प्रलेख एवं लिखित को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो शेयरधारकों की अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन माँगे बगैर उनके विवेकाधिकार के तहत ज़रूरी, वांछित एवं अनिवार्य समझे अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुसार शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल को, उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके ज़रिए दिये गये सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक / या निदेशकों की समिति को प्रत्यायोजित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेशानुसार



राकेश शर्मा
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 16-06-2017

securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares/preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions.”

By Order of the Board of Directors



RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru
Date : 16-06-2017

टिप्पणियां

1. व्याख्यात्मक वक्तव्य:

प्रदत्त पूँजी जुटाने से संबंधित मद संख्या 3 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को स्थापित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण निम्न अनुबन्धित किया गया है।

2. प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखनेवाले शेयरधारक को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रतिनिधि की नियुक्ति करने का अधिकार है और ऐसा प्रतिनिधि बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्रतिनिधित्व फॉर्म के प्रभावी होने के लिए उसे वार्षिक आम बैठक की तारीख की समाप्ति से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात् शनिवार, 15 जुलाई, 2017 को बैंक के समापन समय पर या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा/दर्ज किया जाए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बैंक के शेयरधारक कंपनी या अन्य किसी भी कॉर्पोरेट निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने व मत देने का अधिकार किसी व्यक्ति को केवल तभी होगा जब उसे विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति, जिस बैठक में व संकल्प पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि के रूप में, बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शनिवार, 15 जुलाई, 2017 को बैंक के कारोबार समय समापन पर या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में दर्ज की जाती है।

4. पंजीकरण:

बैठक में भाग ले रहे शेयरधारकों की सुविधा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बैठक स्थान में दिनांक 20 जुलाई, 2017, गुरुवार को अपराह्न 2.00 बजे से शुरू होगी। शेयरधारकों से अनुरोध है कि पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बैठक में समय से पूर्व उपस्थित रहें।

5. उपस्थिति पर्ची:

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची - सह प्रविष्टि पास को इस नोटिस के साथ संलग्न किया गया है। शेयरधारकों / प्रतिनिधित्वधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 3 of the Notice regarding Raising of Paid up Capital is annexed below.

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy Form in order to be effective must be lodged at the Head Office of the Bank, at least Four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on Saturday, the 15th July, 2017.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him / her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank on Saturday, the 15th July, 2017.

4. REGISTRATION:

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 2.00 p.m. on Thursday, the 20th July, 2017 at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

5. ATTENDANCE SLIP:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this notice. Shareholders / Proxy Holders / Authorised

अनुरोध है कि वे इसे भरें व उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें व उसे उपरोक्त स्थान पर प्रस्तुत करें। शेयरधारकों के प्रतिनिधि / प्राधिकृत प्रतिनिधि पर "प्रतिनिधि" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसा भी मामला हो उसका उल्लेख उपस्थिति पर्ची में करें। शेयरधारक / प्रोक्सिधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश, जहाँ आवश्यक हो, सत्यापन / जाँच के अधीन होगा और उन्हें सूचना दी जाती है कि वे अपने साथ पहचान के मान्य सबूत लाएं मसलन – मतदाता पहचान कार्ड / नियोक्ता पहचान कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस आदि। बैठक स्थान में प्रवेश की अनुमति केवल उपस्थिति वैध पर्ची-सह-प्रविष्टि पास के आधार पर दी जायेगी।

6. शेयर अंतरणकर्ता एजेंटों के साथ संपर्क:

भौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट को निम्नांकित पते पर दें।

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : केनरा बैंक

कार्वी सेलीनियम टावर बी, प्लॉट संख्या 31-32

गाचीबौली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा

हैदराबाद – 500 032

ई-मेल: einward.ris@karvy.com

आगे, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ई-मेल पता शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (उपर्युक्त पते पर) या बैंक को hosecretarial@canarabank.com पर सूचित / पंजीकृत करें।

विभौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को उपर्युक्त परिवर्तन / ईमेल आईडी सूचित करें।

7. बहियों को बंद करना:

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बहियों को वार्षिक सामान्य बैठक तथा बैंक द्वारा घोषित चुनाव में भाग लेने एवं लाभांश की प्राप्ति के हकदार शेयरधारकों का निर्धारण करने हेतु शुकवार, 14 जुलाई, 2017 से गुरुवार, 20 जुलाई, 2017 तक (दोनों दिन सहित) बंद रखा जाएगा।

Representatives are requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein, and surrender the same at the venue. Proxy / Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. Shareholders/ Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid Attendance Slip-cum-Entry Pass.

6. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

Karvy Computershare Pvt. Ltd

Unit : Canara Bank

Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda

Hyderabad – 500 032

E-mail: einward.ris@karvy.com

Further, the shareholders are advised to inform/register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) or to the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

7. CLOSURE OF BOOKS:

The Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from Friday, the 14th July, 2017 to the Thursday, the 20th July 2017 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting for the purpose of ascertaining shareholders entitled to receive the dividend, declared by the Bank.

8. लाभांश का भुगतान / रिकॉर्ड तिथि:

बैंक ने भा.रि.बै. के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2016-17 के लिये न्यूनतम लाभांश घोषित करने हेतु भा.रि.बै. से अनुमति मांगी है। चूंकि, भा.रि.बै. के अनुमोदन लंबित है, निदेशक मंडल ने वर्ष 2016-17 हेतु ₹10/- के अंकित मूल्य पर ₹1.00 (10%) प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश का भुगतान करने की सिफारिश की है। अनुमति प्राप्त होने पर बैंक गुरुवार, 13 जुलाई, 2017 (रिकॉर्ड तिथि) को एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध अनुसार शेयरधारक / लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर पर प्रदर्शित नाम वाले शेयरधारक को लाभांश का भुगतान करेगा। वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से 30 दिनों के अन्दर लाभांश वारंट प्रेषित की जाएगी / लाभांश राशि क्रेडिट की जाएगी।

9. फोलियो का समेकन:

उन शेयरधारकों से, जो नाम के समरूपी क्रम में एक से अधिक खातों में शेयर रखते हैं, अनुरोध है कि कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को उन खातों की खाता बही के बारे में सूचित करें, साथ में शेयर प्रमाणपत्र भी दें ताकि बैंक द्वारा सभी धारण का एक खाते में समेकन किया जा सके। आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद सदस्यों को यथासमय शेयर प्रमाणपत्र वापस किए जाएंगे।

10. अदावी लाभांश, यदि कोई हो तो:

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है / पिछली अवधियों का लाभांश प्राप्त नहीं किया है यथा, वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक, उनसे अनुरोध है कि वे पूनर्मूल्यांकन / डूप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने के संबंध में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

बैंक ने शेयर अंतरणकर्ता एजेंट / या बैंक के साथ hosecretarial@canarabank.com में दावे करने हेतु शेयरधारकों को सक्षम बनाने के लिए अदावी / अप्रदत्त लाभांश वारंट संबंधी विवरण अपने वेबसाइट www.canarabank.com में पोस्ट किया है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में नये रूप से अंतर्विष्ट धारा 10बी के अनुसार सात साल से भुगतान न किये गये या दावा न किये गये लाभांश की रकम को कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205सी/125 के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और उसके बाद बैंक या आईईपीएफ के नाम भुगतान के लिए कोई भी दावा नहीं किया जा सकता। बैंक 19 अगस्त, 2017 को कथित निधि में अदावाकृत / अप्रदत्त लाभांश राशि को वर्ष 2009-10 हेतु अंतरित करने की प्रक्रिया में है।

8. PAYMENT OF DIVIDEND / RECORD DATE:

The Bank has sought permission from RBI to declare minimum dividend for the year 2016-17 as per the RBI guidelines. Pending RBI approval, the Board has recommended payment of Dividend of ₹ 1.00 (10%) per Equity Share of face value of ₹10/- each for the year 2016-17. Upon obtaining permission, the Bank would pay the dividend to the Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial owners as furnished by NSDL / CDSL as on Thursday, the 13th July, 2017 (Record Date) and the Dividend Warrants shall be dispatched / Dividend amount credited within 30 days from the date of the Annual General Meeting.

9. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

10. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods i.e., for the years from 2009-10 to 2014-15, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants.

The Bank has posted the details of the Unclaimed / Unpaid Dividend Warrants on its site i.e., www.canarabank.com to enable the shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent / or with the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 205C/125 of the Companies Act, 1956/2013. The Bank is in the process of transferring the Unclaimed / Unpaid Dividend amount for the year 2009-10 to the said fund on 19th August, 2017.

11. वार्षिक रिपोर्ट:

शेयरधारक / प्रतिनिधित्वधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक सामान्य बैठक में आते समय वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां साथ लाएं। कृपया यह नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की संपूर्ण प्रति बैंक के वेबसाइट (www.canarabank.com) पर अपलोड किया गया है। शेयरधारक वेबसाइट से इसके पठनीय संस्करण को डाउनलोड कर सकते हैं।

12. शेयरधारकों का मतदान अधिकार:

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के किसी भी शेयरधारक, सिवाय केंद्र सरकार के, अपने पास स्थित बैंक के समग्र शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती है।

13. ई-वोटिंग: {सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार}

बैंक को प्रसन्नता है कि वह बैंक के शेयरधारकों को नोटिस में दिए गए मद्दों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने में सक्षम बनाने के लिए ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा है। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के संबंध में सभी शेयरधारकों को एक अलग संसूचना / नोटिस भेजा जा रहा है।

14. बैठक में मतदान:

कार्यसूची के सभी मद्दों पर चर्चा होने के बाद अध्यक्ष सभी मद्दों के लिए मतदान करने का आदेश देंगे। इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए जाँचकर्ताओं द्वारा मतदान का आयोजन व पर्यवेक्षण किया जाएगा। ई-वोटिंग के नतीजों के साथ मतदान के नतीजों की घोषणा बैंक द्वारा उसकी वेबसाइट पर की जाएगी तथा स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

{नोट : नोटिस में कार्यसूची मद्द हेतु कट-ऑफ / विनिर्दिष्ट तिथि 13.07.2017 है}

नोटिस की मद् संख्या 3 में उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य

- बैंक का वर्तमान इक्विटी पूंजी ₹597.29 करोड़ है और यथा 31 मार्च, 2017 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.86% है, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% से कहीं अधिक है। यद्यपि, बैंक के कुछ विस्तारण योजनाओं, बासेल III मानदंडों के कार्यान्वयन व अनुवर्ती पूंजी प्रभार के मद्देनजर पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सशक्त करने हेतु पूंजी को संवर्धित करने की आवश्यकता नहीं है।
- बैंक के निदेशक मंडल ने विभिन्न तरीकों के माध्यम से ₹3500 करोड़ (प्रीमियम सहित) रूपए की पूंजी जुटाने का निर्णय लिया है जिसमें फॉलो-ऑन इश्यू, राइट इश्यू, सरकारी और

11. ANNUAL REPORT:

Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting. Please note that the full copy of the Annual Report is uploaded on the website of the Bank (www.canarabank.com). Shareholders may download the readable version of the same from the website.

12. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

13. e-Voting: {As per the Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015}

The Bank is pleased to provide Remote e-Voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. A separate communication/ Notice is being sent to all the shareholders to enable them to cast their votes through e-Voting.

14. VOTING AT THE MEETING:

After all the agenda items have been discussed, the Chairman will order Voting in respect of all the items. Voting will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose. The Results of the Voting aggregated with the Results of e-Voting will be announced by the Bank on its Website and also informed to the Stock Exchanges.

{Note : For the Agenda Items of this meeting, the cut-off / specified date is 13.07.2017}

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO. 3 OF THE NOTICE:

- The current Equity Capital of the Bank is ₹597.29 Crore and the Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2017 is 12.86 %, which is well above the 9% stipulated by the Reserve Bank of India. However, in view of certain expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms, and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.
- The Board of Directors of the Bank have decided to raise Capital to the extent of ₹3500 Crores (inclusive of premium) through various modes including

वित्तीय संस्थानों के लिए अधिमानी इश्यू, योग्यताप्राप्त संस्थागत नियोजन और पूंजी जुटाने की अन्य अनुमत माध्यम शामिल हैं।

3. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी)(सी) अनुसार बैंक प्रदत्त पूंजी को संवर्धित करने हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यद्यपि, केन्द्र सरकार किसी भी समय में बैंक की प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 51% अनुरक्षित रखेगा।
4. सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 41(4) यह उपलब्ध कराता है कि जब भी बैंक द्वारा कोई इश्यू या प्रस्ताव दिया जाए तो मौजूदा शेयरधारकों को तब तक यही आनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिये जब तक कि शेयरधारक सामान्य बैठक में अन्यथा निर्णय न ले। कथित संकल्प यदि पारित होता है तो बैंक की ओर से बोर्ड को यह अनुमति प्रदान करेगा कि मौजूदा शेयरधारकों को अन्यथा आनुपातिक आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी व आबंटित करें।
5. संकल्प, बैंक को पब्लिक इश्यू पर अनुसरण द्वारा, अधिकार इश्यू और / या निजी प्लेसमेंट के आधार पर या भारत सरकार / भा.रि.बै. द्वारा अनुमोदित किसी अन्य माध्यम द्वारा ईक्विटी शेयर / अधिमानी शेयर / प्रतिभूति निर्मित, प्रदान व आबंटित करने हेतु सक्षम करने की मांग करता है। इश्यू आगम बैंक को समय-समय पर भा.रि.बै. द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता को सशक्त करने में सक्षम करेगा।
6. आगे, आईसीडीआर विनियमनों द्वारा परिभाषित अनुसार योग्य संस्थागत खरीददारों के साथ योग्य संस्थागत प्लेसमेंट करने हेतु संकल्प निदेशक मंडल को सशक्त करने की मांग करता है। निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार में शेयरधारकों से नए अनुमोदन की मांग किये बगैर बैंक हेतु निधि उगाही के लिये आईसीडीआर विनियमनों के पाठ VIII के तहत निर्धारित अनुसार इस तंत्र को अपना सकता है।

आईसीडीआर विनियमनों के पाठ VIII अनुसार क्यूआईपी इश्यू के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी की जा सकती हैं, जिसका मूल्य "प्रासंगिक तिथि" के बाद के दो हफ्तों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत शेयर के समापन मूल्य के साप्ताहिक उच्च व निम्न के औसत से कम न हो। "प्रासंगिक तिथि" का अर्थ है उस बैठक की तिथि जिसमें बोर्ड या बैंक की समिति क्यूआईपी इश्यू खोलने का निर्णय लेती है।

7. क्यूआईपी व क्यूआईबी सहित विभिन्न विकल्पों के तहत पूंजी उगाही हेतु बैंक के 14वें वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान सामान्य इकाई का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे क्यूआईपी हेतु संकल्प की वैधता एक वर्ष तक ही

Follow-on Issue, Right Issue, Preferential Issue to Government and Financial Institutions, Qualified Institutional Placement and other permitted mode of raising capital.

3. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-one per cent of the paid-up equity capital of the Bank.
4. The Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.
5. The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares/securities by way of Follow on Public Issue, Rights Issue and/or on a private placement basis or any other mode approved by GOI/RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.
6. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

7. The approval of the General Body at the 14th Annual General Meeting of the bank for raising capital under various options including QIPs with QIBs was obtained. As per the guidelines, the validity of the resolutions is restricted to one year for such QIPs.

होगी। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए (उपरोक्त पैरा 1 में इंगित अनुसार) सामान्य इकाई के अनुमोदन की पुनः मांग की गई है।


8. प्रस्ताव हेतु विस्तृत नियम व शर्तें प्रचलित बाजार परिस्थिति व अन्य विनियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकार, लीड प्रबन्धकों व हामीदार व ऐसे अन्य प्राधिकरण व आवश्यकता अनुसार प्राधिकरण के साथ परामर्श में निर्धारित की जायेगी।
9. चूंकि प्रस्ताव का मूल्य-निर्धारण बाद के स्तर के अलावा अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, अतः यह संभव नहीं है कि जारी होने वाले शेयर का मूल्य उद्धृत किया जा सके। यद्यपि, यह आईसीडीआर विनियमनों के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 व समय-समय पर संशोधित अनुसार केनरा बैंक (शेयर व बैठक) विनियमन, 2000 एवं लागू या आवश्यक अनुसार किसी अन्य दिशानिर्देशों / विनियमनों / सहमति अनुसार होगा।
10. उपरोक्त कथित कारणों हेतु मुद्दे के शर्तों को अंतिम रूप देने के लिये बोर्ड को उचित लचीलापन व विवेकाधिकार देने के क्रम में एक सक्षमकर्ता संकल्प पारित करना प्रस्तावित किया गया है।
11. आबंटित ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयर के साथ सभी संबंधों में समगति में है।

इस उद्देश्य हेतु बैंक को विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारक की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव हेतु आपके सहमति का अनुरोध किया गया है।

निदेशक मंडल नोटिस में उल्लिखित अनुसार विशेष संकल्प पारित करने हेतु सिफारिश करता है।

बैंक के किसी भी निदेशक का उपरोक्त उल्लिखित संकल्प में कोई रुचि या जुड़ाव नहीं है, सिवाय बैंक में उनके शेयरधारण के, यदि है तो।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार



राकेश शर्मा
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Keeping in view the future requirements (as denoted in para 1 above), the approval of the General Body is sought once again.

8. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.
9. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.
10. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.
11. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

By Order of the Board of Directors



RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CEO

प्रगति की झलक / PROGRESS AT A GLANCE

(राशि ₹ करोड़ / Amt. ₹ Crore)

	2014-15	2015-16	2016-17
शाखाओं की संख्या / Number of Branches	5682	5849	6083
एटीएम की संख्या / Number of ATMs	8533	9251	10519
चुकता पूंजी / Paid-up Capital	475	543	597
आरक्षित निधि / Reserves	31384	31060	33088
कुल जमा / Aggregate Deposits	473840	479792	495275
वृद्धि (%) वर्षानुवर्ष / Growth (%) y-o-y	12.63	1.26	3.23
अनिवासी जमा / Non-Resident Deposits	28829	34286	36777
विदेशी कारोबार / Foreign Business Turnover	176274	201860	235425
अग्रिम (निवल) / Advances (Net)	330036	324715	342009
वृद्धि (%) वर्षानुवर्ष / Growth (%) y-o-y	9.62	(1.61)	5.33
खुदरा अग्रिम / Retail Advances	42298	54069	58910
वृद्धि (%) वर्षानुवर्ष / Growth (%) y-o-y	26.15	27.83	8.95
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम / Priority Sector Advances	118234	145558	160269
वृद्धि (%) वर्षानुवर्ष / Growth (%) y-o-y	20.94	23.11	10.11
कृषि / Agriculture	58868	67176	74079
वृद्धि (%) वर्षानुवर्ष / Growth (%) y-o-y	20.64	14.11	10.28
कृषि (संवितरण) / Agriculture (Disbursal)	45232	57018	58691
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम / Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)	60604	66689	74302
वृद्धि (%) वर्षानुवर्ष / Growth (%) y-o-y	21.11	10.04	11.42
डीआरआई योजना के तहत अग्रिम / Advances under DRI Scheme	173	177	141
अनु.जा./अनु.जन.जा. ग्राहकों को अग्रिम / Advances to SC/ST Clients	6466	6886	7354
निर्यात साख / Export Credit	11785	10761	11253
कुल आय / Total Income	48300	48897	48942
कुल व्यय / Total Expenditure	41350	41751	40028
परिचालन लाभ / Operating Profit	6950	7147	8914
निवल लाभ / निवल हानि / Net Profit / Net Loss	2703	(2813)	1122
ग्राहक आधार (करोड़ में) / Clientele (In Crore)	6.58	7.24	7.79
कुल कर्मचारियों की संख्या / Total Number of Staff	53984	54008	55717
नकद वसूली / Cash Recovery	5993	4758	4162
मुख्य निष्पादन अनुपात (%) / Key Performance Ratios (%)			
पूंजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio	10.56	11.08	12.86
सकल एनपीए अनुपात / Gross NPA Ratio	3.89	9.40	9.63
निवल एनपीए अनुपात / Net NPA Ratio	2.65	6.42	6.33
औसत आस्तियों पर प्रतिफल / Return on Average Assets	0.55	(0.52)	0.20
इक्विटी पर प्रतिफल / Return on Equity	11.06	(10.69)	4.15
बही मूल्य (₹) / Book Value (₹)	552.54	477.19	450.61
निवल ब्याज मार्जिन / Net Interest Margin	2.25	2.19	2.23



निदेशकों की रिपोर्ट

2016-2017

DIRECTORS' REPORT

निदेशकों की रिपोर्ट: 2016-17

निदेशक मंडल द्वारा यथा 31 मार्च, 2017 की अवधि के लिए तुलनपत्र व 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा सहित 48वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत की जा रही है।

प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण

I. आर्थिक परिवेश

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर वृद्धि के बावजूद एक आर्थिक उज्ज्वल स्थान के रूप में बनी रही है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी किए गये अनंतिम अनुमानों के अनुसार पिछले वर्ष (नये आधार वर्ष 2011-12 के तहत) के 8.0% की तुलना में वर्ष 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.1% तक की वृद्धि हुई है। कृषि व सहायक गतिविधियों में पिछले वर्ष के 0.7% की तुलना में 4.9% की वृद्धि दर्ज हुई है। खनन व उत्खनन में पिछले वर्ष के 10.5% की वृद्धि में 1.8% की बढ़त हुई। विनिर्माण क्षेत्र में पिछले वर्ष के 10.8% की तुलना में 7.9% की वृद्धि दर्ज की गई। बिजली, गैस, जल आपूर्ति व अन्य उपयोगिता सेवाएं पिछले वर्ष के 5% की तुलना में बढ़कर 7.2% रही। निर्माण क्षेत्र में पिछले वर्ष के 5.0% की तुलना में 1.7% की वृद्धि दर्ज की गई। सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल, परिवहन व संचार तथा प्रसारण से संबंधित सेवाओं में 10.5% के विगत वर्ष की तुलना में 7.8% की न्यून वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय, बीमा, स्थावर संपदा व व्यावसायिक सेवाओं में 10.8% की तुलना में 5.7% की वृद्धि दर्ज की गई तथा लोक प्रशासन, रक्षा व अन्य सेवाओं में 6.9% की तुलना में 11.3% की उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई।

वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति दर नियंत्रित रही तथा भारतीय रिजर्व बैंक के सहज स्तर पर बनी रही। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति मार्च 2016 के 4.83% की तुलना में मार्च 2017 के दौरान कम होकर 3.89% हो गयी। मार्च 2016 का 1.09% थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) बढ़कर मार्च 2017 में 5.29% रहा। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बीच में अंतर नये आधार वर्ष श्रृंखला 2011-12 के तहत कम होने की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 2016-17 की दूसरी छमाही के दौरान पिछले वर्ष की गिरावट के मुकाबले दोनों निर्यात और आयात बाद में बढ़े हैं। वाणिज्यिक आसूचना व सांख्यिकी महा निदेशालय (डीजीसीआईएस) द्वारा जारी किए गए अनंतिम आकड़ों के अनुसार कुल निर्यात पिछले वर्ष के यूएस \$ 262.29 बिलियन की तुलना में बढ़कर यूएस \$ 274.65 बिलियन रहा तथा कुल आयात पिछले वर्ष के यूएस

DIRECTORS' REPORT: 2016-17

The Board of Directors have pleasure in presenting the 48th Annual Report together with the Balance Sheet as on 31st March, 2017 and Profit & Loss Account for the financial year ended March 31, 2017.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

I. Economic Environment

Indian economy continues to remain as an economic bright spot, despite some growth moderation during 2016-17. As per the provisional estimates released by the Central Statistical Organization (CSO), India's Gross Domestic Product (GDP) grew by 7.1% y-o-y in 2016-17 compared to 8.0% in the previous year (under the new base year 2011-12). Agriculture and allied activities grew by 4.9% during the year compared to a growth of 0.7% in last year. Mining & quarrying sector grew by 1.8% against a growth of 10.5% last year. Manufacturing sector grew by 7.9% compared to a growth of 10.8% last year. Electricity, gas, water supply and other utility services sector grew by 7.2% compared to 5.0% last year. Construction sector grew by 1.7% compared to 5.0% last year. Trade, Hotels, Transport, communication & services related to broadcasting sector grew lower by 7.8% compared to 10.5% growth in the previous year. Financial, insurance, real estate & professional services sector grew by 5.7% compared to 10.8% last year. Public administration, defence & other services sector grew higher by 11.3% compared to 6.9% in the last year.

The inflation rate remained well under control and remained within the Reserve Bank of India (RBI) comfort level. The retail inflation rate measured by Consumer Price Index (CPI) came down to 3.89% in March 2017 compared to 4.83% in March 2016. However, Wholesale Price Index (WPI) rose to 5.29% in March 2017 against a decline of 1.09% in March 2016. The divergence between WPI and CPI is expected to narrow under new base year series 2011-12.

Both exports and imports have picked up later during second half of the financial year 2016-17 as against a decline in the previous year. As per the provisional data released by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), total exports rose to US \$274.65 billion compared to US \$262.29 billion in the last year. Total imports stood at \$380.37 billion against US \$381.01 billion in the

\$ 381.01 बिलियन की तुलना में यूएस \$ 380.37 बिलियन रहा। निर्यात में इंजीनियरिंग वस्तुओं, तैयार वस्त्र और पेट्रोलियम उत्पादों के वैश्विक माँग में वृद्धि के कारण बढ़ोत्तरी हुई। चालू खाता घाटा (सीएडी) पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का 1.1% से बढ़कर 0.7% हो गया।

कर्नाटक में आर्थिक परिवेश

कर्नाटक के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में पिछले वर्ष के 7.3% की तुलना में 6.9% की न्यून वृद्धि हुई है। तथापि, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में आर्थिक रूप से विकसित राज्य के रूप में कर्नाटक का योगदान 7% है।

कर्नाटक राज्य में आरम्भ होने के कारण केनरा बैंक ने राज्य में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति को बनाए रखा है। बैंक राज्य भर में फैली हुई अपनी 984 शाखाओं और 2,483 एटीएम, के माध्यम से राज्य में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बैंक के कुल घरेलू कारोबार में 19.5% का योगदान राज्य से है। मार्च 2017 को 65.37% ऋण - जमा अनुपात के साथ राज्य में बैंक का कुल कारोबार ₹15,0401 करोड़ रहा जिसमें ₹90,949 करोड़ जमा तथा ₹59,452 करोड़ अग्रिम के रूप में शामिल है।

II. मौद्रिक व बैंकिंग विकास

वर्ष 2016-17 में प्रमुख मौद्रिक समग्रों और नकद आपूर्ति में हुई वृद्धि ने देशी व वैश्विक वित्तीय परिवेश से उत्पन्न होनेवाली परिवर्तनशील नकदी परिस्थितियों को प्रतिबिंबित किया है। वर्ष के दौरान मौद्रिक नीति का प्रधान उद्देश्य मुद्रा स्फीति को रोकना और तरलता प्रबंधन रहा है।

नकद आपूर्ति (एम3) वृद्धि जो वित्त वर्ष के आरंभ में 10.0% थी, नवम्बर 2016 में उच्च मूल्य के नोट ₹1000 व ₹500 (विनिर्दिष्ट बैंक नोट) के विमुद्रीकरण के कारण मार्च 2017 की समाप्ति तक 7.3% रही। इस तरह ₹15.4 लाख करोड़ रुपये के मूल्य के नोट परिचालन में कुल मुद्रा के मूल्य का 86.9% था। आरबीआई द्वारा पुनः मुद्रीकरण के बाद से मुद्रा आपूर्ति में सुधार हुआ है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की कुल जमा राशि पिछले वर्ष 9.9% वर्षानुवर्ष की तुलना में 11.8% बढ़ी है, जो बैंकों में विमुद्रीकरण की अवधि के दौरान आई बड़ी नकदी जमा द्वारा समर्थित है। बैंकिंग क्षेत्र में विमुद्रीकरण के बाद जमा राशि में बढ़ोत्तरी ने चलनिधि आधिक्य स्थिति उत्पन्न की। दूसरी तरफ,

previous year. Trade gap, during the year, was lower at US \$105.72 billion compared to US \$118.72 billion last year. The pickup in exports was fuelled by rise in global orders for engineering goods, ready-made garments and petroleum products. Current Account Deficit (CAD) stood at 0.7% of GDP from 1.1% GDP in the last year.

Economic Environment in Karnataka

As per the Economic Survey of Karnataka, the Gross State Domestic Product (GSDP) grew lower by 6.9% during 2016-17 compared to 7.3% in the last year, in line with the national economy. Nevertheless, as an economically developed State in India, Karnataka contributes 7% to the country's GDP.

Canara Bank, owing its origin to the State, is continuing its key position in the State. The Bank has been playing a leading role in the State through its 984 branches and 2,483 ATMs, spread across the State. The State contributes about 19.5% to total domestic business of the Bank. The total business of the Bank in the State stood at ₹15,0401 crore, comprising ₹90,949 crore under deposits and ₹59,452 crore under advances as at March 2017, with a credit to deposit (C-D) ratio of 65.37%.

II. MONETARY AND BANKING DEVELOPMENTS

Growth in key monetary aggregates and money supply in 2016-17 reflected the changing liquidity conditions arising from domestic and global financial environment. The monetary policy stance during the year was primarily to contain inflation and manage liquidity.

Money supply (M3) growth, which was 10% at the beginning of the financial year, moderated to 7.3% by end-March 2017 due to demonetization of the high denomination currencies notes of ₹1000 and ₹500 (called specified bank notes- SBNs) in November 2016. Such notes, valued at ₹15.4 lakh crore constituted 86.9% of the value of total currency in circulation. Money supply has improved since then with the progressive re-monetization by the RBI.

Aggregate deposits of the Scheduled Commercial Banks (SCBs) grew higher at 11.8% y.o.y compared to 9.9% growth in the previous year, backed by huge cash deposits in banks that came post demonetization.

एससीबी की क्रेडिट वृद्धि पिछले वर्ष में 11.3% के वर्षानुवर्ष वृद्धि की तुलना में 5.1% बहु-दशकों के निम्नतम स्तर पर आई है। 31 मार्च 2017 में ऋण-जमा अनुपात पिछले वर्ष यथा 18 मार्च 2017 की 77.72% की तुलना में 72.91% रहा।

अनर्जक आस्तियों की गतिशील वृद्धि में कुछ सुधार के साथ, वर्ष के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की परिसंपत्ति गुणवत्ता, उसके लाभ और लाभप्रदता को प्रभावित करते हुए दबावग्रस्त रही।

वर्ष 2016-17 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित प्रमुख नीतिगत उपायों में निम्नलिखित परिवर्तन देखा गया।

- रेपो दर में 50 आधार बिंदुओं (बीपीएस) की कमी करके 6.25% और प्रतिवर्ती रेपो दर पिछले साल की तरह 5.75% किया गया।
- तदनुसार, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) दर व बैंक दर को रेपो दर के साथ 50 आधार बिंदुओं के साथ समायोजित करते हुए 6.75% किया गया।
- वर्ष के दौरान आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को उनके निवल मांग और मीयादी देयताएं (एनडीटीएल) के 4% पर अपरिवर्तित रखा गया।
- वर्ष के दौरान सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में 75 आधार बिंदुओं की कमी के साथ 20.50 % पर रखा गया।

वर्ष के दौरान रेपो दर और एमएसएफ दर में परिवर्तन

से प्रभावी	रेपो दर %	प्रति-वर्ती रेपो दर (%)	आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) (%)	सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) (%)	एम एस एफ अनुपात (%)
02 अप्रैल, 2016	6.75	5.75	4.00	21.25	7.75
05 अप्रैल, 2016	6.50	6.00	4.00	21.25	7.00
09 जुलाई, 2016	6.50	6.00	4.00	21.00	7.00
01 अक्टूबर, 2016	6.50	6.00	4.00	20.75	7.00
04 अक्टूबर, 2016	6.25	5.75	4.00	20.75	6.75
07 जनवरी, 2017	6.25	5.75	4.00	20.50	6.75

The surge in deposits in the banking sector has created large surplus liquidity conditions post-demonization. On the other side, SCBs' credit growth came down to a multi-decades low of 5.1% y.o.y against a growth of 11.3% in the last year. Consequently, SCBs' C-D ratio stood at 72.91% as on March 31, 2017 compared to 77.72% as on March 18, 2016.

Even though there was some moderation in the incremental addition of NPAs, asset quality of the banking sector continued to be under stress during the year, affecting their profits and profitability.

The year 2016-17 saw the following changes in the key policy measures as announced by the RBI.

- Repo rate decreased by 50 basis points (bps) to 6.25% and reverse repo rate stood at 5.75%, the same level as of last year.
- Marginal Standing Facility (MSF) Rate and Bank Rate were aligned 50 bps above the repo rate at 6.75%.
- Cash Reserve Ratio (CRR) was kept unchanged at 4% of Net Demand and Time Liabilities (NDTL) during the year.
- Statutory Liquidity Ratio (SLR) was decreased by 75 basis points to 20.50% during the year.

Changes in Repo Rate and MSF Rate during the year

Effective Since	Repo Rate (%)	Reverse Repo rate (%)	Cash Reserve Ratio (CRR) (% of NDTL)	Statutory liquidity ratio (SLR) (%)	MSF Rate (%)
April 02, 2016	6.75	5.75	4.00	21.25	7.75
April 05, 2016	6.50	6.00	4.00	21.25	7.00
July 09, 2016	6.50	6.00	4.00	21.00	7.00
October 01, 2016	6.50	6.00	4.00	20.75	7.00
October 04, 2016	6.25	5.75	4.00	20.75	6.75
January, 07, 2017	6.25	5.75	4.00	20.50	6.75

वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुख्य नीति / पर्यवेक्षकीय समीक्षा संबंधी निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गई ।

- आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) के रूप में, बैंकों को अपने तुलन पत्र को भाररहित करने की अंतिम तिथि मार्च 2017 की गई ।
- विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए वित्त अधिनियम 2016 द्वारा आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन के साथ मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का गठन किया गया । 6 जून 2016 को भारत के राजपत्र में असाधारण रूप में अधिसूचित निर्दिष्ट लक्ष्य स्तर 4% के अंदर मुद्रास्फीति का ऊपरी स्तर 6% और निम्न स्तर 2% के साथ एमपीसी को बेंचमार्क नीति दर या रेपो दर तय करने का कार्य दिया गया है ।
- 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार की अधिसूचना सं. 2652 के अनुसार वैध मुद्रा ₹500 और ₹1000 की वापसी को अधिसूचित किया गया ।
- महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में इनसेट लेटर 'ई' के साथ ₹500 तथा इनसेट लेटर 'आर' के साथ ₹2000 के बैंकनोट डॉ उर्जित आर पटेल, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक के हस्ताक्षर सहित जारी किए गए ।
- दबावग्रस्त परिसंपत्तियों से निपटने के लिए तथा उधारदाताओं की क्षमता को और अधिक मजबूत करने के लिए 'दबावग्रस्त संपत्तियों की धारणीय संरचना के लिए एक योजना' (एस4ए) पर दिशानिर्देश जारी किये गये । यह उधारकर्ता के लिए धारणीय ऋण स्तर के निर्धारण में धारणीय ऋण और इक्विटी / अर्ध-इक्विटी लिखतों में बकाया ऋण का विभाजन है, जो उधारकर्ताओं के पलटने की स्थिति में उधारदाता के लिये एक अच्छा पहलू है ।
- आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में मैक्रो दबाव परीक्षण के अनुसार, सितंबर 2016 में सकल एनपीए अनुपात 9.1% से बढ़कर मार्च 2017 तक 9.8% और आगे बढ़कर मार्च 2018 तक 10.1% हो जाएगा । अगर व्यापक आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, तो जीएनपीए अनुपात ऐसी दबावपूर्ण परिस्थितियों में बढ़ सकता है । लोहा एवं इस्पात, निर्माण, विद्युत और इंजीनियरिंग उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हैं जो बैंकिंग उद्योग के लिए उच्च एनपीए में योगदान करते हैं ।

RBI made the following major policy announcements / supervisory review / changes during the year.

- As part of the Asset Quality Review (AQR), the deadline for banks to clean up their balance sheets stood at end-March 2017.
- A Monetary Policy Committee (MPC) constituted with the amendment of the RBI Act, 1934 by the Finance Act, 2016 for maintaining price stability, while keeping in mind the objective of growth. The MPC has been given the task of fixing the benchmark policy rate or repo rate required to contain inflation within the specified target level of 4% with upper tolerance level of 6% and lower level of 2%, as notified in the Gazette of India Extraordinary on 6th June 2016.
- Notified the withdrawal of Legal Tender Status for ₹500 and ₹1000 in line with the Government of India Notification No. 2652 dated November 8, 2016.
- Issued ₹500 banknotes with inset letter 'E' in Mahatma Gandhi (New) Series and ₹2000 banknotes with inset letter 'R', with both bearing the signature of Dr. Urjit R. Patel, Governor, Reserve Bank of India.
- Issued guidelines on 'Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets' (S4A) in order to further strengthen the lenders' ability to deal with stressed assets. The Scheme envisages determination of the sustainable debt level for a stressed borrower, and bifurcation of the outstanding debt into sustainable debt and equity/quasi-equity instruments, which are expected to provide upside to the lenders when the borrower turns around.
- In its financial stability report, the RBI, as per the macro stress test, projected the Gross NPA ratio to increase from 9.1% in September 2016 to 9.8% by March 2017 and further to 10.1% by March 2018. If the macroeconomic conditions deteriorate, the GNPA ratio may increase further under such consequential stress scenarios. Iron & Steel, Construction, Power and Engineering are the high risk sectors that contribute to high NPAs for the banking industry.

- एनबीएफसी, वित्तीय संस्थाएं, प्रतिभूतिकरण कंपनियों और पुनर्निर्माण कंपनियों के अलावा दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।
- बैंकों को ऋणों के ढेर पर बैठे दूरसंचार, लोहा, इस्पात और बिजली जैसे क्षेत्रों पर अपने जोखिम के लिये अधिक धनराशि निर्धारित करने की सलाह दी गई।
- निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व पर मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई जिसमें निजी क्षेत्र के बैंकों में एक इकाई / कॉर्पोरेट इकाई / संबंधित संस्थाओं के समूह द्वारा विविध शेयरधारिता की कल्पना की गई।
- भविष्य में बाजार विकास के लिए निश्चित आय और मुद्रा बाजार विकास के उपायों का एक पैकेज घोषित किया, भागीदारी बढ़ाने, बाजार की तरलता को बेहतर बनाने और संचार में सुधार किया गया।
- साइबर सुरक्षा पर एक आंतरिक अनुशासनिक स्थायी समिति की स्थापना, अन्य बातों के साथ मौजूदा / उभरती हुई प्रौद्योगिकी में निहित खतरों की समीक्षा की गई; विभिन्न सुरक्षा मानकों / प्रोटोकॉल का अध्ययन अपनाने; हितधारकों के साथ इंटरफेस; साइबर सुरक्षा और लचीलेपन को मजबूत करने के लिए उचित नीतिगत हस्तक्षेप के सुझाव दिये गये।
- डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए व्यापारी छूट दर (एमडीआर) के युक्तिकरण पर मसौदा परिपत्र जारी किया गया।
- बैंकों के लिए अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित किया गया, कि ग्राहक किसी भी एटीएम के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत कर सकें। इसके अलावा, बैंकों को इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी मोबाइल पंजीकरण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये कि "एक बैंक शाखा के रूप में क्या ठीक है?" एक पैनल की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य बैंकों को अधिक लचीलापन प्रदान करना है क्योंकि नई तकनीक उन्हें एक पारंपरिक शाखा के उपयोग के बिना अधिक सेवाएं देने में सक्षम बनाती है।
- Issued guidelines for sale of stressed assets to Non - Banking Financial Companies (NBFCs) and Financial Institutions (FIs) in addition of securitisation companies or reconstruction companies.
- Advised banks to set aside more funds against their exposure to sectors that are sitting on piles of debt viz., telecom, iron and steel and power sectors.
- Reviewed the extant guidelines on ownership in private sector banks which envisaged diversified shareholding in private sector banks by a single entity / corporate entity / group of related entities.
- Announced a package of measures for the development of fixed income and currency markets for further market development, enhance participation, facilitate greater market liquidity and improve communication.
- Established an Inter-disciplinary Standing Committee on Cyber Security to, inter alia, review the threats inherent in the existing/emerging technology; study adoption of various security standards/protocols; interface with stakeholders; and suggest appropriate policy interventions to strengthen cyber security and resilience.
- Issued Draft Circular on rationalization of Merchant Discount Rate (MDR) for Debit Card Transactions.
- Made it mandatory for banks to allow customers to register their mobile numbers through any ATM. In addition, banks have also been asked to make available mobile registration through internet banking.
- Set up a panel to decide on what exactly qualifies as a bank branch, a move aimed to provide more flexibility to banks as new technology enables them to extend most services without the trappings of a traditional branch.

- भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों के 2016 में एकीकरण के साथ मास्टर परिपत्र जारी किया, जिसमें बैंकों के लिए सुलभता, अवसर और सांविधिक प्रावधान शामिल थे।
- बैंकों द्वारा प्रस्तावित निवेश सलाहकार सेवाओं पर मसौदा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और मसौदे के अनुसार बैंक ये सेवाएं एक अलग सहायक कंपनी के माध्यम से या एक मौजूदा सहायक कंपनी के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के बाद कि बैंक और सहायक कंपनी के बीच नजदीकी संबंध हैं सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
- बासेल III फ्रेमवर्क के साथ तरलता मानकों, तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर), तरलता जोखिम निगरानी उपकरण और एलसीआर प्रकटन मानक में, बैंकों को उनके एलसीआर की गणना के उद्देश्य के लिए स्तर 1 एचक्यूएलए के रूप में अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के तहत एनडीटीएल को 1% और एफएएलसीआर के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को नियंत्रित करने की अनुमति दी गई थी। बैंकों के लिए उपलब्ध एसएलआर से ली गई कुल राशि में एनडीटीएल का 11% होगा।
- अर्थव्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए फ्रेमवर्क के एक भाग के रूप में, आरबीआई ने बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) को अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) की बिक्री से संबंधित कुछ दिशा-निर्देशों में संशोधन किया।
- बासेल मानकों के अनुरूप छोटे और भुगतान बैंकों के लिए ऑपरेटिंग दिशानिर्देश-भुगतान के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता के साथ-साथ छोटे वित्त बैंक को 15% निर्धारित किया गया है।
- बैंकों के एकीकरण के महत्वपूर्ण कदम के रूप में, भारत सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के साथ पांच सहयोगियों जैसे स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर व जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी) और भारतीय महिला बैंक के विलय के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में दिनांक 1/4/2017 को अनुमोदित किया है।
- Issued the Master Circular on amalgamation of private sector banks, 2016 comprising of applicability, scope and statutory provisos for the banks to amalgamate.
- Issued draft guidelines on Investment Advisory services offered by banks and as per the draft, banks desirous of offering these services may do so either through a separate subsidiary set up for the purpose or one of the existing subsidiaries after ensuring that there is an arm's length relationship between the bank and the subsidiary.
- In lines with the Basel III Framework on Liquidity Standards, Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards, banks were permitted to reckon government securities held by them up to another 1% of their NDTL under FALLCR within the mandatory SLR requirement as level 1 HQLA for the purpose of computing their LCR. The total carve-out from SLR available to banks would be 11% of their NDTL.
- As part of the Framework for Revitalizing Distressed Assets in the Economy, RBI amended certain guidelines relating to sale of non-performing assets (NPAs) by banks to Securitisation Companies (SCs)/ Reconstruction Companies (RCs).
- Put in place the operating guidelines for small finance banks and payment banks in line with the BASEL standards Minimum capital requirement for a payment as well as small finance bank is fixed at 15%.
- In a significant move on consolidation of banks, Government of India approved 1/4/2017 as the record date for the merger of State Bank of India (SBI) with five of its associate banks, viz., State Bank of Bikaner and Jaipur (SBBJ), State Bank of Mysore (SBM), State Bank of Travancore (SBT), State Bank of Hyderabad (SBH) and State Bank of Patiala (SBP) and also Bharatiya Mahila Bank.

वर्ष 2017-18 के लिए दृष्टिकोण

विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, अप्रैल 2017 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उत्पन्न सकारात्मक वृद्धि तथा उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था द्वारा विश्व उत्पादन (वैश्विक अर्थव्यवस्था) विकास 2016 में 3.1% से सुधरकर 2017 में 3.5% होने का अनुमान लगाया गया है। वैश्विक व्यापार की मात्रा 2016 की 2.2% से बढ़कर 2017 में 3.8% तक हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास 2016 के 6.8% से बढ़कर 2017 में 7.2% होने का अनुमान लगाया है। हालांकि, संरक्षणवाद रुख, वाष्पशील वैश्विक वस्तु कीमतों और इसके असर पर भरोसा करने वाली अनिश्चितताएं हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी द्विमासिक नीति समीक्षा में अनुमानित किया है कि सकल मूल्य में वृद्धि (जीवीए) द्वारा भारत के विकास में 2017-18 के लिए 7.3% की वृद्धि के साथ जोखिम समान रूप से संतुलित होगा। 2017-18 की पहली छमाही में सीमावर्ती मुद्रास्फीति 2-3.5% की सीमा में और 2017-18 की दूसरी छमाही में 3.5-4.5% की सीमा में पेश की गई है। बेहतर दृष्टिकोण को कई अनुकूल घरेलू कारकों द्वारा समर्थित किया गया है जैसे कि पुनर्मुद्राकरण में वृद्धि धीरे-धीरे सुधरती आर्थिक गतिविधियों में नकद-प्रोत्साहन खुदरा व्यापार, होटल और रेस्तरां, परिवहन और असंगठित क्षेत्र शामिल हैं।

भारत सरकार और आरबीआई द्वारा किए गए संरचना सुधारों और पहलों से 2017-18 में विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बैंकों की उधार दरों में पिछली नीतिगत दरों में कटौती के संचरण से अर्थव्यवस्था में खपत और निवेश की मांग दोनों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। जुलाई, 01, 2017 से माल और सेवा कर (जीएसटी) की संभावना बढ़ने से एक आम बाजार की स्थापना होगी और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के उन्मूलन से निवेशकों के आत्मविश्वास और दक्षता लाभ में वृद्धि होगी। सक्षम संशोधनों और नीतिगत पहलों ने भारत सरकार को दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान, जैसे दिवालिया और दिवालियापन संहिता को लागू करना तथा बैंकिंग अध्यादेश के तहत बैंकों को निर्देश जारी करने के लिए, आरबीआई के सशक्तीकरण के लिए बैंकिंग अध्यादेश के तहत बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 को संशोधित कर धारा 35 ए और धारा 35 एबी के द्वारा सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने और बैंकों को पुनर्जीवित करने की उम्मीद है।

OUTLOOK FOR 2017-18

As per the World Economic Outlook, April 2017, by the International Monetary Fund (IMF), world output (global economy) growth has been projected to improve from 3.1% in 2016 to 3.5% in 2017, with positive growth emanating from Advanced Economies and Emerging Market and Developing Economies. The global trade volume has been projected to expand from 2.2% in 2016 to 3.8% in 2017. Further, the Indian Economy is projected to expand from 6.8% in 2016 to 7.2% in 2017. However, there are uncertainties revolving the protectionism stance, volatile global commodity prices and its ramifications, which may affect growth.

RBI, in its second bi-monthly policy review, has projected that India's economy, as measured by Gross Value Added (GVA), would grow by 7.3% for 2017-18, with risks evenly balanced. The headline inflation has been projected in the range of 2-3.5% in the first half of the 2017-18 and in the range of 3.5-4.5% in the second half of 2017-18. The improved outlook is backed by several favorable domestic factors like the increased pace of remonetization and gradually improving economic activities in cash-intensive retail trade, hotels and restaurants, transportation and unorganized segments.

Structural reforms and initiatives undertaken by the Government of India and RBI are expected to positively impact growth in 2017-18. The transmission of past policy rate reductions into banks' lending rates will also help encourage both consumption and investment demand in the economy. Likely roll-out of the Goods & Services Tax (GST) from July, 01, 2017, will establish a common market and the abolition of the Foreign Investment Promotion Board (FIPB) will boost investors' confidence and bring in efficiency gains. The enabling amendments and policy initiatives undertaken the Government of India to address resolution of the stressed assets, like, institution of the Insolvency and Bankruptcy Code and empowering RBI to issue directions to a bank or banks to initiate resolution process under the Banking Ordinance, amending Banking Regulation Act, 1949, under Section 35 AA and Section 35 AB are expected to yield positive results and revitalize the banks.

III. वर्ष 2016-17 में केनरा बैंक

केनरा बैंक ने वर्ष के दौरान अपने महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट क्षेत्रों अर्थात्, कासा सहित खुदरा जमा, खुदरा ऋणों, शुल्क आय, एनपीए नियंत्रित करना, वसूली तथा उन्नयन और परिचालन वित्तीय अनुपात में सुधार जैसे, निवल ब्याज मार्जिन (एन आई एम), आस्तिओं पर प्रतिलाभ (आर ओ ए), इक्विटी पर प्रतिलाभ (आर ओ ई) और लागत-आय अनुपात में तालमेल के साथ बेहतर प्रदर्शन किया।

वित्तीय निष्पादन

वर्ष के दौरान, बैंक ने लाभ और परिचालन वित्तीय अनुपात पर बेहतर प्रदर्शन किया। जबकि कुल आय पिछले वर्ष के स्तर पर रही, बैंक ने खर्च को पिछले वर्ष से काफी हद तक कम कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप परिचालन लाभ बढ़ाया जा सका। बैंक का परिचालन लाभ पिछले वर्ष ₹7147 करोड़ की तुलना में 24.72% से ₹8914 करोड़ रुपये रहा। बैंक ने पिछले साल ₹2813 करोड़ के शुद्ध घाटे की तुलना में 2016-17 के लिए ₹1122 करोड़ का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है।

मुख्य वित्तीय अनुपात (%)	मार्च 2016	मार्च 2017
निधियों पर लागत	6.31	5.59
निधियों पर प्रतिफल	8.11	7.35
जमाओं पर लागत	6.94	6.25
अग्रिमों पर प्रतिफल	9.71	8.99
निवेश पर प्रतिफल	7.92	7.75
निवल ब्याज मार्जिन (निम)	2.19	2.23
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (आरओएए)	(0.52)	0.20
इक्विटी पर प्रतिफल	(10.69)	4.15
लागत-आय अनुपात	50.65	48.85

आरओए और आरओई में पिछले साल की तुलना में 0.20% और 4.15% की वृद्धि हुई, एनआईएम में पिछले वर्ष 2.19% की तुलना में 2.23% का सुधार हुआ और विगत वर्ष के 50.65% से आय का अनुपात 48.85% हो गया।

III. CANARA BANK IN 2016-17

Canara Bank performed better during the year in sync with its major thrust areas, viz., increasing retail deposits (including CASA), retail credit, fee income, containing NPA, recovery & upgradation and improving operational financial ratios, such as, Net Interest Margin (NIM), Return on Assets (RoA), Return on Equity (RoE) and Cost-to-Income Ratio.

FINANCIAL PERFORMANCE


During the year, the Bank posted improved performance on profitability and operational financial ratios. While total income was sustained at the previous year's level, the Bank could substantially reduce its expenditure over last year, resulting in enhanced operating profit. Operating profit of the Bank increased by 24.72% to ₹8914 crore compared to ₹7147 crore last year. The Bank posted a net profit of ₹1122 crore for 2016-17 compared to a net loss of ₹2813 crore last year.

Key Financial Ratios (%)	March 2016	March 2017
Cost of Funds	6.31	5.59
Yield on Funds	8.11	7.35
Cost of Deposits	6.94	6.25
Yield on Advances	9.71	8.99
Yield on Investments	7.92	7.75
Net Interest Margin (NIM)	2.19	2.23
Return on Assets (RoA)	(0.52)	0.20
Return on Equity (RoE)	(10.69)	4.15
Cost to Income Ratio	50.65	48.85


While RoA and RoE increased to 0.20% and 4.15% respectively compared to negative levels in the last year, NIM improved to 2.23% against 2.19% last year and Cost to Income ratio reduced to 48.85% from 50.65% a year ago.

आय व व्यय विश्लेषण

वर्ष के दौरान, कुल आय ₹48942 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जिसमें ऋण और अग्रिम से ₹29586 करोड़ ब्याज, निवेश से ₹10711 करोड़ ब्याज, गैर-ब्याज आय से ₹7554 करोड़ और अन्य आय से ₹1091 करोड़ शामिल है।




बैंक के मुख्य क्षेत्र के अनुकूल, गैर-ब्याज आय में 54.95% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष दर्ज ₹4875 करोड़ के मुकाबले ₹7554 थी। ₹2982 करोड़ के राजकोष व्यापार लाभ को छोड़कर, गैर-ब्याज आय 17.68% बढ़कर ₹4572 करोड़ हो गई। व्यापार लाभ के अलावा, गैर-ब्याज आय के अन्य प्रमुख स्रोत जैसे, विदेशी मुद्रा लेनदेन (₹971 करोड़) से लाभ, बट्टा खातों से (₹489 करोड़), सरकारी व्यवसाय (₹93 करोड़), बैंकएयोरेंस (₹87 करोड़) और सेवा शुल्क (₹1144 करोड़) ने बैंक की गैर-ब्याज आय में योगदान दिया। कुल आय में गैर-ब्याज आय का हिस्सा पिछले साल 9.97% के स्तर से बढ़कर 15.43% हो गया।




Income and Expenditure Analysis

During the year, total income increased to ₹48942 crore, comprising ₹29586 crore interest from loans and advances, ₹10711 crore interest from investments, ₹7554 crore from non-interest income and ₹1091 crore from other income.



In line with the thrust areas for the Bank, non-interest income registered a robust increase of 54.95% to ₹7554 compared to ₹4875 crore recorded during last year. Excluding treasury trading profit of ₹2982 crore, non-interest income rose by 17.68% to ₹4572 crore. Apart from trading profit, other major sources of non-interest income, like, profit from exchange transactions (₹971 crore), recovery from written off accounts (₹489 crore), Government business (₹93 crore), bancassurance (₹87 crore) and service charges (₹1144 crore) contributed to the non-interest income of the Bank. The share of non-interest income to total income increased to 15.43% from last year level of 9.97%.



ब्याज व्यय सहित बैंक का कुल व्यय ₹41751 करोड़ रुपए से वर्षानुवर्ष 4.13% घटकर ₹40028 नीचे आ गया, जिसमें 8.01% से ₹31516 करोड़ रुपये की कमी के साथ ब्याज व्यय शामिल है। परिचालन खर्च में 13.62% से ₹8512 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कर्मचारियों की लागत ₹4915 करोड़ और ₹3597 करोड़ के अन्य परिचालन खर्च शामिल हैं। ब्याज दरों में गिरावट के कारण, बैंक की जमा राशि की लागत 69 बीपीएस से घटकर 6.25% हो गई, जो पिछले साल 6.94% थी।

निवल ब्याज आय, प्रदत्त ब्याज व बैंक द्वारा अर्जित ब्याज का अंतर पिछले वर्ष की तुलना में ₹9763 से बढ़कर ₹9872 करोड़ हो गया।

पूंजी तथा आरक्षित निधियाँ

बैंक की मालियत मार्च 2017 तक बढ़कर ₹26914 करोड़ हो गई, जो कि मार्च 2016 में ₹25911 करोड़ थी। बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी ₹597 करोड़ थी, जबकि आरक्षित निधियाँ और अधिशेष बढ़कर ₹33088 करोड़ हो गया।

(राशि ₹ करोड़ में)

पूंजी संरचना	मार्च 2016 बासेल III	मार्च 2017 बासेल III
जोखिम भारित आस्तियाँ	333869	338999
सीईटी I	27308	30226
सीईटी I (%)	8.18	8.92
एटी I	2064	2896
एटी I (%)	0.62	0.85
टायर I पूंजी	29372	33122
सीआरएआर (%) (टायर I)	8.80	9.77
टायर II पूंजी	7633	10472
सीआरएआर (%) (टायर II)	2.28	3.09
सकल पूंजी	37005	43594
सीआरएआर (%)	11.08	12.86

बासेल III के तहत पूंजी पर्याप्तता अनुपात, मार्च 2017 में 10.25% की विनियामक आवश्यकता के मुकाबले में 12.86% का सुधार हुआ, जिसमें 1.25% का पूंजी संरक्षण बफर शामिल है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात के तहत सीईटी I अनुपात 8.92% था और टायर I पूंजी का अनुपात 9.77% था।

2016-17 के दौरान बैंक ने ₹5124 करोड़ रुपये की पूंजी जुटायी, जिसमें राइट्स इश्यू से ₹1124 करोड़ की इक्विटी पूंजी और बासेल III के अनुरूप टियर I और टियर II बांड जारी करके ₹1000 करोड़ अतिरिक्त टियर I पूंजी और ₹3000 करोड़ टियर II पूंजी शामिल थी।

बैंक पूंजी पर्याप्तता की सहज स्थिति में है। भारत सरकार की 66.30% हिस्सेदारी को देखते हुए, व्यवसाय विकास की गति को संवर्धित करने में बैंक के पास पूंजी जुटाने की पर्याप्त गुंजाइश है।

Total expenditure of the Bank came down by 4.13% y.o.y to ₹40028 crore from ₹41751 crore, including interest expenses, which declined by 8.01% to ₹31516 crore. Operating expenses increased 13.62% to ₹8512 crore, comprising staff cost of ₹4915 crore and other operating expenses of ₹3597 crore. Due to downward movement in the interest rates, the Bank's cost of deposits reduced by 69 bps to 6.25% from 6.94% during last year.

The net interest income, the difference between interest paid and interest earned by the Bank, increased to ₹9872 crore compared to ₹9763 crore last year.

Capital and Reserves

Networth of the Bank, as at March 2017 increased to ₹26914 crore compared to ₹25911 crore as at March 2016. While the total paid-up capital of the Bank stood at ₹597 crore, the reserves and surplus increased to ₹33088 crore.

(Amt. ₹ Crore)

Composition of Capital	March 2016 Basel III	March 2017 Basel III
Risk Weighted Assets	333869	338999
CET I	27308	30226
CET I (%)	8.18	8.92
AT I	2064	2896
AT I (%)	0.62	0.85
Tier I Capital	29372	33122
CRAR (%) (Tier I)	8.80	9.77
Tier II Capital	7633	10472
CRAR (%) (Tier II)	2.28	3.09
Total Capital	37005	43594
CRAR (%)	11.08	12.86

Capital Adequacy Ratio, under Basel III, improved to 12.86% as at March 2017 against the regulatory requirement of 10.25%, including capital conservation buffer of 1.25%. Within the capital adequacy ratio, CET I ratio was at 8.92% and Tier I capital ratio was at 9.77%.

During 2016-17 the Bank raised ₹5124 crore capital, comprising equity capital of ₹1124 crore from the Rights Issue and ₹1000 crore additional Tier I capital and ₹3000 crore Tier II capital by issuing Basel III compliant Tier I and Tier II bonds.

The Bank is comfortable in the capital front. Given Government of India's shareholding in the Bank at 66.30%, adequate headroom is available to raise capital in order to support the business growth momentum.

कारोबार संवृद्धि

जमा

पिछले वर्ष के ₹479792 करोड़ की तुलना में यथा मार्च 2017 को बैंक के कुल जमा में ₹495275 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई।

अधिक खुदरा सावधि जमा जुटाने के जोर को ध्यान में रखते हुए बैंक के खुदरा सावधि जमा, जमा राशि प्रमाण पत्र को छोड़कर, घरेलू सावधि जमा में हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 48.5% की तुलना में 56.5% की वृद्धि हुई। बैंक का कासा जमा 21.21% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ यथा मार्च 2017 को ₹149749 करोड़ हुआ। देशी जमाओं में कासा का हिस्सा विगत वर्ष के 27.38% से बढ़कर 32.85% हो गया। यथा मार्च 2016 को बचत जमा 22.61% बढ़कर ₹127168 करोड़ हो गया। चालू जमा 13.89% बढ़कर ₹22581 करोड़ हो गया। कासा जमा राशियों में बढोत्तरी का एक बड़ा हिस्सा ₹1000 रुपये और ₹500 रुपये के नोट के विमुद्रीकरण के नकद जमा के साथ आया। इसके अलावा, कासा के तहत औसत शेष राशि में सुधार के लिए प्रमुख कासा उत्पादों, कैनरा गैलेक्सी, कैनरा प्रीविलेज, एसबी पावरप्लस और एनआरआई खातों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

जमा ग्राहकवर्ग के आधार को बढ़ाई जाने वाली नीति का अनुवर्तन करते हुए, बैंक ने कुल 53 लाख से अधिक जमा खातों को खोला, जिससे कुल जमा खातों की संख्या 6.97 करोड़ तक पहुँच गयी।

अग्रिम (निवल)

बैंक ने अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों जैसे आवास, शिक्षा, वाहन व अन्य उत्पादन खंडों में फैले हुए कृषि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम, खुदरा ऋण के लिए अच्छी तरह से अपनी संपत्ति के आधार का विस्तार किया है।

बैंकिंग क्षेत्र की ऋण वृद्धि के मुताबिक, बैंक का अग्रिम (निवल) 5.33% बढ़कर मार्च 2017 तक ₹342009 करोड़ तक पहुँच गया, जो कि एक साल पहले ₹324715 करोड़ रुपये था।

यथा मार्च 2017 को बैंक को उधार खातों की संख्या बढ़कर 82 लाख तक पहुँच गयी।


बैंक का कुल कारोबार पिछले वर्ष की ₹804506 करोड़ की तुलना में वर्ष दर वर्ष 4.07% वृद्धि के साथ बढ़कर ₹837284 करोड़ तक पहुँच गया।

वर्ष के दौरान बैंक का कुल ग्राहक आधार 54 लाख बढ़कर पिछले वर्ष के 7.25 करोड़ की तुलना में 7.79 करोड़ तक जा पहुँचा।

BUSINESS GROWTH

Deposits

Total Deposits increased ₹495275 crore as at March 2017 compared to ₹479792 crore a year ago, with a y.o.y. growth of 3.23%.



Current and Savings Bank (CASA) deposits of the Bank increased by 21.21% y-o-y to ₹149749 crore as at March 2017. The Bank's CASA deposits to domestic deposits improved to 32.85% from 27.38% last year. Savings deposits grew by 22.61% to ₹127168 crore. Current deposits grew by 13.89% to ₹22581 crore. A major portion of the accretion in CASA deposits had come with cash deposits of demonetized currencies of ₹1000


and ₹500 notes. Besides above, the focus on premier CASA products, like, Canara Galaxy, Canara Privilege, SB Powerplus and NRI accounts was given to improve the average balances under CASA.

Pursuing a strategy of expanding deposit clientele, the Bank added 53 lakhs deposit clientele accounts during the year, taking the total number of deposit accounts to 6.97 crore.

Advances (net)

The Bank expanded its asset base to a well diversified one comprising of the productive segments of the economy, like, Agriculture and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and other productive sectors in addition to the Retail assets, including Housing, Education, Vehicle loan segments.

In line with the banking sector credit growth, advances (Net) of the Bank grew by 5.33% to reach ₹342009 crore as at March 2017 compared to ₹324715 crore a year ago.



The number of borrowal clientele accounts increased to 82 lakhs as at March 2017.

Total business of the Bank increased to ₹837284 crore, with a y-o-y growth of 4.07% compared to ₹804506 crore in the previous year.

During the year, the Bank's total clientele accounts increased by 54 lakhs to 7.79 crore from 7.25 crore last year.

खुदरा ऋण परिचालन

बैंक के लिए निर्धारित मुख्य क्षेत्र के अनुकूल खुदरा उधारी परिचालन ने वर्ष-दर-वर्ष मजबूत विकास दर्ज किया।


(राशि ₹ करोड़ में)

खुदरा क्षेत्र	यथा मार्च		वृद्धि	
	2016	2017	प्रमात्रा	(%)
1. आवास	30975	32285	1310	4.23
1.1 आवास (प्रत्यक्ष)	20475	24337	3862	18.86
1.2 आवास (अप्रत्यक्ष)	10500	7948	(2552)	(24.30)
2. वाहन	4307	5140	833	19.34
3. अन्य वैयक्तिक	12049	13835	1786	14.82
4. शिक्षा	6738	7651	913	13.55
सकल खुदरा ऋण (1+2+3+4)	54069	58910	4842	8.95

बकाया खुदरा ऋण संविभाग वर्ष-दर-वर्ष 8.95% की वृद्धि दर्ज करते हुए यथा मार्च 2017 को ₹58910 करोड़ रहा। विभिन्न खुदरा उधारी योजनाओं के तहत संवितरित राशि ₹34283 करोड़ रही। बकाया आवास ऋण संविभाग वर्ष-दर-वर्ष 4.23% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹32285 करोड़ रहा जो कुल खुदरा ऋण संविभाग का 54.80% है। बैंक के वाहन ऋण व अन्य वैयक्तिक ऋण में वर्ष-दर-वर्ष क्रमशः 19.34% व 14.82% की वृद्धि हुई।

शिक्षा ऋण

बैंक ने भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लाखों प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहित किया है। बैंक के शिक्षा ऋण संविभाग को और बढ़ाकर ₹7651 करोड़ किया गया है। यथा मार्च 2017 को बैंक ने 2.99 लाख छात्रों को ऋण प्रदान किया। शिक्षा ऋण क्षेत्र में प्रगतिशील वृद्धि के साथ बैंक लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वर्ष 2016-17 के दौरान, बैंक ने ₹855.43 करोड़ रुपये के शिक्षा ऋण का वितरण किया है।



RETAIL LENDING OPERATIONS

In line with the thrust areas set for the year, the Bank's retail lending operations recorded good y-o-y growth.

(Amt. ₹ Crore)

Retail Segments	As at March		Growth	
	2016	2017	Quantum	(%)
1. Housing	30975	32285	1310	4.23
1.1 Housing (Direct)	20475	24337	3862	18.86
1.2 Housing (Indirect)	10500	7948	(2552)	(24.30)
2. Vehicle	4307	5140	833	19.34
3. Other Personal	12049	13835	1786	14.82
4. Education	6738	7651	913	13.55
Total Retail Loans (1+2+3+4)	54069	58910	4842	8.95

Outstanding retail loans portfolio grew by 8.95% y-o-y to ₹58910 crore as at March 2017. The disbursements under various retail lending schemes amounted to ₹34283 crore. The outstanding housing loan portfolio rose to ₹32285 crore, with a y-o-y growth of 4.23% and accounted for 54.80% of the total retail lending portfolio. The Bank's Vehicle loans and other personal loans increased by 19.34% and 14.82% y-o-y respectively.

Education Loans

Over the years, the Bank has assisted lakhs of promising students to pursue higher education in India and abroad. The Bank's education loan portfolio increased to ₹7651 crore. The Bank has financed around 2.99 lakh students as at March 2017. The Bank is performing consistently well with progressive growth in education loan segment. During 2016-17, the Bank has disbursed education loans worth ₹855.43 crore.

एनएएसी द्वारा 'ए' ग्रेड के रूप में मूल्यांकन कर 1000 संस्थानों को छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए मैप किया गया है। पूरे देश में एनएसडीसी से संबद्ध संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में छात्रों के लिए शिक्षा ऋण की मंजूरी के लिए मैसर्स राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एमएसएनएसडीसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। शिक्षण ऋण के विस्तार के लिए मैसर्स भारतीय कंपनी सचिव, नई दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। व्यवसाय शिक्षा ऋण को प्रोत्साहित करने के लिए मैसर्स बायकोन लिमिटेड, मैसर्स बॉश लिमिटेड और मैसर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज संस्थान, मैसर्स वोल्वो ईशर कॉमर्शियल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाई-अप की व्यवस्था की गई है।

भारत सरकार ने प्रधान मंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के माध्यम से छात्रवृत्ति के साथ-साथ शैक्षिक ऋण योजनाओं को संचालित करने और मॉनिटर करने के लिए पूरी तरह से आईटी आधारित छात्र वित्तीय सहायता प्राधिकरण की स्थापना की है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी छात्र निधि की कमी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न हो सके। एक विद्या लक्ष्मी पोर्टल <www.vidyalakshmi.co.in> 15.08.2015 को चालू किया गया है। विद्यार्थी किसी भी बैंक के अंतर्गत शिक्षा ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैंक ने छात्रों को ऑनलाइन तत्काल ऋण मंजूरी सुविधा 'विद्या तुरंत' की सुविधा दी है, और छात्रों की सुविधा के लिए बैंक द्वारा चयन और परामर्श के समय सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) के लिए भुगतान करने के लिए एक पूरक ऋण योजना 'विद्या सहाय' प्रदान की है।

भारत सरकार की सब्सिडी योजनाओं को संचालित करने के लिए बैंक को नोडल बैंक के रूप में नामित किया गया है, जिसमें शिक्षा पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए शैक्षिक ऋण (सीएसआईएस), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), पढो परदेश सब्सिडी योजना अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों और डॉ अंबेडकर केंद्रीय सेक्टर सब्सिडी योजना से संबंधित छात्रों द्वारा विदेश अध्ययन के लिए ऋण, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए विदेश अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी आदि शामिल हैं।

खुदरा ऋण को बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा कई कदम उठाये गए। वर्ष के दौरान बैंक ने आवास लोन और कार ऋण के लिये त्वरित ऑनलाइन सैद्धांतिक मंजूरी, प्रधान मंत्री आवास योजना, आवस सह सौर ऋण, उच्च मालियत वाले व्यक्तियों के लिये (एचएनआई), अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए तथा कृषकों के लिये आवास ऋण को लोकप्रिय बनाया। राष्ट्रव्यापी अभियानों की शुरुआत, एक्सपो का संचालन,

1000 institutions rated as 'A' grade by NAAC have been mapped for providing education loans to students of these institutes. A Memorandum of Understanding (MOU) has been signed with M/s National Skill Development Corporation (M/s NSDC) for sanction of vocation education loans for students pursuing vocational courses in affiliated Institutes of NSDC throughout the country. MOU has also been signed with M/s The Institute of Company Secretaries of India, New Delhi for extending education loans. Tie-up arrangements are made with M/s BIOCON Ltd, M/s Bosch Ltd and M/s Bombay Stock Exchange Institute, M/s.Volvo Eicher Commercial Vehicles Pvt. Ltd., to encourage vocation education loans.

Government of India has set-up a fully IT-based Student Financial Aid Authority to administer and monitor Scholarship as well as Educational Loan Schemes, through Pradhan Mantri Vidya Lakshmi Karyakram to ensure that no student misses out on higher education for lack of funds. A Vidya Lakshmi portal <www.vidyalakshmi.co.in> has been made live on 15.08.2015. The students can apply online for Education Loan from any bank. The Bank has also in place 'Vidya Turant', an online instant loan sanction facility to students and 'Vidya Sahay', a bridge loan scheme for making down payment for Common Entrance Test (CET), at the time of selection and counseling.

The Bank has been designated as the Nodal Bank for administering subsidy schemes of Government of India, which includes Central Scheme of Interest Subsidy on Educational Loans (CSIS), National Rural Livelihood Mission(NRLM), Padho Pardesh subsidy scheme to provide Interest Subsidy on Education Loans for overseas studies pursued by students belonging to notified minority communities and Dr. Ambedkar Central Sector Scheme Of Interest Subsidy On Educational Loan for Overseas Studies for Other Backward Classes (OBCs) & Economically Backward Classes (EBCs).

Several initiatives were undertaken by the Bank to expand retail credit. During the year the Bank popularized its Online Instant in-Principle Sanction for Housing Loan and Car Loan platform, Pradhan Mantri Awaas Yojana, Housing cum Solar Loans and also Housing Loans to High Net worth Individuals (HNIs), Non-Resident Indians (NRIs) and Agriculturists. Nationwide launching of Campaigns,

प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों की पेशकश, प्रतिष्ठित बिल्डर्स, कार डीलर्स, प्रत्यक्ष विक्रय अभिकर्ताओं के साथ टाई अप करने से बैंक के खुदरा लोन संविभाग के विस्तार में मदद मिली है।

वर्ष के दौरान सोलह नए खुदरा आस्ति केन्द्र खोले गए जिससे देशभर के मुख्य शहरों में खुदरा आस्ति केन्द्रों की कुल संख्या 81 हो गई है। बैंक ने कई तकनीकी आधारित पहल जैसे खुदरा उधारी योजनाओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा, आवास ऋणों की देय तिथि व ईएमआई राशि सूचित किया जाना तथा वेब आधारित लीड सृजन प्रणाली आदि लागू की।

कोषागार

मार्च 2017 को बैंक का सकल निवेश (निवल) ₹150266 करोड़ रहा। मार्च 2017 को निवेश संविभाग संशोधित अवधि 5.10 रही। बिक्री के लिए उपलब्ध संविभाग संशोधित अवधि पिछली वर्ष के 4.45 से कम होकर 4.02 हो गई। वर्ष 2015-16 में ₹990 करोड़ के मुकाबले घरेलू राजकोषीय परिचालन में व्यापार लाभ ₹2982 करोड़ रहा। ₹500 और ₹1000 के उच्च मूल्य वाले मुद्रा नोटों के विमुद्रीकरण के बाद, प्रणाली में अतिरिक्त तरलता के कारण बांड बाजारों के प्रतिफल में तेजी से गिरावट देखी गई। वर्ष के दौरान प्रतिभूतिकरण और मुनाफा वसूली की बिक्री के कारण, पिछले वर्ष 7.92% की तुलना में मार्च 2017 में निवेश पर प्रतिफल घटकर 7.75% हो गया।

बैंक सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्रधान व्यापारी के रूप में सक्रिय भाग लेता रहा। वर्ष के दौरान हामीदारी वचनबद्धताओं की कुल राशि ₹57,483 करोड़ थी, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हामीदारी के लिए स्वीकृत वचनबद्धता राशि ₹19,172 करोड़ थी। राजकोषीया बिलों के संबंध में प्रधान व्यापारी कारोबार के तहत प्रत्येक अर्ध वार्षिक के दौरान न्यूनतम सफलता अनुपात 40% के विरुद्ध सितंबर 2016 को समाप्त प्रथम अर्ध वर्ष के दौरान बैंक का सफलता अनुपात 55.42% रहा तथा मार्च 2017 को समाप्त द्वितीय अर्ध वर्ष के दौरान प्रधान व्यापारी के रूप में बैंक का सफलता अनुपात 67.96% रहा।

मार्च 2017 वर्ष की समाप्ति पर बैंक के विदेशी कारोबार की कुल राशि ₹235425 करोड़ रही, जिसमें ₹107525 करोड़ निर्यात तथा ₹65047 करोड़ का आयात और ₹62853 का विप्रेषण शामिल है।

conduct of Expos, offering competitive interest rates, tie-ups with reputed Builders, Car Dealers, introduction of Direct Selling Agents etc., have helped the Bank in expanding its retail loan portfolio.

Sixteen new Retail Asset Hubs were opened, taking total number of RAHs to 81 across major centres in the country. The Bank also implemented several tech-based initiatives like missed call facility for retail lending Schemes, informing due dates and amount of EMIs for housing loans and introduction of web-based lead generation system.

INTEGRATED TREASURY

Aggregate investments (net) of the Bank stood at ₹150266 crore as at March 2017. While modified duration of the investments portfolio stood at 5.10 as at March 2017, the modified duration of the Available for Sale (AFS) portfolio reduced to 4.02 from 4.45 in the last year. The trading profit under domestic treasury operations for the year increased to ₹2982 crore as against ₹990 crore in 2015-16. Following demonetization of the high value currency notes of ₹500 and ₹1000, the bond markets witnessed sharp fall in the yields due to excess system liquidity. The yield on investments declined to 7.75% as at March 2017 compared 7.92% a year ago, due to sale of securities and profit booking during the year.

The Bank continues to be an active player in the Government Securities Market as a Primary Dealer (PD). The total amount of bids submitted for underwriting was ₹57,483 crore, of which, the underwriting commitment accepted by the RBI was ₹19,172 crore. With regard to Treasury Bills under PD business, as against the minimum success ratio of 40% to be achieved in each half year, the Bank has a success ratio of 55.42% for the first half year ended September 2016 and 67.96% for the second half year ended March 2017.

Foreign Business Turnover of the Bank aggregated to ₹235425 crore, comprising of ₹107525 crore under exports, ₹65047 crore under imports and ₹62853 crore under remittances during the year ended March 2017.

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

बैंक की 8 विदेशी शाखाएं हैं, जिनमें लंदन और लीसेस्टर (यूके), हांगकांग, शंघाई (चीन), मनामा (बहरीन), जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका), न्यूयॉर्क (यूएसए) और दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (डीआईएफसी), दुबई, यूएई) हैं। उपरोक्त 8 विदेशी शाखाओं के अलावा, बैंक का शारजाह (यूएई) में एक प्रतिनिधि कार्यालय है, केनरा बैंक (तंजानिया) लि. तंजानिया में दार एस सलाम की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी और वाणिज्यिक इंडो बैंक एलएलसी, भारतीय स्टेट बैंक के साथ मॉस्को, रूस में एक संयुक्त उद्यम है। तंजानिया में दार एस सलाम में बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी 9 मई 2016 को खोली गई थी। बैंक का विदेशी कारोबार 10 बिलियन अमरीकी डॉलर पार कर चुका है, जो मार्च 2017 तक बैंक के कुल कारोबार का 8% से अधिक था। कुल विदेशी कारोबार ₹68408 करोड़ रुपये पर रहा जिसमें ₹40666 करोड़ की जमा राशि और ₹27742 करोड़ की अग्रिम राशि शामिल है।

बैंक के अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों को 394 संपर्ककर्ता बैंकों के विस्तृत तंत्र का अच्छा समर्थन प्राप्त है जो 80 देशों और बैंक के विदेशी शाखाओं व कार्यालयों में फैले हुए हैं। अनिवासी भारतीयों के विप्रेषणों को चैनलीकृत करने हेतु 36 विनिमय प्रतिष्ठानों तथा 25 विदेशी बैंकों के साथ रुपये आहरण की व्यवस्था की गई है। बैंक द्वारा सेकेंडमेंट तथा प्रबंधन करार के तहत क्रमशः दो विनिमय प्रतिष्ठानों जैसे, अल रजौकी अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कंपनी, दुबई तथा ईस्टर्न एक्सचेंज प्रतिष्ठान, कतर का कार्य संभाला जा रहा है।

बैंक ने 'रेमिट मनी' नामक वेब आधारित त्वरित विप्रेषण उत्पाद को 36 विनिमय प्रतिष्ठानों तथा 4 समुद्रपारीय शाखाओं जैसे लंदन, लीसेस्टर, शंघाई और हाँग काँग में कार्यान्वित किया है। वर्ष के दौरान भारत में केनरा बैंक के लाभार्थियों के लिए त्वरित और निर्बाध विप्रेषण की सुविधा के लिए बैंक ने मेसर्स यूएई एक्सचेंज, अबु धाबी के साथ 'फ्लैशरेमिट' नामक एक तत्काल ऋण सुविधा, मेसर्स अल रजौकी अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कंपनी, दुबई, मेसर्स ईस्टर्न एक्सचेंज प्रतिष्ठान, कतर तथा मेसर्स अंसारी एक्सचेंज एलएलसी, यूएई के साथ मिलकर 'इंस्टेन्ट रेमिट मनी' नामक एक त्वरित अंतरण सुविधा जारी की है।

अन्य सेवाएं

बैंक के व्यापारी बैंकिंग प्रभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड (आरईसी) के प्राइवेट प्लेसमेंट कैपिटल गेन बांड निर्गम के कार्य का निर्वहन किया। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड (आरईसी) के प्राइवेट प्लेसमेंट कैपिटल गेन बांडों से संग्रहित राशि ₹87.19 करोड़ रही।

INTERNATIONAL OPERATIONS

The Bank has 8 overseas branches, viz., London and Leicester (U.K), Hong Kong, Shanghai (China), Manama (Bahrain), Johannesburg (South Africa), New York (U.S.A) and Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai (UAE). Besides the above 8 overseas branches, the Bank has a Representative Office at Sharjah (UAE), Canara Bank (Tanzania) Ltd., a wholly owned subsidiary at Dar es Salaam in Tanzania and Commercial Indo Bank LLC, a joint venture bank with State Bank of India in Moscow, Russia. The Bank's wholly owned subsidiary at Dar es Salaam in Tanzania opened on 9th May 2016. Overseas business of the Bank crossed US \$10 billion mark, constituting over 8% of the Bank's total business as at March 2017. Total overseas business stood at ₹68408 crore, comprising deposits of ₹40666 crore and advances of ₹27742 crore.

The Bank's international operations are well supported by a wide network of 394 Correspondent Banks, spread across 80 countries and the Bank's overseas branches and offices. Rupee Drawing Arrangement has been made with 36 Exchange Houses and 25 overseas banks for channelizing the remittances of Non-Resident Indians (NRIs). The Bank has been managing two Exchange Houses viz., Al Razouki International Exchange Company, Dubai and Eastern Exchange Est., Qatar under Secondment and Management Agreements respectively.

'Remit Money', a web-based speed remittance product has been extended to 36 Exchange Houses and also to the Bank's 4 overseas branches, viz., London, Shanghai and Hong Kong and Canara Bank (Tanzania) Ltd. To facilitate instant and hassle free remittances to the beneficiaries of Canara Bank in India, the 'Flashremit', an instant credit facility in association with M/s. UAE Exchange, Abu Dhabi, UAE and 'Instant Remitmoney' an instant credit facility with M/s. Al Razouki International Exchange Company, Dubai, M/s. Eastern Exchange Est., Qatar and M/s. Al Ansari Exchange LLC, UAE, continued during the year.

OTHER SERVICES

The Bank's Merchant Banking Division handled Private Placement Capital Gain Bond Issues of National Highways Authority of India (NHAI) and Rural Electrification Corporation Ltd (REC) as Arrangers. The amount mobilized in respect of Capital Gain Bonds Issue of NHAI and REC during the year was ₹87.19 crore.

बैंक ने आरईसी व एनएचएआई के निजी प्लेसमेंट कैपिटल बॉर्ड के लिए संग्रहकर्ता बैंकर के रूप में कार्य किया जिसकी कुल राशि ₹1998.30 करोड़ है। नामोद्दिष्ट शाखाओं द्वारा ब्लॉक की हुई राशि (एएसबीए) से समर्थित आवेदन के तहत निर्गत किये गये सार्वजनिक व ऋण निर्गमों की कुल संख्या 128 रही और ब्लॉक की हुई राशि ₹3018.02 करोड़ रही। वर्ष के दौरान प्रभाग द्वारा 'इक्विटी का निष्पक्ष मूल्यांकन' संबंधी दो विशेष कार्यों का निर्वहन भी किया गया।

वर्ष के दौरान समूह ने परियोजनाओं का निर्वाह किया जिसमें परियोजना लागत ₹3691 करोड़ रही और इसका कुल ऋण आकार ₹2030 करोड़ रहा। समूह ने वर्ष के दौरान समूह परिचालनों से ₹3.40 करोड़ की शुल्क-आधारित आय अर्जित की। विभिन्न संवर्गों में परियोजनाओं जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जेड), हॉस्पिटल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला आधारित ऊर्जा निर्माण, कपड़ा, शिक्षण संस्थान, माल दुलाई गलियारा इत्यादि के लिए निधियों की व्यवस्था की गई।

बैंक का 'बैंकएश्युरेन्स' के तहत जीवन तथा गैर - जीवन बीमा संवर्गों में बैंक की गठजोड़ व्यवस्था है। बैंक ने अपने संयुक्त उद्यम केनरा एचएसबीसी ओबीसी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड से कमीशन के रूप में ₹38.3 करोड़ का आय अर्जन किया है। म्यूचुअल फंड कारोबार के तहत, बैंक ने अपने संयुक्त उद्यम यानी केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड से ₹14 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है। मेसर्स युनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी लिमिटेड (युआईआईसीएल) और मेसर्स बजाज एलियांज सामान्य बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ अपनी गठजोड़ व्यवस्था के ज़रिए गैर जीवन (सामान्य) बीमा कारोबार के तहत बैंक ने कमीशन के रूप में ₹18.6 करोड़ का आय अर्जन किया है। बैंक ने मेसर्स अपोलो म्यूनिक् स्वास्थ्य बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी करार किया उनके स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के विपणन के परिणामस्वरूप ₹15.8 करोड़ का कमीशन अर्जित हुआ। पूरे भारत में फैली अपनी शाखाओं के ज़रिए निर्यात नीतियों के विपणन के लिए मेसर्स एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन आफ इंडिया के साथ बैंक ने कॉर्पोरेट एजेंसी का करार भी किया है।

सामान्य बीमा व्यवसाय को प्रोत्साहन देने और ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर नवोन्मेषी और नए उत्पादों की पेशकश करने के लिए, बैंक ने आईआरडीआई के नए ओपन आर्किटेक्चर नियमों के तहत दूसरे सामान्य इंश्योरेंस साझेदार के रूप में मेसर्स बजाज एलियांज सामान्य इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी साझेदारी करार किया। इस भागीदारी का शुभारंभ दिनांक 26.11.2016 को बेंगलुरु में हुआ।

कार्ड कारोबार के तहत, क्रेडिट व डेबिट-सह-एटीएम कार्ड आधार बढ़ाने के लिए बैंक ने कई पहल की शुरु की है। यथा मार्च 2017

The Bank acted as Collecting Banker for two Private Placement Issues and one Rights Issue, involving an amount of ₹1998.30 crore. The number of Public and Debt Issues handled under Application Supported by Blocked Amount (ASBA) was 128 and the amount blocked was ₹3018.02 crore. Two specialized assignments of 'Fair Valuation of Equity' were also handled by the Division during the year.

The Syndication Group handled projects, involving project cost of ₹3691 crore during the year, with a total debt size of ₹2030 crore. The Group earned a commission of ₹3.40 crore during the year. The funds were arranged for projects in various segments, like, Special Economic Zone (SEZ), Hospital, Wind Energy, Solar Energy, Coal Based Power Generation, Textiles, Education Institution, Freight Corridor etc.

The Bank has tie-up arrangements in both life and non-life insurance segments under its 'Bancassurance' arm. During the year, the Bank earned a commission income of ₹38.3 crore from its joint venture, viz., M/s Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd. Under the Mutual Fund business, the Bank earned a commission of ₹14 crore from its joint venture, viz., M/s Canara Robeco Asset Management Company Ltd. A commission income of ₹18.6 crore was earned under Non-Life (General) Insurance business from its tie-up arrangements with M/s United India Insurance Company Ltd (UIICL) and M/s Bajaj Allianz General Insurance Co Ltd. The Bank also earned a commission income of ₹15.8 crore from its tie-up agreement with M/s Apollo Munich Health Insurance Co. Ltd for marketing their health insurance products. The Bank also has Corporate Agency Agreement with M/s Export Credit Guarantee Corporation of India for marketing export policies through its branches across India.

To give impetus to general insurance business and also offer innovative and new products at competitive prices to customers, Bank entered into corporate agency partnership with M/s Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd., as the second general insurance partner under the new IRDAI open architecture regulations. This partnership was launched on 26.11.2016 at Bengaluru.

Under Cards Business, the Bank took several initiatives to expand its card base. As at March 2017, total number

को बैंक का कुल डेबिट कार्ड आधार बढ़कर 3.31 करोड़ तथा क्रेडिट कार्ड आधार बढ़कर 2.15 लाख हो गया। वर्ष के दौरान कार्ड कारोबार के तहत लाभ ₹13 करोड़ रहा।

बैंक, देशभर के मुख्य 34 स्थानों में फैले 47 निक्षेपागार सेवा केन्द्रों के ज़रिए 'निक्षेपागार सेवाएं' प्रदान करता है। इन केन्द्रों के माध्यम से बैंक अपने ब्रोकिंग अनुषंगी मेसर्स केनरा बैंक सेक्युरिटीज़ लिमिटेड, मुंबई के ज़रिए डी पी ग्राहकों को ऑन लाइन ट्रेडिंग सुविधा प्रदान कर रहा है। संचालन और सेवाओं के प्रभावी वितरण के बीच बेहतर तालमेल बैठाने के लिए, इसकी डीपी गतिविधि को मेसर्स केनरा बैंक सिक्क्योरिटीज़ लिमिटेड को दिनांक 01.04.2017 को सौंप दिया गया है।

बैंक की निष्पादक, न्यासी व कराधान सेवाएं इकाई द्वारा डिबेंचर / प्रतिभूति न्यासधारिता, वसीयतनामा व निष्पादककर्ता, न्यासधारिता, वैयक्तिक कर सहायता तथा मुख्तारनामा जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने उक्त सेवाओं से ₹1.10 करोड़ की शुल्क आय अर्जित की तथा केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवैट) से ₹106.80 करोड़ अर्जित किया।

बैंक द्वारा विभिन्न **सरकारी कारोबार** उत्पादों जिनमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर वसूली, केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की पेंशन का भुगतान, पोस्टल लेनदेनों व राज्य सरकार के राजकोषीय लेनदेनों का संचालन, लोक भविष्य निधि योजना व वरिष्ठ नागरिक बचत योजना व भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रास्फीति सूचीबद्ध बांडों, सॉवरन गोल्ड बांड योजनाएं, सुकन्या समृद्धि खाता योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जमा को स्वीकार करना (पीएमजीकेडीएस) और योजना के अंतर्गत कर को स्वीकार करना शामिल हैं। इन उत्पादों से कासा में सुधार दर्ज होते हुए वर्ष के दौरान ₹93.31 करोड़ की शुल्क आय अर्जित हुई।

बैंक द्वारा कई ऑन लाइन भुगतान सेवाएं, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा व नागर हवेली, ओड़ीशा, पंजाब, पश्चिम बंगाल व दिल्ली में विक्रय कर / वाणिज्य कर का ई-भुगतान, महाराष्ट्र में वर्चुअल ट्रेजरी पैकेज, तमिलनाडु में परिवहन विभाग के करों का ई-भुगतान, तमिलनाडु में चेन्नई तथा कर्नाटक में बेंगलूर में कॉर्पोरेशन के लिए संपत्ति कर की वसूली, लोक भविष्य निधि के खातों को ऑनलाइन खोलना तथा झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु व कर्नाटक में ई-स्टाम्प परियोजना, आदि प्रदान की जाती हैं।

बैंक को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), संस्कृति मंत्रालय, युवा मामले व खेल मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

of Debit Cards increased to 3.31 crore and Credit Cards base rose to 2.15 lakhs. The Bank earned a profit of ₹13 crore from its card operation during the year.

The Bank offers its 'Depository Services' from 47 DP Service Centres spread across 34 locations in the country. Through these Centres, the Bank is extending Online Trading Facility to DP clients from its own broking subsidiary M/s Canara Bank Securities Ltd., Mumbai. In order to have better synergy of operations and efficient delivery of services, its DP activity has been hived off to M/s Canara Bank Securities Ltd., with effect from 01.04.2017.

Executor, Trustee and Taxation Services outfit of the Bank provides services like Debenture / Security Trusteeship, Will and Executorship, Trusteeship, Personal Tax Assistance and Power of Attorney Services. During the year, it generated a fee based income of ₹1.10 crore from the above services and availed Central Value Added Taxes (CENVAT) credit of ₹106.80 crore during the year.

The Bank handles **Government Business**, comprising Direct and Indirect Tax collections, payment of Central Government and State Government Pensions, Handling of Postal Transactions and State Government Treasury Transactions, Public Provident Fund Scheme and Senior Citizens' Saving Scheme and issue of Inflation Indexed Bonds of RBI, issuing Sovereign Gold Bonds, Sukanya Samridhi Scheme, accepting deposits under Pradhan Mantri Garib Kalyan Deposit Scheme (PMGKDS) and accepting tax under the Scheme. These products contributed to improvement of CASA and also earned a fee income of ₹93.31 crore during year.

The Bank provides several online payment services, viz., E-payment of Sales Tax / Commercial Tax in Maharashtra, Tamilnadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Bihar, Dadra & Nagar Haveli, Odisha, Punjab, West Bengal and Delhi, Virtual Treasury Package in Maharashtra, E-payment of Taxes to Transport Department in Tamilnadu, Collection of Property Tax for the Corporation of Chennai in Tamilnadu and Bengaluru in Karnataka, Online opening of PPF Accounts and E-Stamping project in Jharkhand, Uttar Pradesh, Tamilnadu and Karnataka.

The Bank has been authorized as the accredited banker for Ministry of Human Resources Development

तथा युआईडीएआई, नई दिल्ली के आधिकारिक बैंकर के रूप में प्राधिकृत किया गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने स्वावलंबन योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कार्यान्वित की है। असंगठित क्षेत्रों में सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने स्वावलंबन की जगह अटल पेंशन योजना शुरू की है। बैंक ने मार्च 2017 तक 1,05,232 खाता खोला है।

बैंक के कृषि नवोन्मेषण केन्द्र (एआईसी) ने कुल 111 कार्यों का निर्वहन किया। इन 111 कार्यों में 95 मूल्यांकन, 9 पुनरीक्षण, 6 व्यवहार्यता अध्ययन तथा 01 मूल्यांकन सह परियोजना निर्माण शामिल थे। इन कार्यों का कुल परिव्यय, मीयादी ऋण घटक के तौर पर ₹1011 करोड़ रहा तथा इससे बैंक ने ₹4.76 करोड़ की शुल्क आय भी अर्जित की।

आस्ति गुणवत्ता

उद्योग स्तर पर आस्ति गुणवत्ता में जारी दबाव के बाद भी बैंक ने आस्ति गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन किया है। बैंक सकल अग्रिम अनुपात अपनी सकल अनर्जक आस्तियां (एनपीए) के लिए जोकि मार्च 2016 के 9.40% की तुलना में मार्च 2017 में 9.63% या को 10% से नीचे रखने में सफल रहा। तदनुसार, यथा मार्च 31, 2017 तक सकल अनर्जक आस्तियां (एनपीए) पिछले वर्ष ₹31638 करोड़ की तुलना में ₹34202 करोड़ पर रहा। ₹21649 करोड़ के निवल एनपीए के साथ, निवल एनपीए अनुपात पिछले वर्ष के 6.42% से बढ़कर 6.33% हो गया।

बैंक ने वर्ष 2016-17 के दौरान पिछले वर्ष ₹4758 की तुलना में ₹5042 करोड़ की सकल वसूली की। तकनीकी तौर पर बढ़े खाते में डाले गये खातों से ₹705 करोड़ अर्जित हुआ जिसमें हानि आस्तियों से वसूली गई ₹352 करोड़ की राशि भी शामिल है। वर्ष के दौरान पिछले वर्ष कुल ₹1460 करोड़ की तुलना में ₹2265 करोड़ का स्तरोन्नयन किया गया।

वर्ष के दौरान, सरफेसी अधिनियम के तहत कुल ₹541 करोड़ की वसूली की गयी। बैंक ने 5513 वसूली बैठकों का आयोजन किया जिसके परिणामस्वरूप ₹404 करोड़ की राशि वसूल की गयी। वर्ष के दौरान 12515 मामले लोक अदालत को भेजे गये, जिनमें से 6596 मामले का निपटान किया गया, जिसकी कुल राशि ₹59 करोड़ रही। बैंक ने खातों को एनपीए होने से रोकने के लिए और अतिदेय ऋण खातों से वसूली में बढ़ोत्तरी लाने के लिए कई पहल कीं। इनमें, समय पर दबावग्रस्त खातों की पुनर्संरचना/पुनर्निर्धारण करने हेतु खातों की

(MHRD), Ministry of Culture, Ministry of Youth Affairs & Sports, Archaeological Survey of India and Unique Identification Authority of India (UIDAI), New Delhi. The Bank implemented the National Pension System for Unorganised Sectors under Swavalamban Scheme during 2012-13. The Government of India has launched Atal Pension Yojana Scheme in place of Swavalamban with a view to provide defined pension to unorganised sector. The Bank could mobilise 1,05,232 accounts as at March 2017.

Agricultural Innovation Centre (AIC) outfit of the Bank handled 111 assignments. These 111 assignments consisted of 95 appraisals, 9 vetting, 6 viability studies and 1 project formulation. The total outlay of the assignments worked out to a term loan component of ₹1011 crore and the Bank earned a fee income of ₹4.76 crore during the year.

ASSET QUALITY

The Bank performed reasonably well in asset quality, despite continued stress at the industry level. The Bank was able to contain its Gross Non Performing Assets (NPA) to gross advances ratio below 10% at 9.63% as at March 2017 compared to 9.40% as at March 2016. Gross Non Performing Assets (NPAs) as on March 31, 2017 stood at ₹34202 crore compared to ₹31638 crore in the previous year. With a Net NPAs of ₹21649 crore, the net NPA ratio has come down to 6.33% from 6.42% a year ago.

Cash Recovery during 2016-17 aggregated to ₹5042 crore compared to ₹4758 crore in the last year. Recovery from written off accounts stood at ₹705 crore of which, recovery from loss assets was ₹352 crore. During the year, an amount of ₹2265 crore was upgraded as against ₹1460 crore in the previous year.

During the year, recovery amounting to ₹541 crore was made on account of initiating action under SARFAESI Act. The Bank conducted 5513 recovery meets, which resulted in a recovery of ₹404 crore. During the year 12515 cases were referred to Lokadalat, out of which, 6596 cases were settled, covering an amount of ₹59 crore. Besides, the Bank took several initiatives to contain slippages and speed up recovery from overdue loan accounts. These include, identification of stressed accounts for

पहचान करना, एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के लिए शाखा स्तर पर केन अदालतों और अंचल स्तर पर मेगा अदालतों का आयोजन, जिला स्तर पर लोकअदालतों का आयोजन, कॉल केंद्रों के ज़रिए ऋण खातों में अतिदेय राशि का नियमित अनुवर्तन और अभिग्रहित आस्तियों के विक्रय के लिए ई-नीलामी, इरादतन चूककर्ताओं के खिलाफ सख्त वसूली उपाय करना, आदि शामिल हैं। यथा मार्च 2017 के तक 3640 करोड़ की बकाया राशि के साथ 471 इरादतन चूककर्ताओं रहे।

बैंक ने (₹10 लाख तक के) छोटे एनपीए के निपटान के लिए एक विशेष योजना भी रूपायित की जिसमें शिक्षा ऋण/कृषि/ एम एस एम ई ऋण पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया। शिक्षा क्षेत्र में ₹4 लाख तक की स्वीकृत सीमा के खातों और ₹4 लाख से अधिक और ₹7.50 लाख तक की स्वीकृत सीमा के खातों के लिए दो विशेष एकबारगी निपटान योजनाएं सरल नियमों और अतिरिक्त रियायत के साथ शुरू की गई थी। ₹5 लाख तक की सीमा के साथ छोटे मूल्य कृषि ऋण और प्राकृतिक आपदाओं के कारण बार-बार पुनर्गठन खातों के प्रभावित उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने और एमएसएमई ऋण रूपये ₹1 करोड़ के लिए विशेष योजना की शुभारंभ की गई।

यथा मार्च 2017 को बैंक की बकाया पुनर्संरचित आस्ति संविभाग (पुनर्संरचित एनपीए खाते सहित) ₹44581 करोड़ रहा जो सकल अग्रिमों का 12.55% है।

जोखिम प्रबंधन

बासेल III पूंजी पर्याप्तता ढांचा और भावी रणनीतियाँ

प्रधान कार्यालय में बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन पहल के समग्र कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र रूप से नोडल केन्द्र के रूप में जोखिम प्रबंधन विभाग कार्य कर रहा है। सभी 21 अंचल कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन अनुभाग कार्यरत हैं जोकि जोखिम प्रबंधन विभाग के ही विस्तारित अंग हैं।

बैंक में, भौगोलिक स्तर पर और संपूर्ण जोखिम रूपरेखा से प्रावरित जोखिम प्रबंधन नीतियां हैं। इनमें, ऋण जोखिम प्रबंधन, परिचालन जोखिम प्रबंधन, बाज़ार जोखिम प्रबंधन, आस्ति देयता प्रबंधन और समूह जोखिम प्रबंधन शामिल हैं।

बैंक में, बासेल III के स्तंभ 2 के तहत आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) उपलब्ध है। आईसीएएपी प्रक्रिया बैंक के घरेलू और विदेशी परिचालन, अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम, प्रायोजित इकाइयां और सहयोगी संस्था को प्रावरित करती हैं। बैंक

restructuring/rephasing in time, conduct of Canadalats at branch level, cluster Adalats at Regional levels and mega adalats at Circle levels for one time settlements (OTS), Lokadalats at district levels, regular follow-up of overdues in loan accounts through Call Centre, conduct of e-auctions for sale of seized assets and initiation of stringent recovery measures against Wilful Defaulters. As at March 2017, there were 471 wilful defaulters, with an outstanding amount of ₹3640 crore.

The Bank also formulated a Special Scheme for settlement of small NPAs (upto ₹10 lakh), with a special focus on Education / Agricultural / MSME Loans. In the Educational Loan Sector, two Special OTS schemes were launched with liberal terms and additional concession for accounts with sanctioned limits upto ₹4 lakh and for accounts with sanctioned limits above ₹4 lakh and upto ₹7.50 lakh. Special Scheme for small value agricultural loans with limit upto ₹5 lakh and repeatedly restructured due to natural calamities and MSME loans upto ₹1 crore launched to provide relief to the affected borrowers.

As at March 2017, the outstanding stressed assets portfolio (including restructured standard accounts) of the Bank stood at ₹44581 crore, accounting for 12.55% of gross advances.

Risk Management

BASEL III Capital Adequacy Framework and Future Strategies

An independent Risk Management Wing at the Head Office is functioning as a nodal centre for overall implementation of various risk management initiatives across the Bank. Risk Management Sections are functioning at all 21 Circle Offices of the Bank as an extended arm of the Risk Management Wing.

The Bank has in place risk management policies across geographies and across all risks encompassing the entire gamut of risk profile. These include policies on Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market Risk Management, Asset Liability Management and Group Risk Management.

The Bank has in place an Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) under Pillar 2 of Basel III norms. The ICAAP exercise covers the domestic and overseas operations of the Bank, the Subsidiaries,

द्वारा सामना किए जाने वाले संभावित जोखिमों का पता लगाने के लिए बैंक द्वारा दबाव परीक्षण अभ्यास भी किया जाता है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और निदेशक मंडल द्वारा आईसीएएपी प्रलेख की समीक्षा की जाती है और अनुमोदित की जाती है।

बैंक में पूँजी आयोजना प्रक्रिया हेतु बोर्ड स्तरीय उप-समिति कार्यरत है। समिति, व्यापार रणनीतियों के अनुरूप बैंक की पूँजी आवश्यकताओं के बारे में व्यापक आर्थिक परिदृश्यों को दर्शाती है। वर्ष के दौरान बैंक ने पूँजी आयोजना प्रक्रिया के लिए बोर्ड स्तरीय एक उप-समिति का गठन किया है। ये समिति, जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) हेतु पूँजी के उपयुक्त स्तर का रख रखाव सुनिश्चित करती है और पूँजी जुटाने के लिए विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करती है।

उन्नत दृष्टिकोण अपनाना

ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम के संबंध में पूँजी के परिकलन हेतु बासेल III के तहत उन्नत दृष्टिकोण ढांचे की ओर बढ़ने के अपने प्रयास में एकीकृत जोखिम प्रबंधन समाधान के माध्यम से उद्यम का क्रियान्वयन के उद्देश्य से बैंक ने स्वयं तथा समूह इकाइयों के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की ताकि अपेक्षित जोखिम प्रबंधन ढांचे का निर्माण किया जा सके।

उद्यम-व्यापक एकीकृत जोखिम प्रबंधन स्थापत्य के कार्यान्वयन की पूर्वापेक्षा के रूप में बैंक ने जोखिम समाधान प्राप्त किया है जिससे कि वह उन्नत मापन दृष्टिकोण की अपेक्षाओं की पूर्ति कर सके।

ऋण जोखिम के लिए पूँजी भार के परिकलन हेतु आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) दृष्टिकोण अपनाने के लिए, बाजार जोखिम के लिए पूँजी भार के परिकलन हेतु आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण और परिचालन संबंधी जोखिम के लिए पूँजी भार के परिकलन हेतु उन्नत माप दृष्टिकोण अपनाने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक को आशय पत्र प्रस्तुत किया है।

बासेल III के लिए तैयारी

बासेल III पूँजी विनियमावली संबंधी अंतिम दिशानिदेश 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी बना। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार, बासेल III पूँजी विनियमावली का पूर्ण क्रियान्वयन की परिवर्ती अवधि को 31.03.2019 तक बढ़ा दिया गया है। मार्च 2019 के अंत तक भारत में स्थित बैंकों को 5.50% की न्यूनतम समान ईक्विटी टायर 1 (सीईटी 1) पूँजी, 7.00% की टायर 1 पूँजी, कुल पूँजी 9.00% और 2.50% पूँजी परिरक्षण बफर (सीसीबी) को बनाये रखने की आवश्यकता है। बैंकों को जोखिम आधारित पूँजी अपेक्षाओं के लिहाज से विश्वसनीय प्रतिपूरक उपाय के रूप में समांतर बढ़त के दौरान 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2017 तक 4.50% का न्यूनतम टायर 1 लीवरेज अनुपात भी बनाये रखना है।

Joint Ventures, Sponsored Entities and Associates. Stress testing exercise is also performed by the Bank to ascertain the potential risks faced by the Bank. The ICAAP document is reviewed and approved by the Risk Management Committee of the Board and the Board of Directors.

The Bank has a Board Level Sub-Committee for Capital Planning Process. The Committee articulates macroeconomic scenarios vis-à-vis capital requirements of the Bank, in tune with business strategies. The Committee ensures maintenance of appropriate level of Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) and evaluates various options for raising the capital.

Adoption of Advanced Approaches

In an endeavour to move towards Advanced Approaches under Basel III for computation of capital for Credit, Market and Operational Risk, the Bank has engaged the services of a Consultant for implementation of Enterprise-wide Integrated Risk Management solution for itself and the Group Entities, so as to build requisite risk management framework.

As a pre-requisite for the implementation of Enterprise-wide Integrated Risk Management architecture, the Bank has procured a Risk Solution that would enable it to meet requirements of Advanced Measurement Approaches.

The Bank has submitted Letters of Intent to RBI for adoption of Internal Rating Based (IRB) Approach for calculation of capital charge for Credit Risk, Internal Models Approach for calculation of capital charge for Market Risk and Advanced Measurement Approach for calculation of capital charge for Operational Risk.

Preparedness for Basel III

The final guidelines on Basel III Capital Regulations became effective from 1st April, 2013. As per RBI guidelines, the transitional period for full implementation of Basel III Capital regulations is extended up to 31.03.2019. The banks in India need to maintain a minimum Common Equity Tier 1 (CET1) capital of 5.50%, Tier 1 capital of 7.00%, total capital of 9.00% and Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50% at the end of March 2019. The banks also have to maintain a minimum Tier 1 Leverage Ratio of 4.50% during parallel run from 1st January, 2013 to 1st January, 2017, as a credible supplementary measure to the risk based capital requirements.

बैंक पर्याप्त रूप से पूँजीकृत रहने के लिए प्रयास कर रही है तथा संक्रमण दौर के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पूँजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना तैयार की है। भारत सरकार से पुनःपूँजीकरण समर्थन प्राप्त करने सहित बाजार से पूँजी जुटाने के लिए बैंक के पास पर्याप्त गुंजाइश है। आगे बढ़ते हुए, बैंक की पूँजी संबंधी अपेक्षा की पूर्ति - नयी ईक्विटी पूँजी लगाने, लाभ बरकरार रखने, कारोबार को इष्टतम स्तरों तक ले जाने और पूँजी संबंधी योजना व प्रबंधन के ज़रिए की जाएगी।

ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम मापन प्रक्रिया बैंक में क्रेडिट जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों, मानकों और दृष्टिकोण की रूपरेखा निर्धारित करती है। यह ऋण जोखिमों, संसाधनों का अनुकूलन और प्रतिकूल साख स्थितियों के विरुद्ध बैंक की रक्षा के लिए प्रणाली, प्रक्रियाओं, नियंत्रण और सक्रिय प्रबंधन हेतु उपायों को स्थापित करता है। क्रेडिट जोखिम के मुद्दों और विचारों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए बैंक ने एक व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है।

बैंक में, ऋण की मंजूरी के लिए ऋण प्रस्ताव की व्यवहार्यता और आवेदक की साख योग्यता का मूल्यांकन करने हेतु पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए, सुपरिभाषित ऋण मंजूरी प्रक्रिया और प्राधिकरण मैट्रिक्स, संपार्श्विक प्रबंधन के लिए मानकों, ऋण निगरानी, अग्रिमों, एमएसएमई और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की पुनर्संरचना आदि के लिए मजबूत प्रणाली उपलब्ध है।

जोखिम स्वीकृति, जोखिम मापन, विवेकपूर्ण एक्सपोजर मानदंड, संगठनात्मक संरचना, रणनीतियों और संचालन प्रक्रिया आदि उपलब्ध हैं। संविभाग स्तर पर ऋण जोखिम और जोखिम संकेन्द्रण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए नीति विभिन्न जोखिम सीमाओं को निर्धारित करती है। आस्तियों पर प्रतिलाभ तथा निवल ब्याज मार्जिन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आय सृजन हेतु उधारकर्ता के जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण किया जाता है।

बैंक में उधार खाते के समग्र निष्पादन का निरंतर मूल्यांकन करने और ऋण प्रशासन, निगरानी और ऋण लेखापरीक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए ऋण समीक्षा तंत्र है। ऋण की समीक्षा और निगरानी की संपूर्ण प्रक्रिया, साख प्रशासन व निगरानी विभाग द्वारा विधिवत रूप से प्रशासित है।

बाज़ार जोखिम प्रबंधन

बैंक के बाज़ार जोखिम ढांचे का उद्देश्य, सभी प्रकार के बाज़ार जोखिमों को कम करना तथा विभिन्न बाज़ार जोखिम कारकों के लिए सीमा संरचना व उत्प्रेरक स्थापित करना है।

The Bank endeavours to remain adequately capitalized and has drawn plans to meet the capital requirements stipulated by RBI in transitory phase. The Bank has adequate headroom to raise capital from the market, including recapitalization support from the Government of India. Moving ahead, the Bank's capital requirement shall be met by injecting fresh equity capital, retention of profit, optimization of business levers, proactive capital planning and management.

Credit Risk Management

The Credit Risk Management process outlines the principles, standards and approach for credit risk management at the Bank. Systems, procedures, controls and measures are in place to actively manage the credit risks, optimize resources and protect the Bank against adverse credit situations. In order to comprehensively address the issues and concerns of the Credit Risk, the Bank has put in place a comprehensive Credit Risk Management Policy.

A robust system for appraisal of loan/credit proposals, including seeking adequate information for appraising the viability of the proposal and creditworthiness of the applicant for sanctioning credit limits, well defined credit approval process and authorization matrix, standards for collateral management, credit monitoring, restructuring of advances, MSME and Off Balance Sheet Exposures.

Risk Acceptance, Risk Measurement, Prudential Exposure Norms, Organizational Structure, Strategies and Operational Process are in place. In order to address the credit risk at portfolio level and the issue of concentration risk, the Policy prescribes fixation of various exposure ceilings. Risk Based Pricing is in tune with the Risk profile of the borrower to generate returns to achieve target RoA and NIM.

The Bank has a Loan Review Mechanism for constantly evaluating the overall performance of the borrowal accounts and for bringing about qualitative improvements in credit administration, monitoring and credit audit. The entire process of the Loan review and monitoring is dully administered by the Credit Administration & Monitoring Wing.

Market Risk Management

The Market Risk framework of the Bank aims at restricting loss from all types of market risk loss events and also to establish limit structure and triggers for various market risk factors.

एक्सपोजर लिमिट, जैसे ट्रेडिंग बुक पर हानि रोध सीमा, विभिन्न मुद्राओं की स्थिति के बारे में इंटरडे व ओवरनाइट सीमा, डीलर-वार सीमा, सकल अंतर सीमा, मुद्रा बाज़ार परिचालनों की सीमाएं, निवेश संविभाग के लिए संशोधित अवधि सीमा और जोखिम निवारक / उत्प्रेरक के लिए वीएआर सीमा निर्धारित किये गये हैं। जोखिम प्रबंधन विभाग का मिड ऑफिस दैनिक आधार पर अन्य उत्प्रेरक के साथ इन सीमाओं पर निगरानी रखता है। बाज़ार जोखिम सीमा व उत्प्रेरक के प्रभावी व समयबद्ध निगरानी के लिए हेतु एक सुदृढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है।

परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन का ढांचा, नैतिक मूल्यों, संगठनात्मक संस्कृति और सशक्त परिचालन कार्यविधियों पर आधारित है जिसमें कॉर्पोरेट मूल्य, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग और आकस्मिक आयोजना समाहित हैं।

बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन हेतु नीतियों को अपनाया है जिसमें, परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा, ऑटोस्मोर्सिंग गतिविधियां और सतत कारोबार योजना जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं।

वर्तमान में बैंक 'बेसिक इंडिकेटर एप्रोच' (बीआईए) से बासेल III ढांचे के उन्नत दृष्टिकोण को अपनाने की प्रक्रिया में है। बैंक ने उन्नत दृष्टिकोण की कार्यन्वयन तथा परिचालन जोखिम के पूंजी भार के परिकलन के लिए घटना प्रबंधन, मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई), जोखिम नियंत्रण व स्व मूल्यांकन (आरसीएसए), परिदृश्य विश्लेषण निर्धारित करने हेतु प्रक्रिया / गतिविधियां प्रारंभ कर दी हैं।

आस्ति देयता प्रबंधन

आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली (एएलएम) चलनिधि और ब्याज दर जोखिम संबंधी मामलों को सुलझाती है ताकि कीमत-लागत अंतर, लाभप्रदता एवं दीर्घावधि व्यवहार्यता के बीच बेहतर संतुलन बनाये रखा जा सके। बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नीतिगत ढांचे के भीतर, आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का गठन किया गया है, जिसे निर्धीयन रणनीति और इसकी संरचना, उत्पाद मूल्य निर्धारण, तनाव परीक्षण तथा आकस्मिक कार्य योजना सहित आस्ति व देयताएं प्रबंधन की भूमिका सौंपी गई है। एक संतुलित एएलएम संरचना बैंक की लाभ हानि अंतर (स्प्रेड), लाभप्रदता और दीर्घकालिक अर्थक्षमता को बनाए रखने में मदद करता है।

बैंक ने दिनांक 01.01.2015 से तरलता प्रावरण अनुपात (एलसीआर) के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है। यथा 31.03.2017 को बैंक का एलसीआर न्यूनतम विनियामक निर्धारित 80% से अधिक है।

Exposure limits, such as, Stop Loss Limits on Trading Book, Intraday and Overnight Limit for various Currency Positions, Dealer-wise Limits, Aggregate Gap Limit, Limits on Money Market Operations, Modified Duration Limits for investment portfolio and VaR Limits are fixed to act as risk mitigants/triggers. Mid Office of Risk Management Wing monitors these limits, along with other triggers, on a daily basis. A reporting framework has been put in place for effective and timely monitoring of market risk limits and triggers.

Operational Risk Management

Operational Risk Management framework in the Bank is based on ethics, organization culture and strong operating procedures, involving corporate values, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning.

The Bank has adopted polices for management of Operational Risk, which covers various aspects, such as, Operational Risk Management Structure, Outsourcing Activities and Business Continuity Plan.

At present, the Bank is in the process of migration to Advanced Approaches of Basel III framework from Basic Indicator Approach (BIA). The Bank has initiated process and activities for implementation of Advanced Approaches and to put in place Incident Management, Key Risk Indicators (KRI), Risk Control & Self Assessment (RCSA) and Scenario Analysis to compute capital charge for Operational Risk.

Asset Liability Management

The ALM Policy of the Bank seeks to strike appropriate balance in the maturity and re-pricing profile of assets and liabilities, so as to reduce liquidity risk and manage interest rate risk. Within the policy framework, the Board of the Bank has set up Asset Liability Management Committee (ALCO), which is entrusted, inter alia, with the role of management of assets and liabilities including the funding strategies and its composition, product pricing, stress test and contingency action plan among others. A balanced ALM structure helps to sustain the spreads, profitability and long-term viability of the Bank.

The Bank has implemented the RBI guidelines with respect to Liquidity Coverage Ratio (LCR) with effect from 01.01.2015. As on 31.03.2017, LCR of the Bank is above the stipulated regulatory minimum of 80%.

समूह जोखिम

बैंक की विभिन्न अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम व प्रायोजित इकाइयां हैं, जो बहुआयामी गतिविधियों में लगे हुए हैं। बैंक की इन सामूहिक इकाइयों में पर्याप्त हिस्सेदारी होने के कारण बैंक ने समूह जोखिम प्रबंधन नीति को अपनाया है ताकि अंतर समूह संव्यवहारों की जोखिमों की पहचान करते हुए उनका उचित प्रबंधन किया जा सके और सामूहिक इकाइयों के बीच हितों के टकराव से बचते हुए / कम करते हुए, कॉर्पोरेट अभिशासन के स्तर को उठाया जा सके और व्यापार मानदण्डों के संबंध में इन इकाइयों के बीच 'स्वतंत्र संव्यवहार का सिद्धांत' सुनिश्चित किया जा सके। वर्तमान में, समूह इकाइयों की जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी के लिए समूह मुख्य जोखिम अधिकारी (जीसीआरओ) को नियुक्त किया है।

राष्ट्रीय प्राथमिकताएं

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

बैंक, कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों, शिक्षा, आवास, सूक्ष्म साख, कमजोर वर्गों और विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों सहित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति को महत्व देता आ रहा है।

यथा मार्च 2017 को बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में 10.11% का वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए ₹160269 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 40% के अनिवार्य मानदंड की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋण (ए एन बी सी) के प्रति 46.05% हासिल किया गया।

(राशि ₹ करोड़ में)

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	मार्च तक		वृद्धि	
	2016	2017	राशि	%
कुल प्राथमिकता क्षेत्र	145558	160269	14711	10.11
कृषि	67176	74079	6903	10.28

कृषि लक्षित साख संवितरण के तहत बैंक का अग्रिम 10.28% बढ़कर ₹74079 करोड़ तक पहुंच गया है जिसमें 60 लाख से अधिक किसान प्रावरित हुए हैं। कृषि क्षेत्र ऋणों के तहत बैंक ने 18% अनिवार्य मानदंड की तुलना में 19.45% प्राप्त किया है। वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक का कृषि क्षेत्र को साख संवितरण पिछले वर्ष ₹57018 करोड़ की तुलना में वृद्धि के साथ ₹58691 करोड़ हो गया है।

Group Risk

The Bank has various Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Entities, which are engaged in diversified activities. As the Bank has considerable stake in these Group Entities, Bank has put in place a Group Risk Management Policy to identify and manage risk in intra Group transactions and exposures to raise the standard of Corporate Governance by reducing and avoiding conflicts of interest between the Group Entities and also to ensure 'Arms Length Principle' among Entities, with regard to business parameters. Presently, the Bank has introduced a Group Chief Risk Officer (GCRO) to supervise the risk management activities of the Group Entities.

NATIONAL PRIORITIES

Priority Sector Advances

The Bank continues to accord importance to varied goals under national priorities, including agriculture, micro and small enterprises, education, housing, micro-credit, credit to weaker sections and specified minority communities.

Priority Sector Advances of the Bank as at March 2017 reached ₹160269 crore, recording a y-o-y growth of 10.11% and achieved 46.05% to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against 40% mandated norm.

(Amt. ₹ Crore)

Priority Sector Advances	As at March		Growth	
	2016	2017	Amount	%
Total Priority Sector	145558	160269	14711	10.11
Agriculture	67176	74079	6903	10.28

With a focus on credit delivery to **Agriculture**, the Bank's advances under agriculture portfolio increased by 10.28% to ₹74079 crore, covering over 60 lakh farmers. Under agriculture lending, the Bank achieved 19.45% to ANBC against 18% mandated norm. During 2016-17, the Bank's agriculture credit disbursal increased to ₹58691 crore compared to ₹57018 crore in the previous year.

बैंक ने सभी किसानों को फसल ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष अभियान चलाया।

वर्ष के दौरान बैंक ने ₹10017 करोड़ के 6.50 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किये हैं। यथा मार्च 2017 तक किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बैंक की बकाया ऋण राशि ₹14305 करोड़ थी। बैंक ने 7.44 लाख पात्र खातों में से 7.41 लाख को किसान रूपे कार्ड जारी करके 99.60% की उपलब्धि हासिल की है।

बैंक ने सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), तथा विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना में सक्रिय रूप से भाग लिया।

यथा मार्च 2017 तक निम्नलिखित सरकारी योजनाओं के तहत करीब 1.92 लाख लाभार्थियों पर कुल बकाया अग्रिम ₹999 करोड़ रहा।

सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत निष्पादन

(राशि ₹ करोड़ में)

योजना का नाम	मार्च 2017	
	खाता	राशि
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	13895	483
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	13625	284
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)	2367	21
विभेदक ब्याज दर (डीआरआई)	153186	141
स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)	8547	70
कुल	191620	999

विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) के तहत 1.53 लाख लाभार्थियों को ₹141 करोड़ का अग्रिम प्रदान किया जिसमें से ग्रामीण व अर्ध-ग्रामीण शाखाओं को दिया गया अग्रिम ₹112 करोड़ रहा।

समाज के सुविधारहित वर्ग के समर्थन में यथा मार्च 2017 को 5.45 लाख अजा/अजजा लाभार्थियों को बैंक ने ₹7354 करोड़ का अग्रिम प्रदान किया। अजा / अजजा को दिया गया अग्रिम कुल प्राथमिकता क्षेत्र को दिये गये अग्रिम का 4.59% रहा।

समाज के कमज़ोर वर्ग को दिया गया कुल अग्रिम ₹45106 करोड़ रहा जो 10% के अनिवार्य मानदंड की तुलना में एनबीसी का 11.07% रहा।

The Bank undertook special campaigns for extending Crop Loans facility to all farmers.

During the year, the Bank issued 6.50 lakh Kisan Credit Cards (KCCs), amounting to ₹10017 crore. The credit outstanding under KCCs was at ₹14305 crore as at March 2017. 7.41 lakh Kisan RuPay Cards were issued against eligible accounts of 7.44 lakh, with an achievement of 99.60%.

The Bank actively participated in various **Government Sponsored Schemes**, such as, Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), National Rural Livelihood Mission (NRLM), National Urban Livelihood Mission (NULM), Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY), and Differential Rate of Interest (DRI) Scheme.

As at March 2017, the outstanding advances under the following Government Schemes, aggregated to ₹999 crore, involving around 1.92 lakh beneficiaries.

Performance under various Government Sponsored Schemes

(Amt. ₹ Crore)

Scheme	MARCH 2017	
	Accounts	Amount
Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)	13895	483
National Rural Livelihood Mission (NRLM)	13625	284
National Urban Livelihood Mission (NULM)	2367	21
Differential Rate of Interest (DRI)	153186	141
Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY)	8547	70
Total	191620	999

Advances to DRI stood at ₹141 crore, consisting of 1.53 lakh beneficiaries, of which, advances by rural and semi-urban branches amounted to ₹112 crore.

In support of the underprivileged sections of the society, the Bank's advances to SCs/STs beneficiaries amounted to ₹7354 crore as at March 2017, covering 5.45 lakh borrowers. The advances to SCs/STs comprised 4.59% of total priority sector advances.

Advances to weaker sections reached ₹45106 crore, constituting 11.07% to ANBC against mandated norm of 10%.

यथा मार्च 2017 को कमजोर वर्ग को दिये गये अग्रिम का विभिन्न घटक

(राशि ₹ करोड़ में)

क्षेत्र	बकाया	
	खाते	राशि
लघु व सीमांत कृषक, भूमिहीन श्रमिक, काश्तकार, कृषक व बंटाईदार	3894735	39550
कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग	43630	845
अ जा / अ ज जा लाभार्थी	544614	7354
डी आर आई ऋण	153186	141
एसजीएसआरवाई लाभार्थी	8547	70
स्वयं सहायता समूह	121350	2500
संयुक्त देयता समूह	26764	587

यथा मार्च 2017 को विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को दिया गया कुल अग्रिम ₹27688 करोड़ रहा जो 15% के निर्धारित मानक की तुलना में कुल प्राथमिकता क्षेत्र को दिये गये अग्रिम का 17.28% रहा।

दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई) – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे – एनआरएलएम / आजीविका)

आजीविका योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) जून 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा शुरू किया गया था। गरीबी को कम करने के लिए गरीब परिवार को लाभकारी स्व रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर प्रदान करके एक स्थायी आजीविका हासिल करने हेतु उन्हें सक्षम बनाना इसका उद्देश्य था। ग्रामीण क्षेत्रों के महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी), जो कि 7% ब्याज पर ₹3 लाख तक के ऋण का लाभ लेते हैं और समय पर चुकाने वाले एसएचजी को 3% की अतिरिक्त सहायता प्रदान करना जिससे प्रभावी ब्याज दर 4% तक कम करना इस योजना के मुख्य उद्देश्य था। प्रथम चरण में सबसे पिछड़े 150 जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

भारिबैं ने अपने परिपत्र एफआईडीडी. जीएसएसडी. सीओ. बीसी. संख्या 13/09.01.03/2016-17 दिनांक 25/08/2016 के माध्यम से सूचित किया है कि सभी वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों के लिए 2016-17 के दौरान महिला एसएचजी हेतु ऋण पर ब्याज अनुदान को मौजूदा 150 जिलों के साथ-साथ और 100 जिलों में भी लागू किया जाएगा। एनआरएलएम, एनजीओ, केन्द्रीय या राज्य सरकार, नाबार्ड द्वारा डब्ल्यूएसएचजी कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहित किए

Various components of advances to Weaker Sections as at March 2017

(Amt. ₹ Crore)

Sectors	Outstanding	
	Accounts	Amount
Small & Marginal Farmers, Landless Labourers, Tenant Farmers and Share Croppers	3894735	39550
Artisans, Village and Cottage Industries	43630	845
SC / ST Beneficiaries	544614	7354
DRI Loans	153186	141
SJSRY Beneficiaries	8547	70
Self Help Group	121350	2500
Joint Liability Group	26764	587

As at March 2017, advances to specified minority communities aggregated to ₹27688 crore, accounting for 17.28% of the total priority sector advances against the stipulated 15% norm.

Deendayal Antyodaya Yojana (DAY) – National Rural Livelihoods Mission (DAY-NLRM/ Ajeevika)

Under the Scheme Aajeevika, National Rural Livelihood Mission (NRLM) was launched by the Ministry of Rural Development (MoRD), Government of India in June 2011, with an aim to reduce poverty by enabling the poor household to access gainful self employment and skilled wage employment opportunity, resulting in a sustainable livelihood. The main objectives of the Scheme includes providing interest subvention to Women SHGs (WSHG) from rural areas who avail loans up to ₹3 lakhs at 7% per annum and to provide an additional subvention of 3% if WSHGs repay in time, thereby reducing the effective rate of interest to 4%. In the first phase, the focus was on 150 most backward districts.

RBI vide their Circular FIDD.GSSD.CO.BC.No.13/09.01.03/2016-17 dated 25/08/2016, has intimated that Interest subvention scheme on credit to Women SHG during 2016-17 for all Commercial Banks and Co-operative Banks will be implemented in 100 more districts along with existing 150 districts. All WSHGs (Women SHGs) promoted by NRLM, NGOs, Central or State Government,

गए सभी डब्ल्यूएसएचजी (महिला एसएचजी) जो बैंकों से जुड़े हैं, वे इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंकों के दावों को संभालने के लिए केनरा बैंक को नोडल बैंक के रूप में नियुक्त किया है। बैंक ने एक वेब पोर्टल विकसित किया है जिससे सभी सदस्य बैंक अपने दावे अपलोड कर सकते हैं।

NABARD under WSHG Programme which are linked with the banks are eligible for benefits under the Scheme. Ministry of Rural Development, Government of India, has designated Canara Bank as nodal bank for handling claims of banks. The Bank has developed a web portal, which enables all member banks to upload their claims.

(राशि ₹ करोड़ में)

(Amt. in ₹ Crore)

सभी सदस्य बैंकों द्वारा किए गए ब्याज अनुदान दावे		
वित्तीय वर्ष	खातों की संख्या	राशि
2013-14	361231	266
2014-15	500829	304
2015-16	568304	365
2016-17	29020	394
कुल	1720484	1330

Interest Subvention Claims made by all Member Banks		
Financial Year	No of Accounts	Amount
2013-14	361231	266
2014-15	500829	304
2015-16	568304	365
2016-17	29020	394
TOTAL	1720484	1330

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उधार

यथा मार्च 2017 को सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रदान किया गया अग्रिम 11.42% वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ ₹74302 करोड़ हो गया। मध्यम व लघु उद्यम (एम व एस ई) वर्गों को दिया गया अग्रिम 5.74% वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ ₹53818 करोड़ रहा। सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में अनिवार्य 10% की तुलना में 16.46% की वृद्धि हुई।

Micro Small & Medium Enterprises (MSMEs) Lending

Advances to MSMEs increased to ₹74302 crore as at March 2017, with a y-o-y growth of 11.42%. Credit to M&SE segments rose to ₹53818 crore, with a 5.74% growth. The number of Micro Enterprises accounts recorded a growth of 16.46% against mandated norm of 10%.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत, बैंक ने 2016-17 के दौरान ₹5182 करोड़ की राशि संवितरित की और निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया। मुद्रा योजना की विभिन्न योजनाओं के तहत संवितरण निम्नवत था:

Under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), the Bank disbursed an amount of ₹5182 crore during 2016-17. Sanctions and disbursements under different schemes of Mudra Yojana are as under:

श्रेणी	यथा 31.03.2017 (राशि ₹ करोड़ में)			
	खाते की संख्या	मंजूर राशि	संवितरित राशि	बकाया राशि
शिशु (< ₹50,000)	232338	795	790	671
किशोर (₹50,000 - ₹5 लाख तक)	156938	2873	2799	2459
तरुण (₹5 लाख से ₹10 लाख तक)	21023	1633	1593	1459
कुल	410299	5301	5182	4589

Category	As on 31.03.2017 (Amt. in ₹ Crore)			
	No. of Accounts	Sanction Amount	Disbursement Amount	Outstanding Amount
Shishu (< ₹50,000)	232338	795	790	671
Kishore (Above ₹50,000 - ₹5 lakh)	156938	2873	2799	2459
Tarun (Above ₹5 lakh to ₹10 lakh)	21023	1633	1593	1459
Total	410299	5301	5182	4589

पिछले एक साल में बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ाने और उठाए गए कदमों के प्रति निरंतर जागरूकता लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

- ऋण प्रस्तावों के त्वरित प्रसंस्करण के लिए देश भर में 166 विशेषीकृत एसएमई शाखाएं कार्यरत हैं। 166 विशेषीकृत एसएमई शाखाओं के अलावा 49 एसएमई सुलभ (विशेषीकृत एसएमई ऋण प्रसंस्करण केन्द्र) भी देशभर में कार्यरत हैं।
- सूक्ष्म व लघु उद्यमों को कोई संपार्श्विक प्रतिभूति के बिना तथा सरलीकृत ऋण शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डॉक्टर्स चॉइस(संशोधित संस्करण) एमएसई स्मार्ट, एमएसएमई कैप, एमएसएमई वाहन, एमएसई विजेता, केनरा कॉन्ट्रैक्टर योजना, केनरा कारवां, फ्लेवर तथा एमएसएमई एक्सपो जैसे खंड विशेष योजनाओं का शुभारम्भ किया है।
- विशेष क्लस्टरों तथा गतिविधियों को प्रदान की जानेवाली ऋण को बढ़ाने के लिए नए क्षेत्र / क्लस्टर विशेष योजनाओं जैसे वस्त्र उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केनरा टेक्स्टाइल, सेरामिक तथा विट्रिफाईड टाइल्स के निर्माण में कार्यरत इकाइयों को ऋण देने हेतु विशेष योजना और बुनकर क्रेडिट कार्ड्स उपलब्ध कराने हेतु बुनकर मुद्रा योजना आदि को शुरु किया गया और जारी रखा गया।
- जागरूकता पैदा करने के लिए मेगा साख शिविरों का आयोजन किया गया तथा एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए स्रोतों का अपूरण किया गया।
- सफल उद्यमिता के लिए सही मार्गदर्शन व आवश्यक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी विभागों तथा स्थानीय संगठनों के अधिकारियों को शामिल करते हुए नए उद्यमियों के लिए शिखर (सम्मिट) सम्मेलनों का आयोजन किया गया।
- अंचल / क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए सूक्ष्म उद्यम कारोबार केन्द्रों की स्थापना की गई।
- बैंक ने एमएसएमई के तहत बैंक के विभिन्न पहलों के संबंध में उचित जानकारी देने के लिए www.canaramsme.com वेबसाइट शुरु की है।
- एमएसएमई ग्राहकों द्वारा एमएसएमई आवेदनों का ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण व ट्रैकिंग व्यापक तौर पर किया जाता है।
- उभरते उद्यमियों के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे एमएसएमई के तहत चुनौतियों व अवसरों से संबंधित जानकारियों

During the year, the Bank has taken following initiatives to increase flow of credit to MSME sector and also to bring about continued awareness about the steps taken.

- 166 SME Specialised Branches are functioning throughout India and for faster processing of credit proposals. Besides 166 SME Specialized Branches, 49 SME Sulabhs (Specialised SME Loan Processing Centres) are also functioning across the country.
- To extend financial assistance to micro and small enterprises without offering any collateral security and with relaxed lending terms, some segment specific schemes have been launched/ continued, such as, Doctors' Choice (improved version), MSE SMART, MSME CAP, MSME Vahan, MSE Vijeta and Canara Contractors' Scheme, Canara CARAVAN, Flavour and MSME Expo.
- To increase the Bank's exposure to specific clusters and activities, new area / cluster specific schemes have been launched / continued, such as, Canara Textiles, catering to the Textile Sector, Special Scheme for lending to units engaged in Manufacturing of Ceramics and Vitrified Tiles and Weavers Mudra Scheme in lieu of Weavers Credit Card.
- Mega Credit camps are conducted to create awareness and pool sources for increased credit flow to MSME sector.
- Summits were arranged for Start-up Entrepreneurs involving functionaries from different Government Departments and local industrial bodies / organizations for necessary inputs and guidance for successful entrepreneurship.
- Micro Enterprises Business Centres were established at Circle Offices for handholding Micro Enterprises.
- The Bank has an exclusive website www.canaramsme.com for easy access and understanding of MSME initiatives.
- The online submission of MSME applications and tracking thereof by the customers are facilitated and used extensively by the MSME clientele.
- Entrepreneur Development Centre at Head Office have been catering to the needs of budding

को आत्मसात करना, संगोष्ठियों का आयोजन, प्रशिक्षण पहल, संबंधित संगठनों के साथ विचार-विमर्श आदि तथा नियमित पत्रिकाओं के माध्यम से उक्त के प्रचार-प्रसार के लिए विभाग में उद्यमी विकास केन्द्र का गठन किया गया है।

- सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसएमई इकाइयों की निगरानी व फिसलन प्रबंधन संबंधी पहलुओं पर गौर करने के लिए तथा एमएसएमई इकाइयों के पुनर्वास व पुनर्गठन के माध्यम से मदद करने हेतु प्रधान कार्यालय स्तर पर विशेष सेटअप का गठन किया गया है।

बैंक, सूक्ष्म व लघु उद्यम (एमएसई) के तकनीकी उन्नयन हेतु एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की साख संबद्ध पूँजी आर्थिक सहायता योजना (सीएलसीएसएस) के तहत नोडल एजेंसी है। 2016-17 के दौरान मंत्रालय ₹11.22 करोड़ की अनुदान राशि प्राप्त की और वित्तीय वर्ष के दौरान इस पूरी राशि का उपयोग किया गया।

महिला सशक्तिकरण

प्रधान कार्यालय में महिला सशक्तिकरण प्रभाग और देशभर के 21 अंचल कार्यालयों तथा 118 क्षेत्रीय कार्यालयों के महिला उद्यमिता विकास (सीईडीडब्ल्यू) केंद्र महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। ये सीईडीडब्ल्यू संभावित उद्यमियों तक पहुंचकर आवश्यक परामर्श दे रहे हैं। उनको आवश्यक प्रशिक्षण देने के साथ-साथ वित्त और विपणन सहायताएं प्रदान कर रहे हैं। 2016-17 के दौरान सीईडीडब्ल्यू द्वारा 350 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

महिला उद्यमिता विकास केन्द्र ने स्वयं सहायता समूह के गठन व क्रेडिट लिंकेज में सहायता की है। विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं को ईडीपी / कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हरहल्ली, कर्नाटक में स्थापित ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के बाद से 19,995 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, जिसमें से 630 महिलाओं को 2016-17 के दौरान प्रशिक्षित किया गया है। बैंक द्वारा समर्थित 65 प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से स्थापना के बाद से 4.05 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है जिसमें से 33,393 महिलाओं को वर्ष 2016-17 में प्रशिक्षित किया गया है। महिला ग्राहकों पर ध्यान देने के लिए बैंक ने 2 विशेष महिला बैंकिंग शाखाओं के अलावा देश भर में 80 शाखाओं को "पूर्ण महिला कर्मचारी शाखा" में परिवर्तित कर दिया है। 18 सूक्ष्म वित्त शाखाएं सूक्ष्म व लघु महिला उद्यमियों तथा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। बैंक ने यथा मार्च 2017 को ₹44766 करोड़ की

entrepreneurs by way of assimilation of information regarding the challenges and opportunities under MSME, conducting seminars, training initiatives, interaction with the concerned organizations and propagation of the same through regular bulletins.

- An exclusive set up established at Head office has been looking into the aspects of monitoring, slippage management and handholding in times of stress by way of rehabilitation and restructuring of MSME units as per Government guidelines.

The Bank is the nodal agency for Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS) of Ministry of MSME, Government of India, for technology upgradation of Micro & Small Enterprises (MSEs). During 2016-17, subsidy amount received from the Ministry under the Scheme was ₹11.22 crore and the same has been utilized fully during the financial year.

Empowering Women

Department of Women Empowerment at Head Office and Centre for Entrepreneurship Development for Women (CEDW) at 21 Circle Offices and 118 Regional Offices across the country are working relentlessly towards economic empowerment of women. These CEDWs have reached potential entrepreneurs, undertook counselling, supported training need, provided finance and marketing. A total of 350 programmes were organized by the CEDWs during 2016-17.

These centres have also assisted in the formation of Self Help Groups (SHGs) & Credit Linkages. Rural Self Employment Training Institute set up at Harohalli, Karnataka to provide EDP/ skill training to women in various vocations has trained 19,995 women since inception, out of which 630 women have been trained during 2016-17. Through 65 Training Institutes supported by the Bank, 4.05 lakh women have been trained in self employment ventures since inception, of which 33,393 have been trained during 2016-17. Apart from establishing two exclusive Mahila Banking Branches, the Bank has equipped over 80 branches with all women employees to give focused attention to women clientele. 18 Micro finance branches are also engaged in supporting the financial needs of micro & small women entrepreneurs & SHG members. 27.74 lakh women have

ऋण बकाया के साथ 27.74 लाख महिलाओं की सहायता की है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के एएनबीसी के 5% की अधिमानी आवश्यकता के एवज में 13.59% प्राप्त किया है।

महिलाओं को अनेक रियायते दी गयी है जिसमें छात्राओं को शिक्षा ऋण में पात्रता नियमों में छूट के साथ 0.50% ब्याज दर में रियायत शामिल है। सूक्ष्म व लघु उद्यम के तहत महिला लाभार्थियों के लिए ₹2 करोड़ तक के ऋण के लिए एक विशेष ऋण योजना 'एमएसई विजेता' लागू की गयी है तथा बैंक द्वारा महिलाओं के लिए अनेक छूट व सुविधाओं के साथ एक विशेष बचत बैंक उत्पाद केनरा महिला बचत योजना भी लागू की गयी है।

वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 'केनरा बैंक सर्वोत्तम महिला उद्यमी पुरस्कार 2015-16' के तहत 06 सफल महिला उद्यमियों को नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। विपणन सहायता के तहत बैंक महिला उद्यमी/स्वयं सहायता समूह के लिए बिना लागत के बेंगलूरु और शिवमोग्गा (कर्नाटक) तथा अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश), कोयंबतूर (तमिलनाडु), तथा त्रिशूर (केरल) शहर में बाजार में अपने उत्पाद का प्रदर्शन या विपणन करने के लिए एक अनूठी आवश्यकतानुरूप निर्मित, उच्च तकनीक, सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल बिक्री वैन 'केनरा वाहिनी' उपलब्ध कराई है जिसमें कंप्यूटरीकृत बिलिंग और कार्ड स्वाइप सुविधा उपलब्ध है।

अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व

बैंक का अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व देश के 31 जिलों में है जिनमें से कर्नाटक में 08, तमिलनाडु में 07, केरल में 05 व उत्तरप्रदेश में 05, दिल्ली में 03, तेलंगना में 2 और बिहार में 01 जिले में है। बैंक, केरल में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति (एस एल बी सी) का संयोजक है।

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन के प्रति समग्र दृष्टिकोण

बैंकिंग सेवा के दायरे से बाहर रह गयी जनता को बैंकिंग की मुख्यधारा के अंतर्गत लाने के मूल उद्देश्य से वित्तीय दायरे से बाहर व विशेष रूप से समाज के सीमित वर्गों को वित्तीय उत्पादों व सेवाओं को मुहैया कराने के लिए बैंक प्रयासरत है। भारत सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार बैंक वित्तीय समावेशन की एजेंडा को विभिन्न समूहों में चार महत्वपूर्ण उपायों, जैसे बैंकिंग संरचना का विस्तारण, उचित वित्तीय उत्पादों की पेशकश, प्रौद्योगिकी के व्यापक और गहन उपयोग और हितधारक सहभागिता के साथ सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं।

been assisted with a credit outstanding to the tune of ₹44766 crore as at March 2017 and achieved 13.59% to ANBC as against RBI's requirement of 5%.

Several concessions have been provided to women borrowers that include relaxation in eligibility norms and 0.50% interest concession on educational loans to girl students. 'MSE Vijeta', an exclusive loan Scheme for women entrepreneurs for loans upto ₹2 crore under Micro & Small Enterprises and Canara Mahila Savings Scheme, a special Savings Bank deposit product, with many concessions have been devised for women.

During the year, six successful 'Women Entrepreneurs were given cash awards on the occasion of International Women's Day under Canara Bank Best Woman Entrepreneur Awards (CBWEA), 2015-16'. Under marketing support, the Bank has provided five unique custom built, high-tech, solar powered mobile sales vans 'Canara Vahini' with computerized billing and card swiping facility to enable women entrepreneurs and SHGs to exhibit or market their products at Bengaluru and Shivamogga (Karnataka) and Aligarh (Uttar Pradesh), Coimbatore (Tamil Nadu), and Thrissur (Kerala).

Lead Bank Responsibility

The Bank has lead bank responsibilities in 31 districts in the country, viz., 8 in Karnataka, 7 in Tamil Nadu, 5 in Kerala, 5 in Uttar Pradesh, 3 in Delhi, 2 in Telangana and 1 in Bihar. The Bank is the Convenor of the State Level Bankers' Committee (SLBC) in Kerala.

Financial Inclusion

A Holistic Approach to Financial Inclusion

With the basic objective of bringing the large unserved population under the banking mainstream, the Bank is striving towards a more inclusive growth by making financial products and services available to financially excluded and marginalized sections of the society in particular. As per the Government of India and the Reserve Bank of India directions, the Bank has been actively pursuing the agenda of Financial Inclusion (FI), with the key interventions, viz., expanding banking infrastructure, offering appropriate financial products, making extensive & intensive use of technology and through advocacy of financial literacy.

बैंक की शाखा मॉडलों के तहत 878 वित्तीय समावेशन (एफआई) शाखाएं हैं और कारोबारी प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के तहत 2459 कारोबारी प्रतिनिधि एजेंट्स (बीसीए) को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा, बैंक में 473 अल्ट्रा लघु शाखाएं (यूएसबी) भी कार्यरत हैं।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)

पीएमजेडीवाई भारत की आबादी के व्यापक वित्तीय समावेशन, विशेषकर बैंकिंग दायरे से बाहर रहनेवाले परिवारों को प्रावृरित करने के लिए तथा बैंकिंग उद्योग द्वारा प्रदान किए गए लाभ और सुविधाओं के साथ उन्हें सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार की पहल है। पीएमजेडीवाई योजना के तहत खाता खोले गए खाताधारक को रूपे डेबिट कार्ड जारी किया जाता है। ₹1 लाख तक की दुर्घटना बीमा प्रावृरण, ₹30,000/- तक का जीवन बीमा प्रावृरण (31.01.2015 तक खोले गए खातों के लिए) तथा 06 माह तक संतोषजनक संव्यवहार करनेवाले खाताधारकों को ₹5000/- तक का ओवरड्राफ्ट सुविधा भी दी गई है। पीएमजेडीवाई के कार्यान्वयन के लिए बैंक को 3962 उप-सेवा क्षेत्र (एसएसए) और 3371 शहरी वार्ड आबंटित किये गये हैं।

पीएमजेडीवाई के तहत निष्पादन विशेषताएं

- बैंक ने पीएमजेडीवाई के तहत 64.66 लाख खाते खोले गये तथा इन खातों में ₹1858 करोड़ कासा जमा जुटाया गया है।
- 878 पारंपरिक शाखाएं खोलकर तथा शेष स्थानों पर 2459 कारोबार प्रतिनिधि एजेंटों (बैंक मित्रों) को शामिल करते हुए आवंटित सभी 3962 एसएसए और 3371 शहरी वार्ड को कवर किया गया।
- बैंक मित्रों के माध्यम से भुगतान सुविधा प्रदान करने हेतु उन्हें प्रदत्त हस्तधारित मशीनों को रूपे कार्ड स्वीकार करने हेतु समर्थित किया गया है। बैंक ने सभी पात्र खाताधारकों को 42.59 लाख रूपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं। बैंक मित्रों ने ₹83.39 लाख लेनदेन किये हैं, जो कि वर्ष के दौरान ₹1324 करोड़ रूपे का है।
- पीएमजेडीवाई के तहत शून्य शेष खातों को 14.24% तक घटा दिया गया है।
- बैंक ने पीएमजेडीवाई के तहत टॉल फ्री नंबर 1800 425 11222 प्रदान करते हुए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है तथा उसे राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित किया गया है।

The Bank has 878 Financial Inclusion (FI) Branches under branch model and also engaged 2459 Business Correspondent Agents (BCAs) under Business Correspondents (BC) model. In addition, 473 Ultra Small Branches (USBs) are also operational in the Bank.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

PMJDY is the initiative from Government of India for comprehensive financial inclusion of the population of India, particularly aiming at covering the households hitherto excluded from the purview of banking and empowering them with benefits and facilities provided by the banking industry. Accounts opened under PMJDY are issued with Rupay Debit card, accidental Insurance coverage to the extent of ₹1 lakh, life insurance cover of ₹30,000/- (for accounts opened upto 31.01.2015) and overdraft upto ₹5000/- after six months of satisfactory dealing. The Bank was allotted 3962 Sub Service Area (SSAs) and 3371 Urban Wards for implementation of PMJDY.

Performance highlights under PMJDY

- Opened 64.66 lakh accounts under PMJDY and mobilized a CASA deposit of ₹1858 crore.
- Covered all allotted 10049 villages comprising of 3962 allotted SSAs and 3371 Urban wards by opening of 878 brick & mortar branches and engaging 2459 Business Correspondent Agents (Bank Mitras) at remaining locations.
- Hand-held devices are provided to Bank Mitras for facilitating payments, which are enabled for accepting Rupay Cards. The Bank has Issued 42.59 lakh Rupay Debit Cards to all eligible account holders. Bank Mitras have done ₹83.39 lakh transactions, amounting to ₹1324 crore during the year.
- Zero balance accounts under PMJDY have been brought down to 14.24%.
- Established a Toll Free number 1800 425 11222 for PMJDY as a part of grievances redressal mechanism and popularized through publication in National Dailies.

- ₹5000/- तक पीएमजेडीवाई ओवरड्राफ्ट की सुविधा – सभी पात्र खाता धारकों के लिए बैंक में लागू किया गया था। वर्ष के दौरान 2.14 लाख पीएमजेडीवाई खाता धारकों को ₹29.73 करोड़ की राशि की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध कराई गई। अब तक बैंक ने पीएमजेडीवाई ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत 4.48 लाख खाताधारकों को ₹74.26 करोड़ प्रदान किये हैं।

सामाजिक सुरक्षा योजना

वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं के तहत निम्नवत नामांकन किए गए हैं।

योजना नामांकन	यथा मार्च 2017
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएम एस बी वाई)	37.18 लाख
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएम जे जे बी वाई)	13.65 लाख
अटल पेंशन योजना (एपीवाई)	1.05 लाख

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत भी बैंक ने 11419 खाते जुटाए।

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने वर्ष के दौरान वित्तीय समावेशन संबंधी गतिविधियों में भी निम्नानुसार महत्वपूर्ण प्रगति की है।

वित्तीय समावेशन शाखाओं में कारोबार जुटाया जाना

वित्तीय समावेशन शाखाओं ने ₹15202 करोड़ का कारोबार किया, जिसमें ₹4136 करोड़ का कासा जमा शामिल है, जो कुल जमा का 57.13% है। प्रति वित्तीय समावेशन शाखा औसत कारोबार ₹17.31 करोड़ रहा।

सामान्य बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खातों की स्थिति

बैंक ने वर्ष 2016-17 के दौरान 12.27 लाख बीएसबीडी खाते खोले जिससे मूल बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खातों की संख्या यथा मार्च 2017 को ₹4678 करोड़ की कुल जमा के साथ 1.66 करोड़ तक जा पहुँची।

एसएचजी गठन व साख संबंधता

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ने वित्तीयन गरीबी उन्मूलन व ग्रामीण गरीब के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष के दौरान बैंक ने 31754 एसएचजी का निर्माण किया

- Provided overdraft facilities upto ₹5000/- to all eligible PMJDY account holders. 2.14 lakh PMJDY accounts holders have been provided with overdraft facility, amounting to ₹29.73 crore during the year. So far the Bank has provided PMJDY overdraft facilities to 4.48 lakh account holders to the extent of ₹74.26 crore.

Social Security Schemes

Under various social security schemes launched by the Government of India during the year, following enrolments have been made.

Scheme Enrolments	As at March 2017
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)	37.18 lakh
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)	13.65 lakh
Atal Pension Yojana (APY)	1.05 lakh

Under Sukanya Samriddhi Yojana, the Bank has mobilized 11419 accounts.

Apart from the above, the bank has also made significant progress in the Financial Inclusion related activities during the year as under.

Business canvassed in the FI Branches

FI branches have garnered business of ₹15202 crore, which includes CASA deposits of ₹4136 crore, constituting 57.13% of total deposits. Average business per FI branch stood at ₹17.31 crore.

Position of Basic Savings Bank Deposit (BSBD) Accounts

The Bank has opened 12.27 lakh BSBD accounts during the year 2016-17, taking the tally of BSBD accounts as at March 2017 to 1.66 crore, with an outstanding deposits of ₹4678 crore.

Formation & Credit Linking SHGs

Financing to Self Help Groups has played pivotal role for poverty alleviation and financial inclusion of the rural poor. The Bank has formed 31754 SHGs and credit linked

और 40070 एसएचजी में ₹1239 करोड़ तक का ऋण संवितरित किया। ₹2500 करोड़ की बकाया के साथ 1.21 लाख एसएचजी खाते रहे।

किसान क्लब

बैंक ने किसान क्लब बनाने की अवधारणा को अपनाया है जो क्रेडिट के माध्यम से स्वेच्छ से विकास के सिद्धांतों का प्रसार, बेहतर चुकौती नैतिकता, और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने 705 किसान क्लबों का निर्माण किया है।

सूक्ष्म वित्त शाखाएं

बैंक ने शहरी केन्द्रों में 18 सूक्ष्म वित्त शाखाएं खोली हैं। इन शाखाओं ने यथा मार्च 2017 को कुल ₹600 करोड़ का कारोबार जुटाया है।

वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी)

बैंक की वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) तथा बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के क्रियाकलाप की देखभाल के लिए “केनरा वित्तीय सलाहकार न्यास” की स्थापना की। साथ ही साथ बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के द्वारा एफएलसी को भी बढ़ावा दिया गया। संपूर्ण भारत में 26 अग्रणी जिलों तथा 45 ब्लॉक में बैंक की 71 वित्तीय साक्षरता केन्द्र हैं जिनका प्रबन्धन परामर्शदाता (सेवानिवृत्त बैंकर्स) द्वारा किया जाता है।

वित्तीय साक्षरता पहल

- वित्तीय साक्षरता केन्द्रों ने वर्ष के दौरान 14.51 लाख को और स्थापना से लेकर अब तक 45 लाख लोगों को शिक्षित किया है।
- बैंक मित्र को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में स्वयं शामिल करने हेतु प्रेरित करने और अपने उप सेवा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लोगों को अधिक लेन-देन करने हेतु प्रोत्साहित करने, और उन पर निगरानी के लिए वित्तीय साक्षरता समन्वयक की नियुक्ति की गई है।
- भारतीय बैंकिंग व वित्त संस्थान तथा इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग व फाइनेंसियल सर्विसेज संस्थान के माध्यम से बैंक मित्रों को प्रशिक्षित किया गया। उन्हें बैंक व कॉर्पोरेट बीसी द्वारा बैंकिंग व प्रौद्योगिकी पहलू पर गहन प्रशिक्षण भी दिया गया।
- अपने शाखाओं व सेवा क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए शाखा प्रबन्धकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

to the extent to ₹1239 crore to 40070 SHGs during the year. The outstanding SHG accounts were more than 1.21 lakhs, with an outstanding amount at ₹2500 crore.

Farmers' Clubs

The Bank has adopted a concept of forming Farmers' Clubs, which is an association of progressive farmers, who have volunteered to disseminate the principals of development through credit and also inculcate better repayment ethics and promote peoples participation. During the year, the Bank has formed 705 farmers clubs.

Micro Finance Branches

The Bank has opened 18 Micro Finance Branches in the urban centres. These branches mobilized a total business of ₹600 crore as at March 2017.

Financial Literacy Centres

Formed 'Canara Financial Advisory Trust' to take care of the affairs of the Financial Literacy Centres (FLCs) of the Bank as well as the FLCs promoted by the Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Bank. Pan India, the Bank has 71 FLCs in all 26 lead districts and 45 blocks across the country, managed by the Counsellors (retired bankers).

Financial Literacy Initiatives

- Financial Literacy Centres have educated 14.51 lakh persons during the year and 45 Lakh persons since inception.
- Engaged Financial Literacy Coordinators to monitor and motivate Bank Mitras to involve themselves in Financial Literacy in a big way in their sub-service areas and encourage people to do more transactions.
- Trained Bank Mitras through Indian Institute of Banking & Finance and Infrastructure Leasing & Finance Services (IL&FS). They were also provided with extensive training on Banking and Technology aspects by the Bank and the Corporate BCs.
- Special training was given to Branch Managers for conducting financial literacy programmes at their branches and in their service area.

- नाबार्ड के वित्तीय समावेशन निधि कार्यक्रम के तहत 2612 वित्तीय साक्षरता कैम्प का आयोजन किया गया

आधार नामांकन

बैंक ने 6 आधार नामांकन एजेंसियों को पैनलबद्ध किया है। अब तक कुल 174 लाख नामांकन किए जा चुके हैं। 241 लाख खातों में आधार संख्या की प्रविष्टि हो चुकी है और ये सभी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) मैपर पर है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

सीएसआर गतिविधियों में कीर्तिमान स्थापित करना

बैंक संस्थापक सिद्धांतों व सदियों पुरानी परम्परा का पालन करते हुए विभिन्न कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों में लगा हुआ है। बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पहल बहुआयामी है जिसमें बेरोजगार ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल, सामुदायिक विकास, महिला सशक्तिकरण व अन्य सामाजिक पहल शामिल है।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता विकास व स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केनरा बैंक शताब्दी ग्रामीण विकास ट्रस्ट (सीबीसीआरडीटी) के माध्यम से बैंक ने 26 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, 05 सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान व 03 शिल्पकार प्रशिक्षण संस्थान सहित 34 विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान इन संस्थानों द्वारा 30,384 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया है। शुरुआत से अब तक 2.87 लाख बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित किया है एवं आजीविका बसानेवालों की दर 75% है।

बैंक ने स्वरोजगार कार्यक्रम आरम्भ करने हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिलाने के लिए 17 राज्यों में अन्य 27 ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान(रुडसेटि) को सह-प्रायोजित किया है। वर्ष 2016-17 के दौरान इन संस्थानों द्वारा 26284 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया है जिससे अबतक इन संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों की संख्या 4.23 लाख हो गई है। इनमें से आजीविका बसानेवालों का दर 72% है। बैंक ने हैदराबाद स्थित आन्ध्र प्रदेश बैंकर्स ग्रामीण व उद्यमिता विकास संस्थान(एपीबीआईआरडीटी), कर्नाटक के हलियाल स्थित केनरा बैंक देशपांडे रुडसेटी, कर्नाटक के

- Conducted 2612 financial literacy camps under Financial Inclusion Fund Scheme from the NABARD.

AADHAAR Enrolments

The Bank has empanelled 6 Aadhaar Enrolment Agencies. A total of 174 lakh enrolments have been done. Aadhaar has been seeded in 241 lakh accounts and are on National Payments Corporation of India (NPCI) mapper.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Setting Examples in CSR Activities

Following the founding principles and century old tradition, the Bank is engaged in varied Corporate Social Responsibility (CSR) activities. CSR initiatives of the Bank are multifarious, covering activities, like, training unemployed rural youth, providing primary health care, drinking water, community development, empowerment of women and other social initiatives.

Rural Development

The Bank, through its Canara Bank Centenary Rural Development Trust (CBCRDT), has established 34 exclusive training institutes, including 26 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs), 5 Institutes of Information Technology and 3 Artisan Training Institutes to promote entrepreneurship development among rural youth and encourage them to take up self employment activities. During 2016-17, these Institutes trained 30,384 candidates, taking the tally to 2.87 lakh unemployed youth since inception, with an impressive settlement rate of 75%.

The Bank has co-sponsored another 27 Rural Development and Self Employment Training Institutes (RUDSETIs) across 17 States, engaged in training of rural youth for taking up self-employment programmes. During 2016-17, these Institutes trained 26,284 candidates, taking the tally to 4.23 lakh unemployed youth, with a settlement rate of 72%. The Bank has also co-sponsored Andhra Pradesh Bankers Institute for Rural and Entrepreneurship Development (APBIRED) at Hyderabad, Telangana and

बागलकोट स्थित कर्नाटक किसान संसाधन केन्द्र (के एफ आर सी) व बेंगलूर स्थित भारत रत्न श्री एम विश्वेश्वरय्या प्रशिक्षण संस्थान को सह प्रायोजित किया है। सम्यक रूप से बैंक ने 65 प्रशिक्षण संस्थानों को प्रायोजित / सह प्रायोजित किया है जहां 72% की रोजगार दर के साथ अबतक 7 लाख बेरोज़गार युवकों को प्रशिक्षित किया गया है। बैंक ने महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह व शिल्पकारों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु 04 हार्ड टेक, कस्टम बिल्ट, सौर उर्जा चालित 'खुदरा मोबाईल विपणन वैन' प्रदान की है। वर्ष के दौरान बैंक ने सीएसआर कार्यक्रमों के तहत समुदायों के लाभ हेतु कई गतिविधियाँ की है।

बैंक ने कर्नाटक के कोलार और चिकबल्लापुर जिले के फ्लूराइड प्रभावित गांवों में शुद्ध पेयजल सुविधा के लिए डी-फ्लूरिडेशन – आरओ संयंत्र प्रदान करने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। कोलार जिले के 156 गांवों में शुद्ध (आरओ) पेयजल संयंत्र स्थापित कर परिचालित किये हैं। इन गांवों के 1,00,000 से ज्यादा लोग इस परियोजना से लाभान्वित हुए हैं। बैंक ने मानव मूल्य अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईएएचवी) जीने की कला, महाराष्ट्र के लातूर में मांजारा नदी के पुनर्जीवन और ऐज्वाल, मिजोरम के जिला प्रशासन के साथ तेयहाउलि नदी पर आरसीसी फुट ब्रिज के निर्माण के लिए भी भागीदारी की है।

असुविधाग्रस्त के लिए स्वास्थ्य सेवा

असुविधाग्रस्त लोगों के लिए निःशुल्क इलाज प्रदान करने हेतु मेमर्स रंगादुरै मेमोरियल अस्पताल को डायलिसिस मशीन प्रदान की गयी। बैंक ने केनरा बैंक राहत एवं कल्याण सोसायटी, बेंगलुरु में हीमोडायलिसिस मशीन उपलब्ध कराई है और सेवाक्षेत्र अस्पताल, बेंगलुरु में मरीजों के लाउंज का नवीकरण किया है। बैंक ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए उपकरण और वाहन उपलब्ध कराये हैं। कर्नाटक के बीदर स्थित मेमर्स बीदर आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान के लिए एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान की गईं। मेमर्स जगन्नाथ बल्लव एन्डोवमेंट, पुरी, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला को भी आवासगृहों में रहनेवाले बीमार पर्यटकों और ग्रामीणों की सेवा करने के लिए एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान की गईं। बैंक ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, बेंगलुरु के ब्लड बैंक के लिए डीप फ्रीजर प्रदान किया और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम, हैदराबाद के तहत महिला ई-शौचालयों का निर्माण किया।

Canara Bank Deshpande RSETI at Haliyal, Karnataka Farmers Resource Centre (KFRC) at Bagalkot and Bharat Ratna Shri M Visvesvaraya Training Institute at Bengaluru, Karnataka. Cumulatively, the Bank has sponsored / co-sponsored 65 training institutes, which have trained more than 7 lakh unemployed youth so far, with a settlement rate of 72%. The Bank has donated 4 hi-tech, custom built, solar powered 'Retail Mobile Marketing Van' to assist women entrepreneurs, SHGs and artisans to market their products. During the year, the Bank undertook a number of activities for the benefit of the communities as part of CSR.

The Bank has undertaken an ambitious project of providing De-fluoridation – RO plants for pure drinking water facility in fluoride affected villages of Kolar and Chikkaballapur districts, Karnataka. **Pure (RO) Drinking water plants** have been installed in 156 villages of Kolar District and made operational. Over 1,00,000 people from these villages are benefitted by the project. The Bank has also partnered with International Association for Human values (IAHV) Art of Living, Rejuvenation of Manjara River at Latur, Maharashtra and District Administration, Aizawl, Mizoram for Construction of RCC Foot Bridge over Theihauliu stream.

Health care for the underprivileged

Dialysis machines are provided for free treatment to underprivileged in M/s Rangadore Memorial Hospital, Bengaluru, a unit of Shri Shri Jagadguru Shankaracharya Mahasansthanam, Shringeri. The Bank has provided Haemodialysis machines to Canara Bank Relief & Welfare Society, Bengaluru and carried out renovation of patients lounge in Sevakshetra hospital, Bengaluru. The Bank has donated equipments and vehicle for four Primary Health Centres in Kolhapur district, Maharashtra. Ambulance services were rendered to M/s Bidar Institute of Medical Sciences, Bidar, Karnataka. Ambulance services to serve sick tourists in dormitories and villagers were also provided to M/s Jagannath Ballav Endowment, Puri, Odisha and Central University of Himachal Pradesh, Dharmashaala. The Bank also provided Deep Freezer for Blood Bank for Indian Red Cross Society, Bengaluru and constructed SHE E-Toilets under Greater Hyderabad Municipal Corporation, Hyderabad.

शिक्षा के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन

शिक्षा, सीएसआर के मुख्य कारक और व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण बैंक ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान की है।

प्रतिभाशाली अ.जा. /अ.ज.जा. छात्राओं के लिए केनरा विद्या ज्योति छात्रवृत्ति योजना

सरकारी/ सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययन करनेवाली प्रतिभावान छात्राओं के लिए विद्या ज्योति छात्रवृत्ति कार्यक्रम को चौथे वर्ष भी सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया और इससे 10,655 छात्राओं को लाभ प्राप्त हुआ जिसमें ₹3.94 करोड़ का व्यय किया गया।

बैंक ने केनरा बैंक, जुबली शिक्षा निधि, बेंगलूर की बुक बैंक के उन्नयन और स्वचालन के लिए और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने में सहायता की है। श्री विवेकानंद युवा आंदोलन (एसवीवाईएम) मैसूर में एमडीएम पाठ्यक्रम के तहत छात्रों के लिए बैंक ने वृक्ष शिल्प प्रायोजित किया है। हरियाणा के करनाल जिले के गम्सीना स्थित सरकारी माध्यमिक विद्यालय को सौर ऊर्जा प्रणाली, कंप्यूटर, जल शोधक और फर्नीचर प्रदान किए हैं। बैंक ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मांगपुरा स्थित कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के लिए 40 केवीए का जेनरेटर प्रदान किया है।

गरीबी से निपटने व बाल विकास हेतु वित्तीय सहायता

मैसर्स अक्षय पात्र फाउंडेशन को राजस्थान के जोधपुर में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन ले जाने के लिए सहायक उपकरण के साथ वाहन दिया गया। बैंक ने गरीब आगंतुकों के उपयोग के लिए मैसर्स रामकृष्ण मठ, कोलकाता के भोजन कक्ष के लिए स्टेनलेस स्टील डाइनिंग टेबल भी प्रदान किए हैं।

बेहतर जीवन जीने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता हेतु समान विचारधारा वाली एजेंसियों के साथ मिलकर कई कार्यक्रम अयोजित किए हैं।

संसदीय समिति द्वारा दौरा

वर्ष 2016-17 के दौरान अधीनस्थ विधान, उद्योग, वित्त, ग्रामीण विकास, वाणिज्य, महिला सशक्तीकरण और राजभाषा से संबंधित संसदीय समितियों ने बैंक का दौरा किया।

Direct and Indirect support to Education

Education being one of the prime sectors of CSR and a vital part of personality development, Bank apart from its own initiatives, has assisted various educational institutions.

Canara Vidya Jyothi Scholarship scheme to meritorious SC / ST Girl Students

The scholarship was provided for those studying in Government and Government aided schools for the fourth successive year and 10,655 students have been benefitted utilizing a total amount of ₹3.94 crore.

The Bank has assisted Canara Bank Jubilee Education Fund, Bengaluru for upgradation and automation of the Book bank and extending scholarships to students. The Bank has also sponsored tuition fee for students under MDM Course in Shri Vivekananda Youth Movement (SVYM) Mysuru. Government Secondary School, Gagsina, Karnal District, Haryana has been provided solar power system, computers, water purifier and furniture. The Bank has given 40 KVA Generator for Krishna Bal Vidya Mandir Inter college, Mangupura, Moradabad, Uttar Pradesh.

Financial assistance to combat Poverty & child development

M/s Akshaya Patra Foundation was given vehicle with accessories for carrying mid-day meals to children studying at Government Schools in Jodhpur, Rajasthan. The Bank has also provided stainless steel dining tables for dining hall of M/s Ramakrishna Math, Kolkata for the use of poor visitors.

For supporting persons with disability to lead a better life, a number of programmes in association with likeminded agencies have been taken up.

Visits by Parliamentary Committee

During the year 2016-17, Parliamentary Committees relating to Subordinate Legislation, Industries, Finance, Rural Development, Commerce, Women Empowerment and Official Language visited the Bank.

संगठन और सहायता सेवाएं

शाखा नेटवर्क

सम्पूर्ण भारत में उपस्थिति का विस्तार

बैंक ने 2016-17 में शाखा का विस्तार किया और वर्ष के दौरान 239 घरेलू शाखाएं जोड़ी है। यथा मार्च 2017 को बैंक की 8 विदेशी शाखाओं सहित 6083 शाखाएं है।

शाखा नेटवर्क की संरचना

श्रेणी	शाखाओं की संख्या		वर्ष के दौरान खोले गए
	31.03.2016	31.03.2017	
महानगरीय	1019	1228	44
शहरी	1142	1138	54
अर्ध शहरी	1815	1936	81
ग्रामीण	1865	1773	60
विदेशी	8	8	--
कुल शाखाएं	5849	6083	239

नोट: वर्ष के दौरान 5 शाखाओं को विलय / बंद कर दिया गया।

वर्ष के दौरान नौ विशेषीकृत शाखाएं जोड़ी गईं जिससे विशेषीकृत शाखाओं की कुल संख्या, यथा मार्च 2017 को 285 हुई।

विशेषीकृत शाखाओं की श्रेणी	31.03.2017
एस एम ई	166
मिड कॉर्पोरेट	26
सूक्ष्म वित्त	18
आस्ति वसूली प्रबन्धन	19
प्राइम कॉर्पोरेट	12
विदेशी	11
कृषि वित्त	9
अनिवासी भारतीय	7
बचत	2
औद्योगिक वित्त	3
स्टॉक एक्सचेंज	2
पूंजी बाजार	1
महिला बैंकिंग	2
दिव्यांग के लिए शाखाएं	1
विशेष सरकारी कारोबार शाखा	6
कुल	285

ORGANISATION AND SUPPORT SERVICES

Branch Network

Expanding Pan India Presence

The Bank undertook branch expansion drive in 2016-17 and added 239 domestic branches during the year. As at March 2017, the Bank had 6083 branches, including 8 overseas branches.

Composition of Branch Network

Category	No. of Branches		Opened during the year
	31.03.2016	31.03.2017	
Metropolitan	1019	1228	44
Urban	1142	1138	54
Semi-urban	1815	1936	81
Rural	1865	1773	60
Overseas	8	8	--
Total Branches	5849	6083	239

Note: 5 branches were merged / closed during the year.

The Bank added 9 Specialized Branches during the year, taking the total tally under the Specialized Branches to 285 as at March 2017.

Categories of Specialized Branches	31.03.2017
SME	166
Mid Corporate	26
Micro Finance	18
Asset Recovery Management	19
Prime Corporate	12
Overseas	11
Agri-Finance	9
NRI	7
Savings	2
Industrial Finance	3
Stock Exchange	2
Capital Market	1
Mahila Banking	2
Branch for Physically Challenged	1
Specialized Govt Business Branch	6
TOTAL	285

वैकल्पिक डिलीवरी चैनल में प्रगति

2016-17 के दौरान बैंक ने 1268 एटीएम खोले जिससे एटीएम की कुल संख्या 10519 हो गई है। बैंक की डेबिट कार्ड आधार मार्च 2016 की तुलना में 3.19 करोड़ से बढ़कर 3.31 करोड़ हो गई है। बैंक के चुनिंदा शाखाओं में एटीएम, आवाज़ निर्देशन सुविधा युक्त नकद जमा कियोस्क, चेक जमा कियोस्क, पासबुक स्वमुद्रण कियोस्क, इंटरनेट बैंकिंग टर्मिनल, ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट एक्सेस सुविधा वाले 182 हार्ड टेक ई-लॉन्ज खोले हैं। चुनिंदा ई-लॉन्ज में इंटरैक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है।

विमुद्रीकरण के पश्चात ग्राहकों ने डिजिटल भुगतान चैनलों को त्वरित रूप से अपनाया है। इससे कम नकदी "कैश लेस" अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। परिणामतः यथा मार्च 2017 को ई-लेनदेन पिछले वर्ष के 54.2% से बढ़कर 64.7% हुआ। सभी डिजिटल चैनल मूल्य व लेनदेनों की मात्रा में अभूतपूर्व वृद्धि हासिल की है। नेट बैंकिंग पंजीकरण में 183% की वृद्धि दर्ज की, मोबाइल बैंकिंग लेनदेन 253% तक बढ़ गए एवं एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) पंजीकरण में 220% की वृद्धि दर्ज की है। यथा मार्च 2017 तक मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़कर 51.59 लाख हो गई और नेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या 30.40 लाख तक पहुंच गई।

ग्राहक के अनुकूल सूचना तकनीकी पहल

मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग सुविधाओं में सुधार लाने के अलावा, वर्ष के दौरान बैंक ने ग्राहकों के सुविधार्थ कई एप्प, तकनीकी / सेवा उत्पाद उपलब्ध कराए।



- बैंक ने केनरा एम्पावर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है - कई बैंक खातों तक पहुंचने के लिए एकल प्लैटफॉर्म पर एकीकृत भुगतान इंटरफेस



- बैंक ने सफलतापूर्वक केनरा एमसर्व का शुभारंभ किया है - ग्राहकों को अपने कार्ड हॉट लिस्ट और ब्लॉक / अनब्लॉक करने के लिये सक्षम बनाता है।



- केनरा स्वाइप - एकल अनुप्रयोग में सभी मिस्ड कॉल समाधान



- केनरा जियो लॉकेट - मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा केनरा बैंक के एटीएम, ई-लॉन्ज तथा शाखा का पता लगाने के लिए एक जीपीएस आधारित खोज सक्षम करता है।



- केनरा कार्ट लॉन्च किया है - एक अनुप्रयोग टोकरी जिसमें सभी मोबाइल आधारित समाधान शामिल हैं।

Progress in Digital Banking & Alternate Delivery Channels

During 2016-17, the Bank added 1268 ATMs, taking the total number of ATMs to 10519. The Bank's debit card base rose to 3.31 crore compared to 3.19 crore as at March 2016. Besides the above, 182 hi-tech E-lounges were also operational in select branches, with facilities like ATM, Cash Deposit Kiosk with voice guided system, Cheque Deposit Kiosk, Self Printing Passbook Kiosk, Internet Banking Terminal, Online Trading Terminal and Corporate Website Access. Interactive Video Conference System was also configured at select e-Lounges.

Accelerated adoption of digital payment channels by the customers have been witnessed post-demonetization. This has paved the way for moving towards a less cash economy. As a result, e-transaction percentage has jumped to a level of 64.7% as at March 2017 from 54.2% a year ago. All digital channels have witnessed exponential growth in value and volume of transactions. Net banking registrations recorded a growth of 183%, mobile banking transactions grew by 253% and Unified Payment Interface (UPI) registrations has recorded a growth of 220%. The number of Mobile Banking users increased to 51.59 lakhs and Net Banking users increased to 30.40 lakhs as at March 2017.

Customer-friendly InfoTech Initiatives

Apart from bringing improvement in the Mobile Banking and Net Banking features, during the year, the Bank introduced and improved upon several Apps, Tech-products/services for the convenience of the customers.



- **Canara Empower** - Unified Payment Interface (UPI), a single platform to access multiple bank accounts.



- **Canara mServe**, which enables customers to hot list and Block/Unblock Cards.



- **Canara Swipe**, all missed call solution in a single application.



- **Canara GeoLocate**, app for locating Branches and ATMs



- **Canara Cart**, an umbrella app containing all mobile based solutions.

- केनरा बैंक ने सफलतापूर्वक “ग्रीन पिन” एटीएम नामक एक नई सुविधा का शुभारंभ किया है, जो नये जारी किये डेबिट कार्ड के लिये पिन सृजित करने और ग्राहक द्वारा पिन भूल जाने पर नया पिन प्राप्त करने के लिये एक ऑनलाइन मॉड्यूल है।
- अब ग्राहक बिना शाखा या एटीएम गए केनमोबाइल को डॉउनलोड, पंजीकृत और सक्रिय कर सकते हैं। एटीएम के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण सक्रिय किए गए।
- सरलीकृत नई विशेषताओं के साथ इंटरनेट बैंकिंग का उन्नयन किया गया।
- आवास ऋण व कार ऋण के लिए त्वरित ऋण आवेदन पोर्टल सक्रिय किया गया।
- एसएमएस के जरिए चेक बुक मांग कार्यान्वित किया गया।
- मिस्ड कॉल / एसएमएस आधारित ई-पास शीट सृजन को लागू किया गया।



- डब्ल्यूएपी चैनल में मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से पी2यू (व्यक्ति से यूआईडीईआई) निधि अंतरण सक्रिय किया गया।
- भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कार्यान्वित की गईं; पात्र पीएमजेडीवाई ग्राहकों को ओडी सुविधा प्राप्त करने के लिए एटीएम के माध्यम से पीएमजेडीवाई ओडी ऑटोमेशन सुविधा कार्यान्वित किया गया। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा शुरू की गई। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए एटीएम, एसएमएस व इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अंशदान समर्थित किए गए।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना – 2016 समर्थित किया गया तथा उक्त योजना के लिए नेट बैंकिंग एवं शाखाओं के माध्यम से कर भुगतान सुविधा उपलब्ध करायी गयी।
- केन्द्रीय ब्याज अनुदान योजना (सीएसआईएस), मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, डॉ. अंबेडकर ब्याज अनुदान केन्द्रीय क्षेत्र योजना (एसीएसआईएस), सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार एवं पढो परदेश, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के लिए वेब पोर्टल शुरू किया गया।
- मुद्रा कार्ड योजना के तहत ओवर ड्राफ्ट खातों के लिए मुद्रा डेबिट कार्ड जारी किया गया।
- खातों में अतिदेयता को नियमित करने के लिए ग्राहकों को सूचित करने हेतु एसएमएस/ई-मेल अलर्ट कार्यान्वित किया गया।

भारत सरकार की पहल के अनुरूप डिजिटल लेनदेन को बढ़ाने के लिए बैंक, डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान, एकीकृत भुगतान (यूनिफाइड पेमेंट) इंटरफेस (यूपीआई), भीम (बीएचआईएम) एप,

- Introduced “Green PIN” functionality for enabling the customers themselves to generate Debit Card PIN at the time of Issuance of Card and also if PIN is forgotten.
- Customers can now download, register and activate CanMobile without visiting a Branch or ATM. Mobile Banking registration through ATM introduced.
- Upgraded Internet Banking released with simplified functionalities.
- Instant Loan application portal for Housing Loan and Car Loan made live.
- Implemented Cheque Book indent through SMS
- Missed call / SMS based ePass sheet generation made live



- P2U (Person to UIDAI) funds transfer through Mobile Banking in WAP channel enabled.
- Implemented Social Security Schemes of Govt. of India, PMJDY OD Automation facility for eligible PMJDY customers for availing OD facility through ATMs. Introduced facility for online account opening under Atal Pension Yojana (APY). Subscription to the Social Security Schemes through ATM, SMS and Internet Banking enabled.
- Enabled Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana Deposit Scheme and tax payment through Net Banking and Branches.
- Web Portals under education loan interest subsidy released for Central Scheme for Interest Subsidy (CSIS), Ministry of HRD, Gol, Dr. Ambedkar Central Sector Scheme of Interest Subsidy (ACSIS), Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India and Padho Pardesh, Ministry of Minority Affairs, Government of India.
- Issued MUDRA Debit Card for overdraft accounts under MUDRA Card Scheme.
- Implemented SMS/Email Alerts to NPA Borrowers intimating to regularize overdues in accounts.

To enhance digital transactions, in the line with Government of India initiatives, the Bank is onboarding merchants for increasing usage of Debit and Credit

भारत क्यूआर कोड और आधार- सक्षम भुगतान प्रणाली (ईपीएस) के उपयोग के लिए व्यापारियों को ऑनबोर्डिंग कर रहा है। बैंक, ग्राहक सुविधा और बेहतर सेवा के लिए अधिक डिजिटल पहल को लागू करने की प्रक्रिया में है।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन

बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबन्धन व साइबर धोखाधड़ी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कार्यकारी समूह (अध्यक्ष - श्री जी गोपालकृष्ण) की सिफारिश को पूर्णरूपेण लागू किया है। बैंक ने 12.04.2014 को आईएसओ 27001:2013 प्रमाणीकरण प्राप्त कर लिया है।

जनशक्ति प्रोफाइल

यथा मार्च, 2017 को बैंक में 55,717 कर्मचारी थे।

संवर्ग	मार्च 2016	मार्च 2017
अधिकारी	24174	26127
लिपिक	20194	20549
अधीनस्थ कर्मचारी*	9640	9041
कुल	54008	55717

*अंशकालिक कर्मचारी सहित (पीटीई)

बैंक के कर्मचारियों में 47% अधिकारी, 37% लिपिक व 16% अधीनस्थ कर्मचारी हैं। महिला कर्मचारी 16,589 हैं जो कि बैंक के कुल कर्मचारियों की 30% है। मार्च 2017 को भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की कुल संख्या 3,779 है। बैंक के रोल पर दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या 1337 है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने 4,952 व्यक्तियों को विभिन्न संवर्गों में नियुक्त किया है, जिसमें से 822 अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित है व 366 अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित हैं। वर्ष के दौरान विभिन्न कैडरों में 421 भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हुए हैं। वर्ष के दौरान विभिन्न कैडरों के तहत 1,498 महिला कर्मचारी नियुक्त हुईं और 769 महिला कर्मचारी पदोन्नत हुईं।

अ.जा. व अ.ज.जा. के संबंध में आरक्षण नीति

यथा मार्च 2017 को, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या बैंक के कुल कर्मचारी संख्या का 27% है। यथा मार्च 2017 को बैंक के कर्मचारियों में अ.जा. / अ.ज.जा. की संरचना निम्नलिखित है:

संवर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
अधिकारी	4694	1989
लिपिक	3843	1273
अधीनस्थ कर्मचारी	2724	500
कुल	11261	3762

Card payments, Unified Payments Interface (UPI), BHIM App, BharatQR Code and Aadhaar-enabled Payment Systems (AEPS). The Bank is in the process of implementing more digital initiatives for customer convenience and better service.

Compliance to International Standards

The Bank has fully implemented the recommendations of the RBI Working Group (Chairman, Shri G Gopalakrishna) on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds. The Bank obtained the ISO 27001: 2013 Certification on 12.04.2014.

Manpower Profile

As at March 2017, the Bank had 55,717 employees on its roll.

Cadre	March 2016	March 2017
Officers	24174	26127
Clerks	20194	20549
Sub-Staff *	9640	9041
Total	54008	55717

* Includes Part Time Employees (PTEs)

Total staff of the Bank comprised 47% Officers, 37% Clerks and 16% Sub Staff. Women staff of the Bank comprising 16,589, constituted 30% of the employees. The total number of ex-service men staff as at March 2017 stood at 3,779. There were 1337 Physically Challenged Employees on the rolls of the Bank.

During the year, the Bank recruited 4,952 in various cadres, out of which 822 belonged to Scheduled Castes (SCs) and 366 to Scheduled Tribes (STs) categories. 421 ex- servicemen were recruited in various cadres during the year. 1,498 women employees were recruited and 769 were promoted under various cadres during the year.

Reservation Policy in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

As at March 2017, the number of Scheduled Castes and Scheduled tribes together constituted 27% of the total staff strength of the Bank. The composition of SCs/STs employees as at March 2017 was as under:

Cadre	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
Officers	4694	1989
Clerks	3843	1273
Sub-Staff	2724	500
Total	11261	3762

भारत सरकार के दिशानिर्देशों अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के संबंध में बैंक आरक्षण नीति का सख्ती से अनुपालन करता है।

(क) आरक्षण नीति पद आधारित रोस्टर्स के तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित हुआ है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों अनुसार बैंक ने सभी कैडरों हेतु पद आधारित रोस्टर्स के तंत्र पर स्विच ओवर कर लिया है।

(ख) सरकार के दिशानिर्देशों अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वाले अभ्यर्थियों के संबंध में सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति हेतु भी बैंक ने आरक्षण / रियायत / छूट प्रदान की है।

(ग) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वाले अभ्यर्थियों को पूर्व-नियुक्ति व पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण दिया जाता है। लिपिक व अधिकारी संवर्ग में भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मांगनेवाले विज्ञापन में एससी / एसटी / पीडब्ल्यूडी / अल्पसंख्यक समुदाय / भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को पूर्व-नियुक्ति प्रशिक्षण दिए जाने के संबंध में एक विशेष संदर्भ दिया जाता है। इनमें से वे अभ्यर्थी, जिन्होंने पूर्वनियुक्ति प्रशिक्षण का विकल्प चुना है, को लिखित परीक्षा व साक्षात्कार दोनों के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि करीब 2 हफ्ते हैं। अध्ययन सामग्री, नोटबुक, स्टेशनरी सभी अभ्यर्थियों को निःशुल्क दिया जाता है। जहाँ भी संभव हो, संबंधित राज्य सरकार भी सरकारी / पिछड़े वर्ग के हॉस्टल में रहने की सुविधा उपलब्ध कराती है।

(घ) बैंक ने रोस्टर के अनुरक्षण को व आरक्षण नीति के अन्य पहलुओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु प्रधान कार्यालय में और साथ ही अंचल कार्यालयों में भी अ.जा. / अ.ज.जा. कक्ष स्थापित किया है।

(ङ) आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु प्रधान कार्यालय में मुख्य संपर्क अधिकारी को नामांकित किया गया है और अंचल कार्यालय में भी संपर्क अधिकारी को नामांकित किया गया है।

आगे, प्रत्यक्ष रूप से या तो अ.जा. / अ.ज.जा. संघ के माध्यम से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से प्राप्त अभ्यावेदनों पर मुख्य संपर्क अधिकारी / संपर्क अधिकारी द्वारा ध्यान दिया जायेगा। जहाँ भी आवश्यक हो, आवश्यक पूछताछ की जायेगी व उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के रिकॉर्डिंग हेतु एक अलग

The Bank has been strictly adhering to the Reservation Policy in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per the Government of India guidelines.

(a) Reservation Policy is implemented through mechanism of Post Based Rosters. In terms of the directives of the Ministry of Finance, Government of India, Bank has switched over to Post Based Rosters for all cadres.

(b) The Bank has been extending Reservation/ Relaxations / Concessions in Direct Recruitment as well as in promotions to candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per the Government guidelines.

(c) Pre-recruitment & Pre-promotion training is given to candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In the Advertisement inviting application from the eligible candidates for recruitment to Clerical Cadre, a specific reference is made with regard to imparting of pre-recruitment training to candidates belonging to SC / ST / PWD / Minority Communities / Ex-SM. Pre-recruitment training for Officer Cadre is provided to candidates belonging to SC / ST & Minority Communities. Such of those candidates who opt for pre-recruitment training are given training to prepare themselves for written test as well as interview. The duration of the training is for a week.

(d) The Bank has setup SC / ST Cell at the Head Office and also at Circle Offices to ensure maintenance of Rosters and proper implementation of other aspects of Reservation Policy.

(e) Chief Liaison Officer has been nominated at Head Office and Liaison Officers have been nominated at Circle Offices for ensuring implementation of Reservation Policy.

Further, representations received from Scheduled Caste / Scheduled Tribe employees, either directly or through the SC / ST Associations, are being looked into by the Liaison Officer / Chief Liaison Officer. Wherever required, necessary enquiries are conducted & appropriate action is taken. A separate register is maintained for recording various representations received from Scheduled Caste /

से रजिस्टर रखा जाता है और की गयी कार्रवाई को भी रजिस्टर में नोट किया जाता है।

उपरोक्त के अलावा, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति कर्मचारी के प्रतिनिधियों को बैंक के मुख्य कार्यपालक के साथ तिमाही बैठक हेतु बुलाया जाता है जहाँ आरक्षण नीति पर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर परिचर्चा की जाती है। अंचल कार्यालयों में भी तिमाही बैठक की जाती है जहाँ रोस्टर रखा जाता है व यदि कोई शिकायत हो तो संपर्क अधिकारी द्वारा उसका निवारण किया जाता है।

(च) बैंक के निदेशक मंडल भी आरक्षण नीति में हुए कार्यान्वयन पर अर्द्ध वार्षिक व वार्षिक आधार पर समीक्षा करती है।

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) गतिविधियाँ

बदलते हुए बैंकिंग परिदृश्य के अनुकूल होने हेतु बैंक की मानव संसाधन नीतियों को परिवर्तित किया गया है। फ्रंट लाइन कर्मचारियों में व्यवहारिक परिवर्तन लाने हेतु एचआर पहल जैसे सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से कार्यपालकों को संवारना तथा अन्य महत्वपूर्ण एचआर टूल्स जैसे स्टडी सर्किल, कर्मचारी बैठक व मस्तिष्क मंथन सत्र को प्रभावी टीम निर्माण और सामूहिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किया गया। कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं से शिक्षित करने के लिये विभिन्न कॉर्पोरेट संप्रेषणों को लाया गया है।

कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, बेंगलूरु द्वारा एक उच्च संचेतन प्रशिक्षण कार्यक्रम, नामतः "उत्थान" आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को बड़ी संख्या में युवा कर्मचारियों को सशक्त करने के लिए प्रदान किया जाता है, जिन्हें हाल ही में भर्ती किया गया है और अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों को भी संगठन के विकास के प्रति कॉर्पोरेट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक की संस्कृति, लोकाचार, भावना, अपनत्व, स्वामित्व और ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता के संबंध में उन्हें संवेदित करके प्रोत्साहित किया जाता है। बैंक ने विस्तृत प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को उजागर किया है जो कि आंतरिक प्रशिक्षण, बाह्य प्रशिक्षण, इन-कंपनी प्रशिक्षण व विदेशी प्रशिक्षण को कवर करता है। आंतरिक रूप से, बैंक का बेंगलूरु में कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय है और 23 क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय है।

वर्ष के दौरान बैंक ने साख अभिमुखीकरण, विपणन कौशल, अधिकारियों, कृषि विस्तारण अधिकारियों व विशेषज्ञ अधिकारियों हेतु प्रवेश कार्यक्रम को कवर करते हुए 72,451 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है। प्रशिक्षित कर्मचारियों में से 14,878 व्यक्ति अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, 5,139 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हैं। कुल प्रशिक्षित कर्मचारियों में से 22,895 महिला

Scheduled Tribe employees and the action taken is also recorded in the register.

In addition to the above, the representatives of majority Scheduled Caste / Scheduled Tribe Employees' Association are invited for Quarterly Meeting with the Chief Executive of the Bank to discuss on the implementation of guidelines on reservation policy. Quarterly Meetings are also held at Circle Offices, where Rosters are maintained and grievances, if any, are redressed by the Liaison Officer.

(f) The Board of Directors of the Bank also review the progress made in the implementation of Reservation Policy, half yearly and yearly.

Human Resource Development (HRD) activities

The HR policies of the Bank have been revisited to suit the changing banking scenario. HR initiatives, like, 'Soft skill training programme' for bringing attitudinal change among frontline staff and Executives grooming through reputed institutes and other significant HR tools, like, Study Circles, Staff Meetings and Brain Storming Sessions have been implemented for effective team building and fostering collective excellence. Various Corporate Communications were brought out to boost the morale of the employees and educate them in various facets of banking.

A high sensitization training programme christened "UTTHAN" has been conducted by the Staff Training College (STC), Bengaluru. The training programme is imparted to empower large number of young employees who have been recently recruited and also other senior employees by sensitizing them regarding Bank's culture, ethos, sense of belongingness, ownership and concern for customers with view to achieving the corporate objectives towards organization growth. The Bank has in place an exhaustive training process that cover Internal Training, External Training, In Company Training and Foreign Training. Internally, the Bank has STC at Bengaluru and 23 Regional Staff Training Colleges (RSTCs) across the country.

During the year, the Bank has trained 72,451 employees, covering a wide range of functional areas, including Credit Orientation, Marketing Skills, Induction Programme for Officers, Agriculture Extension Officers and Specialist Officers. Out of the trained staff, 14,878 personnel belonged to the Scheduled Caste category and 5,139 belonged to the Scheduled Tribe category. The total employees trained include 22,895 women employees.

कर्मचारी हैं। बैंक ने कई नये प्रशिक्षण कार्यक्रम रूपायित व कार्यान्वित किये हैं जैसे धोखाधड़ी जागरूकता व निवारण, प्राथमिकता साख, ग्रामीण विकास व वित्तीय समावेशन, एमएसएमई, सेवा मामले, सेबी दिशानिर्देशों पर अनुपालन, कोर बैंकिंग से परे – ग्राहक विश्लेषिकी आदि।

बैंक ने अभिनव कार्यक्रम के तहत प्रतिभा बैंक कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें स्केल – 1 से स्केल – 4 तक के अधिकारी शामिल हैं और पहचान किए गए महत्वपूर्ण या विशेष क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण कार्य करने को तैयार हैं। इस योजना के तहत 1,096 अधिकारियों का चयन किया गया है। 2 चरणों में गहन साख प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साख में विशेषज्ञता लाने हेतु कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा स्केल I से स्केल III तक के अधिकारियों के लिए रूपायित विशेषीकृत गहन कार्यक्रम है। साख पर गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम ने 1000 से अधिक अधिकारियों के एक प्रतिभा पूल का निर्माण किया है।

आगे, विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे कि आईआईएम, आईडीआरबीटी, सीएबी (आरबीआई), एनआईबीएम, आईएमआई, एक्सएलआरआई, आईआईसीए, क्रिसिल व एसआईबीएसटीसी पर केन्द्रित ध्यान व आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यबल की दक्षता बढ़ाने के लिए बैंक की खोज जारी है। स्वनिर्धारित कार्यक्रम भी आयोजित किये गये हैं ताकि कुछ मुख्य क्षेत्रों में यथा, साख, जोखिम प्रबंधन, कोष परिचालन व सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता का विकास किया जा सके।

वरिष्ठ प्रबंधन स्तर / उच्च प्रबंधन स्तर के कार्यपालकों हेतु आवश्यकता के आधार पर विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। बैंक अपने अधिकारियों के कौशल स्तर में प्रशिक्षण हस्तक्षेप व उन्हें नवीकृत ऊर्जा व उत्साह के साथ निष्पादन करने के लिये प्रोत्साहित करने के माध्यम से काफी हद तक योगदान करने में सफल रहा है। मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की उप समिति को, मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा व सुधार करने हेतु और कर्मचारियों के कार्य पहल को संवर्द्धित करने हेतु सुझाव देने के लिये, गठित किया गया है।

वर्ष 2016-17 के दौरान संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन

संगठनात्मक डिजाइन और संरचना की समीक्षा की गई और आगे सुधार के लिए और परिचालन उत्कृष्टता लाने के लिए अध्ययन किया गया। ग्राहकों और शाखाओं के साथ अधिक कनेक्ट होने के लिए 1 जुलाई 2016 से बैंक अपने खुदरा व्यापार के लिए पूर्व के 3 टियर संरचना, जिसमें प्रधान कार्यालय, 47 अंचल कार्यालय एवं शाखाएं शामिल थे, से 4 स्तरीय ढांचे में स्थानांतरित हो गया है, जिसमें प्रधान कार्यालय, 21 अंचल कार्यालय, 118 क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाएं

The Bank has designed and implemented several new training programmes, including credit management and decision making skills, credit appraisal programme for Branch Managers and workshop on recovery aspects for Executives.

Under a novel programme, viz., Talent Bank Scheme, a talent pool was formulated, comprising Officers from Scale I to Scale IV, who are willing to take up challenging assignments in the identified critical or specialized areas. 1096 Officials have been selected under the Scheme. Intensive Credit Management Programme is being conducted in 2 phases. This is an in-depth and exhaustive programme on credit matters evolved by Staff Training College, for Officers in Scale I – III, to build specialization in credit. Intensive Training Programme on Credit over the years has built a talent pool of over 1000 Officers.

Further, the Bank's quest to enhance the competencies of the workforce continued through focused and need based training at various institutes of repute, like, IIMs, JNIBF, ISB, XLRI and NIBM, etc. Customized programmes are also organized to develop expertise in certain niche areas, like, Credit, Risk Management, Treasury Operations and IT.

Specialized trainings to the Senior Management Level and Top Management Level Executives were conducted based on the requirement. The Bank has been able to add substantially to the skill level of its Officials through training intervention and motivating them to perform with renewed vigour and enthusiasm. A governing body for the training setup, headed by the Managing Director & CEO has been established to monitor and streamline the training policies of the Bank.

Changes brought about in the organizational set up during 2016-17

Organizational design and structure was reviewed and studied for further improvement and bringing in operational excellence. To establish more connect with customers and branches, from July 1, 2016, the Bank completely moved to a 4 tier structure for its retail business, comprising Head Office, 21 Circle Offices, 118 Regional Offices and Branches from earlier 3 tier structure, consisting of Head Office, 47 Circle Offices and Branches.

शामिल हैं। इसके अलावे बैंक ने प्रधान कार्यालय में प्राइम कॉर्पोरेट साख विभाग के तहत 12 प्राइम कॉर्पोरेट शाखाओं के साथ अपने कॉर्पोरेट व्यवसाय के लिए 2 स्तरीय ढांचे को भी स्थापित किया है। प्रधान कार्यालय में विभागों के कार्यों के पुनर्गठन के बाद, कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, अनुपालन प्रभाग और कॉर्पोरेट संचार विभाग के अलावा प्रधान कार्यालय में 21 विभाग हैं।

इससे पहले, बैंक ने विभिन्न परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके, जैसे ग्राहक के संतुष्टि के लिए बेहतर शाखा लेआउट और ग्राहक सेवा, गुणवत्तायुक्त सेवा वितरण और सेवा समय में कमी, स्वयं सेवा मशीन और वैकल्पिक चैनल में लेनदेन बढ़ाने के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा, बिक्री संस्कृति को ध्यान में रखकर और व्यापार पर, मुख्यतया कासा एवं शुल्क आय वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करके, बैंक को फिर से जीवंत करने के उद्देश्य से 'प्रोजेक्ट शिखर' शुरू किया था। शाखाओं का कायाकल्प करने के दौरान 'शिखर शाखाओं' की संख्या 1211 तक बढ़ गई जिसमें 165 शाखाएं 5 सितारा श्रेणी के अंतर्गत और 67 शाखाएं 4 सितारा श्रेणी के अंतर्गत मार्च 2017 तक की गयी।

विपणन और प्रचार

ग्राहकों की सुविधा के लिए विपणन ने कासा हिस्से में सुधार, खुदरा कारोबार, सहबद्ध संस्थाओं के साथ कारोबार आय, अधिकतम वैलेट और विविध प्रौद्योगिकी उत्पादों और सेवाओं का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बैंक ने विपणन को और मजबूत बनाने के लिए वर्ष के दौरान कई विशेषज्ञ कार्मिकों को संगठन से जोड़ा और एक प्रभावी अग्रणी प्रबंधन प्रणाली के साथ, सभी अंचल कार्यालयों में विशेष विपणन कार्यपालकों द्वारा पर्यवेक्षित विपणन अनुभाग का गठन किया। वर्ष के दौरान कई अभियानों के माध्यम से बैंक के उत्पादों की विक्रय व प्रति बिक्री करने के लिए विपणन ढांचा ने कई पहल की।

बैंक ने अपनी ब्रांड छवि को और बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान कई नए उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रचार अभियानों का शुभारंभ किया और विज्ञापन, सामाजिक मीडिया और विपणन संपार्श्विकों जैसे सभी साधनों का प्रभावी इस्तेमाल किया। बैंक, स्वास्थ्य बीमा के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक महीने के 5 तारीख को "ग्राहक सहायता दिवस" का आयोजन कर रहा है। पर्याप्त जीवन बीमा के महत्व के संबंध में ग्राहकों को शिक्षित करने एके लिए महीने के 15 तारीख को "ग्राहक सुरक्षा दिवस" का आयोजन कर रहा है।

The Bank has also put in place a 2 tier structure for its corporate business with 12 Prime Corporate Branches under Prime Corporate Credit Wing at Head Office. Post reorganization and re-alignment of functions of Wings at Head Office, there were 21 Wings at HO apart from Staff Training College, Compliance Department and Corporate Communications Department.

Earlier, the Bank had launched 'Project Shikhar' aimed at rejuvenating the Bank by focusing on various themes, like, better branch layout & customer service for customer delight, quality service delivery & reduction in service time, focus on digital banking by promoting transactions on self service machines and alternate channels, inculcating sales culture and focus on business, particularly CASA and fee income growth. In the journey of transformation of branches, number of 'Shikhar Branches' rose to 1211, with 165 branches under star 5 and 67 under star 4 categories as at March 2017.

Marketing and Publicity

The Marketing Vertical has played a significant role in improving the CASA share, retail business, fee income from the Associate Parties business, wallet maximization and propagating the multifarious technological products and services for the benefit of the customers.

The Bank further strengthened marketing vertical during the year by inducting specialized personnel into the setup, with the support of Marketing Sections in all Circle Offices, overseen by the dedicated Marketing Executives and lead management system. Marketing set up has taken initiatives in cross selling and up selling of Bank's products by launching several campaigns during the year.

The Bank also launched publicity campaigns for its several new products and services introduced during the year and used effectively all channels of communication, including advertising, social media and marketing collaterals to enhance its brand image. The Bank is observing 5th of every month as "Help Our Customer Day" to create awareness about Health Insurance and "Protect Your Customer Day" on 15th of every month to educate customers on importance of adequate Life Insurance across branches.

ग्राहकोन्मुखता

त्वरित सेवा उपलब्ध कराने, विविधीकृत उत्पाद / सेवाएं देने, ग्राहकों की पूछ-ताछ का जवाब व ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के द्वारा बैंक ग्राहक की अपेक्षाओं के अनुरूप कदम उठाता है। बीसीएसबीआई द्वारा जारी की गई 'ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता' और 'संशोधित नागरिक चार्टर' बैंक की वेबसाइट <www.canarabank.com> पर उपलब्ध है। भारतीय बैंक संघ और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुरूप बैंक ने नये रूपयित भारतीय रिजर्व बैंक की ग्राहक अधिकार नीति को जुलाई 2015 से स्वीकार किया है जो ग्राहकों के अधिकार और बैंक की जिम्मेदारी को परिभाषित करती है। शाखाओं द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सेवा का मूल्यांकन करने और उसकी प्रतिसूचना प्राप्त करने के लिए बैंक की वेबसाइट के होम पृष्ठ में एक 'ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण प्रपत्र' उपलब्ध कराया गया है। दामोदरन समिति सिफारिशों के अनुसार बैंक ने मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (सीसीएसओ) की नियुक्ति की है जो बैंक के आंतरिक लोकपाल के रूप में कार्य करेंगे। ग्राहकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए वर्ष के दौरान 16.11.2016 से 30.11.2016 तक ग्राहक पखावाड़े का आयोजन किया गया।

आगे, वर्ष के दौरान, देश भर में बैंक द्वारा बाह्य एजेंसी के माध्यम से ग्राहक सेवा और ग्राहक संतुष्टि को परखने के लिए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण का आयोजन किया गया।

वर्ष के दौरान ग्राहक सेवा में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए ग्राहक केन्द्रित पहल जैसे स्वागत डेस्क, कतार प्रबंधन प्रणाली, एकल खिड़की परिचालन और ग्राहकों द्वारा प्रतीक्षारत होने पर बैठने के लिए 'ग्राहक प्रतीक्षालय क्षेत्र' नाम से बड़े क्षेत्र का आवंटन से सुसज्जित 'प्रोजेक्ट शिखर' नाम से शाखाओं का कायाकल्प किया गया। ग्राहक सुविधा संवर्धन पहल के रूप में बैंक ने विभिन्न ऐप्प जैसे, केनरा स्वाइप के माध्यम से मिस्ड कॉल सुविधा, केनरा एम्पावर, इंटरनेट बैंकिंग व मोबाइल बैंकिंग, केनरा ई-इन्फोबुक, केनरा एम-सर्व, केनरा जियो लोकेट एवं केनरा ईजी कैश आदि को विभिन्न स्तरों पर लोकप्रिय बनाया है। इसके अलावे, कॉल सेंटर, एकल संपर्क संख्या 18004250018 के साथ हिन्दी और अंग्रेज़ी भाषा के अलावा 6 क्षेत्रीय भाषाओं यानि कन्नड, मलयालम, मराठी, तमिल, ओडिया और तेलगु में ग्राहकों को शिकायत निवारण सेवाएं उपलब्ध कराता है।

बैंक ने केनरा सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल के तहत वेबसाइट में शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा, 'केनरा सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली'

Customer Orientation

Several initiatives were taken to remain customer focused through providing fast service, bringing in diversified products & services, responding to customers' queries and redressal of customer complaints. The 'Code of Commitment to Customers' issued by Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and 'Revised Citizen's Charter' of Indian Banks Association (IBA) is available in the Bank's homepage of the website <www.canarabank.com>. As per the instructions of IBA and RBI, the Bank has adopted the newly formulated Customer Rights Policy of RBI since July 2015, which spells out the Rights of the Customers and also responsibilities of the Banker. To assess the quality of customer service rendered by the branches and to get the feedback, Grievance Redressal – At Canara Bank we love to listen and a 'Customer Satisfaction Survey Form' made available in the Bank's homepage of its website. As per Damodaran Committee recommendations, the Bank has appointed a Chief Customer Service Officer (CCSO), who acts as an Internal Ombudsman of the Bank. Customers' fortnight was conducted from 16.11.2016 to 30.11.2016, inviting suggestions from customers.

Further, during the year, the Bank undertook a Customer Satisfaction Survey through a professional External Agency to assess the level of customer service and customer satisfaction across the Country.

In order to enhance customer focus the '**Project Shikhar – Branch Transformation**' was implemented during the year wherein various customer centric initiatives, like, Welcome Desk, Queue Management System (QMS), Single Window Operation and allocation of larger space for 'Customer Waiting Area' etc., along with self-service kiosks are put in place. In order to enhance customer convenience, the Bank also made efforts at various levels to popularize various Apps, like, Missed Call Facility through Canara Swipe, Canara Empower, Internet and Mobile Banking, Canara e-info book, Canara mServe, Canara Geo locate and Canara Easy Cash facilities etc. Besides, a Call Center with single point contact Toll Free Number 18004250018 is functioning to cater to customers in 6 regional languages of Kannada, Malayalam, Marathi, Tamil, Oriya and Telugu, besides Hindi and English for redressal of grievances.

The Bank has implemented online grievance redressal facility for customers in the website for lodging grievances online under the portal '**Canara Public Grievance**

(सीपीजीआरएस) कार्यान्वित की है। कॉल सेंटर में प्राप्त शिकायतों को भी सीपीजीआरएस पैकेज के साथ एकीकृत किया गया। वर्ष के दौरान 7,896 शिकायतें सीपीजीआरएस में पंजीकृत की गईं तथा सभी शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के अंदर निवारण भी किया गया। पेंशन संचालन के लिए तथा पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए केन्द्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण कक्ष का गठन किया गया है। खाता खोलने के लिए भी चुनिंदा जगहों पर 42 केन्द्रीकृत प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना की है।

वर्ष के दौरान केरल के वैत्तिरी, पुलिककल एवं सुल्तान बत्तरी में बैंकिंग लोकपाल, भारतीय रिज़र्व बैंक के संग व बीसीएसबीआई के संयोजन में गुडगाँव, लुधियाना, नासिक, कोच्चि एवं कोलकाता में 'टाउन हॉल ग्राहक बैठक' का आयोजन किया गया।

पद्धति एवं प्रक्रियाएं

वर्ष के दौरान, ऑन साइट आर.बी.आई.ए. के लिए चयनित 4293 शाखाओं / इकाइयों में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आर.बी.आई. ए.) संपन्न की गयी। आर.बी.आई.ए. के साथ-साथ सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा भी संपन्न की गयी। 963 चुनिंदा शाखाओं / इकाइयों में संगामी / सतत लेखापरीक्षा संपन्न की गयी जिसमें से 225 इकाइयाँ आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा संगामी / सतत लेखापरीक्षा के अधीन हैं तथा 738 शाखाएं / इकाइयाँ बाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा संगामी लेखापरीक्षा के अधीन हैं जिसमें बैंक का 70% कारोबार शामिल है। 2304 शाखाएं आय / राजस्व लेखापरीक्षा के अधीन हैं जिसमें तिमाही आधार पर आय लेखापरीक्षा के लिए चयनित शाखाएं भी शामिल हैं।

वर्ष के दौरान शाखाओं, इकाइयों एवं अंचलों के आर.बी.आई.ए. के लिए जोखिम रेटिंग मैट्रिक्स में पूर्व के 3 श्रेणी (निम्न, मध्यम एवं उच्च) के स्थान पर 4 श्रेणी - ए (निम्न), बी (सामान्य), सी (मध्यम) एवं डी (उच्च) किया गया।

बैंक ने पहले ही शाखाओं के आरबीआईए के लिए 'दरपन' नामक वेब आधारित ऑडिट पैकेज के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत लेखापरीक्षा का कार्यान्वयन किया है। चालू वर्ष के दौरान 'दर्पण' का दायरा समवर्ती लेखापरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय लेखापरीक्षा, अंचल लेखापरीक्षा, आईएस लेखापरीक्षा, केवाईसी लेखापरीक्षा आदि के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव है। शाखाओं के मामले में, जिन्होंने धोखाधड़ी का सामना किया है, जोखिम स्थिति को फिर से वर्गीकृत करने के लिए और उनकी रेटिंग को "उच्च" या "एक निशान कम" (उच्च जोखिम श्रेणी) तक कम करने के लिए आरबीआईए में उचित प्रावधान किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक / वित्तीय सेवाएं विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने 1006 शाखाओं में अपने आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यबल के माध्यम से एसबीएन (निर्दिष्ट बैंक नोट्स) लेखापरीक्षा किए, जिसमें

Redressal System (CPGRS): The complaints received at Call Centre were also integrated with CPGRS package. During the year, Call Centre registered 7896 grievances in CPGRS and all grievances were redressed as per prescribed time norms. Centralized Pension Processing Cell has been established exclusively for handling pensions and resolving pension related grievances. 42 Central Processing Centres were functioning at selected places for account opening purposes.

During the year, 'Town Hall Customers Meet' was held at Vythiri, Pulikal and Sultan Bathery in Kerala in association with the Banking Ombudsman, RBI and Customer Meets were conducted at Gurgaon, Ludhiana, Nasik, Kochi and Kolkata in association with BCSBI.

Systems and Procedures

Risk based Internal Audit (RBIA) was conducted in 4293 branches / units programmed for onsite RBIA during the year. Information Security audit was conducted along with RBIA. Concurrent / continuous audit was conducted in 963 branches / service units, of which 225 branches /units were subjected to concurrent / continuous audit by Internal Auditors and 738 branches / service units were subjected to concurrent audit by External Auditors, covering 70% of the total business of the Bank. 2304 branches were subjected to income/revenue audit, which included branches identified for income audit on quarterly basis.

A revision in the risk rating matrix for RBIA of Branches, Units and Circles was made from earlier 3 scales (Low, Medium and High Risk) to 4 Scales - A (Low), B (Normal), C (Moderate) and D (High) during the year.

The Bank has already implemented Computerized Audit through Web Based Audit Package called, 'DARPAN', for RBIA of branches. The scope of such DARPAN is proposed to be extended for Concurrent Audit, RO Audit, Circle Audit, IS Audit, KYC Audit etc., during the current year. In case of branches which were witness to frauds, suitable provisions made in RBIA to re-rate the risk gradation and reducing their rating to either "High" or "A notch Lower" (higher risk grade).

As per the directions of RBI / DFS, Ministry of Finance, the Bank undertook SBN (Specified Bank Notes) audits through its Internal Audit Workforce in 1006 branches, including branches situated at border areas, far flung areas, North-East and Left Wing Extremism affected

सीमा क्षेत्रों, दूर-दराज के क्षेत्रों, उत्तर-पूर्व और वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र शामिल हैं। निकट वास्तविक समय आधारित लेनदेन का निरीक्षण करने के लिए ऑफ साइट निगरानी को और मजबूत किया गया। कुछ पहचानकृत परिदृश्यों पर रिपोर्ट तैयार की गई हैं और एसबीएन सत्यापन सहित लेनदेन की समीक्षा और निगरानी के लिए अंचल कार्यालयों को उपलब्ध कराया गया है।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण

वित्तीय वर्ष 2014-15 से वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (ए एफ आई) के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आर बी एस) व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया है। वर्तमान में इसने आर बी एस का तृतीय चरण पूरा कर लिया है। आर बी एस रूपरेखा को जोखिम और पूंजी का मूल्यांकन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एस पी ए आर सी) नाम दिया गया है। जोखिम और पूंजी के मूल्यांकन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एस पी ए आर सी) के अंतर्गत ऑफसाइट और ऑनसाइट खोज प्रक्रिया (आर डी वाई) के माध्यम से क्रमिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का एक विस्तृत गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन किया जाता है।

अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.) / एएमएल / सीएफटी

अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.), धन शोधन निवारक (ए.एम.एल.), और आतंकवाद वित्तपोषण से निपटने (सी.एफ.टी.) के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विभिन्न उपाय किये गये।

कुछ प्रमुख उपलब्धियां एवं किये गये पहल निम्नानुसार हैं :

- एएमएल / एसडीएन अलर्ट के अनन्य प्रसंस्करण एवं निगरानी के लिए 30 जून, 2016 को एएमएल / सीएफटी केन्द्रीकृत इकाई का गठन किया गया।
- केवाईसी / एएमएल / सीएफटी दिशानिर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली जाँच / संवर्धन उपलब्ध है।
- व्यापार आधारित धन शोधन (टीबीएमएल) अलर्ट के लिए प्रणाली जाँच व संवर्धन कार्यान्वित किया गया।
- दिनांक 09.09.2016 को गुडगाँव में एवं दिनांक 17.09.2016 के बेंगलूरु में एएमएल/सीएफटी/केवाईसी पर दो संचेतन कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- दिशानिर्देशों को जारी करके तथा आवधिक प्रशिक्षणों के माध्यम से शाखा / अंचल / क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों को उक्त के संबंध में अवगत कराया गया।
- वर्ष 2016-17 के दौरान एएमएल / सीएफटी केन्द्रीकृत इकाई 5899 संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) दर्ज की एवं भारतीय वित्तीय आसूचना इकाई (एफआईयू) के 5 लाल फ्लैग संकेतकों के आधार पर विमुद्रीकरण के संबंध में 28061 एसटीआर दर्ज किए।

areas. Off Site monitoring was further strengthened to have an oversight of transactions on a near real time basis. Reports on certain identified scenarios have been generated and made available to Circles Offices for review and monitoring of transactions, including SBN verification.

Risk Based Supervision

The Bank is brought under Risk Based Supervision (RBS) regime by RBI, in lieu of Annual Financial Inspection (AFI) from 2014-15. Presently, the Bank has completed the 3rd cycle of RBS. RBS framework is named as Supervisory Programme for Assessment of Risk and Capital (SPARC). Under SPARC, a detailed qualitative and quantitative assessment of the Bank's risks is made by the RBI on an on-going basis through a combination of offsite and onsite Risk Discovery Process (RDY).

Know Your Customers (KYC)/AML/CFT

The Bank undertook various measures for the effective implementation of guidelines on Know Your Customer (KYC), Anti Money Laundering (AML) and Combating Financing of Terrorism (CFT).

Some of the major achievements and initiatives taken were as under:

- AML/CFT centralized unit formed on 30th June 2016 for exclusive processing and monitoring of AML/SDN (Specially Designated Nationals) alerts.
- System checks/enhancements are put in place to ensure compliance to guidelines on KYC/AML/CFT.
- System checks and enhancements implemented for Trade Based Money Laundering (TBML) alerts.
- Two AML/CFT/KYC sensitization programmes were conducted on 09.09.2016 at Gurgaon and on 17.09.2016 at Bengaluru.
- Branch/Circle/Regional Office staff members were sensitized by way of issuance of guidelines and periodical training.
- AML/CFT Centralized unit has filed 5899 Suspicious Transaction Reports (STRs) during 2016-17 and 28061 STRs on account demonetization based on 5 Red Flag indicators of Financial Intelligence Unit (FIU) India.

- केवाईसी कक्ष को केवाईसी से संबंधित सभी मामलों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, सेरसाई आदि के एकल संपर्क बिंदु के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।
- केवाईसी कक्ष सेरसाई / केन्द्रीय केवाईसी रिपोर्टिंग के साथ पंजीकृत है।

सतर्कता व्यवस्था

बैंक के सतर्कता विभाग का नेतृत्व महा प्रबंधक श्रेणी के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है। उनका समर्थन प्रधान कार्यालय, सभी अंचलों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और बैंक के अनुषंगियों के सतर्कता अधिकारियों द्वारा किया जाता है। अनुशासन और विकास सुनिश्चित करना, मिलकर आगे बढ़ना और बैंक को अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करना सतर्कता विभाग के मुख्य उद्देश्य हैं। संगठन के सर्वांगीण विकास के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक में सतर्कता प्रबंधन में निवारक, सहभागिता और दंडात्मक कार्य शामिल हैं। इन लक्ष्यों को विभिन्न माध्यमों और चैनलों के माध्यम से अपनाया जाता है और प्रचार किया जाता है।

सतर्कता जागरूकता अभियान के हिस्से के रूप में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार, बैंक द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 2016 से 05 नवंबर 2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। सतर्कता सप्ताह एवं इसकी महत्ता के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए देश के विभिन्न केन्द्रों में अंचल कार्यालय एवं शाखाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जैसे वाद-विवाद प्रतियोगिता, वक्तव्य प्रतियोगिता एवं प्रश्नोत्तरी का आयोजन, 89 विद्यालय और महाविद्यालयों में, वर्ष के सतर्कता थीम **“ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को खत्म करने में सार्वजनिक भागीदारी”** को उभारते हुए, किया गया।

प्रधान कार्यालय में दिनांक 02 नवंबर 2016 को श्री एन संतोष हेगडे, भूतपूर्व लोकायुक्त, कर्नाटक ने सभी प्रतिभागियों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के संबंध में संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की गई। समारोह में कार्यपालकगण श्री हरिदीश कुमार बी, श्री दीनबन्धु महापात्र एवं श्रीमती पी वी भारती उपस्थित रहे। दिनांक 21.10.2016 को चुनिंदा अंचल कार्यालयों के सतर्कता अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

सभी केन्द्रीय और राज्य स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक और अन्य वित्तीय संस्था में सतर्कता के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रवर्तित करने के लिए मेसर्स सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम संस्था, हैदराबाद द्वारा बैंक को लगातार चौथी बार **“सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार 2016-17”** से सम्मानित किया गया।

- KYC Cell has been designated as one point contact for RBI, Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India (CERSAI) etc for all KYC matters.
- KYC Cell has registered with CERSAI / Central KYC reporting.

Vigilance Setup

The Vigilance Wing of the Bank is headed by a Chief Vigilance Officer (CVO). The CVO is assisted by the Vigilance Officers stationed at Head Office, all Circle Offices, RRBs and the Bank's Subsidiaries. The objectives of the Vigilance Wing are to ensure that discipline and development, go in tandem and help the Bank to reach greater heights. With an objective to ensure free, fair and healthy environment for all-round growth of the organization, the Vigilance Management in the Bank comprised preventive, participative and punitive functions. These goals are pursued and promoted through various means and channels.

As a part of the Vigilance Awareness campaign, Canara Bank observed 'Vigilance Awareness Week' from 31st October 2016 to 5th November 2016 as per the directives of Central Vigilance Commission. Various programmes were conducted throughout the country with the support of Circle offices and branches to spread awareness regarding observance of Vigilance Week and its importance. Programmes, like, debates, impromptu speeches and quizzes were organized at 89 schools and colleges highlighting the theme **“Public participation in Promoting Integrity and Eradicating Corruption”** across the country.

On this occasion, on 2nd November 2016, Shri N Santosh Hegde, former Lokayukta, Karnataka, addressed the gathering on the theme of Vigilance Awareness Week. The function was presided over by Shri Rakesh Sharma, MD&CEO of the Bank in the presence of Shri Harideesh Kumar B, Shri Dinabandhu Mohapatra and Smt. P V Bharathi, Executive Directors of Bank. A one day workshop was organized for select Circle Vigilance Officers at Head Office on 21.10.2016.

Canara Bank is conferred with **“Corporate Vigilance Excellence Award-2016-17”** in the Banking Sector consecutively for the fourth year, instituted by M/s Institute of Public Enterprise, Hyderabad, for promoting excellence in the field of Vigilance amongst all PSBs / PSUs.

सुरक्षा प्रबंध

कुल 6075 शाखाओं और 104 मुद्रा तिजोरियों में से बैंक ने 52 शाखाओं को उच्च जोखिम, 1635 शाखाओं को मध्यम जोखिम और 4388 शाखाओं को कम जोखिम वाली शाखाओं के रूप में पहचान की है। सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षा अधिकारियों द्वारा इन शाखाओं का दौरा किया गया। वर्ष के दौरान सभी संवेदनशील करेंसी चेस्ट का दौरा मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक एवं राज्य पुलिस प्राधिकरण के अनुदेशानुसार बैंक ने निम्नलिखित पहल शुरू किए हैं:

क) सभी शाखाओं, मुद्रा तिजोरियों एवं एटीएम में सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं डी.वी.आर. लगाये गये हैं।

ख) देशभर के 1558 एटी.एम पर खतरे की संभावना और स्थानीय पुलिस के दिशा-निर्देश अनुरूप निजी सुरक्षा गार्डों को तैनात किया गया है।

सभी सुरक्षा उपकरण, जिनमें आग सुरक्षा उपायों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है, और समय-समय पर सभी शाखाओं के लिए उपयुक्त अनुदेश और दिशानिर्देश जारी करने के माध्यम से बैंक के सुरक्षा ढांचे का नियमित रूप से उन्नयन किया जाता है।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, बैंक ने सूचना देने तथा पारदर्शिता लाने के लिए एक अनन्य सूचना का अधिकार अधिनियम केन्द्र की स्थापना की है। जून 2016 के दौरान कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन / अपील करने के लिए एक वेब आधारित ऑनलाइन आर्टीआई पोर्टल की शुरुआत किया है। 20 जुलाई 2016 को यह वेब आधारित पैकेज बैंक को प्रदान किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए केनरा बैंक ने प्रधान कार्यालय में एक नोडल अधिकारी और क्षेत्रीय कार्यालयों, अंचल कार्यालय में एवं प्रधान कार्यालय में के लिए एक सार्वजनिक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया है। वर्तमान में 140 पीआईओ एवं 140 अपीलीय प्राधिकारी हैं। वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने 3918 सूचना का अधिकार आवेदन, 905 प्रथम अपील तथा 37 द्वितीय अपीलें प्राप्त की हैं।

भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार, बैंक भारतीय लेखांकन मानकों को लागू करने की प्रक्रिया में है। सरल अभिसरण के लिए निरंतर आधार पर आवश्यक कदम उठाने के लिए एक परियोजना संचालन समिति और एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) कक्ष का गठन किया गया है। बैंक ने भारतीय लेखांकन मानकों के सुचारू कार्यान्वयन में बैंक की सहायता के लिए सलाहकार के रूप में मेसर्स डेलॉइट हासकिन्स एंड सेल्स एलएलपी को नियुक्त किया

Security Arrangements

Out of 6075 branches and 104 currency chests, the Bank identified 52 branches as High Risk, 1635 branches as Medium Risk and 4388 as Low Risk. These branches and currency chests were periodically visited by Security Officers as per statutory guidelines. All the sensitive currency chests were visited by the Chief Security Officer during the year.

The following measures were initiated based on the instruction from the RBI and State Police Authorities:

a) All branches, currency chests & ATMs have been provided with CCTV Cameras / DVR.

b) 1558 ATMs are guarded with private Security Guards based on the threat perception and directions from Police Authority.

The security set up in the Bank has been under regular upgradation with the security apparatus and issuing of suitable instructions & guidelines to all branches from time to time, including focusing on fire safety measures.

Right to Information

Under the Right to Information Act, 2005, an exclusive Right to Information Act outfit is functioning to provide information and bring transparency. During June 2016, Department of Personnel Training, Ministry of Finance, Government of India has come out with a web based online RTI portal to enable the citizens to make online applications/appeals. This web based package has been given to the Bank with effect from 20th July 2016. To comply with the RTI guidelines and to cater to the needs, the Bank has nominated a Nodal Officer at Head Office and a Public Information Officer (PIO) and an Appellate Authority (AA) for all Regional Offices, Circle Offices and Head Office. Presently, there are 140 PIOs and 140 Appellate Authorities. During the year, the Bank received 3918 RTI applications, 905 First Appeals and 37 Second Appeals as per the provisions of RTI Act, 2005.

Implementation of Indian Accounting Standards

As per the RBI guideline, the Bank is in the process of implementing the Indian Accounting Standards (Ind AS). A Projects Steering Committee and an International Financial Reporting Standards (IFRS) Cell have been formed to take the required steps on a continuous basis for smooth convergence. The Bank has appointed M/s. Deloitte Haskins & Sells LLP as the consultant for assisting the bank in smooth implementation of

है। 30.09.2016 को समाप्त छमाही के लिए कच्ची वित्तीय विवरणी को निर्धारित तिथि तक भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है।

राजभाषा का कार्यान्वयन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के अंतर्गत सराहनीय प्रगति की है और विभिन्न स्तरों पर कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

यथा मार्च 2017 को लगभग 98% कर्मचारियों ने हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान हासिल किया है और राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अधीन 3501 शाखाओं को बैंक ने अधिसूचित किया है। हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त बैंक के सभी कर्मचारियों को हिन्दी कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कर्मचारियों के लिए 384 से अधिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजभाषा को अमल करने हेतु बैंक ने “यूनिकोड” का प्रयोग बढ़ाया और बैंक के ए.टी.एम. स्क्रीनों में 10 भारतीय भाषाओं में लेनेदन का प्रावधान जारी रखा। हिन्दी और अंग्रेज़ी के अलावे, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी एवं मराठी में यह सुविधा उपलब्ध है। टेली बैंकिंग की सुविधा हिन्दी और अंग्रेज़ी के साथ प्रमुख 6 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदान की जा चुकी है। बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट पूर्णतः द्विभाषी है। बैंक विशेष अवसरों पर अपने सभी ग्राहकों को हिन्दी में एस.एम.एस. भी भेजता है।

बैंक ने 1 जुलाई 2011 से कोर बैंकिंग प्रणाली, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल, एटीएम लेनदेन रिपोर्ट व ई-इंफोबुक में हिन्दी का विकल्प उपलब्ध कराया है। हमारे बैंक की इलेक्ट्रॉनिक द्विभाषी पता पुस्तिका “केनपता” को सभी शाखाओं के कार्यालयों में उपलब्ध कराया गया।

राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने हेतु बैंक द्वारा “केनरा बैंक राजभाषा अक्षय योजना” के तहत 186 पुरस्कार अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों, शाखाओं व कार्यालयों के अनुभागों को प्रदान किए गए – “केनरा बैंक राजभाषा पुरस्कार योजना” के तहत 148 कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए एक वार्षिक “अखिल भारतीय हिन्दी निबंध प्रतियोगिता” भी आयोजित की है और विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए।

हमारी अर्ध वार्षिक हिन्दी पत्रिका केनराज्योति का 17 वां एवं 18 वां अंक जारी किया गया। प्रधान कार्यालय, बंगलूर में हिन्दी दिवस

Indian Accounting Standards. The pro-forma financial statement for the half year ended 30.09.2016 has been submitted to RBI within the due prescribed date.

Implementation of Official Language

The Bank made noteworthy progress under the implementation of official language and won many prizes at various levels during the year under review.

As at March 2017 around 98% of employees have obtained working knowledge in Hindi and the Bank has notified 3501 Branches under Rule 10(4) of OL Rules 1976. All the employees of the Bank possessing working knowledge of Hindi have been trained in functional Hindi through Hindi workshops. During the year under review, Bank has conducted 384 refresher training programmes for such employees.

In the sphere of using Information Technology in the Official Language, the Bank has furthered the use of Unicode package for word processing and also made provision in ATM screens of the Bank for carrying transaction in 10 Indian languages. Apart from Hindi and English, transaction slips can be obtained in Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada, Punjabi and Marathi from ATMs and transactions done in concerned language. Tele-banking facility has also been provided in Hindi and English and other 6 major regional languages. The Bank's corporate website is in bilingual. The Bank is also giving SMSs in Hindi to all its customers on special occasions.

With effect from 1st July 2011, Bank has provided Hindi option in Core Banking System. The Bank's bilingual address booklet 'CANPATHA' is made available to all branches and offices in electronic form. Hindi option provided in Mobile Banking, E-Infobook and the Bank's internet Banking portal.

To encourage effective implementation of Official Language in the Bank, 186 prizes were given to Circles, Branches, Regional Staff Training Colleges (RSTCs) and Sections of Head Office & Circle Offices under the Award Scheme formulated by the Bank under Canara Bank Rajbhasha Akshay Yojana and 148 employees were awarded under Rajbhasha Puraskar Yojana. Bank has also conducted Annual “All India Hindi Essay Competition” for its employees and cash prizes were given to prize winners.

Half Yearly Hindi Journal “Canarajyoti” – 17th & 18th issues were brought out during the year. The 17th issue

समारोह 2016 के दौरान हमारे प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राकेश शर्मा द्वारा 17वें अंक का विमोचन किया गया तथा 18वें अंक का विमोचन प्रो. वी आर जगन्नाथन, भाषा वैज्ञानिक एवं इग्नू के सेवानिवृत्त प्रोफेसर द्वारा किया गया। केनराज्योति हिन्दी में मूल लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रकाशित की जाती है। इसमें बैंक के कर्मचारियों द्वारा लिखित बैंकिंग संबंधी लेख, कविता, लघु कथा, यात्रावृत्तांत आदि शामिल हैं। वर्ष के दौरान केनराज्योति को एबीसीआई द्वारा भारतीय भाषा श्रेणी के तहत रजत पुरस्कार से एवं पीआरसीआई द्वारा क्षेत्रीय भाषा श्रेणी के तहत कांस्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

बैंक के राजभाषा अधिकारियों का 34वां अखिल भारतीय सम्मेलन 03 व 04 मार्च 2017 को क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, गुडगांव में आयोजित किया गया।

वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने औरंगाबाद शाखा (अंचल कार्यालय, पुणे), सिरोही शाखा (अंचल कार्यालय, जयपुर), कोट्टयम टेम्पल रोड शाखा (तिरुवनंतपुरम अंचल) और प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु का निरीक्षण किया। समिति ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंक के प्रयासों की सराहना की गई। कोयंबतूर, आगरा और तिरुवनंतपुरम में बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का संयोजक है। भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने व मार्गदर्शन देने के लिए बैंक की सभी शाखाओं में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं। वर्ष के दौरान क्षेत्र 'क' में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया।

खेलकूद को बढ़ावा

केनरा बैंक टूर्नामेंट आदि को प्रायोजित करके और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप प्रदान करके हमेशा खेलकूद को प्रोत्साहित व समर्थन कर रहा है और देश भर में खेल गतिविधियों के लिए उदारता से योगदान दिया है। वर्ष 1982 में बैंक में खेलकूद के अनुप्रवर्तन व प्रोत्साहन के लिए प्रधान कार्यालय में एक खेलकूद काउंसिल का गठन किया गया।

बैंक के 6 क्षेत्र में टीम हैं, जो निम्नवत है:

एथलेटिक्स	महिला	4 सदस्य
बॉल बैडमिंटन	पुरुष	3 सदस्य
क्रिकेट	पुरुष	16 सदस्य
हॉकी	पुरुष	13 सदस्य
शटल बैडमिंटन	पुरुष	2 सदस्य
टेबल टेनिस	पुरुष	3 सदस्य

was released by our MD&CEO Shri Rakesh Sharma during Hindi Day Celebration, 2016 at Head Office & 18th issue was released by Prof. V R Jagannathan, Linguistic Expert & Rtd. Professor, IGNOU. Canarajyoti is brought out to encourage original writing in Hindi. This publication contains articles on banking related subjects as well as Poetry, Short Stories, Travelogues written in Hindi by employees. During the year, Canarajyoti awarded Silver Prize by ABCI under Indian Language category and awarded Bronze prize by PRCI under regional language Category.

The 34th All India Conference of OL Officers of the Bank was held at RSTC, Gurgaon on 3rd and 4th March 2017.

During the year, the Third Sub Committee of Parliamentary Committee on Official Languages had inspected the Bank's Aurangabad Branch (under Pune Circle Office), Sirohi Branch (under Jaipur Circle Office), Kottayam Temple Road Branch (under Thiruvananthapuram Circle Office) and Head Office, Bengaluru. The Committee lauded the efforts put in by the Bank in the field of Official Language implementation. The Bank is convening the Town Official Language Implementation Committees of Agra, Coimbatore and Thiruvananthapuram. Official Language Implementation Committees are constituted in all the branches of the Bank as per the Government guidelines to propagate the progressive use of Hindi. The Bank awarded Encouragement Prize by the RBI for effective implementation of Official language in the Bank in Region 'A'.

Promotion of Sports

Canara Bank has always been encouraging and supporting sports and has contributed generously to sporting activities all over the country by sponsoring tournaments, providing scholarships to talented sports personalities. A Sports Council at Head Office was setup in the year 1982 to monitor and encourage sports activities in the Bank.

The Bank is presently having teams in 6 disciplines:

Athletics	Women	4 Members
Ball Badminton	Men	3 Members
Cricket	Men	16 Members
Hockey	Men	13 Members
Shuttle Badminton	Men	2 Members
Table Tennis	Men	3 Members

अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों जैसे श्री बी के वेंकटेश प्रसाद व श्री सुनिल जोशी (क्रिकेट), श्रीमती एम के आशा, श्रीमती सुमा गोपालकृष्णा व श्रीमती एच एम ज्योती (वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट), श्री पी शण्मुखम, श्री भरत कुमार छेत्री(कप्तान, भारतीय हॉकी टीम, लंदन ओलिंपिक्स-2012) व श्री के एम सोमण्णा (हॉकी-सीनियर), श्री के पी दिनेश (हॉकी-जूनियर), श्री डी गुरुप्रसाद, श्री विनित मैनुअल (शटल बैडमिंटन) एवं श्री नीतिन वी तिरुवेंगादम (अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी) वर्तमान में बैंक में कार्यरत हैं। उक्त खिलाड़ियों ने राज्य / राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट / प्रतियोगिताओं में बैंक का प्रतिनिधित्व करके बैंक का नाम रोशन किया है।

सितंबर 2016 के दौरान श्रीमती एच एम ज्योती ने लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलीट चैंपियनशिप में 100 मीटर, 200 मीटर एवं 4x100 मीटर रिले में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। बेंगलूरु में जुलाई 2016 के दौरान आयोजित राज्य वरिष्ठ एथलीट चैंपियनशिप में 100 मीटर एवं 200 मीटर (राज्य रिकॉर्ड) में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। मैसूरु में अक्टूबर 2016 के दौरान आयोजित राज्य स्तरीय दशहरा एथलेटिक मीट में 100 मीटर में स्वर्ण पदक एवं कर्नाटक के हुब्बल्ली व धारवाड में आयोजित राज्य वरिष्ठ एथलीट चैंपियनशिप में 100 मीटर एवं 200 मीटर में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। बैंक के बॉल बैडमिंटन टीम अगस्त 2016 के दौरान मुडबिद्री के अलवा में आयोजित राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन टूर्नामेंट में रनर-अप एवं चिंतामणि में जनवरी 2017 के दौरान आयोजित टूर्नामेंट में विजेता रहे। क्रिकेट टीम राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट, मैसूरु में रनर-अप रहे। श्री डी गुरुप्रसाद, शटिल बैडमिंटन खिलाड़ी ने कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय वरिष्ठ रैंकिंग शटिल बैडमिंटन टूर्नामेंट में कांस्य पदक प्राप्त किया और दावणगेरे राज्य रैंकिंग शटिल बैडमिंटन टूर्नामेंट में रनर-अप रहे। श्री नीतिन वी तिरुवेंगादम कर्नाटक राज्य टेबल टेनिस के द्वितीय रैंक धारक हैं और सभी राज्य रैंकिंग टूर्नामेंट के विजेता रहे। वर्ष 2016-17 के लिए बैंक की टेबल टेनिस टीम कर्नाटक की नंबर एक टीम रही।

बैंक प्रधान कार्यालय की टीमों के अलावा अंचल कार्यालय स्तर पर बजट आबंटित करके एवं कर्मचारियों के लिए खेलकूद गतिविधियाँ आयोजित करके खेलकूद को प्रोत्साहन देता है, जिसकी निगरानी अंचल स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा किया जाता है।

International Sportspersons in the Bank fold are Shri B K Venkatesh Prasad & Shri Sunil B Joshi (Cricket), Smt. M K Asha, Smt Suma Gopalakrishna (Athletics), Smt. H M Jyothi (present International Athlete), Shri P Shanmugam, Shri Bharath Kumar Chetri (Captain Indian Hockey Team, London Olympics-2012) & Shri K M Somanna (Senior-Hockey), Shri K P Dinesh (Junior-Hockey), Shri D Guruprasad, Shri Vineet Manual (Shuttle Badminton) & Shri Nitin V Thiruvengadam (International Table Tennis Player). Some of the above sportspersons have represented the Bank in tournaments and competitions at the State and National levels.

During the year, Smt H M Jyothi secured GOLD Medals in 100 Meters, 200 Meters & 4x100 Meters Relay events in the National Inter State Senior Athletic Meet at Lucknow during September 2016. She also secured GOLD Medals in 100 Meters & 200 Meters (New State Record) the Senior State Athletic Meet held at Bengaluru, July 2016, 100 Meters event at the State Level Dasara Athletic Meet, Mysuru in October 2016 and 100 Meters & 200 Meters GOLD Medals in the Senior State Athletic meet held at Hubballi & Dharwad, Karnataka. The Bank's Badminton Team was the Runner-up for the State Level Ball Badminton tournament held at Alva's in Moodbidiri, during August 2016 and winners at the State Level Ball Badminton Tournament at Chintamani during January, 2017 in Karnataka. The Cricket Team of the Bank was the Runner-up in the State Level Cricket Tournament, Mysuru, Karnataka. Shri D Guruprasad secured Bronze Medal in the All India Senior Ranking Shuttle Badminton Tournament at Kolkata and was the Runner-up in the State Ranking Shuttle Badminton Tournament, Davangere, Karnataka. Shri Nitin V Thiruvengadam was ranked 2nd in the Karnataka State Table Tennis and won all the State Ranking Tournaments. In Doubles Category, the Bank's Table Tennis Team was ranked 1st for the year 2016-17.

Apart from the Teams at the Head Office, the Bank is also encouraging sports at the Circle levels by allotting annual budget for sports activities & also sports competition for employees, monitored by the Circle Sports Councils.

वित्तीय सुपरमार्केट

केनरा बैंक ने ग्राहकों हेतु 'एक स्टॉप बैंकिंग' प्रदान करने के उद्देश्य से 1980 दशक के अंत के दौरान सहायकी खोलने के द्वारा विविध कारोबार गतिविधियों में प्रवेश किया। आज, बैंक विविध क्षेत्रों में कम से कम दस सहायकी / प्रायोजित संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के साथ एक 'वित्तीय सुपरमार्केट' के रूप में कार्य कर रहा है। बैंक के सभी सहायकी / प्रायोजित संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों ने वर्ष 2016-17 के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्पादन दर्ज किया है।

केनफिन होम्स लिमिटेड (सीएफएचएल)

केनफिन होम्स लिमिटेड, जो कि केनरा बैंक की एक प्रायोजित संस्था है, प्रमुख आवास वित्त संस्थाओं में से एक है। वर्ष के शुरुआत में सीएफएचएल में बैंक का शेयर 43.45% रहा। तदपश्चात बैंक ने सिंगापुर आधारित मेसर्स कलाडियम इनवेस्टमेंट प्राइवेट लि. (गीआईसी प्राइवेट लि.के अनुषंगी) को ₹754 करोड़ के 13.45% शेयर बेच दिए। यथा मार्च 2017 को कंपनी के ₹13313 करोड़ के बकाया ऋण है। कंपनी ने पिछले वर्ष की ₹157.11 करोड़ की तुलना में वर्षानुवर्ष 49.74% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹235.26 करोड़ के कर पश्चात लाभ अर्जित किया है। यथा 31.03.2017 को कंपनी का सकल एनपीए ₹27.91 करोड़ और निवल एनपीए शून्य है। वर्ष 2016-17 हेतु कंपनी ने 100% का लाभांश प्रस्तावित किया है।

केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लिमिटेड (सीबीएसएल)

केनरा बैंक प्रतिभूति लिमिटेड बैंक की पूर्ण स्वामित्व की इकाई है। कंपनी संस्थागत व खुदरा ग्राहकों, दोनों के लिये स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान करता है। खुदरा ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग काउंटर मुख्य उत्पाद है तथा मुद्रा व्युत्पन्नी सुविधा प्रदान करता है एवं कंपनी का ग्राहक आधार 42,386 है। वर्ष 2016-17 के लिये कंपनी ने ₹10.53 करोड़ का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है और 15% के लाभांश की घोषणा की है। सीबीएसएल ने 01.04.2017 से केनरा बैंक से निक्षेपागार प्रतिभागी परिचालन का अधिग्रहण किया है।

केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (सीआरएएमसी)

वर्ष 2007 में केनरा बैंक ने आस्ति प्रबंधन कंपनी का 49% शेयर मेसर्स रोबेको समूह एन वी के पक्ष में विनिवेश किया था जिससे कि केनबैंक म्युच्युअल फंड की आस्तियों के प्रबंधन हेतु एक संयुक्त

FINANCIAL SUPERMARKET

Canara Bank with an objective of offering 'One Stop Banking' facilities for the customers forayed into diversified business activities by opening subsidiaries during late 1980s. Today, the Bank functions as a 'Financial Supermarket', with ten Subsidiaries / Sponsored entities / Joint Ventures in diversified fields. All the Subsidiaries / Sponsored entities / Joint Ventures of the Bank recorded satisfactory performance during the year 2016-17.

CANFIN HOMES LIMITED (CFHL)

Canfin Homes Limited, a sponsored entity of Canara Bank is one of the premier housing finance entities in the country. Stake of the Bank in the Company in the beginning of the year was 43.45%. The Bank since sold 13.45% stake to a Singapore based Company M/s Caladium Investment Pte. Ltd (subsidiary of GIC Private Ltd, Singapore) for ₹754 crore. The loans outstanding of the Company as at March 2017 was ₹13313 crore. The Company earned a profit after tax of ₹235.26 crore as against ₹157.11 crore in the previous year, with y.o.y growth of 49.74%. Gross NPAs of the Company was ₹27.91 crore and Net NPA was nil as on 31.03.2017. 100% dividend for the year 2016-17 has been proposed by the Company.

CANARA BANK SECURITIES LIMITED (CBSL)

Canara Bank Securities Limited is a wholly owned subsidiary of the Bank. The Company offers stock broking services to both institutional and retail clients. Online Trading Counter for retail customers is its flagship product and has diversified into Currency Derivatives and has a clientele base of 42,386. The Company has posted a profit after tax of ₹10.53 crore and declared a dividend of 15% for the year 2016-17. CBSL has taken over the Depository Participant operations from Canara Bank with effect from 01.04.2017.

CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT CO LIMITED (CRAMC)

In the year 2007, Canara Bank divested 49% stake held by Canbank Mutual Fund in favour of M/s Robeco Groep N V and formed a joint venture for managing the assets

उद्यम का निर्माण हुआ। तब से ही कंपनी को केनरा रोबेको आस्ति प्रबन्धन कंपनी लिमिटेड के रूप में पुनःनामित कर दिया गया था। इसमें 51% शेयर धारिता बैंक के पास थी। मार्च 2017 को कंपनी के प्रबन्धन के तहत 6.43 लाख के निवेशक आधार को कवर करते हुए आस्तियां ₹9878 करोड़ थी। वर्तमान में कंपनी, गोल्ड ईटीएफ सहित 29 म्यूच्युअल फंड योजनाएं संभाल रही है। वर्ष 2016-17 के लिये कंपनी ने ₹16.21 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है और 10% के लाभांश की घोषणा की है।

केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (सीएफएल)

केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड बैंक की एक फैक्ट्रिंग अनुषंगी जिसमें बैंक का 70% शेयर है। वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी ने ₹2498 करोड़ का कुल कारोबार टर्नओवर प्राप्त किया है। वर्ष 2016-17 के दौरान ₹86.72 करोड़ के संदिग्ध कर्ज के प्रावधान के कारण ₹39.82 करोड़ की हानि अर्जित की है।

केनरा एचएसबीसी ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड (च्वाइस)

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित एचएसबीसी बीमा (एशिया पेसेफिक) होल्डिंग लिमिटेड व ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के सहयोग के साथ बैंक का बीमा संयुक्त उद्यम है। कंपनी सितम्बर 2007 के दौरान निगमित हुई थी और अपना कारोबार परिचालन 16.06.2008 से प्रारंभ किया था। कंपनी में बैंक का 51% की बहुमत शेयरधारण है और इसमें एच एस बी सी का 26 एवं ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का 23% शेयर धारण है। वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹969 करोड़ के नए कारोबार प्रीमियम और ₹2295 करोड़ के कुल कारोबार प्रीमियम दर्ज किए। कंपनी ने कुल 3,30,717 जीवन प्रावस्त किए हैं। कंपनी ने ₹111 करोड़ के संवैधानिक लाभ प्राप्त किए।

केनबैंक वेंचर पूंजी कोष लिमिटेड (सीवीसीएफएल)

केनबैंक वेंचर पूंजी कोष लिमिटेड, केनबैंक वेंचर पूंजी कोष (सीवीसीएफएल) का न्यासी व प्रबन्धक है और बैंक का पूर्ण स्वामित्व वाला अनुषंगी है। कंपनी द्वारा अभी तक ₹552.78 करोड़ के कुल आस्तियों के प्रबंधन के अंतर्गत 5 फंड का प्रबंधन किया है। ₹435.86 करोड़ के साथ नवीनतम फंड इमर्जिंग इंडिया ग्रोथ फंड है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) ने ₹2206 करोड़ रुपये के मूल निधि (कॉर्पस) के साथ, जिसमें भारत सरकार के ₹2200 करोड़, केनरा बैंक के ₹5 करोड़ और सीवीसीएफएल के ₹1 करोड़ शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड (ईडीएफ) के प्रबंधन के लिए सीवीसीएफएल को नियुक्त किया है। ₹650 करोड़ के कॉर्पस लक्ष्य

under “Canara Robeco Asset Management Company Limited”. The Bank’s share in the JV is at 51%. Total Assets under Management was at ₹9878 crore with investor base of 6.43 lakhs as at March 2017. The Company is currently managing 29 Mutual Fund Schemes, including Gold Exchange Traded Fund. The Company has posted a net profit of ₹16.21 crore and declared a dividend of 10% for the year 2016-17.

CANBANK FACTORS LIMITED (CFL)

Canbank Factors Limited is a factoring Subsidiary of the Bank with 70% stake held by the Bank. During 2016-17, the Company had a total business turnover of ₹2498 crore. The Company incurred a loss of ₹39.82 crore due to provisioning of ₹86.72 crore for the doubtful debts for the year 2016-17.

CANARA HSBC ORIENTAL BANK OF COMMERCE LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED (CHOICE)

A Life Insurance Joint Venture was floated by the Bank in association with HSBC Insurance (Asia Pacific) Holding Limited and Oriental Bank of Commerce in the year 2007. The JV commenced its business operations with effect from 16.06.2008, with majority shareholding of 51% by the Canara Bank, followed by HSBC (26%) and Oriental Bank of Commerce (23%). The Company recorded new business premium of ₹969 crore and gross premium of ₹2295 crore during the year. The company has 3,30,717 in-force policies as on 31.03.2017. The company achieved a statutory profit of ₹111 crore for 2016-17.

CANBANK VENTURE CAPITAL FUND LIMITED (CVCFL)

Canbank Venture Capital Fund Limited is the Trustee and Manager of Canbank Venture Capital Fund and a wholly Owned Subsidiary of the Bank. The company has managed 5 funds so far with total Asset under Management of ₹552.78 crore. The latest fund is the Emerging India Growth Fund with a corpus of ₹435.86 crore. CVCFL has been appointed by the Department of Electronics and Information Technology (DeitY) to manage the Electronic Development Fund (EDF) with a corpus of ₹2206 crore with ₹2200 crore from Govt. of India, ₹5 crore from Canara Bank and ₹1 crore from CVCFL. Another new fund has been named as “Empower India Fund” is being setup with a target corpus of

के साथ “एम्पावर भारत निधि” का रूपायन किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी ने कर के बाद ₹5.02 करोड़ के लाभ अर्जित किया है और 1000% के लाभांश का भुगतान किया है।

केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (सीसीएसएल)

केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड पूरे देश में यह एकमात्र सॉफ्टवेयर कंपनी है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रवर्तित है जिसमें बैंक का 69.13% शेयर है। केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड मुख्यतया सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर विकास सेवा, बीपीओ सेवा, एटीएम/ कभी भी भुगतान सेवा, प्रशिक्षण, परामर्शदात्री व रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंसी के रूप में कार्यरत है। कंपनी ने वर्ष 2016-17 के दौरान ₹6.50 करोड़ के कर पश्चात लाभ अर्जित किया है और 50% के लाभांश का प्रस्ताव किया है।

केनबैंक फाइनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड (केनफिना)

केनबैंक फाइनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड ने डिक्रीबद्ध खातों के तहत पट्टा किराये की वसूली व अतिदेय की वसूली पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा अपनी गतिविधियों को प्रतिभूति में पिछले संव्यवहार से उत्पन्न कानूनी मामलों तक सीमित कर दिया है। कंपनी को अपनी आस्तियों के निपटान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से 31.01.2020 तक तीन वर्षों का विस्तारित समयावधि प्राप्त हुआ है।

कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी (सीआईबीएल)

सीआईबीएल, केनरा बैंक व भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उद्यम है जो अप्रैल, 2004 से मॉस्को, रूस में कार्यरत है। कंपनी ने वर्ष के दौरान कर के पश्चात 5.31 मिलियन यूएस डॉलर का लाभ अर्जित किया है।

केनरा बैंक (तंज़ानिया) लिमिटेड

बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग अनुषंगी “केनरा बैंक तंज़ानिया लिमि.”, तंज़ानिया के दार एस सलाम में स्थित है जिसका पंजीकरण तंज़ानिया में 02.11.2015 को हुआ है एवं बैंक ऑफ तंज़ानिया से 05.05.2016 को लाइसेंस प्राप्त हुआ है। अनुषंगी ने अपना परिचालन 09.05.2016 में आरंभ किया। कंपनी कर पश्चात 0.17 मिलियन यूएस डॉलर का लाभ अर्जित की है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

यथा मार्च 2017 तक बैंक के दो प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं., यथा केरल में स्थित केरल ग्रामीण बैंक (केजीबी) और कर्नाटक स्थित प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (पीकेजीबी)।

केरल ग्रामीण बैंक केरल के सभी 14 जिलों को 615 शाखाओं एवं 294 एटीएम के साथ कवर करता है। यथा मार्च 2017 को केजीबी का कुल कारोबार ₹28816 करोड़ रहा जिसमें ₹15075 करोड़ का

₹650 crore. The Company recorded a profit after tax of ₹5.02 crore and has proposed to pay a dividend of 1000% for the year 2016-17.

CANBANK COMPUTER SERVICES LIMITED (CCSL)

Canbank Computer Services Limited is the only Software Company promoted by a Public Sector Bank in the country, with a 69.13% shareholding by the Bank. CCSL is primarily engaged in IT and Software development services, BPO services, ATM/ Any Time Payment services, Training, Consultancy and R&T agent. The Company has posted a profit after tax of ₹6.50 crore and proposed a 50% dividend for 2016-17.

CANBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED (CANFINA)

Canbank Financial Services Limited is confining its activities to legal matter arising out of past transactions in securities and recovery of dues under decreed accounts. The Company received extension of time limit from the RBI for further period of three years upto 31.01.2020 for disposing off its assets.

COMMERCIAL INDO BANK LLC (CIBL)

Commercial Indo Bank LLC, a joint venture of Canara Bank and State Bank of India has been operational since April 2014 in Moscow, Russia. The company earned a profit after tax of US\$ 5.31 million during the year.

CANARA BANK (TANZANIA) LIMITED

Canara Bank (Tanzania) Limited is wholly owned Subsidiary of the Bank at Dar es Salaam in Tanzania, registered in Tanzania on 02/11/2015 and obtained a banking license from the Bank of Tanzania on 05/05/2016. The subsidiary commenced its business operations from 09/05/2016. The company earned a profit after tax of US\$ 0.17 million.

REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)

As at March 2017, the Bank had two sponsored RRBs, viz., Kerala Gramin Bank (KGB) in Kerala and Pragathi Krishna Gramin Bank (PKGB) in Karnataka.

Kerala Gramin Bank (KGB) operates in all the 14 districts of Kerala State with 615 branches and 294 ATMs. The total business of the KGB was ₹28816 crore as at

जमा एवं ₹13741 करोड़ का अग्रिम शामिल है। प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक पूर्वी कर्नाटक के 11 जिलों में 648 शाखाओं एवं 270 एटीएम के साथ परिचालनरत है। यथा मार्च 2017 को पीकेजीबी का कुल कारोबार ₹27761 करोड़ रहा जिसमें ₹15361 करोड़ का जमा एवं ₹12400 करोड़ का अग्रिम शामिल है।

यथा मार्च 2017 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का समग्र कारोबार वर्षानुवर्ष 17.85% वृद्धि के साथ ₹56577 करोड़ रहा जिसमें ₹30436 करोड़ के जमा तथा ₹26141 करोड़ के अग्रिम शामिल हैं। बैंक के आधारभूत संरचना समर्थन के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एटीएम व डेबिट कार्ड सेवाएं प्रदान कर रहे हैं एवं यथा मार्च 2017 को 564 एटीएम / नकद वितरण मशीन (केजीबी द्वारा 294, पीकेजीबी द्वारा 270) स्थापित किए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सीबीएस का 100% अनुपालन कर रहे हैं और प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर अपने समकक्षी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से आगे है। वे अपने ग्राहकों को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों जैसे मोबाइल बैंकिंग, रुपये डेबिट कार्ड सेवा, आधार समर्थित सेवा तथा नेफ्ट/आरटीजीएस के माध्यम से विप्रेषण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। चेक ट्रंकेशन प्रणाली एवं ई-केवाईसी तकनीकी भी आर आर बी में उपलब्ध है।

केरल ग्रामीण बैंक को 2016 में आरआरबी की श्रेणी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा चेक ट्रंकेशन प्रणाली में सर्वोत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए राष्ट्रीय भुगतान सर्वोत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आईबीए बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार के तहत रनर-अप, एसोचैम के चौथी एसएमई सर्वोत्कृष्टता पुरस्कार 2016, बैंकर्स क्लब के राज्य फॉर्म द्वारा राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति योगदान के लिए सूक्ष्म ऋण (ग्रामीण क्षेत्र) एवं बैंकिंग सर्वोत्कृष्टता पुरस्कार 2016 से नवाजा गया।

प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट, वित्तीय समावेशन के लिए स्कॉच के उच्चतम पुरस्कार, बीमा के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट, कृषि के अलावा अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण के लिए एसोचैम द्वारा आरआरबी व सहकारी बैंक के तहत सामाजिक बैंकिंग पुरस्कार एवं सर्वोत्तम एमएसएमई बैंक पुरस्कार – आरआरबी श्रेणी और ईको-टेक सेवी बैंक-रनर अप (आरआरबी श्रेणी), 2016 पुरस्कार से नवाजा गया।

बैंक के प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ई-केवाईसी एवं आधार समर्थित भुगतान प्रणाली कार्यान्वित करनेवाले प्रथम आरआरबी हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ इन दोनों आरआरबी ने 10.82 लाख नामांकन किए हैं।

March 2017, comprising a total deposits of ₹15075 crore and advances of ₹13741 crore. **Pragathi Krishna Gramin Bank (PKGB)** operates in 11 districts of Eastern Karnataka with 648 branches & 270 ATMs. The total business of the PKGB was ₹27761 crores as at March 2017 with a total deposits of ₹15361 crore and advances of ₹12400 crore.

Aggregate business of both the RRBs increased to ₹56577 crore as at March 2017 with a y.o.y growth of 17.85% comprising deposits of ₹30436 crore and advances ₹26141 crore. Through the Bank's infrastructure support, the RRBs are extending facilities, like, ATM cum Debit Card services and installed 564 ATMs/Cash Dispensers (294 by KGB, 270 by PKGB) as at March 2017. The sponsored RRBs are 100% CBS compliant and are ahead of their peer RRBs under technology front by extending IT based products, like, Mobile Banking, RuPay Debit Card services and also Aadhaar enabled services and remittance facilities through NEFT/RTGS to their customers. The RRBs have put in place Cheque truncation system and e-KYC technology.

Kerala Gramin Bank has received National Payments Excellence Awards, 2016, by National Payment Corporation of India (NPCI) for Excellent Performance in Cheque Truncation System (CTS) - RRB Category, Runner-up for IBA Banking Technology Awards-Technology Bank of the year, ASSOCHAM's 4th SMEs Excellence Award, 2016, Micro Lending (Rural Sector) and Banking Excellence Award, 2016, by the State Forum of Bankers Clubs as the Best Bank contributed to the Rural Economy of the State during the year.

Pragathi Krishna Gramin Bank has been conferred SKOCH Order of Merit, SKOCH Highest Independent Honor in Financial Inclusion, SKOCH Order of Merit for Insurance, ASSOCHAM Social Banking Award-Winner Among RRBs and Co-operative Banks in the country under Priority Sector Lending to categories other than Agriculture, Best MSME Bank Award - Winner (RRB Category) and Eco-Technology Savvy Bank Award - Runner (RRB Category) for the year, 2016.

The Bank's sponsored RRBs were the first amongst RRBs to implement e-KYC technology and Aadhaar Enabled Payment System (AEPS). Together these RRBs had done 10.82 lakh enrolments under the Social Security Schemes.

पुरस्कार / प्रशस्तियाँ

विभिन्न पहलों के पहचान के रूप में बैंक को वर्ष 2016-17 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किया गया:

- **वित्तीय वर्ष 2014 व 2015 के लिए एमएसई ऋण** में प्रथम स्थान हेतु भारत सरकार द्वारा **सर्वोत्कृष्टता पुरस्कार** ।
- सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने हेतु वर्ष 2014 के लिए प्रथम स्थान व 2015 के लिए द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय **सर्वोत्कृष्टता पुरस्कार** ।
- **प्रधान मंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत दक्षिण क्षेत्र खादी व ग्रामोद्योग** में वित्तीय वर्ष 2014 व 2015 के लिए भारत सरकार द्वारा सर्वोत्कृष्ट बैंक पुरस्कार ।
- फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड सर्विसेस (एफआईटीएस) द्वारा **एमएसएमई सर्वोत्कृष्टता पुरस्कार 2017** ।
- एसएमई समर्थता, 2016 के लिए **स्काॅच पुरस्कार** ।
- एसोचैम द्वारा 2015-16 के दौरान **सर्वोत्तम एसएमई ऋणदाता** के लिए **एसएमई सर्वोत्कृष्टता पुरस्कार** ।
- **सीएसआर गतिविधियों के तहत गॉल्डन पीकाॅक पुरस्कार 2016** ।
- **वर्ल्ड सीएसआर कांग्रेस** द्वारा सर्वोत्तम सीएसआर आचरण के लिए **सीएसआर नेतृत्व पुरस्कार 2016** ।
- कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडीवुड फिल्म कार्निवल द्वारा गठित **“इंडीवुड सीएसआर एक्सेलेंस अवार्ड 2016”** से सम्मानित किया गया ।
- **एफआईसीसीआई सीएसआर पुरस्कार** – महिला सशक्तिकरण के तहत सामाजिक उत्तरदायी बैंक ।
- **एसोचैम सामाजिक बैंकिंग सर्वोत्कृष्टता पुरस्कार 2016** ।
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण तथा सर्वोत्कृष्ट खुदरा ऋण विकास निष्पादक के तहत सार्वजनिक बैंकों में सर्वोत्कृष्ट होने पर पर **‘उन व ब्रैडस्ट्रीट बैंकिंग पुरस्कार 2016’** से समानित किया गया ।
- वित्तीय समावेशन के तहत पहल के लिए **‘स्काॅच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड’** ।
- 46वीं स्काॅच सम्मिट के दौरान बैंकएश्युरेन्स व एम्पावर यूपीआई मोबाइल एप्प के लिए **स्काॅच ऑर्डर ऑफ मेरिट एवं स्काॅच सिल्वर पुरस्कार**

AWARDS / ACCOLADES

In recognition of the varied initiatives, the Bank was conferred with the following awards during the year 2016-17:

- **National Award for Excellence** - 1st position in MSE lending for 2013-14 and 2014-15 by the Government of India.
- **National Award for Excellence in lending to Micro Enterprises**, 1st position for 2013-14 and 2nd Position for 2014-15 by the Government of India.
- **Best bank Award under PMEGP, South Zone in the field of Khadi and Village Industries** for 2013-14 and 2014-15 by the Government of India.
- **MSME Excellence Award, 2017**, by Federation of Industrial Trade and Services.
- Skoch Award for SME Enablement, 2016.
- **SME Excellence Award for Best SME lending** during 2015-16 by ASSOCHAM.
- **Golden Peacock Award, 2016**, under CSR activities.
- **CSR Leadership Awards, 2016**, for best CSR practices by World CSR Congress
- **Indy Wood CSR Excellence Award, 2016**, for outstanding achievement in CSR by Indywood Film Carnival.
- **FICCI CSR Social Responsible Bank Award** under Women empowerment for 2016.
- **ASSOCHAM Social Banking Excellence Awards, 2016**.
- **Dun & Bradstreet Award, 2016**, for being the best Public Sector Bank under Priority Sector Lending and Retail Growth Performance.
- **‘SKOCH Order of Merit’ Award** for initiatives under Financial Inclusion.
- **‘SKOCH ORDER OF MERIT’ and ‘SKOCH SILVER’ Awards, 2016**, for Bancassurance during 46th SKOCH Summit.

- कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स व इंडस्ट्रीज (एफकेसीसीआई) बेंगलूरु द्वारा लगातार 7वें वर्ष 'सर्वोत्तम वित्तीय संस्थान के लिए विशेष पुरस्कार – स्वर्ण'
- मेसर्स इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज द्वारा स्थापित बैंकिंग क्षेत्र में कॉर्पोरेट सतर्कता सर्वोत्कृष्टता पुरस्कार 2016-17 (लगातार चौथा वर्ष)
- 31वीं निक्षेपागार प्रतिभागी सम्मेलन में "स्टार परफॉर्मर पुरस्कार"
- बैंक श्रेणी में नए डीमैट खाता खोलने के लिए एनएसडीएल द्वारा लगातार चौथे वर्ष प्रथम स्थान ।
- प्रीपेड खंड के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रीपेड कार्ड के लिए मास्टर कार्ड इन्नोवेशन पुरस्कार-2015 ।
- सबसे ज्यादा रुपये कार्ड जारी करने वाले बैंक हेतु एनपीसीआई द्वारा रुपये विशेष पुरस्कार ।
- 1.35 करोड़ वीज़ा डेबिट कार्ड के निर्गमन पर वीज़ा पुरस्कार ।
- 6ठीं वार्षिक ग्रीनटेक एचआर अवार्ड 2016 में मानव संसाधन में सर्वोत्तम कार्यनीति एवं प्रशिक्षण सर्वोत्कृष्टता – स्वर्ण पुरस्कार ।
- एसोसिएशन ऑफ बिज़नेस कम्यूनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई) द्वारा गृह पत्रिका 'श्रेयस' के लिए विशेष कॉलम (अंग्रेज़ी) के तहत 2 रजत पुरस्कार ।
- पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 11वीं ग्लोबल कम्यूनिकेशन कॉन्क्लेव में 7 पुरस्कार (कोलैटरल पुरस्कार श्रेणी) ।
- 'Special Award for the Best Financial Institution-Gold' for 7th year in succession by Federation of Karnataka Chamber of Commerce & Industry (FKCCI).
- Corporate Vigilance Excellence Award, 2016-17, in Banking Sector, consecutively for the 4th year, instituted by M/s Institute of Public Enterprise.
- Star Performer Award, 2016, in the 31st Depository Participant Conference.
- First Position (Bank Category) in New Demat Accounts opened for the 4th consecutive year by NSDL.
- MasterCard Innovation Award for Canara International Travel Prepaid Card under Prepaid segment.
- RuPay Special Award for being the highest RuPay Card Issuing Bank by NPCI.
- Visa Award on crossing a key milestone on issuance of 1.35 crore Visa Debit Cards.
- Best Strategy in HR & Training Excellence – Gold Awards, in 6th Annual Greentech HR Award 2016.
- 2 Silver Awards for House Magazine, 'Shreyas', special column (English) by the Association of Business Communications of India, 2016.
- 7 Awards (Collateral Awards Category) at 11th Global Communication Conclave held by Public Relation Council of India.

बैंक की विभिन्न नीतियाँ

बैंक में अच्छी तरह से परिभाषित नीतियों और प्रक्रियाओं की एक प्रणाली है। वर्ष के दौरान भारिबै के विनियामक आवश्यकताओं, भारत सरकार के दिशानिर्देशों व वर्तमान परिदृश्य में बैंक की आकस्मिक आवश्यकताओं की रोशनी में बैंक के नीतियों व प्रक्रियाओं को कारगर बनाने हेतु ठोस प्रयास किये गये हैं। तदनुसार, अन्य के बीच, साख जोखिम प्रबन्धन, बाजार जोखिम प्रबन्धन, परिचालन जोखिम प्रबन्धन, आस्ति दायित्व प्रबन्धन, चलनिधि जोखिम प्रबन्धन, समूह जोखिम प्रबन्धन, देश जोखिम, प्रतिपक्षी बैंक जोखिम, कॉर्पोरेट प्रशासन, प्रकटन, संपार्श्विक प्रबन्धन, तनाव परीक्षण, अनुपालन कार्यों, आपदा

VARIOUS POLICIES OF THE BANK

There is a system of well-defined policies and procedures of the Bank. During the year, concerted efforts were made to streamline the policies and procedures of the Bank in the light of regulatory requirements of the RBI, the directions of the Government of India and the emergent requirements of the Bank in the present day context. Accordingly, there has been a sharper focus on policies relating to, among others, Credit Risk Management, Market Risk Management, Operational Risk Management, Asset Liability Management, Liquidity Risk Management, Group Risk Management, Country Risk, Counterparty Bank Risk, Corporate Governance,

उद्धार और कारोबार सतत आयोजन, कारोबार लाइन, आउटसोर्सिंग और आईसीएएपी, केवाईसी, एएमएल, वसूली, व निवेश के संबंध में नीतियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

निदेशक मंडल में परिवर्तन

बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में वर्ष 2016-17 में निम्न परिवर्तन हैं।

अवधि के दौरान बैंक के निम्नलिखित निदेशकों का कार्यालय समाप्त हुआ।

अवधि के दौरान बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित निदेशकों की कार्य अवधि समाप्त हो गई।

नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	सेवा समाप्ति की तिथि
श्री पंकज जैन	भारत सरकार नामिती निदेशक	14.12.2015	01.05.2016
श्री प्रद्युमन सिंह रावत	कार्यपालक निदेशक	05.08.2013	31.05.2016
श्री सुचिन्द्र मिश्रा	भारत सरकार नामिती निदेशक	14.06.2016	Until further Orders
श्री रजिन्दर कुमार गोयल	शेयरधारक निदेशक	27.07.2013	26.07.2016
श्री संजय जैन	शेयरधारक निदेशक	27.07.2013	26.07.2016
श्री कृष्णमूर्ति एच	शेयरधारक निदेशक	27.07.2016	सेवा समाप्ति तिथि 26.07.2019
श्री महादेव नागेन्द्र राव	शेयरधारक निदेशक	27.07.2016	सेवा समाप्ति तिथि 26.07.2019
श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर	शेयरधारक निदेशक	27.07.2016	सेवा समाप्ति तिथि 26.07.2019
श्रीमती पी वी भारती	कार्यपालक निदेशक	15.09.2016	सेवा समाप्ति तिथि 14.07.2019
श्री साईराम मोचरला	अंशकालिक अनधिकारिक निदेशक	05.12.2013	04.12.2016

Disclosures, Collateral Management, Stress Testing, Compliance Functions, Disaster Recovery and Business Continuity Planning, Business Lines, Outsourcing and ICAAP, KYC, AML, Recovery and Investments.

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS

Year 2016-17 saw the following changes in the composition of the Board of Directors of the Bank.

Tenure of the following Directors on the Board of the Bank ended during the period.

Changes in the Bank's Board of Directors during the year 2016-17

Name of the Director	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation
Shri Pankaj Jain	GOI Nominee Director	14.12.2015	01.05.2016
Shri Pradyuman Singh Rawat	Executive Director	05.08.2013	31.05.2016
Shri Suchindra Misra	GOI Nominee Director	14.06.2016	Until further Orders
Shri Rajinder Kumar Goel	Shareholder Director	27.07.2013	26.07.2016
Shri Sanjay Jain	Shareholder Director	27.07.2013	26.07.2016
Shri Krishnamurthy H	Shareholder Director	27.07.2016	Tenure on the Board ending on 26.07.2019
Shri Mahadev Nagendra Rao	Shareholder Director	27.07.2016	Tenure on the Board ending on 26.07.2019
Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer	Shareholder Director	27.07.2016	Tenure on the Board ending on 26.07.2019
Smt. P.V. Bharathi	Executive Director	15.09.2016	Tenure on the Board ending on 14.09.2019
Shri Sairam Mocherla	Part Time Non Official Director	05.12.2013	04.12.2016

श्री सुनील हुकुमचंद कोचेटा	अनधिकारिक निदेशक-सनदी लेखाकार श्रेणी	06.12.2013	05.12.2016
श्री जी वी मणिमारन	कामगार प्रतिनिधि के अलावा अन्य निदेशक	03.01.2014	02.01.2017

Shri Sunil Hukumchand Kocheta	Non Official Director - CA Category	06.12.2013	05.12.2016
Shri G.V. Manimaran	Other than Workmen Representative Director	03.01.2014	02.01.2017

वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक के नव नियुक्त निदेशक मंडल का संक्षिप्त ब्यौरा

श्री सुचिन्द्र मिश्रा को 14 जून 2016 को बैंक के निदेशक मंडल में भारत सरकार के नामिती निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। आप विज्ञान में स्नातक उपाधि एवं विपणन व फाइनेंस में कारोबार प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया है। आप वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में वर्तमान में संयुक्त सचिव हैं।

श्री कृष्णमूर्ति एच. को 27 जुलाई 2016 को बैंक के निदेशक मंडल में श्रेयधारक निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। आप ने इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि हासिल किया है एवं भारतीय वैज्ञानिक संस्थान, बंगलूरु में मुख्य अनुसंधान वैज्ञानिक है। बैंकिंग तकनीकी, संचार एवं नेटवर्किंग में आपकी रुचि है।

श्री महादेव नागेन्द्र राव को 27 जुलाई 2016 को बैंक के निदेशक मंडल में श्रेयधारक निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। आप ने भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि हासिल किया है एवं भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणीकृत सहयोगी हैं। आप भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त उप प्रबंध निदेशक हैं। पूर्व में आप ने भारतीय स्टेट बैंक के विभिन्न अनुषंगियों में नामिती निदेशक का पद संभाला है एवं एसबीआई जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्य भी संभाला है। आप आईडीबीआई फेडरल जीवन बीमा (लाइफ इनश्योरेंस) कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल (बोर्ड) के सदस्य भी हैं।

श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर को 27 जुलाई 2016 को बैंक के निदेशक मंडल में श्रेयधारक निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। आप ने विज्ञान में स्नातक उपाधि हासिल किया है एवं भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणीकृत सहयोगी हैं। आप भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त उप प्रबंध निदेशक हैं। पूर्व में आप ने एसबीआई जनरल इनश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के नामिती निदेशक का पद संभाला है। उषा मार्टिन लिमिटेड, कोलकाता के एसबीआई नामिती निदेशक हैं।

श्रीमती पी वी भारती, केनरा बैंक की महा प्रबंधक थीं। उन्होंने बैंक के कार्यपालक निदेशक का पद दिनांक 15 सितंबर 2016 को संभाला है। आप ने कला में स्नातकोत्तर उपाधि एवं विज्ञान व शिक्षा में

Brief Profile of the newly appointed Directors of the Board of the Bank during 2016-17

Shri Suchindra Misra, currently the Government of India nominee Director, was nominated to the Board on 14th June, 2016. He holds a Bachelor's Degree in Science and a Postgraduate Diploma in Business Management in Marketing & Finance. He is the Joint Secretary at the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

Shri Krishnamurthy H, currently the Shareholder Director, was appointed to the Board on 27th July, 2016. He holds a Master's Degree in Engineering and is the Chief Research Scientist at the Indian Institute of Science, Bengaluru. His areas of interest include banking technologies, communications and networking in particular.

Shri Mahadev Nagendra Rao, currently the Shareholder Director, was appointed to the Board on 27th July, 2016. He holds a Master's Degree in Physics and is a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers. Shri Mahadev Nagendra Rao is a retired Deputy Managing Director of State Bank of India and also previously held the positions of a nominee Director in various subsidiaries of State Bank of India as well as worked as the Managing Director and Chief Executive Officer of SBI Life Insurance Company Limited. He is also a Director on the Board of IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.

Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer, currently the Shareholder Director, was appointed to the Board on 27th July 2016. He holds a Bachelor's Degree in Science and is a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers and is a retired Deputy Managing Director of State Bank of India. Previously he was the nominee Director on the Boards of SBI General Insurance Company Limited and SBI Global Factors Private Limited. He is a nominee Director of SBI in Usha Martin Limited, Kolkata.

Smt. P V Bharathi, who was the General Manager of the Bank, took charge as an Executive Director of the Bank on 15th September, 2016. She holds a Postgraduate Degree in Arts and a Bachelor's Degree in Science and

स्नातक उपाधि हासिल की है। आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं और आपको 3 दशकों से अधिक का बहुआयामी बैंकिंग का अनुभव है। आपने विभिन्न क्षमताओं में बैंक के प्रशासनिक कार्यालयों के अलावा बैंक के ग्रामीण, अर्ध शहरी, शहरी एवं महानगरीय शाखाओं में कार्य किया है। इसके अलावा आप भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणीकृत सहयोगी हैं।


निदेशकों के दायित्व वक्तव्य

निदेशक, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की तैयारी में निम्न की पुष्टि करते हैं:

- वार्षिक लेखा की तैयारी में महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरणों सहित उपयुक्त लेखांकन मानदंडों का पालन किया गया है।
- कि उन्होंने उन लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनका निरंतर अनुप्रयोग किया है और निर्णय लिए हैं तथा अनुमान किए हैं, जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में और अवधि के दौरान बैंक के लाभ या हानि बैंक की स्थिति का सही एवं स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हो सके।
- कि उन्होंने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और धोखाधड़ी और अन्य विसंगतियों के निवारण के लिए भारत में स्थित बैंकों के लिए लागू कानूनी प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है।
- कि उन्होंने वार्षिक लेखा की तैयारी लाभकारी कारोबारवाली संस्था होने के आधार पर की है।

धन्यवाद

बोर्ड संगठन विकास व तरक्की की इस यात्रा में संरक्षण के लिए ग्राहकों, सहयोग के लिए श्रेयधारकों, मूल्यवान मार्गदर्शन व सहयोग के लिए सरकारी प्राधिकारियों व भारतीय रिज़र्व बैंक, समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपना कार्यकाल पूरा करने वाले निदेशकों, सहयोग व साख के लिए देश व विदेश में बैंक के संपर्ककर्ताओं और अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए सभी कर्मचारी सदस्यों की प्रशंसा करना चाहता है।



राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Education. Spanning over 3 decades of multi-dimensional banking exposures, Smt. Bharathi carries with her rich and vast experience. She has worked in the Bank's rural, semi-urban, urban and metropolitan branches, in addition to administrative offices in various capacities. Additionally, she is a certified associate of the Indian Institute of Bankers.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2017, confirm the following:

- That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.
- That they had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit or loss of the Bank for the period.
- That they had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- That they had prepared the annual accounts on a going concern basis.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board wishes to place on record its sincere appreciation to the customers for their patronage, to the shareholders for their support, to the Government authorities and the Reserve Bank of India for their valuable guidance and support, to the Directors who completed their tenure during the financial year under review, to the Bank's Correspondents in India and abroad for their co-operation and goodwill and to all the Staff Members for their full support in the pursuit of organizational growth and excellence.



RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CEO

कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट - 2016-17

(सूचीकरण समझौता की धारा 55 के अंतर्गत)

भाग क: बैंक की सामान्य जानकारी

1. कंपनी के कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) – लागू नहीं
2. कंपनी का नाम: केनरा बैंक
3. पंजीकृत पता: केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112 जे सी रोड, बंगलूरु - 560 002
4. वेबसाइट: www.canarabank.com
5. ई-मेल : edsrt2@canarabank.com
6. सूचित वित्तीय वर्ष: 2016-17
7. क्षेत्र जिसमें कंपनी कार्यरत है (उद्योग क्रियाकलाप कूट वार): वित्तीय सेवाएं, मुख्य रूप से बैंकिंग
8. कंपनी द्वारा निर्मित / उपलब्ध कराए जा रहे तीन उत्पाद / सेवाएं: 1. थोक बैंकिंग, 2. खुदरा बैंकिंग, 3. ग्रामीण व कृषि बैंकिंग
9. कंपनी द्वारा कितने स्थानों पर क्रियाकलाप किया जा रहा है
 - i. अंतर्राष्ट्रीय 8 स्थलों की संख्या (5 मुख्य स्थल बताएं)
यूके (लंदन व लीसेस्टर), हांगकांग व चीन (शंघाई) तथा बहरीन (मनामा)।
 - ii. कुल राष्ट्रीय स्थलों की संख्या: 6075
10. कंपनी द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराने के मार्केट – राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय
उक्त बिन्दु संख्या 9 (i) के तहत उल्लिखित स्थानों के अलावा बैंक ने शारजाह, यूएई में एक प्रतिनिधि कार्यालय एवं मॉस्को, रूस में संयुक्त उद्यम बैंक, अर्थात्, कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, एलएलसी भी आरंभ किया है।

भाग ख : कंपनी का वित्तीय विवरण

1. प्रदत्त पूंजी (₹ में): ₹ 597.29 करोड़
2. कुल कारोबार (₹ में): कुल कारोबार ₹ 837284 करोड़ (कुल जमा: 495275 करोड़ + निवल अग्रिम 342009 करोड़)
3. कर पश्चात कुल लाभ (₹ में): ₹ 1122 करोड़
4. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कुल खर्च: मंजूरीकृत परियोजना: ₹33.18 करोड़ संवितरण: ₹32.68 करोड़

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT - 2016-17

(Under Clause 55 of Listing Agreement)

Section A: General Information about the Bank

1. Corporate Identity Number (CIN) of the Company: Not Applicable
2. Name of the Company: Canara Bank
3. Registered Address: Canara Bank, Head Office, 112, J C Road, Bengaluru - 560 002
4. Website: www.canarabank.com
5. E-mail id: edsrt2@canarabank.com
6. Financial Year Reported: 2016-17
7. Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise): Financial Services, mainly banking.
8. List three key products/services that the Company manufactures / provides (as in balance sheet): 1. Wholesale Banking 2. Retail Banking 3. Rural and Agri-Banking.
9. Total number of locations where business activity is undertaken by the Company
 - i. Number of International Locations 8 (Provide details of major 5)
UK (London and Leicester), Hong Kong, China (Shanghai) and Bahrain (Manama).
 - ii. Number of National Locations: 6075
10. Markets served by the Company – National and International
Besides locations mentioned under Point No.9 (i) above, the Bank has a Representative Office at Sharjah, UAE and a Joint Venture Bank in Moscow, Russia, viz., Commercial Bank of India, LLC.

Section B: Financial Details of the Company

1. Paid up Capital (INR): ₹ 597.29 crore
2. Total Turnover (INR): Total Business - ₹ 837284 crore (Total Deposits - 495275 crore + Net Advances - 342009 crore)
3. Total profit after tax: ₹ 1122 crore
4. Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) Sanctioned projects: ₹33.18 Crores Disbursement: ₹32.68 Crores.

5. वर्ष 2016-17 के दौरान सीएसआर के तहत मंजूर गतिविधियों की सूची:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	क्रियाकलाप	मंजूर राशि	प्रयुक्त राशि
क	शिक्षा	588.43	556.74
ख	स्वास्थ्य	274.39	274.39
ग	गरीबी और पोषण	20.50	15.50
घ	दिव्यांग व्यक्ति व वृद्धावस्था	124.60	124.60
ङ	कौशल विकास	1701.60	1688.00
च	पर्यावरण सुरक्षा	14.96	14.96
छ	ग्रामीण विकास	267.81	267.81
ज	महिला सशक्तिकरण	61.00	61.00
झ	वित्तीय साक्षरता	265.00	265.00
	कुल	3318.29	3268.00

स्वीकृत प्रायोजन का खंड-वार वर्गीकरण:

क) शिक्षा

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	मंजूरित राशि	प्रयुक्त राशि
1	नित्तूर हाई स्कूल, कुंजीबेट्ट, उदुपि जिला, कर्नाटक	स्कूल वैन की खरीद	5.00	5.00
2	कृष्णा बाल विद्या मन्दिर इंटर कॉलेज, मंगूपुरा, मोरादाबाद, उत्तर प्रदेश	स्कूल हेतु 40 केवीए जनरेटर उपलब्ध कराना	4.85	4.85
3	मंसस एजुकेशन ट्रस्ट, विजियानगरम, आन्ध्र प्रदेश	गर्ल्स हाई स्कूल हेतु 2केवी जेनसेट	2.92	2.92
4	श्री विवेकानन्द युथ मूवमेंट (एसवीवाईएम) मैसूरु - V लीड मैसूरु कर्नाटक	एमडीएम पाठ्यक्रम हेतु 3 छात्रों के लिये ट्यूशन फीस प्रायोजित करना	9.50	4.75
5	केनरा बैंक जुबली एजुकेशन फंड, बेंगलूरु	सागर, शिवमोग्गा जिला, कर्नाटक में ग्रामीण डिजिटल पुस्तकालय	3.00	0

5. List of activities sanctioned under CSR during 2016-17:

(₹ in lakh)

Sl No.	Activity	Amount Sanctioned	Amount utilized
a	Education	588.43	556.74
b	Health	274.39	274.39
c	Poverty & Nutrition	20.50	15.50
d	Persons with Disability (PwD)& Old age	124.60	124.60
e	Skill Development	1701.60	1688.00
f	Environment Protection	14.96	14.96
g	Rural Development	267.81	267.81
h	Women Empowerment	61.00	61.00
i	Financial Literacy	265.00	265.00
	Total	3318.29	3268.00

Segment-wise classification of Sponsorships sanctioned:

a) Education

(₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee	Purpose	Amount Sanctioned	Amount utilized
1	Nittur High School, Kunjibettu, Udupi district, Karnataka	Purchase of School Van	5.00	5.00
2	Krishna Bal Vidya Mandir Inter College, Mangupura, Moradabad, Utttar Pradesh	Providing 40KVA Generator for school	4.85	4.85
3	MANSAS Education Trust, Vizianagaram, Andhrapradesh	2KV Genset for Girls High School	2.92	2.92
4	Sri Vivekananda Youth Movement (SVYM) Mysuru - V LEAD Mysuru Karnataka	Sponsoring tuition fee for 3 students for MDM course	9.50	4.75
5	Canara Bank Jubilee Education Fund, Bengaluru	Rural Digital Library at Sagar, Shivamogga District, Karnataka	3.00	0

6	श्री कांतीरवा प्रगति विद्या समस्ती, बेंगलूरु	स्कूल में कंप्यूटर	3.00	3.00
7	गवर्नमेंट पी यू कॉलेज, बेंजनपडावू, डी के जिला, कर्नाटक	कॉलेज भवन की मरम्मत व उन्नयन	10.00	0
8	गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल, वड्डारसे, उडुपि, कर्नाटक	कंप्यूटर प्रणाली व सहायकी	1.75	0
9	सेना पुलिस कॉर्प्स केन्द्र आर्मी स्कूल, बेंगलूरु	स्कूल हेतु सामुदायिक भवन	5.00	0
10	बाल राम ब्रिज भूषण सरस्वती शिशु मन्दिर इंटर कॉलेज, मेरठ	स्कूल बस प्रायोजित करना	15.00	15.00
11	कृपा सोशल वेलफेयर सोसायटी (केएसडब्ल्यूएस), उज्जैन, मध्य प्रदेश	बच्चे बचाव अभियान हेतु बोलेरो प्लस नॉन एसी वाहन उपलब्ध कराना	5.00	5.00
12	राजापुरा सारस्वथ समाज, बेंगलूरु	हॉस्टल का निर्माण	10.00	8.81
13	डॉ. कम्बापति हरिबाबू स्वानिति इनिशियेटिव, हैदराबाद	स्कूल बेंच की आपूर्ति	4.91	4.91
14	केनरा विद्या ज्योति योजना	मेधावी अ.जा. / अ.ज.जा. छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजना	400.00	394.00
15	केनरा बैंक की विभिन्न शाखाएं	फर्निचर मद, डेस्क व बेंच, कंप्यूटर, वाटर प्यूरिफायर, नोट बुक, बैग, छात्रवृत्ति, आदि	108.50	108.50
	कुल		588.43	556.74

6	Sree Kanteerava Pragathi Vidya Samsthe, Bengaluru	Computers to School	3.00	3.00
7	Government P U College, Benjanapadavu, D K District, Karnataka	Repairs & renovation of college building	10.00	0
8	Government Higher Primary School, Vaddarse, Udupi, Karnataka	Computer system and accessories	1.75	0
9	Sena Police Corps Kendra Army School, Bengaluru	Community Hall for the school	5.00	0
10	Bale Ram Brij Bhushan Saraswathi Shishu Mandir Inter College Meerut	Sponsoring school bus	15.00	15.00
11	Kripa Social Welfare Society (KWS), Ujjain, Madhya Pradesh	Providing Bolero Plus Non AC vehicle for children rescue operations	5.00	5.00
12	Rajapura Saraswatha Samaja, Bengaluru	Construction of Hostel	10.00	8.81
13	Dr Kambapathi Haribabu-Swaniti Initiatives, Hyderabad	Supply of school benches	4.91	4.91
14	Canara Vidya Jyothi scheme	Scholarship scheme to meritorious SC/ST girl students	400.00	394.00
15	Various branches of Canara Bank	Furniture items, Desk & benches, computers, water purifier, note books, bags, scholarships etc.	108.50	108.50
	Total		588.43	556.74

ख) स्वास्थ्य

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	मंजूरित राशि	प्रयुक्त राशि
1	रंगदुरै मेमोरियल हॉस्पिटल बेंगलूर, श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम, श्रृंगेरी की एक इकाई	डायलिसिस मशीन	14.88	14.88
2	केनरा बैंक राहत व कल्याण सोसाइटी, बेंगलूर (सेवाक्षेत्र अस्पताल)	हीमोडयालिसिस मशीन, रोगी लॉन्ज का उन्नयन	63.99	63.99
3	जिला परिषद, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	कोल्हापुर जिले में 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु उपकरण	8.12	8.12
4	बीदर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बीदर, कर्नाटक	स्वास्थ्य जाँच कैम्प आयोजित करने हेतु एसएमएल आईएसयूजेडयू वाहन की खरीद	15.00	15.00
5	श्री जगन्नाथ बल्लव एंडोवमेंट, पुरी, ओडिशा	डोरमिटरी में रहनेवाले बीमार व्यक्तियों व ग्रामीणों को सहायता देने हेतु एम्बुलेंस	11.25	11.25
6	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला	यूनिवर्सिटी हेतु एम्बुलेंस	3.25	3.25
7	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, बेंगलूरु	ब्लड बैंक उपकरण (डीप फ्रीज़र)	5.00	5.00
8	मॉडल ब्लड बैंक एंड ब्लड कॉम्पोनेंट सेंटर, गाँधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल	ब्लड स्टोरेज उपकरण	5.00	5.00
9	जन कल्याण स्वास्थ्य केयर केन्द्र, दिल्ली	फेक्को मशीन	10.00	10.00

b) Health

(₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee	Purpose	Amount Sanctioned	Amount Utilized
1	Rangadore Memorial Hospital, Bengaluru a unit of Sri Sri Jagadguru Shankaracharya Mahasansthanam, Sringeri	Dialysis machines	14.88	14.88
2	Canara Bank Relief & Welfare Society, Bengaluru (Seva Kshetra Hospital)	Heamodialysis machines, renovation of patients lounge	63.99	63.99
3	Zilla Parishad, Kolhapur, Maharashtra	Equipments for 4 Primary Health Centres in Kolhapur District	8.12	8.12
4	Bidar Institute of Medical Sciences, Bidar, Karnataka	Purchase of SML ISUZU vehicle for conducting health checkup camps	15.00	15.00
5	Sri Jagannath Ballav Endowment, Puri, Odisha	Ambulance to serve sick tourists in dormitories & villagers	11.25	11.25
6	Central University of Himachal Pradesh, Dharmashaala	Ambulance for university	3.25	3.25
7	Indian Red Cross Society, Bengaluru	Blood Bank equipments (Deep freezer)	5.00	5.00
8	Model Blood Bank & Blood Component Centre, Gandhi Medical College, Bhopal	Blood storage equipments	5.00	5.00
9	Jan Kalyan Health Care Centre, Delhi	Phacco machine	10.00	10.00

10	कांची कामकोटी मेडिकल ट्रस्ट - शंकरा नेत्र फाउंडेशन, कोयम्बटूर	कैम्पस से बेस हॉस्पिटल तक रोगियों को ले जाने हेतु बस अर्जन	20.00	20.00
11	आईएचएसटी-आई एआईएम स्वास्थ्य केयर, बेंगलूरु	डायग्नोस्टिक एम्बुलेंस	20.00	20.00
12	केनरा बैंक की विभिन्न शाखाएं	स्वास्थ्य जाँच शिविर, रक्त दान शिविर, दाँत जाँच शिविर आयोजित करना, अस्पतालों को मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराना आदि	97.90	97.90
कुल			274.39	274.39

10	Kanchi Kamakoti Medical Trust-Shankara Eye Foundation, Coimbatore	Procuring bus for conveyance of patients from Campus to base hospital	20.00	20.00
11	IHST- I AIM Health Care, Bengaluru	Diagnostic Ambulance	20.00	20.00
12	Various branches of Canara Bank	Conducting health check up camps, blood donation camps, dental check up camps, providing medical instruments to hospitals etc.,	97.90	97.90
Total			274.39	274.39

ग) गरीबी व पोषण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	मंजूरित राशि	प्रयुक्त राशि
1	अक्षय पात्र फाउंडेशन, गुवाहाटी	जोधपुर, राजस्थान में मिड-डे मील हेतु बोलेरो पिक-अप वाहन	10.50	10.50
2	रामाकृष्णा मठ, कोलकाता	मठ के भोजन कक्ष हेतु स्टील की डाइनिंग टेबल	5.00	5.00
3	केनरा बैंक अ.जा. / अ.ज.जा. कर्मचारी कल्याण समिति, चेन्नई	चेन्नई में डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल हेतु वाटर कूलर प्लांट	5.00	0
कुल			20.50	15.50

c) Poverty & Nutrition:

(₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee	Purpose	Amount Sanctioned	Amount Utilised
1	Akshaya Patra Foundation, Bengaluru	Bolero pick up vehicle for mid day meal scheme in Jodhpur, Rajasthan	10.50	10.50
2	Ramakrishna Math, Kolkata	Stainless steel dining tables for dining hall of math	5.00	5.00
3	Canara Bank SC/ST Employees Welfare Association, Chennai	Water cooler plant for Dr. Ambedkar Memorial in Chennai	5.00	0
Total			20.50	15.50

घ) दिव्यांग व्यक्ति (पी डब्ल्यू डी)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	मंजूरित राशि	प्रयुक्त राशि
1	रेड क्रॉस हिन्दू इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रेन, सोनीपत, हरियाणा	ऑडियोलॉजी लैब उपकरण	11.00	11.00
2	डेफ एड सोसायटी, बेंगलूरु	शौचालय की मरम्मत व नवीकरण	5.00	5.00
3	कर्नाटक वेलफेयर एसोशियेशन फॉर द ब्लाइंड, बेंगलूरु	नेत्रहीन छात्रों की यात्रा हेतु टाटा विंगर वाहन उपलब्ध कराना	8.85	8.85
4	ओडिशा सरकार, सामाजिक सुरक्षा एवं द्विव्यांगों के सशक्तिकरण विभाग	मोटरयुक्त ट्राईसाइकिल व व्हीलचेयर	9.75	9.75
5	एक्शन फॉर एबिलिटी डेवेलपमेंट एंड इंकलूजन, नई दिल्ली	पीडब्ल्यूडी हेतु करियर डेवेलपमेंट कक्ष की स्थापना	12.96	12.96
6	सेवा निकेतन रायपुर	दिव्यांगों हेतु प्रशिक्षण व पुनर्वास केन्द्र का निर्माण	36.07	36.07
7	केनरा बैंक की विभिन्न शाखाएं	दिव्यांगों को सहायता, वाहन, उपकरण आदि उपलब्ध कराना	40.97	40.97
	कुल		124.60	124.60

d) Persons With Disability (PWD):

(₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee	Purpose	Amount Sanctioned	Amount Utilised
1	Red Cross Hindu Institute for Education & Rehabilitation of mentally challenged children, Sonapat, Haryana	Audiology lab equipments	11.00	11.00
2	Deaf Aid Society, Bengaluru	Renovation and repairs of toilets	5.00	5.00
3	Karnataka Welfare Association for the blind, Bengaluru	Providing Tata Winger vehicle for conveyance of blind students	8.85	8.85
4	Govt. of Odisha, Dept of Social Security & Empowerment of PWDs	Motorized tricycle & wheel chairs	9.75	9.75
5	Action for Ability Development & Inclusion, New Delhi	Setting up of Career Development Cell for PWDs	12.96	12.96
6	Seva Niketan Raipur	Construction of training and rehabilitation centre for disabled	36.07	36.07
7	Various branches of Canara Bank	Assistance to physically/ mentally challenged, providing vehicles, equipments, etc.,	40.97	40.97
	Total		124.60	124.60

ड) कौशल विकास:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	राशि	प्रयुक्त राशि
1	सोसायटी फॉर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक डेवेलपमेंट (सीड), श्रीपेरुम्बुदूर, तमिल नाडु	महिला हेतु विशेष कारागार को बुक मेकिंग मशीनरी उपलब्ध कराना	13.60	0
2	केनरा बैंक शताब्दी ग्रामीण विकास न्यास (सीबीसीआरडीटी)	देश भर में 27 आरएसईटीआई, 3 कारीगर प्रशिक्षण संस्थान व 5 सीबीआईआईटी को प्रशिक्षण लागत उपलब्ध कराना	1150.00	1150.00
3	ग्रामीण विकास व स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रुडसेटी)	देशभर में सभी 27 आरयूडीएसईटीआई का 40% प्रशिक्षण व्यय	478.00	478.00
4	देशपांडे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (डीआरसेटी), हलियल	देशपांडे आरएसईटीआई, हलियल को प्रशिक्षण व्यय का 50% उपलब्ध कराना	50.00	50.00
5	आन्ध्र प्रदेश बैंकर्स ग्रामीण एवं उद्यमिता विकास संस्थान (एपीबीआईआरडी)	एपीबीआईआरडी संस्थान को प्रशिक्षण लागत का 10% उपलब्ध कराना	10.00	10.00
	कुल		1701.60	1688.00

d) Skill Development:

(₹ in lakh)

SI No.	Name of Donee	Purpose	Amount	Amount Utilised
1	Society for Educational & Economic Development (SEED), Sriperumbudur, Tamil Nadu	Machineries & equipments for Mechanic vehicle trade training	13.60	0
2	Canara Bank Centenary Rural Development Trust (CBCRDT)	Providing training cost of 27 RSETIs, 3 Artisan Training Institutes and 5 CBIIIs all over India	1150.00	1150.00
3	Rural Development & Self Employment training institute (RUDSETIs)	40% training expenditure of all 27 RUDSETIs all over India	478.00	478.00
4	Deshpande Rural Self Employment Training Institute (DRSETI), Haliyal	Providing 50% of training expenditure of Deshpande RSETI, Haliyal	50.00	50.00
5	Andhra Pradesh Bankers Institute of Rural and Entrepreneurship Dev (APBIRED)	Providing 10% of training cost of the APBIRED Institute	10.00	10.00
	Total		1701.60	1688.00

च) पर्यावरण सुरक्षा:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	राशि	प्रयुक्त राशि
1	गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, गगसिना, करनाल जिला, हरियाणा	स्कूल हेतु सौर ऊर्जा प्रणाली	9.96	9.96
2	ग्रेटर हैदराबाद मुनिसिपल कॉर्पोरेशन, हैदराबाद	हैदराबाद में एक शी-ई टॉयलेट	5.00	5.00
	कुल		14.96	14.96

f) Environment Protection:

(₹ in lakh)

Sl No.	Name of the Donee	Purpose	Amount Sanctioned	Amount Utilised
1	Government Secondary school, Gagsina, Karnal district, Haryana	Solar Power system for the school	9.96	9.96
2	Greater Hyderabad Municipal Corporation, Hyderabad	One SHE-e toilet in Hyderabad	5.00	5.00
	Total		14.96	14.96

छ) ग्रामीण विकास

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	राशि	प्रयुक्त राशि
1	इंटरनेशनल एसोसियेशन फॉर ह्यूमन वैल्यूस (आईएएचवी) आर्ट ऑफ लिविंग	लातूर, महाराष्ट्र में मंजारा नदी का पुनरुद्धार	5.00	5.00
2	जिला प्रशासन, ऐजवाल, मिज़ोरम	ऐजवाल जिले में थैइहौली नदी पर आरसीसी फूट ब्रिज	10.81	10.81
3	आरओ पेय जल प्लांट (2014-15 में मंजूर व कार्य 2016-17 में पूर्ण)	कोलार व चिक्बल्लापुर जिले में 156 गाँवों में आरओ पेय जल प्लांट की संस्थापना - चरण संवितरण	252.00	252.00
	कुल		267.81	267.81

g) Rural Development:

(₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee	Purpose	Amount	Amount Utilised
1	International Association for Human Values (IAHV) Art of Living	Manjara River rejuvenation at Latur, Maharashtra	5.00	5.00
2	District Administration, Aizawl, Mizoram	RCC foot bridge over Theihauliu stream in Aizawl District	10.81	10.81
3	RO drinking water plants (Sanctioned in 2014-15 and work completed in 2016-17)	Installation of RO drinking water plants in 156 villages in Kolar Dist.- Stage Disbursements	252.00	252.00
	Total		267.81	267.81

ज) महिला सशक्तिकरण:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही का नाम	उद्देश्य	राशि	प्रयुक्त राशि
1	सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ युथ एंड मासेस (एपीवाईएम), हरियाणा	महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु अत्याधुनिक टेलरिंग इकाई की संस्थापना	5.00	5.00
2	केनरा बैंक प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालय सीईडीडीडब्ल्यू केन्द्र	महिलाओं हेतु उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, परामर्श का आयोजन, महिला उद्यमियों हेतु विपणन कैम्प आउटलेट आयोजित करना	56.00	56.00
	कुल		61.00	61.00

झ) वित्तीय साक्षरता:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	परियोजना/ गतिविधि	उद्देश्य	राशि	प्रयुक्त राशि
1.	71 केन्द्रों (एफएलसी) पर वित्तीय साक्षरता केन्द्र	जनता को नि:शुल्क परामर्शी सेवाएं देने हेतु जिला/ब्लॉक स्तर पर खुले 71 वित्तीय साक्षरता केन्द्र	265.00	265.00

भाग ग: अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी / कंपनियां हैं?

हां, कंपनी की सात घरेलू अनुषंगियां, एक विदेशी अनुषंगी एक सहयोगी कंपनी और विदेश में एक संयुक्त उद्यम है -

- क) केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.
- ख) केनबैंक फैक्टर लि.

h) Women Empowerment:

(₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee	Purpose	Amount	Amount Utilised
1	Society for Promotion of Youth & masses (APYM), Haryana	Establishment of state-of-the-art tailoring unit for training for women	5.00	5.00
2	Canara Bank's Head office, Circle offices CEDW centres	Organizing entrepreneurship development programmes to women, counseling of women, organizing marketing camps outlets for women entrepreneurs	56.00	56.00
	Total		61.00	61.00

i) Financial literacy :

(₹ in lakh)

Sl No.	Project/ Activity	Purpose	Amount	Amount Utilised
1.	Financial literacy centres at 71 centres (FLC)	71 Financial Literacy centres opened at District/block levels for giving free counseling to public	265.00	265.00

Section C: Other Details

1. Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?

Yes. The Company has seven domestic subsidiaries one overseas subsidiary, an associate company and a Joint Venture at an overseas destination, viz.,

- a) Canbank Venture Capital Fund Ltd.
- b) Canbank Factors Ltd.

- ग) केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि.
घ) केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लि. .
ड) केनबैंक फाइनेन्शियल सर्विसेज लि.
च) केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि.
छ) केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इन्श्यूरेन्स कंपनी लि.
ज) केनरा बैंक (तंज़ानिया) लि.
झ) केन फिन होम्स लि. (सहयोगी कंपनी)
ञ) एसबीआई के साथ मॉस्को में कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी (सीआईबीएल) (संयुक्त उद्यम)

2. क्या अनुषंगी कंपनी/कंपनियां बीआर पहल में पैतृक कंपनी के साथ भाग लेती हैं? यदि हाँ हो ऐसी अनुषंगी(यों) की खंख्या दें।

हाँ, एक अनुषंगी – केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इन्श्यूरेन्स कंपनी लि. बीआर पहल में भाग लेती है।

3. क्या अन्य संस्था/संस्थाएं (यानी आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जो कि कंपनी के साथ कारोबार करते हैं, बी आर पहल में भाग लेते हैं? यदि हां तो ऐसी संस्था / संस्थाओं का प्रतिशत दर्शाएं (30% से कम, 30-60%, 60% से ज्यादा)

शून्य

भाग घ : कारोबार उत्तरदायित्व सूचना

1. बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों के विवरण
क) बीआर पॉलिसी / पॉलिसियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1	डीआईएन संख्या (यदि लागू है तो)	06519925
2	नाम	श्रीमती पी वी भारती
3	पदनाम	कार्यपालक निदेशक

ख) बीआर प्रधान का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो तो)	लागू नहीं
2.	नाम	श्री रविन्द्र भंडारी
3.	पदनाम	महा प्रबंधक
4.	दूरभाष	080 22128840
5.	ई-मेल	pcfww@canarabank.com

- c) Canara Bank Securities Ltd.
d) Canbank Computer Services Ltd.
e) Canbank Financial Services Ltd.
f) Canara Robeco Asset Management Company Ltd.
g) Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd.
h) Canara Bank (Tanzania) Ltd.
i) Canfin Homes Ltd., (Associate Company).
j) Commercial Indo Bank LLC (CIBL) in Moscow in association with SBI (Joint Venture).

2. Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s).

Yes. One Subsidiary, viz., Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd. is involved in BR initiatives.

3. Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%].

Nil

Section D: BR Information

1. Details of Director/Directors responsible for BR

a) Details of the Director/Directors responsible for implementation of the BR policy/policies

Sl. No.	Particulars	Details
1.	DIN Number (if applicable)	06519925
2.	Name	Smt. P V Bharathi
3.	Designation	Executive Director

b) Details of the BR head

Sl. No.	Particulars	Details
1.	DIN Number (if applicable)	Not Applicable
2.	Name	Sri Ravindra Bhandary
3.	Designation	General Manager
4.	Telephone number	080 2212 8840
5.	e-mail id	pcfww@canarabank.com

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर पॉलिसी / पॉलिसियां (हां / नहीं में उत्तर)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास पॉलिसी/पॉलिसियां के लिए ---- है.	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	क्या पॉलिसी श्रेयरधारकों के परामर्श के साथ बनायी गयी है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3.	क्या पॉलिसी राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, बताएं (केवल 50 शब्द)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4.	क्या पॉलिसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? यदि हां तो क्या यह एमडी/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5.	क्या कंपनी पॉलिसी के कार्यावयन का पर्यवेक्षण करने के लिए बोर्ड/निदेशक/ अधिकारी की कोई विशिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6.	पॉलिसी को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक दर्शाएं \$	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
7.	क्या पॉलिसी को सभी आंतरिक तथा बाह्य श्रेयरधारकों को सूचित किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8.	क्या कंपनी में पॉलिसी/पॉलिसियों को लागू करने के लिए आंतरिक व्यवस्था है?.	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	क्या कंपनी में पॉलिसी/पॉलिसियों से संबंधित श्रेयरधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए पॉलिसी/पॉलिसियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा इस पॉलिसी के क्रियावयन के लिए ऑडिट/मूल्यांकन करवाया है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

\$www.canarabank.com

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N)

S. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1.	Do you have a policy/policies for....	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	Does the policy conform to any national /international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	Has the policy being approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/Owner/CEO/Appropriate Board Director.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5.	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6.	Indicate the link for the policy to be viewed online? \$	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8.	Does the company have in-house structure to implement the policy/policies.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9.	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10.	Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

\$www.canarabank.com

2क) यदि क्र. सं 1 के किसी सिद्धांत का उत्तर नहीं है तो कृपया कारण बताएं (दो विकल्पों तक (✓) चिह्न लगाएं)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कंपनी सिद्धांत को नहीं समझ पाई									
2	कंपनी अभी उस स्थिति में नहीं है कि विशिष्ट सिद्धांत के लिए पॉलिसी बनाने व उसे लागू कर पाए।									
3	कंपनी के पास इस काम के लिए वित्तीय या मानवीय संसाधन नहीं है									
4	अगले 6 महीने में इसे करने की योजना है									
5	अगले 1 साल में इसे करने की योजना है									
6	अन्य कोई कारण (कृपया बताएं)	बैंक ने अपने सतत विकास तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को रूपायित की है और इनका कार्यान्वयन की निगरानी सतत विकास समिति तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति द्वारा किया जाएगा।								

2a. If answer to S.No.1 against any principle, is "No", please explain why: (Tick up to 2 options)

S.No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The Company has not understood the Principles									
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within the next 1 year									
6	Any other reason (please specify)	Bank has formulated its Sustainable Development and Corporate Social Responsibility Policy and the implementation of the same would be monitored by the Sustainable Development and Corporate Social Responsibility Committee of the Board.								

3. बीआर से संबंधित अभिज्ञासन

- कंपनी के बीआर के निष्पादन का निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ द्वारा कितने अंतराल पर आकलन किया जाता है। 3 महीने में, 3-6 महीने में, सालाना, एक साल से ज्यादा 3-6 महीने
- क्या कंपनी एक बीआर या स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए क्या हाईपरलिंक है? कितने अंतराल पर इसे प्रकाशित किया जाता है?
रिपोर्ट वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है और www.canarabank.com/english/scripts/Annualreport.aspx हाईपरलिंक पर उपलब्ध कराया गया है।

3. Governance related to BR

- Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year
3-6 months
- Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?
The Report published annually and made available under the hyperlink www.canarabank.com/english/scripts/Annualreport.aspx

भाग ड. : सिद्धांत वार निष्पादन

सिद्धांत 1 : कारोबार नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाए तथा नियंत्रित हो।

1. क्या नैतिकता, रिश्तखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी पर ही प्रावर्तित है? हाँ / नहीं

क्या यह समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य पर भी लागू है?

हाँ। बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित “कॉर्पोरेट प्रशासन नीति” है जो कि सभी श्रेयधारकों यानी जमाकर्ताओं, श्रेयधारकों, ग्राहकों, उधारकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज को कॉर्पोरेट मूल्यों, आचार संहिताओं तथा अन्य उचित व्यवहार के मानकों का अनुसरण करते हुए सतत मूल्य का अनुकूलन करने के समग्र उद्देश्य के साथ तैयार की गयी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी अनुषंगियों पर भी लागू है।

बोर्ड की अनुमति से बैंक ने समूह जोखिम प्रबंधन (जीआरएम) पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के अंतर्गत अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम / और बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी आते हैं।

जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के समय कुछेक स्टाफ खातों की जांच की जाती है। स्टाफ खातों में ₹50,000/- से अधिक के लेनदेनों की निगरानी ऑफलाइन लेनदेन निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

बैंक में नियमित निरीक्षण (आरबीआई) की प्रणाली है। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट आवधिकता पर शाखाओं / यूनिट / कार्यालयों का सूचना प्रणाली ओडिट होती है। मासिक आधार पर चयनित शाखाओं / कार्यालयों का समवर्ती लेखापरीक्षा होती है।

2. विगत वित्तीय वर्ष में कितनी श्रेयधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन में से कितने प्रतिशत को संतुष्टिपूर्वक प्रबंधन द्वारा सुलझाया गया है? यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।

श्रेयधारक शिकायतें: वर्ष 2016-17 में बैंक ने श्रेयधारकों से 738 अभ्यावेदन / शिकायतें प्राप्त की तथा सभी शिकायतों का निवारण संतुष्टिपूर्वक किया गया।

Section E: Principle-wise Performance

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/ No.

Does it extend to the Group / Joint Ventures / Suppliers / Contractors / NGOs / Others?

Yes. The Bank is having a Board approved “Corporate Governance Policy”, which is drawn with an overall objective to optimize sustainable value to all stake holders viz., depositors, shareholders, customers, borrowers, employees and society through adherence to corporate values, Codes of Conduct and other standards of appropriate behavior. The Corporate Governance Policy of the Bank extends to its subsidiaries also.

The Bank has put in place a Group Risk Management (GRM) Policy with the permission of the Board of the Bank. The GRM Policy of the Bank covers Subsidiaries / Joint Ventures and the Regional Rural Banks sponsored by the Bank.

Scrutiny of staff accounts at random is undertaken at the time of RBIA (Risk Based Internal Audit) of the branches. The transactions above ₹50,000/- in staff accounts are monitored in Offline Transaction Monitoring system.

The Bank has a system of conducting regular inspection (RBIA) including Information System Audit at the branches/ Units/ Offices at specified periodical intervals. The Concurrent Audit of identified branches / offices is conducted on monthly basis.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Shareholders Complaints: The Bank received 738 representations / grievances from Shareholders during 2016-17 and all the grievances have been resolved satisfactorily.

अधिकांश शिकायतें लाभांश प्राप्त नहीं होने से संबंधित है। इसका कारण संबंधित शेयरधारक द्वारा अपने पते को अद्यतन नहीं करना है। शिकायतें दूर करते समय बैंक ने उनके पते अद्यतन करने, बैंक विवरण प्राप्त करने, ईसीएस अधिकार-पत्र (आवश्यक फार्म उपलब्ध कराकर) लेने जैसे कदम उठाए हैं ताकि दुबारा ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

ग्राहकों से प्राप्त 66977 शिकायतों में से (ए टी एम से संबंधित 39293 शिकायतों सहित) 65362 शिकायतों का (ए टी एम से संबंधित 38507 शिकायतों सहित) समाधान किया गया। विमुद्रीकरण के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं।

ग्राहक शिकायतें: वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने 66977 शिकायतें प्राप्त की तथा 97.59% को संतुष्टिपूर्वक निपटारा किया। बैंक ने अपनी ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न उत्पाद / सेवाएं, उन्नत तकनीक, कर्मचारी प्रशिक्षण तथा ग्राहकों की पृष्ठताछ का जवाब व ग्राहक शिकायतों को दूर करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं।

सिद्धांत 2 : कारोबार ऐसे उत्पाद व सेवाएं उपलब्ध कराए जो सुरक्षित हों तथा अपने जीवन चक्र में स्थिरता बनाए रखें।

1. अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरण चिंताओं, जोखिम और/या अवसरों को शामिल किया गया है।
 - i. **वित्तीय समावेशन अभियान:** विभिन्न ग्रामीण क्रियाकलाप जैसे शाखाएं खोल कर बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, कारोबार संपर्कियों के माध्यम से ज्यादा क्षेत्र तक फैलाव, सादा खातों खोलना, केसीसी व गीसीसी के द्वारा ऋण उपलब्ध कराना, छोटे बीमा उपलब्ध कराना, आधार का पंजीकरण, किसान क्लबों की स्थापना, वित्तीय साक्षरता के लिए ग्रामीण विकास वाहिनी चलाना और ग्रामीण जनता के लिए ऋण परामर्श देना।
 - ii. **ग्रामीण विकास** – बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 65 स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को प्रायोजित / सह-प्रायोजित / सहायता प्रदान की है जो कि ग्रामीण युवकों में उद्यमिता विकास तथा उन्हें स्व-रोजगार क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन

Majority of the representations is on account of non-receipt of Dividend Warrants. This is due to non-updation of the addresses by the concerned shareholders. While resolving the grievances, the Bank has been taking steps to update their addresses, bank details, ECS Mandate (by providing the necessary forms) so as to avoid recurrence of such instances.

66977 (including 39293 complaints related to ATMs) complaints were received from customers of which 65362 (including 38507 complaints related to ATMs) were resolved. The complaints received during the year are more compared to previous year due to demonetization exercise.

Customer Complaints: During 2016-17, the Bank received 66977 complaints and 97.59% of the complaints were satisfactorily redressed. The Bank is taking several measures to improve customer service by bringing in diversified products/services, updated technology, staff training and responding to customer's queries and redressal of customer complaints.

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and / or opportunities.
 - i. **Financial Inclusion Campaign** - covering varied rural activities, such as, increasing access to banking services through opening branches, increasing coverage under Business Facilitators, mobilizing no-frill accounts, providing credit under KCCs, credit linking SHGs, providing micro-insurance, Aadhaar enrollment, forming farmers' clubs, deploying Gramin Vikas Vahini for enhancing financial literacy and credit counseling among rural folks.
 - ii. **Rural Development** - The Bank has sponsored / co-sponsored / supported 65 self employment training institutes in varied fields which promote entrepreneurship development among rural youth and encourage them to take up self-employment activities. These Institutes have trained more than

संस्थनों अब तक 7.10 लाख बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया है जिनकी व्यवसाय प्राप्ति दर 72% है।

- ii. **हरित बैंकिंग:** बैंक ने विभिन्न पर्यावरण अनुकूल कार्य किए हैं जैसे सीबीएस, इंटरनेट बैंकिंग, टेलीबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ग्रामीण जनता के लिए सौर ऊर्जा युक्त बायो-मेट्रिक एटीएम और कुछ आंतरिक कार्यकलाप। इसके अलावा, दो स्थानों पर एटीएम, नकद / चेक स्वीकर्ता, पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग और टेलिबैंकिंग जैसे उच्च तकनीक बैंकिंग सुविधाओं के साथ ई-लाउंज बैंक स्थापित किए हैं तथा वर्ष के दौरान ऐसे ही ओर ई-लाउंज की स्थापना करने के योजना है। आंतरिक रूप से, बैंक ने मानव संसाधन प्रबंधन व अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए ई-गवर्नेंस की शुरुआत की है।

सौर ऊर्जा, बायोगैस तथा पवन चक्की परियोजनाओं के वित्तीयन के द्वारा बैंक हरित ऊर्जा को प्रोसाहन दे रहा है।

2. ऐसे सभी उत्पादों के लिए प्रयुक्त संसाधन के संबंध में निम्न सूचित करें (ऊर्जा, जल, कच्चा माल, आदि) (वैकल्पिक):

- i. मूल्य श्रृंखला के दौरान पिछले वर्ष से लेकर अबतक सोर्सिंग / उत्पादन / वितरण के समय आई कमी?

लागू नहीं

- ii. पिछले वर्ष से अबतक उपभोक्ता द्वारा प्रयोग (ऊर्जा, पानी) में आई कमी?

जल शोधन प्लैंटों की स्थापना तथा हरित क्षेत्र में सुधार हेतु बागवानी के लिए अपशिष्ट पाने का उपयोग।

3. क्या कंपनी में स्थायी सोर्सिंग के लिए कोई पद्धति है (परिवहन सहित) यदि हां तो निवेशित का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से सोर्स किया गया है? 50 शब्दों में विवरण दें।

सोर्सिंग के लिए बैंक में निर्धारित नीति है जिसके अनुसार आपूर्तिकर्ताओं को ऊर्जा उत्पादन, प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए उचित तकनीकी की पूर्ति करने की आवश्यकता है।

4. क्या कंपनी स्थानीय व छोटे उत्पादकों जिसमें आसपास के क्षेत्रों में कार्यरत समुदाय शामिल हैं, से माल व सेवाएं खरीदने के कदम

7.10 lakh unemployed youth so far, with a settlement rate of 72%.

- iii. **Green Banking** - The Bank has introduced several environment friendly measures, viz., Core Banking Solution, internet banking, telebanking, mobile banking, ATMs, solar powered biometric ATMs for the use of rural folk and certain back office operations. Further, the Bank has set up E-lounges with hi-tech banking facilities like ATM, cash/ cheque acceptor, passbook printing kiosk, internet banking, online trading and telebanking at two places and more such e-lounges are planned during the year. Internally, the Bank has implemented e-governance for its human resources management and certain other administrative areas.

Bank is encouraging green energy by financing solar, biogas and wind mill projects.

2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional):

- i. Reduction during sourcing / production / distribution achieved since the previous year throughout the value chain?

Not Applicable

- ii. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?

Setting up of water purification plants and using the waste water for gardening for improving the green cover.

3. Does the Company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

For sourcing, Bank has a set policy as per which the suppliers should meet the standards of energy generation, pollution free climate friendly technologies.

4. Has the Company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including

उठाए हैं? यदि हां तो स्थानीय व छोटे वेंडरों की क्षमता व योग्यता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्थानीय तथा छोटे विक्रेताओं की धारिता तथा क्षमता को सुधारने के लिए बैंक उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों के प्रदर्शन सह बिक्री के लिए नियमित रूप से केनरा बाजारों का आयोजन करता है। बैंक “नम्मूरा संथे” चलाता है, एक मोबाइल बिक्री वैन जो सौर ऊर्जा युक्त कस्टम बिल्ट है जिसमें स्वयं सहायता समूहों तथा महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन सह बिक्री होता है। दोनों सेवाएं बैंक द्वारा निशुल्क दिया जाता है। बैंक के कुल अग्रिम से लघु व मध्यम उद्यम का हिस्सा 30% है।

5. क्या कंपनी के उत्पादों और अपशिष्ट को पुनर्नवीनीकृत करने का कोई तंत्र है? यदि हां तो उत्पादों तथा अपशिष्ट का कितना प्रतिशत पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है (5% से कम, 5-10%, 10% से अधिक, अलग - अलग बताएं)। 50 शब्दों में विवरण दें।

लागू नहीं

सिद्धांत 3 : कारोबार सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा दे

1. कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं।

यथा 31.03.2017 को कुल कर्मचारियों की संख्या 55717 है।

2. कृपया अस्थाई/संविदा/आकस्मिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।

एफओसी-प्रशिक्षण	51
लोकपाल	1
सलाहकार	2
ईआरओ-ऑडिट उद्देश्य	407
कुल	461

3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।

यथा 31.03.2017 को स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 16589 है।

4. कृपया स्थायी विकलांग कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।

यथा 31.03.2017 को स्थायी विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या 1337 है।

communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

To improve the capacity and capability of local and small vendors, Bank is regularly organizing Canara Bazaars for display cum sale of products made by them. Bank is running Nammura Santhe - A mobile sales van which is solar powered custom made for display cum sale of the products made by Self Help Groups, women entrepreneurs. Both the services are offered free of cost by the Bank. Out of total advances of Bank, Small & Medium Enterprises constitute 30%.

5. Does the Company have a mechanism to recycle products and waste? If yes, what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Not Applicable

Principle 3: Businesses should promote the wellbeing of all employees

1. Please indicate the total number of employees.

Total number of employees as at 31.03.2017 is 55717

2. Please indicate the total number of employees hired on temporary / contractual / casual basis.

FOC- Training	51
Ombudsman	1
Advisors	2
ERO- Audit purpose	407
Total	461

3. Please indicate the number of permanent women employees.

The number of permanent women employees as at 31.03.2017 is 16589

4. Please indicate the number of permanent employees with disabilities.

The number of permanent employees with disabilities as at 31.03.2017 is 1337

5. क्या आपके यहां कर्मचारी संगठन है जो कि प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है।

हमारे बैंक में केनरा बैंक कर्मचारी संघ (पंजीकृत) व केनरा बैंक अधिकारी संघ (पंजीकृत) प्रबंधन द्वारा मान्यता-प्राप्त क्रमशः कामगारों व अधिकारियों हेतु दो प्रमुख संघ हैं।

6. आपके कितने प्रतिशत नियमित कर्मचारी इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं?

अधिकारी संघ	86.94%
कर्मचारी यूनियन	77.62%

7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, बेगार, अस्वैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित कितनी हैं।

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल श्रम, बेगार, अस्वैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	5	शून्य
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. निम्नांकित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को सुरक्षा व कौशल उन्नयन प्रशिक्षण पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान दिया गया?

स्थायी कर्मचारी	130%
नियमित महिला कर्मचारी	141%
आकस्मिक / अस्थायी / संविदा कर्मचारी	शून्य
विकलांग कर्मचारी	134%

सिद्धांत 4: कारोबार सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करे तथा उनके प्रति संवेदनशील हो विशेषरूप से वंचित, कमजोर और उपेक्षित के प्रति

5. Do you have an employee association that is recognized by management.

In our Bank Canara Bank Employees Union (Regd) and Canara Bank Officers' Association (Regd) are two majority Union/Association of workmen and officer employees respectively, which are recognized by Management.

6. What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?

Officers' Association	86.94%
Workmen Union	77.62%

7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.

S. No.	Category	No. of complaints filed during the financial year	No. of complaints pending as on end of financial year
1	Child labour/ forced labour/ involuntary labour	NIL	NIL
2	Sexual harassment	5	NIL
3	Discriminatory employment	NIL	NIL

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?

Permanent Employees	130%
Permanent Women Employees	141%
Casual / Temporary / Contractual Employees	NIL
Employees with Disabilities	134%

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों को प्रतिचित्रित किया है? हाँ / नहीं

हाँ, बैंक के शेयरधारकों में सरकार, निवेशक, कर्मचारी तथा बैंक के ग्राहक हैं।

2. उक्त में से, क्या कंपनी ने कमजोर, वंचित व उपेक्षितों की पहचान की है?

हां.

3. क्या कंपनी वंचित, कमजोर व उपेक्षित शेयरधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की है? यदि हां तो 50 शब्दों में विवरण दें।

कर्मचारी: बैंक जाति, नस्ल और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव और पूर्वाग्रह के बिना सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार की नीति अपनाता है। बैंक सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष लाभ/ सुविधाओं सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, विकलांग कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समतुल्य पारिश्रमिक/ वेतन दिया जाता है। बैंक, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उडान परियोजना के अंतर्गत जम्मू व कश्मीर के बेरोजगार स्नातकों को प्रशिक्षित व भर्ती कर रहा है।

ग्राहक: समाज के उपेक्षित वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, बैंक ने, अन्य योजनाओं के साथ, सादा बचत खाता योजना, केनरा नयी दिशा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म बीमा और सूक्ष्म पेंशन योजना, शहरी गरीब के लिए सूक्ष्म वित्त शाखाएं, किसानों के लिए किसान क्रेडिट, सामान्य क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूहों को ऋण, मनरेगा मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण, बायोमेट्रिक एटीएम, विभेदक ब्याज दर योजना के तहत ऋण, महिला उद्यमियों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की सहायता के लिए ऋण योजनाएं शुरू की हैं।

सिद्धांत 5 : कारोबार मानवाधिकार का सम्मान व प्रोत्साहन करो

1. मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति ही क्या कंपनी पर ही लागू होती है या यह समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य पर भी लागू है?

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/No

Yes. The stakeholders of the Bank include Government, Investors, Employees and the Customers of the Bank.

2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders.

Yes.

3. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Employees: The Bank practices the policy of equal treatment of all employees without any discrimination and bias on the basis of caste, creed and religion. The Bank extends certain special benefits/ facilities/ assistance to employees belonging to SC/ST category as per Government guidelines. Further, the wages/ salaries, promotions and other benefits extended to employees with disabilities are at par with other employees. The Bank, as part of Corporate Social Responsibility, is training and recruiting unemployed graduates from the State of Jammu and Kashmir under the project 'Udaan'.

Customers: In order to cater to the needs of marginalized segments of the society, the Bank has introduced, among others, No-frill Savings Accounts Scheme, Micro Insurance and Micro Pension under Canara Naye Disha Scheme, micro-finance branches for urban poor, kisan credit cards for farmers, general credit cards, loans to self help groups, electronic benefit transfer for payment of MGNREGA Wages and social security pension, biometric ATMs, loans under Differential Interest Rate Scheme, loans to women entrepreneurs and support to micro & small enterprises.

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/Others?

बैंक भारत के संविधान में निहित मानव अधिकारों की विषयवस्तु से परिचित है तथा संघों की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी करने का अधिकार का सम्मान करता है।

मानव संसाधन से संबंधित नीतियों केवल बैंक के परिचालन पर ही लागू है। इसके अलावा, बैंक की मानव संसाधन नीतियां सभी कर्मचारियों को समानता और उचित व्यवहार प्रदान करती हैं तथा कोई भेदभाव राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, उम्र, विकलांगता, कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति या कानून द्वारा निषिद्ध किसी अन्य आधार पर नहीं किया जाता है।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

बैंक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का निषेध करता है। सेवा शर्तों में, यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रावधान हैं। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यौन उत्पीड़न की नीति लागू की गयी है। पॉलिसी के अनुसार, महा प्रबंधक की रैंक वाली महिला कार्यपालक की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति का गठन किया गया है जिसमें अधिकांश सदस्य महिलाएं ही हैं और एक सदस्य गैर सरकारी संगठन से है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही बैंक कार्रवाई करता है। बैंक समय समय पर सेवा शर्तों, नियमों, महिला कर्मचारियों के लाभ, महिला कर्मचारियों के अधिकार तथा यौन उत्पीड़न को रोकथाम को प्रभावी बनाने के लिए परिपत्र जारी करता है।

कर्मचारी शिकायत निवारण नीति

बैंक ने सेवा शर्त से संबंधित वास्तविक व्यक्तिगत शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य और उसके त्वरित समाधान के लिए कर्मचारी शिकायत निवारण नीति बनाई है। इस नीति के तहत शिकायतों का निर्धारित समय के भीतर निराकरण कर रहे हैं। अंचल स्तर निवारण समिति के निर्णय के खिलाफ अपील का भी प्रावधान है।

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, की परिभाषा के अनुसार केनरा बैंक एक लोक प्राधिकरण है, इसलिए वह जनता को सूचना प्रदान करने के दायित्व के अधीन है।

विभिन्न कार्यों के लिए ठेकेदारों की सेवा लेना

बैंक अपने परिसर में सिविल निर्माण / विद्युत / रख-रखाव कार्यों के लिए ठेकेदारों की सेवा लेते समय श्रम कानून विशेषतौर पर न्यूनतम मजदूरी के भुगतान तथा अन्य संबंधित मानवाधिकारों का पालन करता है।

The Bank is aware of the human rights content of the Constitution of India and respects the freedom of associations and the right to collective bargaining.

The HR related policies cover the operations of the Bank only. Further, the HR policies of the Bank are well laid out with equal and fair treatment of all the employees and no discrimination is made based on nationality, religion, gender, age, disabilities, social and economic status of the employees or any other basis prohibited by the law.

Prevention of Sexual Harassment

The Bank prohibits sexual harassment at work places. In the Service Conditions, there are clauses exclusively for prevention of sexual harassment at work places. The policy on sexual harassment has been implemented in terms of guidelines issued by Supreme Court of India in its landmark judgment in Visakha & Others. Vs. State of Rajasthan & Others. As per the policy, a Complaints Committee has been constituted headed by a lady Executive of the rank of General Manager with majority of lady members and an outside member from a reputed NGO. The action is taken based on the reports of the Committee. The Bank issues Circulars from time to time reinforcing service conditions, rules, benefits to women employees, right of women employees, prevention of sexual harassment.

Employees' Grievances Redressal Policy

The Bank has framed Employees' Grievance (s) Redressal Policy with a view to lend to the genuine individual grievances relating to service condition of the employees and for speedy resolution of the same. The complaints under this policy are redressed within the stipulated time. There is also an appeal provision against the decision of the Circle Level Redressal Committee.

Right to Information Act

Canara Bank is a Public Authority, as per definition of Public Authority in the Right to Information Act, 2005, and thus, is under obligation to provide the information to members of public.

Engaging Contractors for various works

While engaging the services of Contractors for the civil construction / electrical / maintenance works at its premises, the Bank follows the labor laws especially payment of minimum wages and other related human rights.

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें आईं और कितने प्रतिशत शिकायतों का निपटान प्रबंधन के द्वारा संतोषजनक रूप से किया गया?

67715 – 97.61%

सिद्धांत 6: कारोबार पर्यावरण को सम्मान, सुरक्षा और उसे पुनर्स्थापित करने का प्रयास करो

1. सिद्धांत 6 से संबंधित कंपनी की नीति क्या कंपनी तक सीमित है या समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर-सरकारी संस्थान / अन्य पर भी लागू है?

नीति केवल बैंक तक ही सीमित है।

2. क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों जैसे पर्यावरण में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग आदि के लिए कोई योजना/पहल है ? हाँ / नहीं , यदि हाँ तो, कृपया वेबपेज का हाइपरलिंक दें।

हाँ

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के संदर्भ में, बैंक ऐसे नयी ईकाइयों की स्थापना के लिए ऋण प्रदान नहीं करता जिनके द्वारा ओजोन विच्छेदन पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लूरो कार्बन – 11 (सीएफसी-11), सी.एफ.सी.-12 और सी.एफ.सी. 11 और सी.एफ.सी. 12 का मिश्रण, सी.एफ.सी. – 113, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, फोम उत्पादन, रेफ्रिजरेटर और एयरकंडिशनर, एरोसॉल उत्पाद, सफाई के उत्पाद में प्रयुक्त सॉल्वेंट, अग्निशामन में प्रयुक्त हेलॉन – 1211, 1301, 2402, आदि का प्रयोग किया जाता है।

बैंक द्वारा उन छोटे / मझौले स्तर की इकाइयों को वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है जो सी.एफ.सी. का प्रयोग कर एरोसॉल इकाई के उत्पादन में लगे हुए हैं।

टॉक्सिक पदार्थों का उत्सर्जन करने वाले उत्पादन इकाइयों के ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय बैंक ऐसे प्रदूषित पदार्थों को वातावरण में छोड़ने से पूर्व प्रसंस्कृत करने के लिए जल शोधन इकाई की स्थापना के लिए दबाव डालता है तथा सुनिश्चित किया जाता है कि उधारकर्ता केन्द्र / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।

3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन करती है? हाँ/नहीं

हाँ

4. क्या कंपनी स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि ऐसा है तो 50 शब्दों में विवरण दें। और , यदि हाँ तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालना रिपोर्ट दायर की गयी है?

हाँ

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

67715 – 97.61%

Principle 6: Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs/others.

The Policy covers only the Bank.

2. Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.

Yes.

In terms of Credit Risk Management Policy, the Bank is not extending finance for setting up of new units consuming/ producing Ozone Depleting Substances (ODS) such as Chlorofluoro Carbon – 11 (CFC – 11), CFC – 12, Mixtures of CFC – 11 and CFC – 12, CFC – 113 Carbon Tetrachloride, Methyl Chloroform, Halons – 1211, 1301, 2402 used in Foam products, Refrigerators & Air conditioners, Aerosol products, Solvents in cleaning applications, Fire extinguishers.

No financial assistance is extended by Bank to small / medium scale units engaged in the manufacture of the Aerosol Units using CFC.

While appraising the credit proposal, of manufacturing units, emitting toxic pollutants, the Bank insists upon installation of water treatment projects for processing of such pollutants before release into the environment and ensures that the borrower client also obtains NOC from Central/State Pollution Control Board.

3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N

Yes.

4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?

Yes.

बैंक द्वारा विभिन्न हरित बैंकिंग पहल जिसमें कोर बैंकिंग समाधान, इंटरनेट बैंकिंग, टेलिबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ग्रामीण जनता के उपयोग के लिए सौर ऊर्जा संचालित बायोमेट्रिक एटीएम, शाखाओं में ई-लाउंज और अपने स्टाफ तथा प्रशासनिक क्षेत्र के लिए ई गवर्नेंस और कागज रहित बैंकिंग शामिल को बढ़ावा देना शामिल है।

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल शुरू की है? हाँ / नहीं, यदि हाँ तो वेबपेज का हाइपरलिंक दें।

बैंक ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा दक्षता के कई पहल शुरू की है। बैंक पर्यावरण के अनुकूल ऐसी हरित परियोजनाओं को प्राथमिकता व महत्व देता है जो कार्बन कम करते हैं जैसे पवन मिल्स / सौर ऊर्जा परियोजनाएं आदि। बैंक को हरित व स्वच्छ तकनीकी परियोजनाओं को अधिमानी ऋण देने की योजनाएं हैं।

इसके अलावा, बैंक उच्च ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइटिंग) अपने सभी परिसर लगाने के लिए अग्रसर है। बैंक भी उच्च ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में रेटेड ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करने की नीति का अनुसरण कर रहा है अर्थात एयर कंडीशनर।

बैंक स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाते हुए जनरेटर के उपयोग में सीपीसीबी नियम (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) का पालन करता है। बैंक अपने विभिन्न स्थानों पर सौर ऊर्जा संचालित यूपीएस लगाने और अक्षय ऊर्जा के उपयोग को भी अपनाने की प्रक्रिया में है।

6. क्या कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन / अपशिष्ट सूचित वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है?

बैंक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है अतः यह लागू नहीं है।

7. वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त कानूनी नोटिस / कारण बताओ नोटिसों की संख्या जो कि लंबित हैं? (यानी संतुष्टि के स्तर तक नहीं निपटाया गया है)।

शून्य

सिद्धांत 7: कारोबार, जब आमजनता और विनियामक नीतियों को प्रभावित करता है तो ऐसा जिम्मेदारीपूर्वक किया जाए।

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चेंबर या संघ की सदस्य है? यदि हां तो उन बड़ी संस्थाओं के नाम बताएं जिनके साथ आपका कारोबार होता है?

हाँ।

Various green banking initiatives undertaken by the Bank include core banking solution, internet banking, telebanking, mobile banking, ATMs, solar powered biometric ATMs for the use of rural folk, E-lounges in branches and e-governance for its staff and administrative areas to promote paperless banking.

5. Has the company undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y / N. If yes, please give hyperlink for web page etc.

Bank has undertaken a no. of initiatives to promote clean technology and energy efficiency. Bank gives due weightage and preference to environment friendly green projects which earn the carbon credits, such as, Wind Mills/Solar Power projects. Bank has schemes of extending preferential credits to the Green and clean technology projects.

Further, the Bank is changing over to CFL's (Compact Fluorescent Lightings) in all its premises ensuring higher energy efficiency. The Bank is also following a policy of using Rated Energy Efficient Appliances, viz., Air Conditioners towards ensuring higher energy efficiency.

The Bank is complying with the CPCB rules (Central Pollution Control Board) in usage of generators adopting clean technology. The Bank is also in the process of deploying solar powered UPS for its various locations and adopting renewable energy usage.

6. Are the Emissions / Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?

The Bank is engaged in providing financial services and hence not applicable.

7. Number of show cause / legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.

Nil

Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:

Yes.

- क) भारतीय बैंक संघ (आईबीए)
- ख) भारतीय बैंकिंग व वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)
- ग) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)
- घ) राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम)
- ड.) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम(एनपीसीआई)
- च) भारतीय समाशोधन निगम(सीसीआई)
- छ) भारतीय निवेश बैंकर संघ, मुंबई

- a) Indian Banks' Association (IBA)
- b) Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)
- c) Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)
- d) National Institute of Bank Management (NIBM)
- e) National Payments Corporation of India (NPCI)
- f) The Clearing Corporation of India (CCI)
- g) Association of Investment Bankers of India, Mumbai

2. क्या आपने जनहित की उन्नति या सुधार के लिए ऊपर संघों के माध्यम से वकालत / पैरवी की है? हाँ/नहीं, यदि हाँ तो मौटेतौर पर उन क्षेत्रों के बारे में बताएं (गवर्नेंस और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियों, ऊर्जा, सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यावसायिक सिद्धांत, अन्य)

2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy, security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)

सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के कारण बैंक पर देश के सभी क्षेत्रों व सभी वर्गों को को बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करने का सामाजिक उत्तरदायित्व है। इसके अलावा, बैंक मोटे तौर पर देश के स्थायी विकास में योगदान के लिए आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, समावेशी विकास और समान विकास, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों को शामिल करते हुए समय - समय पर भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी नीतिगत निर्देशों / नियामक दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है।

The Bank, being one of the public sector banks of India, is driven by the social objective of extending the benefits of the banking services to all regions of the country and to all classes of people. Further, the Bank is adhering to all the policy directions/ regulatory guidelines issued by Government of India and the Reserve Bank of India from time to time broadly covering the areas of economic and financial sector reforms, inclusive growth and equitable development, national priorities and food security contributing to sustainable development of the country.

सिद्धांत 8: कारोबार समग्र विकास और समान विकास को संबल दे

Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. क्या कंपनी में सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं हैं? हाँ तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है।

1. Does the company have specified programmes/ initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.

बैंक ने समावेशित वृद्धि व समान विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों / पहलों / परियोजनाओं को चलाया है।

The Bank has undertaken various initiatives/ programmes / projects in pursuit of inclusive growth and equitable development of the society.

विवरण निम्नवत है:

The details are as under:

बैंक ने सभी आबंटित 10049 गाँवों में 878 ब्रिक व मोर्टार शाखाओं के द्वारा और 2459 बीसी एजेंटों की सेवाएं प्रयुक्त कर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए वहनीय खर्च पर बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है। इसका कार्यावयन दो मॉडल के तहत किया गया यानी ब्रिक व मोर्टार मॉडल और कारोबार संपर्की मॉडल।

Bank has provided Banking facilities in all the allotted 10049 villages by opening 878 brick & mortar branches and engaging 2459 BC agents. The objectives are to provide them the banking services at affordable cost in order to improve their standard of living. The implementation was done under two models, viz., Brick and Mortar model and Business Correspondent model.

जिला/ब्लॉक स्तर पर 71 वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) खुले हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान 14.93 लाख व्यक्तियों को शिक्षित किया गया है एवं आरंभ से अब तक 47 लाख व्यक्तियों को शिक्षित किया गया है।

2. क्या कार्यक्रम / परियोजना आंतरिक टीम / स्व संस्थान / बाह्य / गैर सरकारी संस्था / सरकारी संस्था / या कोई अन्य संस्था के माध्यम से किए जाते हैं?

वित्तीय समावेशन परियोजना आंतरिक टीम की सहायता से लागू की गयी। बैंक में प्राथमिकता साख और वित्तीय समावेशन विभाग के अंतर्गत एक अलग वित्तीय समावेशन प्रभाग है जिसके प्रमुख एक महाप्रबंधक है। बैंक वित्तीय साक्षरता न्यास के माध्यम से वित्तीय साक्षरता का प्रचार कर रहा है।

अन्य न्यासों / सोसाइटियों का नाम निम्नगत है जहाँ बैंक परियोजनाएं लागू करने के लिए सम्मिलित है, जो जनता तथा समाज की सेवा में प्रभाव उत्पन्न किया है:

1. केनरा शताब्दी ग्रामीण विकास न्यास
2. केनरा वित्तीय सलाहकारी न्यास
3. केनरा स्वर्ण जयंती शिक्षा निधि
4. केनरा राहत व कल्याण सोसाइटी

बैंक अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत इन्हीं न्यासों के क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेती है तथा निधीयन भी करता है।

3. क्या अपने प्रयास का आपने प्रभाव मूल्यांकन किया है ?

हाँ। बैंक पहल के मुख्य प्रभाव अपने ग्राहकों को उत्पादों के वितरण में है। मुख्य डेलिवेरेबल्स हैं :-

बैंक ने वर्ष 2016-17 के दौरान 12.32 लाख बैंकिंग सेवारहित लोगों तथा योजना की शुरुआत से लेकर अबतक 172.26 लाख बैंकिंग सेवारहित लोगों को मूलभूत बचत जमा खाता उपलब्ध कराया है।

वर्ष 2016-17 के दौरान हमारी 33 वित्तीय समावेशन शाखाएँ खुली हैं और 25,038 खाते से ₹33 करोड़ का कारोबार किया तथा ₹12 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया जिससे 1984 लाख हिताधिकारी लाभान्वित हुए।

बैंकिंग सेवा रहित ग्रामीणों को मूलभूत बचत जमा खाता, पीएमजेडीवाई ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, ऋण सुविधा जैसे सामान्य क्रेडिट कार्ड योजना, विभिन्न ब्याज पर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ऋण अदला-बदली (स्वैपिंग) योजना और कई साख उत्पाद उपलब्ध कराए गए।

71 Financial literacy centres (FLCs) opened at District/Block levels. 14.93 lakh persons have been educated during the year 2016-17 and 47 lakh persons since inception.

2. Are the programmes / projects undertaken through in-house team / own foundation/external NGO / government structures / any other organization?

The financial inclusion projects have been undertaken with the help of an in-house team. The Bank has a separate Financial Inclusion Division under Priority Credit and Financial Inclusion Wing, headed by a General Manager. Bank is propagating financial literacy through Financial Literacy Trust.

Following are the other Trusts / Societies wherein Bank is involved for taking up of the projects which have created an impact in serving the people and the society:

1. Canara Centenary Rural Development Trust
2. Canara Financial Advisory Trust
3. Canara Golden Jubilee Education Fund
4. Canara Relief & Welfare Society

Bank continues to actively fund and also involve in the activities of these Trusts under its CSR.

3. Have you done any impact assessment of your initiative?

Yes. Major impact of the Bank initiatives is the delivery of the products to its customers. The major deliverables are:

The Bank has provided Basic Savings Deposit accounts to 12.32 lakh unbanked people during the year 2016-17 and 172.26 lakh unbanked persons since inception of the Scheme.

During 2016-17, 33 FI Branches have been opened garnering a business of ₹33 crores in 25,038 accounts and provided a credit of ₹12 crores benefitting 1984 lakh beneficiaries.

The unbanked rural people are provided with Basic Savings Deposit Accounts, PMJDY Overdraft Facilities, credit facilities under products like Differential Rate of Interest Scheme, Kisan Credit Card Scheme, Debt Swapping Scheme, SHG and various other credit products.

वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने सफलतापूर्वक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कार्यान्वित की हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत 50.83 लाख नामांकन किये गये हैं। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत 1.05 लाख खाते संचरित किये गये हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 11419 खाते खोले गये हैं।

बैंक ने देशभर में “केनरा ग्रामीण विकास वाहिनी वाहन” नामक समावेशी विकास वाहन एवं 25 वाहन प्रदान किए हैं। इन वाहनों में कृषि विस्तारण अधिकारी या सामान्य अधिकारी साथ जाते हैं जिन्हें हमारी विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी होती है और ये नियमित तौर पर ग्रामीणों में जागरूकता पैदा करने जाते हैं। इन वाहनों में खाता खोलने के फार्म तथा अन्य योजनाओं के पैम्फलेट्स होते हैं।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है – राशि रूपों में तथा परियोजनाओं का विवरण।

बैंक ने विभिन्न सामुदायिक विकास और सामाजिक – आर्थिक कल्याण गतिविधियों में लगे संगठनों को ₹33.18 करोड़ की राशि मंजूरित की। (कृपया बिंदु 5 का भाग (ख) का संदर्भ लें)

5. क्या इस समुदाय विकास की पहल को सफलतापूर्वक समुदाय द्वारा अपनाया जाने को सुनिश्चित करने के लिए आपने कदम उठाए हैं? कृपया 50 शब्दों में बताएं।

बैंक दानग्राही संगठन / संस्थान से सनदी लेखाकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त करता है जो पुष्टि करता है जिस उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा दान मंजूर किया गया था उसका अंतिम उपयोग किया गया है।

परियोजनाओं के लिए उपदान विभिन्न चरणों पर विकास कार्यों के प्रगति के आधार पर तथा साइट पर पूर्व-विकासात्मक व विकासोपरांत दौरा के पश्चात संवितरित किया जाता है। सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करके समुदाय के लोगों को भी शामिल करके परियोजनाओं में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करके सहायता वितरित किया जाता है।

बैंक के पास यह सुनिश्चित करने हेतु तंत्र स्थापित है कि समुदाय विकास प्रक्रिया को अपना रहा है।

The Bank has implemented social security schemes successfully during the year 2016-17. 50.83 lakhs enrolments have been done under both Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJY) & Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY). Under Atal Pension Yojana (APY) 1.05 lakh accounts were mobilized. 11419 accounts have been opened under Sukanya Samridhi Yojana.

The Bank has provided inclusive growth vehicles called “Canara Gramin Vikas Vahini Vehicles” & 25 vehicles are deployed across the country. These vehicles accompanied by an Agriculture Extension Officer or general officer who are well aware of the Bank’s various rural development schemes visit the villages regularly for creating awareness among the rural mass about banking. The vehicles are also provided with the account opening forms and pamphlets of various schemes.

4. What is your company’s direct contribution to community development projects - Amount in INR and the details of the projects undertaken.

The Bank has sanctioned a sum of ₹33.18 Crores (sponsorships) engaged in various community development and socio-economic welfare activities (Pl. refer to Section B Point No.5).

5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.

The Bank is obtaining a Certificate issued by a Chartered Accountant of the donee organization/ Institute confirming the end use of the donation for the purpose for which the donation was sanctioned by the Bank.

The grants for the projects are disbursed in stages depending upon the progress of the developmental work and after conducting pre-developmental and post-developmental site visits. The assistance are handed over by organizing public function involving the community members ensuring their participation in the projects.

The Bank has a mechanism to ensure that the community adopts to the developmental process.

सिद्धांत 9: कारोबार जिम्मेदारी से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं से जुड़े और उन्हें सम्मान प्रदान करो।

1. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/ उपभोक्ता प्रकरण लंबित हैं?

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 66,977 ग्राहक शिकायतों की 4.72% (3165) लंबित थी।

2. क्या कंपनी, स्थानीय नियमों की अनिवार्यता के अलावा, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की सूचना प्रदर्शित करती है? हाँ / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणियाँ (अतिरिक्त सूचनाएँ)

बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी पैम्फलेट्स और ब्रोशर के माध्यम से शाखाओं में उपलब्ध करायी जाती है और इसे बैंक की वेबसाइट में भी उपलब्ध कराया गया है।

3. क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित कारोबार व्यवहार, गैर जिम्मेदारान विज्ञापन और / या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के किसी भी मामले के बारे में कंपनी के खिलाफ किसी भी शेरधारक द्वारा मामला दायर किया गया है और जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित है? यदि ऐसा है तो 50 शब्दों में विवरण दें।

शून्य

4. क्या आपकी कंपनी ने किसी भी उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि रूझान का पता लगाया है?

बैंक शाखाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए और अपने ग्राहकों से सीधे प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, एक स्व-निहित, स्टांपयुक्त प्रश्नावली उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए ग्राहकों को वितरित करने लिए बैंक की शाखाओं को उपलब्ध कराया गया था। सर्वेक्षण के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

1. 95% ग्राहक एटीएम संबंधित सेवाओं से संतुष्ट हैं।
2. 84% ग्राहक इंटरनेट सेवाओं से संतुष्ट हैं।
3. समग्र रूप से 92% ग्राहक बैंक की सेवाओं से संतुष्ट थे।

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.

4.72% (3165) of the 66,977 customer complaints received were pending as at the end of the financial year.

2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A. /Remarks (additional information)

The information about the products and services offered by the Bank are made available in the branches through pamphlets and brochures and is also made available in the Bank's website.

3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Nil.

4. Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?

To assess the quality of customer service rendered by the Bank's branches and to get the feedback directly from the customers, a self contained, prestamped questionnaire was made available to all branches for distributing the same to customers for providing their feedback. The finding of the Survey is as under:

1. 95% of the customers were satisfied with ATM related services.
2. 84% of the customers were satisfied with internet services.
3. Overall 92% of the customers were satisfied with the Bank's services.



कॉर्पोरेट अभिशासन पर निदेशक
मंडल की रिपोर्ट

2016-2017

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON
CORPORATE GOVERNANCE

काॅर्पोरेट अभिशासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

1) काॅर्पोरेट अभिशासन पर बैंक का दर्शन:

“काॅर्पोरेट अभिशासन सारे श्रेयधारकों के सुस्थिर विकास के लिए संपदा के प्रभावी प्रबंधन और वितरण तथा सामाजिक दायित्व निभाने के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन आचरणों का अनुप्रयोग, सही मायने में कानून का अनुपालन एवं नैतिक मानकों का अनुसरण होता है।”

केनरा बैंक की संकल्पना आस्ति संविभाग, ग्राहकोन्मुखता, उत्पाद नवोन्मेषण, लाभप्रदता के क्षेत्रों में सर्वोत्तम आचरण तथा श्रेयधारकों हेतु संवर्धित मूल्य के साथ विश्व स्तरीय बैंक के रूप में उभरना है। इस संकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपने प्रयासों में बैंक काॅर्पोरेट अभिशासन की प्रभावी प्रणाली पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। निदेशक मंडल, उच्च प्रबंधन और कार्यपालकों के बीच में विचार-विमर्श ऐसा होता है कि उसकी एक बेजोड़ और अलग भूमिका हो ताकि खास तौर पर अपने श्रेयधारकों को और आमतौर पर जनता को संवर्धित मूल्य प्राप्त हो सके।

कंपनी मूल्यों, आचार संहिताओं तथा समुचित व्यवहार के अन्य मानकों के पालन के जरिए समस्त हितधारक-जमाकर्ताओं, श्रेयधारकों, ग्राहकों, उधारकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज को इष्टतम सुस्थिर मूल्य उपलब्ध कराना समग्र उद्देश्य है।

2) निदेशक मंडल:

बैंक के निदेशक मंडल का गठन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 (यथा संशोधित) की धारा 9(3) एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के अनुसार किया गया है।

बैंक के बोर्ड में गणमान्य व्यक्ति हैं, जिन्होंने बैंकिंग और तत्संबंधी अन्य क्षेत्रों में अपने बहुविध एवं दीर्घकालिक अनुभवों से बैंक की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

बोर्ड के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट "क" व "ख" में दिये गये हैं।

3) लेखापरीक्षा समिति:

बैंक द्वारा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (ए सी बी) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार की गई है।

Report of the Board of Directors on Corporate Governance

1) Bank's philosophy on Corporate Governance:

“Corporate Governance is the application of best management practices, compliance of law in true letter and spirit and adherence to ethical standards for effective management and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders.”

The vision of Canara Bank is to emerge as a World Class Bank with best practices in the realms of Asset Portfolio, Customer Orientation, Product Innovation, Profitability and enhanced value for stakeholders. In its endeavour to attain the goal visualized, the bank is laying maximum emphasis on the effective system of Corporate Governance. The interaction between the Board, Senior Management and the Executives is so configured as to have a distinctly demarcated role so as to derive enhanced value to its stakeholders in particular and society in general.

The overall objective is to optimize sustainable value to all stakeholders-depositors, Shareholders, customers, borrowers, employees and society through adherence to Corporate values, Codes of conduct and other standards of appropriate behaviour.

2) Board of Directors:

The Board of the Bank has been constituted under Section 9(3) of the Banking Companies {Acquisition & Transfer of undertaking} Act 1970 (as amended) and Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970 (as amended).

The Board of the Bank consists of eminent personalities, who through their rich and varied experiences in Banking and other related fields have made significant contribution towards the progress of the bank.

The composition of members of the Board and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.

3) Audit Committee:

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the bank as per guidelines of Reserve Bank of India and the Government of India.

- i) ए सी बी बैंक के समग्र लेखापरीक्षा कार्य के परिचालन के पर्यवेक्षण के साथ-साथ निर्देशन भी प्रदान करती है ।
- ii) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का मुख्य कार्य निम्नवत है:
- क. बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण एवं सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय प्रकटन सुनिश्चित करना ।
- ख. लेखांकन नीतियों और व्यवहारों पर विशेष बल देते हुए वित्तीय विवरणियों से संबंधित लेखांकन मानदंडों और कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रबंधन तंत्र के साथ वित्तीय विवरणियों की समीक्षा करना, तथा
- ग. बाह्य एवं आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता की समीक्षा करना, वार्षिक लेखा और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पहले बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना तथा बैंक की वित्त एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना ।
- iii) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा लॉन्ग फॉर्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाये गये मामलों के बारे में स्थिति की समीक्षा करती है ।
- iv) यह समिति भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में उठाये गये सभी मामलों / टिप्पणियों का अनुवर्तन भी करती है ।
- v) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति, अनुपालन कक्ष, अंतर-शाखा लेखा समाधान अनुभाग (आईबीएआर) आदि से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा भी करती है ।
- i) ACB provides directions and also oversees the operation of the total Audit function of the Bank.
- ii) The main functions of the ACB committee are as under:
- a. To oversee the bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information.
- b. Reviewing with the management, the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance with accounting standards and other legal requirements, concerning financial statements and
- c. Review the adequacy, quality and effectiveness of external and internal audit, internal control system, interaction with external auditors before finalization of Annual accounts and reports, review Bank's finance and risk management policies.
- iii) ACB reviews the position with regard to issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).
- iv) It follows up on all the issues / concerns raised in the Inspection Report of RBI.
- v) ACB also makes a review of reports received from Compliance Cell, Inter-Branch Account Reconciliation (IBAR) section, etc.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र आरबीआई/2010-11/269-डीबीएस.एआरएस.बीसी संख्या: 4/08.91.20/2010-11, दिनांक 10.11.2010 द्वारा समीक्षा कैलेण्डर सूचित किया है जिसे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को अमल करना है । इन मदों को आवधिक समीक्षा के लिए बैंक की कॉर्पोरेट अभिशासन नीति में शामिल किया गया है और इन्हें समीक्षा कैलेण्डर के मुताबिक लेखा परीक्षा समिति के सामने विधिवत रखा जाता है ।

लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट "क" एवं "ख" में दिये गये हैं ।

4) (i) नामांकन समिति :

भारतीय रिज़र्व बैंक की संसूचना डीबीओडी सं. बीसी सं. 47/29.39.001/2007-28 दिनांक 01.11.2007 के अनुसार

The Reserve Bank of India, vide their letter RBI/2010-11/269-DBS.ARS.BC.NO. 4/08.91.20/2010-11, dated 10.11.2010, conveyed the Calendar of Reviews to be followed by the Audit Committee of the Board. These items have been incorporated in the Corporate Governance Policy of the Bank for periodical review and are duly placed before the Audit Committee as per Calendar of Reviews.

The composition of members of Audit Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A & B.

4) (i) Nomination Committee :

In terms of RBI Communication DBOD No. BC.No. 47/29.39.001/2007-08, dated 01.11.2007, the

बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार मौजूदा निर्वाचित शेयरधारक निदेशकों / प्रस्तावित उम्मीदवारों की “उपयुक्तता व अनुकूलता” स्थिति निर्धारित करने की समुचित प्रक्रिया शुरू करने के उद्देश्य से एक नामांकन समिति का गठन किया है। समिति ने 16.07.2016 को उन उम्मीदवारों की “उपयुक्तता व अनुकूलता” स्थिति निर्धारित करने हेतु बैठक आयोजित की, जो कि यथा 26.07.2016 को आयोजित शेयरधारक निदेशक का चुनाव लड़ रहे थे।

(ii) पारिश्रमिक समिति:

भारत सरकार के पत्र एफ सं. 20/1/2005-बीओ.आई, दिनांक 09.03.2007 के संदर्भ में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ बैंक के निदेशक मंडल ने पारिश्रमिक समिति गठित की है। पारिश्रमिक समिति के सदस्यों की संरचना और बैठकों में उपस्थिति के विवरण परिशिष्ट "क" तथा "ख" में दिये गये हैं।

5) निदेशकों को पारिश्रमिक राशि का भुगतान:

क) निदेशकों को पारिश्रमिक, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अदा किया गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त वेतन विवरण निम्नवत है:

नाम व पदनाम	राशि (₹)
श्री राकेश शर्मा प्रबंध निदेशक व मु.का.अ.	30,05,452.00
श्री हरिदीश कुमार बी कार्यपालक निदेशक	25,82,699.00
श्री दीनबन्धु महापात्र कार्यपालक निदेशक	25,19,023.36
श्रीमती पी. वी. भारती कार्यपालक निदेशक	13,10,298.53
श्री प्रद्युमन सिंह रावत भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक	5,32,736.80
कुल	99,50,209.69

ख) गैर कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित बैठक शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार की पारिश्रमिक राशि नहीं दी जा रही है। निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क परिशिष्ट 'ग' में दी गई है।

Board of the Directors of the Bank had constituted a Nomination Committee to undertake a process of due diligence to determine the “Fit and Proper” status of the existing elected Shareholder Directors / Proposed Candidates as per the guidelines of RBI. The Committee met on 16.07.2016 to determine the “Fit and Proper” status of the candidates who were contesting for the election of Shareholder Directors which was held on 26.07.2016.

(ii) Remuneration Committee:

In terms of GOI Letter F.No 20/1/2005-BO.I Dt. 09.03.2007, the Board of Directors of the Bank had constituted a Remuneration Committee to evaluate the performance of whole time directors as per GOI guidelines. The composition of members of Remuneration Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A & B

5) Remuneration to Directors:

a) Remuneration to Directors is paid as per Government of India guidelines. The details of salary paid to the whole-time Directors of the Bank, during the year 2016-17 are as under:

Name & Designation	Amount (₹)
Shri Rakesh Sharma MD & CEO	30,05,452.00
Shri Harideesh Kumar B Executive Director	25,82,699.00
Shri Dinabandhu Mohapatra Executive Director	25,19,023.36
Smt P V Bharathi Executive Director	13,10,298.53
Shri Pradyuman Singh Rawat Ex-Executive Director	5,32,736.80
TOTAL	99,50,209.69

b) Non- Executive Directors are not being paid any other remuneration except Sitting Fees as fixed by Government of India. The sitting fees paid to the Directors is given in the Appendix C.

6) हितधारक संबंध समिति :

इस समिति द्वारा शेयरों का अंतरण, तुलन पत्र प्राप्त न होना, घोषित लाभांश वारंट प्राप्त न होना आदि से संबंधित शिकायतों सहित बैंक के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निवारण का अनुप्रवर्तन किया जाता है।

शेयरधारक शिकायत सांख्यिकी:	
प्राप्त शिकायतों की संख्या	738
ऐसी शिकायतें जिनके समाधान से शेयरधारक संतुष्ट नहीं हुए	शून्य
लंबित शिकायतें	शून्य

उपर्युक्त शिकायतों में से एक भी शिकायत एक महीने से अधिक लंबित नहीं थी।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 6(1) के अनुसार श्री बी नागेश बाबू, कंपनी सचिव, बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

हितधारक संबंध समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट "क" तथा "ख" में दिये गये हैं।

अन्य समितियाँ:

(क) प्रबंधन समिति:

बोर्ड की प्रबंधन समिति राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) की धारा 13 के अनुसार गठित की गई है। प्रबंधन समिति द्वारा साख प्रस्तावों की मंजूरी, ऋणों, बट्टे खाते लिखने के प्रस्ताव का समझौता / निपटान, पूंजी और राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण और क्रिये पर लेना, वादों / अपीलों को दायर करना, निवेश, दान और बोर्ड की समिति को संदर्भित या प्रत्यायोजित अन्य मामलों के संबंध में बोर्ड द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है।

प्रबंधन समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति विवरण परिशिष्ट "क" तथा "ख" में दिये गये हैं।

6) Stakeholders Relationship Committee :

The Committee monitors the redressal of the grievances of the security holders of the Bank including complaints related to transfer of shares, non- receipt of balance sheet, non-receipt of declared dividend warrants.

Shareholders' Grievances Statistics:	
Complaints Received	738
Complaints not solved to the satisfaction of shareholders	Nil
Pending complaints	Nil

None of the above complaints were pending for more than a month.

In terms of Regulation 6(1) of SEBI(LODR) Regulations, 2015, Shri B Nagesh Babu, Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank.

The Composition of members of Stakeholders Relationship Committee and details of attendance at the meeting are given in appendix A & B.

Other Committees:

(a) Management Committee:

The Management Committee of the Board is constituted as per the clause 13 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended). The Management Committee exercises all the powers vested with the Committee in respect of sanctioning of credit proposals, compromise / settlement of loans, write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, filing of suits / appeals, investment, donations and any other matter referred to or delegated to the Committee by the Board.

The composition of members of Management Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A&B.

(ख) जोखिम प्रबंधन समिति:

बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल और बैंक के परिचालन की व्याप्ति के अनुरूप बैंक ने उचित जोखिम प्रबंधन नीतियाँ रूपायित की हैं।

बैंक के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन पद्धति हेतु नीति एवं रणनीति रूपायित करने के लिए बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

चूँकि जोखिम प्रबंधन पद्धति को समिति दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित करना है, चार उच्च स्तरीय समितियाँ अर्थात् साख जोखिम प्रबंधन समिति, बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति एवं समूह जोखिम प्रबंधन समिति स्थापित हैं जो जोखिम प्रबंधन से संबंधित सभी सामान्य जोखिमों से प्रावरित मसलों को संभालती हैं। इन चारों समितियों के अध्यक्ष बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यपालक निदेशक हैं तथा वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा इस मामले में उनकी सहायता की जाती है।

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों की संरचना और बैठक में उनकी उपस्थिति के विवरण अनुबंध "क" तथा "ख" में दिये गये हैं।

(ग) आस्ति देयता प्रबंधन समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के आधार पर बैंक ने आंतरिक आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति के अन्य सदस्यों में बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक शामिल होते हैं।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति के कार्यों की व्याप्ति निम्नांकित है:

- (क) तरलता जोखिम प्रबंधन
- (ख) बाज़ार जोखिम प्रबंधन
- (ग) व्यापारिक जोखिम प्रबंधन
- (घ) निधीयन एवं पूंजी आयोजना
- (ङ) लाभ आयोजना एवं विकास आयोजना

आस्ति देयता प्रबंधन समिति निवल ब्याज आय पर आस्ति व देयता दोनों की ब्याज दरों में परिवर्तन से होनेवाले प्रभाव एवं तरलता स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से विचार विमर्श करती है।

(b) Risk Management Committee:

The Bank has evolved suitable Risk Management Policies consistent with the size of the Bank, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank.

A Board Level Risk Management Committee has been formed, with the responsibility of devising policy and strategy for integrated Risk Management System for the Bank.

As the Risk Management system is required to be implemented through a Committee approach, four high level committees viz. Credit Risk Management Committee, Market Risk Management Committee, Operational Risk Management Committee and Group Risk Management Committee are in place to deal with the issues relating to Risk Management covering all generic risks. The MD & CEO or ED of the Bank is the Chairman for all the four Committees, assisted by the Senior Level Executives of the Bank.

The composition of members of Risk Management Committee of the Board and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.

(c) Asset Liability Management Committee:

Based on RBI directives, the Bank has set up an internal Asset Liability Management Committee (ALCO) headed by MD & CEO or ED of the Bank. The other members of the Committee include the Senior Executives of the Bank.

The scope of ALCO functions is as follows:

- (A) Liquidity risk management
- (B) Management of market risk
- (C) Trading risk management
- (D) Funding and capital Planning
- (E) Profit planning & growth planning

The ALCO deliberates in detail over the liquidity position and the impact of changes in the interest rates of both assets and liabilities on the Net- Interest Income.

7) सामान्य बैठकें:

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण नीचे प्रस्तुत हैं:

दिनांक	समय	स्थान
21.07.2014	3.30 अपराह्न	सभागृह - 1, निमहंस, कंवेसन सेंटर, होम्बेगौडा नगर, होसूर मेन रोड, बेंगलूरु - 560 029
14.07.2015	3.30 अपराह्न	सभागृह - 1, निमहंस, कंवेसन सेंटर, होम्बेगौडा नगर, होसूर मेन रोड, बेंगलूरु - 560 029
26.07.2016	10.30 पूर्वाह्न	ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूरु- 560 001

पिछली वार्षिक सामान्य बैठक (अर्थात दिनांक 26.07.2016 को आयोजित बैंक की 14वीं सामान्य बैठक) में एक विशेष संकल्प रखा गया था तथा कोई डाक मतदान नहीं किया गया।

14वीं सामान्य बैठक में उपस्थित निदेशकों के विवरण परिशिष्ट "ख" में दिये गये हैं।

8) संप्रेषण का माध्यम:

केनरा बैंक, बैंक से संबंधित जानकारी मुख्यतः बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के ज़रिए देता है, जिसमें कॉर्पोरेट अभिशासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखा, नकद प्रवाह विवरण आदि शामिल हैं। शेयरधारकों को अखबारों में प्रकाशन, स्टॉक एक्सचेंज को सूचना, प्रेस विज्ञप्तियाँ एवं बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com आदि के ज़रिए भी जानकारी दी जाती है। बैंक वेबसाइट में कार्यालयीन समाचार विज्ञप्तियाँ / प्रस्तुतीकरण भी प्रदर्शित करती है।

सूचीकरण करार के खंड 41 / सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अनुसार वित्तीय परिणाम और मूल्य में संवेदनशीलता संबंधी अन्य सूचनाएं स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाती हैं।

7) General Body meetings:

The details of last three Annual General Meetings held are furnished here below:

Date	Time	Venue
21.07.2014	3.30 pm	Auditorium - 1, NIMHANS Convention Centre, Hombegowda Nagar, Hosur Main Road, Bengaluru - 560 029
14.07.2015	3.30 pm	Auditorium - 1, NIMHANS Convention Centre, Hombegowda Nagar, Hosur Main Road, Bengaluru - 560 029
26.07.2016	10.30 am	Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bengaluru - 560 001

One special resolution was put through in last Annual General Meeting (ie., 14th AGM of the Bank held on 26.07.2016) and there were no postal ballot exercise.

Details of attendance of Directors at the 14th Annual General Meeting are given in Appendix B.

8) Means of communication:

Canara Bank provides information relating to Bank through its Annual Report which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors report, audited accounts, cash flow statements, etc. The shareholders are also intimated of its performances, through publication in news papers, intimation to stock exchanges, press releases and through website at www.canarabank.com. The Bank also displays official News releases, presentations in its website.

In terms of Clause 41 of the Listing Agreement / Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Financial Results and other price sensitive informations are furnished to Stock Exchanges.

परिणामों का प्रकाशन:

समाप्त तिमाही	प्रकाशन की तारीख	समाचार पत्र	
		देशी भाषाएं	राष्ट्रीय
31.03.2016	28.05.2016	विजय कर्नाटका	बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेज़ी व हिन्दी)
30.06.2016	26.07.2016	प्रजावाणी	बिजनेस स्टैण्डर्ड, बिजनेस लाइन व मिन्ट
30.09.2016	27.10.2016	उदयवाणी	बिजनेस स्टैण्डर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैण्डर्ड (हिन्दी)
31.12.2016	21.01.2017	विजयवाणी	बिजनेस स्टैण्डर्ड व बिजनेस लाइन

9) शेयरधारकों की सामान्य सूचना:

वित्तीय कैलेंडर:

वित्तीय वर्ष	2016-2017
बही बंद होने की तारीख (दोनों दिन सहित)	14.07.2017 - 20.07.2017
प्रॉक्सि फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	15.07.2017
ई-मतदान कट-ऑफ तिथि	13.07.2017
वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख	20.07.2017

स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण:

निम्नांकित स्टॉक एक्सचेंजों में केनरा बैंक के शेयरों का सूचीकरण किया गया है। संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों का स्टॉक कूट उनके नाम के आगे दिया गया है।

1	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	532483
2	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	CANBK

वर्ष 2016-17 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान निर्धारित देय तिथि के अंदर किया गया है।

Publication of Results:

Quarter Ended	Date of Publication	Newspaper	
		Vernacular	National
31.03.2016	28.05.2016	Vijaya Karnataka	Business Standard (English & Hindi)
30.06.2016	26.07.2016	Prajavani	Business Standard, Business Line & Mint
30.09.2016	27.10.2016	Udayavani	Business Standard, Financial Express, Business Standard (Hindi)
31.12.2016	21.01.2017	Vijayavani	Business Standard and Business Line

9) General Shareholders' Information:

Financial Calendar:

Financial year	2016-2017
Book Closure Date (Both days inclusive)	14.07.2017 - 20.07.2017
Last Date for receipt of proxy forms	15.07.2017
e-Voting Cut-Off Date	13.07.2017
Date of Annual General Meeting	20.07.2017

Listing on Stock Exchanges:

Canara Bank shares are listed at the following Stock Exchanges. Stock Codes of respective stock exchanges are furnished against their names.

1	Bombay Stock Exchange Ltd.	532483
2	National Stock Exchange of India Limited	CANBK

Annual Listing fee to stock exchanges for the year 2016-17 has been paid within the prescribed due date.

बाजार मूल्य आंकड़े

माह	वर्ष	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड			नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.		
		अधिकतम (₹)	न्यूनतम (₹)	शेयरों की मात्रा	अधिकतम (₹)	न्यूनतम (₹)	शेयरों की मात्रा
अप्रैल	2016	217	181	65,04,766	217	181	6,26,23,454
मई	2016	208	176	83,86,760	209	176	7,60,75,198
जून	2016	221	191	1,02,43,097	221	190	10,48,32,608
जुलाई	2016	268	217	1,16,54,987	268	217	11,20,39,622
अगस्त	2016	284	242	81,16,819	284	242	8,71,13,956
सितंबर	2016	319	276	73,14,125	319	276	9,28,60,767
अक्टूबर	2016	339	303	57,42,861	339	302	6,91,97,555
नवंबर	2016	331	267	70,33,560	331	252	8,35,75,249
दिसंबर	2016	322	259	45,50,303	322	259	5,65,11,364
जनवरी	2017	293	257	60,89,570	294	257	6,38,90,678
फरवरी	2017	318	280	46,81,548	318	280	5,52,74,904
मार्च	2017	308	281	43,84,115	308	281	4,97,24,087

Market Price Data

Month	Year	Bombay Stock Exchange Ltd.			National Stock Exchange of India Ltd.		
		High (₹)	Low (₹)	Volume No.	High (₹)	Low (₹)	Volume No.
April	2016	217	181	65,04,766	217	181	6,26,23,454
May	2016	208	176	83,86,760	209	176	7,60,75,198
June	2016	221	191	1,02,43,097	221	190	10,48,32,608
July	2016	268	217	1,16,54,987	268	217	11,20,39,622
August	2016	284	242	81,16,819	284	242	8,71,13,956
September	2016	319	276	73,14,125	319	276	9,28,60,767
October	2016	339	303	57,42,861	339	302	6,91,97,555
November	2016	331	267	70,33,560	331	252	8,35,75,249
December	2016	322	259	45,50,303	322	259	5,65,11,364
January	2017	293	257	60,89,570	294	257	6,38,90,678
February	2017	318	280	46,81,548	318	280	5,52,74,904
March	2017	308	281	43,84,115	308	281	4,97,24,087

अन्य प्रकटन:

सेबी ने अपने परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/10/2010 दिनांक 16.12.2010 द्वारा ईक्विटी लिस्टिंग करार के खण्ड 5ए में संशोधन किये। संशोधन के अनुसार, सार्वजनिक या किसी अन्य इश्यू के परिणामस्वरूप भौतिक रूप में जारी किये गये शेयरों, जो अदावी रह जाते हैं, के लिए जारीकर्ता कंपनी द्वारा उसमें निर्धारित प्रक्रिया अपनायी है।

बैंक ने 2002-03 के दौरान आईपीओ जारी करके निवेशकों को ₹ 10/- अंकित मूल्य के 41 करोड़ ईक्विटी शेयर भौतिक और विभौतिक दोनों रूपों में जारी किये।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन की अनुसूची V के मद एफ के अनुसार, भौतिक शेयरों के मामले में अदावी शेयर जारीकर्ता बैंक द्वारा निक्षेपागार सहभागी के साथ खोले गए उचंत खाते में जमा किया जाना है। तदनुसार बैंक ने केनरा बैंक, डीपी कक्ष, बेंगलूर में एक विभौतिक (डीमैट) खाता खोला है। तदसंबंधी जानकारी निम्नानुसार है:

खाते का नाम: केनरा बैंक- अदावी उचंत खाते- भौतिक शेयर डीपीआईडी आईडी / ग्राहक पहचान संख्या : 301356 / 20552606

विवरण	शेयर प्रमाणपत्रों की संख्या	शेयरों की संख्या
यथा 01.04.2012 को	4(अदावी)	2200
2012-13 में अदावी उचंत खाते को अंतरित (उपर्युक्तानुसार)	2	1200
पहचान किए गए / डी आर टी मामला	1	500
पहचान किए गए तथा 2013-14 में हस्तांतरित	1	500
यथा 31.03.2017 को लंबित	--	--

यथा 31.03.2017 को स्थिति- शून्य

Other Disclosures :

The SEBI, vide its Circular CIR/CFD/DIL/10/2010, dated 16.12.2010, made amendments to Clause 5A of the Equity Listing Agreement. As per the amendment, for shares issued in physical form pursuant to a public issue or any other issue, which remain unclaimed, the issuer company has to follow the procedure prescribed therein.

The Bank had gone for IPO during 2002-03 and issued 41 Crore Equity Shares of face value of ₹ 10/- to the investors both under Physical mode and Demat mode.



In terms of Item F of Schedule V of SEBI (LODR) Regulations, the Unclaimed shares of the Bank in respect of Physical shares shall be credited to a demat suspense account opened by the issuer with one of the depository participants. Accordingly, the Bank had opened a Demat Account with Canara Bank, DP Cell, Bangalore. The details are as under:







Name of the Account: Canara Bank – Unclaimed Suspense Account – Physical Shares DPID ID / Client ID Number : 301356 / 20552606

Particulars	No. of Share Certificates	No. of Shares
As on 01.04.2012	4 (Unclaimed)	2200
Transferred to Unclaimed Suspense Account (as stated above) in 2012-13	2	1200
Identified / DRT Case	1	500
Identified & handed over in 2013-14	1	500
Pending as on 31.03.2017	--	--

As on 31.03.2017, the position is NIL.

व्यापक आधार सूचकांकों के प्रति कार्यनिष्पादन / Performance in comparison to Broad Based Indices





रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट

कार्वा कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट: केनरा बैंक
कार्वा सेलीनियम टावर बी, प्लॉट सं. 31-32,
गाच्चीबोवली, नानाक्रमगुडा वित्तीय जिला
सेरिलिंगमपल्लि, हैदराबाद - 500 032

शेयर अंतरण प्रणाली

(क) भौतिक शेयर:

शेयरों के अंतरण / प्रेषण के लिए अंतरण विलेख के साथ मूल शेयर प्रमाणपत्र, बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वा कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को अग्रेषित करना चाहिए।

(ख) विभौतिक रूप में शेयर:

विभौतिक रूप में शेयर हों तो, उनको अंतरित करने के लिए संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) को सुपुर्दगी अनुदेश देने हैं।

शेयर धारण का सवितरण

श्रेणीवार

(31.03.2017)

क्र सं	श्रेणी	# शेयरों की संख्या***	शेयर धारण का %
1	भारत सरकार	395990159	66.30
2	बैंक व वित्तीय संस्थाएं	3040640	0.51
3	बीमा कंपनियां	83226244	13.93
4	म्यूचुअल फंड	40399039	6.76
5	कॉर्पोरेट निकाय	7845531	1.31
6	एन आर आई / ओ सी बी	877028	0.14
7	निवासी व्यक्ति / अविभक्त हिन्दू परिवार / न्यास आदि	34355377	5.77
8	विदेशी संस्थागत निवेशक / एफ पी आई	31556141	5.28
	कुल	597290159	100.00

प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य ₹10/- है

***नोट: बैंक ने भारत सरकार को 3,59,99,105 राइट इक्विटी शेयर और सभी अन्य सफल आवेदक शेयरधारकों को 1,83,00,000 राइट इक्विटी शेयर निर्गमित / आबंटित किये हैं। तदनुसार यथा 31.03.2017 को हमारे बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी बढ़कर ₹597.29 करोड़ हो गयी है।

Registrar and transfer Agent

Karvy Computershare Pvt. Ltd
Unit: Canara Bank
Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda
Serilingampally, Hyderabad - 500 032

Share Transfer System

(a) Physical Shares:

The Original Share Certificates along with transfer deed should be forwarded to M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd, Hyderabad, the Registrar and Share Transfer Agents of the Bank for transfer / transmission of shares.

(b) Shares in Demat form:

In case the shares are in demat form, Delivery Instructions are to be given to the concerned Depository Participant (DP) for transfer of shares.

Distribution of Shareholding

Category wise

(31.03.2017)

Sl No.	Category	# No. of shares***	% of share holding
1	Government of India	395990159	66.30
2	Banks & Financial Institutions	3040640	0.51
3	Insurance Companies	83226244	13.93
4	Mutual Funds	40399039	6.76
5	Bodies Corporate	7845531	1.31
6	NRIs / OCBs	877028	0.14
7	Resident Individuals / HUF / Trust etc.	34355377	5.77
8	Foreign Institutional investors / FPIs	31556141	5.28
	TOTAL	597290159	100.00

Nominal value of each share is ₹10/-

***Note: The Bank has issued / allotted 3,59,99,105 right equity shares to GOI and 1,83,00,000 right equity shares to all other successful applicant shareholders. Accordingly total paid up capital of our bank is increased to ₹597.29 Crore as on 31.03.2017

मूल्य वार:

(31.03.2017)

शेयर धारण	शेयरधारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
5000 तक	1,51,625	92.08	1,71,08,906	2.87
5001 से 10000	8,549	5.19	64,04,901	1.07
10001 से 20000	2,903	1.76	39,18,658	0.66
20001 से 30000	594	0.36	14,59,325	0.24
30001 से 40000	215	0.14	7,47,818	0.13
40001 से 50000	153	0.09	6,86,381	0.11
50001 से 100000	263	0.16	18,37,843	0.31
100001 व उससे अधिक	368	0.22	56,51,26,327	94.61
कुल	1,64,670	100	59,72,90,159	100.00

Value wise:

(31.03.2017)

Shareholding	No. of Shareholders	%	No. of Shares	%
Up to 5000	1,51,625	92.08	1,71,08,906	2.87
5001 to 10000	8,549	5.19	64,04,901	1.07
10001 to 20000	2,903	1.76	39,18,658	0.66
20001 to 30000	594	0.36	14,59,325	0.24
30001 to 40000	215	0.14	7,47,818	0.13
40001 to 50000	153	0.09	6,86,381	0.11
50001 to 100000	263	0.16	18,37,843	0.31
100001 and above	368	0.22	56,51,26,327	94.61
TOTAL	1,64,670	100	59,72,90,159	100.00

शेयरों का विभौतिकीकरण व तरलता:

बैंक के शेयरों का खरीद-बिक्री अनिवार्यतः विभौतिकीकृत रूप में ही किया जाता है। अपने शेयर के विभौतिकीकरण के लिए बैंक मेसर्स नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपॉसिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और मेसर्स सेंट्रल डिपॉसिटरीस सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) के साथ करार में प्रविष्ट हुआ। बैंक शेयर के लिए आबंटित आईएसआईएन आईएनई.476ए01014 है। शेयरों का विभौतिकीकरण उनका आसान नकदीकरण सुनिश्चित करता है।

बैंक के शेयरों का विभौतिक रूप में ही खरीद फरोख्त होने के कारण भौतिक रूप में शेयरों का धारण करनेवाले शेयरधारकों को किसी निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास विभौतिक खाता खोलकर शेयरों के विभौतिक रूप में बदलने के लिए संबंधित निक्षेपागार सहभागी को भेजना है जो उन्हें आगे मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को भेजेंगे, जो बैंक का रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट है।

विभौतिकीकृत / भौतिक रूप से धारण (31.03.2017)

	शेयरधारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
भौतिक	25480	15.47	5893007	0.98
इलेक्ट्रॉनिक-एनएसडीएल	99649	60.51	187708532	31.43
इलेक्ट्रॉनिक-सीडीएसएल	39541	24.02	403688620	67.59
कुल	164670	100.00	597290159	100.00

जीडीआर / एडीआर / वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखतें बकाया नहीं हैं।

पत्राचार का पता

केनरा बैंक
सचिवीय प्रभाग
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
का सचिवालय
प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड
बेंगलूरु - 560 002
ई-मेल पता: hosecretarial@canarabank.com

Dematerialisation of shares and liquidity:

The Bank's shares are traded compulsorily in dematerialized form only. The Bank has entered into agreement with M/s National Securities Depository Limited (NSDL) and M/s Central Depositories Services (India) Limited (CDSL) for Dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN allotted to the Bank's shares is INE476A01014. Dematerialisation of the shares ensures easy liquidity.

Since the shares of the Bank are traded in demat mode, the shareholders holding shares in physical form, have to open Demat Accounts with any of the Depository Participant (DP) and surrender their original share certificates to the concerned Depository Participant (DP) for onward transmission to M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad, the R & T Agents of the Bank, for conversion of shares in demat form.

Demat / Physical Holding (31.03.2017)

	Number of Shareholders	%	Number of Shares	%
Physical	25480	15.47	5893007	0.98
Electronic-NSDL	99649	60.51	187708532	31.43
Electronic-CDSL	39541	24.02	403688620	67.59
TOTAL	164670	100.00	597290159	100.00

There are no outstanding GDRs / ADRs / Warrants or any convertible instruments.

Address for Correspondence

CANARA BANK
SECRETARIAL DEPARTMENT
MD & CEO'S SECRETARIAT
HEAD OFFICE, 112, J C ROAD
BENGALURU - 560 002
EMAIL ID: hosecretarial@canarabank.com

10) प्रकटन:

- क) बैंक के संबंधित पक्ष संव्यवहार को यथा 31.03.2017 के तुलन-पत्र के लेखांकन संबंधी अनुसूची 18 में प्रकट की गई है। आगे, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष संव्यवहार नहीं हुआ है।
- ख) बैंक ने अपने शेयरों का सूचीकरण करने के बाद पूंजी बाजार से संबंधित सभी मामलों का अनुपालन किया है। गत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंज या सेबी अथवा किसी भी अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा बैंक पर न कोई दंड लगाया गया है और न ही कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है।
- ग) बैंक ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार व्हिसल ब्लोअर नीति स्थापित की है तथा व्हिसल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान की गई है।
- घ) बैंक ने अपने विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सारी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 27(1) की विवेकाधीन अपेक्षा का कार्यान्वयन निम्न हद तक किया गया है:

10) Disclosures:

- a) The Related Party Transactions of the Bank are disclosed in the notes on accounts schedule 18 of the Balance Sheet as on 31.03.2017. Further, there are no materially significant related party transactions during the financial year 2016-17.
- b) The Bank has complied with all matters related to capital market since its listing of shares. There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authorities on any matter related to capital Markets, during the last three years.
- c) The Bank has drawn Whistle Blower Policy as per the GOI guidelines and the protection has been extended to the Whistle Blower.
- d) The Bank has complied with all the mandatory requirements prescribed by Regulatory Authorities.

The extent of implementation of Discretionary Requirements of Regulation 27(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 is as under:

क्र सं	विवेकाधीन आवश्यकताएं	कार्यान्वयन की स्थिति
क	बोर्ड गैर कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के व्यय पर अध्यक्ष का कार्यालय संभालने हेतु हकदार हैं और साथ ही अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति उन्हें अनुमत है।	हां
ख	शेयरधारक के अधिकार	बैंक ने वर्ष के दौरान किए गए उल्लेखनीय विकासों से संबंधित सार संक्षेप सहित वार्षिक वित्तीय परिणाम सारे शेयरधारकों को भेजा है। आगे, 2016-17 के प्रथम छमाही में महत्वपूर्ण घटनाओं के सार सहित वित्तीय निष्पादन की छमाही घोषणा पर 30.11.2016 को बैंक ने ईमेल सूचना प्रेषित की है।
ग	लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित विचार	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिनांक 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए उनके लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई योग्यताएं जारी नहीं की गई हैं।
घ	अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलग-अलग पद	भारत सरकार ने अध्यक्ष एवं प्र.नि. व मु.का.अ.के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नामित / नियुक्त किया है।
ङ	आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग	महा प्रबंधक, निरीक्षण विभाग (आंतरिक लेखापरीक्षा) तथा उनके द्वारा नामांकित अधिकारियों को सभी अभिलेखों, आस्तियों, कार्यकलापों तथा कार्मिकों और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति व उच्च प्रबंधन तंत्र में पूर्ण व अप्रतिबंधित अभिगम है।

SI No.	Discretionary Requirements	Status of Implementation
A	The Board A non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	Yes
B	Shareholder Rights	The Bank has sent Annual Financial Results along with the summary of significant developments during the year, to all the shareholders. Further, the Bank has sent an e-mail communication on 30.11.2016 on Half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in the first half year of 2016-17.
C	Modified opinion(s) in audit report	Statutory Auditors have not issued any qualifications in their audit report for the year ended 31.03.2016.
D	Separate Posts of Chairman and CEO	The Government of India has nominated / appointed separate persons to the post of Chairperson and MD&CEO.
E	Reporting of Internal Auditor	The General Manager, Inspection Wing (Internal Audit) and the officials nominated by him have unrestricted access to all records, assets, functions and personnel & have full and free access to the Audit Committee of the Board and Senior Management.

च) व छ) कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधित नीतियों के प्रावधानों को बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है तथा इसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

About Us -----> Shareholder Information (Page)
-----> Policies

ज) जिस मूल्य जोखिम व जिस हेजिंग क्रियाकलाप का प्रकटन: लागू नहीं

e) & f) The policies related to the provisions of Corporate Governance have been uploaded on the site of the Bank and the same can be viewed at the following link:

About Us -----> Shareholder Information (Page)
-----> Policies

g) Disclosure of Commodity price risks and commodity hedging activities : Not Applicable

परिशिष्ट क

i. निदेशक मंडल की संरचना (31.03.2017)

क्र सं	नाम	प्रकार	कार्यकाल	अन्य बोर्डों में सदस्यता
1.	श्री टी. एन. मनोहरन	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष	14.08.2015-13.08.2018	2
2.	श्री राकेश शर्मा	प्र नि व मु का अ	11.09.2015-31.07.2018	8
3.	श्री हरिदीश कुमार बी	का नि	11.03.2015-31.05.2017	3
4.	श्री दीनबन्धु महापात्र	का नि	22.01.2016-21.01.2019*	3
5.	श्रीमती पी.वी. भारती	का नि	15.09.2016-14.09.2019	3
6.	श्री सुचिन्द्र मिश्रा	भा स	14.06.2016 से अगले आदेश तक	1
7.	श्री उमा शंकर	भा रि बैं	23.02.2015 से अगले आदेश तक	शून्य
8.	श्री कृष्णमूर्ति एच	शे नि	27.07.2016-26.07.2019	1
9.	श्री महादेव नागेन्द्र राव	शे नि	27.07.2016-26.07.2019	1
10.	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर	शे नि	27.07.2016-26.07.2019	1

*श्री दीनबन्धु महापात्र, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद में उनके पदोन्नति पर दिनांक 05.05.2017 को कार्यमुक्त हुए।

Appendix A

i. COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS (31.03.2017)

SI No.	NAME	TYPE	TERM OF OFFICE	MEMBERSHIP OF OTHER BOARDS
1.	SHRI T N MANOHARAN	Non-Executive Chairman	14.08.2015-13.08.2018	2
2.	SHRI RAKESH SHARMA	MD & CEO	11.09.2015-31.07.2018	8
3.	SHRI HARIDEESH KUMAR B	ED	11.03.2015-31.05.2017	3
4.	SHRI DINABANDHU MOHAPATRA	ED	22.01.2016-21.01.2019*	3
5.	SMT P V BHARATHI	ED	15.09.2016-14.09.2019	3
6.	SHRI SUCHINDRA MISRA	GOI	14.06.2016 Till further orders	1
7.	SMT UMA SHANKAR	RBI	23.02.2015 Till further orders	Nil
8.	SHRI KRISHNAMURTHY H	SD	27.07.2016-26.07.2019	1
9.	SHRI MAHADEV NAGENDRA RAO	SD	27.07.2016-26.07.2019	1
10.	SHRI VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER	SD	27.07.2016-26.07.2019	1

*Shri Dinabandhu Mohapatra on his elevation to MD & CEO got relieved on 05.05.2017

ii. 2016-17 के दौरान कार्यकाल समाप्त निदेशकों का ब्यौरा

1.	श्री पंकज जैन	भा स	14.12.2015-01.05.2016	ला.न.
2.	श्री प्रद्युमन सिंह रावत	का नि	05.08.2013-31.05.2016	ला.न.
3.	श्री राजिन्द्र कुमार गोयल	शे नि	27.07.2013-26.07.2016	ला.न.
4.	श्री संजय जैन	शे नि	27.07.2013-26.07.2016	ला.न.
5.	श्री साईराम भास्कर मोचेर्ला	गैर का नि	05.12.2013-04.12.2016	ला.न.
6.	श्री हुकुमचन्द कोचेटा	गैर का नि	06.12.2013-05.12.2016	ला.न.
7.	श्री जी वी मणिमारन	अ नि	03.01.2014-02.01.2017	ला.न.

ii. PARTICULARS OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2016-2017

1.	SHRI PANKAJ JAIN	GOI	14.12.2015-01.05.2016	NA
2.	SHRI PRADYUMAN SINGH RAWAT	ED	05.08.2013-31.05.2016	NA
3.	SHRI RAJINDER KUMAR GOEL	SD	27.07.2013-26.07.2016	NA
4.	SHRI SANJAY JAIN	SD	27.07.2013-26.07.2016	NA
5.	SHRI SAIRAM BHASKAR MOCHERLA	NED	05.12.2013-04.12.2016	NA
6.	SHRI HUKUMCHAND KOCHETA	NED	06.12.2013-05.12.2016	NA
7.	SHRI G V MANIMARAN	OD	03.01.2014-02.01.2017	NA

संकेत / KEY

प्र नि व मु का अ / MD & CEO

का नि / ED

भा स / GOI

भा रि बैं / RBI

अ नि / OD

गैर का नि / NED

शे नि / SD

काम. नि / WD

ला न / NA

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी / Managing Director & Chief Executive Officer

कार्यपालक निदेशक / Executive Director

भारत सरकार निदेशक / Government of India

भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशक / Reserve Bank of India

अधिकारी निदेशक / Officer Director

गैर-कार्यपालक निदेशक / Non-Executive Director

शेयरधारक निदेशक / Shareholder Director

कामगार निदेशक / Workmen Director

लागू नहीं / Not Applicable

iii. बोर्ड के समितियों की संरचना / iii. COMPOSITION OF COMMITTEES OF THE BOARD

समिति / COMMITTEE	अध्यक्ष / CHAIRMAN	सदस्य / MEMBERS
प्रबंधन समिति Management Committee	श्री राकेश शर्मा Shri Rakesh Sharma	श्री हरिदीश कुमार बी / Shri Harideesh Kumar B श्री दीनबंधु महापात्र / Shri Dinabandhu Mohapatra श्रीमती पी.वी. भारती / Smt. P V Bharathi श्रीमती उमा शंकर / Smt. Uma Shankar श्री महादेव नागेन्द्र राव / Shri Mahadev Nagendra Rao श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर / Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer
जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee	श्री टी एन मनोहरन Shri T N Manoharan	श्री राकेश शर्मा / Shri Rakesh Sharma श्री हरिदीश कुमार बी / Shri Harideesh Kumar B श्री दीनबंधु महापात्र / Shri Dinabandhu Mohapatra श्रीमती पी.वी. भारती / Smt. P V Bharathi श्री महादेव नागेन्द्र राव / Shri Mahadev Nagendra Rao श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर / Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer
लेखापरीक्षा समिति Audit Committee	श्री कृष्णमूर्ति एच Shri Krishnamurthy H	श्री टी एन मनोहरन / Shri T N Manoharan श्रीमती पी.वी. भारती / Smt. P V Bharathi श्री सुचिन्द्र मिश्रा / Shri Suchindra Mishra श्रीमती उमा शंकर / Smt. Uma Shankar
शेयरधारक संबंध समिति Stakeholders Relationship Committee	श्री महादेव नागेन्द्र राव Shri Mahadev Nagendra Rao	श्री हरिदीश कुमार बी / Shri Harideesh Kumar B श्री दीनबंधु महापात्र / Shri Dinabandhu Mohapatra श्रीमती पी.वी. भारती / Smt. P V Bharathi श्री कृष्णमूर्ति एच / Shri Krishnamurthy H
पारिश्रमिक समिति Remuneration Committee	श्री टी एन मनोहरन Shri T N Manoharan	श्री सुचिन्द्र मिश्रा / Shri Suchindra Mishra श्रीमती उमा शंकर / Smt. Uma Shankar श्री महादेव नागेन्द्र राव / Shri Mahadev Nagendra Rao श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर / Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer

परिशिष्ट ख

निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा

क्र सं	नाम	बोर्ड बैठक	प्रबंधन समिति बैठक	लेखा परीक्षा समिति बैठक	एस.आर.सी.* बैठक	जोखिम प्रबंधन समिति बैठक	पिछली वार्षिक सामान्य बैठक	धारित शेयरों की संख्या
		उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित		
1.	श्री टी.एन. मनोहरन	17/17	-	12/12	-	8/8	✓	शून्य
2.	श्री राकेश शर्मा	17/17	19/19	-	-	8/8	✓	1379
3.	श्री हरिदीश कुमार बी	16/17	19/19	5/6	2/2	8/8	✓	शून्य
4.	श्री दीनबन्धु महापात्र	16/17	19/19	6/6	2/2	7/8	✓	शून्य
5.	श्रीमती पी.वी. भारती	8/8	11/11	7/7	2/2	5/5	-	शून्य
6.	श्री सुचिन्द्र मिश्रा	4/14	-	2/10	-	-	-	शून्य
7.	श्रीमती उमा शंकर	12/17	12/19	10/12	-	-	X	शून्य
8.	श्री कृष्णमूर्ति एच	11/11	-	7/7	2/2	-	-	375
9.	श्री महादेव नागेन्द्र राव	11/11	11/13	-	2/2	3/5	-	300
10.	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर	10/11	11/13	-	-	5/5	-	125

Appendix B

DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS

SL. NO.	NAME	BOARD MEETING	MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	AUDIT COMMITTEE MEETING	SRC* MEETING	RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	LAST ANNUAL GENERAL MEETING	NO. OF SHARES HELD
		Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held		
1.	SHRI T N MANOHARAN	17/17	-	12/12	-	8/8	✓	Nil
2.	SHRI RAKESH SHARMA	17/17	19/19	-	-	8/8	✓	1379
3.	SHRI HARIDEESH KUMAR B	16/17	19/19	5/6	2/2	8/8	✓	Nil
4.	SHRI DINABANDHU MOHAPATRA	16/17	19/19	6/6	2/2	7/8	✓	Nil
5.	SMT. P V BHARATHI	8/8	11/11	7/7	2/2	5/5	-	Nil
6.	SHRI SUCHINDRA MISRA	4/14	-	2/10	-	-	-	Nil
7.	SMT. UMA SHANKAR	12/17	12/19	10/12	-	-	X	Nil
8.	SHRI KRISHNAMURTHY H	11/11	-	7/7	2/2	-	-	375
9.	SHRI MAHADEV NAGENDRA RAO	11/11	11/13	-	2/2	3/5	-	300
10.	SHRI VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER	10/11	11/13	-	-	5/5	-	125

वर्ष 2016-2017 के दौरान कार्यकाल समाप्त निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा

1.	श्री पंकज जैन	1/1	-	0/1	--	-	-	शून्य
2.	श्री प्रद्युमन सिंह रावत	3/3	-	1/2	--	0/1	X	शून्य
3.	श्री राजिन्द्र कुमार गोयल	5/6	6/6	-	--	-		
4.	श्री संजय जैन	5/6	6/6	-	--	3/3		
5.	श्री साईराम भास्कर मोचेरला	13/13	-	5/5	--	4/5		
6.	श्री हुकुमचन्द कोचेटा	11/13	-	8/9	--	3/3		
7.	श्री जी वी मणिमारन	14/14	13/14	-	--	-		

विभिन्न बैठकों की तारीख

	बोर्ड बैठक	प्रबंधन समिति बैठक	लेखा परीक्षा समिति बैठक	एस.आर.सी.* बैठक	जोखिम प्रबंधन समिति बैठक	पिछली वार्षिक सामान्य बैठक	ई जी एम
	13.04.16	07.04.16	04.04.16	17.09.16	04.04.16	26.07.16	-
	17.05.16	30.04.16	27.05.16	07.03.17	20.06.16		
	27.05.16	18.05.16	21.06.16		11.07.16		
	20.06.16	10.06.16	12.07.16		17.09.16		
	12.07.16	27.06.16	25.07.16		05.11.16		
	25.07.16	11.07.16	23.09.16		19.12.16		
	05.08.16	05.08.16	26.10.16		23.01.17		
	29.08.16	30.08.16	05.11.16		06.03.17		
	23.09.16	17.09.16	02.12.16				
	26.10.16	29.09.16	20.01.17				
	19.11.16	25.10.16	04.02.17				
	02.12.16	18.11.16	06.03.17				
	29.12.16	14.12.16					
	20.01.17	29.12.16					
	04.02.17	16.01.17					
	07.03.17	03.02.17					
		07.03.17					
		20.03.17					
		27.03.17					

संकेत: एस. आर. सी. : हितधारक संबंध समिति की बैठक

ला न: लागू नहीं

DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2016-2017

1.	SHRI PANKAJ JAIN	1/1	-	0/1	--	-	-	Nil
2.	SHRI PRADYUMAN SINGH RAWAT	3/3	-	1/2	--	0/1	X	Nil
3.	SHRI RAJINDER KUMAR GOEL	5/6	6/6	-	--	-		
4.	SHRI SANJAY JAIN	5/6	6/6	-	--	3/3		
5.	SHRI SAIRAM BHASKAR MOCHERLA	13/13	-	5/5	--	4/5		
6.	SHRI HUKUMCHAND KOCHETA	11/13	-	8/9	--	3/3		
7.	SHRI G V MANIMARAN	14/14	13/14	-	--	-		

DATES OF VARIOUS MEETINGS

	BOARD MEETING	MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	AUDIT COMMITTEE MEETING	SRC* MEETING	RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	LAST ANNUAL GENERAL MEETING	EGM
	13.04.16	07.04.16	04.04.16	17.09.16	04.04.16	26.07.16	-
	17.05.16	30.04.16	27.05.16	07.03.17	20.06.16		
	27.05.16	18.05.16	21.06.16		11.07.16		
	20.06.16	10.06.16	12.07.16		17.09.16		
	12.07.16	27.06.16	25.07.16		05.11.16		
	25.07.16	11.07.16	23.09.16		19.12.16		
	05.08.16	05.08.16	26.10.16		23.01.17		
	29.08.16	30.08.16	05.11.16		06.03.17		
	23.09.16	17.09.16	02.12.16				
	26.10.16	29.09.16	20.01.17				
	19.11.16	25.10.16	04.02.17				
	02.12.16	18.11.16	06.03.17				
	29.12.16	14.12.16					
	20.01.17	29.12.16					
	04.02.17	16.01.17					
	07.03.17	03.02.17					
		07.03.17					
		20.03.17					
		27.03.17					

KEY: SRC: Stakeholders Relationship Committee Meeting.

NA: Not Applicable

परिशिष्ट ग

वर्ष 2016-17 के लिए निदेशकों को प्रदत्त उपस्थिति शुल्क

क्र सं	निदेशक का नाम	प्रदत्त उपस्थिति शुल्क (₹)
1	श्री टी.एन.मनोहरन	7,80,000
2	श्री जी वी मणिमारन	5,30,000
3	श्री सुनील हुकुमचंद कोचेटा	4,60,000
4	श्री साईराम मोचेरला	4,00,000
5	श्री रजिन्दर कुमार गोयल	1,90,000
6	श्री संजय जैन	2,40,000
7	श्री कृष्णमूर्ति एच	5,30,000
8	श्री महादेव नागेन्द्र राव	5,90,000
9	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर	4,30,000

Appendix C


SITTING FEES PAID TO DIRECTORS FOR THE YEAR 2016-17

Sl. No.	Name of the Director	Sitting Fees paid (₹)
1	Shri. T.N. Manoharan	7,80,000
2	Shri. G.V. Manimaran	5,30,000
3	Shri. Sunil Hukumchand Kocheta	4,60,000
4	Shri. Sairam Mocherla	4,00,000
5	Shri. Rajinder Kumar Goel	1,90,000
6	Shri. Sanjay Jain	2,40,000
7	Shri. Krishnamurthy H.	5,30,000
8	Shri. Mahadev Nagendra Rao	5,90,000
9	Shri. Venkatachalam Ramakrishna Iyer	4,30,000

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी की घोषणा

बैंक के निदेशक मंडल एवं उच्च प्रबंधन कार्मिकों ने 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की आचरण संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 08 मई, 2017



राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

DECLARATION BY MD & CEO

The Board of Directors and the Senior Management Personnel of the Bank have affirmed confirming to the Code of Conduct of the Bank for the year ended 31.03.2017.

Place : Bengaluru
Date : 08th May, 2017



RAKESH SHARMA
Managing Director & CEO

कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र

सेवा में,

केनरा बैंक के सदस्य

हमने केनरा बैंक द्वारा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है, जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के तहत प्रासंगिक विनियमनों में निर्धारित है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनायी गयी क्रियाविधियों व उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है और न ही उस पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों व प्रलेखों तथा हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय में, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के तहत प्रासंगिक विनियमनों में निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं किया है।

हम घोषित करते हैं कि हितधारक संबंध समिति द्वारा रखे गए रिकार्डों के अनुसार बैंक के खिलाफ एक महीने से अधिक अवधि के लिए कोई भी निवेशक शिकायत लंबित नहीं है।

हम आगे यह भी घोषित करते हैं कि ऐसा अनुपालन बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में न कोई आश्वासन है और न ही वह बैंक की कार्य कुशलता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक का कारोबार चलाया है।

कृते रामराज एंड कं.

सनदी लेखाकार

(एफआरएन संख्या 002839एस)

बेंगलूरु
05.05.2017

सीए पी करुणाकर नायडु

साझेदार

सदस्यता संख्या 210603

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To,

The Members of Canara Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by CANARA BANK for the year ended 31st March, 2017 as stipulated in the relevant Regulations under SEBI (LODR) Regulations, 2015.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the relevant regulations under SEBI (LODR) Regulations, 2015 to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that no investor's grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Stakeholders Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For Ramraj & Co.

Chartered Accountants

(FRN No. 002839S)

CA P Karunakara Naidu

Partner

Membership No. 210603

Bengaluru
05.05.2017



केनरा बैंक का तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा
तथा नकद प्रवाह विवरणी

2016-2017



**BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT
AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK**

2016-2017

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

केनरा बैंक के सदस्य

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने यथा 31 मार्च 2017 को केनरा बैंक के संलग्न वित्त विवरणियों की लेखापरीक्षा की है जिनमें यथा 31 मार्च 2017 का तुलन पत्र, तब समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरणी, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा अन्य स्पष्टकारिणी जानकारीयों शामिल हैं। इन वित्त विवरणियों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं की, शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 3234 शाखाओं और स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 7 विदेशी शाखाओं की विवरणियाँ शामिल की गई हैं। हमारे द्वारा और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखायें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गत मार्गनिर्देशों के मुताबिक बैंक द्वारा चयनित की गई हैं। इसमें लेखापरीक्षा नहीं की गई 2821 शाखाओं की विवरणियाँ भी शामिल की हैं। लेखापरीक्षा नहीं की गई शाखायें 5.24% अग्रिम, 15.39% जमा, 5.00% ब्याज आय और 14.95% ब्याज गठित करती हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तंत्र का उत्तरदायित्व

2. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों एवं भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए प्रबंधन तंत्र उत्तरदाई है। इस उत्तरदायित्व में धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण, वस्तुपरक अपकथन से मुक्त वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए संबद्ध आंतरिक नियंत्रण, रूप-सज्जा और कार्यान्वयन भी समाहित होते हैं।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर विचार व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा आयोजित की। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए, योजनाबद्ध तरीके से लेखापरीक्षा आयोजित करें ताकि वित्त विवरणियों के परिप्रेक्ष्य में संगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि वे वस्तुपरक अपकथन मुक्त हैं।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,

The Members of Canara Bank

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Canara Bank as on 31st March, 2017, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2017, Profit and Loss Account, the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us, 3234 branches audited by statutory branch auditors and 7 foreign branches audited by local auditors in respective countries. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 2821 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 5.24 per cent of advances, 15.39 per cent of deposits, 5.00 per cent of interest income and 14.95 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. The bank's management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act 1949, Reserve Bank of India guidelines issued from time to time and Accounting Standards generally accepted in India. This responsibility of the Management includes design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the financial statements are free from material misstatement.

4. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएँ अपनाता होता है। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के न्याय-निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के, वित्तीय विवरणियों में वस्तुपरक अपकथन का जायजा लेने का जोखिम भी रहता है। इन जोखिमों का जायजा लेने में परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखता है, लेकिन यह संस्था के आंतरिक नियंत्रण के प्रभाव पर विचार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से नहीं है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा नीतियों की समुचितता प्रबंधन तंत्र द्वारा किये गये लेखा अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ वित्त विवरणियों के समूचे प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाना भी शामिल होता है।
5. लेखापरीक्षा पर हमारा विचार व्यक्त करने के लिए हमने जो साक्ष्य एकत्रित किया है वह पर्याप्त और समुचित है – यह हमारा विश्वास है।

हमारा विचार

6. हमारा विचार है, जैसे बैंक बहियों में दिखाई देता है और हमारी जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार:
 - I. लेखा नीतियों और उन पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित तुलन पत्र संपूर्ण और संगत तुलन पत्र है जिसमें सारे आवश्यक विवरण सही तरीके से तैयार किया गया है ताकि भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुसार यथा 31 मार्च 2017 को बैंक के व्यवहारों का सही और उचित चित्र दर्शाया जा सका;
 - II. लेखा नीतियाँ और उन पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित लाभ हानि लेखा, उसके द्वारा प्रावर्तित वर्ष के लिए भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुसार लाभ का सही संतुलन दर्शाता है।

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by the books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - I. The Balance sheet, read with the significant accounting policies and the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March, 2017 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
 - II. The Profit and Loss Account, read with the significant accounting policies and the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

III. नकद प्रवाह विवरणी उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का सही और उचित चित्र दर्शाता है।

III. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

अन्य विधिक व विनियामक अपेक्षाएं संबंधी रिपोर्ट

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता क्रमशः बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रपत्र 'क' व 'ख' में तैयार किये गये हैं।

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

8. उपर्युक्त 1 से 5 तक के परिच्छेदों में सूचित लेखा परीक्षा सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों के अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970/1980 द्वारा अपेक्षित अनुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटनों की सीमाओं के अधीन भी हम रिपोर्ट करते हैं कि;

8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 and also subject to the limitations of disclosure required therein, we report that;

क. हमने अपने लेखापरीक्षा कार्य के लिए आवश्यक सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के मुताबिक अपने लेखा परीक्षा कार्य के लिए आवश्यक हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

ख. बैंक के संव्यवहार जो हमारी जानकारी में आये हैं, उसके अधिकारों के अंतर्गत ही है।

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank;

ग. हमारी लेखापरीक्षा के लिए बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ पर्याप्त पाई गई हैं।

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit;

9. आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि

9. We further report that

क) तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा, इस रिपोर्ट के लेखा बहियों व विवरणियों के अनुसरण करते हैं;

a) The Balance Sheet and Profit & Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;

ख) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के आधार पर बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा / कार्यालयों के लेखा संबंधी रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है तथा इस रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमने उचित रूप से इस्तेमाल किया गया है;

b) The report on the accounts of the Branch / Offices audited by the branch auditors of the Bank under Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

ग) तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरणी प्रचलित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं – यह हमारा विचार है।

c) In our opinion, the Balance Sheet, Profit & Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

कृते राम राज एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 0028395

कृते वी के निरंजन एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002468एस

For Ram Raj & Co.
Chartered Accountants
FRN:0028395

For V K Niranjana & Co.
Chartered Accountants
FRN:002468S

जी वेंकटेश्वर राव
साझेदार
सदस्यता संख्या. 024182

जयरजन एम
साझेदार
सदस्यता संख्या. 011105

G Venkateshwara Rao
Partner
Membership No. 024182

Jayarajan M
Partner
Membership No. 011105

कृते जे सिंह एण्ड एसोसीएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 110266डब्ल्यू

कृते जे एल सेनगुप्ता एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 307092इ

For J Singh & Associates
Chartered Accountants
FRN:110266W

For J L Sengupta & Co.
Chartered Accountants
FRN:307092E

जे सिंह
साझेदार
सदस्यता संख्या. 042023

एस आर अनंतकृष्णन
साझेदार
सदस्यता संख्या. 018073

J Singh
Partner
Membership No. 042023

S R Ananthkrishnan
Partner
Membership No. 018073

स्थान : बंगलूरु
दिनांक : 08 मई, 2017

Place : Bengaluru
Dated : May 08, 2017

यथा 31 मार्च, 2017 को तुलन पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)
पूँजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी / CAPITAL	1	597 29 02	542 99 10
आरक्षित निधि और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	33088 24 73	31060 20 95
जमा / DEPOSITS	3	495275 24 22	479791 56 21
उधार / BORROWINGS	4	39503 55 90	26873 31 64
अन्य देयताएं तथा प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	15055 10 48	14692 69 93
जोड़ / TOTAL		583519 44 35	552960 77 83
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	19922 49 73	20664 05 10
बैंकों में शेष और माँग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	38902 96 15	36069 60 75
निवेश / INVESTMENTS	8	150265 88 82	142309 30 11
अग्रिम / ADVANCES	9	342008 76 08	324714 82 40
स्थिर आस्तियाँ / FIXED ASSETS	10	7168 31 59	7198 10 17
अन्य आस्तियाँ / OTHER ASSETS	11	25251 01 98	22004 89 30
जोड़ / TOTAL		583519 44 35	552960 77 83
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES	12	432470 42 05	287945 55 29
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION		27176 31 19	26563 00 23

एम स्वामिनाथन
मंडल प्रबंधक

हरिदीश कुमार बी
कार्यपालक निदेशक

कृते
रामराज एण्ड कं
सनदी लेखाकार

जी वेंकटेश्वर राव
साझेदार

पी विथोबा
सहायक महा प्रबंधक

रकेश शर्मा
प्रबन्ध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कृष्णामूर्ति एच
निदेशक

कृते
वी के निरंजन एण्ड कं
सनदी लेखाकार

एम जयरामन
साझेदार

वी रामाचन्द्रा
उप महा प्रबंधक

टी एन मनोहरन
अध्यक्ष

महादेव नागेन्द्र राव
निदेशक

कृते
जे सिंह एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

जे सिंह
साझेदार

एन सेल्वराजन
महा प्रबंधक

सुचिन्द्र मिश्रा
निदेशक

वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

पी वी भारती
कार्यपालक निदेशक

उमा शंकर
निदेशक

कृते
जे एल सेनगुप्ता एण्ड कं
सनदी लेखाकार

एस आर अनंतकृष्णन
साझेदार

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 08 मई, 2017

यथा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2017 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2017 (₹ '000)	यथा 31.03.2016 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2016 (₹ '000)
I. आय / INCOME			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	13	41387 64 49	44022 13 54
अन्य आय / OTHER INCOME	14	7554 39 85	4875 22 92
जोड़ / TOTAL		48942 04 34	48897 36 46
II. व्यय / EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED	15	31515 86 81	34258 77 46
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	8512 28 12	7491 93 46
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / PROVISIONS AND CONTINGENCIES		7791 97 19	9959 47 83
जोड़ / TOTAL		47820 12 12	51710 18 75
III. वर्ष का निवल लाभ / NET PROFIT FOR THE YEAR		1121 92 22	(2812 82 29)
IV. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
निम्नांकित को अंतरण / TRANSFERS TO			
सांविधिक आरक्षित निधियाँ / STATUTORY RESERVES		281 00 00	-
आरक्षित पूँजी / CAPITAL RESERVES		777 00 00	-
लाभ का संतुलन / BALANCE OF PROFIT		63 92 22	-
जोड़ / TOTAL		1121 92 22	-
लेखांकन नीतियाँ / ACCOUNTING POLICIES	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	18		
प्रति शेयर अर्जन (मूल व तनुकृत) / EARNINGS PER SHARE (BASIC AND DILUTED) (₹ में / in ₹)		20.63	(53.61)

M SWAMINATHAN
DIVISIONAL MANAGER

P VITHOBA
ASST. GENERAL MANAGER

V RAMACHANDRA
DEPUTY GENERAL MANAGER

N SELVARAJAN
GENERAL MANAGER

P V BHARATHI
EXECUTIVE DIRECTOR

HARIDEESH KUMAR B
EXECUTIVE DIRECTOR

RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CHIEF
EXECUTIVE OFFICER

T N MANOHARAN
CHAIRMAN

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

UMA SHANKAR
DIRECTOR

KRISHNAMURTHY H
DIRECTOR

MAHADEV NAGENDRA RAO
DIRECTOR

VENKATACHALAM
RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For
RAM RAJ & Co.
Chartered Accountants

For
V K NIRANJAN & Co.
Chartered Accountants

For
J SINGH & ASSOCIATES
Chartered Accountants

For
J L SENGUPTA & Co.
Chartered Accountants

G VENKATESWARA RAO
Partner

M JAYARAJAN
Partner

J SINGH
Partner

S R ANANTHAKRISHNAN
Partner

Place: Bengaluru
Dated: May 08, 2017

यथा 31 मार्च, 2017 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

	यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)
अनुसूची 1 - पूँजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
I. प्राधिकृत पूँजी / AUTHORISED CAPITAL (प्रति शेयर ₹10/ के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर / (300,00,00,000 EQUITY SHARES OF ₹10/- EACH)	3000 00 00	3000 00 00
II. निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त / ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP:		
i) केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रति शेयर ₹10/- के 39,59,90,159 इक्विटी शेयर। पिछले वर्ष ₹10/- के 35,99,91,054 इक्विटी शेयर 39,59,90,159 EQUITY SHARES OF ₹10/- EACH PREVIOUS YEAR 35,99,91,054 EQUITY SHARE OF ₹10/- EACH HELD BY CENTRAL GOVERNMENT	395 99 02	359 99 10
ii) अन्यो द्वारा धारित प्रति शेयर ₹10/- के 20,13,00,000 इक्विटी शेयर 20,13,00,000 EQUITY SHARES OF ₹10/- EACH HELD BY OTHERS पिछले वर्ष प्रति ₹10/- के 18,30,00,000 शेयर / PREVIOUS YEAR 18,30,00,000 EQUITY SHARES OF ₹10/- EACH HELD BY OTHERS	201 30 00	183 00 00
	597 29 02	542 99 10
अनुसूची 2 - आरक्षित निधि तथा अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVE (बैंकिंग विनियम 1949 की धारा 17 के अनुसार आरक्षित निधि) (RESERVE FUND IN TERMS OF SECTION 17 OF THE BANKING REGULATION ACT, 1949)		
अधिशेष / OPENING BALANCE	7983 00 00	7983 00 00
अवधि के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE PERIOD	281 00 00	-
जोड़ / TOTAL	8264 00 00	7983 00 00
II. आरक्षित पूँजी / CAPITAL RESERVE		
क. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि / a. REVALUATION RESERVE		
अधिशेष / OPENING BALANCE	5444 66 30	5405 85 08
जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / ADD : ADDITION DURING THE PERIOD	-	113 58 78
	5444 66 30	5519 43 86
घटायें: लाभ व हानि खाते को अंतरित LESS : TRANSFERED TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	71 51 34	74 77 56
जोड़ / TOTAL	5373 14 96	5444 66 30
ख. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि		
b. FOREIGN CURRENCY TRANSLATION RESERVE		
अधिशेष / OPENING BALANCE	247 27 91	196 62 03
जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE PERIOD	-	50 65 88
घटायें: अवधि के दौरान कटौतियाँ / LESS: DEDUCTIONS DURING THE PERIOD	92 06 33	-
जोड़ / TOTAL	155 21 58	247 27 91
ग. अन्य / c. OTHERS		
अधिशेष / OPENING BALANCE	1478 67 07	1478 67 07
जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE PERIOD	777 00 00	-
जोड़ / TOTAL	2255 67 07	1478 67 07

यथा 31 मार्च, 2017 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

	यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)
III शेयर प्रीमियम / SHARE PREMIUM		
अथशेष / OPENING BALANCE	5672 52 90	3273 00 31
जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / ADD: RECEIVED DURING THE PERIOD	1069 69 24	2399 52 59
जोड़ / TOTAL	6742 22 14	5672 52 90
IV राजस्व और अन्य आरक्षित निधि / REVENUE AND OTHER RESERVES		
क राजस्व आरक्षित निधि / a. REVENUE RESERVE		
अथशेष / OPENING BALANCE	8481 09 06	8481 09 06
जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / ADD: ADDITIONS DURING THE PERIOD	-	-
	8481 09 06	8481 09 06
घटायें: अवधि के दौरान कटौती / LESS: DEDUCTIONS DURING THE PERIOD	-	-
जोड़ / TOTAL	8481 09 06	8481 09 06
ख विशेष आरक्षित निधि / b. SPECIAL RESERVE {आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार} {IN TERMS OF SECTION 36 (1)(viii) OF THE INCOME TAX ACT, 1961}		
अथशेष / OPENING BALANCE	4000 00 00	4000 00 00
अवधि के दौरान परिवर्धन / ADD: ADDITIONS DURING THE PERIOD	-	-
जोड़ / TOTAL	4000 00 00	4000 00 00
ग निवेश आरक्षित निधि खाता / c. INVESTMENT RESERVE ACCOUNT		
अथशेष / OPENING BALANCE	565 80 00	565 80 00
जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / ADD: ADDITIONS DURING THE PERIOD	-	-
	565 80 00	565 80 00
घटायें: अवधि के दौरान कटौती / LESS: DEDUCTIONS DURING THE PERIOD	-	-
जोड़ / TOTAL	565 80 00	565 80 00
घ लाभ व हानि खाते में शेष / d. BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT		
अथशेष / OPENING BALANCE	(2812 82 29)	-
जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / ADD: ADDITIONS DURING THE PERIOD	63 92 21	(2812 82 29)
जोड़ / TOTAL	(2748 90 08)	(2812 82 29)
जोड़ / TOTAL	33088 24 73	31060 20 95

यथा 31 मार्च, 2017 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

	यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)
अनुसूची 3 - जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
क. I. माँग जमा / A.I. DEMAND DEPOSITS		
i. बैंकों से / FROM BANKS	199 43 74	333 85 02
ii. अन्य से / FROM OTHERS	22381 52 98	19493 50 98
जोड़ / TOTAL	22580 96 72	19827 36 00
II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS	127167 64 31	103714 84 91
जोड़ / TOTAL	127167 64 31	103714 84 91
III. सावधि जमा / TERM DEPOSITS		
i. बैंकों से / FROM BANKS	33205 98 35	23963 31 34
ii. अन्य से / FROM OTHERS	312320 64 84	332286 03 96
जोड़ / TOTAL	345526 63 19	356249 35 30
जोड़ / TOTAL	495275 24 22	479791 56 21
ख. B. शाखाओं के जमा / DEPOSITS OF BRANCHES		
i. भारत में / IN INDIA	454609 75 04	450788 12 50
ii. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA	40665 49 18	29003 43 71
जोड़ / TOTAL	495275 24 22	479791 56 21
अनुसूची 4 - उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार / BORROWINGS IN INDIA		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक / i. RESERVE BANK OF INDIA	700 00 00	-
ii. अन्य बैंक / ii. OTHER BANKS	11204 77 74	-
iii. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियाँ / iii. OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	2147 84 53	559 32 32
iv. अप्रतिभूत प्रतिदेय बांड / iv. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और गौण ऋण) / (IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT)	14014 60 00	11989 60 00
जोड़ / TOTAL	28067 22 27	12548 92 32
II. भारत के बाहर उधार / BORROWINGS OUTSIDE INDIA		
i. अन्य बैंक / i. OTHER BANKS	11436 33 63	12668 03 48
ii. अप्रतिभूत प्रतिदेय बांड / ii. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (गौण ऋण) (SUB-ORDINATED DEBT)	-	1656 35 84
जोड़ / TOTAL	11436 33 63	14324 39 32
जोड़ / TOTAL	39503 55 90	26873 31 64

यथा 31 मार्च, 2017 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

	यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
I. देय बिल / BILLS PAYABLE	1355 70 48	1270 23 99
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)	940 69 16	460 11 77
III. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED	1877 76 74	1875 31 68
IV. आस्थगित कर देयताएं / DEFERRED TAX LIABILITY	-	-
V. अन्य (प्रावधान सहित) / OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	10880 94 10	11087 02 49
जोड़ / TOTAL	15055 10 48	14692 69 93
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / CASH IN HAND (विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (INCLUDING FOREIGN CURRENCY NOTES)	1846 39 26	2011 86 73
II भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
चालू खाते में / IN CURRENT ACCOUNT	18076 10 47	18652 18 37
अन्य खाते में / IN OTHER ACCOUNTS	-	-
जोड़ / TOTAL	18076 10 47	18652 18 37
जोड़ / TOTAL	19922 49 73	20664 05 10
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष तथा माँग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में / IN INDIA		
i. बैंकों में शेष / BALANCE WITH BANKS		
क. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	83 27 94	310 17 50
ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	-	-
जोड़ / TOTAL	83 27 94	310 17 50
ii. माँग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
क. बैंकों में / a. WITH BANKS	-	1200 00 00
ख. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS	-	-
जोड़ / TOTAL	-	1200 00 00
जोड़ / TOTAL	83 27 94	1510 17 50
II. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA		
i. चालू खातों में / IN CURRENT ACCOUNTS	6517 51 73	8675 13 75
ii. अन्य जमा खातों में / IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	25926 09 49	20444 98 12
iii. माँग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	6376 06 99	5439 31 38
जोड़ / TOTAL	38819 68 21	34559 43 25
जोड़ / TOTAL	38902 96 15	36069 60 75

यथा 31 मार्च, 2017 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

	यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)
अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश: सकल INVESTMENTS IN INDIA: GROSS		
घटायें: मूल्यहास व एन पी आई के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION AND NPI	149777 67 83	141679 09 18
भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA	483 99 64	365 25 92
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ GOVERNMENT SECURITIES	149293 68 19	141313 83 26
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ OTHER APPROVED SECURITIES	135664 21 06	126882 35 19
iii. शेयर SHARES	1 49 87	1 49 87
iv. डिबेंचर और बॉण्ड DEBENTURES AND BONDS	1906 77 80	1718 23 89
v. अनुषंगियाँ और / या संयुक्त उद्यम SUBSIDIARIES AND / OR JOINT VENTURES	7378 04 93	6416 16 85
vi. अन्य OTHERS	746 21 41	796 06 80
जोड़ / Total	3596 93 12	5499 50 66
परिपक्वता के लिए धारित / HELD TO MATURITY	149293 68 19	141313 83 26
बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	106037 26 82	102733 23 82
व्यापार के लिए धारित / HELD FOR TRADING	42768 25 23	38287 94 86
जोड़ / Total	488 16 14	292 64 58
II. भारत के बाहर निवेश – सकल INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS	149293 68 19	141313 83 26
घटायें: मूल्यहास व एन पी आई के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION & NPI	975 09 16	995 46 85
भारत के बाहर निवल निवेश NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA	2 88 53	-
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / GOVERNMENT SECURITIES (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)	972 20 63	995 46 85
ii. अनुषंगियाँ और / या संयुक्त उद्यम SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES	253 50 33	89 32 73
iii. अन्य निवेश / OTHER INVESTMENTS	166 30 73	73 22 11
जोड़ / Total	552 39 57	832 92 01
परिपक्वता के लिए धारित / HELD TO MATURITY	972 20 63	995 46 85
बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	266 10 67	134 60 95
व्यापार के लिए धारित / HELD FOR TRADING	706 09 96	860 85 90
जोड़ / Total	-	-
जोड़ / Total	972 20 63	995 46 85
जोड़ / Total	150265 88 82	142309 30 11

यथा 31 मार्च, 2017 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

	यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)
अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
क. i. खरीदे गये तथा बट्टे पर भुनाए गये बिल A. BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	14857 79 13	10245 51 44
ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट और माँग पर ऋण की चुकौती CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	141181 33 85	131566 48 67
iii. मीयादी ऋण / TERM LOANS	185969 63 10	182902 82 29
जोड़ / Total	342008 76 08	324714 82 40
ख. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / SECURED BY TANGIBLE ASSETS B. (बही ऋण सहित / INCLUDING BOOK DEBTS)	275094 69 35	265366 91 78
ii. बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित COVERED BY BANK / GOVT. GUARANTEES	13031 72 98	14048 06 37
iii. अप्रतिभूत / UNSECURED	53882 33 75	45299 84 25
जोड़ / Total	342008 76 08	324714 82 40
ग. I. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA C.		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / PRIORITY SECTOR	136718 80 28	124952 09 90
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / PUBLIC SECTOR	12034 69 38	24180 47 26
iii. बैंक / BANKS	21 87 37	17 54 92
iv. अन्य / OTHERS	166183 31 62	153699 83 51
जोड़ / Total	314958 68 65	302849 95 59
II. भारत से बाहर अग्रिम / ADVANCES OUTSIDE INDIA (बैंकों के अलावा अन्य से बकाया) (DUE FROM OTHER THAN BANKS)		
i. खरीदे गये तथा बट्टे पर भुनाए गये बिल BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	8232 93 15	4137 55 93
ii. मियादी / समूहन ऋण TERM / SYNDICATED LOANS	7547 83 13	9479 37 81
iii. अन्य / OTHERS	11269 31 15	8247 93 07
जोड़ / Total	27050 07 43	21864 86 81
जोड़ / Total	342008 76 08	324714 82 40

यथा 31 मार्च, 2017 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

	यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)
अनुसूची 10- अचल आस्तियाँ / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I. परिसर / PREMISES		
लागत पर / पिछले तुलन पत्र के अनुसार मूल्यांकन AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET	6680 07 27	6648 97 84
अवधि के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE PERIOD	87 69 85	31 36 37
	6767 77 12	6680 34 21
अवधि के दौरान पुनर्मूल्यांकन REVALUATIONS MADE DURING THE PERIOD	-	-
	6767 77 12	6680 34 21
अवधि के दौरान कटौती / DEDUCTIONS DURING THE PERIOD	9 49 82	26 94
	6758 27 30	6680 07 27
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	708 50 38	630 25 34
	6049 76 92	6049 81 93
II. अन्य अचल आस्तियाँ / OTHER FIXED ASSETS (फर्नीचर और जुड़नार सहित INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	3326 25 64	3073 45 27
अवधि के दौरान परिवर्धन ADDITIONS DURING THE PERIOD	296 58 44	364 50 39
	3622 84 08	3437 95 66
अवधि के दौरान कटौती DEDUCTIONS DURING THE PERIOD	111 64 58	111 70 02
	3511 19 50	3326 25 64
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	2394 83 83	2180 16 40
	1116 35 67	1146 09 24
III. पट्टागत आस्तियाँ / LEASED ASSETS		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	71 77 29	75 26 84
अवधि के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE PERIOD	-	-
	71 77 29	75 26 84
अवधि के दौरान कटौती / DEDUCTIONS DURING THE PERIOD	-	3 49 56
	71 77 29	71 77 28
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	68 44 63	67 87 75
	3 32 66	3 89 53
घटाएं: पट्टेदारी अंतिम समायोजन लेखा LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT	1 13 66	1 70 53
	2 19 00	2 19 00
जोड़ (I, II और III) / Total (I, II and III)	7168 31 59	7198 10 17

यथा 31 मार्च, 2017 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

	यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED	4440 60 09	4289 83 27
II. अग्रिम प्रदत्त कर / स्रोत पर कर कटौती (निवल) TAX PAID IN ADVANCE / TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)	6360 03 99	6301 79 57
III. लेखन सामग्री व स्टैम्प / STATIONERY AND STAMPS	11 83 35	13 04 36
IV. दावों के निपटान में प्राप्त की गई गैर बैंकिंग आस्तियाँ NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS	32 13	32 13
V. अन्य / OTHERS	13259 39 42	11351 80 97
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ / DEFERRED TAX ASSETS	1178 83 00	48 09 00
जोड़ / TOTAL	25251 01 98	22004 89 30
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS	9625 86 72	5816 69 18
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों हेतु देयताएं / LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS	36 00	36 00
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS	354452 23 48	221936 97 80
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS		
क. भारत में / a. IN INDIA	40160 32 62	38766 70 07
ख. भारत से बाहर / b. OUTSIDE INDIA	137 01 60	132 92 76
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS	40297 34 22	38899 62 83
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है / OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE	26408 28 19	19808 59 32
क. पुनः भुनाए गये विनिमय बिल a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED	-	-
ख. अन्य / b. OTHERS	1686 33 44	1483 30 16
	1686 33 44	1483 30 16
जोड़ / TOTAL	432470 42 05	287945 55 29

यथा 31 मार्च, 2017 को लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

	यथा 31.03.2017 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2017 (₹ '000)		यथा 31.03.2016 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2016 (₹ '000)	
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED				
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / डिस्काउंट INTEREST / DISCOUNT ON ADVANCES / BILLS		29585 67 21		31377 24 66
II. निवेशों पर आय / INCOME ON INVESTMENTS		10711 28 69		11407 79 14
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेषराशि और अंतर बैंक निधियों पर ब्याज / INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS		768 19 83		8795016
IV. अन्य / OTHERS		322 48 76		3575958
जोड़ / TOTAL		41387 64 49		44022 13 54
अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME				
I. कमीशन, विनिमय, और दलाली COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE		1191 18 79		917 47 58
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS				
लाभ / PROFIT	3019 97 80		1018 14 71	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	37 99 02	2981 98 78	28 47 88	989 66 83
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS				
लाभ / PROFIT	-		-	-
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	35 96 72	(35 96 72)	-	-
IV. भूमि / भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ PROFIT ON SALE OF LAND/BUILDINGS AND OTHER ASSETS				
लाभ / PROFIT	1 32 42		3 35 47	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	-	1 32 42	3 93 45	(57 98)
V. विनिमय लेन-देन पर निवल लाभ PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS-NET				
लाभ / PROFIT	971 63 98		673 97 21	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	17 47	971 46 51	5 00 60	668 96 61
VI. विदेश / भारत में स्थापित अनुषंगियों / कंपनियों और या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND ETC. FROM SUBSIDIARIES/COMPANIES AND/OR JOINT VENTURES ABROAD/IN INDIA		62 70 92		63 14 55
VII. विविध आय / MISCELLANEOUS INCOME		2381 69 15		2236 55 33
जोड़ / TOTAL		7554 39 85		4875 22 92

यथा 31 मार्च, 2017 को लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

	यथा 31.03.2017 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2017 (₹ '000)	यथा 31.03.2016 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2016 (₹ '000)
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
I. जमा पर ब्याज / INTEREST ON DEPOSITS	29560 07 66	32350 02 35
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA/ INTERBANK BORROWINGS	584 96 37	854 09 68
III. अन्य (टीयर I तथा टीयर II बॉण्ड सहित ब्याज) OTHERS (INCLUDING TIER I & TIER II BOND INTEREST)	1370 82 78	1054 65 43
जोड़ / TOTAL	31515 86 81	34258 77 46
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES	4915 09 21	4445 88 18
II. किराया, कर, रोशनी / RENT, TAXES, LIGHTING	846 75 79	778 12 67
III. मुद्रण व लेखन सामग्री / PRINTING AND STATIONERY	57 25 85	44 04 75
IV. विज्ञापन व प्रचार / ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	41 50 67	30 35 01
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों से अंतरण के बाद का निवल) DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY (NET OF TRANSFER FROM REVALUATION RESERVE)	327 54 11	169 96 37
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय DIRECTORS FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	1 19 25	1 56 91
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDES FOR BRANCH AUDITORS)	62 79 78	59 18 93
VIII. विधि प्रभार / LAW CHARGES	47 86 47	33 56 99
IX. डाक, तार, टेलिफोन आदि POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC.	52 55 63	53 70 06
X. मरम्मत और अनुरक्षण / REPAIRS AND MAINTENANCE	236 81 67	206 74 35
XI. बीमा / INSURANCE	431 82 31	427 23 54
XII. अन्य व्यय / OTHER EXPENDITURE	1491 07 38	1241 55 70
जोड़ / TOTAL	8512 28 12	7491 93 46

अनुसूची- 17

वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

[1](क) लेखांकन की परंपरा

ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत लेखाओं को तैयार किया गया है तथा ये अन्यथा सूचित को छोड़कर सांविधिक प्रावधानों व विद्यमान प्रणालियों के अनुरूप हैं।

(ख) अनुमानों का उपयोग

समेकित वित्तीय विवरणी की तैयारी के लिए प्रबंधन तंत्र को आस्तियों, देयताओं, व्यय, आय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करनेवाली राशि के संबंध में वित्तीय विवरणी की तारीख को अनुमानों तथा धारणाओं को बनाने की आवश्यकता है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान व धारणाएं उचित व विवेकपूर्ण हैं। तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य में मान्यता दिया जाएगा।

[2] विदेशी मुद्रा अंतरण / विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन

2.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को काल्पनिक दरों पर प्रारंभिक तौर पर अभिलेखित किया गया है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को विदेशी विनिमय विक्रेता संघ (फेडाई) द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रकाशित दरों पर पुनः वर्णित किया गया है। पुनः वर्णन से उत्पन्न होनेवाली विनिमय अंतरों को त्रैमासिक दरों पर लाभ-हानि खाते में मान्यता देकर अभिलेखित किया गया है।

2.2 विदेशी शाखा के संबंध में लेनदेनों एवं शेषों को अभिन्न विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे लेन-देनों तथा शेष राशि को बैंक द्वारा तिमाही आधार पर समेकित किया गया है।

परिसंपत्तियों एवं देयताओं (दोनों मौद्रिक व गैर-मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताएं) का अंतरण विदेशी विनिमय दरों पर भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडाई) द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में घोषित किया जाता है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 11 - "विदेशी विनिमय दरों पर परिवर्तन के प्रभाव" के अनुरूप एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक तिमाही के अंत में 'फेडाई' द्वारा घोषित अंतिम हाजिर विनिमय दर पर किया जाता है। विदेशी शाखाओं के आय एवं व्यय मदों को 'फेडाई' द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत समापन दर पर अंतरित किया जाता है। परिणामस्वरूप होनेवाले विनिमय लाभ / हानि को, विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि में जमा / नामे किया जाएगा।

SCHEDULE - 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ADOPTED IN PREPARING FINANCIAL STATEMENTS

[1] (a) Basis of Preparation

The accounts are prepared under the historical cost convention and conform to the statutory provisions and prevailing practices except as otherwise stated.

(b) Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date at the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized in current and future periods.

[2] Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies

2.1 Foreign currency monetary items are initially recorded at a notional rate. Foreign currency monetary items are restated at the rate published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the end of each quarter. Exchange difference arising on restatement of such items at the quarterly rates is recognised in, Profit and Loss Account.

2.2 Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated, by the bank on a quarterly basis.

Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter. Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standards (AS) 11- "The effect of Changes in Foreign Exchange rates" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and as per the guidelines of Reserve Bank of India (RBI) regarding the compliance of the said standard. The resultant exchange gain / loss is credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.

2.3 वायदा विनिमय संविदाएं

सभी वायदा विनिमय संविदाओं के प्रारंभ में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम या भुनन को व्यय या संविदा पर होनेवाले आय के रूप में परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के अपरिशोधित प्रीमियम या भुनन सहित असामयिक रद्दकरण पर होनेवाले लाभ / हानि, यदि है तो, समाप्ति तारीख पर मान्यता दी गई। वायदा संविदाओं पर विनिमय अंतरों को रिपोर्टिंग अवधि, जहाँ विनिमय दर परिवर्तित हुए हैं, पर लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई।

2.4 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य बाध्यताओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं का परिकलन फेडाई द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों के अनुसार तुलन पत्र में किया गया है।

[3] निवेश

3.1 निवेशों का संवर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। बैंक का संपूर्ण निवेश संविभाग तीन संवर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे 'परिपक्वता के लिए धारित', 'बिक्री के लिए धारित' और 'व्यापार के लिए धारित'। इस तरह के वर्गीकरण प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के समय पर निर्धारित किया गया है।

निवेशों को छः संवर्गों में प्रकट किया जाता है जैसे (क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बांड (ड) अनुषंगियाँ तथा संयुक्त उद्यम और (च) अन्य

3.2 निवेशों के अधिग्रहण लागत को निर्धारित करने के लिए:

क) प्रतिभूतियों की खरीदी के समय उनसे संबंधित दलाली, कमीशन आदि जैसे लागतों को लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।

ख) अधिग्रहण / निपटान तारीख तक ऋण लिखतों पर खंडित अवधि ब्याज को राजस्व के रूप में माना जाता है।

3.3 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जो यथानुसार है :

क) परिपक्वता के लिए धारित

अवधि समाप्ति हेतु धारित संवर्ग के अंतर्गत निवेश पर अभिग्रहण लागत, निवल प्रतिशोधन, अगर कोई है तो उसके आधार पर किया जाना है। अंकित मूल्य से यदि कोई अधिक अभिग्रहण लागत हो तो उसे शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

2.3 Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit / Losses arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on such contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

2.4 Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

[3] Investments

3.1 Classification of Investments is made as per the guidelines of the RBI. The entire investment portfolio of the bank is classified under three categories viz. 'Held to Maturity' (HTM), 'Available for Sale' (AFS) and 'Held for Trading' (HFT). Such classification is decided at the time of acquisition of securities.

Investments are disclosed in the Balance Sheet under six classifications viz: (a) Government securities (b) Other approved securities (c) Shares (d) Debentures & Bonds (e) Subsidiaries and Joint Ventures & Associates and (f) Others.

3.2 In determining the acquisition cost of investment:

(a) Cost such as brokerage, commission etc. relating to securities at the time of purchase are charged to Profit & Loss Account.

(b) Broken period interest on debt instruments upto the date of acquisition / disposal is treated as revenue.

3.3 The valuation of investments is done in accordance with the guidelines issued by the RBI as under:

a) HELD TO MATURITY

Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, net of amortization, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortized over the remaining period of maturity.

अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्य में कोई भी स्थायी ह्रास हो तो उसका पूर्णतः प्रावधान किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य न्यासी श्रेयों में निवेशों को लागत पर रखा जाता है।

वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में दिनांक 23.08.2006 के बाद की गई निवेशों को तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है।

ख) बिक्री के लिए उपलब्ध

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत प्रत्येक प्रतिभूति त्रैमासिक आधार पर बाजार के लिए अंकित है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख (तुलन पत्र तारीख) को उपलब्ध बाजार दरों पर जो स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार / कोट, भारतीय व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत प्रत्येक वर्ग के संबंध में निवल मूल्यह्रास उपलब्ध किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि नकारा जाता है। प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार के लिए अंकित किए जाने पर बही मूल्य को कोई परिवर्तन नहीं होता है।

तीन वर्षों की अवधि के पश्चात वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में अंतरित एचटीएम श्रेणी के इकाइयों को वेंचर पूँजी निधियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के अनुसार निवल आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है (पैराग्राफ 3.3 का संदर्भ लें)। यदि 18 महीनों के लिए ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी उपलब्ध नहीं है तो, इकाइयों को ₹1 प्रति वेंचर पूँजी निधि के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

ग) व्यापार हेतु धारित

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत निवेशों को बाजार कोट, भारतीय व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के अनुसार साप्ताहिक आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत निवल मूल्यह्रास को मान्यता दी गई तथा संवर्धन, यदि कोई है तो, नकारा गया। प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार के लिए अंकित किए जाने पर बही मूल्य को कोई परिवर्तन नहीं होता है।

Investments in Subsidiaries and Joint Ventures & Associates are valued at carrying cost. Any diminution in the value other than temporary in nature is fully provided for.

Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) and other Trustee shares are valued at carrying cost.

Investment in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and valued at cost.

b) AVAILABLE FOR SALE

Investments classified under this category are mark to market on quarterly basis and valued as per Reserve Bank of India guidelines at the market rates available on the last day of each quarter (Balance Sheet date) from trades / quotes on the stock exchanges, prices / yields declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Unquoted securities are also valued as per the Reserve Bank of India guidelines.

The net depreciation under each category/ classification is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after these are valued at mark to market basis.

Units of Venture Capital Funds (VCF) transferred from HTM category after a period of three years (Refer paragraph 3.3(a)) are valued at NAV as per the audited financial statements of Venture Capital Funds. In case such audited financial statements are not available continuously for 18 months as on the date of valuation, units are valued at Re. 1 per VCF.

c) HELD FOR TRADING

Investments classified under this category are valued at rates based on market quotations, price/yields declared by FIMMDA on a weekly basis.

The net depreciation under each security held is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marked to market.

3.4 एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में शेयरों का अंतरण निम्नानुसार किया जाता है:

क) परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी से बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) / व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणी को अंतरण अधिग्रहण मूल्य / बही मूल्य पर किया जाता है। एच टी एम श्रेणी के तहत निवेशों को मूल रूप से प्रीमियम पर रखा जाता है तो परिशोधित लागत पर अंतरण किया जाता है।

ख) ए एफ एस / एच एफ टी श्रेणी से एच टी एम श्रेणी में अंतरण बही मूल्य या बाजार मूल्य के निम्न मूल्य पर किया जाता है।

ग) ए एफ एस से एच टी एम श्रेणी या इसके विपरीत को रखाव लागत पर अंतरित किया जाता है। उपचित मूल्यहास, यदि कोई है तो, एच एफ टी प्रतिभूतियों के प्रति मूल्यहास के लिए प्रावधान को अंतरित किया जाता है।

3.5 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी (प्रकं / पुकं) को बैंक द्वारा बेची गयी अनर्जक निवेश वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में प्रकं / पुकं द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को प्रतिभूति रसीद के प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति के निवल बही मूल्य में से निम्न स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। बहियों में इनका निवेश उपर्युक्तानुसार निर्धारित मूल्य पर इनके विक्रय या वसूली तक किया जाता है और ऐसे विक्रय / वसूली पर हानि या लाभ निम्नानुसार पेश किया जाता है:

क) यदि विक्रय निवल बही मूल्य से कम मूल्य पर है तो, तदसंबंधी कमी को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता दिया जाता है।

ख) यदि विक्रय निवल बही मूल्य से उच्च मूल्य पर है तो, अतिरिक्त प्रावधान को वापस नहीं किया जाता है, लेकिन प्रकं / पुकं को अन्य वित्तीय आस्तियों के विक्रय से होनेवाली कमी / हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है।

3.6 तीनों में से किसी भी श्रेणी में शामिल किए गए प्रतिभूतियों के मामले में जहाँ ब्याज / मूल राशि एक निर्धारित अवधि के लिए बकाया है तो अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे प्रतिभूतियों पर ब्याज आय की गणना नहीं की जाती है तथा निवेशों के मूल्य पर आवश्यक हास / प्रावधान बनाया जाता है। ऐसे अनर्जक निवेशों के प्रति मूल्यहास को अन्य अर्जक आस्तियों के प्रति मूल्यवृद्धि से समंजन नहीं किया जाता है।

3.7 निवेशों की बिक्री पर लाभ

“बिक्री के लिए उपलब्ध” तथा “व्यापार के लिए धारित” श्रेणियों के तहत निवेशों की बिक्री पर लाभ को लाभ व हानि खाते में मान्यता दिया जाता है।

“परिपक्वता के लिए धारित” श्रेणी के संबंध में निवेशों की बिक्री पर उपलब्ध लाभ को प्राथमिक तौर पर लाभ व हानि

3.4. Transfer of scripts from one category to another is carried on the following basis:

(a) HTM to AFS / HFT category at acquisition price / book value. In case the investments under HTM category are placed at premium originally the transfer is made at amortized cost.

(b) AFS / HFT to HTM category at lower of the book value or market value.

(c) AFS to HFT category or vice versa, at the carrying value. The accumulated depreciation, if any, to be transferred to the provision for depreciation against HFT securities and vice versa.

3.5 Non performing Investments Security Receipts issued by Securitisation / Reconstruction Company (SC / RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC / RC are valued at the lower of the redemption value of the Security Receipt and the Net Book Value of the financial asset. The investment is carried in the books at the price determined as above until its sale or realisation and on such sale or realisation, loss or gain is dealt with as below:

(a) If sale is at a price below Net Book Value (NBV), the short fall is recognised as per Reserve Bank of India guidelines.

(b) If the sale is for a value higher than NBV, the excess provision is not reversed but utilized to meet shortfall / loss on account of sale of other financial assets to SC / RC.

3.6 Securities included in any of three categories where interest / principal is in arrears for a specified period, are classified as Non-performing Investment. Interest Income on such securities is not reckoned and appropriate depreciation/provision in value of investments is made. Depreciation in respect of such Non Performing Investments is not set off against appreciation in other performing securities.

3.7 Profit on sale of investments

Profit on sale of investments in respect of “Available for Sale” and “Held for Trading” categories is recognized in Profit & Loss account.

Profit on sale of Investments in respect of “Held to Maturity” category is first taken to

खाते में लिया जाता है तथा लाभ की समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित निधि (कर व आरक्षित निधि को अंतरित की जानेवाली राशि का निवल) में विनियोजित किया जाता है।

सभी तीनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री पर हानि को लाभ व हानि खाते में मान्यता दिया गया।

3.8 रेपो / प्रति रेपो का लेखांकन व चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)

आरबीआई के साथ एलएएफ सहित रेपो / रिवर्स रेपो के तहत सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद / पुनर्विक्रय के लिए एक करार के साथ बेचे गए / खरीदी गई प्रतिभूतियां उधार / ऋण देने के रूप में मान्यता प्राप्त हैं।

[4] व्युत्पन्नी संविदाएं

बैंक ब्याज दर अदला-बदली और मुद्रा व्युत्पन्नियों में व्यवहार करता है। बैंक द्वारा व्यवहार किये जा रहे ब्याज दर व्युत्पन्नियों रुपया ब्याज दर अदला-बदली, परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार है। बैंक द्वारा व्यवहार की जा रही मुद्रा व्युत्पन्नियां विकल्प और मुद्रा अदला-बदली है। ऐसे व्युत्पन्नी संविदाओं को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है :

क) व्यापार के लिए प्रयोग की जानेवाली व्युत्पन्नियों बाजार के लिए अंकित की गयी हैं और निवल मूल्यहास की पहचान की गई है तथा निवल मूल्यवृद्धि को नकारा गया है।

ख) प्रतिरक्षा के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नियां निम्नानुसार हैं:

i. बाजार के लिए अंकित नहीं की जाती है, जब तक आधारभूत आस्तियां / देयताएं बाजार के लिए अंकित नहीं की गयी हैं।

ii. प्रतिरक्षा अदला-बदली के लिए उपचित आधार पर आय / व्यय का लेखा किया गया।

[5] अग्रिम

5.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में संवर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार प्रावधान किए गए हैं।

5.2 अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्ति के रूप में संवर्गीकृत किया गया है।

the Profit & Loss Account and an equivalent amount of Profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

Loss on sale of Investments in all the three categories is recognized in Profit & Loss Account.

3.8 Accounting for Repo / Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF)

Securities sold / purchased with an agreement to repurchase / resale on the agreed terms under Repo / Reverse Repo including LAF with RBI are recognized as Borrowing/Lending.

[4] Derivative Contracts

The Bank deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency derivatives dealt by the Bank are Options and Currency Swaps. Such derivative contracts are valued as under:

a) Derivative contracts dealt for trading are valued on mark to market basis, net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.

b) Derivative contacts undertaken for hedging are:

i. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market.

ii. Income / Expenditure is recognized on accrual basis for Hedging swaps.

[5] ADVANCES

5.1 Advances are classified as performing and non-performing assets in accordance with the prudential norms issued by RBI.

5.2 Advances are classified into Standard, Sub Standard, Doubtful and Loss assets borrower wise.

- 5.3 अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू अग्रिमों हेतु प्रावधान किए गए हैं।
- 5.4 विदेशी शाखाओं के अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान स्थानीय विनियम / उस देश के नियमों, जो भी अधिक कड़े हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार किए गए हैं।
- 5.5 तुलन पत्र में बताए गए अग्रिम अनर्जक आस्तियों, क्रेडिट गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावे और पुनर्भुनाई के लिए किए गए प्रावधानों के निवल हैं।
- 5.6 अनर्जक अग्रिमों में किए गए आंशिक वसूलियों का समायोजन को प्रथमतः प्रभार व ब्याज, तत्पश्चात समझौता निपटान / कालातीत ऋणों के मूल धन के प्रति किया जात है। वसूलियों को प्रथमतः मूल धन के साथ समायोजित किया जाता है।
- 5.7 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, मूल्यांकन, आय निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
- [6] अचल परिसंपत्तियां**
- 6.1 बैंक के परिसर में मुक्त भूमि और पट्टेवाली भूमि संपत्ति दोनों शामिल हैं। सभी अचल परिसंपत्तियों का पूँजीकरण, इस्तेमाल शुरू की गई तिथि के आधार पर होता है।
- 6.2 जहाँ पुनर्मूल्यांकन किया गया है उन्हें छोड़कर परिसर और अन्य अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर उल्लिखित किया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो, उसे 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' खातों में जमा किया जाता है। संवर्धित मूल्य के कारण होनेवाले मूल्यहास/परिशोधन का अंतरण पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से लाभ व हानि खाते में मूल्यहास में जमा किया जाएगा।
- [7] मूल्यहास**
- 7.1 कंप्यूटरों को छोड़कर, अचल परिसंपत्तियों को मूल्यहासित मूल्य पद्धति के तहत तत्संबंधी परिसंपत्ति के उपयोग्य जीवन पर परिकल्पित मूल्य के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यहास किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंप्यूटरों पर मूल्यहास को सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर 33.33% प्रभारित करते हुए किया जाता है।
- 7.2 3 वर्ष या 5 वर्ष (उदाहरणार्थ कम्प्यूटर, सर्वर और ए टी एम इत्यादि) अनुमानित प्रयोज्य जीवन वाली परिसंपत्तियों को छोड़कर जहाँ आस्तियों का कुल लागत प्रयोज्य जीवन से परिशोधित हो सभी परिसंपत्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है।
- 5.3 Provisions for domestic advances are made for performing / non-performing advances in accordance with the RBI Guidelines.
- 5.4 Provisions for performing / non-performing advances with foreign branches are made as per regulations of host country or according to the norms prescribed by RBI, whichever is more stringent.
- 5.5 Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non Performing Assets, claims received from Credit Guarantee Institutions and rediscount.
- 5.6 Partial recoveries in Non Performing Advances are apportioned first towards charges and interest, thereafter towards principal with the exception of non performing advances involving compromise settlements / "Loan Past Due" advances, the recoveries are first adjusted towards principal.
- 5.7 In case of financial assets sold to SC / RC, the valuation, income recognition is being done as per RBI guidelines.
- [6] Fixed Assets**
- 6.1 The premises of the Bank include freehold and leasehold properties. All the Fixed Assets are capitalised based on the date of put to use.
- 6.2 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except wherever revalued. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value is transferred from Revaluation Reserve to the credit of Depreciation in the Profit and Loss Account.
- [7] Depreciation**
- 7.1 Fixed Assets are depreciated under Straight line Method at the rates determined by the management on the basis of estimated useful life of the respective assets except for the Computers where as per the guidelines of RBI, depreciation is charged under straight line method at 33.33%.
- 7.2 5 percent residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life of 3 years or 5 years (E.g. computer, Servers and ATMs etc) where the entire cost of the asset is amortized over the useful life

7.3 पूंजीकरण का अचल परिसंपत्तियों पर वर्ष में मूल्यहास पूरे वर्ष के लिए वसूल की जाए यदि परिसंपत्ति का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान 180 दिनों से अधिक के लिए किया गया हो अन्यथा लागू दर के 50% हो। बिक्री / निपटान के वर्ष में कोई मूल्यहास प्रदान नहीं किया गया है।

7.4 पट्टादाई परिसरों पर प्रदत्त प्रीमियम उसकी पूरी पट्टादाई अवधि के लिए प्रभारित किया जाता है।

7.5 अचल परिसंपत्ति में संवर्धन पर मूल्यहास को अभिग्रहण तारीख की गणना किए बगैर संपूर्ण वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है। बिक्री / निपटान वर्ष के दौरान मूल्यहास के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

[8] आस्तियों का अपक्षयन

प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को किसी आस्ति की अपक्षयन का संकेत है या नहीं का एक निर्धारण किया जाता है। यदि कोई संकेत पाया जाता है तो वसूली योग्य राशि का एक अनुमान बनाया जाता है तथा यदि कोई अपक्षयन है तो, प्रावधान किया जाता है।

[9] राजस्व का परिकलन

9.1 आय व व्यय का लेखांकन सामान्यतया, निम्नलिखित को छोड़कर, उपचित आधार पर किया किया जाता है:

क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों तथा अनर्जक निवेशों पर ब्याज को मान्यता दिया गया है।

ख) अतिदेय बिलों, कमीशन (सरकारी कारोबार के अलावा), विनिमय, दलाली तथा लॉकर किराया पर ब्याज की गणना वसूली पर किया गया है।

ग) लाभांश की गणना तब किया जाएगा जब उसको प्राप्त करने की अधिकार स्थापित किया जाता है।

घ) मुकदमा दायर किए गए लेखों के मामले में संबंधित विधिक तथा अन्य व्ययों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा तथा वसूली पर उसकी गणना आय के रूप में की जाएगी।

[10] कर्मचारी लाभ

10.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि / पेंशन निधि को व्यय के रूप में मान्यता दिया गया है तथा लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

10.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएं

क) उपदान : कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है जो दिशानिर्देशों के अनुसार उनके

7.3 Depreciation on fixed assets in the year of capitalization is charged for the full year if the asset is used for more than 180 days during that financial year; else it is provided at 50 percent of the applicable rate. No depreciation is provided for in the year of sale / disposal.

7.4 Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period.

7.5 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries.

[8] Impairment of Assets

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for.

[9] Revenue Recognition

9.1 Income and expenditure are generally accounted on accrual basis, except the following:

a) Interest on Non-Performing advances and non performing investments is recognized on receipt basis as per norms laid down by Reserve Bank of India.

b) Interest on overdue bills, Commission (other than Government business), Exchange, Brokerage and rent on lockers are accounted on realization.

c) Dividend Income is recognized when the right to receive the same is established.

d) In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted as Income.

[10] Employee Benefits

10.1 Defined Contribution Plans

Defined Contribution Plans such as Provident / Pension fund are recognized as an expense and charged to Profit & Loss account.

10.2 Defined Benefit Plans

a) Gratuity: The employee Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust who in turn manages their funds as per guidelines. The present

निधि का प्रबंधन करता है। उपदान के तहत बैंक के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत को बीमाकिक आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है।

ख) पेंशन : कर्मचारी पेंशन निधि योजना का निधियन बैंक द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है। पेंशन के तहत बैंक के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है।

10.3 विशेषाधिकार छुट्टी को दीर्घावधि लाभ माना गया है तथा प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को 'अनुमानित इकाई साख पद्धति' के स्वतंत्र बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दिया जाता है।

[11] कराधान के लिए प्रावधान

क) चालू तथा आस्थगित दोनों करों के लिए कर प्रावधान किया गया है।

ख) समय-अवधि में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली विभेदक कर आस्तियों और देयताओं जो कि बाद की अवधियों के दौरान प्रतिवर्तन योग्य हैं को अधिनियमित कर की दरों व नियमों अथवा बाद में तुलन-पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर की दरों व नियमों का प्रयोग करते हुए मान्यता दी गयी है।

ग) विभेदक कर आस्तियों को मान्यता तब तक नहीं दी जाती है जब तक यह पूरी तरह से निश्चित नहीं हो जाता कि पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध हो जायेगी जिसके प्रति ऐसी विभेदक कर आस्तियों को मान्यता दी जायेगी।

[12] निवल लाभ

12.1 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

1. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 "आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान" के अनुसार बैंक द्वारा प्रावधानों को मान्यता दिया गया, जब:

क) पूर्ववर्ती घटना के परिणाम के रूप में वर्तमान में कोई बाध्यता हो

value of the Bank's obligation under Gratuity is recognized on actuarial basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

b) Pension: The employee Pension Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust. The present value of the Banks obligations under Pension is recognized on the basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

10.3 The privilege leave is considered as a long term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation on 'Projected Unit Credit method' at each Balance Sheet date.

[11] Provision for Taxation

a) Provision for tax is made for both Current and Deferred Taxes.

b) Deferred Tax assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of the balance sheet date.

c) Deferred tax assets are not recognized unless there is virtual certainty that sufficient future taxable income would be available against which such deferred tax assets can be recognized.

[12] Net Profit

12.1 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

1. In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the bank recognizes provision only when:

a) It has a present obligation as a result of past event.

- ख) उस बाध्यता को निभाने के लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर्प्रवाह हो
- ग) जब बाध्यता राशि के उचित परिकलन किया जा सकते हो।

II. निम्नलिखितों के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया

- क) पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न होनेवाली किसी संभावित बाध्यता और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जोकि पूर्ण रूप से बैंक के नियंत्रण के भीतर हों, के घटने या न घटने पर ही की जाएगी।
- ख) यह प्रत्याशित नहीं है कि आर्थिक हितों से सुसम्पन्न संसाधनों का बहिर्गमन बाध्यता के निपटान के लिए आवश्यक हो अथवा
- ग) बाध्यता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया नहीं जा सकता।

ऐसे बाध्यताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में अभिलेखित किया गया है। इसको नियमित अंतरालों पर निर्धारित किया जाता है तथा बाध्यता के उस हिस्सा जिसके लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर्प्रवाह संभव है, के लिए प्रावधान दिया गया है। जहाँ पर विश्वसनीय अनुमान बनाया नहीं जा सकता, वहाँ प्रावधान नहीं दिया गया है।

III. आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणियों में मान्यता नहीं दिया गया है।

12.2 निवल लाभ

लाभ-हानि खाते में निवल लाभ निम्नलिखितों के पश्चात है :

- क) निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- ख) कराधान के लिए प्रावधान
- ग) ऋण हानियों के लिए प्रावधान
- घ) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान
- ड) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान
- च) अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान

[13] प्रति शेयर अर्जन

बैंक, लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर का मूल व तनुकृत अर्जन को रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाए ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

- b) It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and
- c) When a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

II. No provision is recognized

- a) For any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the bank.
- b) Where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or
- c) When a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which the outflow of resources embodying economic benefits is probable is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

III. Contingent assets are not recognized in the financial Statements.

12.2 Net Profit

The Net Profit in the Profit & Loss account is after:-

- a) Provision for depreciation on investments.
- b) Provision for Taxation.
- c) Provision on loan losses.
- d) Provision on Standard Assets.
- e) Provision for Non-Performing investments.
- f) Provision for other usual & necessary items.

[13] Earning Per Share

The Bank reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the Year.

अनुसूची 18

अनुसूची 18- लेखा संबंधी टिप्पणियां

1 निवेश:

यथा 31.03.2017 को "परिपक्वता के लिए धारित" वर्ग के तहत निवेश का प्रतिशत सांविधिक तरलता अनुपात (एस एल आर) बैंक की मांग और मीयादी देयता का 20.41% था (पिछले वर्ष 20.60%), जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार अनुमत सीमा के भीतर है।

2 अंतर-शाखा लेनदेन:

अंतर-शाखा/कार्यालय संव्यवहार के तहत प्रविष्टियों का मिलान व सेटिंग अंतर कार्यालय समाशोधन खातों के माध्यम से संपूर्ण बैंक हेतु कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के आधार पर प्रणाली द्वारा ही किया गया है।

3 परिसर:

परिसर में ₹56.62 करोड़ की असल लागत वाली (पिछले वर्ष ₹55.46 करोड़) कुछ संपत्तियां शामिल हैं, जिनके अंतरण विलेखों का निष्पादन अभी भी लंबित होने के बावजूद इन्हें प्रयुक्त किया गया है।

4 भारतीय रिज़र्व बैंक के आवश्यकतानुसार प्रकटीकरण:

4.1 पूंजी:

(₹ करोड़ में)

	मदें	बासेल III	
		31.03.2017	31.03.2016
(i)	सी ई टी 1 पूंजी अनुपात (%)	8.92	8.18
(ii)	टीयर 1 पूंजी अनुपात (%)	9.77	8.80
(iii)	टीयर 2 पूंजी अनुपात (%)	3.09	2.28
(iv)	कुल पूंजी अनुपात (%)	12.86	11.08
(v)	बैंक में भारत सरकार के शेयरधारण का प्रतिशत	66.30	66.30
(vi)	जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि (शेयर प्रीमियम सहित)	1123.99	2467.32
(vii)	जुटाई गई अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी की राशि; जिसमें से	1000.00	शून्य
	बेमीयादी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस)	शून्य	शून्य
	बेमीयादी कर्ज लिखत (पीडीआई):	1000.00	शून्य

SCHEDULE 18

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS

1. Investments:

The percentage of investments under "Held to Maturity" category – SLR as on 31.03.2017 was 20.41% of Demand and Time Liability of the Bank (Previous year 20.60%), which is within the permissible limit as per RBI guidelines.

2. Inter-Branch Transactions:

The matching and setting of entries under Inter-Branch/office transactions are carried out by the system itself based on Core Banking Solutions (CBS) for the whole of the Bank through Inter Office Adjustment account.

3. Premises:

Premises include certain properties capitalized at original cost of ₹56.62 Crore (Previous year ₹55.46 Crore) as they have been put to use though conveyance of title deeds is still to be completed.

4. Disclosure as per RBI Requirements:

4.1 Capital:

(₹ in Crore)

	Particulars	Basel III	
		31.03.2017	31.03.2016
(i)	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	8.92	8.18
(ii)	Tier 1 Capital Ratio (%)	9.77	8.80
(iii)	Tier 2 Capital Ratio (%)	3.09	2.28
(iv)	Total Capital Ratio (%)	12.86	11.08
(v)	Percentage of Shareholding of the Government of India in the Bank	66.30	66.30
(vi)	Amount of Equity Capital raised (including share premium)	1123.99	2467.32
(vii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which	1000.00	NIL
	Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS):	NIL	NIL
	Perpetual Debt Instruments (PDI):	1000.00	NIL



(vii)	जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि; जिसमें से,	3000.00	2400.00
	कर्ज पूंजी लिखत	3000.00	2400.00
	अधिमानी शेयर पूंजी लिखत: [बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस) / प्रतिदेय गैर संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)]	शून्य	शून्य

(vii)	Amount of Tier 2 capital raised; of which	3000.00	2400.00
	Debt capital instrument:	3000.00	2400.00
	Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)/ Redeemable Non Cumulative Preference Shares (RNCPS)/Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	NIL	NIL

4.2 निवेश:

(1) निवेशों का मूल्य:

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2017	31.03.2016
i. निवेशों का सकल मूल्य	150752.77	142674.56
क. भारत में	149777.68	141679.09
ख. भारत से बाहर	975.09	995.47
ii. मूल्यहास, एन पी आई के लिए प्रावधान	486.88	365.26
क. भारत में	484.00	365.26
ख. भारत से बाहर	2.88	0.00
iii. निवेशों का निवल मूल्य	150265.89	142309.30
क. भारत में	149293.68	141313.83
ख. भारत से बाहर	972.21	995.47

(2) निवेशों पर मूल्यहास व एनपीआई के लिए किये गये प्रावधानों में उतार-चढ़ाव:

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2017	31.03.2016
i. प्रारंभिक शेष	365.26	109.06
ii. जोड़ें: वर्ष के दौरान बनाये गये प्रावधान	166.02	257.64
iii. घटायें: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना	44.40	1.44
iv. इति शेष	486.88	365.26

4.2 Investments:

(1) Value of Investments:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i. Gross Value of Investments	150752.77	142674.56
a. In India	149777.68	141679.09
b. Outside India	975.09	995.47
ii. Provisions for Depreciation, NPI	486.88	365.26
a. In India	484.00	365.26
b. Outside India	2.88	0.00
iii. Net Value of Investments	150265.89	142309.30
a. In India	149293.68	141313.83
b. Outside India	972.21	995.47

(2) Movement of Provisions held towards depreciation and for NPI on Investments:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i. Opening Balance	365.26	109.06
ii. Add: Provisions made during the year	166.02	257.64
iii. Less: Write back of excess provisions during the year	44.40	1.44
iv. Closing balance	486.88	365.26

4.2.1. पुनः खरीद (रेपो) लेनदेन:

i. बाजार रेपो

(₹ करोड़ में)

मर्दे	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत बकाया	यथा 31.03.2017 को
रेपो के तहत विक्रीत प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	5.00	10966.90	997.85	10966.90
ii) नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रति रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	125.00	9390.92	647.49	शून्य
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.2.1 Repo Transactions:

i. Market REPO

(₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	As on 31.03.2017
Securities sold under repo				
i) Government Securities	5.00	10966.90	997.85	10966.90
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under reverse repo				
i) Government Securities	125.00	9390.92	647.49	NIL
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL

ii. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)

(₹ करोड़ में)

मर्दे	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत बकाया	यथा 31.03.2017
रेपो के तहत विक्रीत प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	272.14	12848.73	692.72	647.87
ii) नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रति रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	260.00	32876.56	4367.74	शून्य
ii) नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ii. Liquidity Adjustment Facility (LAF) with RBI

(₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	As on 31.03.2017
Securities sold under repo				
i) Government Securities	272.14	12848.73	692.72	647.87
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under reverse repo				
i) Government Securities	260.00	32876.56	4367.74	NIL
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL

4.2.2 गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग:

i) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश का जारीकर्ता विन्यास:

(₹ करोड़ में)

सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी स्थान नियोजन सीमा	“कम निवेश श्रेणी” प्रतिभूतियों की सीमा	“गैर-रेटेड” प्रतिभूतियों की सीमा	“असूचीगत” प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	3004.87	590.41	0.00	0.00	0.00
(ii)	वित्तीय संस्थाएं	2779.14	2067.43	0.00	0.00	0.00
(iii)	बैंक	1718.35	1162.69	5.00	0.00	0.00
(iv)	निजी कॉर्पोरेट	3916.85	707.38	91.80	0.00	0.00
(v)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम	912.52	912.52	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य	10936.81	10616.05	0.00	0.00	0.00
(vii)	घटाएं : मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	313.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	22954.94	16056.48	96.80	0.00	0.00

कॉलम 4, 5, 6, व 7 के तहत रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य नहीं हैं।

4.2.2 Non-SLR Investment Portfolio:

i) Issuer composition of Non SLR Investments:

(₹ in Crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	3004.87	590.41	0.00	0.00	0.00
(ii)	Fis	2779.14	2067.43	0.00	0.00	0.00
(iii)	Banks	1718.35	1162.69	5.00	0.00	0.00
(iv)	Private Corporate	3916.85	707.38	91.80	0.00	0.00
(v)	Subsidiaries/ Joint Ventures	912.52	912.52	0.00	0.00	0.00
(vi)	Others	10936.81	10616.05	0.00	0.00	0.00
(vii)	Less: Provision held towards depreciation and NPI	313.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	22954.94	16056.48	96.80	0.00	0.00

Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above are not mutually exclusive.

ii) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश:

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2017	31.03.2016
प्रारंभिक शेष	442.69	331.56
1 अप्रैल 2016 के बाद वर्ष के दौरान संवर्धन	117.73	106.98
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौती	29.66	1.28
एक्सचेंज अस्थिरता	(3.83)	5.43
इति शेष	526.93	442.69
धारित कुल प्रावधान	402.64	330.03

ii) Non-Performing Non SLR Investments:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Opening balance	442.69	331.56
Additions during the year since 1st April 2016	117.73	106.98
Reductions during the above period	29.66	1.28
Exchange Fluctuation	(3.83)	5.43
Closing balance	526.93	442.69
Total Provisions held	402.64	330.03

4.2.3 परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) वर्ग को / से बिक्री और अंतरण:

वर्ष के दौरान एच टी एम वर्ग को / से प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण का मूल्य यथा 01.04.2016 तक एच टी एम वर्ग धारित निवेश के बही मूल्य के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है।

4.2.3 Sale and transfers to/from HTM Category:

The value of sale and transfers of securities to/from HTM category during the year does not exceed five percent of the book value of the investment held in HTM category as on 01.04.2016.

4.3 व्युत्पत्ति:

4.3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय:

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2017	31.03.2016
i. विनिमय करार का कल्पित मूलधन	3242.50	6956.77
ii. करार के तहत बाध्यता को प्रति पक्ष द्वारा पूरा नहीं किये जाने पर हुई क्षति	39.73	204.71
iii. विनिमय में प्रवेश पर बैंक द्वारा संपार्श्विक की आवश्यकता	0.00	0.00
iv. विनिमय से होनेवाली साख जोखिम का संकेद्रण	0.00	0.00
v. विनिमय बही का उचित मूल्य	39.73	204.71

4.3 Derivatives:

4.3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i. The notional principal of swap agreements	3242.50	6956.77
ii. Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	39.73	204.71
iii. Collateral required by the Bank upon entering into swaps	0.00	0.00
iv. Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v. The fair value of the swap book	39.73	204.71

4.3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी:

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मदें	राशि
(i)	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी के कल्पित मूलधन की राशि (लिखत-वार)	
	क) 7.59 सीएल मैट 29.09.2016	91.70
	ख) 7.59 सीएल मैट 30.03.2017	71.47
	सी) 7.59 सीएल मैट 27.10.2016	20.82
	डी) 7.59 सीएल मैट 29.12.2016	3.20
(ii)	यथा 31 मार्च 2017 को विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्नी की कल्पित मूलधन राशि (लिखत-वार)	शून्य
(iii)	विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया की कल्पित मूलधन राशि तथा "ज्यादा प्रभावी" नहीं (लिखत-वार)	शून्य
(iv)	विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया का दैनिक बाजार मूल्य तथा "ज्यादा प्रभावी" नहीं (लिखत-वार)	शून्य

4.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(₹ in Crore)

Sl.No.	Particulars	Amount
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (Instrument wise)	
	a) 7.59 CL MAT 29.09.2016	91.70
	b) 7.59 CL MAT 30.03.2017	71.47
	c) 7.59 CL MAT 27.10.2016	20.82
	d) 7.59 CL MAT 29.12.2016	3.20
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2017 (instrument- wise)	NIL
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument- wise)	NIL
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL

4.3.3 व्युत्पन्नी में जोखिम सीमा संबंधी प्रकटीकरण:

I गुणात्मक प्रकटीकरण

बचाव व्यवस्था / व्यापार के लिए व्युत्पन्नी लिखतों के उपयोग के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित साख जोखिम प्रबंधन नीति स्थापित है।

क. बैंक के निवेश संविभाग में स्थिर ब्याज दर, ज़ीरो कूपन और अस्थायी ब्याज दरों जैसी विशेषताओं वाली आस्तियां निहित हैं और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन है।

बैंक की पूंजी:

बैंक ने टीयर I व टीयर II बांड जारी किये हैं जो कि ब्याज दर स्वैप हेतु बचाव है जिसमें बहिगमन विकल्प नहीं है। यह नीति इस देयता पर ब्याज दर से संबंधित जोखिमों से बचाव की भी अनुमति देती है। वर्ष के दौरान, बैंक ने निवेश संविभाग के तहत आईआरएस में व्युत्पन्नी व्यापार नहीं किया है।

4.3.3 Disclosure on risk exposure in derivatives:

I Qualitative Disclosure

The Credit Risk Management Policy approved by the Board of Directors, on the use of Derivative Instruments to hedge / trade is in place.

A. The Investment Portfolio of the Bank consists of assets with interest streams such as fixed interest rate, zero coupon and floating interest rates and is subject to interest rate risk.

Capital of the Bank:

The Bank has issued Tier I and Tier II bonds hedged for interest rate swap which do not have exit option. The policy permits hedging the interest rate risk on this liability as well.

न केवल निवेश संविभाग (केवल बिल्कुल सादे संव्यवहार अनुमत हैं) में बल्कि बाजार निर्माण में भी ब्याज दर जोखिम से बचाव के लिए बैंक को वायदा दर करार (एफ आर ए) और ब्याज दर स्वैप (अदला-बदली) (आई आर एस) जैसे व्युत्पन्नी व्यापार करने की अनुमति है। विदेशी मुद्रा देयताओं से संबंधित जोखिमों से बचाव के उद्देश्य से बैंक वायदा दर करार (एफ आर ए) और ब्याज दर स्वैप (अदला-बदली) (आई आर एस) जैसी व्युत्पन्नी का प्रयोग कर रहा है। परस्पर आधार पर हमारे ग्राहकों की ओर से विकल्प और स्वैप का भी प्रयोग किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने निवेश संविभाग के तहत आईआरएस या ट्रेडिंग स्वैप / एफआरए में व्युत्पन्नी व्यापार नहीं किया है।

- ख. बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं जैसे स्टॉप लॉस सीमाएं, प्रतिपक्ष जोखिम सीमाएं, पी वी 01, आदि कार्यशील हैं। इन जोखिम सीमाओं की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती है। जोखिम प्रबंधन समिति को प्रबंध सूचना प्रणाली / रिपोर्ट आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। बकाया व्युत्पन्नी व्यवहारों की बचाव व्यवस्था की प्रभावशीलता की निरंतर आधार पर अंतर्निहित आस्ति / देयता के संबंध में पखवाड़े आधार पर निगरानी की जाती है।

ग. लेखांकन नीति:

बचाव की स्थिति:

- ब्याज व्यय / आईआरएस पर आय के कारण उपचय को व्यय / आय के रूप में लेखांकित व मान्य किया जाएगा।
- बकाया व्युत्पन्नी कार्य की निगरानी अदला-बदली और अंतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य के संबंध में बचाव व्यवस्था व्यवहारों के द्वारा की जाती है। बैंक एफआईएमएमडीए मूल्यांकन पद्धति अर्थात् जी एसईसी प्रतिफल तथा कार्पोरेट मॉडल को अपनाते हुए अदला-बदली और अंतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य का निर्धारण करता है। अगर बचाव प्रभावकारी नहीं होता है तो बचाव अदला-बदली को ट्रेडिंग अदला-बदली के रूप में लिया जाता है। यदि परिपक्वता से पूर्व स्वैप को समाप्त कर दिया जाता है तो उस तारीख तक एम टी एम हानि / लाभ और उपचयों का ब्याज दर स्वैप (अदला-बदली) (आई आर एस) पर भुगतान की गई / प्राप्त ब्याज के तहत लेखांकन किया जाता है।

ट्रेडिंग की स्थिति:

- सामान्य अंतरालों में ट्रेडिंग स्वैप को बाजार पर अंकित किया जाता है और आय विवरणों में परिवर्तनों को रिकार्ड किया जाता है।
- ब्याज व्यय का उपचय / ब्याज दर स्वैप (आई आर एस) पर आय को व्यय / आय माना जाता है।
- स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि को उक्त शीर्षक के तहत तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

Bank has been permitted to undertake derivative trades like IRS and FRAs for the purpose of hedging the interest rate risk in the investment portfolio (only plain vanilla transactions permitted) and also for market making. Such derivative trades like IRS and FRAs are undertaken by bank for hedging foreign currency liabilities also. Options and Swaps are also undertaken on behalf of clients on back to back basis.

However during the year the bank has neither undertaken derivative trades in IRS under investment portfolio nor any trading swaps / FRAs.

- B. The risk management policies and major control limits like stop loss limits, counterparty exposure limits, PV01, etc. approved by the Board of Directors are in place. These risk limits are monitored and reviewed regularly. MIS / Reports are submitted periodically to Risk Management Committee. The effectiveness of hedging by way of outstanding derivative deals are monitored in relation to the underlying asset / liability on fortnightly basis.

C. Accounting Policy:

Hedge Positions:

- Accrual on account of interest expenses / income on the IRS are accounted and recognized as expenses / income.
- Hedge effectiveness of the outstanding derivatives deals are monitored in relation to the fair value of the Swap and underlying asset / liability. Bank has used the FIMMDA pricing method ie relevant G sec yield plus corporate bonds spread for arriving at the fair value of the underlying assets / liability. If the Hedge is not effective, hedge swaps is accounted as trading swaps. If swap is terminated before maturity, the MTM loss / gain and accruals till such dates are accounted as expense / income under interest paid / received on IRS.

Trading Positions:

- Trading swaps are marked to market at frequent intervals and changes are recorded in the income statements.
- Accrual on account of interest expenses / income on the IRS are accounted and recognized as expenses / income.
- Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income or expenses under the above head.

II परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्नी		ब्याज दर व्युत्पन्नी					
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017		31.03.2016			
1	व्युत्पन्नी (कल्पित मूलधन राशि)								
	- बचाव व्यवस्था	शून्य	शून्य			3242.50	6956.77		
	- ट्रेडिंग	625.53*	2597.73			शून्य	100.00		
2	बाजार स्थितियों को अंकित								
	- आस्तियाँ (+)	शून्य	शून्य			7.31	148.74		
	- देयताएँ (-)	(0.33)	(0.03)			शून्य	शून्य		
3	ऋण जोखिम	शून्य	शून्य			शून्य	शून्य		
		घरेलू				समुद्रपारीय			
		मुद्रा व्युत्पन्नी		ब्याज दर व्युत्पन्नी		मुद्रा व्युत्पन्नी		ब्याज दर व्युत्पन्नी	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का सामान्य प्रभाव [100*पीवी01] -								
	- बचाव व्यवस्था व्युत्पन्नियों पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1.01	1.01
	- ट्रेडिंग व्युत्पन्नियों पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	वर्ष के दौरान पाए गए अधिकतम व न्यूनतम 100*पीवी01								
	- बचाव व्यवस्था व्युत्पन्नियों पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	- ट्रेडिंग व्युत्पन्नियों पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	वायदा संविदा [100%पीवी01] के तहत बकाया स्थिति पर विनिमय दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का सामान्य प्रभाव: ₹0.05 करोड़ का लाभ (पिछले वर्ष: ₹1.06 करोड़ का लाभ)								

*एनएसई में मुद्रा भविष्य

II Quantitative disclosure:

(₹ in Crore)

Sl No	Particulars	Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives					
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017		31.03.2016			
1	Derivatives (Notional principal amount)								
	- Hedging	NIL	NIL			3242.50		6956.77	
	- Trading	625.53*	2597.73			NIL		NIL	
2	Marked to Market positions								
	- Assets (+)	NIL	NIL			7.31		148.74	
	- Liabilities (-)	(0.33)	(0.03)			NIL		NIL	
3	Credit Exposure	NIL	NIL			NIL		NIL	
		Domestic				Overseas			
		Currency Derivative		Interest Rate Derivatives		Currency Derivative		Interest Rate Derivatives	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
4	Likely impact of one percentage change in interest rate [100*PV01]-								
	- on hedging derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	1.01	1.01
	- on trading derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
5	Maximum and minimum of 100*PV01 observed during the year.								
	- on hedging	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	- on trading	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
6	Likely impact of one percentage change in exchange rate on outstanding position under forward contract [100%PV01]: Gain of ₹0.05 Crore (Previous Year: Gain of ₹ 1.06 Crore)								

*Currency future in NSE

4.4 आस्ति गुणवत्ता:

4.4.1 अनर्जक आस्तियाँ:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मदें	31.03.2017	31.03.2016
(i)	निवल अग्रिम पर निवल एनपीए (%)	6.33	6.42
(ii)	एनपीए का उतार-चढ़ाव (सकल)		
	क. प्रारंभिक शेष	31637.83	13039.96
	ख. वर्ष के दौरान संवर्धन	11652.11	24724.06
	ग. वर्ष के दौरान कमी	9087.90	6126.19
	घ. इति शेष	34202.04	31637.83
(iii)	निवल एनपीए का उतार-चढ़ाव		
	क. प्रारंभिक शेष	20832.91	8740.09
	ख. वर्ष के दौरान संवर्धन	9903.97	18219.01
	ग. वर्ष के दौरान कमी	9087.90	6126.19
	घ. इति शेष	21648.98	20832.91
(iv)	एनपीए हेतु प्रावधान का उतार-चढ़ाव (मानक आस्ति संबंधी प्रावधान को छोड़कर)		
	क. प्रारंभिक शेष	10745.17	4253.68
	ख. मुद्रा अस्थिरता तथा अन्य के लिए प्रावधान	27.49	29.28
	ग. वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	7235.93	9856.97
	घ. बट्टे खाते में डालना / अधिक प्रावधान वापस करना	5589.66	3394.76
	ड. इति शेष	12418.93	10745.17

4.4 Asset Quality:

4.4.1 Non-Performing Assets:

(₹ in Crore)

Particulars		31.03.2017	31.03.2016
(i)	Net NPAs to Net Advances (%)	6.33	6.42
(ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	a. Opening balance	31637.83	13039.96
	b. Additions during the year	11652.11	24724.06
	c. Reductions during the year	9087.90	6126.19
	d. Closing balance	34202.04	31637.83
(iii)	Movement of Net NPAs		
	a. Opening balance	20832.91	8740.09
	b. Additions during the year	9903.97	18219.01
	c. Reductions during the year	9087.90	6126.19
	d. Closing balance	21648.98	20832.91
(iv)	Movement of provisions for NPAs (excluding Provision on Standard Assets)		
	a. Opening balance	10745.17	4253.68
	b. Adjustment towards Exchange Fluctuation & others	27.49	29.28
	c. Provisions made during the year	7235.93	9856.97
	d. Write off / Write back of excess provision	5589.66	3394.76
	e. Closing balance	12418.93	10745.17

4.4.2 पुनः संरचित खातों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

यथा 31.03.2017 को पुनर्संरचित खातों का प्रकटन												
क्र. सं.	विवरण		सीडीआर					एसएमई				
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष के अप्रैल 1 को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आँकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	47	21	17	2	87	11057	2324	4157	2354	19892
		राशि	2125.01	1441.84	4239.66	257.49	8064.00	609.53	267.55	369.70	133.48	1380.26
		तद्संबंधी राशि	235.02	485.21	2138.18	257.49	3115.91	25.11	65.14	196.46	133.48	420.18
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्संरचित	उधारकर्ताओं की संख्या	1	1	3	0	5	155	233	11	1	400
		राशि	63.27	43.32	466.68	0.00	573.27	43.11	84.16	12.12	1.71	141.10
		तद्संबंधी राशि	2.21	924.58	890.16	0.00	1816.96	58.04	82.22	85.54	2.67	228.46
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या					0	74	-61	-11	-2	0
		राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.27	-8.69	-0.71	-8.87	0.00
		तद्संबंधी राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	-0.10	6.07	-6.14	0.00
4	वे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जो वित्त वर्ष के समापन पर उच्च प्रावधान और/या अतिरिक्त जोखिम भार आकृष्ट कर पाने में असफल हैं, और अतः अगले वि.व. के आरंभ पर पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में प्रदर्शित किये जाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	12				12	1119				1119
		राशि	1723.36	0.00	0.00	0.00	1723.36	200.69	0.00	0.00	0.00	200.69
		तद्संबंधी राशि	60.32	0.00	0.00	0.00	60.32	4.13	0.00	0.00	0.00	4.13
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या		-13	10	3	0	-339	-510	757	92	0
		राशि	0.00	-1515.59	1259.25	256.34	0.00	-111.96	-97.46	156.07	53.36	0.00
		तद्संबंधी राशि	0.00	-1146.95	890.60	256.34	0.00	-59.32	-84.16	91.24	52.24	0.00
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलिखित	उधारकर्ताओं की संख्या	32	7	-10	1	30	8776	1503	3361	2127	15767
		राशि	78.87	-77.35	1124.49	18.19	1144.19	130.15	104.74	-120.64	13.27	127.53
		तद्संबंधी राशि	163.41	254.78	537.76	18.19	974.15	14.66	39.96	-58.60	35.25	31.26
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आँकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	4	2	40	4	50	1052	483	1553	318	3406
		राशि	386.06	46.92	4841.10	495.64	5769.72	228.12	140.81	657.81	166.40	1193.15
		तद्संबंधी राशि	13.51	8.07	3381.18	495.64	3898.41	5.21	23.14	437.90	147.00	613.25

4.4.2 Particulars of Accounts Restructured:

(₹ in Crore)

DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS AT 31.03.2017												
S.N	Details		CDR					SME				
			STD	SUB STD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL	STD	SUB STD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL
1	RESTRUCTURE ACCOUNTS AS ON APRIL 1 OF FY (OPENING FIGURES)	NO OF BORROWERS	47	21	17	2	87	11057	2324	4157	2354	19892
		AMOUNT	2125.01	1441.84	4239.66	257.49	8064.00	609.53	267.55	369.70	133.48	1380.26
		PROVISION AMOUNT	235.02	485.21	2138.18	257.49	3115.91	25.11	65.14	196.46	133.48	420.18
2	FRESH RESTRUCTURED DURING THE YEAR	NO OF BORROWERS	1	1	3	0	5	155	233	11	1	400
		AMOUNT	63.27	43.32	466.68	0.00	573.27	43.11	84.16	12.12	1.71	141.10
		PROVISION AMOUNT	2.21	924.58	890.16	0.00	1816.96	58.04	82.22	85.54	2.67	228.46
3	UPGRADATIONS TO RESTRUCTURED STANDARD CATEGORY DURING THE FY	NO OF BORROWERS					0	74	-61	-11	-2	0
		AMOUNT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.27	-8.69	-0.71	-8.87	0.00
		PROVISION AMOUNT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	-0.10	6.07	-6.14	0.00
4	RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES WHICH CEASES TO ATTRACT HIGHER PROVISIONING AND/OR ADDITIONAL RISK WEIGHT AT THE END OF THE FY AND HENCE NEED NOT TO BE SHOWN AS RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES AT THE BEGINNING OF THE NEXT FY	NO OF BORROWERS	12				12	1119				1119
		AMOUNT	1723.36	0.00	0.00	0.00	1723.36	200.69	0.00	0.00	0.00	200.69
		PROVISION AMOUNT	60.32	0.00	0.00	0.00	60.32	4.13	0.00	0.00	0.00	4.13
5	DOWNGRADATIONS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO OF BORROWERS		-13	10	3	0	-339	-510	757	92	0
		AMOUNT	0.00	-1515.59	1259.25	256.34	0.00	-111.96	-97.46	156.07	53.36	0.00
		PROVISION AMOUNT	0.00	-1146.95	890.60	256.34	0.00	-59.32	-84.16	91.24	52.24	0.00
6	WRITE OFFs OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO OF BORROWERS	32	7	-10	1	30	8776	1503	3361	2127	15767
		AMOUNT	78.87	-77.35	1124.49	18.19	1144.19	130.15	104.74	-120.64	13.27	127.53
		PROVISION AMOUNT	163.41	254.78	537.76	18.19	974.15	14.66	39.96	-58.60	35.25	31.26
7	RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON MARCH 31 OF THE FY (CLOSING FIGURES)	NO OF BORROWERS	4	2	40	4	50	1052	483	1553	318	3406
		AMOUNT	386.06	46.92	4841.10	495.64	5769.72	228.12	140.81	657.81	166.40	1193.15
		PROVISION AMOUNT	13.51	8.07	3381.18	495.64	3898.41	5.21	23.14	437.90	147.00	613.25

(₹ करोड़ में)

यथा 31.03.2017 को पुनर्संचित खातों का प्रकटन												
क्र. सं.	विवरण	सीडीआर					एसएमई					
		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	
1	वित्तीय वर्ष के अप्रैल 1 को पुनर्संचित खाते (प्रारंभिक आँकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	31847	2593	2852	1201	38493	42951	4938	7026	3557	58472
		राशि	9233.33	1158.56	1584.22	486.90	12463.01	11967.87	2867.94	6193.59	877.87	21907.27
		तद्संबंधी राशि	694.38	253.26	770.48	486.90	2205.02	954.50	803.62	3105.13	877.87	5741.12
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्संचित	उधारकर्ताओं की संख्या	87	376	26	44	533	243	610	40	45	938
		राशि	261.36	415.25	142.20	0.65	819.46	367.75	542.73	621.00	2.36	1533.83
		तद्संबंधी राशि	46.50	521.24	722.48	0.65	1290.86	106.75	1528.05	1698.18	3.31	3336.29
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संचित मानक वर्ग में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	114	-91	-21	-2	0	188	-152	-32	-4	0
		राशि	428.93	-250.81	-93.36	-84.76	0.00	447.20	-259.50	-94.07	-93.63	0.00
		तद्संबंधी राशि	14.96	-8.73	58.92	-65.15	0.00	15.13	-8.83	64.99	-71.29	0.00
4	वे पुनर्संचित मानक अग्रिम जो वित्त वर्ष के समापन पर उच्च प्रावधान और/या अतिरिक्त जोखिम भार आकृष्ट कर पाने में असफल हैं, और अतः अगले वि.व. के आरंभ पर पुनर्संचित मानक अग्रिम के रूप में प्रदर्शित किये जाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	2972				2972	4103				4103
		राशि	3013.01	0.00	0.00	0.00	3013.01	4937.05	0.00	0.00	0.00	4937.05
		तद्संबंधी राशि	102.09	0.00	0.00	0.00	102.09	166.54	0.00	0.00	0.00	166.54
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-245	-582	581	246	0	-584	-1105	1348	341	0
		राशि	-205.62	-1045.53	1179.04	72.11	0.00	-317.58	-2658.58	2594.35	381.81	0.00
		तद्संबंधी राशि	-44.60	-633.80	606.29	72.11	0.00	-103.92	-1864.91	1588.13	380.70	0.00
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संचित खातों का अपलिखित	उधारकर्ताओं की संख्या	27478	1801	1531	954	31764	36286	3311	4882	3082	47561
		राशि	4921.54	-43.58	-1436.41	84.33	3525.88	5130.56	-16.20	-432.56	115.80	4797.60
		तद्संबंधी राशि	549.42	58.75	-941.76	110.84	-222.74	727.49	353.49	-462.60	164.28	782.67
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनर्संचित खाते (अंतिम आँकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	1353	495	1907	535	4290	2409	980	3500	857	7746
		राशि	1783.45	321.06	4248.51	390.57	6743.59	2397.63	508.80	9747.42	1052.61	13706.46
		तद्संबंधी राशि	59.72	73.22	3099.92	383.67	3616.54	78.44	104.43	6919.01	1026.31	8128.20

प्रावधान राशि सूचित किया गया - खातों के उतार-चढ़ाव के संबंध में किए गए वृद्धिशील प्रावधान सहित

(₹ in Crore)

DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS AT 31.03.2017												
S.N	Details		OTHERS					TOTAL				
			STD	SUB STD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL	STD	SUB STD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL
1	RESTRUCTURE ACCOUNTS AS ON APRIL 1 OF FY (OPENING FIGURES)	NO OF BORROWERS	31847	2593	2852	1201	38493	42951	4938	7026	3557	58472
		AMOUNT	9233.33	1158.56	1584.22	486.90	12463.01	11967.87	2867.94	6193.59	877.87	21907.27
		PROVISION AMOUNT	694.38	253.26	770.48	486.90	2205.02	954.50	803.62	3105.13	877.87	5741.12
2	FRESH RESTRUCTURED DURING THE YEAR	NO OF BORROWERS	87	376	26	44	533	243	610	40	45	938
		AMOUNT	261.36	415.25	142.20	0.65	819.46	367.75	542.73	621.00	2.36	1533.83
		PROVISION AMOUNT	46.50	521.24	722.48	0.65	1290.86	106.75	1528.05	1698.18	3.31	3336.29
3	UPGRADATIONS TO RESTRUCTURED STANDARD CATEGORY DURING THE FY	NO OF BORROWERS	114	-91	-21	-2	0	188	-152	-32	-4	0
		AMOUNT	428.93	-250.81	-93.36	-84.76	0.00	447.20	-259.50	-94.07	-93.63	0.00
		PROVISION AMOUNT	14.96	-8.73	58.92	-65.15	0.00	15.13	-8.83	64.99	-71.29	0.00
4	RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES WHICH CEASES TO ATTRACT HIGHER PROVISIONING AND/OR ADDITIONAL RISK WEIGHT AT THE END OF THE FY AND HENCE NEED NOT TO BE SHOWN AS RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES AT THE BEGINNING OF THE NEXT FY	NO OF BORROWERS	2972				2972	4103				4103
		AMOUNT	3013.01	0.00	0.00	0.00	3013.01	4937.05	0.00	0.00	0.00	4937.05
		PROVISION AMOUNT	102.09	0.00	0.00	0.00	102.09	166.54	0.00	0.00	0.00	166.54
5	DOWNGRADATIONS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO OF BORROWERS	-245	-582	581	246	0	-584	-1105	1348	341	0
		AMOUNT	-205.62	-1045.53	1179.04	72.11	0.00	-317.58	-2658.58	2594.35	381.81	0.00
		PROVISION AMOUNT	-44.60	-633.80	606.29	72.11	0.00	-103.92	-1864.91	1588.13	380.70	0.00
6	WRITE OFFs OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO OF BORROWERS	27478	1801	1531	954	31764	36286	3311	4882	3082	47561
		AMOUNT	4921.54	-43.58	-1436.41	84.33	3525.88	5130.56	-16.20	-432.56	115.80	4797.60
		PROVISION AMOUNT	549.42	58.75	-941.76	110.84	-222.74	727.49	353.49	-462.60	164.28	782.67
7	RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON MARCH 31 OF THE FY (CLOSING FIGURES)	NO OF BORROWERS	1353	495	1907	535	4290	2409	980	3500	857	7746
		AMOUNT	1783.45	321.06	4248.51	390.57	6743.59	2397.63	508.80	9747.42	1052.61	13706.46
		PROVISION AMOUNT	59.72	73.22	3099.92	383.67	3616.54	78.44	104.43	6919.01	1026.31	8128.20

Provision amount indicated - includes incremental provision on account of movement of accounts

4.4.3 आस्ति पुनःसंरचना के लिए कंपनी प्रतिभूतीकरण / कंपनी पुनःसंरचना को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण:

क. बिक्री का विवरण

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.03.2017	31.03.2016
i. खातों की संख्या	शून्य	7
ii. एससी / आरसी को बेचे गये खातों का समग्र मूल्य (निवल प्रावधान)	शून्य	36.81
iii. समग्र प्रतिफल	शून्य	34.21
iv. पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
v. निवल बही मूल्य पर समग्र लाभ	शून्य	(2.60)

ख. प्रतिभूति रसीद में निवेश के बही मूल्य का विवरण

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.03.2017	31.03.2016
i. अंतर्निहित को बैंक द्वारा बिक्री व एनपीए द्वारा समर्थित	1920.08	1967.75
ii. अंतर्निहित को अन्य बैंक / वित्तीय संस्थान / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री व एनपीए द्वारा समर्थित	शून्य	शून्य
कुल	1920.08	1967.75

प्रतिभूति रसीद पर बैंक ₹770.80 करोड़ का प्रावधान अनुरक्षित रखे हुए हैं। (पिछले वर्ष ₹ 776.23 करोड़)

4.4.4 खरीदी / बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

4.4.3 Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction:

A. Details of Sales

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i. No. of accounts	NIL	7
ii. Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC / RC	NIL	36.81
iii. Aggregate consideration	NIL	34.21
iv. Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL
v. Aggregate Gain over Net Book Value	NIL	(2.60)

B. Details of Book Value of Investments in Security Receipts

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i. Backed by NPAs sold by the bank as underlying	1920.08	1967.75
ii. Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	NIL	NIL
Total	1920.08	1967.75

Bank is holding provision of ₹770.80 Crore on account of Security Receipts. (Previous year ₹ 776.23 Crore)

4.4.4 Details of non-performing financial assets purchased / sold:

क. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

मदें		31.03.2017	31.03.2016
1	क. वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख. समग्र प्रतिफल	शून्य	शून्य
2.	क. उनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचनाकृत खातों की	शून्य	शून्य
	ख. समग्र बकाया	शून्य	शून्य

ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

मदें		31.03.2017	31.03.2016
1	बेचे गये खातों की संख्या	शून्य	7
2.	समग्र अतिदेयता	शून्य	151.47
3.	प्राप्त समग्र प्रतिफल	शून्य	34.21

4.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

मदें		31.03.2017	31.03.2016
मानक आस्तियों पर प्रावधान		1438.60	1413.09

4.4.6 आस्ति वर्गीकरण व प्रावधानीकरण में विचलन :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मदें	विवरण
1	बैंक द्वारा सूचित अनुसार यथा 31 मार्च, 2016 को सकल एनपीए	31637.83
2	भा.रि.बै. द्वारा मूल्यांकित अनुसार यथा 31 मार्च, 2016 को सकल एनपीए	32145.13
3	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	507.30
4	बैंक द्वारा सूचित अनुसार यथा 31 मार्च, 2016 को निवल एनपीए	20832.91
5	भा.रि.बै. द्वारा मूल्यांकित अनुसार यथा 31 मार्च, 2016 को निवल एनपीए	20863.06
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	30.15
7	बैंक द्वारा सूचित अनुसार यथा 31 मार्च, 2016 को एनपीए हेतु प्रावधान	10745.17
8	भा.रि.बै. द्वारा सूचित अनुसार यथा 31 मार्च, 2016 को एनपीए हेतु प्रावधान	11282.07
9	प्रावधान में विचलन (8-7)	536.90
10	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कर के पश्चात सूचित निवल लाभ (पीएटी)	(2812.82)
11	प्रावधान में विचलन को ध्यान में लेते हुए 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कर के पश्चात समाशोधित (परिकल्पित) निवल लाभ (पीएटी)	(3349.72)

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(₹ In Crore)

Particulars		31.03.2017	31.03.2016
1	a. No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
	b. Aggregate consideration	NIL	NIL
2.	a. Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
	b. Aggregate outstanding	NIL	NIL

B. Details of non-performing financial assets sold:

(₹ In Crore)

Particulars		31.03.2017	31.03.2016
1	No. of accounts sold	NIL	7
2.	Aggregate outstanding	NIL	151.47
3.	Aggregate consideration received	NIL	34.21

4.4.5 Provisions on Standard Asset:

(₹ In Crore)

Particulars		31.03.2017	31.03.2016
Provisions towards Standard Assets		1438.60	1413.09

4.4.6 Divergence in the asset classification and provisioning:

(₹ In Crore)

Sl. No.	Particulars	Amount
1	Gross NPA as on March 31, 2016 as reported by bank	31637.83
2	Gross NPA as on March 31, 2016 as assessed by RBI	32145.13
3	Divergence in Gross NPAs (2-1)	507.30
4	Net NPA as on March 31, 2016 as reported by the bank	20832.91
5	Net NPA as on March 31, 2016 as assessed by RBI	20863.06
6	Divergence in Net NPAs (5-4)	30.15
7	Provisions for NPAs as on March 31, 2016 as reported by Bank	10745.17
8	provisions for NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	11282.07
9	Divergence in provisioning (8-7)	536.90
10	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2016	(2812.82)
11	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2016 after taking into account the divergence in provisioning	(3349.72)

4.4.7 दबावग्रस्त आस्तियों के सतत पुनर्गठन हेतु योजना:

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एस4 ए लागू है	समग्र बकाया राशि	बकाया राशि		धारित प्रावधान
		भाग ए में	भाग बी में	
मानक के रूप में वर्गीकृत खातों की संख्या – 03 *(अभी भी चार खातों में समाधान योजना को अपनाया जाना है)	376.75	316.43	249.02	113.08
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.4.7 Scheme for sustainable structuring of Stressed assets:

(₹ in crore)

No of Accounts where S4 A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision held
		In Part A	In Part B	
Classified as Standard No of Accounts -03 *(Resolution plan yet to be adopted in four accounts)	376.75	316.43	249.02	113.08
Classified as NPA	NIL	NIL	NIL	NIL

4.4.8 मौजूदा ऋणों के लचीले पुनर्संरचना संबंधी प्रकटन :

(₹ करोड़ में)

अवधि	लचीले पुनर्संरचना हेतु लिये गये उधारकर्ताओं की संख्या	लचीले पुनर्संरचना हेतु लिये गये ऋणों की राशि		जहाँ कर्ज से इक्विटी में परिवर्तन हुआ है, उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
2016-17	09	1752.73	2379.27	शून्य	शून्य

4.4.8 Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans

(₹ in crore)

Period	No of Borrowers taken up for flexible structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Amount Outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
2016-17	09	1752.73	2379.27	NIL	NIL

4.4.9 मौजूदा ऋणों के लचीले पुनर्संरचना संबंधी प्रकटन:
(खाते जो वर्तमान में अवरोध अवधि के अंतर्गत हैं)

(₹ करोड़ में)

उन खातों की संख्या जहाँ एसडीआर का सहारा लिया गया है	रिपोर्टिंग तिथि पर अतिदेय राशि		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि जहाँ कर्ज से इक्विटी में परिवर्तन लंबित है		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि जहाँ कर्ज से इक्विटी में परिवर्तन हुआ है	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
10	3661.24	शून्य	940.38	शून्य	2620.86	शून्य

4.4.9 Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme
(accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in crore)

No of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date		Amount Outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount Outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
10	3661.24	NIL	940.38	NIL	2620.86	NIL

4.4.10 एसडीआर योजना से बाहर के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटन
(खाते जो वर्तमान में अवरोध अवधि के अंतर्गत हैं)

(₹ करोड़ में)

उन खातों की संख्या जिनके स्वामित्व में बैंक ने परिवर्तन करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग तिथि पर अतिदेय राशि		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि जहाँ कर्ज का इक्विटी में परिवर्तन / इक्विटी शेयर के गिरवी को लागू करना लंबित है		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि जहाँ कर्ज से इक्विटी / इक्विटी शेयर को गिरवी करना लागू हुआ है		नए शेयर का निर्गम या प्रमोटर के इक्विटी की बिक्री	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
	शून्य		शून्य		शून्य		शून्य	

4.4.10 Disclosures on change in Ownership outside SDR Scheme
(accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in crore)

No of accounts where Banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity / invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		Issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
	NIL		NIL		NIL		NIL	

4.4.11 कार्यान्वयन के तहत परियोजना के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटन (खाते जो वर्तमान में अवरोध अवधि के तहत हैं)

(₹ करोड़ में)

उन परियोजना ऋण खातों की संख्या जिनके स्वामित्व में बैंक ने परिवर्तन का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	मानक पुनर्संरचित के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
01	769.99	शून्य	शून्य

4.4.11 Disclosures on Change in Ownership of Projects under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in crore)

No. of Project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		
	Classified as standard	Classified as standard restructured	Classified as NPA
01	769.99	NIL	NIL

4.5 कारोबार संबंधी अनुपात

मदें	31.03.2017	31.03.2016
i. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय (%)	7.35	8.11
ii. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय (%)	1.34	0.90
iii. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ (%)	1.58	1.32
iv. आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.20	(0.52)
v. प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा तथा अग्रिम को मिलाकर) [₹ लाखों में]	1442.79	1444.62
vi. प्रति कर्मचारी लाभ [₹ करोड़ में]	0.02	(0.05)

4.5 Business Ratios:

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i. Interest income as a percentage to Working Funds (%)	7.35	8.11
ii. Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	1.34	0.90
iii. Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	1.58	1.32
iv. Return on Assets (%)	0.20	(0.52)
v. Business (Deposits plus Advances) per employee [₹ in lakhs]	1442.79	1444.62
vi. Profit per employee [₹ in crores]	0.02	(0.05)

4.6 आस्ति देयता प्रबंधन:

आस्ति तथा देयता की कुछेक मदों का परिपक्वता स्वरूप:

(₹ करोड़ में)

विवरण	जमा	अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	13599.62 (5825.91)	10435.82 (9764.30)	437.32 (445.76)	163.42 (0.00)	9326.12 (10365.97)	8409.51 (1472.76)
2 से 07 दिनों तक	32434.27 (21929.52)	7422.96 (7937.15)	533.90 (198.16)	11980.97 (337.24)	5679.43 (1537.67)	5250.70 (2902.73)
8 से 14 दिनों तक	12180.11 (15420.38)	5221.59 (10056.91)	39.05 (383.78)	486.38 (616.54)	2137.36 (1244.02)	2254.09 (1224.56)
15 से 30 दिनों तक	9904.75 (16077.75)	15935.86 (9853.60)	75.03 (279.70)	1458.75 (480.35)	5397.26 (3612.39)	4681.21 (3443.71)
31 दिनों से 2 महीने तक	15028.91 (26275.24)	12036.44 (19515.60)	5144.96 (1094.72)	1237.82 (1420.58)	6260.15 (5008.40)	5038.45 (5728.80)
2 महीने से 3 महीने तक	21575.02 (28855.36)	23191.29 (15596.44)	1483.22 (733.41)	1764.83 (1634.37)	9182.20 (7414.64)	7311.66 (4946.24)
3 महीने से 6 महीने तक	43100.87 (40479.94)	29221.89 (18253.19)	1314.05 (1121.30)	2357.88 (4330.69)	11538.58 (9179.74)	7881.54 (10134.91)
6 महीने से 1 वर्ष तक	94568.56 (85376.03)	37845.07 (28160.42)	2617.63 (3837.65)	1566.67 (1360.76)	8755.64 (9004.84)	7698.94 (7234.21)
1 वर्ष से 3 वर्षों तक	202293.34 (191141.03)	95637.23 (99680.66)	27231.42 (21690.60)	4456.89 (5046.82)	2647.77 (3194.35)	763.54 (4988.11)
3 वर्ष से 5 वर्षों तक	25656.32 (27718.13)	37888.92 (43344.70)	19259.27 (28554.95)	3532.68 (0.00)	1114.04 (1166.38)	281.32 (334.63)
5 वर्ष	24933.47 (20692.27)	67171.69 (62551.85)	92130.04 (83969.27)	10497.27 (11645.96)	3267.92 (2645.85)	2279.81 (3120.73)
कुल	495275.24 (479791.56)	342008.76 (324714.82)	150265.89 (142309.30)	39503.56 (26873.31)	65306.47 (54374.25)	51850.77 (45531.39)

(पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े कोष्ठकों में दिए गए हैं)

4.6 Asset Liability Management:

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities:

(₹ in Crore)

Particulars	Deposits	Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
1 day	13599.62 (5825.91)	10435.82 (9764.30)	437.32 (445.76)	163.42 (0.00)	9326.12 (10365.97)	8409.51 (1472.76)
2 to 7 days	32434.27 (21929.52)	7422.96 (7937.15)	533.90 (198.16)	11980.97 (337.24)	5679.43 (1537.67)	5250.70 (2902.73)
8 to 14 days	12180.11 (15420.38)	5221.59 (10056.91)	39.05 (383.78)	486.38 (616.54)	2137.36 (1244.02)	2254.09 (1224.56)
15 to 30 days	9904.75 (16077.75)	15935.86 (9853.60)	75.03 (279.70)	1458.75 (480.35)	5397.26 (3612.39)	4681.21 (3443.71)
31 days to 2 months	15028.91 (26275.24)	12036.44 (19515.60)	5144.96 (1094.72)	1237.82 (1420.58)	6260.15 (5008.40)	5038.45 (5728.80)
Over 2 months to 3 months	21575.02 (28855.36)	23191.29 (15596.44)	1483.22 (733.41)	1764.83 (1634.37)	9182.20 (7414.64)	7311.66 (4946.24)
Over 3 months to 6 months	43100.87 (40479.94)	29221.89 (18253.19)	1314.05 (1121.30)	2357.88 (4330.69)	11538.58 (9179.74)	7881.54 (10134.91)
Over 6 months to 1 year	94568.56 (85376.03)	37845.07 (28160.42)	2617.63 (3837.65)	1566.67 (1360.76)	8755.64 (9004.84)	7698.94 (7234.21)
Over 1 year to 3 years	202293.34 (191141.03)	95637.23 (99680.66)	27231.42 (21690.60)	4456.89 (5046.82)	2647.77 (3194.35)	763.54 (4988.11)
Over 3 years to 5 years	25656.32 (27718.13)	37888.92 (43344.70)	19259.27 (28554.95)	3532.68 (0.00)	1114.04 (1166.38)	281.32 (334.63)
Over 5 years	24933.47 (20692.27)	67171.69 (62551.85)	92130.04 (83969.27)	10497.27 (11645.96)	3267.92 (2645.85)	2279.81 (3120.73)
Total	495275.24 (479791.56)	342008.76 (324714.82)	150265.89 (142309.30)	39503.56 (26873.31)	65306.47 (54374.25)	51850.77 (45531.39)

(Figures in brackets relate to previous year)

4.7 ऋण जोखिम:

4.7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र में ऋण जोखिम:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी		31.03.2017	31.03.2016
क)	प्रत्यक्ष ऋण जोखिम	32088.71	26587.44
(i)	आवासीय बंधक – आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा ऋण पूर्ण रूप से सुरक्षित है जो उधारकर्ता द्वारा अभिग्रहित किया जाएगा या किराए पर दिया गया है। जिसमें से व्यक्तिगत आवास ऋण प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में शामिल किए जाने के लिए पात्र है	26092.64	22367.96
(ii)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक के द्वारा सुरक्षित उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु उद्देश्यी वाणिज्यिक परिसर, बहु परिवार निवास भवन, औद्योगिक या वेयरहाउस स्थान, होटल, भूमि अर्जन, विकास व संरचना आदि)। जोखिम में गैर-निधि आधारित सीमा भी शामिल हैं।	17900.79	14728.75
(iii)	बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूति ऋण जोखिम	4890.53	4081.85
	क. आवासीय	1105.54	137.63
	ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	1048.20	120.52
	ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	57.34	17.11
ख)	अप्रत्यक्ष ऋण जोखिम	11380.90	11561.45
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) संबंधी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	11380.90	11561.45
	स्थायर संपदा क्षेत्र को कुल ऋण जोखिम	43469.61	38148.89

4.7 Exposures:

4.7.1 Exposure to Real Estate Sector:

(₹ in Crore)

Category		31.03.2017	31.03.2016
a)	Direct Exposure	32088.71	26587.44
(i)	Residential Mortgages - Lending fully secured by Mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented Of which, individual Housing Loans eligible for inclusion in priority sector advances	26092.64	22367.96
(ii)	Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc). Exposure also include non-fund based (NFB) limits.	17900.79	14728.75
(iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -	4890.53	4081.85
	a. Residential	1105.54	137.63
	b. Commercial Real Estate	1048.20	120.52
	b. Commercial Real Estate	57.34	17.11
b)	Indirect Exposure	11380.90	11561.45
	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	11380.90	11561.45
	Total Exposure to Real Estate Sector	43469.61	38148.89

4.7.2 पूंजी बाजार में ऋण जोखिम:

(₹ करोड़ों में)

विवरण		31.03.2017	31.03.2016
i.	ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंधपत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों में प्रत्यक्ष निवेश जिसकी आरंभिक निधि नितांत रूप से नैगम ऋण में निविष्ट नहीं की गई	1414.90	1418.64
ii.	शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज में या बेजमानती आधार पर शेयरों (आईपीओ/ईएसपीओ सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा म्यूचुअल फंड उन्मुख ईक्विटी इकाईयों में निवेश हेतु व्यष्टियों को दिया गया अग्रिम	10.63	10.56
iii.	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयर या परिवर्तनीय बंधपत्र या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों के यूनियों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	55.83	62.06
iv.	अग्रिमों या परिवर्तनीय बंधपत्रों या परिवर्तनीय ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधि के यूनियों की संपाश्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत किये जाने तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम यानि शेयर / प्रयोजन बांड / परिवर्तनीय डिबेंचर / ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों के यूनियों को छोड़कर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया प्रावरित नहीं करती।	21.14	60.66
v.	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों विपणि निर्माताओं के पत्र में निर्गत गारंटियाँ	286.82	784.98
vi.	स्रोतों को एकत्रित करने की प्रत्याशा में नई कंपनियों में ईक्विटी करने के लिए प्रायोजक का अंशदान पूरा करने के लिए शेयर / बांड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के एवज में या बेशर्तिया कापॉरेटों को स्वीकृत अग्रिम।	शून्य	3.10
vii.	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाहों / इश्यू के एवज में कंपनियों को पूरक ऋण।	0.04	शून्य
viii.	शेयरों या परिवर्तनीय बंधपत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधि के यूनियों के आरंभिक इश्यू के मामले में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी वचनबद्धतायें।	शून्य	NIL
ix.	मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त पोषण	शून्य	शून्य
x.	वेंचर पूंजी निधियों में सारे जोखिम पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों पूंजी बाजार में कुल जोखिम	325.88	327.69
पूंजी बाजार की कुल ऋण जोखिम		2115.24	2667.69

4.7.2 Exposure to Capital Market:

(₹ in Crore)

Particulars		31.03.2017	31.03.2016
i.	Direct Investment in Equity Shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	1414.90	1418.64
ii.	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds.	10.63	10.56
iii.	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	55.83	62.06
iv.	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	21.14	60.66
v.	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	286.82	784.98
vi.	Loans sanctioned to corporate against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	NIL	3.10
vii.	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues	0.04	NIL
viii.	Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible –debentures or units of equity oriented mutual funds	NIL	NIL
ix.	Financing to stockbrokers for margin trading	NIL	NIL
x.	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	325.88	327.69
Total Exposure to Capital Market		2115.24	2667.69

4.7.3 जोखिम श्रेणीवार देश की ऋण जोखिम:

ऐसे देशों के संदर्भ में जहाँ बैंक का निवल निधिक ऋण जोखिम उसकी कुल आस्तियों का 1% या ज्यादा है तो बैंक को देश-जोखिम का प्रावधान करने की आवश्यकता है। यथा 31.03.2017 को हांगकांग (नगण्य जोखिम श्रेणी - ए1), यूएसए (निम्न जोखिम श्रेणी - ए2), युनाइटेड किंगडम (निम्न जोखिम श्रेणी-ए2) व यूएई (निम्न जोखिम श्रेणी -ए2) के साथ बैंक का निवल निधिक ऋण जोखिम इसकी कुल आस्तियों के 1% से ज्यादा हुआ है (यथा 31.03.2017 को कुल आस्तियों का 1% - ₹5835.19 करोड़) जिसके लिये आवश्यक प्रावधान बनाया गया है।

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	यथा 31.03.2017 को ऋण जोखिम (निवल)	यथा 31.03.2017 को धारित प्रावधान	यथा 31.03.2016 को ऋण जोखिम (निवल)	यथा 31.03.2016 को धारित प्रावधान
नगण्य	16465.27	11.88	3434.88	-
कम	33575.10	22.85	33518.81	21.96
सामान्य	3751.38	0.00	1375.35	-
उच्च	0.00	0.00	0.00	-
बहुत ज्यादा	19.46	0.00	103.75	-
प्रतिबंधित	0.72	0.00	0.00	-
ऑफ- क्रेडिट	0.00	0.00	3.98	-
कुल	53811.93	34.73	38436.77	21.96

4.7.3 Risk Category-wise Country Exposure:

Only in respect of the Country where a Bank's net funded exposure is 1% or more of its total assets, the Bank is required to make provision for Country Risk. As on 31.03.2017 in the case of Hong Kong (Insignificant Risk Category - A1), USA (Low Risk category - A2), UK (Low Risk category - A2) and UAE (Low Risk category - A2) the Net funded exposure exceeds 1% of the total assets of the Bank (1% of the total assets as on 31.03.2017 - ₹5835.19 Crore), for which the required provision is made.

(₹ in Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2017	Provision held as at 31.03.2017	Exposure (net) as at 31.03.2016	Provision held as at 31.03.2016
Insignificant	16465.27	11.88	3434.88	-
Low	33575.10	22.85	33518.81	21.96
Moderate	3751.38	0.00	1375.35	-
High	0.00	0.00	0.00	-
Very High	19.46	0.00	103.75	-
Restricted	0.72	0.00	0.00	-
Off-credit	0.00	0.00	3.98	-
TOTAL	53811.93	34.73	38436.77	21.96

4.7.4 बैंक द्वारा वृद्धि की गयी एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल) / समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण

बैंक का किसी भी समूह खातों के मामले में निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण जोखिम सीमा से अधिक नहीं है तथा आधारभूत संरचना परियोजनाओं में या ऑयल कंपनियों के लिए एकल उधारकर्ता को नियोजित किया गया है।

(₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजर सीमा	मंजूर कुल राशि	यथा 31.03.2017 को अतिदेयता
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.7.5 गैर जमानती अग्रिम:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
कुल गैर जमानती अग्रिम	53882.34	45570.44
जिसमें से	8200.27	8303.03
i) संपार्श्विक के रूप में बैंक पर प्रभारित अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि के प्रभार पर बकाया अग्रिमों की राशि		
ii) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों (उक्त (i) के अनुसार) का संभावित मूल्य	8404.26	9856.32

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित तथा लेखा परीक्षकों द्वारा आश्रित)

4.8 विविध:

4.8.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किये गये प्रावधानों की राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
आयकर हेतु प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	520.00	(372.95)

4.7.4 Details of Single Borrower Limit (SGL) / Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:

The Bank has not exceeded the prudential credit exposure limits prescribed for group accounts and single borrower engaged in infrastructure projects or for oil companies.

(₹ in Crore)

Name of the Borrower	Exposure Limit	Total amount sanctioned	Outstanding as on 31.03.2017
NIL	NIL	NIL	NIL

4.7.5 Unsecured Advances:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Total Unsecured Advance	53882.34	45570.44
Out of which	8200.27	8303.03
i) Amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licenses, authorizations etc. charged to the Bank as collateral		
ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above)	8404.26	9856.32

(As Compiled and Certified by Management and relied upon by Auditors)

4.8. Miscellaneous:

4.8.1 Amount of Provisions made for Income Tax during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Provision for Income Tax (including Deferred tax)	520.00	(372.95)

4.8.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये दंड का प्रकटीकरण:

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने विनिर्दिष्ट नियम या शर्तों के अनुपालन नहीं किए जाने के लिए बैंक पर ₹2.00 करोड़ का दंड लगाया है।

वित्तीय आसूचना इकाई, भारत (एफआईयू-भारत) ने संदिग्ध संव्यवहारों की पहचान व रिपोर्टिंग में बैंक के आंतरिक तंत्र की विफलता के कारण पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 12 (नियम 2, 3, 5 व 7) व 13(2) के तहत ₹3.00 लाख का दंड लगाया है।

5. लेखांकन मानदंड:

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीआई) द्वारा जारी किये गए विविध लेखांकन मानदंडों के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए दिशनिर्देशों के अनुपालन में, निम्नलिखित सूचना का प्रकटीकरण किया जाता है:

5.1 लेखांकन मानदंड 5 – निर्दिष्ट अवधि के लिए निवल लाभ / हानि, पूर्वावधि मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

5.1.1 इसके पहले की अवधि की कोई मदें नहीं हैं।

5.2 लेखांकन मानदंड 15 – कर्मचारी हितलाभ:

उपदान, पेंशन तथा विशेषाधिकार छुट्टी देयताओं के वर्तमान मूल्य और बैंक के योगदान का निर्धारण करने के लिए विभिन्न मानकों को निर्धारित कर निम्नलिखित के लिए बीमाकिक अनुमान किये गए हैं

- मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किये गए लेखांकन मानदंड 15 (संशोधित) के अन्य घटकों को ध्यान में रखते हुए वेतन में बढोत्तरी की जाती है।
- विगत वर्षों और प्रत्याशित भविष्य के अनुभव के संदर्भ में हास दर और इसमें मृत्यु को छोड़कर अन्य सभी आहरण लेकिन विकलांगता के कारण हुए आहरण शामिल हैं।
- अस्वस्थता अवकाश के लिए लेखा-बही में बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान बनाए गए हैं।

4.8.2 Disclosure of Penalties imposed by RBI:

During the financial year 2016-17, there is penalty of ₹2.00 Crore in terms of Section 47 (A) (1) (c) read with section 46 (4) (i) of the Banking Regulation Act, 1949 on non – compliance of certain guidelines of the Reserve Bank of India instructions.

Financial Intelligence Unit, India (FIU-IND) has imposed a penalty of ₹3.00 lakh under Section 12 (Rule 2, 3, 5 & 7) & 13 (2) of PML Act, 2002 for failure of internal mechanism of the bank in detecting and reporting attempted suspicious transactions.

5. Accounting Standards:

In compliance with the guidelines issued by the RBI regarding disclosure requirements of the various Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the following information is disclosed:

5.1 Accounting Standard 5 – Net Profit / Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies:

5.1.1 There are no material prior period items

5.2 Accounting Standard 15 – Employee Benefits:

The actuarial assumptions in respect of gratuity, pension and privilege leave, for determining the present value of obligations and contributions of the bank, have been made by fixing various parameters for

- Salary escalation by taking into account inflation, seniority, promotion and other factors mentioned in Accounting Standard 15(Revised) issued by ICAI.
- Attrition rate by reference to past experience and expected future experience and includes all types of withdrawals other than death but including those due to disability.
- Provision towards sick leave has been made in the books of account on the basis of Actuarial valuation.

मूलधन बीमांकिक अनुमान				
	मर्दे	उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
	रियायती दर	7.57%	7.05%	7.57%
	पूँजी पर प्रत्याशित रिटर्न	8.00%	8.00%	-
	वेतन में बढोत्तरी	5.50%	5.50%	5.50%
	पेंशन में बढोत्तरी	-	2.00%	-
	मृत्यु दर	आई ए एल एम (2006-08) आधारभूत	आई ए एल एम (2006-08) आधारभूत	आई ए एल एम (2006-08)आधारभूत

Principal Actuarial Assumptions				
	Particulars	Gratuity	Pension	Privilege Leave
	Discount Rate	7.57%	7.05%	7.57%
	Expected Return on Assets	8.00%	8.00%	-
	Salary Escalation	5.50%	5.50%	5.50%
	Pension Escalation	-	2.00%	-
	Mortality	IALM (2006-08)	IALM (2006-08)	IALM (2006-08)

दायित्वों तथा आस्तियों में 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

क.	परिभाषीकृत बाध्यता लाभ में परिवर्तन (डीबीओ)	उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	वर्ष की शुरुआत में डी बी ओ	1640.45	9974.28	893.92
2	सेवा लागत	118.51	954.85	53.32
3	ब्याज लागत	110.35	700.77	60.67
4	बीमाकिक हानियाँ / (लाभ)	154.42	(659.74)	149.59
5	लाभ भुगतान	236.80	68.68	184.94
6	वर्ष के अंत में डी बी ओ	1786.93	10901.48	972.56

ख.	आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	वर्ष की शुरुआत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1446.91	9339.00	-
2	योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न	115.75	747.12	-
3	वास्तविक कंपनी अंशदान	269.52	1540.06	-
4	बीमाकिक लाभ / (हानियाँ)	121.05	(656.02)	-
5	लाभ भुगतान	236.80	68.68	-
6	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1716.43	10901.48	-

Change in obligation and assets over the year ending 31 Mar 2017

(₹ in Crore)

A	Changes in Defined Benefit Obligation (DBO)	Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	DBO at beginning of the year	1640.45	9974.28	893.92
2	Service Cost	118.51	954.85	53.32
3	Interest Cost	110.35	700.77	60.67
4	Actuarial Losses / (Gains)	154.42	(659.74)	149.59
5	Benefit Payments	236.80	68.68	184.94
6	DBO at end of the year	1786.93	10901.48	972.56

(₹ in Crore)

B	Changes in Fair Value of Assets	Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Fair Value of Plan Assets at beginning of the year	1446.91	9339.00	-
2	Expected Return on plan assets	115.75	747.12	-
3	Actual company contributions	269.52	1540.06	-
4	Actuarial Gain / (Loss)	121.05	(656.02)	-
5	Benefits payments	236.80	68.68	-
6	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1716.43	10901.48	-

(₹ करोड़ में)

यथा 31 मार्च, 2017 को तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / देयता				
		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	1786.93	10901.48	-
2	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1716.43	10901.48	-
3	निधीयन स्थिति (अधिशेष / घाटा)	(70.50)	-	-
4	तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / (देयता)	(70.50)	-	-

(₹ in Crore)

Net Asset / Liability Recognized in the Balance Sheet as at 31st March 2017				
		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Present value of Defined Benefit Obligation	1786.93	10901.48	-
2	Fair Value of Plan Assets	1716.43	10901.48	-
3	Funded Status [Surplus / (Deficit)]	(70.50)	-	-
4	Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet	(70.50)	-	-

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नियोक्ता व्यय प्रकटन

(₹ करोड़ में)

नियोक्ता व्यय के घटक				
		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	वर्तमान सेवा लागत (पूर्णतया बीमाकृत सुविधाओं के लिए जोखिम प्रीमियम सहित)	118.51	954.85	53.32
2	ब्याज लागत	110.35	700.77	60.67
3	योजनागत आस्तियों में प्रत्याशित रिटर्न	115.75	747.12	-
4	बीमांकिक हानियाँ / (लाभ)	33.37	(3.72)	149.59
5	लाभ-हानि खाते में मान्यता प्राप्त कुल नियोक्ता व्यय	146.48	904.78	263.58

कोई भुगतान न होने के बावजूद भी बैंक ने विवेकपूर्ण आधार के रूप में बीमारी छुट्टी पर ₹30.89 करोड़ उपलब्ध कराये हैं।

Disclosure of Employer Expense for the year ending 31 Mar 2017

(₹ in Crore)

Components of Employer Expense				
		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Current Service Cost (including risk premiums for fully insured benefits)	118.51	954.85	53.32
2	Interest Cost	110.35	700.77	60.67
3	Expected Return on Plan Assets	115.75	747.12	-
4	Actuarial Losses / (Gains)	33.37	(3.72)	149.59
5	Total Employer Expense recognized in P&L	146.48	904.78	263.58

Bank has provided ₹ 30.89 Crore towards Sick Leave as prudential basis though there is no payout.

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु तुलनपत्र में मान्यता-प्राप्त निवल अस्तियों / देयताओं का समाधान

(₹ करोड़ में)

		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	अवधि के आरंभ पर निवल आस्ति / (देयता)	193.54	635.28	893.92
2	नियोक्ता व्यय	146.48	904.78	263.58
3	नियोक्ता योगदान	269.52	1540.06	184.94
4	अधिग्रहण / व्यापार युग्म	-	-	-
5	अवधि के समापन पर निवल आस्ति / (देयता)	70.50	0.00	972.56

Reconciliation of Net Assets / Liabilities recognized in Balance Sheet for the year ended 31.03.2017

(₹ in Crore)

		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Net Asset / (Liability) at the beginning of the period	193.54	635.28	893.92
2	Employer Expenses	146.48	904.78	263.58
3	Employer Contributions	269.52	1540.06	184.94
4	Acquisitions / Business Combinations	-	-	-
5	Net Asset / (Liability) at the end of the period	70.50	0.00	972.56

5.3 लेखांकन मानदंड- 17- खंड रिपोर्टिंग:

भाग क - कारोबार खंड:

(₹ करोड़ में)

	कारोबार खंड	समाप्त वर्ष	
		31.03.2017	31.03.2016
(1)	खंड राजस्व		
क	राजकोष परिचालन	14427.03	12811.13
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	16387.47	15516.47
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	17984.63	20382.09
घ	गैर आर्बटित	142.91	187.67
	कुल	48942.04	48897.36
	घटायें: अंतर खंड राजस्व	0.00	0.00
	परिचालन से आय	48942.04	48897.36
(2)	खंड परिणाम		
क	राजकोष परिचालन	4197.48	2156.28
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	2111.83	2429.04
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	2461.72	2373.68
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	कुल	8771.03	6959.00
	गैर आर्बटित आय / व्यय (प्रावधान व आकस्मिक व्यय सहित)	(7,129.11)	(10,144.77)
	कर से पहले कुल लाभ	1641.92	(3,185.77)
	आय कर	520.00	(372.95)
	निवल लाभ	1121.92	(2,812.82)
(3)	नियोजित पूंजी		
क	राजकोष परिचालन	2767.63	15771.98
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	16488.37	10069.32
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	16054.63	10773.20
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
इ	गैर आर्बटित आस्तियां	(1,625.09)	(5,011.30)
	नियोजित कुल पूंजी	33685.54	31603.20

5.3 Accounting Standard-17 -Segment Reporting:
Part A – Business Segment:

(₹ in Crore)

	BUSINESS SEGMENT	Year ended	
		31.03.2017	31.03.2016
(1) Segment Revenue			
a	Treasury Operations	14427.03	12811.13
b	Retail Banking Operations	16387.47	15516.47
c	Wholesale Banking Operations	17984.63	20382.09
d	Unallocated	142.91	187.67
	Total	48942.04	48897.36
	Less: Inter Segment Revenue	0.00	0.00
	Income from operations	48942.04	48897.36
(2) Segment Results			
a	Treasury Operations	4197.48	2156.28
b	Retail Banking Operations	2111.83	2429.04
c	Wholesale Banking Operations	2461.72	2373.68
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
	Total	8771.03	6959.00
	Unallocated Income/Expenses (including Provisions and contingencies)	(7,129.11)	(10,144.77)
	Total Profit Before Tax	1641.92	(3,185.77)
	Income Tax	520.00	(372.95)
	Net Profit	1121.92	(2,812.82)
(3) Capital Employed			
a	Treasury Operations	2767.63	15771.98
b	Retail Banking Operations	16488.37	10069.32
c	Wholesale Banking Operations	16054.63	10773.20
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated	(1,625.09)	(5,011.30)
	Total Capital Employed	33685.54	31603.20

भाग ख: भौगोलिक खंड:

(₹ करोड़ में)

	भौगोलिक खंड	समाप्त वर्ष	
		31.03.2017	31.03.2016
(1) भाग			
क	देशी	47908.95	47634.87
ख	विदेशी	1033.09	1262.49
	कुल	48942.04	48897.36
(2) आस्तियाँ			
क	देशी	522588.25	498586.52
ख	विदेशी	60931.19	54374.26
	कुल	583519.44	552960.78

इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र डीबीआर:बीपी:बीसी सं.8/21.04.018/2015-16 दिनांक 01.07.2015 के अनुसार तैयार किया गया है।

Part B – Geographical Segment:

(₹ in Crore)

	GEOGRAPHICAL SEGMENT	Year ended	
		31.03.2017	31.03.2016
(1) Revenue			
a	Domestic	47908.95	47634.87
b	International	1033.09	1262.49
	Total	48942.04	48897.36
(2) Assets			
a	Domestic	522588.25	498586.52
b	International	60931.19	54374.26
	Total	583519.44	552960.78

This has been prepared in terms of RBI Master Circular: DBR:BP:BC No.8/21.04.018/ 2015-16 dated 01.07.2015.

5.4 लेखांकन मानदंड-18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण:
संबंधित पार्टियों के नाम और बैंक के साथ उनका संबंध - प्रधान - केनरा बैंक

5.4 Accounting Standard-18 - Related Party Disclosures: Names of Related parties and their relationship with the Bank - Parent - Canara Bank

5.4.1 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक -

- श्री राकेश शर्मा, प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- श्री हरिदीशकुमार बी, कार्यपालक निदेशक
- श्री दीनबन्धु महापात्र, कार्यपालक निदेशक
- श्रीमती पी वी भारती, कार्यपालक निदेशक (15.09.2016 से)
- श्री प्रद्युमन सिंह रावत (31.05.2016 तक)

5.4.1 Key Management Personnel -

- Shri. Rakesh Sharma, Managing Director & Chief Executive Officer
- Shri. Harideesh Kumar B, Executive Director
- Shri. Dinabandhu Mohapatra, Executive Director
- Smt P V Bharathi, Executive Director (From 15.09.2016)
- Sri Pradyuman Singh Rawat (Till 31.05.2016)

5.4.2 प्रधान -

- i) केनरा बैंक

5.4.3 अनुषंगियां -

- i) केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेस लि.
ii) केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.
iii) केनबैंक फैक्टर्स लि.
iv) केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि.
v) केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेस लि.
vi) केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि. (पहले गिल्ट सेक्यूरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि. था)
vii) केनरा एच एस बी सी ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि.
viii) केनरा बैंक (तंजानिया) लि.

5.4.4 संयुक्त उद्यम -

- i) कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को (पूर्ववर्ती कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मॉस्को)

5.4.5 सहबद्ध संस्थाएं -

- i) केनफिन होम्स लिमिटेड
ii) कॉमनवेलथ ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड
iii) बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
क) प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक
(भूतपूर्व प्रगति ग्रामीण बैंक)
ख) केरल ग्रामीण बैंक
(भूतपूर्व साऊथ मलबार ग्रामीण बैंक)

5.4.6 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण निम्नवत् है -

- i) महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक - ₹ 0.99 करोड़ (पिछले वर्ष - ₹ 0.68 करोड़)

लेखांकन मानक 18 की पैरा 5 के अनुसार महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों तथा उनके संबंधियों के लेन-देन सहित बैंकर-ग्राहक संबंध प्रकृति के लेन-देन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

5.4.2 Parent -

- i) Canara Bank

5.4.3 Subsidiaries -

- i) Canbank Financial Services Ltd.
ii) Canbank Venture Capital Fund Ltd.
iii) Canbank Factors Ltd.
iv) Canara Robecco Asset Management Company Ltd.
v) Canbank Computer Services Ltd.
vi) Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corpn. Ltd)
vii) Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd
viii) Canara Bank (Tanzania) Ltd.

5.4.4 Joint Ventures -

- i) Commercial Indo Bank LLC., Moscow (formerly Commercial Bank of India LLC., Moscow)

5.4.5 Associates -

- i) Canfin Homes Ltd.
ii) Commonwealth Trust (India) Ltd.
iii) Regional Rural Banks sponsored by the Bank
a) Pragati Krishna Gramin Bank
(Erstwhile Pragati Gramin Bank)
b) Kerala Gramin Bank
(Erstwhile South Malabar Gramin Bank)

5.4.6 Disclosure about transactions with Key Management Personnel is as under -

- i) Remuneration to Key Management Personnel ₹ 0.99 Crore (Previous Year: ₹0.68 Crore)

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed.

5.4.7 अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं एवं संयुक्त उद्यम के साथ संव्यवहार निम्नवत् है:

(₹ करोड़ में)

मदें	अनुषंगियाँ	सहबद्ध संस्थाएं व संयुक्त उद्यम	महत्वपूर्ण कार्मिक प्रबंधन	महत्वपूर्ण कार्मिक प्रबंधन के संबंधी	कुल
उधार -					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	30.00 (30.00)	-	-	30.00 (30.00)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	30.00 (30.00)			30.00 (30.00)
जमाएं -					
यथा वर्षांत को बकाया	43.03 (42.56)	16.63 (388.52)	-	-	59.66 (431.08)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	48.59 (63.41)	406.63 (1792.12)			455.22 (1855.53)
जमाओं का नियोजन -					
यथा वर्षांत को बकाया	19.68 (शून्य)	146.24 (149.41)	-	-	165.92 (149.41)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	19.68 (शून्य)	146.24 (149.41)			165.92 (149.41)
अग्रिम -					
यथा वर्षांत को बकाया	411.36 (537.29)	2293.89 (2218.11)	-	-	2705.25 (2755.40)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	411.36 (616.21)	2651.30 (2972.25)			3062.66 (3588.46)
अचल संपत्ति की खरीद -					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (31.30)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (31.30)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (31.30)	शून्य (शून्य)			शून्य (31.30)
चालू खाता में शेष -					
यथा वर्षांत को बकाया	28.00 (26.54)	47.11 (181.68)	-	-	75.11 (208.22)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	28.69 (48.03)	222.57 (282.32)			251.26 (330.35)
अन्य प्राप्य -					
यथा वर्षांत को बकाया	0.10 (20.02)	शून्य (शून्य)	-	-	0.10 (20.02)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	0.10 (20.02)	शून्य (शून्य)			0.10 (20.02)
अंतर बैंक प्रतिभागिता प्रमाणपत्र जारी किए गए -					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (400.00)			शून्य (400.00)

5.4.7 Transactions with Subsidiaries, Associates and Joint Venture are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Subsidiaries	Associates & Joint Ventures	Key Management Personnel (KMP)	Relatives of KMP	Total
Borrowings -					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	30.00 (30.00)	-	-	30.00 (30.00)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	30.00 (30.00)			30.00 (30.00)
Deposits -					
Outstanding as at the year end	43.03 (42.56)	16.63 (388.52)	-	-	59.66 (431.08)
Maximum outstanding during the year	48.59 (63.41)	406.63 (1792.12)			455.22 (1855.53)
Placement of Deposits -					
Outstanding as at the year end	19.68 (NIL)	146.24 (149.41)	-	-	165.92 (149.41)
Maximum outstanding during the year	19.68 (NIL)	146.24 (149.41)			165.92 (149.41)
Advances -					
Outstanding as at the year end	411.36 (537.29)	2293.89 (2218.11)	-	-	2705.25 (2755.40)
Maximum outstanding during the year	411.36 (616.21)	2651.30 (2972.25)			3062.66 (3588.46)
Purchase of Fixed Assets -					
Outstanding as at the year end	NIL (31.30)	NIL (NIL)	-	-	NIL (31.30)
Maximum outstanding during the year	NIL (31.30)	NIL (NIL)			NIL (31.30)
Balance in current account -					
Outstanding as at the year end	28.00 (26.54)	47.11 (181.68)	-	-	75.11 (208.22)
Maximum outstanding during the year	28.69 (48.03)	222.57 (282.32)			251.26 (330.35)
Other receivable -					
Outstanding as at the year end	0.10 (20.02)	NIL (NIL)	-	-	0.10 (20.02)
Maximum outstanding during the year	0.10 (20.02)	NIL (NIL)			0.10 (20.02)
Inter Bank Participation Certificate - Participated					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)	-	-	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (400.00)			NIL (400.00)

कमीशन प्राप्त -					
यथा वर्षांत को बकाया	4.61 (2.60)	0.08 (0.11)	-	-	4.69 (2.71)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	4.61 (2.60)	0.08 (0.11)			4.69 (2.71)
अन्य देय -					
यथा वर्षांत को बकाया	0.01 (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	0.01 (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	0.01 (शून्य)	शून्य (शून्य)			0.01 (शून्य)
प्रदत्त ब्याज	2.91 (10.14)	31.62 (99.96)	-	-	34.53 (110.10)
प्राप्त ब्याज	16.83 (43.77)	256.60 (178.58)	-	-	273.43 (222.35)
प्राप्त लाभांश	16.96 (2.50)	11.57 (शून्य)	-	-	28.53 (2.50)
प्रदत्त प्रीमियम	152.48 (114.92)	शून्य (शून्य)	-	-	152.48 (114.92)
सेवा उपलब्ध कराना	110.41 (93.87)	3.01 (0.70)	-	-	113.42 (94.57)
सेवाओं से प्राप्त	30.29 (0.32)	0.01 (0.01)	-	-	30.30 (0.33)
बीएसई को जारी अधिकार के संबंध में गारंटी	शून्य (शून्य)	शून्य (1.39)	-	-	शून्य (1.39)

(कोष्ठकों में पिछले वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं)

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणीकृत तथा लेखापरीक्षकों द्वारा आश्रित)

Commission Receivable-					
Outstanding as at the year end	4.61 (2.60)	0.08 (0.11)	-	-	4.69 (2.71)
Maximum outstanding during the year	4.61 (2.60)	0.08 (0.11)			4.69 (2.71)
Other payable -					
Outstanding as at the year end	0.01 (NIL)	NIL (NIL)	-	-	0.01 (NIL)
Maximum outstanding during the year	0.01 (NIL)	NIL (NIL)			0.01 (NIL)
Interest paid	2.91 (10.14)	31.62 (99.96)	-	-	34.53 (110.10)
Interest received	16.83 (43.77)	256.60 (178.58)	-	-	273.43 (222.35)
Dividend received	16.96 (2.50)	11.57 (NIL)	-	-	28.53 (2.50)
Premium Paid	152.48 (114.92)	NIL (NIL)	-	-	152.48 (114.92)
Rendering of Service	110.41 (93.87)	3.01 (0.70)	-	-	113.42 (94.57)
Receiving for Services	30.29 (0.32)	0.01 (0.01)	-	-	30.30 (0.33)
Guarantee in respect of rights issued to BSE	NIL (NIL)	NIL (1.39)	-	-	NIL (1.39)

(Figures in brackets relate to previous year).

(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors).

5.4.8 आंतर-समूह जोखिम

(₹ करोड़ में)

मदें	वर्ष 2016-17 के लिए	वर्ष 2015-16 के लिए
आंतर समूह जोखिम के लिए कुल राशि	2890.82	2937.53
उच्चतम - 20 आंतर - समूह जोखिम की कुल राशि	2890.82	2937.53
उधारकर्ता / ग्राहक पर बैंक के कुल जोखिम से आंतर समूह जोखिम का प्रतिशत	0.37%	0.48%
आंतर - समूह जोखिम पर सीमा का उल्लंघन तथा उसपर विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो तो	शून्य	शून्य

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणित तथा लेखा-परीक्षक द्वारा आश्रित)

5.5 लेखा मानक-20-प्रति शेयर अर्जन:

मूल एवं तनुकृत ई पी एस की गणना लेखांकन मानक 20- "प्रति शेयर अर्जन" के अनुसार की गई है।

मूल प्रति शेयर अर्जन का परिकलन निम्नानुसार है:

मदें	2016-17	2015-2016
क वर्ष के लिए इक्विटी शेयरधारकों के स्रोत पर निवल लाभ (₹ करोड़ में)	1121.92	(2812.82)
ख इक्विटी शेयरों की संख्या (करोड़ में)	59.73	54.30
ग इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	54.37	52.47
घ प्रति शेयर मूल्य व तनुकृत अर्जन (क / ग) (₹)	20.63	(53.61)
इ प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹)	10/-	10/-

5.6 लेखा मानक - 22 - आय पर करों का लेखांकन:

बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं (डी टी ए / डी टी एल) का निर्धारण किया है और यथा 31.03.2017 को निवल आस्थगित कर देयता का निम्न प्रकार से लेखांकन किया है:

5.4.8 Intra-Group Exposures

(₹ in Crore)

Particulars	For the Year 2016-17	For the Year 2015-16
Total amount of intra-group exposures	2890.82	2937.53
Total amount of top-20 intra-group exposures	2890.82	2937.53
Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.37%	0.48%
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	NIL	NIL

(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors.)

5.5 Accounting Standard-20 - Earnings Per Share:

Basic and diluted earnings per equity share are computed in accordance with Accounting Standard 20, "Earnings per Share".

The Computation of EPS is given below:

Particulars	2016-17	2015-2016
A Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (₹ In Crore)	1121.92	(2812.82)
B Number of Equity Shares (In Crore)	59.73	54.30
C Weighted Average Number of Equity Shares (In Crore)	54.37	52.47
D Basic and Diluted Earnings per Share (A/C) (₹)	20.63	(53.61)
E Nominal Value per Share (₹)	10/-	10/-

5.6 Accounting Standard - 22 - Accounting for Taxes on Income:

The Bank has recognized Deferred Tax Assets / Liabilities (DTA / DTL) and has accounted for the Net Deferred Tax as on 31.03.2017 as under:

आस्थगित कर आस्तियों व आस्थगित कर देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

मदें	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
प्रतिभूतियों पर उपचित परंतु प्रतिभूतियों पर देय नहीं	-	-	828.37	849.68
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	338.29	309.38		
स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास	-	-	19.50	17.40
निवेश पर मूल्यहास	-	-	1705.10	1705.10
वायदा संविदा पर अप्राप्य अभिलाभ	-	-	145.47	52.94
अग्रिमों हेतु किये गये प्रावधान	4869.61	3748.15		
विशेष आरक्षित निधियों पर	-	-	1384.32	1384.32
अन्य	53.69	-	-	-
आस्थगित कर आस्तियां / देयताएं	5261.59	4057.53	4082.76	4009.44

Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
Interest accrued but not due on securities	-	-	828.37	849.68
Provision for Leave Encashment	338.29	309.38		
Depreciation on Fixed Assets	-	-	19.50	17.40
Depreciation on Investments	-	-	1705.10	1705.10
Unrealised gain on Forward contracts	-	-	145.47	52.94
Provision made for advances	4869.61	3748.15		
On Special Reserve	-	-	1384.32	1384.32
Others	53.69	-	-	-
Deferred Tax Asset/ Liability	5261.59	4057.53	4082.76	4009.44

यथा 31 मार्च, 2017 को निवल आस्थगित कर आस्तियां: ₹1178.83 करोड़ (पिछले वर्ष निवल आस्थगित कर देयताएं ₹48.09 करोड़)

Net Deferred Tax Assets as on March 31, 2017: ₹1178.83 Crore (Previous year: Net Deferred Tax Assets ₹48.09 Crore)

5.7 लेखांकन मानक - 27 - संयुक्त उद्यमों में हित संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग

निवेश में कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल.एल.सी. (रूस में निगमित) ₹73.22 करोड़ शामिल है (लेन-देन की तारीख की विनिमय दर पर) जिसमें बैंक का 40% हिस्सा है।

ए एस 27 की अपेक्षानुसार (संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में बैंक के हित ₹ 40%) से संबंधित परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय की समग्र राशि का प्रकटन अधोलिखित किया गया है:

5.7 Accounting Standard 27 - Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

Investments include ₹73.22 Crore (at the exchange rate of the transaction date) in the Commercial Indo Bank LLC (Incorporated in Russia) wherein the Bank owns 40% of the equity.

As required by AS 27 the aggregate amount of the assets, liabilities, income and expenses (Bank's interest @ 40% in jointly controlled entity) is disclosed as under:

कमर्शियल इन्डो बैंक एल.एल.सी. – परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय का ब्यौरा

मर्दे	31.03.2017 को समाप्त चालू वर्ष	31.03.2017 को समाप्त चालू वर्ष	बैंक का शेयर @ 40%	31.03.2016 को समाप्त गत वर्ष	31.03.2016 को समाप्त गत वर्ष	बैंक का शेयर @ 40%
	अमेरिकी डॉलर '000 में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	अमेरिकी डॉलर '000 में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
कुल पूँजी व आरक्षित निधियाँ	41,524.00	269.28	107.71	26,361.00	174.65	69.86
कुल देयताएं	71,795.00	465.59	186.24	68,908.00	456.55	182.62
कुल आस्तियाँ	113,319.00	734.87	293.95	95,269.00	631.20	252.48
कुल आय	7,553.00	50.67	20.27	6,408.00	42.46	16.98
कुल व्यय	2,241.00	15.04	6.02	2,468.00	16.35	6.54
लाभ	5,312.00	35.63	14.25	3,940.00	26.10	10.44

Commercial Indo Bank LLC - Details of Assets, Liabilities, Income & Expenses

Particulars	Current year ended 31/03/2017	Current year ended 31/03/2017	Bank's share@ 40%	Previous year ended 31/03/2016	Previous year ended 31/03/2016	Bank's share @ 40%
	In '000 US Dollars	₹ in Crore	₹ in Crore	In '000 US Dollars	₹ in Crore	₹ in Crore
Aggregate Capital and Reserves	41,524.00	269.28	107.71	26,361.00	174.65	69.86
Aggregate Liabilities	71,795.00	465.59	186.24	68,908.00	456.55	182.62
Aggregate Assets	113,319.00	734.87	293.95	95,269.00	631.20	252.48
Aggregate Income	7,553.00	50.67	20.27	6,408.00	42.46	16.98
Aggregate Expenditure	2,241.00	15.04	6.02	2,468.00	16.35	6.54
Profit	5,312.00	35.63	14.25	3,940.00	26.10	10.44

5.8 लेखांकन मानक - 28 - आस्तियों की क्षति:

जब भी घटना या परिस्थिति में परिवर्तन के कारण यह लगे कि आस्ति के वहन राशि की वसूली नहीं हो सकती है तब वर्ष के समापन पर क्षत हेतु आस्ति की समीक्षा की जाएगी। धारित व प्रयुक्त होने वाले आस्ति के वसूली की संगणना आस्ति के वहन राशि से आस्ति द्वारा उत्पन्न संभावित फ्यूचर निवल छूट-प्राप्त नकद प्रवाह की तुलना करने करने के द्वारा की जा सकती है। यदि ऐसी आस्ति को क्षत माने तो उस क्षति को संगणित व प्रगणित उस राशि द्वारा किया जाएगा जो आस्ति के वसूली-योग्य राशि से अधिक आस्ति का वहन राशि है। यद्यपि, बैंक प्रबन्धन की राय में जिस वर्ष में लेखा मानक 28 - "आस्ति की क्षति" लागू है उस वर्ष के दौरान किसी भी सामग्री पर कोई क्षति का संकेत नहीं है।

5.8 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets:

Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

5.9 लेखांकन मानक - 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ:

(₹ करोड़ में)

मदें	01.04.2016 को प्रारंभ	वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	वापस / समायोजित किए गये प्रावधान	31.03.2017 को समापन
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान का चलन	581.24	226.00	26.00	781.24

5.9 Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

(₹ in Crore)

Particulars	Opening as on 01.04.2016	Provision made during the year	Provision reversed / adjusted	Closing as on 31.03.2017
Movement of Provision for Contingent Liabilities	581.24	226.00	26.00	781.24

6. अतिरिक्त प्रकटीकरण

6.1 वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान और आकस्मिक व्यय का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2017	31.03.2016
निवेश मूल्यहास / एन पी आई के लिए प्रावधान	161.04	267.75
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	7437.77	9608.16
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	26.61	(459.20)
कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर देयता सहित)	520.00	(372.95)
उचित मूल्य में हास के लिए प्रावधान	(360.00)	531.29
परिसंपत्ति की शक वसूली के लिए प्रावधान	35.00	4.80
देश ऋण जोखिम के लिए प्रावधान	13.00	8.00
अन्य आकस्मिकताओं तथा एफ आई टी एल के लिए प्रावधान	(41.45)	371.63
कुल	7791.97	9959.48

6. Additional Disclosures

6.1 Details of Provisions and Contingencies made during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Provision for Depreciation on Investment and NPI	161.04	267.75
Provision towards NPA	7437.77	9608.16
Provision towards Standard Asset	26.61	(459.20)
Provision for Tax (includes Deferred Tax)	520.00	(372.95)
Provision for Diminution in Fair Value	(360.00)	531.29
Provision for Asset Doubt of Recovery	35.00	4.80
Provision for Country Risk Exposure	13.00	8.00
Provision for FITL and other contingencies	(41.45)	371.63
TOTAL	7791.97	9959.48

6.2 अस्थाई प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2017	31.03.2016
प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान संवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान आहरित राशि	शून्य	शून्य
इति शेष	शून्य	शून्य

6.3 शिकायतों / बैंकिंग लोकपाल के निर्णयों के गैर कार्यान्वयन का प्रकटीकरण:

क. ग्राहक शिकायतें (एटीएम संबंधित शिकायतों सहित):

क्रम सं.	मदें	31.03.2017	31.03.2016
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	1550	1534
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	66977	35862
(ग)	वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या	65362	35846
(घ)	वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	3165	1550

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णय

क्रम सं.	मदें	31.03.2017	31.03.2016
(क)	वर्ष के आरंभ में गैर-कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त निर्णयों की संख्या	08	07
(ग)	वर्ष के दौरान निवारित निर्णयों की संख्या	08	07
(घ)	वर्ष के अंत तक लंबित अकार्यान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य

6.2 Floating Provision:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Opening Balance	NIL	NIL
Addition during the year	NIL	NIL
Draw down during the year	NIL	NIL
Closing Balance	NIL	NIL

6.3 Disclosure of Complaints / unimplemented awards of Banking Ombudsmen:

A. Customer Complaints (including ATM related complaints):

Sl. No	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
(a)	Number of complaints pending at the beginning of the year	1550	1534
(b)	Number of complaints received during the year	66977	35862
(c)	Number of complaints redressed during the year	65362	35846
(d)	Number of complaints pending at the end of the year	3165	1550

B. Awards passed by the Banking Ombudsmen

Sl. No	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
(a)	Number of unimplemented Awards at the beginning of the year	NIL	NIL
(b)	Number of Awards received during the year	08	07
(c)	Number of Awards redressed during the year	08	07
(d)	Number of unimplemented Awards pending at the end of the year	NIL	NIL

स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) कार्ड से संबंधित सभी ग्राहक शिकायतें शामिल किये गये हैं। सभी एटीएम शिकायतें अधिग्रहण मुद्दों से संबंधित हैं।

6.4 चुकौती आश्वासन पत्र जारी करना

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ₹ 34677.55 करोड़ के 3571 चुकौती आश्वासन पत्र जारी किये गये। यथा 31.03.2017 को 1506 पत्रों की संचित बकाया स्थिति ₹ 8787.41 करोड़ है। इनके अलावा बैंक द्वारा निम्नांकित विनियामकों को चुकौती आश्वासन पत्र जारी किये गये:

समुद्रपारीय:

शून्य वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान मेजबान देशों के पक्ष में कोई भी चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं हुआ है।

पहले जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र / वचन / गारंटी:

- चीन बैंकिंग रेग्युलेटरी कमीशन, चीन (शांघई शाखा की ओर से) – दिनांकित 29.03.2008 के आदेश द्वारा
- यू ए ई का सेंट्रल बैंक (हमारे प्रतिनिधि कार्यालय, शारजाह की ओर से) – दिनांकित 04.06.2009 के आदेश द्वारा
- बहरीन का सेंट्रल बैंक (हमारे मनामा शाखा, बहरीन की ओर से) – दिनांकित 15.01.2010 के आदेश द्वारा एवं
- दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व बैंक (जॉहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका की ओर से) – दिनांकित 19.11.2011 के आदेश से)

वित्तीय प्रभाव:

बैंक ने अबतक अनुषंगियों या संयुक्त उद्यमों की ओर साख पत्र जारी नहीं किया है, अतः बैंक द्वारा एलओसी / वचन पत्र के जारीकरण पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

शाखाओं के संबंध में, समुद्रपारीय शाखाओं की आस्तियों व देयताओं का विलय घरेलू परिचालन के साथ कर दिया गया है तथा बैंक के लिए एक समेकित तुलन-पत्र बनाया गया है। समुद्रपारीय शाखाओं की कुल देयताएं बैंक के वार्षिक तुलन-पत्र की देयताओं का एक हिस्सा है।

All customer complaints pertaining to Automated Teller Machine (ATM) cards are included. All the ATM complaints pertain to Acquirery issues.

6.4 Issuance of Letter of Comfort:

Bank has issued 3571 No. of Letters of Comfort to the tune of ₹ 34677.55 Crore during the financial year. The cumulative outstanding position of 1506 No. of LOC as on 31.03.2017 is ₹ 8787.41 Crore. Apart from this, Bank has also issued Letter of Comfort to the following regulators during previous years:

Overseas:

The Bank has not issued any LOC favouring host country regulators during the financial year 2016-17.

LOCs / Undertaking / Guarantee issued in the past:

- China Banking Regulatory Commission, China (on behalf of our Shanghai Branch) – vide order dated 29.03.2008
- Central Bank of the UAE (on behalf of our Representative office, Sharjah) – Vide order dated 04.06.2009
- Central Bank of Bahrain (on behalf of our Manama branch, Bahrain) – Vide order dated 15.01.2010 and
- South African Reserve Bank (on behalf of our Johannesburg branch, South Africa) – Vide order dated 19.11.2011

Financial Impact:

Bank has so far not issued any LOC / undertaking on behalf of the subsidiaries or Joint Ventures (JVs), hence, the financial impact on issue of LOC / undertaking by the Bank does not exist.

With regard to branches the assets and liabilities of overseas branches are merged with the domestic operation and a consolidated Balance Sheet is drawn for the Bank as a whole. The total liability of overseas branches forms part of the liabilities of the Banks annual balance sheet.

अतः शाखाओं की ओर से जारी साख पत्र के कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव नहीं हैं। प्रतिनिधि कार्यालयों के संबंध में, कोई वाणिज्यिक परिचालन नहीं किया गया है तथा इसलिए मेज़बान देशों के विनियामकों को जारी साख पत्र का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

यथा 31 मार्च 2017 को, हमारे बैंक के लिए समुद्रपारीय विनियामकों के पक्ष में जारी साख पत्र का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है क्योंकि इसे शाखाओं व प्रतिनिधि कार्यालयों की ओर से जारी किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के संबंध में, हम अबतक बैंक द्वारा जारी साख पत्र के विवरणों का खुलासा करना प्रस्तावित करते हैं तथा यथा मार्च 2017 को तुलन-पत्र में “खातों के नोट्स” के अंतर्गत ऐसे साख पत्रों की ओर से “शून्य” वित्तीय प्रभाव है।

6.4.1 यथा 31.03.2017 को प्रावधान कवरेज अनुपात 55.62% है (पिछले वर्ष 50.11%)

6.5 बैंक द्वारा बैंकएश्यूरेंस कारोबार आदि से प्राप्त शुल्क / मानदेय:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आय का प्रकार	31.03.2017	31.03.2016
1	जीवन बीमा पॉलिसी का विक्रय	38.29	26.20
2	गैर-जीवन बीमा पॉलिसी का विक्रय	18.51	17.16
3	म्युचुअल फंड उत्पाद का विक्रय	14.03	10.07
4	अन्य (स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी)	15.81	10.67
5	पीएमजेजेबीवाई	4.92	5.50
6	पीएमएसबीवाई	0.71	0.70
	कुल	92.27	70.30

Hence, there is no additional financial impact of LOCs issued on behalf of branches. In respect of representative Office, there are no commercial operations undertaken and hence no financial impacts of LOC issued to host country regulator.

As at 31st March 2017, there is no financial impact of LOCs issued favoring the overseas Regulators for our Bank since the same are issued on behalf of branches and Representative offices. In terms of RBI guidelines, we propose to disclose the details of LOCs issued by the Bank so far and “NIL” financial impact on account of such LOCs, under “Notes to Accounts” in the Balance Sheet as at March 2017.

6.4.1 Provision Coverage Ratio is 55.62% as on 31.03.2017 (Previous Year 50.11%):

6.5 Fees/Remuneration received by the Bank from Bancassurance Business etc:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	31.03.2017	31.03.2016
1	For selling Life Insurance Policies	38.29	26.20
2	For selling Non Life Insurance Policies	18.51	17.16
3	For selling Mutual Funds Products	14.03	10.07
4	Other (Health Insurance Policies)	15.81	10.67
5	PMJBY	4.92	5.50
6	PMSBY	0.71	0.70
	TOTAL	92.27	70.30

6.6 जमाओं, अग्रिमों, निवेशों व एन पी ए का संकेंद्रण

6.6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

6.6.1 जमाओं का संकेंद्रण:

6.6.1 Concentration of Deposits:

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2017	31.03.2016
बीस बड़े जमाकर्ताओं के कुल जमा	71579.31	65542.30
बैंक के कुल जमाओं में से बीस बड़े जमाकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	14.45%	13.66%

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Total Deposits of twenty largest depositors	71579.31	65542.30
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	14.45%	13.66%

6.6.2 अग्रिमों का संकेंद्रण:

6.6.2 Concentration of Advances:

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2017	31.03.2016
बीस बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	26101.53	28865.40
बैंक के कुल अग्रिम में से बीस बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	7.63%	8.89%

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Total Advances to twenty largest borrowers	26101.53	28865.40
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	7.63%	8.89%

6.6.3 एक्सपोजर का संकेंद्रण

6.6.3 Concentration of Exposures:

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2017	31.03.2016
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल एक्सपोजर	59989.87	56608.69
बैंक के कुल एक्सपोजर में से बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	7.75%	9.20%

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	59989.87	56608.69
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the bank on borrowers / customers	7.75%	9.20%

6.6.4 एन पी ए का संकेंद्रण

6.6.4 Concentration of NPAs:

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2017	31.03.2016
प्रथम चार एनपीए खातों का कुल निवेश	8282.63	7391.30

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Total Exposure to top four NPA accounts	8282.63	7391.30

6.6.5 क्षेत्र – वार अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष			
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से एन पी ए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से एन पी ए का प्रतिशत	
क	प्राथमिकता क्षेत्र							
	1	कृषि व संबद्ध गतिविधियाँ	74079.00	2757.31	3.72%	67176.00	2159.30	3.21%
	2	प्राथमिकता क्षेत्र उधारी के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	39175.00	5557.95	14.19%	35433.00	4663.07	13.16%
	3	सेवाएं	28119.00	555.15	1.97%	25798.00	588.31	2.28%
	4	व्यक्तिगत ऋण	18896.00	-	-	17151.00	-	-
		उप- कुल (क)	160269.00	8870.41	5.53%	145558.00	7410.68	5.09%
ख	गैर प्राथमिकता क्षेत्र							
	1	कृषि व संबद्ध गतिविधियाँ	614.00	0.00	-	23.00	-	-
	2	प्राथमिकता क्षेत्र उधारी के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	140262.29	19622.09	13.99%	143935.70	19519.92	13.56%
	3	सेवाएं	28108.02	5406.46	19.23%	22780.53	4392.74	19.28%
	4	व्यक्तिगत ऋण	26052.35	303.08	1.16%	24250.64	314.49	1.30%
		उप- कुल (ख)	195036.66	25331.63	12.99%	190989.87	24227.15	12.69%
	कुल (क+ख)	355305.66	34202.04	9.63%	336547.87	31637.83	9.40%	

6.6.5 Sector-wise Advances

(₹ in Crore)

Sl No	Sector*	Current Year			Previous Year		
		Outstanding total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector	Outstanding total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector
A	Priority sector						
1	Agriculture and allied activities	74079.00	2757.31	3.72%	67176.00	2159.30	3.21%
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	39175.00	5557.95	14.19%	35433.00	4663.07	13.16%
3	Services	28119.00	555.15	1.97%	25798.00	588.31	2.28%
4	Personal loans	18896.00	-	-	17151.00	-	-
	Sub total (A)	160269.00	8870.41	5.53%	145558.00	7410.68	5.09%
B	Non Priority sector						
1	Agriculture and allied activities	614.00	0.00	-	23.00	-	-
2	Industries	140262.29	19622.09	13.99%	143935.70	19519.92	13.56%
3	Services	28108.02	5406.46	19.23%	22780.53	4392.74	19.28%
4	Personal loans	26052.35	303.08	1.16%	24250.64	314.49	1.30%
	Sub total (B)	195036.66	25331.63	12.99%	190989.87	24227.15	12.69%
	Total (A+B)	355305.66	34202.04	9.63%	336547.87	31637.83	9.40%

उद्यम के उप-क्षेत्र जहां बकाया अग्रिम क्षेत्र के कुल अग्रिम के 10% से अधिक हैं।

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	उप- क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से एन पी ए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से एन पी ए का प्रतिशत
1	आधारभूत धातु व धातु के उत्पाद	21596.96	10930.41	50.61%	18965.65	9912.30	52.26%
2	बुनियादी संरचना	50125.76	2527.05	5.04%	54287.36	3291.73	6.06%

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणीकृत तथा लेखापरीक्षकों द्वारा आश्रित)

Sub sector of industries where the outstanding advances exceeds 10% of the outstanding total advances of the sector.

(₹ in Crore)

SI No	Sub Sector	Current Year			Previous Year		
		Outstanding total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector	Outstanding total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector
1	Basic metal and metal products	21596.96	10930.41	50.61%	18965.65	9912.30	52.26%
2	Infrastructure	50125.76	2527.05	5.04%	54287.36	3291.73	6.06%

(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors.)

6.7 एन पी ए का अंतरण:

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2017	31.03.2016
यथा 1 अप्रैल 2016 तक सकल एन पी ए (आरंभिक शेष)	31637.83	13039.96
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एन पी ए)	11652.11	24724.06
उप - कुल (क)	43289.94	37764.02
घटाएं:-		
(i) अद्यतन	2264.82	1460.14
(ii) वसूलियाँ (अद्यतनित खातों से की गई वसूलियों के अलावा)	1278.30	1279.08
(iii) तकनीकी / प्रुडेण्शियल बट्टे खाते में डालना	5103.16	2911.93
(iv) उक्त (iii) के अलावा बट्टे खाते	441.62	475.04
उप कुल (ख)	9087.90	6126.19
यथा 31 मार्च 2017 तक सकल एन पी ए (इति शेष) (क-ख)	34202.04	31637.83

6.7 Movement of NPAs

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Gross NPAs as on 1st April 2016 (Opening Balance)	31637.83	13039.96
Additions (Fresh NPAs) during the year	11652.11	24724.06
Sub-total (A)	43289.94	37764.02
Less:-		
(i) Upgradations	2264.82	1460.14
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1278.30	1279.08
(iii) Technical/ Prudential Write-offs	5103.16	2911.93
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	441.62	475.04
Sub-total (B)	9087.90	6126.19
Gross NPAs as on 31st March 2017 (closing balance) (A-B)	34202.04	31637.83

6.8 तकनीकी बट्टे खाते में डालना तथा तत्पश्चात बनाए वसूली का उतार-चढ़ाव:

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.03.2017	31.03.2016
यथा अप्रैल 1 को तकनीकी / प्रुडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों के प्रारंभिक शेष	9936.31	7423.21
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी / प्रुडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खाते*	5129.81	2911.93
उप कुल (क)	15066.12	10335.14
घटाव: वर्ष के दौरान तकनीकी / प्रुडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों से पहले की गई वसूली (ख)	688.70	398.83
यथा मार्च 31 को इति शेष (क-ख)	14377.42	9936.31

*विनिमय उतार-चढ़ाव सहित

6.9 समुद्रपारीय आस्तियाँ, एन पी ए व राजस्व

(₹ करोड़ों में)

मर्दे	31.03.2017	31.03.2016
कुल आस्तियाँ	66360.55	54374.25
कुल एन पी ए: सकल	2650.47	2477.89
निवल	1415.27	1532.16
कुल राजस्व	1033.08	1262.50

6.10 तुलन पत्र में शामिल न होने वाले प्रायोजित एस पी वी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है)

प्रायोजित एस पी वी के नाम	
घरेलू	समुद्रपारीय
शून्य	शून्य

6.8 Movement of Technical Write off and the recoveries made thereon:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts as at April 1	9936.31	7423.21
Add: Technical / Prudential write-offs during the year*	5129.81	2911.93
Sub-total (A)	15066.12	10335.14
Less: Recoveries made from previously technical / prudential written-off accounts during the year (B)	688.70	398.83
Closing balance as at March 31 (A-B)	14377.42	9936.31

* including exchange fluctuation

6.9 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Total Assets	66360.55	54374.25
Total NPAs : Gross	2650.47	2477.89
Net	1415.27	1532.16
Total Revenue	1033.08	1262.50

6.10 Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

6.11 प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	मदे	संख्या / राशि
1.	प्रतिभूतीकरण संव्यवहारों के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एस पी वी की संख्या	शून्य
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एस पी वी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतीकृत आस्तियों की कुल राशि	
3.	यथा तुलन पत्र की तारीख को एम आर आर की अनुपालनार्थ बैंक द्वारा प्रतिधारित निवेश की कुल राशि	
	क) तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ख) तुलन पत्र में शामिल होनेवाली निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
4.	एम आर आर के अलावा प्रतिभूतीकरण संव्यवहारों की राशि	
	क) तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली निवेश	
	प्रतिभूतीकरण के लिए निवेश	
	i) प्रथम हानि	
	अन्य	
	ii) तीसरे पक्ष प्रतिभूतीकरण के लिए निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ख) तुलन पत्र में शामिल होनेवाली निवेश	
	प्रतिभूतीकरण के लिए निवेश	
	i) प्रथम हानि	
	अन्य	
	ii) तीसरे पक्ष प्रतिभूतीकरण के लिए निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	

6.11 Disclosure relating to Securitisation:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	No./ Amount
1.	No of SPVs sponsored by the bank for securitization transaction	NIL
2.	Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank	
3.	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	
	a) Off-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
4.	Amount of exposures to securitization transactions other than MRR	
	a) Off-balance sheet exposures	
	i) Exposure to own securitizations	
	First loss	
	Others	
	ii) Exposure to third party securitizations	
	First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	i) Exposure to own securitizations	
	First loss	
	Others	
	ii) Exposure to third party securitizations	
	First loss	
	Others	

6.12 ऋण डिफॉल्ट स्वेप (सीडीएस): शून्य

6.12 Credit Default Swaps (CDS): NIL

6.13 जमाकर्ता शिक्षा व जागरूकता निधि को हस्तांतरण (डीईएफ)

6.13 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

मदें	31.03.2017	31.03.2016
डीईएफ को हस्तांतरित राशि का आरंभिक शेष	977.29	847.99
जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईएफ को हस्तांतरित राशि जोड़ें	205.28	140.04
घटाएं: दावों के निपटान के लिए डीईएफ द्वारा प्रतिपूर्ति किए गए दावे	15.68	10.74
डीईएफ को हस्तांतरित राशि का अंतिम शेष	1166.89	977.29

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Opening balance of amounts transferred to DEAF	977.29	847.99
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	205.28	140.04
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	15.68	10.74
Closing balance of amounts transferred to DEAF	1166.89	977.29

6.14 भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी संसूचना संख्या डीबीओडी. नं. बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 दिनांकित 15 जनवरी 2014 द्वारा बैंकों को निर्देश दिया है कि अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के साथ निकायों को बैंक के एक्सपोजर से संबंधित वेतन वृद्धि व पूंजी प्रदान करे। तदनुसार, वित्त वर्ष 2016-17 के लिए, बैंक ने अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए ₹32.92 करोड़ (₹37.69 करोड़) का वेतन वृद्धि प्रावधान किया है। आगे, यथा 31.03.2017 को बैंक के पास अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर जोखिम हेतु ₹ 143.85 करोड़ (₹ 118.21 करोड़) की पूंजी है।

6.14 Reserve Bank of India vide its communication Number DBOD.No.BP.BC. 85/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 advised the Bank to provide incremental provision and capital with regard to bank's exposure to entities with unhedged foreign currency exposures. Accordingly for the financial year 2016-17 bank is holding a provision of ₹32.92 Crore (₹37.69 Crore) towards unhedged foreign currency exposure. Further Bank is also holding a capital of ₹143.85 Crore (₹118.21 Crore) as on 31.03.2017 towards the risk on unhedged foreign currency exposure.

अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में ऋण जोखिम मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां:

Policies to manage currency induced credit risk with regard to Unhedged Foreign Currency Exposure:

उधारकर्ता निकायों के संबंध में जिनका विदेशी मुद्रा एक्सपोजर है, बैंक द्वारा अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई); ब्याज पर वार्षिक आय व मूल्यहास (ईबीआईडी); सालाना अस्थिरता का उपयोग करते हुए यूएसडी-आईएनआर विनिमय दर में परिवर्तन के मामले में अनुमानित हानि की गणना की जाती है। विनिमय दर में परिवर्तन के कारण अनुमानित हानि को ईबीआईडी के प्रतिशत यानि अनुमानित हानि/ईबीआईडी प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। विवेकपूर्ण उपाय के तौर पर, बैंक द्वारा ऐसे निकायों को विशेषीकृत दर पर कुल ऋण जोखिम पर वेतन वृद्धि पूंजी व वेतन वृद्धि प्रावधानीकरण (वर्तमान मानक आस्ति प्रावधानीकरण के अतिरिक्त) किया जाता है।

In respect of borrower entities having foreign currency exposure Bank is computing Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE); Annual Earnings before interest and Depreciation (EBID); expected loss in case of movement in USD-INR exchange rate using annualized volatilities. Expected loss on account of exchange rate movements is expressed as a percentage of EBID i.e likely loss/EBID percentage. As a prudential measure Bank is holding incremental capital and made incremental provisioning (over and above the extant standard assets provisioning) on the total credit exposure to such entities at the specified rates.

6.15. चलनिधि कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ में)

क्र सं.		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्तापूर्ण तरल आस्ति					
1	कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण तरल आस्ति (एचक्यूएलए)		87616.68		77186.04
नकद बहिर्वाह					
2	खुदरा जमा व छोटे कारोबारी ग्राहकों से जमा, जिनमें से	267438.54	22600.09	235838.02	20037.78
(i)	स्थिर जमा	82875.20	4143.76	70920.44	3546.02
(ii)	कम स्थिर जमा	184563.33	18456.33	164917.58	16491.76
3	गैर प्रतिभूतीकृत थोक निधियन, जिसमें से	110649.58	65105.56	120248.60	70308.92
(i)	परिचालनात्मक जमा (सभी प्रतिपक्ष)	0.00	0.00	8.59	0.43
(ii)	गैर-परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्ष)	108722.19	63178.17	116941.26	67009.74
(iii)	गैर-प्रतिभूतीकृत उधारी	1927.39	1927.39	3298.75	3298.75
4	प्रतिभूतीकृत संपूर्ण निधियन	4187.18	789.55	5692.00	3870.81
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	39716.88	14329.79	42610.89	12448.87
(i)	व्युत्पन्नी एक्सपोजरों व अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	0.00	0.00	0.84	0.84
(ii)	उधारी उत्पादों पर निधियन हानि संबंधी बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण व चलनिधि सुविधाएं	39716.88	14329.79	42610.05	12448.03
6	अन्य संविदात्मक निधियन प्रतिज्ञा-पत्र	616.29	616.29	478.26	478.26
7	अन्य आकस्मिक निधियन प्रतिज्ञा-पत्र	76896.07	2568.07	62107.45	3007.53
8	कुल नकद बहिर्वाह		106009.36		110152.17
9	प्रतिभूतीकृत उधारी (उदाहरण : रिवर्स रेपो)	3844.84	0.00	545.66	0.00
10	संपूर्ण कार्यनिष्पादक एक्सपोजर से अंतर्वाह	33844.10	25794.57	27612.99	18123.49
11	अन्य नकद अंतर्वाह	869.23	579.85	1251.13	1135.18
12	कुल नकद अंतर्वाह	38558.17	26374.42	29409.79	19258.68
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
13	कुल एच क्यू एल ए		87616.68		77186.04
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह		79634.95		90893.49
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		110.02%		84.92%

6.15 Liquidity Coverage Ratio

(₹ in Crore)

Sl No		Current year		Previous Year	
		Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		87616.68		77186.04
Cash Outflows					
2	Retail deposits and deposits from small business customers of which:	267438.54	22600.09	235838.02	20037.78
(i)	Stable deposits	82875.20	4143.76	70920.44	3546.02
(ii)	Less stable deposits	184563.33	18456.33	164917.58	16491.76
3	Unsecured wholesale funding of which:	110649.58	65105.56	120248.60	70308.92
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	8.59	0.43
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	108722.19	63178.17	116941.26	67009.74
(iii)	Unsecured debt	1927.39	1927.39	3298.75	3298.75
4	Secured wholesale funding	4187.18	789.55	5692.00	3870.81
5	Additional requirements of which	39716.88	14329.79	42610.89	12448.87
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00	0.84	0.84
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	39716.88	14329.79	42610.05	12448.03
6	Other contractual funding obligations	616.29	616.29	478.26	478.26
7	Other contingent funding obligations	76896.07	2568.07	62107.45	3007.53
8	Total Cash Outflows		106009.36		110152.17
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	3844.84	0.00	545.66	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	33844.10	25794.57	27612.99	18123.49
11	Other cash inflows	869.23	579.85	1251.13	1135.18
12	Total Cash Inflows	38558.17	26374.42	29409.79	19258.68
			Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
13	TOTAL HQLA		87616.68		77186.04
14	Total Net Cash Outflows		79634.95		90893.49
15	Liquidity Coverage Ratio (%)		110.02%		84.92%

एलसीआर के पास गुणात्मक प्रकटन

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानक का आरंभ न्यूनतम 30 दिनों की दबावग्रस्त अवधि हेतु बैंक की चलनिधि जोखिम प्रोफाइल की लघु अवधि तन्मता के प्रवर्तन के लिए है। एलसीआर, सामान्य तौर पर सुनिश्चित करता है कि बैंक उच्च गुणवत्तापूर्ण चल आस्ति (एचक्यूएलए) भार रहित आस्ति का पर्याप्त स्टॉक का रखरखाव करता है जिसे चलनिधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्काल नकद में परिवर्तित किया जा सकता है। एलसीआर को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है:

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{उच्च गुणवत्ता वाले चल आस्ति का स्टॉक (एचक्यूएलए)}}{\text{अगले 30 कैलेंडर दिनों में होनेवाले कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह}}$$

कैलेंडर वर्ष 2016 हेतु न्यूनतम एलसीआर आवश्यकता 70% था एवं कैलेंडर वर्ष 2017 हेतु यह बढ़कर 80% हो गया है। आगे वार्षिक तौर पर एलसीआर को 10% और बढ़ाया जाएगा ताकि 1 जनवरी, 2019 तक यह 100% हो जाए।

एचक्यूएलए में स्तर 1 (0% हेयरकट); स्तर 2ए (15% हेयरकट) व स्तर 2बी (50% हेयरकट) शामिल है। स्तर 1 आस्ति में नकद, अधिक सीआरआर, अधिक एसएलआर प्रतिभूति, मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) [वर्तमान में बैंक के एनडीटीएल का 2%] के तहत भा. रि.बै. द्वारा अनुमत सीमा तक सरकारी प्रतिभूति और चलनिधि कवरेज अनुपात हेतु चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा (एफएलएलएलसीआर) [वर्तमान में बैंक के एनडीटीएल का 9%] शामिल हैं।

स्तर 2ए आस्ति में सॉवरेन गारंटीकृत विपणन-योग्य प्रतिभूति, वित्तीय संस्थान के अलावा अन्य द्वारा जारी एए+ व अधिक की रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड या वाणिज्यिक पेपर शामिल हैं। स्तर 2बी आस्ति में एनएसई सीएनएक्स निफ्टी और/या एस व पी बीएसई सेंसेक्स सूचकांक में शामिल सामान्य इक्विटी शेयर में निवेश शामिल है।

दबाव के तहत अनुमानित निवल नकद बहिर्प्रवाह अगले 30 दिनों में बहिर्प्रवाह के भासित राशि से अंतर्प्रवाह को घटाने पर प्रगणित होगा। खुदरा व छोटे कारोबार ग्राहकों से निधियन में थोक निधियन की तुलना में निम्न रन-ऑफ घटक शामिल है।

Qualitative disclosure around LCR

Liquidity Coverage Ratio (LCR) standard is introduced to tests the liquidity resilience of the Bank, for a minimum stress period of 30 days. The standard ensures, the Bank maintains adequate stock of unencumbered high-quality liquid assets (HQLA) that can be converted into cash to meet liquidity needs (net cash-out flows). The LCR is defined as:

$$\text{LCR} = \frac{\text{Stock of high quality liquid assets (HQLAs)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}}$$

The minimum LCR requirement for the calendar year 2016 was 70 per cent and is stepped up to 80 per cent for the calendar year 2017. LCR requirement will be further, stepped up 10 per cent annually to reach 100 per cent by 1st January 2019.

HQLA comprises Level 1(0% hair-cut), Level 2A (15% hair-cut) and Level 2B assets (50% hair-cut). Level 1 assets comprising of cash, excess CRR, excess SLR securities, government securities to the extent allowed by RBI under Marginal Standing Facility (MSF) [presently 2 per cent of the Bank's NDTL] and Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (FALLCR) [presently 9 per cent of the Bank's NDTL].

Level 2A assets comprises of sovereign guaranteed marketable securities, corporate bonds or commercial papers which are rated AA+ and more are issued other than by financial institutions. Level 2B assets include investments in common equity shares included in NSE CNX Nifty and/or S&P BSE Sensex indices.

Expected net cash outflows under stress are the weighted sum of outflows minus inflows in the next 30 days. Funding from retail and small business customers carries lower run-off factor as compared to wholesale funding.

एलसीआर के प्रमुख ड्राइवर बैंक द्वारा धारित अधिशेष एसएलआर के स्तर एवं खुदरा व थोक निधियन स्रोत के अनुपात हैं।

बैंक के भारत स्तर 1 आस्ति में लगभग कुल एचक्यूएलए का 95% शामिल है व शेष 5% स्तर 2ए व स्तर 2बी आस्ति में शामिल हैं। अधिक एसएलआर प्रतिभूति में (स्तर 1 आस्ति का भाग) कुल एचक्यूएलए का लगभग 30% शामिल है।

समयावधि के दौरान बैंक ने कासा सहित खुदरा (व्यक्तिगत) जमा के शेयर को संवर्धित करने के द्वारा जमाओं के प्रमाणपत्र सहित थोक जमा पर निर्भरता कम की है। खुदरा जमा के शेयर की तुलना में कुल घरेलू जमा 48% (मार्च 2016) से 56% (मार्च 2017) तक बढ़ा है। खुदरा जमा का संवर्धित शेयर दबाव के तहत चलनिधि बहिर्प्रवाह को कम करते हुए बैंक के निधियन प्रोफाइल में स्थिरता को चिह्नित करता है।

थोक वर्ग के तहत बैंक के पास अगले 30 दिनों में किसी भी निधि बहिर्प्रवाह को सीमित करने हेतु बिना किसी समयपूर्व आहरण विकल्प (गैर-प्रतिदेय) के अलग जमा उत्पाद है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक का एलसीआर सभी अवलोकन आँकड़ों पर न्यूनतम आवश्यकता से अधिक बना रहा है। 84.92% (वि.व.2015-16) के औसत से बढ़ते हुए वर्ष दर वर्ष बढ़कर एलसीआर 110.02% (वि.व.2016-17) हो गया है। खुदरा जमाओं के संवर्धित शेयर (नकद बहिर्प्रवाह को कम करना), 30 दिनों के अन्दर प्राप्त अधिक अंतर्प्रवाह व उच्च एचक्यूएलए के कारण यह संभव हुआ है।

तिमाही दर तिमाही, बैंक का एलसीआर (3 माह का औसत) 91.33% (जून, 16) से 99.74% (सितम्बर, 16) और फिर 115.42% (दिसम्बर, 16) तक बढ़ा है।

मार्च 2017 को समाप्त तिमाही हेतु बैंक ने दैनिक आधार पर एलसीआर की संगणना आरंभ की है। मार्च 2017 को समाप्त तिमाही हेतु एलसीआर 134.25% है जो 70 डेटा बिन्दुओं को कवर करनेवाले दैनिक औसत पर आधारित है।

दिसम्बर 2016 व मार्च 2017 तिमाही में एलसीआर में भारी वृद्धि पाई गई है जो कि खासकर 9 नवम्बर 2016 को भारत सरकार द्वारा

The prime drivers of the LCR are the level of surplus SLR held by the Bank and the proportion of retail and wholesale funding source.

Weighted Level 1 assets of the Bank constitutes around 95 per cent of the total HQLA, and the remaining 5 per cent comprises of Level 2A and Level 2B assets. Excess SLR securities (part of level 1 assets) forms around 30 per cent of the total HQLA.

Over the period the Bank reduced dependency on the wholesale deposits including certificate of deposits by increasing the share of retail (individual) deposits including CASA. The share of retail deposits to total domestic deposits increased from 48 per cent (March 2016) to 56 per cent (March 2017). The increased share of retail deposits marks the stability in the funding profile of the Bank, reducing the liquidity outflows under stress.

Under wholesale category, the Bank has separate deposits product with no premature withdrawal option (non-callable) to limit any funds outflows over the next 30 days.

During the FY 2016-17, the LCR of the Bank remained above the minimum requirement on all observed counts. The LCR moved up year on year from average of 84.92% (FY2015-16) to 110.02% (FY 2016-17). This was contributed on account of increased share of retail deposits (reducing the cash outflows), more realizable inflows within 30 days and higher HQLA.

Quarter on quarter, the LCR (3 months average) of the Bank increased from 91.33% (June'16) to 99.74% (September'16) and to 115.42% (December'16).

For the quarter ending March 2017, the Bank has commenced the computation of the LCR on a daily basis. The LCR at 134.25% for quarter ending March 2017 is based on the daily average, covering 70 data points.

The LCR shows marked increase in December 2016 and March 2017 quarter, mainly on account of increase

विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) पर रोक के कारण खुदरा जमाओं में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुआ है।

बैंक के एलसीआर पर व्युत्पन्नी एक्सपोज़र, अनुमानित संपार्श्विक कॉल व मुद्रा बेमेल का प्रभाव नगण्य रहा।

बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग अनुषंगी “केनरा बैंक तंज़ानिया लिमि.” ने अपना परिचालन मई, 2016 में आरंभ किया और समेकित एलसीआर के प्रकटन हेतु इसका समेकन किया गया है।

6.15 इक्विटी शेयर पूंजी का नया निर्गमन:

वर्ष के दौरान बैंक ने निम्न पक्षों को इक्विटी शेयर जारी व आबंटित किया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अधिकार इश्यू ऑप्शन के अनुसार बैंक ने ₹1123.99 करोड़ की कुल प्रतिफल हेतु ₹197 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य की भारत सरकार को 3,59,99,105 इक्विटी शेयर और शेयरधारकों को 1,83,00,000 इक्विटी शेयर आबंटित किये हैं। इसके साथ ही बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी ₹542.99 करोड़ (यथा 31.03.2016 को) से बढ़कर ₹597.29 करोड़ (यथा 31.03.2017 को) हो गई है।

6.16 वर्ष के दौरान, बैंक ने संदिग्ध अग्रिम के वर्ग II हेतु अतिरिक्त प्रावधानीकरण करने के द्वारा अनर्जक अग्रिम के लिये अतिरिक्त प्रावधानीकरण में कुछ संशोधन किया है। अनुवर्ती तौर पर बैंक ने भा.रि.बै. के आईआरएसी मानदंडों के तहत निर्धारित न्यूनतम प्रावधान से ज्यादा व अधिक अनर्जक अग्रिम हेतु ₹500 करोड़ के ऐसे अतिरिक्त प्रावधान को धारित कर रखा है।

6.17 हमारे बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र उधारी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के तहत यथा मार्च 2017 को कृषि एवं लघु व सीमांत किसान वर्ग के तहत ₹11,800 करोड़ के 47,200 यूनिट बेची है।

in retail deposits with withdrawal of Specified Bank Notes (SBNs) by the Government of India w.e.f., 9th November 2016.

The impact of derivative exposure, potential collateral calls and currency mismatch on the LCR of the Bank remained insignificant.

Bank's wholly owned banking subsidiary “Canara Bank Tanzania Ltd.” started its operation in May 2016, and is consolidated for disclosure of consolidated LCR.

6.15 Fresh Issue of Equity Share Capital:

During the year Bank had issued and allotted Equity Shares to the following parties:

During the financial year 2016-17, pursuant to exercise of Rights Issue option, the Bank has allotted 1,83,00,000 equity shares to the Shareholders and 3,59,99,105 equity shares to Government of India of face value of ₹10/- each at a premium of ₹197 per equity share for a total consideration of ₹1123.99 crores. With this the equity share capital of the bank has gone upto ₹597.29 Crore (as on 31.03.2017) from ₹542.99 Crore (as on 31.03.2016)

6.16 During the year the Bank has made certain modifications in the additional provisioning for non-performing advances by dispensing with additional provisioning for category II of doubtful advances. Consequently the Bank is holding such additional provision of ₹ 500 Crore (previous year ₹ 1486 Crore) for non-performing advances over and above the minimum provision prescribed under IRAC norms of RBI.

6.17 Our Bank has sold 47,200 units under Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) to the tune of ₹11,800 Crore under Agriculture and Small and Marginal Farmers category as at March 2017.

- 6.18 वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान बैंक ने अपने एक सहबद्ध संस्था, मेसर्स केनफिन होम्स लिमि. में धारित शेयरों में से 13.45% बेच दिया है और ₹703.91 करोड़ का लाभ अर्जित किया है।
- 6.18 During Financial Year 2017, the Bank has offloaded 13.45% of shares held in M/s Canfin Homes Ltd., one of our Associates and realised a profit of ₹703.91 Crore.
7. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित / पुनः व्यवस्थित किया गया है।
7. Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

एम स्वामिनाथन
मंडल प्रबंधक
हरिदीश कुमार बी
कार्यपालक निदेशक

पी विथोबा
सहायक महा प्रबंधक
रकेश शर्मा
प्रबन्ध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

वी रामाचन्द्रा
उप महा प्रबंधक
टी एन मनोहरन
अध्यक्ष

एन सेल्वराजन
महा प्रबंधक
सुचिन्द्र मिश्रा
निदेशक

पी वी भारती
कार्यपालक निदेशक
उमा शंकर
निदेशक

कृष्णामूर्ति एच
निदेशक

महादेव नागेंद्र राव
निदेशक

वेंकटचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
राम राज एण्ड कं
सनदी लेखाकार
जी वेंकटेश्वर राव
साझेदार

कृते
वी के निरंजन एण्ड कं
सनदी लेखाकार
एम जयराजन
साझेदार

कृते
जे सिंह एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
जे सिंह
साझेदार

कृते
जे एल सेनगुप्ता एण्ड कं
सनदी लेखाकार
एस आर अनंतकृष्णन
साझेदार

बेंगलूरु
08 मई, 2017

M SWAMINATHAN
DIVISIONAL MANAGER

P VITHOBA
ASST. GENERAL MANAGER

V RAMACHANDRA
DEPUTY GENERAL MANAGER

N SELVARAJAN
GENERAL MANAGER

P V BHARATHI
EXECUTIVE DIRECTOR

HARIDEESH KUMAR B
EXECUTIVE DIRECTOR

RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CHIEF
EXECUTIVE OFFICER

T N MANOHARAN
CHAIRMAN

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

UMA SHANKAR
DIRECTOR

KRISHNAMURTHY H
DIRECTOR

MAHADEV NAGENDRA RAO
DIRECTOR

VENKATACHALAM
RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For
RAM RAJ & Co.
Chartered Accountants

For
V K NIRANJAN & Co.
Chartered Accountants

For
J SINGH & ASSOCIATES
Chartered Accountants

For
J L SENGUPTA & Co.
Chartered Accountants

G VENKATESWARA RAO
Partner

M JAYARAJAN
Partner

J SINGH
Partner

S R ANANTHAKRISHNAN
Partner

Bengaluru
MAY 08, 2017

यथा 31.03.2017 को बासेल III स्तंभ 3 प्रकटन (समेकित)
प्रकटन प्रपत्र तालिका 1: अनुप्रयोग का कार्यक्षेत्र

बैंक का नाम जिसके लिए यह रूपरेखा लागू है : केनरा बैंक

(i) गुणात्मक प्रकटन

क. समेकन के लिए समूह इकाईयों की सूची

निकाय का नाम/ (निगमन का देश))	क्या इकाई को समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र के तहत शामिल किया गया है (हां /नहीं)	समेकन की प्रक्रिया का विवरण	क्या इकाई को समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के तहत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की प्रक्रिया का विवरण	समेकन की प्रक्रिया में अंतर के कारणों का विवरण	यदि समेकन किसी क्षेत्र के तहत किया गया है तो उसका विवरण दें
केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेस लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक - 21 के अनुसार	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक - 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक - 21 के अनुसार	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक - 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक - 21 के अनुसार	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक - 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
केनरा रोबेक्को आस्ति प्रबंधन कंपनी लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक - 21 के अनुसार	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक - 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
केनरा बैंक कंप्यूटर सर्विसेस लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक - 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय अनुषंगी। समूह की समेकित विनियामक पूंजी से निकाली हुई

BASEL III PILLAR 3 DISCLOSURES (CONSOLIDATED) AS AT 31.03.2017

TABLE DF – 1: SCOPE OF APPLICATION

Name of the head of the banking group to which the framework applies: Canara Bank

(i) Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / (Country of Incorporation)	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Canbank Financial Services Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	N.A	N.A
Canbank Venture Capital Fund Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	N.A	N.A
Canbank Factors Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	N.A	N.A
Canara Robeco Asset Management Company Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	N.A	N.A
Canbank Computer Services Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	No	N.A	N.A	Non Financial Subsidiary. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.

निकाय का नाम/ (निगमन का देश))	क्या इकाई को समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र के तहत शामिल किया गया है (हाँ /नहीं)	समेकन की प्रक्रिया का विवरण	क्या इकाई को समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के तहत शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की प्रक्रिया का विवरण	समेकन की प्रक्रिया में अंतर के कारणों का विवरण	यदि समेकन किसी क्षेत्र के तहत किया गया है तो उसका विवरण दें
केनरा बैंक सेक्यूरिटीज़ लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक - 21 के अनुसार	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक - 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
केनरा बैंक (तंजानिया) लिमिटेड दार-एस-सलाम तंजानिया	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक - 21 के अनुसार	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक - 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
केनरा एच एस बी सी ओ बी सी जीवन बीमा कंपनी लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखांकन मानक - 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा अनुषंगी। समूह की समेकित विनियामक पूंजी से निकाली हुई
कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को (रूस)	हां	संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक - 27 के अनुसार	हां	संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक - 27 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
केनफिन होम्स लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों में सहबद्ध संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन संबंधी लेखांकन मानक - 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	केनफिन होम्स लि. में बैंक का निवेश पूंजी पर्याप्तता उद्देश्य के लिए जोखिम भारित है

Name of the entity / (Country of Incorporation)	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Canara Bank Securities Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard - 21 on Consolidated Financial Statements	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	N.A	N.A
Canara Bank (Tanzania) Ltd. Dar-es-salam Tanzania	Yes	As per Accounting Standard - 21 on Consolidated Financial Statements	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	N.A	N.A
Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard - 21 on Consolidated Financial Statements	No	N.A	N.A	Insurance Subsidiary. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.
Commercial Indo Bank LLC., Moscow (Russia)	Yes	As per Accounting Standard -27 on Financial Reporting of Interest in Joint Venture	Yes	As per Accounting Standard -27 on Financial Reporting of Interest in Joint Venture	N.A	N.A
Canfin Homes Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard -23 on Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements	No	N.A	N.A	Bank's investment in Canfin Homes Ltd, has been Risk weighted for capital adequacy purposes

निकाय का नाम/ (निगमन का देश))	क्या इकाई को समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र के तहत शामिल किया गया है (हाँ /नहीं)	समेकन की प्रक्रिया का विवरण	क्या इकाई को समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के तहत शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की प्रक्रिया का विवरण	समेकन की प्रक्रिया में अंतर के कारणों का विवरण	यदि समेकन किसी क्षेत्र के तहत किया गया है तो उसका विवरण दें
प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों में सहबद्ध संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन संबंधी लेखांकन मानक - 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक में बैंक का निवेश पूंजी पर्याप्तता उद्देश्य के लिए जोखिम भारित है
केरल ग्रामीण बैंक (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणियों में संबद्धों में निवेश के लिए लेखांकन पर लेखांकन मानक - 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	केरल ग्रामीण बैंक में बैंक का निवेश पूंजी पर्याप्तता उद्देश्य के लिए जोखिम भारित है

Name of the entity / (Country of Incorporation)	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Pragathi Krishna Gramin Bank (India)	Yes	As per Accounting Standard -23 on Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements	No	N.A	N.A	Bank's investment in Pragathi Krishna Gramin Bank, has been Risk weighted for capital adequacy purposes
Kerala Gramin Bank (India)	Yes	As per Accounting Standard -23 on Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements	No	N.A	N.A	Bank's investment in Kerala Gramin Bank, has been Risk weighted for capital adequacy purposes

ख. उन समूह इकाईयों की सूची जिन्हें समेकन के लिए लेखांकन और समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र दोनों में नहीं रखा है।

ऐसे कोई समूह इकाई नहीं हैं जिन्हें समेकन के लिए लेखांकन और समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र दोनों में नहीं रखा है।

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no entities in the group which are not considered for consolidation under both accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

(ii) मात्रात्मक प्रकटन

ग. समेकन के लिए समूह इकाईयों की सूची

इकाई का नाम / निगमित देश (जैसे ऊपर (क) में दर्शाया गया है)	इकाई की मुख्य गतिविधि	31 मार्च 2017 तक कुल तुलन पत्र इक्विटी (₹ मिलियन में)	31 मार्च 2017 तक कुल तुलन पत्र आस्तियां (₹ मिलियन में)
केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि. (भारत)	कारोबार के विस्तारण / स्टार्ट-अप हेतु इक्विटी समर्थन	2.50 मि.	383.44 मि.
केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (भारत)	फैक्टरिंग के कारोबार में लगे हैं	200.00 मि.	6995.69 मि.
केनरा रोबेक्को आस्ति प्रबंधन कंपनी लि. (भारत)	म्युचुअल फंड के आस्तियों का प्रबन्धन	498.54 मि.	1586.25 मि.
केनरा बैंक सेक्यूरिटीज़ लि. (भारत)	स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं व ऑनलाइन व्यापार उपलब्ध कराने का कारोबार	400.00 मि.	1406.30 मि.
केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेस लि. (भारत)	पोर्टफोलियो प्रबन्धन व लीज वित्त में लिप्त परंतु इसकी मालियत पूर्ण रूप से खत्म हो गई है और वर्तमान में यह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की किसी गतिविधियों में नहीं लगा है	300.00 मि.	305.44 मि.
कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को (रूस)	बैंकिंग	2377.86 मि. (36.67 मिलियन यूएसडी)	7198.87 मि. (111.01 मिलियन यूएसडी)
केनरा बैंक (तंजानिया) लिमिटेड दार-एस-सलाम तंजानिया	बैंकिंग	954.66 मि. (14.72 मिलियन यूएसडी)	1583.77 मि. (24.42 मिलियन यूएसडी)

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / Country of Incorporation (as indicated in (a) above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity as on 31st March 2017 Amount (₹ in Millions)	Total balance sheet assets as on 31st March 2017 Amount (₹ in Millions)
Canbank Venture Capital Fund Ltd. (India)	Equity support for Expansion/ Start up of Business.	2.50 Mn	383.44 Mn
Canbank Factors Ltd. (India)	Engaged in the business of Factoring	200.00 Mn	6995.69 Mn
Canara Robeco Asset Management Company Ltd. (India)	Managing assets of Mutual Fund	498.54 Mn	1586.25 Mn
Canara Bank Securities Ltd. (India)	Business of Providing Stock Broking services and online trading.	400.00 Mn	1406.30 Mn
Canbank Financial Services Ltd. (India)	Engaged in Portfolio Management and lease Finance but Its net-worth is totally eroded and currently it is not engaged in any of the activities of a non-banking financial company	300.00 Mn	305.44 Mn
Commercial Indo Bank LLC., Moscow (Russia)	Banking	2377.86 Mn (36.67 Mn USD)	7198.87 Mn (111.01 Mn USD)
Canara Bank (Tanzania) Ltd. Dar-es-salaam Tanzania.	Banking	954.66 Mn (14.72 Mn USD)	1583.77 Mn (24.42 Mn USD)

घ) समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं की गई अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि यथा जिन्हें जिनकी कटौती की गई है

यथा मार्च 31, 2017 तक बैंक की अनुषंगियों में कोई पूंजी कमी नहीं है जिसे समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं किया है

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no capital deficiency in the subsidiaries of the Bank which are not included in the regulatory scope of consolidation as on March 31, 2017.

ड.) बीमा निकायों में बैंक के कुल हितों की कुल राशि (उदाहरण: चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारत है

बीमा इकाईयों / निगमित देश का नाम	इकाई की मुख्य गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी राशि (वैध इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में दिए अनुसार) (₹ मिलियन में)	कुल इकाई/ मतदान अधिकार के अनुपात में बैंक की धारिता का %	जोखिम भारत पद्धति बनाम पूर्ण कटौती पद्धति का इस्तेमाल करने से विनियम पूंजी पर पडने वाला परिमाणात्मक प्रभाव
केनरा एच एस बी सी ओ बी सी जीवन बीमा कंपनी लि. (इंडिया)	बीमा कारोबार	₹ 9,500 मि.	51%	सीआरएआर पर 9 बीपीएस सकारात्मक प्रभाव

च) बैंकिंग समूह में निधियों या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं:

बैंकिंग समूह में निधियों या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं नहीं हैं

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities/ Country of Incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) Amount (₹ in Millions)	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd. (India)	Insurance Business	₹ 9,500 Mn	51%	9 bps positive impact on CRAR

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

There is no restriction or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group.

सारणी डीएफ – 2: पूंजी पर्याप्तता

(i) गुणात्मक प्रकटन

पूंजी आयोजन प्रक्रिया में, बैंक ने निम्न समीक्षा की है :

- बैंक की वर्तमान पूंजी आवश्यकता
- कारोबार रणनीति व जोखिम क्षुधा अनुसार लक्षित और टिकाऊ पूंजी

पूंजी आवश्यकता व पूंजी इष्टतमीकरण की सावधिक रूप से पूंजी आयोजन समिति द्वारा निगरानी की जा रही है जिसमें कि उच्चतम कार्यपालक हैं। आगे, पूंजी आयोजना की निगरानी प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशक व दो स्वतंत्र निदेशकों वाले बोर्ड स्तर पर होगी। अग्रिमों, निवेशों व सहायक / संयुक्त उद्यमों के निवेशों, आदि में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पूंजी आवश्यकता को तिमाही आधार पर प्रोजेक्ट किया गया है। आईसीएएपी व बैंक के विज्ञान दस्तावेजों में प्रगणित दीर्घावधि लक्ष्यों के अनुसार पूंजी इष्टतमीकरण हेतु परिस्थिति विश्लेषण को विधिवत ध्यान में रखते हुए पूंजी संरचना के संरेखण और कारोबार वृद्धि के अनुसार पूंजी संवर्धित करने के लिये उपलब्ध विभिन्न विकल्पों को समिति विचारार्थ लेती है।

बावजूद इसके कि बैंक ने साख जोखिम का मानकीकृत दृष्टिकोण कार्यान्वित किया है, बैंक ने साख जोखिम हेतु पूंजी प्रभार की संगणना के लिये आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) दृष्टिकोण को अपनाते हेतु भा.रि.बै. को आशय पत्र (एलओआई) दिनांकित 30.09.2012 प्रेषित किया है।

आईआरबी दृष्टिकोण के कार्यान्वयन हेतु किये गये प्रमुख पहल निम्नवत हैं:

- बैंक ने कॉर्पोरेट आस्तियों और खुदरा आस्तियों हेतु पीडी व एलजीडी की संगणना हेतु कार्यप्रणाली स्थापित की है।
- बाह्य रेटिंग एजेंसी ग्रेड के साथ आंतरिक ग्रेड की मैपिंग: बैंक ने बाह्य रेटिंग एजेंसी ग्रेड के साथ अपनी आंतरिक रेटिंग ग्रेड को मैप किया है। इस अभ्यास से रेटिंग गुणवत्ता की स्थिति ज्ञात कर पाने में मदद मिलेगी।

TABLE DF – 2: CAPITAL ADEQUACY

(i) Qualitative Disclosures

In Capital Planning process the Bank reviews:

- Current capital requirement of the Bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.

Capital need and capital optimization are monitored periodically by the Capital Planning Committee comprising Top Executives. Further the committee is being monitored at Board level, with members of the Board in the committee comprising of Managing Director & CEO, Executive Directors and two independent Directors. Capital requirement is projected quarterly considering the expected growth in advances, investments and investments in Subsidiaries / Joint Ventures, etc. Committee takes into consideration various options available for capital augmentation in tune with business growth and realignment of Capital structure, duly undertaking the scenario analysis for capital optimization in tune with its long term goals enumerated in ICAAP and Vision documents of the Bank.

Though the bank has implemented the Standardized Approach of credit risk, Bank has sent Letter of Intent (LOI) dated 30.09.2012 to RBI for adoption of Internal Rating Based (IRB) Approach for computation of capital charge for Credit Risk.

Major Initiatives taken for implementation of IRB approach are as under:

- Bank has put in place a methodology for computation of PD and LGD for Corporate Assets and Retail Assets.
- Mapping of internal grades with that of external rating agencies grades: Bank has mapped its internal rating grades with that of external rating agencies grades. This exercise will help to know the status of rating quality.

मात्रात्मक प्रकटन

क्रमांक	मद	राशि (₹ मिलियन में)	
		31.03.2017	31.03.2016
(क)	ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता		
	• मानक दृष्टिकोण के अधीन संविभाग	296,438.20	274,173.83
	• प्रतिभूतिकरण प्रकटन	0.00	0.00
(ख)	बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता		
	• मानक अवधि दृष्टिकोण		
	– ब्याज दर जोखिम	16,810.51	18,209.50
	– विदेश विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	69.20	65.00
	– इक्विटी जोखिम	10267.17	7,859.10
(ग)	परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं		
	• मूल सूचक दृष्टिकोण	25,798.50	22,288.23
(घ)	सामान्य इक्विटी टीयर 1, टीयर 1 और कुल पूंजी		
	• समूह		
	– सीईटी 1 पूंजी	307,928.46	276,979.47
	– टीयर 1 पूंजी	336,924.58	297,849.65
	– टीयर 2 पूंजी	104,778.05	76,594.88
	– कुल पूंजी	441,702.63	374,444.53
	• स्टैंड अलोन (मुख्य बैंक)		
	– सीईटी 1 पूंजी	302,256.87	273,078.70
	– टीयर 1 पूंजी	331,221.16	293,715.04
	– टीयर 2 पूंजी	104,722.68	76,333.89
	– कुल पूंजी	435,943.84	370,048.93
(ड)	सामान्य इक्विटी टीयर 1, टीयर 1 और कुल पूंजी अनुपात		
	• समूह सीआरएआर		
	– सीईटी 1 अनुपात	9.03%	8.26%
	– टीयर 1 अनुपात	9.88%	8.89%
	– टीयर 2 अनुपात	3.08%	2.29%
	– सी आर ए आर	12.96%	11.17%
	• स्टैंड अलोन (मुख्य बैंक) सी आर ए आर		
	– सीईटी 1 अनुपात	8.92%	8.18%
	– टीयर 1 अनुपात	9.77%	8.80%
	– टीयर 2 अनुपात	3.09%	2.28%
	– सी आर ए आर	12.86%	11.08%

Quantitative disclosures

Sl No	Items	Amount (₹ in Millions)	
		31.03.2017	31.03.2016
(b)	Capital requirements for Credit Risk		
	• Portfolios subject to Standardized Approach	296,438.20	274,173.83
	• Securitization Exposures	0.00	0.00
(c)	Capital requirements for Market Risk		
	• Standardized Duration Approach		
	- Interest Rate Risk	16,810.51	18,209.50
	- Foreign Exchange Risk (including Gold)	69.20	65.00
	- Equity Risk	10267.17	7,859.10
(d)	Capital requirements for Operational Risk		
	• Basic Indicator Approach	25,798.50	22,288.23
(e)	Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital		
	• Group		
	- CET 1 Capital	307,928.46	276,979.47
	- Tier 1 Capital	336,924.58	297,849.65
	- Tier 2 Capital	104,778.05	76,594.88
	- Total Capital	441,702.63	374,444.53
	• Stand alone (Parent Bank)		
	- CET 1 Capital	302,256.87	273,078.70
	- Tier 1 Capital	331,221.16	293,715.04
	- Tier 2 Capital	104,722.68	76,333.89
	- Total Capital	435,943.84	370,048.93
(f)	Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios:		
	• Group CRAR		
	- CET 1 Ratio	9.03%	8.26%
	- Tier 1 Ratio	9.88%	8.89%
	- Tier 2 Ratio	3.08%	2.29%
	- CRAR	12.96%	11.17%
	• Stand alone (Parent Bank) CRAR		
	- CET 1 Ratio	8.92%	8.18%
	- Tier 1 Ratio	9.77%	8.80%
	- Tier 2 Ratio	3.09%	2.28%
	- CRAR	12.86%	11.08%

प्रकटन प्रपत्र तालिका-3: ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटन

(i) गुणात्मक प्रकटन

बैंक की नीति सभी साख जोखिम संबंधित पहलुओं को शासित करती है। सीआरएम नीति बैंक में साख जोखिम प्रबन्धन के मूल सिद्धांतों, मानकों एवं दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। सक्रिय रूप से साख जोखिमों को प्रबन्धित करने हेतु, संसाधनों को संवृद्ध करने हेतु एवं बैंक को प्रतिकूल साख स्थितियों में सुरक्षित करने हेतु यह प्रणाली, प्रक्रिया, नियंत्रण व उपायों को संस्थापित करती है। साख सीमा के अनुमोदन हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होगा।

बैंक की नीति जोखिम व रिटर्न के बीच मध्यम जोखिम लेने की क्षमता व स्वस्थ संतुलन रखती है। स्वीकार्य मानदंडों के अन्दर शेर धारक हेतु मूल्य को संवर्धित करना और विनियामक प्राधिकरण, जमाकर्ता व अन्य शेरधारकों की आवश्यकताओं को उपयुक्त रूप से देखना प्राथमिक जोखिम प्रबन्धन उद्देश्य हैं। बैंक के जोखिम प्रबन्धन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनियामक व वैध आवश्यकताओं सहित अनुपालन, जोखिम व रिटर्न में संतुलन प्राप्त करना, जोखिम कार्यों के स्वायत्ता सुनिश्चित करना तथा जोखिम प्रबन्धन व कारोबार उद्देश्यों को एक पंक्ति में लाना समाहित है। कॉर्पोरेट मूल्यों, व्यवहार, दक्षताओं, कारोबार आसूचना उपकरण का नियोजन, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग व आकस्मिक योजना सहित मजबूत संगठनात्मक संस्कृति व ध्वनि संचालन प्रक्रियाओं द्वारा बैंक की साख जोखिम प्रबन्धन प्रक्रिया संचालित होती है।

बैंक के साख जोखिम प्रबन्धन का सम्यक उद्देश्य निम्न:

- साख वृद्धि सुनिश्चित करें, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों ही, जो कि जोखिम के इष्टतम विसर्जन के साथ क्षेत्रवार संतुलित व विविधतापूर्ण होगा तथा प्रभावी रूप से पूंजी प्रयुक्त करने के द्वारा साख वृद्धि हेतु भी प्रयास करें।
- जोखिम व पोर्टफोलियो पर विनियामक विवेकपूर्ण मानदंडों की अनुपालनता सुनिश्चित करें।
- साख जोखिम में विभिन्न जोखिमों की उपयुक्त रूप से मूल्यवर्ग निर्धारण करें।
- पहचान, मापना, निगरानी व नियंत्रण को शामिल करते हुए जोखिम प्रबन्धन के एकीकृत प्रणाली का भाग बनाये।

TABLE DF – 3: CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES

(i) Qualitative Disclosures

Bank's policy governs all credit risk related aspects. CRM Policy outlines the principles, standards and approach for credit risk management at the Bank. It establishes systems, procedures, controls and measures to actively manage the credit risks, optimize resources and protect the bank against adverse credit situations. The Delegation of Power for approval of credit limits is approved by Board of Directors.

The Bank's policies assume moderate risk appetite and healthy balance between risk and return. The primary risk management goals are to maximize value for shareholders within acceptable parameters and adequately addressing the requirements of regulatory authorities, depositors and other stakeholders. The guiding principles in risk management of the Bank comprise of Compliance with regulatory and legal requirements, achieving a balance between risk and return, ensuring independence of risk functions, and aligning risk management and business objectives. The Credit Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, employment of business intelligence tools, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning.

The overall objectives of Bank's Credit Risk Management are to:

- Ensure credit growth, both qualitatively and quantitatively that would be sectorally balanced, diversified with optimum dispersal of risk and also strive towards credit growth with usage of capital efficiently.
- Ensure adherence to regulatory prudential norms on exposures and portfolios.
- Adequately pricing various risks in the credit exposure.
- Form part of an integrated system of risk management encompassing identification, measurement, monitoring and control.

रणनीति व प्रक्रियाएं:

साख जोखिम प्रबन्धन के उपरोक्त उद्देश्यों को एहसास करने के क्रम में बैंक साख जोखिम पहचान, मापने, ग्रेडिंग व समकेन तकनीक, निगरानी व रिपोर्टिंग, जोखिम नियंत्रण / शमन तकनीकों और समस्यामूलक ऋण / साख के प्रबन्धन हेतु बैंक विभिन्न पद्धतियां निर्धारित करता है। बैंक ने लक्ष्य बाजार, जोखिम स्वीकार्य मानदंड, साख मंजूरी प्राधिकरण व साख व्युत्पत्ति / अनुरक्षण प्रक्रिया पर के दिशानिर्देशों के को भी परिभाषित किया है।

साख जोखिम शमन हेतु विभिन्न उपायों को ध्यान में रखते हुवे रणनीति बनाई गई है, जिसमें कि महत्ववाले क्षेत्र व लक्ष्य बाजार की पहचान, विनियामक के दिशानिर्देशों के व बैंक के जोखिम क्षुधा पर आधारित जोखिम सीमा तय करना, एकाग्रता जोखिम को न्यूनतम करना और रेटिंग पर आधारित मूल्यवर्ग तय करना शामिल है।

बैंक समय-समय पर ऋण देने हेतु संभाव्य व उत्पादन क्षेत्रों की पहचान करेगा जो कि खंड के निष्पादन व अर्थव्यवस्था के मांगों पर निर्भर होगा। मौजूदा अर्थव्यवस्था परिदृश्य, आदि पर आधारित बैंक के औद्योगिक / क्षेत्र के मूल्यांकन के आधार पर बैंक उन क्षेत्रों में अपने जोखिम को प्रतिबन्धित करेगा जिसमें कि वृद्धि संभाव्य नहीं है।

साख से संबंधित बैंक के परिचालन प्रक्रियाएं व प्रणाली सही साख जोखिम प्रबन्धन सिद्धांतों पर तैयार किये जायेंगे और सावधिक समीक्षा के विषयक होंगे।

साख प्रस्तावों पर यथोचित विवेक के भाग के रूप में बैंक के पास विस्तृत साख जोखिम पहचान प्रक्रियाएं हैं।

साख जोखिम प्रबन्धन कार्य की संरचना व संगठन: बैंक में साख जोखिम प्रबन्धन संरचना निम्न है:-

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति (आरएमसीबी)
- साख जोखिम प्रबन्धन समिति (सीआरएमसी)
- मॉडल समीक्षा तकनीकी कार्यकारी समूह (एमआरटीडब्ल्यूजी)
- महा प्रबन्धक – जोखिम प्रबन्धन विभाग, प्र.का. (समूह मुख्य जोखिम अधिकारी)
- उप महा प्रबन्धक (I व II), जोखिम प्रबन्धन विभाग
- साख जोखिम प्रबन्धन प्रभाग में साख नीति अनुभाग, साख सांख्यिकी अनुभाग व साख जोखिम प्रबन्धन अनुभाग समाहित हैं। साख जोखिम प्रबन्धन अनुभाग के तीन कार्यकारी डेस्क

Strategies and processes:

In order to realize the above objectives of Credit Risk Management, the Bank prescribes various methods for Credit Risk identification, measurement, grading and aggregation techniques, monitoring and reporting, risk control / mitigation techniques and management of problem loans / credits. The Bank has also defined target markets, risk acceptance criteria, credit approval authorities, and guidelines on credit origination/maintenance procedures.

The strategies are framed keeping in view various measures for Credit Risk Mitigation, which includes identification of thrust areas and target markets, fixing of exposure ceiling based on regulatory guidelines and risk appetite of the Bank, Minimizing Concentration Risk, and pricing based on rating.

Bank from time to time would identify the potential and productive sectors for lending, based on the performance of the segments and demands of the economy. The Bank restricts its exposures in sectors which do not have growth potentials, based on the Bank's evaluation of industries / sectors based on the prevailing economic scenario prospects, etc.

The operational processes and systems of the Bank relating to credit are framed on sound Credit Risk Management Principles and are subjected to periodical review.

The Bank has comprehensive credit risk identification processes as part of due diligence on credit proposals.

The structure and organization of the Credit Risk Management Function: Credit Risk Management Structure in the Bank is as under:-

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- Model Review Technical Working Group (MRTWG)
- General Manager-Risk Management Wing, H.O (Group Chief Risk Officer)
- Deputy General Manager (I&II), Risk Management Wing
- Credit Risk Management Department comprising of Credit Policy Section, Credit Analysis Cell and Credit Risk Management Section. The Credit Risk Management Section has three functional

हैं, साख जोखिम प्रबन्धन डेस्क, साख जोखिम रेटिंग डेस्क व औद्योगिक अनुसन्धान डेस्क ।

viii. मॉडल विकास दल

xi. मॉडल वैधता दल (एमवीटी)

x. अंचल कार्यालयों पर जोखिम प्रबन्धन व साख समीक्षा अनुभाग ।

जोखिम रिपोर्टिंग और / या माप प्रणाली का स्कोप और प्रकृति:

बैंक की उपयुक्त साख जोखिम माप व निगरानी प्रक्रिया है । जोखिम का माप, साख जोखिम रेटिंग के पूर्व-मंजूरी अभ्यास व बैंक द्वारा स्थान पर रखे गये स्कोरिंग मॉडल के माध्यम से है । इन हर एक जोखिम जो कि भारत स्कोर को निर्दिष्ट करने के अलावा और उन्हें स्केल । से VII पर रेटिंग करने के तहत मानदंडों की पहचान हेतु बैंक की एक अलग से जोखिम रेटिंग नीति है । ग्रेड VIII या उच्चतम जोखिम ग्रेड III को डिफॉल्ट ग्रेड कहते हैं । पूंजी संगणना व साथ ही मूल्य निर्धारण उद्देश्यों हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण पर भारिबै के के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र साख जोखिम के लिये जोखिम भारितों को निर्धारित करने हेतु मान्यताप्राप्त ईसीएआई (बाह्य साख मूल्यांकन संस्थान) द्वारा दिये गये रेटिंग के प्रयोग / मैपिंग के के दिशानिर्देशों के पर भी जोखिम रेटिंग नीति जोर देती है ।

साख जोखिम माप हेतु संपूर्ण साख पोर्टफोलियो के लिये बैंक ने 'मानकीकृत दृष्टिकोण' अपनाया है । बैंक आईआरबी दृष्टिकोण की ओर बढ़ने हेतु प्रयास कर रहा है और इस संबंध में सभी आवश्यक कोशिशों की जा रही हैं ।

बैंक ने सभी एमआईएस आवश्यकताओं, जोखिम भारित आस्तियों की संगणना (आरडब्ल्यूए), एक्सपोजर व निगरानी की समीक्षा हेतु विभिन्न साख संबंधित रिपोर्टों को उत्पन्न करने, और विभिन्न कोणों से साख पोर्टफोलियो के विश्लेषण करने हेतु एक रोबस्ट साख डेटा वेयरहाउस स्थापित करने के लिये प्रणाली समर्थन प्राप्त करने हेतु सॉफ्टवेयर साल्यूशन शुरू किया है ।

प्रतिरक्षा / शमन की जारी प्रभाविकता की निगरानी हेतु जोखिम व रणनीति व प्रक्रिया के प्रतिरक्षा और / या शमन के लिये नीति:

बैंक प्राथमिक रूप से साख अनुमोदित करते समय उधारकर्ता के वित्तीय शक्ति व कर्ज सर्विसिंग क्षमता पर निर्भर करता है । बैंक चुकौती के स्रोत के रूप में या उधारकर्ता की उधार पात्रता को मूल्यांकित करने हेतु एक विकल्प के रूप में अधिकतम संपार्श्विक या गारंटी पर निर्भर नहीं होता। पर्याप्त संपार्श्विक की आवश्यकता के कारण मात्र बैंक उन साख पात्र को साख सुविधा प्रदान करने में मना नहीं करता ।

बैंक के साख जोखिम एक्सपोजर को प्रबन्धित करने के क्रम में बैंक ने अन्य कार्यकारी विभागों के साथ परामर्श में प्रधान कार्यालय पर जोखिम प्रबन्धन विभाग द्वारा किये जाने वाले समीक्षा व अद्यतन साख

desks, the Credit Risk Management Desk, Credit Risk Rating Desk and Industry Research Desk.

viii. Model Development Team

ix. Model Validation Team (MVT)

x. Risk Management & Credit Review Section at Circle Offices.

The scope and nature of risk reporting and / or measurement systems:

Bank has an appropriate credit risk measurement and monitoring processes. The measurement of risk is through a pre-sanction exercise of credit risk rating and scoring models put in place by the Bank. The Bank has a separate Risk Rating Policy for identifying the parameters under each of these risks as also assigning weighted scores thereto and rating them on a scale of I to VII. Grade VIII or High Risk Grade III is termed as default grade. The risk rating policy also entails the guidelines on usage/mapping of ratings assigned by the recognized ECAs (External Credit Assessment Institutions) for assigning risk weights for the eligible credit exposures as per the guidelines of the RBI on standardized approach for capital computation and also for pricing purposes.

The Bank has adopted 'Standardized Approach' for entire credit portfolio for credit risk measurement. The bank is endeavouring to move towards IRB approaches and made all necessary efforts in this regard.

The Bank has embarked upon implementation of a software solution to get system support for establishing a robust credit data warehouse for all MIS requirements, computation of Risk Weighted Assets (RWA), generate various credit related reports for review of exposure and monitoring, and conducting analysis of credit portfolio from various angles.

Policies for hedging and / or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges / mitigants:

Bank primarily relies on the borrower's financial strength and debt servicing capacity while approving credits. Bank does not excessively rely on collaterals or guarantees as a source of repayment or as a substitute for evaluating borrower's creditworthiness. The Bank does not deny credit facilities to those assessed as credit worthy for mere want of adequate collaterals.

In order to manage the Bank's credit risk exposure, the Bank has adopted credit appraisal and approval policies and procedures that are reviewed and updated by the

मूल्यांकन व मंजूर नीतियों को अपना लिया है। साख मूल्यांकन व मंजूरी प्रक्रिया विस्तृत रूप से क्रेडिट व्युत्पत्ति, मूल्यांकन, निर्धारण, व मंजूरी और वितरण में विभाजित है।

कॉर्पोरेट वित्त व परियोजना वित्त ऋण आम तौर पर अचल संपत्तियों, सामान्यतः संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर एक पहली ग्रहणाधिकार द्वारा सुरक्षित है। विक्रेय प्रतिभूति जैसी वित्तीय आस्ति के गिरवी की प्रतिभूति भी बैंक रखता है और जहाँ भी उपयुक्त हो कॉर्पोरेट गारंटी व व्यक्तिगत गारंटी प्राप्त करता है। वर्तमान आस्ति के पहले ग्रहणाधिकार द्वारा कार्यकारी पूंजी ऋण सुरक्षित रखा जाता है जिसमें कि सामान्यतः सूची और प्राप्तियां शामिल हैं।

संपार्श्विक पर बैंक के प्रभार की वैधता सुनिश्चित करने हेतु दस्तावेजीकरण पर बैंक ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये हैं।

उस उद्योग के विकास व लाभार्जन और बैंक के जोखिम क्षुधा के परिदृश्य में विशिष्ट उद्योग / क्षेत्र में पोर्टफोलियो विविधता व संपूर्ण एक्सपोजर सुनिश्चित करना बैंक की नीति है। बैंक अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के एक्सपोजर की निगरानी करता है और खासकर विभिन्न उद्योगों व संवेदनशील क्षेत्रों के एक्सपोजर की। औद्योगिक गतिविधियों का एक्सपोजर उद्योग के कार्यनिष्पादन के विश्लेषण पर आधारित बैंक द्वारा तय साख एक्सपोजर सीमा के विषयक है। बैंक की एकल व समूह उधारकर्ताओं के एक्सपोजर के साथ-साथ पर्याप्त एक्सपोजर भी उधारकर्ता के जोखिम रेटिंग अनुसार तय हिता है तथा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सुझावित विवेकपूर्ण सीमा मानदंडों के अंदर एक्सपोजर स्तर को संभालने के क्रम में सावधिक तौर पर निगरानी की जाती है।

साख व्युत्पत्ति शाखा के निवल कार्य व अंचल कार्यालय द्वारा किये गये सहयोग से आरंभिक स्तर पर किया जाता है। पहचान, आवेदन की प्रक्रिया गहरी मूल्यांकन, यथोचित विवेक व आकलन शुरू करने से पहले किया जाता है।

साख अनुमोदन प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण घटक है और एक पूर्व-मंजूरी अभ्यास के रूप में उधारकर्ता के अनिवार्य साख जोखिम रेटिंग के साथ शुरू होता है। उधारकर्ता से संबंधित साख जोखिम का माप, सूचक घटकों को मूल्यांकित करता है यथा, उधारकर्ता की आर्थिक स्थिति, नकद प्रवाह, गतिविधि, वर्तमान बाजार प्रचलन, भूतपूर्व प्रचलन, प्रबन्धन सक्षमता, संबद्ध कारोबार इकाईयों के साथ अनुभव, सुविधा की प्रकृति, आदि। उधारकर्ता के आंतरिक जोखिम रेटिंग वर्ग पर आधारित विभिन्न प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित साख अनुमोदन शक्तियां पहले से ही स्थान पर हैं। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना अनुसार, बैंक ने प्रधान कार्यालय व अंचल कार्यालय स्तर पर साख अनुमोदन समिति का गठन किया है। प्रशासनिक इकाईयों पर सभी मंजूरी प्राधिकारियों के साख अनुमोदन शक्तियों (यथा, शाखा शक्ति के अलावा) को वापस

Risk Management Wing at Head office in consultation with other functional wings. The credit appraisal and approval process is broadly divided into credit origination, appraisal, assessment and approval, and dispensation.

Corporate finance and project finance loans are typically secured by a first lien on fixed assets, normally consisting of property, plant and equipment. The Bank also takes security of pledge of financial assets like marketable securities and obtains corporate guarantees and personal guarantees wherever appropriate. Working Capital loans are typically secured by a first lien on current assets, which normally consist of inventory and receivables.

Bank has laid down detailed guidelines on documentation to ensure legal certainty of Bank's charge on collaterals.

The Bank's policy is to ensure portfolio diversification and evaluate overall exposure in a particular industry / sector in the light of forecasts of growth and profitability for that industry, and the risk appetite of the Bank. The Bank monitors exposures to major sectors of the economy and specifically exposure to various industries and sensitive sectors. Exposure to industrial activities is subjected to the credit exposure ceilings fixed by the Bank based on the analysis on performance of the industry. The Bank's exposures to single and group borrowers as also substantial exposure is fixed as per the risk rating of the borrowers and monitored periodically in order to keep the exposure level within the prudential ceiling norms advised by Reserve Bank of India from time to time.

The credit origination is through the grass root level ably assisted by the branch net work and Circle Offices. The process of identification, application is carried out before commencing an in depth appraisal, due diligence and assessment.

The credit approval process is a critical factor and commences with the mandatory credit risk rating of the borrower as a pre sanction exercise. The measurement of Credit Risk associated with the borrower evaluates indicative factors like; borrowers' financial position, cash flows, activity, current market trends, past trends, management capabilities, experience with associated business entities, nature of facilities etc. The credit sanctioning powers delegated to the various authorities based on internal risk rating categories of the borrower already put in place. In terms of the Ministry of Finance notifications, Bank has set up Credit Approval Committees at HO, Circle and Regional Office levels. The credit sanctioning powers of all the sanctioning authorities at administrative units (i.e., besides branch

ले लिया गया है तथा साख मंजूरी हेतु समिति के दृष्टिकोण को स्थान पर रख दिया गया है। चयनित शहरों में साख संवितरण टर्नएराउंड समय को आसान करने हेतु व विशेष ध्यान सुनिश्चित करने हेतु बैंक ने विशेषीकृत शाखाओं यथा, केंद्रीकृत प्रसंस्करण इकाइयां (सीपीयू), खुदरा आस्ति हब (आरएएच), व एसएमई सुलभ, को सही स्थान पर रख दिया है।

नियंत्रण उपायों को संवर्धित करने हेतु एक अलग से साख प्रशासन व निगरानी विभाग को गठित किया गया है ताकि विशिष्ट ऋण समीक्षा की जा सके, समस्या खातों, क्रेडिट ऑडिट, आदि की निगरानी की जा सके। यह ऋण के पोस्ट मंजूरी निगरानी पर अधिक जोर को सुनिश्चित करता है और ऋण समीक्षा तंत्र पर बैंक की नीतियों के तहत उपलब्ध विभिन्न उपकरणों के प्रबंध को मजबूत करता है।

प्रभावी ऋण समीक्षा हेतु, बैंक ने निम्नलिखित को स्थापित किया है :

- मंजूर नियम व शर्तों के अनुपालन हेतु पूर्व-जारी लेखापरीक्षा प्रणाली, संवितरण से पहले प्रतिभूतियों की पूर्णता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित संपार्श्विक प्रतिभूतियों की पावती आदि
- गैर-अनुपालनता की घटनाओं को पहचानने हेतु, विश्लेषित करने हेतु एवं '5 करोड़ की साख सीमा के साथ मंजूर सभी प्रकार की साख सुविधाओं के लिये सुधार हेतु साख लेखापरीक्षा प्रणाली
- अगले उच्चतम प्राधिकारी द्वारा हर एक मंजूरी प्राधिकारी द्वारा मंजूर ऋण की समीक्षा।
- एक्सपोजर के एक विशेष स्तर से परे उधारकर्ता खाते की मध्यावधि समीक्षा।
- विभिन्न स्तरों पर विशेष उल्लिखित खातों (एसएमए) की निगरानी, संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) का गठन व समय-पूर्व सुधार या पुनर्संरचना हेतु संघीय / जेएलए खातों के मामले में सुधारात्मक कार्यवाही योजना (कैप) की संगणना
- उपकरण यथा, क्रेडिट निगरानी फॉर्मेट (वेब आधारित), तिमाही सूचना प्रणाली, अर्द्ध वार्षिक परिचालन प्रणाली, स्टॉक ऑडिट, विशेष वॉच सूची खातों, आदि की निगरानी
- शाखाओं पर निगरानी कार्य के प्रभारी साख निगरानी अधिकारी।
- जो इन समस्या खातों की पूर्व-पहचान, व्यवहार्य माने जाने वाले खातों का पुनर्संरचना और उधारदाताओं द्वारा वसूली या बिक्री हेतु त्वरित उपाय किये जाने जिससे कि बैंक में बन्द खाते शुरू हो जायें, को प्रोत्साहित करेंगे, ऐसी सुधारात्मक कार्यवाही की योजना की रूपरेखा तैयार करते हुए एक ढांचा विकसित किया गया है।

powers) are withdrawn and the committee approach for credit approval has been put in place. The Bank has in place specialized branches viz. Centralized Processing Units (CPUs), Retail Asset Hubs (RAHs) and SME Sulabhs at select cities to ease credit dispensation turnaround time and ensure specialized attention.

To enhance the control measures, a separate Credit Administration and Monitoring Wing is in place to undertake exclusive loan review, monitoring problem accounts, credit audit, etc. This ensures greater thrust on post sanction monitoring of loans and strengthen administering the various tools available under the Banks' policies on loan review mechanism.

For effective loan review, the Bank has the following in place:

- Pre-release Audit System for compliance to sanction terms and conditions, obtention of stipulated collateral securities ensuring perfection of securities before disbursement etc.
- Credit Audit System to identify, analyze instances of non-compliance and rectification for all types of credit facilities sanctioned with credit limit of ₹5 crore.
- Review of loan sanctioned by each sanctioning authority by the next higher authority.
- Mid Term Review of borrowal accounts beyond a certain level of exposure.
- Monitoring of Special Mention Accounts (SMA) at various levels. Formation of a Joint Lenders' Forum (JLF) and formulation of Corrective Action Plan (CAP) in the case of consortium/JLA accounts, for early rectification or restructuring
- Monitoring tools like Credit Monitoring Format (web-based), Quarterly Information Systems, Half Yearly Operation Systems, Stock Audits etc.
- Credit Monitoring Officers at branches in charge of monitoring functions.
- A framework has been developed outlining a corrective action plan that will incentivize early identification of problem account, timely restructuring of accounts which are considered to be viable and taking prompt steps by lenders for recovery or sale thereby revitalizing the distressed accounts in the Bank.

- बैंक ने पात्र खातों के समाधान सुविधा के लिये सामरिक कर्ज पुनर्संरचना (एसडीआर) और दबावग्रस्त आस्तियों के सतत संरचना (एस4ए) हेतु भी एक योजना स्थापित की है। आवश्यकतानुसार, जहाँ प्रमोटर द्वारा मामले में सहमति जताई गई है और व्यवहार्यता हासिल की गई है, तनावग्रस्त खातों को पुनर्जीवित करने और स्वामित्व में परिवर्तन शुरू करने के लिए बैंक की क्षमताओं को बढ़ाने में प्रवर्तकों के उच्च श्रेय से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सामरिक कर्ज पुनर्संरचना (एसडीआर) ढांचा की स्थापना की गई है। एस4ए, दबावग्रस्त उधारकर्ता हेतु सतत कर्ज स्तर की संगणना तथा अतिदेय कर्ज को सतत कर्ज व इक्विटी / क्वासी-इक्विटी लिखत, जो कि उधारकर्ता के पलटने पर बैंक को सहायता प्रदान करने हेतु अनुमानित है, में विभाजन प्रकल्पित करता है। भा.रि.बै. व आईबीए के दिशानिर्देशों के अनुसार योजना को पारदर्शी रूप से कार्यान्वित की गई है।
- Bank has also put in place the scheme for Strategic Debt Restructuring (SDR) and Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Asset (S4A) facilitate the resolution of eligible accounts. The Framework for Strategic Debt Restructuring (SDR) has put in place to address the issue of higher stake of promoters in reviving stressed accounts and enhance the bank's capabilities to initiate change of ownership, where necessary, in case agreed critical conditions and viability milestones are achieved by the promoter. The S4A envisages determination of the sustainable debt level for a stressed borrower, and bifurcation of the outstanding debt into sustainable debt and equity / quasi-equity instruments which are expected to provide upside to the bank when the borrower turns around. The scheme is implemented in transparent manner, as per the guidelines of the RBI & IBA.

अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की परिभाषा व वर्गीकरण:

बैंक मौजूदा भा.रि.बै. के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने अग्रिमों (अग्रिम की प्रवृत्ति में स्थापित ऋण व साख) को अर्जक व अनर्जक ऋण में वर्गीकृत करता है। अनर्जक आस्ति (एनपीए) वह ऋण या अग्रिम है, जिसमें कि:

- सावधि ऋण के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रहने वाले मूल का ब्याज और / या किस्त।
- ओवरड्राफ्ट / नकद क्रेडिट (ओडी/सीसी) के संबंध में खाते 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहेंगे। एक खाते को 'आउट ऑफ ऑर्डर' माना जायेगा जब अतिदेय शेष लगातार मंजूर सीमा / आहरण शक्ति से 90 दिनों हेतु अधिकता में रहे। उस मामले में जहाँ प्राथमिक परिचालन खाते में अतिदेय शेष मंजूर सीमा / आहरण शक्ति से कम है, परंतु बैलेंस शीट की तिथि पर लगातार 90 दिनों हेतु कोई क्रेडिट नहीं है या उसी समय के दौरान डेबिट ब्याज को कवर करने हेतु क्रेडिट पर्याप्त नहीं है, उन खातों को 'आउट ऑफ ऑर्डर' के रूप में लिया जायेगा।
- खरीदी या रिययती बिल के मामले में 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिये बिल अतिदेय रहेगा।
- मूल का ब्याज और / या किस्त 2 फसल मौसम (अल्पावधि फसल के संबंध में) हेतु व 1 फसल मौसम (लंबी अवधि फसल के संबंध में) हेतु अतिदेय रहेगा।
- Interest and / or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan.
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC). An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period.
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of Bills Purchased and Discounted.
- The instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops, and for one crop season for long duration crops.

- प्रतिभूतिकरण दिनांकित 01.02.2006 पर के दिशानिर्देशों के अनुसार किये गये प्रतिभूतिकरण संव्यवहार के संबंध में 90 दिनों से अधिक हेतु अतिदेय रहे चलनिधि सुविधा की राशि
- व्युत्पन्नी संव्यवहार के संबंध में भुगतन हेतु निर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों की अवधि हेतु यदि ये शेष अप्रदत्त रहते हैं तो व्युत्पन्नी संविदा के सकारात्मक मार्क टू मार्केट वैल्यू का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिदेय प्राप्य ।

यदि बैंक द्वारा स्थायी तिथि पर इसे प्रदत्त नहीं किया जाता है तो किसी भी साख सुविधा के तहत बैंक को देय कोई भी राशि “अतिदेय” है । आस्ति वर्गीकरण को उधारकर्ता-वार किया गया है न कि सुविधा-वार । अन्य शब्दों में, जब उधारकर्ता की कोई विशिष्ट सुविधा अनर्जक होती है तो उधारकर्ता को बैंक द्वारा अनुमोदित सभी सुविधाएं एनपीए के रूप में वर्गीकृत होंगी ।

वसूली के रिकॉर्ड के बावजूद बैंक तब भी किसी उधारकर्ता के खाते को एनपीए के रूप में पहचानकृत करेगा जब वह उपरोक्त उल्लिखित मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा हो, जहाँ;

- उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण बारंबार पुनर्गठित हो रहा हो अन्यथा विनियामक द्वारा अनुमत हो ।
- उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत हो रहा हो ।
- परियोजना कार्यावित करने के उद्देश्य हेतु उधारकर्ता को विस्तारित ऋण के संबंध में भा.रि.बै. के दिशानिर्देशों के तहत अनुमत समय-सीमा के अन्दर परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन आरंभ न हुआ हो ।
- उधारकर्ता द्वारा जारी व बैंक द्वारा अनुरक्षित डिबेंचर / बॉन्ड / इक्विटी शेयर की प्रवृत्ति में कोई भी प्रतिभूति जो अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत हुई हो ।

समुद्रपारीय शाखाओं में अनुरक्षित ऋण हेतु एनपीए की पहचान गृह देश विनियमन (भा.रि.बै. दिशानिर्देश) या मेजबान देश विनियमन (समुद्रपारीय शाखा विनियामक के दिशानिर्देश), जो भी महत्वपूर्ण हो, के आधार पर होगी।

आगे, एनपीए भा.रि.बै. द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर उप-मानक, संदिग्ध व हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत हुए हैं । उप-मानक आस्ति वह है जो 12 माह की अवधि के समतुल्य या कम हेतु एनपीए के रूप में हो । आस्ति को संदिग्ध के रूप में तब वर्गीकृत किया जाएगा जब वह 12 माह से अधिक हेतु उप-मानक वर्ग में रहा हो । हानि आस्ति वह है जहाँ बैंक या आंतरिक या बाह्य लेखापरीक्षक द्वारा या भा.रि.बै. निरीक्षण के दौरान हानि के रूप में पहचानकृत हुआ हो परंतु राशि पूर्णतया अपलिखित नहीं हुई हो ।

- The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of securitisation transaction undertaken in terms of guidelines on securitisation dated February 1, 2006.
- In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contracts, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

Any amount due to Bank under any credit facility is ‘overdue’ if it is not paid on the due date fixed by the Bank. Assets classification has been made borrower-wise and not facility-wise. In other words, when a particular facility of a borrower has become non-performing, all the facilities granted by the Bank to the borrower will be classified as NPA.

Irrespective of record of recovery, the bank identifies a borrower account as a NPA even if it does not meet any of the above mention criteria, where:

- Loan availed by a borrower are repeatedly restructured unless otherwise permitted by regulations;
- Loans availed by a borrowers are classified as fraud;
- Project does not commence commercial operations within the timelines permitted under the RBI guidelines in respect of loans extended to a borrower for the purpose of implementing a project; and
- Any security in nature of debenture/bonds/equity shares issued by a borrower and held by the Bank is classified as non-performing investment.

For loans held at the overseas branches, identification of NPA is based on the home country regulations (RBI Guidelines) or the host country regulations (overseas branch regulator’s guidelines), whichever is more stringent.

Further, NPA are classified into sub-standard, doubtful and loss assets based on the criteria stipulated by RBI. A sub-standard asset is one, which has remained a NPA for a period less than or equal to twelve month. An asset is classified as doubtful if it has remained in the sub-standard category for more than 12 months. A loss asset is one where loss has been identified by the Bank or internal or external auditors or during RBI inspection but the amount has not been written off fully.

(ii) मात्रात्मक प्रकटन

(ख) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर:

राशि (₹ मिलियन में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
निधि आधारित एक्सपोजर	3,560,405.39	3,373,626.94
गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	831,891.52	66,252.48
कुल सकल ऋण एक्सपोजर	4,392,266.91	3,439,879.38

(ii) Quantitative Disclosures

(b) Total Gross Credit Risk Exposure:

Amount (₹ in Millions)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Fund Based Exposures	3,560,405.39	3,373,626.94
Non-fund Based Exposures	831,891.52	66,252.48
Total Gross Credit Exposures	4,392,266.91	3,439,879.38

ख. एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण:

एक्सपोजर	राशि (₹ मिलियन में)			
	निधि आधारित एक्सपोजर		गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
घरेलु परिचालन	3,284,561.92	3,152,722.61	775,277.71	654,450.61
समुद्रपारीय परिचालन	275,843.47	220,904.33	56,613.81	11,801.87
कुल	3,560,405.39	3,373,626.94	831,891.52	66,252.48

(c) Geographic Distribution of Exposures:

Exposures	Amount (₹ in Millions)			
	Fund Based Exposures		Non-fund Based Exposures	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
Domestic operations	3,284,561.92	3,152,722.61	775,277.71	654,450.61
Overseas operations	275,843.47	220,904.33	56,613.81	11,801.87
Total	3,560,405.39	3,373,626.94	831,891.52	66,252.48

(ग) एक्सपोज़र का उद्योग प्रकार संवितरण (वैश्विक)

राशि (₹ मिलियन में)

क्रमांक	उद्योग	निधि आधारित एक्सपोज़र		गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
1.1	खनन और उत्खनन	34,834.10	31,824.17	1,687.50	7,062.20
1.2	खाद्य संसाधन	142,961.00	107,385.40	5,835.70	4,039.50
	1.2.1 चीनी	19,381.90	22,324.10	1,344.70	606.50
	1.2.2 खाद्य तेल व वनस्पति	6,071.70	5,258.40	550.30	1,288.60
	1.2.3 चाय	1,552.50	1,426.70	0.10	30.30
	1.2.4 अन्य	115,954.90	78,376.20	3,940.60	2,114.10
1.3	पेय पदार्थ व तंबाकू	10,251.60	8,067.20	531.40	507.10
1.4	कपड़ा	213,260.80	156,209.28	16,491.70	23,102.40
	1.4.1 सूती कपड़ा	83,691.50	69,781.48	5,105.50	3,023.50
	1.4.2 पटसन का कपड़ा	3,204.20	2,570.30	213.00	333.70
	1.4.3 अन्य कपड़ा	126,365.10	83,857.50	11,173.20	19,745.20
1.5	चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	17,894.40	11,761.90	510.40	722.30
1.6	लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	8,736.10	7,461.60	1,675.60	869.30
1.7	कागज़ और कागज़ उत्पाद	27,926.30	27,560.80	2,120.30	2,883.50
1.8	पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन	56,311.40	51,160.70	68,428.20	32,522.00
1.9	रसायन और रसायन उत्पाद	55,520.40	55,383.30	12,180.90	5,647.60
	1.9.1 खाद	10,346.70	9,314.00	4,635.90	2,332.20
	1.9.2 औषधि और फार्मास्यूटिकल्स	20,637.20	20,302.60	3,234.90	1,339.70
	1.9.3 पेट्रो केमिकल	5,359.20	4,029.10	244.50	106.50
	1.9.4 अन्य	19,177.30	21,737.60	4,065.60	1,869.20
1.10	रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	20,482.09	19,372.40	2,326.70	2,860.10
1.11	कांच और कांच के बने सामान	1,686.50	1,683.80	27.10	22.20
1.12	सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	22,155.80	21,394.00	2,602.60	1,251.40
1.13	मूल धातु और धातु उत्पाद	258,672.98	212,777.29	55,386.80	48,044.80
	1.13.1 लौह और इस्पात	191,546.98	156,226.50	45,237.30	35,993.00
	1.13.2 अन्य धातु और धातु उत्पाद	67,126.00	56,550.79	10,149.50	12,051.80
1.14	सभी अभियांत्रिकी	97,039.10	85,755.80	117,766.50	157,408.50
	1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	10,166.70	10,091.60	7,138.80	11,761.00
	1.14.2 विद्युत	28,400.70	24,990.10	51,165.30	54,051.80
	1.14.3 अन्य	58,471.70	50,674.10	59,462.40	91,595.70
1.15	वाहन, वाहन के भाग और वाहन उपकरण	46,440.03	40,746.40	13,868.60	14,430.70
1.16	रत्न और आभूषण	42,493.80	16,956.80	3,981.70	12,138.70
1.17	निर्माण	77,494.50	67,964.50	109,261.90	72,760.10

(d) Industry Type Distribution of Exposures (Global):

Amount (₹ in Millions)

Sl No.	INDUSTRY	Fund Based Exposure		Non Fund Based exposure	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
1.1	Mining and Quarrying	34,834.10	31,824.17	1,687.50	7,062.20
1.2	Food Processing	142,961.00	107,385.40	5,835.70	4,039.50
	1.2.1 Sugar	19,381.90	22,324.10	1,344.70	606.50
	1.2.2 Edible Oils and Vanaspati	6,071.70	5,258.40	550.30	1,288.60
	1.2.3 Tea	1,552.50	1,426.70	0.10	30.30
	1.2.4 Others	115,954.90	78,376.20	3,940.60	2,114.10
1.3	Beverage & Tobacco	10,251.60	8,067.20	531.40	507.10
1.4	Textiles	213,260.80	156,209.28	16,491.70	23,102.40
	1.4.1 Cotton Textiles	83,691.50	69,781.48	5,105.50	3,023.50
	1.4.2 Jute Textiles	3,204.20	2,570.30	213.00	333.70
	1.4.3 Other Textiles	126,365.10	83,857.50	11,173.20	19,745.20
1.5	Leather & Leather Products	17,894.40	11,761.90	510.40	722.30
1.6	Wood and Wood Products	8,736.10	7,461.60	1,675.60	869.30
1.7	Paper & Paper Products	27,926.30	27,560.80	2,120.30	2,883.50
1.8	Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels	56,311.40	51,160.70	68,428.20	32,522.00
1.9	Chemicals and Chemical Products	55,520.40	55,383.30	12,180.90	5,647.60
	1.9.1 Fertilizer	10,346.70	9,314.00	4,635.90	2,332.20
	1.9.2 Drugs & Pharmaceuticals	20,637.20	20,302.60	3,234.90	1,339.70
	1.9.3 Petro Chemicals	5,359.20	4,029.10	244.50	106.50
	1.9.4 Others	19,177.30	21,737.60	4,065.60	1,869.20
1.10	Rubber, Plastic & their Products	20,482.09	19,372.40	2,326.70	2,860.10
1.11	Glass and Glassware	1,686.50	1,683.80	27.10	22.20
1.12	Cement and Cement Products	22,155.80	21,394.00	2,602.60	1,251.40
1.13	Basic Metal and Metal Products	258,672.98	212,777.29	55,386.80	48,044.80
	1.13.1 Iron and Steel	191,546.98	156,226.50	45,237.30	35,993.00
	1.13.2 Other Metal and Metal Products	67,126.00	56,550.79	10,149.50	12,051.80
1.14	All Engineering	97,039.10	85,755.80	117,766.50	157,408.50
	1.14.1 Electronics	10,166.70	10,091.60	7,138.80	11,761.00
	1.14.2 Electricity	28,400.70	24,990.10	51,165.30	54,051.80
	1.14.3 Others	58,471.70	50,674.10	59,462.40	91,595.70
1.15	Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	46,440.03	40,746.40	13,868.60	14,430.70
1.16	Gems & Jewellery	42,493.80	16,956.80	3,981.70	12,138.70
1.17	Construction	77,494.50	67,964.50	109,261.90	72,760.10

1.18	संरचना	675,776.67	680,683.06	83,658.30	80,679.60
	1.18.1 बिजली	391,189.90	425,499.76	47,666.40	45,761.90
	1.18.2 टेलीकॉम्युनिकेशनस	76,651.60	68,835.30	18,052.10	26,056.40
	1.18.3 रोड	90,426.80	98,353.50	5,402.70	2,571.90
	1.18.4 हवाई अड्डा	12,798.70	19,169.10	12.70	159.00
	1.18.5 बंदरगाह	6,033.30	5,073.10	0.00	0.00
	1.18.6 रेलवे (भारतीय रेलवे के अलावा)	47,649.90	49,082.00	7,083.60	4,116.90
	1.18.7 अन्य संरचना	51,026.47	14,670.30	5,440.80	2,013.50
1.19	अन्य उद्योग	69,121.91	96,086.34	17,885.80	7,441.30
	उद्योग (लघु, मध्यम और बृहत का कुल)	1,879,059.48	1,700,234.74	516,227.70	474,393.30

1.18	Infrastructure	675,776.67	680,683.06	83,658.30	80,679.60
	1.18.1 Power	391,189.90	425,499.76	47,666.40	45,761.90
	1.18.2 Telecommunications	76,651.60	68,835.30	18,052.10	26,056.40
	1.18.3 Roads	90,426.80	98,353.50	5,402.70	2,571.90
	1.18.4 Airports	12,798.70	19,169.10	12.70	159.00
	1.18.5 Ports	6,033.30	5,073.10	0.00	0.00
	1.18.6 Railways (other than Indian Railways)	47,649.90	49,082.00	7,083.60	4,116.90
	1.18.7 Other Infrastructure	51,026.47	14,670.30	5,440.80	2,013.50
1.19	Other Industries	69,121.91	96,086.34	17,885.80	7,441.30
	INDUSTRY (Total of Small, Medium and Large Scale)	1,879,059.48	1,700,234.74	516,227.70	474,393.30

उद्योगों का ऋण एक्सपोजर जहाँ बकाया एक्सपोजर बैंक के कुल सकल ऋण एक्सपोजर के 5% से अधिक है, वो निम्नवत हैं:

क्रमांक	उद्योग	कुल एक्सपोजर (₹ मिलियन में)	कुल सकल ऋण एक्सपोजर का %
1	लौह व स्टील	236,784.28	5.39%
2	बिजली	438,856.30	9.99%

Credit Exposure of industries where outstanding exposure is more than 5% of the Total Gross Credit Exposure of the Bank is as follows:

SI No	Industry	Total Exposure (₹ in Millions)	% of Total Gross Credit Exposure
1	Iron & Steel	236,784.28	5.39%
2	Power	438,856.30	9.99%

(ड) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण

राशि (₹ मिलियन में)

अवधि	अग्रिम	निवेश	विदेशी मुद्रा आस्तियां
	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017
0 से 1 दिन	106,403.80 (98,153.80)	4,373.22 (4,786.06)	93,261.20 (103,723.02)
2 से 7 दिन	75,835.30 (79,740.40)	5,339.00 (2,008.93)	57,336.86 (15,376.70)
8 से 14 दिन	53,857.70 (100,855.20)	461.29 (3,837.80)	21,373.60 (13,022.44)
15 से 30 दिन	156,500.80 (98,628.60)	756.19 (2,907.12)	53,985.36 (36,187.62)
31 दिनों से 2 माह	120,368.60 (195,167.70)	51,449.60 (10,947.25)	62,601.50 (50,085.60)
2 माह से अधिक और 3 माह तक	231,915.20 (155,972.50)	15,099.87 (7,334.10)	91,822.00 (74,146.40)
3 माह से अधिक और 6 माह तक	292,222.10 (182,543.50)	13,187.66 (11,213.02)	115,385.80 (91,799.80)
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	378,478.00 (281,622.70)	26,406.88 (38,683.66)	87,556.40 (90,109.56)
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्षों तक	956,963.10 (996,862.60)	272,804.54 (217,305.38)	26,477.70 (32,500.57)
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्षों तक	378,940.40 (433,478.90)	192,807.12 (285,551.21)	11,140.40 (11,671.24)
5 वर्षों से अधिक	671,716.90 (626,897.80)	726,220.26 (684,567.05)	32,680.08 (27,644.72)
बिना परिपक्वता के	0.00 (0.00)	196,151.20 (157,047.80)	0.00 (0.00)
कुल	3,423,201.40 (3,249,923.60)	1,505,056.83 (1,426,189.37)	653,620.90 (546,267.66)

नोट: कोष्ठकों () में दिये गये आँकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

(e) Residual Contractual Maturity Breakdown of Assets:

Amount (₹ in Millions)

Maturity Pattern	Advances	Investments	Foreign Currency Assets
	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017
0 to 1 day	106,403.80 (98,153.80)	4,373.22 (4,786.06)	93,261.20 (103,723.02)
2 to 7 days	75,835.30 (79,740.40)	5,339.00 (2,008.93)	57,336.86 (15,376.70)
8 to 14 days	53,857.70 (100,855.20)	461.29 (3,837.80)	21,373.60 (13,022.44)
15 to 30 days	156,500.80 (98,628.60)	756.19 (2,907.12)	53,985.36 (36,187.62)
31 days to 2 months	120,368.60 (195,167.70)	51,449.60 (10,947.25)	62,601.50 (50,085.60)
2 months & upto 3 months	231,915.20 (155,972.50)	15,099.87 (7,334.10)	91,822.00 (74,146.40)
Over 3 months & upto 6 months	292,222.10 (182,543.50)	13,187.66 (11,213.02)	115,385.80 (91,799.80)
Over 6 months & upto 1 year	378,478.00 (281,622.70)	26,406.88 (38,683.66)	87,556.40 (90,109.56)
Over 1 year & upto 3 years	956,963.10 (996,862.60)	272,804.54 (217,305.38)	26,477.70 (32,500.57)
Over 3 year & upto 5 years	378,940.40 (433,478.90)	192,807.12 (285,551.21)	11,140.40 (11,671.24)
Over 5 years	671,716.90 (626,897.80)	726,220.26 (684,567.05)	32,680.08 (27,644.72)
Without Maturity	0.00 (0.00)	196,151.20 (157,047.80)	0.00 (0.00)
Total	3,423,201.40 (3,249,923.60)	1,505,056.83 (1,426,189.37)	653,620.90 (546,267.66)

Note: The figures in brackets () relates to previous year

(च) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल)

राशि (₹ मिलियन में)

क्रमांक	मद	31.03.2017	31.03.2016
क)	सकल अनर्जक आस्तियां	344,067.40	318,523.40
	• अवमानक	80,819.60	174,977.40
	• संदिग्ध 1	142,417.40	81,167.80
	• संदिग्ध 2	120,243.60	62,378.20
	• संदिग्ध 3	0.00	0.00
	• हानि	586.80	0.00
ख)	निवल अनर्जक आस्तियां	217,386.10	209,672.10
ग)	अनर्जक आस्तियां अनुपात		
	• सकल अनर्जक आस्तियों से सकल अग्रिम (%)	9.66	9.44
	• निवल अनर्जक आस्तियों से निवल अग्रिम (%)	6.34	6.44
घ)	अनर्जक आस्तियों की गति (सकल)		
	• आरंभिक शेष	318,523.40	131,736.10
	• परिवर्धन	117,134.00	248,177.70
	• कटौती	91,590.00	61,390.40
	• अंतिम शेष	344,067.10	318,523.40
ड)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों की गति		
	• आरंभिक शेष	108,253.80	43,008.40
	• मुद्रा के उतार-चढ़ाव व अन्य	274.90	292.80
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	73,224.40	98,904.70
	• बढ़े खाते डालना	56,233.00	33,805.30
	• अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	182.30	146.80
	• अंतिम शेष	125,337.80	108,253.80
च)	अनर्जक निवेशों की राशि	4,769.11	3,877.44
छ)	अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि	3,526.21	2,750.84
ज)	निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों की गति		
	• आरंभिक शेष	2,750.84	2,318.76
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	1,076.22	489.84
	• बढ़े खाते डालना	0.00	0.00
	• अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	300.85	57.76
	• अंतिम शेष	3,526.21	2,750.84

(f) Amount of Non-Performing Assets (Gross):

Amount (₹ in Millions)

Sl No	Items	31.03.2017	31.03.2016
a)	Gross NPAs	344,067.40	318,523.40
	• Sub-Standard	80,819.60	174,977.40
	• Doubtful 1	142,417.40	81,167.80
	• Doubtful 2	120,243.60	62,378.20
	• Doubtful 3	0.00	0.00
	• Loss	586.80	0.00
b)	Net NPAs	217,386.10	209,672.10
c)	NPA Ratios		
	• Gross NPAs to Gross Advances (%)	9.66	9.44
	• Net NPAs to Net Advances (%)	6.34	6.44
d)	Movement of NPAs (gross)		
	• Opening balance	318,523.40	131,736.10
	• Additions	117,134.00	248,177.70
	• Reductions	91,590.00	61,390.40
	• Closing Balance	344,067.10	318,523.40
e)	Movement of Provisions for NPAs		
	• Opening Balance	108,253.80	43,008.40
	• Exchange Fluctuations & Others	274.90	292.80
	• Provisions made during the period	73,224.40	98,904.70
	• Write-off	56,233.00	33,805.30
	• Write back of excess provisions	182.30	146.80
• Closing Balance	125,337.80	108,253.80	
f)	Amount of Non-Performing Investments	4,769.11	3,877.44
g)	Amount of Provisions held for Non-Performing Investments	3,526.21	2,750.84
h)	Movement of Provisions for Depreciation on Investments		
	• Opening Balance	2,750.84	2,318.76
	• Provisions made during the period	1,076.22	489.84
	• Write-off	0.00	0.00
	• Write Back of excess Provisions	300.85	57.76
• Closing Balance	3,526.21	2,750.84	

(छ) प्रमुख उद्योग या काउंटरपक्ष प्रकार द्वारा

31.03.2017 को राशि (₹ मिलियन में)

क्र.सं.	उद्योग / काउंटर पक्ष	एनपीए	विशिष्ट व सामान्य प्रावधान	वर्तमान अवधि के दौरान विशिष्ट प्रावधान व अपलिखित
1	मूल धातु व धातु उत्पाद	109,304.00	36,534.60	23,282.40
2	वस्त्र	14,375.00	5,876.00	4,603.90
3	विनिर्माण	26,026.30	9,192.60	7,142.20
4	अवसंरचना	25,297.10	9,535.30	3,417.20
5	खाद्य प्रसंस्करण	10,253.60	3,419.50	2,370.20

(ज) महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र-वार द्वारा

31.03.2017 को राशि (₹ मिलियन में)

क्र.सं.	महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र	एनपीए	विशिष्ट व सामान्य प्रावधान*
1	घरेलू	320,053.73	120,996.48
2	समुद्रपारीय	24,013.67	4,341.30

*31.03.2017 को एनपीए हेतु अतिदेय प्रावधान

- भौगोलिक क्षेत्र को गैर-आबंटित सामान्य प्रावधान का अंश - शून्य

i) By major Industry or Counterparty type

Amount (₹ in Millions) as at 31.03.2017

SI No	Industry / Counterparty	NPA	Specific & General Provisions	Specific provisions and write offs during the current period
1	Basic Metal & Metal Products	109,304.00	36,534.60	23,282.40
2	Textiles	14,375.00	5,876.00	4,603.90
3	Construction	26,026.30	9,192.60	7,142.20
4	Infrastructure	25,297.10	9,535.30	3,417.20
5	Food Processing	10,253.60	3,419.50	2,370.20

j) By Significant Geographical area wise

Amount (₹ in Millions) as at 31.03.2017

SI No	Significant Geographical area	NPA	Specific & General Provisions*
1	Domestic	320,053.73	120,996.48
2	Overseas	24,013.67	4,341.30

*Outstanding provision for NPA as at 31.03.2017

- Portion of General Provision that is not allocated to a geographical area - Nil

डीएफ तालिका – 4: साख जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियो के लिए प्रकटन

(i) गुणात्मक प्रकटन

(ए) मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियो के लिए:

- बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पूंजी प्रभार के अभिकलन हेतु एक्सपोजर की रेटिंग व जोखिम भारिता प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की पहचान की है।

घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां:

- ब्रिकवर्क रेटिंग भारत प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिकवर्क)
- क्रेडिट विश्लेषण व अनुसन्धान लिमिटेड (सीएआरई)
- क्रिसिल लिमिटेड
- आईसीआरए लिमिटेड
- भारत रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में फिच इंडिया)
- स्मेरा (एस एम ई आर ए) रेटिंग्स लिमिटेड

अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां:

- स्टैन्डर्ड एंड पोअर
- मूडीस
- एफ आई टी सी एच (फिच)

एक्सपोजर के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी का उपयोग किया जाता है:

उपर्युक्त सभी एजेंसियां सभी प्रकार की एक्सपोजर की रेटिंग के लिए मानित हैं।

पब्लिक इश्यू रेटिंग को बैंकिंग बुक में तुलनीय आस्तियों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का विवरण:

- बैंक केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अनुरोध रेटिंग का प्रयोग करते हैं जो मान्य है और जिनकी मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा समीक्षा की गई है को बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई) से सन्दर्भित किया गया है।
- बैंक उधारकर्ता के एक्सपोजर के लिए जोखिम भारिता हेतु बैंक ऋण रेटिंग का प्रयोग करता है। जहाँ जारीकर्ता रेटिंग उपलब्ध है बैंक इस प्रकार की रेटिंग प्रयोग करता है जबतक कि बैंक ऋण विशेष रूप से रेटेड न हो।

TABLE DF – 4: CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH

(i) Qualitative Disclosures

(a) FOR PORTFOLIOS UNDER THE STANDARDIZED APPROACH:

- The Bank has recognized following credit rating agencies for the purpose of rating of an exposure & assigning risk weights for computation of capital charge under standardized approach.

Domestic Credit Rating Agencies:

- Brickwork Ratings India Private Limited (Brickwork)
- Credit Analysis & Research Limited (CARE)
- CRISIL Limited
- ICRA Limited,
- India Ratings and Research Private Limited (Formerly FITCH India)
- SMERA Ratings Limited

International Credit Rating Agencies:

- Standard & Poor
- Moody's
- FITCH

Types of exposure for which each agency is used:

All the above agencies are recognized for rating all types of exposures.

A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking books:

- The Bank uses only publicly available solicited ratings that are valid and reviewed by the recognized External Credit Rating Agencies, referred as External Credit Assessment Institutions (ECAI).
- Bank uses Bank Loan Rating for risk weighting the borrower's exposures. Where Issuer Rating is available, the Bank uses such ratings unless the bank loan is specifically rated.

- बैंक एक ही उधारकर्ता के लिए एक एक्सपोजर के लिए एक रेटिंग एजेंसी और दूसरे के लिए दूसरी बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्थाओं का एक ही साथ प्रयोग नहीं कर सकती जबतक कि सम्बन्धित एक्सपोजर रेटिंग चयनित केवल एक ही बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्था द्वारा किया गया हो। इसके अतिरिक्त एक कॉर्पोरेट समूह के अन्दर किसी विशेष संस्था को सौंपे गए रेटिंग को उसी समूह की दूसरी संस्था के जोखिम भारिता के लिए प्रयोग नहीं कर सकते।
- चालू सीमा जैसे नकद क्रेडिट को दीर्घ अवधि एक्सपोजर माना जाता है और तदनुसार इस प्रकार के एक्सपोजर को जोखिम भारिता प्रदान करने के लिए दीर्घ अवधि रेटिंग का प्रयोग किया जाता है।
- बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्था द्वारा दिए गए रेटिंग को जोखिम निर्धारण / लागू करते समय बैंक विनियामक दिशा निर्देश / बैंक की बोर्ड अनुमोदन प्रस्ताव से निर्देशित होते हैं।
- जहाँ एक्सपोजर / उधारकर्ता को चयनित बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्था से कई रेटिंग प्राप्त हो वहाँ बैंक ने जोखिम भारिता की गणना हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई है:
 - यदि चयनित बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्थान द्वारा दो रेटिंग दिया गया हो जो विभिन्न जोखिम भार के लिए हो वहाँ उच्च जोखिम भार को लागू किया जाता है।
 - यदि चयनित बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्थान द्वारा तीन या उससे अधिक रेटिंग दिया गया हो और जो विभिन्न जोखिम भार के लिए हो वहाँ न्यूनतम 02 रेटिंग का सन्दर्भ लिया जाता है और उन दो जोखिम भार में से उच्च जोखिम भार को लागू किया जाता है।
- The Bank does not simultaneously use the rating of one ECAI for one exposure and that of another ECAI for another exposure of the same borrower, unless the respective exposures are rated by only one of the chosen ECAIs. Further, the Bank does not use rating assigned to a particular entity within a corporate group to risk weight other entities within the same group.
- Running limits such as Cash Credit are treated as long term exposures and accordingly, long term ratings are used for assigning risk weights for such exposures.
- While mapping / applying the ratings assigned by the ECAIs, the Bank is guided by regulatory guidelines/ Bank's Board approved Policy.
- Where exposures / borrowers have multiple ratings from the chosen ECAIs, the Bank has adopted the following procedure for risk weight calculations:
 - If there are two ratings accorded by chosen ECAIs, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied.
 - If there are three or more ratings accorded by the chosen ECAIs which map into different risk weights, the ratings corresponding to the lowest 2 ratings are referred to and higher of those two risk weights is applied.

(ii) परिमाणात्मक प्रकटन:

(बी) बैंक एक्सपोजर की राशि: मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत जोखिम न्यूनीकरण फैक्टरिंग के बाद (यथा सम्पार्थिक) मुख्य जोखिम बकेट में सकल अग्रिम (रेटेड व अनरेटेड):

राशि (₹ मिलियन में)

क्रमांक	विवरण	निधि आधारित		गैर-निधि आधारित	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
1	100% जोखिमभार से कम	3,967,854.59	3,673,760.65	877,044.50	783,352.73
2	100% जोखिम भार	846,267.98	900,448.68	783,770.55	509,397.14
3	100% जोखिम भार से अधिक	576,110.86	517,227.13	220,421.76	213,097.09
4	घटाए गए (जोखिम कम करना)	450,958.98	442,949.78	224,683.13	159,061.72
5	कुल	4,939,274.45	4,648,486.68	1656553.68	1,346,785.24

(ii) Quantitative Disclosures

(b) Amount of the Bank's Exposures – Gross Advances (Rated & Unrated) in Major Risk Buckets – under Standardized Approach, after factoring Risk Mitigants (i.e. Collaterals):

Amount (₹ in Millions)

Sl No	Particulars	FUND BASED		NON-FUND BASED	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
1	Below 100% Risk Weight	3,967,854.59	3,673,760.65	877,044.50	783,352.73
2	100% Risk Weight	846,267.98	900,448.68	783,770.55	509,397.14
3	More than 100% Risk Weight	576,110.86	517,227.13	220,421.76	213,097.09
4	Deducted (Risk Mitigants)	450,958.98	442,949.78	224,683.13	159,061.72
5	TOTAL	4,939,274.45	4,648,486.68	1656553.68	1,346,785.24

डीएफ तालिका – 5: साख जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटन

(i) गुणात्मक प्रकटन

सम्पार्श्विक मूल्यांकन व प्रबन्धन के लिए नीति व प्रक्रिया: प्रभावी सम्पार्श्विक प्रबन्धन के लिए बैंक की बोर्ड से अनुमोदित सम्पार्श्विक प्रबन्धन नीति है जो प्रक्रिया, उद्देश्य, सम्पार्श्विक के स्वीकार्य प्रकार और उपयुक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली सहित रूपरेखा पर बल देती है। ठीक से लिया गया व प्रबंधित कोलेटरल्स और गारंटी से मदद मिलेगी:

- अपेक्षित कैश फ्लो में कमी के कारण उधारकर्ता द्वारा साख सुविधा में चूक की स्थिति में द्वितीयक श्रोत द्वारा पुनर्भुगतान उपलब्ध कराकर जोखिम को कम करना।
- चूक की स्थिति में पुनर्भुगतान की श्रोत को नियंत्रण में लेना।
- उधारकर्ता की घटती पुनर्भुगतान क्षमता के लिए पूर्व चेतावनी उपलब्ध कराना।
- जोखिम भारत आस्तियों को इष्टतम करना और अवशिष्ट जोखिम का पर्याप्त रूप से समाधान करना

बैंक साख जोखिम जिससे वो एक्सपोज्ड हैं उसको कम करने के लिए कई तकनीक का प्रयोग करते हैं। संशोधित दृष्टिकोण भारत में बैंक को व्यापक दृष्टिकोण (मानकीकृत और आईआरबी दृष्टिकोण के तहत) अपनाने की अनुमति देता है जो एक्सपोजर के विरुद्ध सम्पार्श्विक के लिए निर्धारित मूल्य के लिए प्रभावी ढंग से जोखिम राशि को कम करने खिलाफ कोलेटरल्स की पूरी भरपाई की अनुमति देता है। इस दृष्टिकोण के तहत बैंक जो योग्य वित्तीय कोलेटरल ग्रहण करता है उन्हें कोलेटरल्स की जोखिम प्रभाव कम करने को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पूंजी की गणना करते समय प्रतिपक्ष से जोखिम एक्सपोजर कम करने की अनुमति है।

बैंक की सम्पार्श्विक प्रबन्धन प्रक्रिया व प्रथा में जमानत मूल्य के सुरक्षा और संरक्षण, कोलेटरल्स की गारंटी, मूल्यांकन / आवधिक निरीक्षण सहित सम्पूर्ण गतिविधि शामिल है।

मूल्यांकन: बैंक द्वारा अनुमोदित ऋण को सुरक्षित करने के लिये प्राप्त स्थायी व चालू आस्तियां, दोनों ही बैंकिंग द्वारा सूचीबद्ध मूल्य निर्धारकों से मूल्यांकन के विषयक है। खाते की मौद्रिक सीमा, उधारकर्ता का आस्ति वर्गीकरण जो कि मूल्यांकन, मूल्यांकन की सावधि, के विषयक है, बैंक के नीति के दिशानिर्देशों के में निर्धारित किया गया है। बैंक मूल्यांकन पर के दिशानिर्देशों के की सावधिक तौर पर समीक्षा करता है।

TABLE DF – 5: CREDIT RISK MITIGATION – DISCLOSURES FOR STANDARDIZED APPROACHES

(i) Qualitative disclosures

Policies and processes for collateral valuation and management: The Bank is having a Board approved collateral management policy which lays down the process, objectives, accepted types of collaterals and the framework including suitable management information system for effective collateral management. The Collaterals and guarantees properly taken and managed that would serve to:

- mitigate the risk by providing secondary source of repayment in the event of borrower's default on a credit facility due to inadequacy in expected cash flow or not;
- gain control on the source of repayment in the event of default;
- provide early warning of a borrower's deteriorating repayment ability; and
- Optimize risk weighted assets and to address Residual Risks adequately.

Bank uses a number of techniques to mitigate the credit risks to which they are exposed. The revised approach allows banks in India to adopt the Comprehensive Approach (under both the Standardized and IRB approaches) which allows fuller offset of collateral against exposures by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral. Under this approach, banks, which take eligible financial collateral, are allowed to reduce their credit exposure to the counterparty when calculating their capital requirements by taking into account the risk mitigating effect of the collateral.

Collateral Management process and practices of the Bank cover the entire activities comprising security and protection of collateral value, validity of collaterals and guarantees, and valuation / periodical inspection.

Valuation: Both the Fixed and the Current Assets obtained to secure the loans granted by the Bank are subjected to valuation by valuers empanelled by the Bank. Monetary limits of the accounts, asset classification of the borrower, which is to be subjected to valuation, periodicity of

बैंक द्वारा लिये गये संपार्श्विक के प्रमुख प्रकार का विवरण: बैंक द्वारा जोखिम शमक के रूप में आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला संपार्श्विक, वित्तीय संपार्श्विक (यथा, नकद, बैंक जमा, जीवन बीमा पॉलिसी, एनएससी, केवीपी, डाक विभाग द्वारा / प्रत्यक्ष रूप से जारी सरकारी प्रतिभूतियां, बैंक के अलावा व बैंक द्वारा मंजूर अन्य लिमिटेड कंपनी के इक्विटी शेयर, डिबेंचर, म्युचुअल फंड, कर्ज प्रतिभूति आदि), विभिन्न प्रकार के चल आस्तियों और अचल आस्तियों / संपत्तियों आदि को समाहित किये हुए है। यद्यपि, मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत आवश्यक पूंजी की संगणना के उद्देश्य हेतु कुछ विशिष्ट वित्तीय संपार्श्विकों को पात्र संपार्श्विक के रूप में मान्यता दी गयी है।

गारंटर प्रतिपक्ष और उनकी उधार पात्रता: बैंक राष्ट्रिक, राष्ट्रिक इकाई (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, व यूरोपियन समुदाय के साथ-साथ बहुपक्षीय विकास बैंक, ईसीजीसी, व सीजीटीएमएसई सहित) की गारंटी प्राप्त / स्वीकार करता है। इसके अलावा, बैंक उपयुक्त निवल मूल्य वाले व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट गारंटी को भी, साख जोखिम के शमक हेतु अतिरिक्त आराम के रूप में, जो कि गारंटर पर प्रत्यक्ष दावे में परिवर्तित किया जा सकता है और ये बिना शर्त व अटल है, को प्राप्त करता है। गारंटर की उधार पात्रता सामान्य रूप से उधारकर्ता के वित्तीय स्थिति से लिंक नहीं है या प्रभावित नहीं होती है। बैंक राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये गारंटी को भी प्रतिभूति कम्फर्ट के रूप में स्वीकार करता है। ऐसी गारंटी लगातार प्रभावित रहती हैं, जब तक कि कवर सुविधा पूर्ण रूप से चुका नहीं दी जाये या निपाटान या रिहा न कर दी जाये।

नयी पूंजी उपयुक्तता रूपरेखा (बासेल III मानदंड) के तहत पूंजी आवश्यकता को कम करने के उद्देश्य हेतु बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त साख जोखिम शमन: नयी पूंजी उपयुक्तता रूपरेखा (बासेल III मानदंड) के तहत पूंजी आवश्यकता को कम करने के उद्देश्य हेतु बैंक ने साख जोखिम शमन के रूप में नकद, बैंक के स्वयं के जमा, स्वर्ण व स्वर्ण आभूषण को मान्यता दी है।

लिये गये शमन के अंदर जोखिम एकाग्रता के बारे में सूचना: बैंक ने पहले ही साख जोखिम के प्रबन्धन की सुविधा देने हेतु व संपार्श्विक के जोखिम एकाग्रता सहित संपार्श्विक प्रबन्धन की प्रभाविकता के मूल्यांकन हेतु रोबस्ट प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के लिये एक डेटा वेयरहाउस को स्थान पर लाने के लिये कदम उठाये हैं।

valuation, are prescribed in the Bank's policy guidelines. Bank reviews the guidelines on valuation periodically.

Description of the main types of collateral taken by the Bank: The collateral commonly used by the Bank as risk mitigants comprises of Financial Collaterals (i.e. Cash, Bank deposits, Life Insurance policies, NSC, KVP, Government securities issued directly / by postal departments, equity shares of limited companies other than the Bank and approved by the Bank, debentures, units of mutual funds, debt securities etc.), different categories of moveable assets and immoveable assets / properties etc. However, for the purpose of computation of capital required under Standardized Approach, certain specific financial collaterals have been recognized as eligible collateral.

Main types of Guarantor counterparty and their creditworthiness: Bank obtains / accepts guarantees of sovereign, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European community as well as Multilateral Development Banks, ECGC and CGTMSE). Besides this, Bank also obtains Personal or Corporate guarantee having adequate net worth, as an additional comfort for mitigation of credit risk which can be translated into a direct claim on the guarantor, and are unconditional and irrevocable. The Creditworthiness of the guarantor is normally not linked to or affected by the borrower's financial position. The Bank also accepts guarantee given by State / Central Government as a security comfort. Such Guarantees remain continually effective until the facility covered is fully repaid or settled or released.

Credit Risk Mitigation recognized by the Bank for the purpose of reducing capital requirement under New Capital Adequacy Framework (Basel II Norms): The Bank has recognized Cash, Bank's own Deposits, Gold & Gold Jewellery as Credit Risk Mitigations for the purpose of reducing capital requirement under the New Capital Adequacy Framework (Basel III Norms).

Information about risk concentration within the mitigation taken: The Bank has already initiated steps for putting in place a data warehouse for a robust Management Information System (MIS) to facilitate management of Credit Risk and evaluation of effectiveness of collateral management including risk concentrations of collaterals.

(ii) मात्रात्मक प्रकटन

क्रमांक	विवरण	राशि (₹ मिलियन में)	
		31.03.2017	31.03.2016
(बी)	अलग से प्रकटन किये गये प्रत्येक साख जोखिम पोर्टफोलियो हेतु हेयरकट लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विकों द्वारा कवर किये जाने वाला कुल एक्सपोजर (पश्चात, जहाँ लागू हो, ऑन-या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग)	575,114.91	518,708.73
(सी)	अलग से प्रकटन किये गये प्रत्येक पोर्टफोलियो हेतु गारंटी / साख व्युत्पन्नोयों (जब भी भारिबै द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमत किया गया हो) द्वारा कवर किये जाने वाले कुल एक्सपोजर (पश्चात, जहाँ लागू हो, ऑन- या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग)	382,315.35	267,495.20

(ii) Quantitative Disclosures

SI No.	PARTICULARS	Amount (₹ in Millions)	
		31.03.2017	31.03.2016
(b)	The total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts for each separately disclosed credit risk portfolio.	575,114.91	518,708.73
(c)	The total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees / credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI) for each separately disclosed portfolio	382,315.35	267,495.20

डीएफ तालिका – 6: प्रतिभूतीकरण
एक्सपोजर: मानकीकृत दृष्टिकोण
हेतु प्रकटन

(i) गुणात्मक प्रकटन

नीति दिशानिर्देश, प्रतिभूतीकरण व नकद प्रवाह के प्रत्यक्ष समनुदेशन और बिना संसाधन आधार के माध्यम से आस्तियों के अंतरण को समाहित किये हुए के दिशानिर्देशों के को कवर करता है।

TABLE DF – 6: SECURITIZATION
EXPOSURES: DISCLOSURE FOR
STANDARDIZED APPROACH

(i) Qualitative disclosures

The policy guidelines cover guidelines involving transfer of assets through Securitisation and direct assignment of cash flows and are on without recourse basis.

मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर बैंक के दिशानिर्देशों के में समाहित है:

- आस्तियों के प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रावधान
- नकद प्रवाह के प्रत्यक्ष समनुदेशन के माध्यम से मानक आस्तियों के अंतरण से संबंधित निर्धारण।

बैंक के वर्तमान नीतिगत दिशानिर्देश एक प्रवर्तक (बैंक, एन बी एफ सी / एफ आई) से सामूहिक निधि की खरीद का कार्य करता है। प्रवर्तक बैंक / एन बी एफ सी / एफ आई से नकद प्रवाह के प्रत्यक्ष समनुदेशन के माध्यम से आस्तियों की खरीद 'ए' तथा उससे ऊपर मूल्यवाले से हों। बैंक आवास ऋण, संपत्ति के एवज में ऋण, केवल अस्थिर दर मंजूर एम एस एम ई, से संबंधित आधारभूत आस्तियों के पोर्टफोलियो या पोर्टफोलियों के अंश को खरीदता है।

बैंक द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं को नीति रेखांकित करता है यथा, ऋण की खरीद पर प्रतिबन्ध, पूल में पात्र उधारकर्ताओं को समाविष्ट करना, यथोचित विवेक – केवाईसी अनुपालन हेतु मानक, खरीदे गये आस्तियों के पूल में उधारकर्ताओं के संबंध में संवितरण से पहले अनुपालित की जाने वाली आवश्यकताएं, मूलकर्ता का यथोचित विवेक, तनाव परीक्षण, साख निगरानी।

बैंक भारत में अन्य बैंकों / एफआई / एनबीएफसी से ऋण केवल तभी खरीद सकता है जब विक्रेता ने स्पष्ट रूप से बैंक को यह प्रकट किया हो कि वह निरंतर आधार पर न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता का अनुपालन करेंगे एवं नीति में निर्धारित अनुसार न्यूनतम होल्डिंग अवधि मानदंड का अनुपालन प्रकट करेंगे।

कुछ अंतरालों पर निरंतर आधार पर बैंक खरीद संव्यवहारों की निगरानी करेगा एवं जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ उचित कार्यवाही करेगा। ऋण समीक्षा तंत्र व निगरानी के संबंध में साख जोखिम प्रबन्धन पर मास्टर नीति में उल्लिखित सामान्य निर्धारण प्रतिभूतीकरण संव्यवहारों पर लागू है।

मूलकर्ता पर एक्सपोजर बैंक द्वारा निर्धारित विवेक सम्मत एक्सपोजर सीमा के अंदर होगा।

The guidelines to banks on securitisation of standard assets contain:

- The provisions relating to securitization of assets.
- Stipulations regarding transfer of standard assets through direct assignment of cash flows.

The bank's existing policy guidelines deals with purchase of pools from an originator (Bank/NBFC/FI). Purchase of assets through Direct Assignment of cash flows from originating NBFCs/Banks/FIs shall be only from those rated 'AA' and above. The Bank shall purchase a portfolio or a part of portfolio of standard assets under Housing Loan; Loans Against Property and MSME sanctioned at floating rates only.

Policy sets out requirements like restrictions on purchase of loans; constitution of eligible borrowers in the pool; standards for due diligence - KYC compliance, requirements to be complied with prior to disbursement in respect of borrowers in the purchased pool of assets; due diligence of the originator, Stress testing; credit monitoring.

Bank can purchase loans from other banks/FIs/NBFCs in India only if the seller has explicitly disclosed to the bank that it will adhere to the Minimum Retention Requirement on an ongoing basis and disclosed the adherence to the Minimum holding period criteria as prescribed in the policy.

The bank monitors the purchase transactions on an ongoing basis at certain intervals and takes appropriate action wherever required. The general prescription laid down in the Master policy on Credit Risk Management with regard to loan review mechanism and monitoring is applicable to securitization transactions.

The exposure to the originator shall be within the prudential exposure ceilings stipulated by the Bank.

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(i) बैंकिंग बही

राशि (₹ मिलियन में)

क्रमांक	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
(डी)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की कुल रकम	शून्य	शून्य
(ई)	वर्तमान अवधि के दौरान बैंक द्वारा पहचान की गई प्रतिभूतिकृत अलग अलग एक्सपोजर वार (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण इत्यादि प्रतिभूति विवरण सहित) हानि	शून्य	शून्य
(एफ)	वर्ष के भीतर प्रभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की रकम	शून्य	शून्य
(जी)	सी में से प्रभूतिकरण पूर्व एक वर्ष के भीतर आस्तियों की रकम	शून्य	शून्य
(एच)	प्रभूतिकृत रकम एक्सपोजर की कुल रकम व एक्सपोजर के विक्रय द्वारा पहचान रहित लाभ या हानि की	शून्य	शून्य
(आई)	का कुल रकम		
	• अलग अलग एक्सपोजर के लिए रखे गए या क्रय किए गए ऑन बैलेंश शीट प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर	शून्य	शून्य
	• ऑफ बैलेंश शीट प्रतिभूतिकरण अलग अलग एक्सपोजर	शून्य	शून्य
(जे)	(i) खरीदे गए या रखे गए प्रभूतिकरण की सकल राशि व अलग अलग एक्सपोजर के लिए सम्मिलित पूंजी प्रभार तथा प्रत्येक विनियाम पूंजी की अलग अलग जोखिम धारिता	शून्य	शून्य
	(ii) एक्सपोजर जो पूरी तरह टियर I पूंजी से घटाए गए, ऋण संवर्धन, कुल पूंजी से घटाए गए अन्य एक्सपोजर	शून्य	शून्य

(ii) व्यापारिक बही

(₹ मिलियन में)

क्रमांक	मद	31.03.2017	31.03.2016
(के)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की सकल राशि जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर रखे हैं तथा जो बाजार जोखिम के अधीन हैं	19,146.35	19,677.44
(एल)	का कुल रकम		
	• ऑन बैलेंश शीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर रखे गए या क्रय किए गए अलग अलग प्रकार के एक्सपोजर	19,146.35	19,677.44
	• ऑफ बैलेंश शीट प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर अलग अलग प्रकार के	शून्य	शून्य
(एम)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की सकल राशि रखी गई या अलग से क्रय की गई		
	• बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की सकल राशि जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर रखे हैं तथा जो विशेष जोखिम के लिए विस्तृत जोखिम उपाय जोखिम के अधीन हैं तथा	19,146.35	19,677.44

(ii) Quantitative Disclosures

(i) Banking Book:

₹ In Millions

SI No	PARTICULARS	31.03.2017	31.03.2016
(d)	The total amount of exposures securitized by the Bank.	Nil	Nil
(e)	For exposures securitized losses recognized by the Bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit Cards, Housing Loans, Auto Loans etc. detailed by underlying security):	Nil	Nil
(f)	Amount of assets intended to be securitized within a year	Nil	Nil
(g)	Of (c), amount of assets originated within a year before Securitisation	Nil	Nil
(h)	The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type	Nil	Nil
(i)	Aggregate amount of:		
	• On-balance sheet Securitisation Exposures retained or purchased broken down by exposure type:	Nil	Nil
	• Off-balance sheet Securitisation Exposures broken down by exposure type	Nil	Nil
(j)	i) Aggregate amount of Securitisation Exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach	Nil	Nil
	(ii) Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 Capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	Nil	Nil

(ii) Trading Book:

₹ In Millions

SI No	PARTICULARS	31.03.2017	31.03.2016
(k)	Aggregate amount of exposures Securitized by the Bank for which the Bank has retained some exposures and which is subject to the Market Risk approach, by exposure type.	19,146.35	19,677.44
(l)	Aggregate amount of:		
	• On-balance sheet Securitisation Exposures retained or purchased broken down by exposure type; and	19,146.35	19,677.44
	• Off-balance sheet Securitisation Exposures broken down by exposure type	NIL	NIL
(m)	Aggregate amount of Securitisation Exposures retained or purchased separately for:		
	• Securitisation Exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for Specific Risk; and	19,146.35	19,677.44

- प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर जो अलग अलग जोखिम धारिता के प्रतिभूतिकरण संरचना के अधीन हैं:

क्रमांक	जोखिम धारिता बैंड	यथा को एक्सपोजर	
		31.03.2017	31.03.2016
1	<100% जोखिम धारिता	0.00	0.00
2	100% जोखिम धारिता	0.00	0.00
3	>100% जोखिम धारिता	19,146.35	19,677.44
4	कुल	19,146.35	19,677.44

(एन) की सकल राशि

- प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर हेतु पूंजी आवश्यकता प्रतिभूतिकृत संरचना के विभिन्न अलग अलग जोखिम धारिता बैंड के अधीन

क्रमांक	जोखिम धारिता बैंड	पूंजी आवश्यकता	
		31.03.2017	31.03.2016
1	<100% जोखिम धारिता	0.00	0.00
2	100% जोखिम धारिता	0.00	0.00
3	>100% जोखिम धारिता	1,978.48	1,952.40
4	कुल	1,978.48	1,952.40

- प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर जो पूरी तरह टियर I पूंजी, ऋण संवर्धन, व कुल पूंजी से घटाए गए अन्य एक्सपोजर

शून्य

शून्य

- Securitization Exposures subject to the securitisation framework for Specific Risk broken down into different risk weight bands.

Sl No	Risk Weight Bands	Exposure	
		31.03.2017	31.03.2016
1	<100% Risk Weight	0.00	0.00
2	100% Risk Weight	0.00	0.00
3	>100% Risk Weight	19,146.35	19,677.44
4	Total	19,146.35	19,677.44

- (n) Aggregate amount of:
- The capital requirements for the Securitisation Exposures, subject to the securitisation framework broken down into different risk weight bands.

Sl No	Risk Weight Bands	Capital Requirement	
		31.03.2017	31.03.2016
1	< 100% Risk Weight	0.00	0.00
2	100% Risk Weight	0.00	0.00
3	> 100% Risk Weight	1,978.48	1,952.40
4	Total	1,978.48	1,952.40

- Securitisation Exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).

NIL

NIL

डीएफ तालिका – 7: व्यापार बही में बाजार जोखिम

(i) गुणात्मक प्रकटन

रणनीति व प्रक्रियाएं: बाजार जोखिम प्रबन्धन का सम्यक उद्देश्य बैंक के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को सुधारने के द्वारा व सभी प्रकार के बाजार जोखिम हानि घटनाओं से हानि को कम करने के द्वारा शोयधारक मूल्य को निर्मित करना है।

- जब सम्यक लिडरशिप व जोखिम प्रबन्धन रूपरेखा का नियंत्रण, जोखिम प्रबन्धन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तब कारोबार इकाई जोखिम लेने हेतु रणनीति तय करने व जोखिम को प्रबन्धित करने के लिये सशक्त होते हैं।
- पूर्व-निर्धारित तीव्रता के सभी मुद्दे व सीमा उल्लंघन जोखिम प्रबन्धन विभाग को परिवर्धित कर दिया जाता है जहाँ उन्हें संबोधित करने वाली कार्यवाही उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्धारित होगी। लिये गये निर्णय के कार्यावयन हेतु कारोबार इकाई उत्तरदायी होगा।

प्रक्रिया का उद्देश्य है:

- बाजार जोखिम गतिविधियों को कवर करने के लिये एक प्रोएक्टिव बाजार जोखिम प्रबन्धन संस्कृति को स्थापित किया जाये।
- बाजार जोखिम से संबंधित सभी प्रासंगिक विधानों व विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करें।
- बाजार जोखिम की पहचान, माप, प्रबन्धन, निगरानी, नियंत्रण व समीक्षा के संबंध में नीतियों व प्रक्रियाओं को उजागर करने में सुसंगत गुण को विकसित करें।
- विभिन्न प्रकार के बाजार जोखिम हेतु सीमा संरचना व ट्रिगर को स्थापित करें।
- एक मजबूत रिपोर्टिंग प्रणाली को स्थापित करने के द्वारा प्रभावकारी निगरानी तंत्र को स्थापित करें।
- बाजार जोखिम उपायों के स्वतंत्र व नियमित मूल्यांकन को अपनायें।

प्रासंगिक जोखिम प्रबन्धन कार्यों की संरचना व संगठन: बैंक की बाजार जोखिम प्रबन्धन संरचना निम्नलिखित है—

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति
- बाजार जोखिम प्रबन्धन समिति (एमआरएमसी)
- महा प्रबन्धक – आरएम विभाग (मुख्य जोखिम अधिकारी) – प्रधान कार्यालय

TABLE DF – 7: MARKET RISK IN TRADING BOOK

(i) Qualitative disclosures

Strategies and processes: The overall objective of market risk management is to create shareholder value by improving the Bank's competitive advantage and reducing loss from all types of market risk loss events.

- While overall leadership and control of the Risk Management framework is provided by Risk Management Wing, the business units are empowered to set strategy for taking risks and manage the risks.
- All issues or limit violations of a pre-determined severity (materiality, frequency, nature) are escalated to the Risk Management Wing where the actions to address them are determined by the appropriate authorities. The business units are responsible for implementing the decision taken.

The process aims to:

- Establish a pro-active market risk management culture to cover market risk activities.
- Comply with all relevant legislation and regulatory requirements relating to Market Risk.
- Develop consistent qualities in evolving policies & procedures relating to identification, measurement, management, monitoring, controlling and reviewing of Market Risk.
- Establish limit structure and triggers for various kinds of market risk factors.
- Establish efficient monitoring mechanism by setting up a strong reporting system.
- Adopt independent and regular evaluation of the market risk measures.

The structure and organization of the relevant Risk Management function: Market Risk Management structure of the Bank is as under—

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board
- Market Risk Management Committee (MRMC)
- General Manager – RM Wing (Group Chief Risk Officer) – Head Office

- बाजार जोखिम प्रबन्धन प्रभाग, जोखिम प्रबन्धन विभाग, प्रका
 - एकीकृत मिड कार्यालय
 - मिड कार्यालय – एकीकृत कोष

जोखिम रिपोर्टिंग और / या माप प्रणाली की स्कोप व प्रवृत्ति:

- बैंक ने बाजार जोखिम प्रबन्धन हेतु कई एक्सपोजर सीमाएं निर्दिष्ट की हैं यथा, ओवरनाइट सीमा, इंट्राडेय सीमा, सकल गैप सीमा, स्टॉप हानि सीमा, वार सीमा, ब्रोकर टर्नओवर सीमा, पूंजी बाजार एक्सपोजर सीमा, एक्सपोजर सीमा, उत्पाद-वार एक्सपोजर सीमा, जारीकर्ता-वार एक्सपोजर सीमा, आदि
- ट्रेडिंग डेस्क से ले कर बोर्ड स्तर तक के बैंक के विभिन्न स्तरों पर जोखिम सीमा की निगरानी हेतु जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली को स्थापित किया गया है ।
- जोखिम प्रबन्धन या लेखांकन गतिविधियों हेतु बाजार में मार्किंग के लिये प्रयुक्त दर स्वतंत्र रूप से सत्यापित होंगे ।
- रिपोर्ट का प्रयोग कार्यनिष्पादन व जोखिम, बैंक की रणनीति के अनुरूप कारोबार गतिविधियों के प्रबन्धन में होता है ।
- रिपोर्टिंग प्रणाली समयसीमा, स्वचालन के साथ उचित सटीकता, हार्डलाइट पोर्टफोलियो जोखिम एकाग्रता को सुनिश्चित करती है और लिखित कमेंटरी को समाहित करती है ।
- विस्तृत जोखिम रिपोर्ट निर्णय लेने की प्रक्रिया का संवर्धन करती है ।
- कक्ष गतिविधियों से निपटना केंद्रीकृत हैं और विभिन्न जोखिम सीमा की निगरानी हेतु प्रणाली को स्थापित किया गया है ।
- रिपोर्टिंग फॉर्मेट व आवृत्ति की सावधिक तौर पर समीक्षा की गयी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बैंक के जोखिम निगरानी, माप व शमन आवश्यकता को पूरा करते हैं ।

बचाव / शमन के जारी प्रभावशीलता की निगरानी हेतु जोखिम व रणनीति व प्रक्रिया के बचाव और / या शमन के लिये नीति: विभिन्न बोर्ड मंजूर नीतियां यथा, बाजार जोखिम प्रबन्धन नीति (देशज जोखिम प्रबन्धन व प्रतिपक्ष बैंक जोखिम प्रबन्धन सहित), निवेश नीति, फोरेक्स डिलिंग व ट्रेडिंग परिचालन नीति, और एएलएम नीति, को बाजार जोखिम प्रबन्धन हेतु स्थापित किया गया है । बाजार जोखिम प्रबन्धन नीति, जोखिम मूल्यांकन, पहचान व माप और शमन, जोखिम सीमा व ट्रिगर, जोखिम निगरानी व रिपोर्टिंग के लिये रूपरेखा प्रदान करता है ।

- Market Risk Management Department, Risk Management Wing, HO
 - Integrated Mid Office
 - Mid Office – Integrated Treasury

The scope and nature of risk reporting and / or measurement systems:

- The Bank has put in place various exposure limits for market risk management such as Overnight limit, Intraday limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit, Broker Turnover limit, Capital Market Exposure limit, Product-wise Exposure limit, Issuer-wise Exposure limit, etc.
- A risk reporting system is in place for monitoring the risk limits across different levels of the Bank from trading desk to the Board level.
- The rates used for marking to market for risk management or accounting purposes are independently verified.
- The reports are used to monitor performance and risk, manage business activities in accordance with the Bank's strategy.
- The reporting system ensures timelines, reasonable accuracy with automation, highlight portfolio risk concentrations, and include written commentary.
- The detailed risk reports enhance the decision-making process.
- Dealing room activities are centralized, and system is in place to monitor the various risk limits.
- The reporting formats & the frequency are periodically reviewed to ensure that they suffice for risk monitoring, measuring and mitigation requirements of the Bank.

Policies for hedging and / or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges / mitigants: Various Board approved policies viz., Policy for Market Risk (Including Country risk management and Counterparty Bank risk management), Investment Policy and Policy for Forex dealing & Trading Operations are put in place for Market risk management. Policy for Market Risk provides the framework for risk assessment, identification and measurement and mitigation, risk limits & triggers, risk monitoring and reporting.

बैंक ने विभिन्न देशों तक एक्सपोजर ले जाने हेतु सीमा आवंटित करने के लिये देशों के जोखिम वर्गीकरण हेतु विभिन्न मापदंडों यथा, जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति, ट्रेड बैलेंस आदि पर आधारित देशज जोखिम रेटिंग के लिये एक आंतरिक मॉडल तैयार किया है।

विदेशी बैंकों के वर्गीकरण हेतु बैंक ने स्कोरिंग मॉडल स्थापित किया है। विभिन्न एक्सपोजर सीमाओं को स्कोरिंग मैट्रिक्स अनुसार प्रतिपक्षों द्वारा सुरक्षित अंकों पर आधारित करके तय किया गया है।

(ii) गुणात्मक प्रकटन

क्रमांक	विवरण	पूँजी आवश्यकता की राशि विवरण (₹ मिलियन में)	
		31.03.2017	31.03.2016
(क)	ब्याज दर जोखिम	16,810.51	18,209.50
(ख)	ईक्विटी स्थिति जोखिम	10,267.17	7,859.10
(ग)	विदेश विनिमय जोखिम	69.20	65.00

तालिका डी एफ-8: परिचालन जोखिम

(i) गुणात्मक प्रकटन

रणनीतियां व प्रक्रियाएं: बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया, मजबूत संगठनात्मक संस्कृति व योग्य परिचालन कार्यविधियों से निहित है जिसमें कार्पोरेट मूल्य, प्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धात्मकता, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग व आकस्मिक योजना, नीतियां निर्धारित हैं जिससे कि बैंक में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

संगत जोखिम प्रबंधन कार्य का ढांचा व गठन: बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा निम्नानुसार है:

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
- परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)
- प्रमुख / महा प्रबंधक वृ जोखिम प्रबंधन / समूह मुख्य जोखिम अधिकारी
- परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग (ओआरएमडी), प्र का

The Bank has developed an internal model for country risk rating based on various parameters like GDP growth, inflation, trade balance etc for risk categorization of the countries to allocate limit for taking exposure to various countries.

The Bank has in place a scoring model for categorization of foreign banks. The various exposure limits are set based on the points secured by the counterparty banks as per the scoring matrix.

(ii) Quantitative Disclosures

SI No	Particulars	Amount of capital requirement (₹ in Millions)	
		31.03.2017	31.03.2016
(a)	Interest Rate Risk	16,810.51	18,209.50
(b)	Equity Position Risk	10,267.17	7,859.10
(c)	Foreign Exchange Risk	69.20	65.00

TABLE DF – 8: OPERATIONAL RISK

(i) Qualitative Disclosures

Strategies and processes: The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

The structure and organization of the relevant risk management function: The Operational Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- Operational Risk Management Committee (ORMC)
- Head / General Manager – Risk Management / Group Chief Risk Officer
- Operational Risk Management Department (ORMD), HO

- अंचलों के मनोनित कार्यपालक
- अंचलों में जोखिम प्रबंधन अनुभाग

जोखिम रिपोर्टिंग तथा / या परिमाणन प्रणालियों की व्याप्ति एवं प्रकार: जोखिम रिपोर्टिंग में, शाखाओं/कार्यालयों में लोगों, प्रक्रिया, तकनीक व बाहरी कार्यक्रमों के संबंध में घटित परिचालन जोखिम हानि संबंधी घटनाएं शामिल हैं। विभिन्न स्रोतों से संग्रह किये गये डाटा का प्रयोग प्रणाली में मूल कारण / गैप को विश्लेषित करने में किया जाता है एवं इस तरह से उल्लिखित प्रणाली व प्रक्रिया को सुधारता है / सशक्त करता है। हानि घटनाएं भी हानि डेटा में प्रगणित की गई है जिसे कि उन्नत माप दृष्टिकोण (एएमए) के न्यूनीकरण में प्रचालनात्मक जोखिम पूंजी प्रभार को संगणित करने हेतु प्रयुक्त किया जाएगा।

बचाव-व्यवस्था और / या जोखिम शमन करने के संबंध में नीतियां तथा बचाव-व्यवस्था / प्रशमन की लगातार जारी प्रभाविकता पर निगरानी रखने हेतु रणनीतियां व प्रक्रियाएं: बैंक ने परिचालन जोखिम के प्रबंधन में नीतियां निर्धारित की हैं। नीति संबंधी ढांचे में अभिनिर्धारण, प्रबंधन, निगरानी व प्रशमन जैसे परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन संबंधी विभिन्न पहलू शामिल हैं।

क्रियाकलापों की आउटसोर्सिंग में निहित जोखिमों के निवारण के लिए बैंक ने आउटसोर्सिंग जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां निर्धारित की हैं।

परिचालन जोखिम पूंजी मूल्यांकन: बैंक न परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार परिकलित करने के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बेसिक इंडिकेटर अप्रोच) को अपनाया है।

बैंक उन्नत माप दृष्टिकोण ("एएमए") में विस्थापित होने के इच्छुक है।

गुणात्मक प्रकटन:

मूल संकेतक दृष्टिकोण (बेसिक इंडिकेटर अप्रोच) के तहत परिचालन जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षा ₹ 25,798.51 मिलियन है।

डी एफ तालिका – 9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

(i) गुणात्मक प्रकटन:

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) से तात्पर्य ब्याज दर में प्रतिकूल संचलन से उपजे बैंक की पूंजी व अर्जन हेतु वर्तमान व संभावित जोखिम से है। ब्याज दर में परिवर्तन के साथ बैंक के आस्तियों, देयताओं व ऑफ-बैलेंस शीट मद के अंतर्निहित मूल्य भी परिवर्तित होते हैं और उसी प्रकार से उसके आर्थिक मूल्य भी परिवर्तित होता है।

- Executives at Circles overseeing Risk Management Section.
- Risk Management Sections at Circles.

The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems: The Risk reporting consists of operational risk loss incidents/events occurred in branches/offices relating to people, process, technology and external events. The data collected from different sources are used for analyzing the root cause/gaps in the system and thereby improve/strengthen the laid down system and procedures. The loss incidents are also incorporated in loss data base which shall be used for computing Operational Risk Capital Charge on migrating to Advanced Measurement Approach (AMA).

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants: Bank has put in place policies for management of Operational Risk management. The policy framework contains various aspects of Operational risk management such as identification, management, monitoring & mitigation of Operational risk areas.

In order to address risks involved in Outsourcing of activities, bank has put in place policies for management of Outsourcing Risk.

Operational Risk capital assessment: The Bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for Operational Risk.

Bank intends to migrate to the Advanced Measurement Approach ("AMA").

Quantitative Disclosure:

The capital requirement for Operational Risk under Basic Indicator Approach is ₹ 25,798.51 Millions.

TABLE DF – 9: INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

(i) Qualitative Disclosures

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) refers to the current or prospective risk to the bank's capital and earnings arising from adverse movements in interest rates. With change in interest rates the underlying value of Bank's assets, liabilities and off-balance sheet items also gets altered and so its economic value.

दर संवेदनशील आस्तियों व दर संवेदनशील देयताओं के मध्य पुनर्मूल्यनिर्धारण गैप के कारण ब्याज दर में परिवर्तन, अल्पावधि में बैंक के अर्जन या निवल ब्याज आय (एनआईआई) को भी प्रभावित करता है। ब्याज दर जोखिम के मुख्य प्रकार हैं:

- क) बैंकिंग बही लिखत की सावधि संरचना से और दर संवेदनशील आस्तियों (आरएसए) व दर संवेदनशील देयताओं (आरएसएल) के मध्य पुनर्मूल्यनिर्धारण गैप की सीमा से उपजे गैप जोखिम
- ख) आधार जोखिम – समान पुनर्मूल्यनिर्धारण वाले, परंतु भिन्न ब्याज दर कर्व से संबद्ध आरएसए व आरएसएल हेतु ब्याज दर में सापेक्ष परिवर्तन के प्रभाव
- ग) ऑप्शन जोखिम मुख्यतः बैंक की आस्तियों, देयताओं और/या ऑफ-बैलेंस शीट मदों में स्पष्ट या एम्बेडेड ऑप्शन से उपजता है, जहाँ बैंक या ग्राहक अपने नकद प्रवाह के स्तर और समयावधि को परिवर्तित कर सकते हैं।

संगठनात्मक ढांचा

आईआरआरबीबी को प्रशासित करने वाले व्यापक कारोबार रणनीति और समग्र नीतियों को निदेशक मंडल अनुमोदित करता है। उचित सीमा, उपयुक्त प्रणाली और मापने हेतु मानकों को स्थापित करने के लिये यह जिम्मेदार है।

आईआरआरबीबी की निगरानी और प्रबन्धन को आस्ति देयता प्रबन्धन समिति (एएलसीओ) को प्रत्यायोजित किया गया है तथा निदेशक मंडल द्वारा दोनों अर्जन व आर्थिक मूल्य के अनुसार स्पष्ट किए गए जोखिम सीमा के अनुसार नीतियों व कारोबार रणनीति के अनुपालन हेतु यह जिम्मेदार है। अनुमानित ब्याज दर संचलन के आधार पर एएलसीओ कारोबार संविभाग, प्रबन्धन रणनीति आदि पर निर्णय लेता है तथा आवश्यक कार्रवाई द्वारा जोखिम को नियंत्रित करता है।

रणनीतियां व प्रक्रियाएं

बैंक महत्वपूर्ण मुद्दाओं में ऑफ-बैलेंस शीट मद सहित अपने दर संवेदनशील आस्ति व दर संवेदनशील देयता के मध्य पुनर्मूल्यनिर्धारण का मिलान करने हेतु प्रयास कर रहा है। बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम को मासिक आधार पर बैंक के वैश्विक स्थिति हेतु पारंपरिक गैप विश्लेषण (टीजीए) व अवधि गैप विश्लेषण (डीजीए) को प्रयुक्त करने के द्वारा मापा जा रहा है और निगरानी की जा रही है।

टीजीए दृष्टिकोण को प्रयुक्त करने के द्वारा विभिन्न समय बैंडों में आरएसए व आरएसएल के मध्य पुनर्मूल्यनिर्धारण गैप को मापा जा रहा है और निगरानी की जा रही है। पुनर्मूल्यनिर्धारण गैप एक वर्ष की अल्पावधि तक प्रतिकूल दर संचलन के लिये बैंक के अर्जन को प्रभावित कर सकता है। इसका मूल्यांकन पैरलल दर शॉक देने के द्वारा किया गया है तथा अर्जन जोखिम के रूप में परिभाषित निर्धारित सहन सीमा के एवज में निगरानी की गई है।

डीजीए दृष्टिकोण के तहत उपलब्ध ब्याज दर शॉक हेतु देयता के अलावा बैंक की आस्ति के मूल्य परिवर्तन को संशोधित अवधि दृष्टिकोण को

Changes in interest rates also affect a bank's earnings or net interest income (NII) in the short term – on account of re-pricing gaps between its rate sensitive assets and rate sensitive liabilities. Three main types of interest rate risk include:

- (a) Gap risk arises from the term structure of banking book instrument and the extent of re-pricing gap between rate sensitive assets (RSA) and rate sensitive liabilities (RSL).
- (b) Basis risk – the impact of relative changes in interest rates for RSA and RSL that have similar re-pricing but are linked to different interest rate curve.
- (c) Option risk in the Bank mainly arises from explicit or embedded options in a bank's assets, liabilities and/or off-balance sheet items, where the bank or its customer can alter the level and timing of their cash flows.

Organizational Framework

The Board of Directors approves the broad business strategy and overall policies governing the IRRBB. It is responsible for setting appropriate limits, adequate systems and standards for measuring.

Monitoring and management of IRRBB is delegated to the Asset Liability Management Committee (ALCO) and is responsible for adherence to the policies and business strategy as per the risk limit articulated in terms of both earnings and economic value by the Board of Directors. Basing on the likely interest rate movement, the ALCO decides on the business mix, strategy to manage and control the risk by taking early remedial actions.

Strategies and Processes

The Bank strives to match the re-pricing gap between its rate sensitive assets and rate sensitive liabilities including off-balance sheet items across significant currencies. Interest rate risk in banking book is measured and monitored using Traditional Gap Analysis (TGA) and the Duration Gap Analysis (DGA) to Bank's global position on a monthly basis.

Using TGA approach, the re-pricing gaps between RSA and RSL are measured and monitored across different time bands. The re-pricing gap may impact Bank's earning for adverse rate movement in the short term upto one year. It is assessed by giving parallel rate shocks and is monitored against the set tolerance limit termed Earning at Risk.

Under DGA approach, the change in the value of Bank's assets less liability for a given interest rate shock is

प्रयुक्त करने के द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा। आरएसए व आरएसएल के संशोधित अवधि के मध्य गैप की सीमा, आस्ति के मूल्य में से बैंक के नेटवर्थ पर देयता को घटाने पर संभावित परिवर्तन को दर्शाएगा जिसे इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई) में परिवर्तन नाम से अभिहित किया जाता है। निर्धारित सीमा के एवज में आईआरआरबीबी के तहत एमवीई को मापा जाता है और उसकी निगरानी की जाती है।

(i) परिमाणात्मक प्रकटन

आय अर्जन में जोखिम

निम्नलिखित तालिका में यथा 31.03.2017 को सभी मुद्राओं में एक वर्ष तक की अवधि के लिए ब्याज दर में कल्पित 100 आधार बिंदु (बीपीएस) समांतर परिवर्तन के संबंध में बैंक की निवल ब्याज आय पर होनेवाले प्रभाव की जानकारी है:

राशि (₹ मिलियन में)

मुद्रा	1 वर्ष तक ब्याज दर में परिवर्तन	
	31.03.2017	
	-100 बीपीएस	+100 बीपीएस
आईएनआर	(1,028.00)	1,028.00
यूएसडी	(1,228.40)	1,228.40
अन्य	(32.60)	32.60
कुल	(2,289.00)	2,289.00

इक्विटी का आर्थिक मूल्य

निम्नलिखित तालिका में यथा 31.03.2017 को बैंकिंग बही पर कल्पित 200 आधार बिंदु (बीपीएस) के संबंध में इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर होनेवाले प्रभाव की जानकारी है:

इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन	-200 बीपीएस	+200 बीपीएस
	18.66%	(18.66)%

डीएफ तालिका – 10: प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के संबंध में सामान्य प्रकटन

(i) गुणात्मक प्रकटन

बैंक में, प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम प्रबंधन के संबंध में नीति है जिसपर निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त है। इस नीति में, बैंक में प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम प्रबंधन के संबंध में मानकों व दिशानिर्देश निर्धारित की गयी है। इस नीति के ज़रिए बैंक को विभिन्न घटकों व जोखिमों के संगत स्रोतों को प्रावित करते हुए बाजार व्यापारित लिखतों में सीसीआर की पहचान करने के लिए मानकों व दिशानिर्देशों को स्थापित करना होगा। इसके ज़रिए निपटान-पूर्व जोखिम, निपटान जोखिम व गलत प्रकार की जोखिम का समाधान होता है।

assessed using modified duration approach. The extent of the gap between modified duration of RSA and RSL gives the prospective change in the value of assets less liability to the net-worth of the Bank termed as change in Market Value of Equity (MVE). MVE under IRRBB is measured and monitored against the set limit.

(ii) Quantitative Disclosures

EARNINGS AT RISK

The following table presents the impact on net interest income of the Bank for an assumed parallel shift of 100 bps in interest rate up to one year across currencies as at 31.03.2017:

Amount (₹ in Millions)

Currencies	Change in interest rate up to 1 Year	
	31.03.2017	
	-100 bps	+100 bps
INR	(1,028.00)	1,028.00
USD	(1,228.40)	1,228.40
Others	(32.60)	32.60
Total	(2,289.00)	2,289.00

ECONOMIC VALUE OF EQUITY

The table reveals the impact on Economic Value of Equity for an assumed rate shock of 200 bps on the Banking Book as at 31.03.2017

Change in Economic Value of Equity	-200 bps	+200 bps
	18.66%	(18.66)%

TABLE DF – 10: GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK

(i) Qualitative Disclosures

Bank's policy on Counterparty Credit Risk Management sets out the standards and guidelines for Counterparty Credit Risk Management at the Bank. Through this policy the bank shall establish its standards and guidelines for identification of CCR in market traded instruments covering various components and relevant sources of risks. This addresses Pre-settlement Risk, Settlement Risk and Wrong Way Risk.

बैंक की सीमा सेटिंग व निगरानी प्रमुख रूप से मौजूदा नीतियों यथा, ऋण नीति, साख जोखिम प्रबन्धन नीति, निवेश नीति, बाजार जोखिम हेतु मास्टर नीति, काउंटरपक्ष बैंकों के एक्सपोजर सीमा पर नीति एवं ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर पर नीति द्वारा प्रावर्तित है।

Bank's limit setting and monitoring is primarily covered across existing policies such as Loan Policy, Credit Risk Management Policy, Investment Policy, Master Policy for Market Risk, Policy on Exposure Limits on Counterparty Banks and Policy on Off- Balance Sheet Exposure.

(ii) गुणात्मक प्रकटन

राशि (₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	कल्पित राशि		चालू लेनदेन (एक्सपोजर)	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
1	विदेशी विनिमय संविदा	3,407,883.00	1,877,040.00	79,007.00	20,934.10
2	परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर की अदला-बदली	0.00	0.00	0.00	0.00
3	एकल मुद्रा ब्याज दर की अदला-बदली	32,425.90	69,567.10	73.10	1,487.40
4	कुल योग	3,440,308.90	1,946,607.10	79,080.10	22,421.50

(ii) Quantitative disclosure

Amount (₹ in Millions)

Sl No	Particulars	Notional Amount		Current Exposure	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
1	Foreign Exchange Contracts	3,407,883.00	1,877,040.00	79,007.00	20,934.10
2	Cross Currency Interest rate Swaps	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Single Currency Interest Rate Swaps	32,425.90	69,567.10	73.10	1,487.40
4	Total	3,440,308.90	1,946,607.10	79,080.10	22,421.50

डीएफ तालिका – 11: पूंजी का विन्यास

भाग I: बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट (मार्च 31, 2017 से प्रयुक्त किया जाना है)

मद	₹ मिलियन में	संदर्भ संख्या
सामान्य इक्विटी स्तर 1 पूंजी: साधन तथा भंडार		
1 प्रत्यक्षतः जारी विशेषक सामान्य शेयर पूंजी + संबंधित अतिरिक्त स्टॉक (शेयर प्रीमियम)	73,416.46	ए=ए1+ए2
2 रोक रखी गई आय	204,323.52	बी=बी1+बी2+बी3+बी4
3 संचित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य भंडार)	36,337.43	
4 सीईटी 1 से समाप्ति के अधीन प्रत्यक्षतः जारी पूंजी (केवल गैर संयुक्त स्टॉक कम्पनियों के लिये लागू)	-	
5 सहयोगियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्षों द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी1 समूह में अनुमत राशि)	169.77	सी1
6 विनियामक समायोजन के समक्ष सामान्य इक्विटी स्तर 1 पूंजी	314,247.18	
सामान्य इक्विटी स्तर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन		
7 विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	-	
8 साख (संबंधित कर देयता का निवल)	-	
9 बंधक शोधन अधिकार के अलावा अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	1,009.87	डी
10 आस्थगित कर आस्तियां	-	
11 नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि	-	
12 सामग्रियों के संभावित नुकसान में कमी	-	
13 बिक्री पर प्रतिभूतिकृत प्राप्ति	-	
14 उचित मूल्य की देयताओं पर स्वयं साख जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ व हानि	-	
15 निर्धारित लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियां	-	
16 स्वयं के शेयर में निवेश (रिपोर्ट किये गये तुलन पत्र पर भुगतान की गई पूंजी को बंद नहीं किया गया)	-	
17 सामान्य इक्विटी में विपरीत प्रतिधारिता	441.46	ई

TABLE DF – 11: COMPOSITION OF CAPITAL

Part I: Basel III common disclosure template (To be used from March 31, 2017)

Items		(₹ in millions)	Ref No
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	73,416.46	a=a1+a2
2	Retained earnings	204,323.52	b=b1+b2+b3+b4
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	36,337.43	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	-	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	169.77	c1
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	314,247.18	
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments	-	
8	Goodwill (net of related tax liability)	-	
9	Intangibles other than mortgage servicing rights (net of related tax liability)	1,009.87	d
10	Deferred tax assets	-	
11	Cash-flow hedge reserve	-	
12	Shortfall of provisions to expected losses	-	
13	Securitisation gain on sale	-	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-	
15	Defined-benefit pension fund net assets	-	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	-	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	441.46	e

मद	₹ मिलियन में	संदर्भ संख्या
18 बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाईयों की पूंजी में निवेश जो नियामक विमर्श के दायरे से बाहर है, निवल पात्र स्थितियां, जहाँ बैंक जारी शेयर पूंजी के 10% से अधिक पर स्वामित्व नहीं रखता (शुरुआती 10% से अधिक की राशि)	-	
19 बैंकिंग, वित्तीय व बीमा इकाई जो कुल पात्र स्थिति में विनियामक विमर्श के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश (10% की शुरुआती राशि से अधिक)	-	
20 बंधक शोधन अधिकार(10% की शुरुआती राशि से अधिक)	-	
21 अस्थाई अंतर के कारण आस्थगित कर आस्तियां (10% की शुरुआती राशि से अधिक, संबंधित कर देयता का निवल)	-	
22 15% की शुरुआती राशि से अधिक	-	
23 जिसमें: वित्तीय इकाईयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	-	
24 जिसमें: बंधक शोधन अधिकार	-	
25 जिसमें: अस्थाई अंतर के कारण आस्थगित कर आस्तियां	-	
26 राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	4,867.40	
26a जिसमें: गैर समेकित बीमा सहायकों के इक्विटी पूंजी में निवेश	4,845.00	एफ1
26b जिसमें: गैर समेकित गैर वित्तीय सहायकों के इक्विटी पूंजी में निवेश	22.40	एफ2
26c जिसमें: अधिकांश वित्तीय इकाईयों जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है उनकी इक्विटी पूंजी में निवेश	-	
26d जिसमें: गैर परिशोधित पेंशन निधि व्यय	-	एच
27 अपर्याप्त अतिरिक्त स्तर 1 तथा स्तर 2 के घटाव को प्रावरित करने के कारण सामान्य इक्विटी स्तर 1 के लिये विनियामक समायोजन	-	
28 सामान्य इक्विटी स्तर 1 को कुल विनियामक समायोजन	6,318.73	
29 सामान्य इक्विटी स्तर 1 पूंजी (सीईटी)	307,928.45	

	Items	(₹ in millions)	Ref No
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	-	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	-	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	-	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	-	
22	Amount exceeding the 15% threshold	-	
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	-	
24	of which: mortgage servicing rights	-	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	-	
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	4,867.40	
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	4,845.00	f1
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	22.40	f2
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-	
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	-	h
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	-	
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	6,318.73	
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	307,928.45	

मद		₹ मिलियन में	संदर्भ संख्या
अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी: लिखत			
30	प्रत्यक्षतः जारी अहर्कारी अतिरिक्त स्तर 1 लिखत + अतिरिक्त संबंधित स्टॉक (31+32)	25,000.00	आई2
31	जिसमें: लागू लेखांकन मानक के अंतर्गत इक्विटी की तरह वर्गीकृत (बेमियादी गैर संचयी तरजीही शेयर)	-	
32	जिसमें: लागू लेखांकन स्तर के अंतर्गत देयता की तरह वर्गीकृत (बेमियादी ऋण लिखत)	25,000.00	
33	अतिरिक्त स्तर 1 से हटाए जाने के अधीन प्रत्यक्षतः जारी पूंजी लिखत	7,948.00	आई1
34	सहायकों द्वारा जारी तथा तृतीय पक्ष द्वारा रखी गई (समूह एटी1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त स्तर 1 लिखत (तथा सीईटी1 लिखत को पंक्ति 5 में शामिल नहीं किया गया है)	31.83	सी2
35	जिसमें: हटाए जाने के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत	-	
36	विनियामक समायोजन के समक्ष अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी	32,979.83	
अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
37	स्वयं के अतिरिक्त स्तर 1 लिखतों में निवेश	-	
38	अतिरिक्त स्तर 1 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता	3,983.71	जे
39	विनियामक विमर्श के दायरे के बाहर बैंकिंग, वित्तीय व बीमा इकाईयों की पूंजी में निवेश, पात्र स्थिति का निवल जहाँ बैंक के पास इकाई के जारी सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक नहीं हो (10% की शुरुआती सीमा से अधिक)	-	
40	बैंकिंग, वित्तीय व बीमा इकाई जो कुल पात्र स्थिति में विनियामक विमर्श के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश (10% की शुरुआती राशि से अधिक)	-	
41	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	-	
41a	गैर समेकित बीमा सहायकों के अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी में निवेश	-	
41b	अधिकांश वित्तीय इकाईयों जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है उनके अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी में कमी	-	

Items		(₹ in millions)	Ref No
Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (share premium) (31+32)	25,000.00	i2
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	25,000.00	
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	7,948.00	i1
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	31.83	c2
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-	
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	32,979.83	
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	-	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	3,983.71	j
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	-	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	-	
41a	of which: Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-	
41b	of which: Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-	

मद		₹ मिलियन में	संदर्भ संख्या
42	अपर्याप्त अतिरिक्त स्तर 1 तथा स्तर 2 के घटाव को प्रावरित करने के कारण सामान्य इक्विटी स्तर 1 के लिये विनियामक समायोजन	-	
43	सामान्य इक्विटी स्तर 1 को कुल विनियामक समायोजन	3,983.71	
44	अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी (एटी1)	28,996.12	
45	स्तर 1 पूंजी (टी1=सीईटी1+एटी1) (29+44)	336,924.57	
स्तर 2 पूंजी : पूंजी लिखत व प्रावधान			
46	प्रत्यक्षतः जारी अहर्कारी अतिरिक्त स्तर 1 लिखत + अतिरिक्त संबंधित स्टॉक	79,000.00	के2
47	स्तर 2 से हटाए जाने के अधीन प्रत्यक्षतः जारी पूंजी लिखत	5,650.00	के1
48	सहायकों द्वारा जारी तथा तृतीय पक्षों द्वारा रखे गये (समूह स्तर 2 में अनुमत राशि) स्तर 2 लिखत (तथा पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं किये गये सीईटी1 तथा एटी1 लिखत)	40.01	सी3
49	जिसमें : हटाए जाने के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत	-	
50	प्रावधान	20,412.34	एल= एल1+एल2+एल3+एल4
51	विनियामक समायोजन के समक्ष स्तर 2 पूंजी	105,102.35	
स्तर 2 पूंजी :विनियामक समायोजन			
52	स्वयं के स्तर 2 लिखतों में निवेश	-	
53	अतिरिक्त स्तर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	324.30	एम
54	विनियामक विमर्श के दायरे के बाहर बैंकिंग, वित्तीय व बीमा इकाईयों की पूंजी में निवेश, पात्र स्थिति का निवल जहाँ बैंक के पास इकाई के जारी सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक नहीं हो (10% की शुरुआती सीमा से अधिक)	-	
55	बैंकिंग, वित्तीय व बीमा इकाई जो कुल पात्र स्थिति में विनियामक विमर्श के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश 10% की शुरुआती राशि से अधिक)	-	
56	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	-	
56a	जिसका: असमेकित सहायक कंपनियों के टीयर 2 पूंजी में निवेश	-	
56b	जिसका: जो बैंक के साथ समेकित नहीं किये गये हैं, उन बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टीयर 2 पूंजी में कमी	-	

Items		(₹ in millions)	Ref No
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	-	
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	3,983.71	
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	28,996.12	
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44)	336,924.57	
Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	79,000.00	k2
47	<i>Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2</i>	5,650.00	k1
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	40.01	c3
49	<i>of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out</i>	-	
50	Provisions	20,412.34	l= 1+ 2+ 3+ 4
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	105,102.35	
Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	Investments in own Tier 2 instruments	-	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	324.30	m
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	-	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	-	
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	-	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-	

मद		₹ मिलियन में	संदर्भ संख्या
57	टीयर 2 पूंजी के लिए कुल नियामक समायोजन	324.30	
58	टीयर 2 पूंजी (टी 2)	104,778.05	
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58)	441,702.62	
60	कुल जोखिम भारत परिसंपत्ति (60ए + 60बी + 60सी)	3,408,620.40	
60a	जिसका: कुल ऋण जोखिम भारत संपत्ति	2,892,080.00	
60b	जिसका: कुल बाजार जोखिम भारत संपत्ति	264,847.62	
60c	जिसका कि: कुल परिचालन जोखिम भारत संपत्ति	251,692.78	
पूंजी अनुपात व बफर			
61	सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारत परिसंपत्तियों के एक प्रतिशत के रूप में)	9.03%	
62	टीयर 1 (जोखिम भारत परिसंपत्तियों के एक प्रतिशत के रूप में)	9.88%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारत परिसंपत्तियों के एक प्रतिशत के रूप में)	12.96%	
64	संस्था विशिष्ट बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता प्लस पूंजी संरक्षण और काउंटरसिक्लिक्ल बफर आवश्यकताओं, जोखिम भारत परिसंपत्तियों के एक प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	8.00%	
65	जिसका: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	2.50%	
66	जिसका: बैंक विशिष्ट काउंटरसिक्लिक्ल बफर आवश्यकता	0.00	
67	जिसका: जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	0.00	
68	(जोखिम भारत परिसंपत्तियों के एक प्रतिशत के रूप में) बफर्स को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टीयर 1	3.53%	
राष्ट्रीय न्यूनतम (बासेल लल्ल से अगर भिन्न है तो)			
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (बासेल III न्यूनतम से अगर भिन्न है तो)	6.75%	
70	राष्ट्रीय टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (अगर बासेल III के न्यूनतम से भिन्न है तो)	8.25%	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (अगर बासेल III के न्यूनतम से भिन्न है तो)	10.25%	
कटीती के लिए सीमा से नीचे की राशि (जोखिम भार से पहले)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	11,997.67	
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	3,384.84	

Items		(₹ in millions)	Ref No
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 Capital	324.30	
58	Tier 2 capital (T2)	104,778.05	
59	Total Capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)	441,702.62	
60	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	3,408,620.40	
60a	<i>of which:</i> total credit risk weighted assets	2,892,080.00	
60b	<i>of which:</i> total market risk weighted assets	264,847.62	
60c	<i>of which:</i> total operational risk weighted assets	251,692.78	
Capital ratios and buffers			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.03%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.88%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	12.96%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements plus G-SIB buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	8.00%	
65	<i>of which:</i> capital conservation buffer requirement	2.50%	
66	<i>of which:</i> bank specific countercyclical buffer requirement	0.00	
67	<i>of which:</i> G-SIB buffer requirement	0.00	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	3.53%	
National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	6.75%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.25%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	10.25%	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	11,997.67	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	3,384.84	

	मद	₹ मिलियन में	संदर्भ संख्या
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00	
75	अस्थायी मतभेद से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्ति (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00	
टियर 2 में प्रावधानों के समावेशन पर लागू ऊपरी सीमा			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण (ऊपरी सीमा के आवेदन से पहले) के विषयक एक्सपोज़र के संबंध में टियर 2 में समावेशन हेतु पात्र प्रावधान	20,412.34	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों के समावेशन पर ऊपरी सीमा	36,151.00	
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (ऊपरी सीमा के आवेदन से पहले) के विषयक एक्सपोज़र के संबंध में टियर 2 में समावेशन हेतु पात्र प्रावधान	-	
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों के समावेशन हेतु ऊपरी सीमा	-	
समाप्त किए जाने की व्यवस्थाओं के अधीन पूंजी लिखत (केवल मार्च 31, 2017 और मार्च 31, 2022 के बीच लागू)			
80	समाप्त किए जाने की व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी1 लिखतों पर चालू ऊपरी सीमा	-	
81	ऊपरी सीमा के कारण सीईटी 1 से निकाली गई राशि (शोधनों और परिपक्वता के बाद ऊपरी सीमा से अधिक)	-	
82	समाप्त किए जाने की व्यवस्थाओं के अधीन एटी1 लिखतों पर चालू ऊपरी सीमा	7,948.00	
83	ऊपरी सीमा के कारण एटी1 से निकाली गई राशि (शोधनों और परिपक्वता के बाद ऊपरी सीमा से अधिक)	7,948.00	
84	समाप्त किए जाने की व्यवस्थाओं के अधीन टी2 लिखतों पर चालू ऊपरी सीमा	5,650.00	
85	ऊपरी सीमा के कारण टी2 से निकाली गई राशि (शोधनों और परिपक्वता के बाद ऊपरी सीमा से अधिक)	1,000.00	

Items		(₹ in millions)	Ref No
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0.00	
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	20,412.34	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach	36,151.00	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	-	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	-	
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	-	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	-	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	7,948.00	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	7,948.00	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	5,650.00	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	1,000.00	

डीएफ तालिका - 12 : पूंजी का विन्यास - समाधान की आवश्यकताएं

पहला चरण

(₹ मिलियन में)

		वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन पत्र 31 मार्च 2017 तक	विनियामक विमर्श दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र 31 मार्च 2017 तक
क	पूंजी व देयताएं		
i	चुकता पूंजी	5,972.90	5,972.90
	आरक्षित निधि व अतिरिक्त निधि	340,881.14	332,983.77
	अल्पांश ब्याज	4,980.72	1,206.50
	कुल पूंजी	351,834.76	340,163.17
ii	जमा	4,952,663.38	4,953,247.60
	जिसमें: बैंक से जमा	334,071.12	334,071.12
	जिसमें: ग्राहक जमा (सावधि जमाओं के अलावा)	1,495,303.07	1,495,702.10
	जिसमें: सावधि जमा व अन्य	3,123,289.19	3,123,474.38
iii	उधार	395,917.55	395,917.55
	जिसमें: भा.रि.बैंक से	7,000.00	7,000.00
	जिसमें: बैंकों से	227,293.09	227,293.09
	जिसमें: अन्य संस्थानों व एजेंसियों से	21,478.46	21,478.46
	जिसमें: गैर प्रतिभूतिकृत प्रतिदेय बॉन्ड	140,146.00	140,146.00
iv	अन्य देयताएं व प्रावधान	261,171.80	152,825.50
	कुल	5,961,587.49	5,842,153.82
B	आस्तियां		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गये नकद व शेष बैंकों के साथ रखा गया शेष तथा मांग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	199,244.87	199,241.42
ii	निवेश	1,620,729.20	1,504,047.81
	जिसमें: सरकारी प्रतिभूतियां	1,390,289.23	1,359,812.78
	जिसमें: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	4,283.27	14.99
	जिसमें: शेयर	66,417.87	19,318.68
	जिसमें: डिबेंचर व बॉन्ड	85,989.18	73,780.49
	जिसमें: सहायक / संयुक्त उद्यम / सहभागी	10,074.59	6,231.53
	जिसमें: अन्य(वाणिज्यिक दस्तावेज, म्युचुअल फंड, इत्यादि)	63,675.06	44,889.34
iii	ऋण व अग्रिम	3,423,201.42	3,423,201.42
	जिसमें: बैंकों को ऋण व अग्रिम	218.74	218.74
	जिसमें: ग्राहकों को ऋण व अग्रिम	3,422,982.68	3,422,982.68
iv	नियत आस्तियां	71,849.96	71,760.78
	जिसमें: अमूर्त आस्तियां	1,009.87	1,009.87
v	अन्य आस्तियां	256,133.15	254,439.79
	जिसमें: आस्थगित कर आस्तियां	12,230.35	12,231.12
vi	साख विमर्श	-	-
vii	लाभ व हानि खाता में नामे शेष	-	-
	कुल आस्ति	5,961,587.49	5,842,153.82

TABLE DF – 12: COMPOSITION OF CAPITAL – RECONCILIATION REQUIREMENTS

Step 1

(₹in Million)

		Balance sheet as in Financial Statements	Balance sheet under regulatory scope of Consolidation
		As at 31st March 2017	As at 31st March 2017
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital	5,972.90	5,972.90
	Reserves & Surplus	340,881.14	332,983.77
	Minority Interest	4,980.72	1,206.50
	Total Capital	351,834.76	340,163.17
ii	Deposits	4,952,663.38	4,953,247.60
	of which: Deposits from banks	334,071.12	334,071.12
	of which: Customer deposits (Excluding Term Deposit)	1,495,303.07	1,495,702.10
	of which: Term Deposits – Others	3,123,289.19	3,123,474.38
iii	Borrowings	395,917.55	395,917.55
	of which: From RBI	7,000.00	7,000.00
	of which: From banks	227,293.09	227,293.09
	of which: From other institutions & agencies	21,478.46	21,478.46
	of which: Unsecured Redeemable Bonds	140,146.00	140,146.00
iv	Other liabilities & provisions	261,171.80	152,825.50
	Total	5,961,587.49	5,842,153.82
B	Assets		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	199,244.87	199,241.42
	Balance with banks and money at call and short notice	390,428.89	389,462.60
ii	Investments:	1,620,729.20	1,504,047.81
	of which: Government securities	1,390,289.23	1,359,812.78
	of which: Other approved securities	4,283.27	14.99
	of which: Shares	66,417.87	19,318.68
	of which: Debentures & Bonds	85,989.18	73,780.49
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	10,074.59	6,231.53
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	63,675.06	44,889.34
iii	Loans and advances	3,423,201.42	3,423,201.42
	of which: Loans and advances to banks	218.74	218.74
	of which: Loans and advances to customers	3,422,982.68	3,422,982.68
iv	Fixed assets	71,849.96	71,760.78
	of which: Intangible Assets	1,009.87	1,009.87
v	Other assets	256,133.15	254,439.79
	of which: Deferred tax assets	12,230.35	12,231.12
vi	Goodwill on consolidation	-	-
vii	Debit balance in Profit & Loss account	-	-
	Total Assets	5,961,587.49	5,842,153.82

दूसरा चरण

(₹ मिलियन में)

		वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन पत्र	विनियामक विमर्श दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र	Ref No.
क	पूंजी व देयताएं	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2017 तक	
i	चुकता पूंजी	5,972.90	5,972.90	
	सीईटी 1 के लिये पात्र राशि	5,972.90	5,972.90	ए1
	जिसमें : एटी1 के लिये पात्र राशि	0.00	0.00	
	आरक्षित निधि व अतिरिक्त निधि	340,881.14	332,983.77	
	जिसमें:			
	- संवैधानिक आरक्षित निधि	83,140.60	83,140.60	बी1
	- शेयर प्रीमियम	68,693.56	67,443.56	ए2
	- पूंजी आरक्षित निधि	22,556.71	22,556.71	बी2
	- राजस्व आरक्षित निधि	65,271.06	58,626.21	बी3
	- विशेष आरक्षित निधि	40,000.00	40,000.00	बी4
	- विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि	1,162.57	1,162.57	एन1 (75%)
	- पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि	53,731.50	53,731.50	एन2 (45%)
	- निवेश आरक्षित निधि खाता	5,658.00	5,658.00	एल2
	- समेकन पर पूंजी आरक्षित निधि	27.92	25.40	
	- लाभ व हानि लेखा में अनियोजित शेष	639.22	639.22	
	अल्पांश ब्याज	4,980.72	1,206.50	
	जिसमें: सामान्य इक्विटी टीयर 1 के लिए पात्र		169.77	सी1
	जिसमें: सामान्य इक्विटी टीयर 2 के लिए पात्र		31.83	सी2
	जिसमें: टीयर 2 हेतु पात्र है		40.01	सी3
	कुल पूंजी	351,834.76	340,163.17	
ii	जमा	4,952,663.38	4,953,247.60	
	जिसमें: बैंकों से जमा	334,071.12	334,071.12	
	जिसमें: ग्राहक जमा (सावधि जमा के अलावा)	1,495,303.07	1,495,702.10	
	जिसमें: सावधि जमा - अन्य	3,123,289.19	3,123,474.38	
iii	उधार	395,917.55	395,917.55	
	जिसमें : भा.रि.बैंक से	7,000.00	7,000.00	
	जिसमें : बैंकों से	227,293.09	227,293.09	
	जिसमें : अन्य संस्थानों व एजेंसियों से	21,478.46	21,478.46	
	जिसमें : गैर प्रतिभूतिकृत प्रतिदेय बॉन्ड	140,146.00	140,146.00	
	जिसमें : पात्र एटी1 लिखत	7,948.00	7,948.00	आई1
	जिसमें: पात्र एटी1 लिखत परंतु चरण से बाहर के अधीन नहीं	25,000.00	25,000.00	आई2
	जिसमें: पात्र स्तर II बॉन्ड	5,650.00	5,650.00	के1
	जिसमें: समाप्त नहीं किए जाने वाले पात्र टीयर II बॉन्ड	79,000.00	79,000.00	के2

Step 2

(₹in Million)

		Balance sheet as in Financial Statements	Balance sheet under regulatory scope of Consolidation	Ref No.
A	Capital & Liabilities	As at 31st March, 2017	As at 31st March, 2017	
i	Paid-up Capital	5,972.90	5,972.90	
	of which: Amount eligible for CET1	5,972.90	5,972.90	a1
	of which: Amount eligible for AT1	0.00	0.00	
	Reserves & Surplus	340,881.14	332,983.77	
	of which:			
	- Statutory Reserve	83,140.60	83,140.60	b1
	- Share Premium	68,693.56	67,443.56	a2
	- Capital Reserve	22,556.71	22,556.71	b2
	- Revenue Reserve	65,271.06	58,626.21	b3
	- Special Reserve	40,000.00	40,000.00	b4
	- Foreign Currency Translation Reserve	1,162.57	1,162.57	n1 (75%)
	- Revaluation Reserve	53,731.50	53,731.50	n2 (45%)
	- Investment Reserve Account	5,658.00	5,658.00	l2
	- Capital Reserve on Consolidation	27.92	25.40	
	- Un-appropriated Balance in Profit and Loss Account	639.22	639.22	
	Minority Interest	4,980.72	1,206.50	
	of which eligible for Common Equity Tier 1		169.77	c1
	of which eligible for Additional Tier 1		31.83	c2
	of which eligible for Tier 2		40.01	c3
	Total Capital	351,834.76	340,163.17	
ii	Deposits	4,952,663.38	4,953,247.60	
	of which: Deposits from banks	334,071.12	334,071.12	
	of which: Customer deposits	1,495,303.07	1,495,702.10	
	of which: Term Deposits - Others	3,123,289.19	3,123,474.38	
iii	Borrowings	395,917.55	395,917.55	
	of which: From RBI	7,000.00	7,000.00	
	of which: From banks	227,293.09	227,293.09	
	of which: From other institutions & agencies	21,478.46	21,478.46	
	of which: Unsecured Redeemable Bonds	140,146.00	140,146.00	
	of which: Eligible AT 1 Instruments	7,948.00	7,948.00	i1
	of which: Eligible AT 1 Instruments not subject to phased out	25,000.00	25,000.00	i2
	of which: Eligible Tier II Bonds	5,650.00	5,650.00	k1
	of which: Eligible Tier II Bonds not subject to phased out	79,000.00	79,000.00	k2

iv	अन्य देयताएं व प्रावधान	261,171.80	152,825.50	
	जिसमें: साख से संबंधित डीटीएल	0.00	0.00	
	जिसमें: अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	0.00	0.00	
	जिसमें: मानक आस्ति प्रावधान	14,401.34	14,401.34	एल1
	जिसमें: देशीय जोखिम प्रावधान	353.00	353.00	एल3
	कुल	5,961,587.49	5,842,153.82	
ख	आस्ति			
i	भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकद व शेष/ बैंकों के साथ रखी गई राशि तथा मांग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय	199,244.87	199,241.42	
ii	निवेश	1,620,729.20	1,504,047.81	
	जिसमें: सरकारी प्रतिभूतियां	1,390,289.23	1,359,812.78	
	जिसमें: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	4,283.27	14.99	
	जिसमें: शेयर	66,417.87	19,318.68	
	जिसमें: सीईटी 1 पूंजी लिखतों में पात्र विपरीत प्रतिधारिता	441.46	441.46	ई
	जिसमें डिबेंचर व बॉन्ड	85,989.18	73,780.49	
	जिसमें: एटी1 पूंजी लिखतों में पात्र विपरीत प्रतिधारिता	3,983.71	3,983.71	जे
	जिसमें: स्तर 2 पूंजी लिखतों में पात्र विपरीत प्रतिधारिता	324.30	324.30	एम
	जिसमें: सहायक / संयुक्त उद्यम/ सहभागी	10,074.59	6,231.53	
	जिसमें: असम्मिलित बीमा सहायकों की इक्विटी पूंजी में निवेश	4,845.00	4,845.00	जी=
	जिसमें: असम्मिलित गैर वित्तीय सहायकों की इक्विटी पूंजी में निवेश	22.40	22.40	एफ1+एफ2+ एफ3+एफ4
	जिसमें: अन्य (वाणिज्यिक दस्तावेज़, म्युचुअल फंड, इत्यादि)	63,675.06	44,889.34	
iii	ऋण व अग्रिम	3,423,201.42	3,423,201.42	
	जिसमें: बैंकों को ऋण व अग्रिम	218.74	218.74	
	जिसमें: ग्राहकों को ऋण व अग्रिम	3,422,982.68	3,422,982.68	
iv	नियत आस्तियां	71,849.96	71,760.78	
	जिसमें: अमूर्त आस्तियों की पात्र राशि	1,009.87	1,009.87	डी
v	अन्य आस्तियां	256,133.15	254,439.79	
	जिसमें: साख व अमूर्त आस्तियां	0.00	0.00	
	आस्थगित कर आस्तियां	12,230.35	12,231.12	एन3
	अपरिशोधित पेंशन व उपदान	0.00	0.00	एच
vi	विचारार्थ साख	0.00	0.00	
vii	लाभ व हानि खाता में नामे शेष	0.00	0.00	
	कुल आस्ति	5,961,587.49	5,842,153.82	

iv	Other liabilities & provisions	261,171.80	152,825.50	
	of which: DTLs related to goodwill	0.00	0.00	
	of which: DTLs related to intangible assets	0.00	0.00	
	of which: Standard Assets Provision	14,401.34	14,401.34	l1
	of which: Country Risk Provision	353.00	353.00	l3
	Total	5,961,587.49	5,842,153.82	
B	Assets			
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	199,244.87	199,241.42	
	Balance with banks and money at call and short notice	390,428.89	389,462.60	
ii	Investments	1,620,729.20	1,504,047.81	
	of which: Government securities	1,390,289.23	1,359,812.78	
	of which: Other approved securities	4,283.27	14.99	
	of which: Shares	66,417.87	19,318.68	
	of which: Eligible Reciprocal Cross Holding in CET 1 Capital instruments	441.46	441.46	e
	of which: Debentures & Bonds	85,989.18	73,780.49	
	of which: Eligible Reciprocal Cross Holding in AT1 capital instruments	3,983.71	3,983.71	j
	of which: Eligible Reciprocal Cross Holding in Tier 2 capital instruments	324.30	324.30	m
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	10,074.59	6,231.53	
	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	4,845.00	4,845.00	g=
	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated Non financial subsidiaries	22.40	22.40	f1+f2+f3+f4
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	63,675.06	44,889.34	
iii	Loans and advances	3,423,201.42	3,423,201.42	
	of which: Loans and advances to banks	218.74	218.74	
	of which: Loans and advances to customers	3,422,982.68	3,422,982.68	
iv	Fixed assets	71,849.96	71,760.78	
	of which: Eligible amount of Intangible assets	1,009.87	1,009.87	d
v	Other assets	256,133.15	254,439.79	
	of which: Goodwill and intangible assets	0.00	0.00	
	of which: Deferred tax assets	12,230.35	12,231.12	n3
	of which: Unamortised Pension and Gratuity	0.00	0.00	h
vi	of which: Goodwill on consolidation	0.00	0.00	
vii	of which: Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00	
	Total Assets	5,961,587.49	5,842,153.82	

चरण 3

बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट का सार (जोड़े गये कॉलम के साथ) – सारणी डीएफ-11
(भाग I / भाग II, जो भी लागू हो)

सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी: लिखत व रिज़र्व

	बैंक द्वारा रिपोर्ट की गयी विनियामक पूंजी का घटक	चरण 2 से समेकन के विनियामक दायरे के तहत बैलेंस शीट के सन्दर्भ संख्या / पत्रों पर आधारित स्रोत
1 अर्हकारी सामान्य शेयर (और गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनी हेतु समतुल्य) पूंजी प्लस संबंधित स्टॉक अधिशेष प्रत्यक्ष रूप से जारी किया गया	73,416.46	ए1+ए2
2 प्रतिधारित उपार्जन	204,323.52	बी1+बी2+बी3+बी4
3 अन्य व्यापक आय संचित किया (और अन्य रिज़र्व)	-	
4 सीईटी 1 से चरणबद्ध करने के विषयक प्रत्यक्ष रूप से पूंजी जारी की (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनी पर लागू)	-	
5 सहायक कंपनियों द्वारा सामान्य शेयर पूंजी जारी किया और तृतीय पक्ष द्वारा रखा गया (समूह सीईटी 1 में राशि को अनुमत किया गया)	169.77	सी 1
6 विनियामक समायोजन से पहले सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी/	314,247.18	
7 विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	-	
8 सुनाम (संबंधित कर दायित्व का निवल)	-	

Step 3

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – Table DF-11 (Part I/ Part II whichever applicable)			
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference number/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	73,416.46	a1+a2
2	Retained Earnings	204,323.52	b1+b2+b3+b4
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	-	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET 1 (only applicable to non-joint stock companies)	-	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	169.77	c1
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	314,247.18	
7	Prudential valuation adjustments	-	
8	Goodwill (net of related tax liability)	-	

तालिका डीएफ-13: विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

1. लिखत: इक्विटी शेयर

नियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण टेम्प्लेट		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएसआईएन – आईएनई 476ए01014
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 तथा केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम, 2000
	विनियामक व्यवस्था	सामान्य इक्विटी टीयर 1
4	परिवर्तनीय बासेल III नियम	सामान्य इक्विटी टीयर 1
5	परिवर्तन-पश्चात बासेल III नियम	एकल व सामूहिक
6	एकल / सामूहिक / सामूहिक व एकल पर पात्र	इक्विटी शेयर
7	लिखत का प्रकार	5,972.90
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	5,972.90 (अंकित मूल्य – 10 रुपये)
9	लिखत का सममूल्य	इक्विटी शेयर पूंजी
10	लेखांकन वर्गीकरण	इक्विटी शेयर पूंजी
11	जारी होने की मूल तिथि	निम्न अनुलग्नक में दी गई विभिन्न तारीख
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	लागू नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	लागू नहीं
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	लागू नहीं
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	संपूर्ण विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	लागू नहीं
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय,, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं

DF – 13: MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

1. INSTRUMENT: Equity Shares

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	ISIN - INE476A01014
3	Governing law(s) of the instrument	Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Equity Shares
8	Amount recognized in regulatory capital (₹in million, as of most recent - reporting date)	5,972.90
9	Par value of instrument	5,972.90 (Face Value – ₹ 10/- per share)
10	Accounting classification	Equity Share Capital
11	Original date of issuance	Various dates as given in the annexure below
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Not Applicable
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable

28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, लेखन प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधिनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	परिसमापन में सबसे गौण दावे का प्रतिनिधित्व करता है
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हाँ, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

अनुबंध:

क्रमां	वर्ष	विवरण	इक्विटी शेयरों का संचयी संख्या
1	31.03.1999	भारत सरकार द्वारा धारित	300,000,000
2	14.12.2002	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) इक्विटी शेयरों का स्थानन	410,000,000
3	15.03.2011	अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन	443,000,000
4	31.12.2013	भारत सरकार को अधिमानी आबंटन	461,258,837
5	31.03.2015	भारत सरकार को अधिमानी आबंटन	475,196,971
6	12.05.2015	भारतीय जीवन बीमा निगम / एल आई सी की योजनाओं को अधिमानी आबंटन	515,196,971
7	30.09.2015	भारत सरकार को अधिमानी आबंटन	542,991,054
8	27.03.2017	शेयर का अधिकार इश्यू	597,290,159

28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Represents the most subordinated claim in liquidation
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Annexure:

Sl No	Year	Particulars	Cumulative number of Equity Shares
1	31.03.1999	Held by Government of India	300,000,000
2	14.12.2002	Initial Public Offer (IPO) Placement of Equity Shares	410,000,000
3	15.03.2011	Qualified Institutional Placement (QIP)	443,000,000
4	31.12.2013	Preferential Allotment to Government of India	461,258,837
5	31.03.2015	Preferential Allotment to Government of India	475,196,971
6	12.05.2015	Preferential Allotment to Life Insurance Corporation of India / Schemes of LIC	515,196,971
7	30.09.2015	Preferential Allotment to Government of India	542,991,054
8	27.03.2017	Rights issue of share	597,290,159

2. लिखत: नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) – स्तर I (सीरीज I)

विनियामक पूंजी लिखत की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09207
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
	<i>विनियामक व्यवस्था</i>	
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	अतिरिक्त स्तर 1
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	बेमियादी ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रूपया मिलियन में)	1,201.50
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	30/03/2009
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हाँ
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	30/03/2019
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
	<i>कूपन / लाभांश</i>	
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.00
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हाँ
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधिनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों का दावा, निवेशकों के इक्विटी शेयर में इक्विटी के दावे से उच्च होगा तथा अमूर्त रूप में जारी कर रहे / व्यापार कर रहे सभी अन्य लेनदारों के दावों के अधीन होगा।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हाँ, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

2. INSTRUMENT: Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) – Tier I (Series I)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09207
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	1,201.50
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	30-March-2009
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	30-March-2019
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.00
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinated to the claims of all other creditors Issuance/Trading in Dematerialized form.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

3. लिखत: नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) – स्तर I (श्रेणी II)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09215
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
<i>विनियामक व्यवस्था</i>		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	अतिरिक्त स्तर 1
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	बेमियादी ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	3000.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	21/08/2009
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हाँ
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	21/08/2019
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
<i>कूपन / लाभांश</i>		
17	नियत या अस्थिर लाभांश / कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.10
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हाँ
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों का दावा, निवेशकों के इक्विटी शेयर में इक्विटी के दावे से उच्च होगा तथा अमूर्त रूप में जारी कर रहे / व्यापार कर रहे सभी अन्य लेनदारों के दावों के अधीन होगा।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

3. INSTRUMENT: Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) – Tier I (Series II)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09215
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
<i>Regulatory treatment</i>		
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	3,000.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	21-Aug-2009
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	21-Aug-2019
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India
<i>Coupons / dividends</i>		
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.10
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinated to the claims of all other creditors Issuance/ Trading in Dematerialized form.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

4. लिखत: नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) – स्तर I (श्रेणी III)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09223
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
<i>विनियामक व्यवस्था</i>		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	अतिरिक्त स्तर 1
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	बेमियादी ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	3,746.50
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	03/08/2010
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हाँ
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	03/08/2020
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
<i>कूपन / लाभांश</i>		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.05
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हाँ
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों का दावा, निवेशकों के इक्विटी शेयर में इक्विटी के दावे से उच्च होगा तथा अमूर्त रूप में जारी कर रहे / व्यापार कर रहे सभी अन्य लेनदारों के दावों के अधीन होगा।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

4. INSTRUMENT: Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) – Tier I (Series III)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09223
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	3,746.50
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	03-Aug-2010
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	03-Aug-2020
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.05
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinated to the claims of all other creditors Issuance/Trading in Dematerialized form.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

5. लिखत: बासेल III अनुपालित अतिरिक्त टीयर I

विनियामक पूंजी लिखत की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए08035
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
<i>विनियामक व्यवस्था</i>		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	अतिरिक्त टायर 1
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	बेमियादी कर्ज लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	15,000.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	05/03/2015
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हाँ
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	05/03/2025
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
<i>कूपन / लाभांश</i>		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.55
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	पूर्ण रूप से विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	हाँ
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों का दावा, निवेशकों के इक्विटी शेयर व बेमियादी शेयर में इक्विटी के दावे से उच्च होगा; (बी) जमाकर्ताओं, सामन्य ऋणदाताओं व बैंक के अधीनस्थ कर्ज के अधीन होगा (सी) जारीकर्ता के गारंटी द्वारा न तो सुरक्षित न ही कवर एवं ना ही संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था जो कानूनी रूप से या अधिक रूप से ऋणदाता की वरिष्ठता को संवर्धित करता है।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

5. INSTRUMENT: Basel III Compliant Additional Tier I

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A08035
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	15,000.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	05-March-2015
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	05-March-2025
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India.
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.55
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down triggers (s)	As per RBI guidelines on Basel III
32	If write-down, full or partial	As per RBI guidelines on Basel III
33	If write-down, permanent or temporary	As per RBI guidelines on Basel III
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	As per RBI guidelines on Basel III
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in equity shares and perpetual non-cumulative preference shares; (b) subordinated to claims of depositors, general creditors and subordinated debt of the bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Issuer nor related entity or other arrangement that legal or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

6. लिखत: बासेल III अनुपालित अतिरिक्त टीयर I

विनियामक पूंजी लिखत की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएसई476ए08068
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
<i>विनियामक व्यवस्था</i>		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	अतिरिक्त टीयर 1
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अतिरिक्त टीयर 1
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	बेमियादी कर्ज लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	10,000.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	13/12/2016
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हाँ
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	13/12/2021
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
<i>कूपन / लाभांश</i>		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	8.60
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	पूर्ण रूप से विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हाँ
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	हाँ
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों का दावा, निवेशकों के इक्विटी शेयर व बेमियादी शेयर में इक्विटी के दावे से उच्च होगा; (बी) जमाकर्ताओं, सामान्य ऋणदाताओं व बैंक के अधीनस्थ कर्ज के अधीन होगा (सी) जारीकर्ता के गारंटी द्वारा न तो सुरक्षित न ही कवर एवं ना ही संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था जो कानूनी रूप से या अर्थिक रूप से ऋणदाता की वरिष्ठता को संवर्धित करता है।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हाँ, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

6. INSTRUMENT: Basel III Compliant Additional Tier I

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A08068
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	10,000.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	13-Dec-2016
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	13-Dec-2021
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India
Coupons / dividends		
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.60
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down triggers (s)	As per RBI guidelines on Basel III
32	If write-down, full or partial	As per RBI guidelines on Basel III
33	If write-down, permanent or temporary	As per RBI guidelines on Basel III
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	As per RBI guidelines on Basel III
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in equity shares and perpetual non-cumulative preference shares; (b) subordinated to claims of depositors, general creditors and subordinated debt of the bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Issuer nor related entity or other arrangement that legal or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

7. लिखत: ऊपरी स्तर II बॉन्ड (सीरीज III)

विनियामक पूंजी लिखत की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएसई476ए09231
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
	<i>विनियामक व्यवस्था</i>	
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	स्तर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	ऊपरी स्तर 2 पूंजी लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	5000.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	29/09/2010
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	29/09/2025
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हाँ
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियाँ तथा प्रतिदेय राशि	29/09/2020
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियाँ, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
	<i>कूपन / लाभांश</i>	
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	8.62
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हाँ
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों का दावा, निवेशकों के इक्विटी शेयर में स्तर I पूंजी के समावेशन के लिये पात्र लिखत में दावे से उच्च होगा तथा सभी अन्य लेनदारों के दावों के अधीन होगा।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हाँ, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

7. INSTRUMENT: Upper Tier II Bonds (Series III)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09231
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Upper Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	5,000.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	29-Sep-2010
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	29-Sep-2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	29-Sep-2020
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.62
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

8. लिखत: निम्न स्तर II बॉन्ड (श्रेणी XI)

विनियामक पूंजी लिखत की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अद्वितीय पहचानकर्ता (उदाहरण स्वरूप. प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09181
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
<i>विनियामक व्यवस्था</i>		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	स्तर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	स्तर 2 कर्ज लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	0.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	09.01.2008
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	09.01.2018
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
<i>कूपन / लाभांश</i>		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	9.00
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	नहीं
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	अनिवार्य
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	नहीं
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	गैर संचयी
22	गैर संचयी या संचयी	गैर परिवर्तनीय
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

8. INSTRUMENT: Lower Tier II Bonds (Series XI)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09181
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	0.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	09-Jan-2008
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	09-Jan-2018
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.00
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

9. लिखत: लिखत : निम्न टीयर II बॉन्ड (श्रेणी XII)

विनियामक पूंजी लिखत की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अद्वितीय पहचानकर्ता (उदाहरण स्वरूप. प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09199
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
<i>विनियामक व्यवस्था</i>		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	समूह व एकल
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 कर्ज लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	650.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	16/01/2009
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	16/01/2019
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
<i>कूपन / लाभांश</i>		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थाई
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	8.08
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	अनिवार्य
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचर्ड
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थाई	लागू नहीं
34	यदि अस्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

9. INSTRUMENT: Lower Tier II Bonds (Series XII)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09199
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	650.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	16-Jan-2009
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	16-Jan-2019
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.08
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

10. लिखत: बेसल III के अनुपालित टीयर II बॉन्ड्स (श्रेणी I)

विनियामक पूंजी लिखत की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09249
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
<i>विनियामक व्यवस्था</i>		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	टीयर 2
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 कर्ज लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	15,000.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	03/01/2014
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	03/01/2024
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
<i>कूपन / लाभांश</i>		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थाई
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.73
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	अनिवार्य
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	हाँ
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थाई	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
34	यदि अस्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखतों के निवेशकों के दावे से उच्चतर और सभी जमाकर्ताओं व सामान्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

10. BASEL III Compliant Tier II Bonds (Series I)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09249
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	15000.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	03-Jan-2014
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	03-Jan-2024
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.73
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down triggers (s)	As per RBI guidelines on Basel III
32	If write-down, full or partial	As per RBI guidelines on Basel III
33	If write-down, permanent or temporary	As per RBI guidelines on Basel III
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	As per RBI guidelines on Basel III
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all depositors and general creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

11. लिखत: बासेल III के अनुपालित टीयर II बॉन्ड (श्रेणी II)

विनियामक पूंजी लिखत की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09256
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
<i>विनियामक व्यवस्था</i>		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	टीयर 2
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	1,0000.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	27/03/2014
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	27/03/2024
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
<i>कूपन / लाभांश</i>		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थाई
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.70
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	अनिवार्य
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थाई	लागू नहीं
34	यदि अस्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखतों के निवेशकों के दावे से उच्चतर और सभी जमाकर्ताओं व सामान्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

11. INSTRUMENT: BASEL III Compliant Tier II Bonds (Series II)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09256
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	10,000.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	27/03/2014
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	27/03/2024
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.70
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all depositors and general creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

12. लिखत: बेसल III अनुपालित टीयर II बॉन्ड (श्रेणी III)

विनियामक पूंजी लिखत की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09264
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
<i>विनियामक व्यवस्था</i>		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	टीयर 2
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	15,000.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	31.12.2015
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	31.12.2025
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
<i>कूपन / लाभांश</i>		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थाई
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	8.40
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	अनिवार्य
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	हाँ
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थाई	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
34	यदि अस्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखतों के निवेशकों के दावे से उच्चतर और सभी जमाकर्ताओं व सामान्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

12. INSTRUMENT: BASEL III Compliant Tier II Bonds (Series III)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09264
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	15,000.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	31-Dec-2015
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	31-Dec-2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.40
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down triggers (s)	As per RBI guidelines on Basel III
32	If write-down, full or partial	As per RBI guidelines on Basel III
33	If write-down, permanent or temporary	As per RBI guidelines on Basel III
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	As per RBI guidelines on Basel III
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all depositors and general creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

13. लिखत: बेसल III अनुपालित टीयर II बॉन्ड (श्रेणी IV)

विनियामक पूंजी लिखत की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए08043
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
	<i>विनियामक व्यवस्था</i>	
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	टीयर 2
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	9,000.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	07.01.2016
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	07.01.2026
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
	<i>कूपन / लाभांश</i>	
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थाई
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	8.40
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	अनिवार्य
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय

13. INSTRUMENT: BASEL III Compliant Tier II Bonds (Series IV)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A08043
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	9,000.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	7-Jan-2016
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	7-Jan-2026
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.40
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible

24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	हाँ
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
34	यदि अस्थायी अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखतों के निवेशकों के दावे से उच्चतर और सभी जमाकर्ताओं व सामान्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down triggers (s)	As per RBI guidelines on Basel III
32	If write-down, full or partial	As per RBI guidelines on Basel III
33	If write-down, permanent or temporary	As per RBI guidelines on Basel III
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	As per RBI guidelines on Basel III
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all depositors and general creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

14. लिखत: बेसल III अनुपालित टीयर II बॉन्ड (श्रेणी V)

विनियामक पूंजी लिखत की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए08050
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; संबंधित भा.रि.बै. व सेबी कानून
<i>विनियामक व्यवस्था</i>		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	टीयर 2
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	30,000.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	27.04.2016
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	07.01.2026
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
<i>कूपन / लाभांश</i>		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थाई
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	8.40
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	अनिवार्य
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	हाँ
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थाई	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
34	यदि अस्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखतों के निवेशकों के दावे से उच्चतर और सभी जमाकर्ताओं व सामान्य लेनदारों के दावों से गौण होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

14. INSTRUMENT: Basel III Compliant Tier II Bonds (Series V)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A08050
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970, Related RBI & SEBI Laws.
Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	30,000.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	27-April-2016
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	7-Jan-2026
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
Coupons / dividends		
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.40
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	As per RBI guidelines on Basel III
32	If write-down, full or partial	As per RBI guidelines on Basel III
33	If write-down, permanent or temporary	As per RBI guidelines on Basel III
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	As per RBI guidelines on Basel III
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital & subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

डी एफ तालिका – 14: विनियामक पूंजी लिखतों की संपूर्ण नियम व शर्तें

विनियामक पूंजी लिखतों के संपूर्ण नियम व शर्तों के सम्बन्ध में प्रकटीकरण 'नियामक प्रकटीकरण धारा' के तहत बैंक के वेबसाइट पर अलग से दी गई है। इस धारा के लिए लिंक है: <http://www.canarabank.com/English/Scripts/BaselIIDisclosures.aspx>

डी एफ तालिका – 15: पारिश्रमिक हेतु प्रकटन आवश्यकताएं

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक होने के नाते भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं.बीसी. 72/29.67.001/2001-12 दिनांक 13.01.2012 अनुसार सारणी डीएफ 15 हम पर लागू नहीं है।

डी एफ तालिका – 16: इक्विटी – बैंकिंग बही स्थिति हेतु प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन												
1	जिन पर पूंजी लाभ की संभावना है एवं जिन्हें संबंध व रणनीति कारणों हेतु सहित अन्य उद्देश्यों के तहत लिये गये हैं, उन होल्डिंग का अंतर	सभी इक्विटी एचटीएम निवेश अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों, एसोसियेटस व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किये गये हैं। ये प्रवृत्ति में सामरिक हैं।										
2	बैंकिंग बही में इक्विटी होल्डिंग के मूल्यांकन व लेखांकन को कवर करती हुई महत्वपूर्ण नीतियों पर परिचर्चा। इसमें प्रमुख अनुमान व इन अभ्यासों में महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ-साथ मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले अभ्यास सहित प्रयुक्त लेखांकन तकनीक व मूल्यांकन पद्धति समाहित हैं।	प्रमुख अनुमान व इन अभ्यासों में महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ-साथ मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले अभ्यास सहित प्रयुक्त लेखांकन तकनीक व मूल्यांकन पद्धति "महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ" लेखा पर नोट पर निर्धारण अनुसार है।										
मात्रात्मक प्रकटन			(राशि ₹ मिलियन में)									
1	निवेश के बैलेंस शीट में प्रकट मूल्य के साथ-साथ उन निवेशों का उचित मूल्य; उद्धृत प्रतिभूति हेतु, जहाँ शेयर मूल्य उचित मूल्य से भिन्न है, जन उद्धृत शेयर की तुलना	निवेश का बही मूल्य: ₹ 9,125.21 मि.										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>बही मूल्य</th> <th>उचित मूल्य</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>उद्धृत प्रतिभूति</td> <td>1,111.85</td> <td>16,900.53</td> </tr> <tr> <td>गैर-उद्धृत प्रतिभूति</td> <td>8,013.36</td> <td>14,087.68</td> </tr> </tbody> </table>		बही मूल्य	उचित मूल्य	उद्धृत प्रतिभूति	1,111.85	16,900.53	गैर-उद्धृत प्रतिभूति	8,013.36	14,087.68
	बही मूल्य	उचित मूल्य										
उद्धृत प्रतिभूति	1,111.85	16,900.53										
गैर-उद्धृत प्रतिभूति	8,013.36	14,087.68										
2	निम्न के रूप में वर्गीकृत हो सकने वाले राशि सहित निवेश के प्रकार व प्रवृत्ति सार्वजनिक कारोबारी: निजी रूप से अनुरक्षित		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>बही मूल्य</th> <th>उचित मूल्य</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>उद्धृत प्रतिभूति</td> <td>1,111.85</td> <td>16,900.53</td> </tr> <tr> <td>गैर-उद्धृत प्रतिभूति</td> <td>8,013.36</td> <td>14,087.68</td> </tr> </tbody> </table>		बही मूल्य	उचित मूल्य	उद्धृत प्रतिभूति	1,111.85	16,900.53	गैर-उद्धृत प्रतिभूति	8,013.36	14,087.68
	बही मूल्य	उचित मूल्य										
उद्धृत प्रतिभूति	1,111.85	16,900.53										
गैर-उद्धृत प्रतिभूति	8,013.36	14,087.68										
3	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री व चलनिधि से उत्पन्न संचयी प्राप्य अभिलाभ (हानि)		7,039.10									
4	कुल अप्राप्य अभिलाभ (हानि)		0.00									
5	कुल अप्रकट पुनर्मूल्यांकन अभिलाभ (हानि)		21,863.00									
6	टीयर 1 और/या टीयर 2 पूंजी में समाहित उपरोक्त में से कोई भी राशि		0.00									

TABLE DF – 14: FULL TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosures pertaining to full terms and conditions of regulatory Capital Instruments have been disclosed separately on the Bank's Website under 'Regulatory Disclosure Section'. The link to this section is <http://www.canarabank.com/English/Scripts/BaselIIDisclosures.aspx>

TABLE DF-15: DISCLOSURE REQUIREMENTS FOR REMUNERATION

Being a Public Sector bank Table DF -15 is not applicable to us as per Circular No DBOD.NO.BC.72/29.67.001/2001-12 dated January 13, 2012 of the Reserve Bank of India.

TABLE DF-16: EQUITIES- DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS

Qualitative Disclosures:											
1	Differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons;	All equity investments in banking book (HTM) are in Subsidiaries, Joint Ventures, Associates & regional Rural Banks. These are strategic in nature.									
2	Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices	The accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices is as per schedule on Notes on Accounts" Significant Accounting Policies".									
Quantitative Disclosures		(Amount in ₹ Mn.)									
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value.	Book Value of Investments: ₹ 9,125.21 Mn <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Book Value</th> <th>Fair Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quoted Security</td> <td>1,111.85</td> <td>16,900.53</td> </tr> <tr> <td>Unquoted Security</td> <td>8,013.36</td> <td>14,087.68</td> </tr> </tbody> </table>		Book Value	Fair Value	Quoted Security	1,111.85	16,900.53	Unquoted Security	8,013.36	14,087.68
	Book Value	Fair Value									
Quoted Security	1,111.85	16,900.53									
Unquoted Security	8,013.36	14,087.68									
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as: Publicly traded and Privately held	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Book Value</th> <th>Fair Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Publicly Traded</td> <td>1,111.85</td> <td>16,900.53</td> </tr> <tr> <td>Privately Traded</td> <td>8,013.36</td> <td>14,087.68</td> </tr> </tbody> </table>		Book Value	Fair Value	Publicly Traded	1,111.85	16,900.53	Privately Traded	8,013.36	14,087.68
	Book Value	Fair Value									
Publicly Traded	1,111.85	16,900.53									
Privately Traded	8,013.36	14,087.68									
3	The cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period	7,039.10									
4	Total unrealized gains (losses)	0.00									
5	Total latent revaluation gains (losses)	21,863.00									
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital	0.00									

डी एफ – तालिका – 17:
लेखांकन आस्तियों की लीवरेज अनुपात माप के साथ संक्षिप्त तुलना

क्र.सं.	मद	(₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणी अनुसार कुल समेकित आस्तियाँ	5,722,826.04
2	उन बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक इकाई में निवेश हेतु समाशोधन जो कि लेखांकन उद्देश्य हेतु समेकित हैं परंतु विनियामक समेकन के दायरे के बाहर।	0.00
3	परिचालन लेखांकन रूपरेखा के अनुसार बैलेंस शीट पर प्राप्य प्रत्ययी आस्तियों हेतु समाशोधन परंतु लीवरेज अनुपात एक्सपोजर माप से अपवर्जित	-10,302.43
4	व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों हेतु समाशोधन	147,742.90
5	संव्यवहारों को वित्तपोषित कर रहे प्रतिभूतियों हेतु समाशोधन (यथा, रेपो व समान सुरक्षित उधारी)	119,327.78
6	ऑफ-बैलेंस शीट मदों हेतु समाशोधन (यथा, ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर का साख समतुल्य राशि में परिवर्तन)	451,920.00
7	अन्य समाशोधन	0.00
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	6,431,514.29

डी एफ तालिका – 18: लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट

क्र.सं.	मद	लीवरेज अनुपात (₹ मिलियन में)
ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर		
1	ऑन बैलेंस शीट मद (व्युत्पन्नी व एसएफटी के अलावा परंतु संपार्श्विक सहित)	5,722,826.04
2	(बासेल III टीयर 1 पूंजी की संगणना में कटौती किये गये आस्ति राशि)	-10,302.43
3	कुल ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर (व्युत्पन्नी व एसएफटी के अलावा) (लाइन 1 व 2 का जोड़)	5,712,523.61
व्युत्पन्नी एक्सपोजर		
4	सभी व्युत्पन्नी संव्यवहारों के साथ संबद्ध प्रतिस्थापना लागत (यथा, पात्र नकद परिवर्तन मार्जिन का निवल)	79,080.20
5	सभी व्युत्पन्नी संव्यवहारों के साथ संबद्ध पीएफई हेतु ऐड-ऑन राशि	68,662.70
6	परिचालन लेखांकन रूपरेखा के अनुसार बैलेंस शीट आस्तियों से जहाँ कटौती की गई है, उपलब्ध व्युत्पन्नी संपार्श्विक हेतु सकल	0.00
7	(व्युत्पन्नी संव्यवहार में उपलब्ध नकद परिवर्तन मार्जिन हेतु प्राप्त आस्तियों की कटौती)	0.00
8	(ग्राहक-समाशोधित ट्रेड एक्सपोजर के सीसीपी लेग में छूट)	0.00
9	लिखित साख व्युत्पन्नी के प्रकल्पित राशि का समाशोधन	0.00
10	(लिखित साख व्युत्पन्नी हेतु ऐड-ऑन कटौती व प्रकल्पित ऑफसेट का समाशोधन)	0.00
11	कुल व्युत्पन्नी एक्सपोजर (लाइन 4 से 10 तक जोड़)	147,742.90

DF-17- SUMMARY COMPARISON OF ACCOUNTING ASSETS VS LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE

Sl No.	Item	(₹ in Million)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	5,722,826.04
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	0.00
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	-10,302.43
4	Adjustments for derivative financial instruments	147,742.90
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	119,327.78
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	451,920.00
7	Other adjustments	0.00
8	Leverage ratio exposure	6,431,514.29

DF - 18 - Leverage Ratio Common disclosure template

Sl. No.	Item	Leverage ratio (₹ in Million)
On-balance sheet exposures		
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	5,722,826.04
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	-10,302.43
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	5,712,523.61
Derivative exposures		
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	79,080.20
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	68,662.70
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0.00
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0.00
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0.00
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0.00
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0.00
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	147,742.90

संव्यवहार एक्सपोज़र को वित्तपोषित कर रही प्रतिभूतियाँ		
12	सकल एसएफटी आस्तियाँ (अज्ञात), बिक्री लेखांकन संव्यवहार हेतु समाशोधन के पश्चात	119,327.78
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के देय नकद व प्राप्य नकद की ज्ञात राशि)	0.00
14	एसएफटी आस्तियों हेतु सीसीआर एक्सपोज़र	0.00
15	एजेंट संव्यवहार एक्सपोज़र	0.00
16	संव्यवहार एक्सपोज़र को वित्तपोषित कर रही कुल प्रतिभूति (12 से 15 का जोड़)	119,327.78
अन्य ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोज़र		
17	सकल प्रकल्पित राशि पर ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोज़र	1,505,300.00
18	(क्रेडिट समतुल्य राशि में परिवर्तन हेतु समाशोधन	1,053,380.00
19	ऑफ-बैलेंस शीट मद (पंक्ति 17 व 18 का जोड़)	451,920.00
एक्सपोज़र		
20	टीयर 1 पूंजी	336,924.58
21	कुल एक्सपोज़र (पंक्ति 3, 11, 16 व 19 का जोड़)	6,431,514.29
लीवरेज अनुपात		
	बेसल III लीवरेज अनुपात	5.24%

सामान्य सूचना के रूप में नोट करें:

पिछले वर्ष के आँकड़ों को, जहाँ भी आवश्यक है, पुनःसमूहन / पुनःव्यवस्थित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

Securities financing transaction exposures		
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	119,327.78
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0.00
14	CCR exposure for SFT assets	0.00
15	Agent transaction exposures	0.00
16	Total securities financing transaction exposures (sum of 12 to 15)	119,327.78
Other off-balance sheet exposures		
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	1,505,300.00
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	1,053,380.00
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	451,920.00
Capital and total exposures		
20	Tier 1 capital	336,924.58
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	6,431,514.29
Leverage ratio		
	Basel III leverage ratio	5.24%

Note as general information:

Figures of the previous year have been regrouped/rearranged/reclassified wherever necessary.

यथा 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरणी
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2017	31.03.2016
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर पश्चात निवल लाभ / NET PROFIT AFTER TAX	1121.92	(2812.82)
के लिए समायोजन / ADJUSTMENTS FOR:		
कर हेतु प्रावधान / PROVISION FOR TAX	520.00	(372.95)
मूल्यहास / DEPRECIATION	327.54	169.96
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि / LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS	35.97	0.00
उचित मूल्य में कमी और अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान PROVISION FOR DIMINUTION IN FAIR VALUE AND NPAs	7077.77	10139.45
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान / PROVISION FOR STANDARD ASSETS	25.26	(459.20)
टीयर I व टीयर II बांडों पर ब्याज / INTEREST ON TIER I AND TIER II BONDS	1368.52	1053.08
आकस्मिकताओं व अन्य हेतु प्रावधान / PROVISION FOR CONTINGENCIES AND OTHERS	6.55	384.42
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि / PROFIT / LOSS ON SALE OF FIXED ASSETS	(1.32)	0.58
अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों आदि में निवेश से आय INCOME FROM INVESTMENT IN SUBSIDIARIES, JVS, ETC.	(62.71)	(63.14)
निवेश मूल्यहास / (मूल्यवृद्धि) हेतु प्रावधान PROVISION FOR INVESTMENT DEPRECIATION/ (APPRECIATION)	162.39	267.75
उप कुल / SUB TOTAL	9459.97	11119.95
हेतु समाशोधन / ADJUSTMENTS FOR:		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी / (INCREASE) / DECREASE IN INVESTMENTS	(8111.72)	(515.63)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी / (INCREASE) / DECREASE IN ADVANCES	(24463.77)	(4768.10)
उधारों में वृद्धि / (कमी) / INCREASE / (DECREASE) IN BORROWINGS	12261.60	(367.09)
जमाओं में वृद्धि / (कमी) / INCREASE / (DECREASE) IN DEPOSITS	15483.68	5951.46
अन्य आस्तियों में वृद्धि / (कमी) / (INCREASE) / DECREASE IN OTHER ASSETS	(1546.13)	(191.80)
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) / INCREASE / (DECREASE) IN OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	(189.39)	(837.52)
	(6565.73)	(728.68)
घटायें: प्रदत्त अग्रिम कर / LESS: ADVANCE TAX PAID	1700.00	1500.00
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकद (क) / CASH GENERATED FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	2316.15	6078.45
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
अनुषंगियों और / या संयुक्त उद्यमों में निवेश से आय / INCOME FROM INVESTMENT IN SUBSIDIARIES AND/OR JVS	62.71	63.14
अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों आदि में निवेश / INVESTMENT IN JVS, SUBSIDIARIES, ETC	(43.23)	0.00
अचल आस्तियों की बिक्री / खरीद से निधियों का निवल आगमन / बहिर्गमन / NET INFLOW/ OUTFLOW FROM SALE/ PURCHASE OF FIXED ASSETS	(367.95)	(380.38)
निवेश संबंधित गतिविधियों से सृजित नकद (ख) / CASH GENERATED FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(348.47)	(317.24)
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
नए सिरे से पूंजी का निर्गम / FRESH ISSUE OF CAPITAL	54.30	67.79
शेयरों के निर्गम से प्राप्त प्रीमियम / PREMIUM RECEIVED ON ISSUE OF SHARE	1069.69	2399.53
प्रदत्त लाभांश व डी डी टी / DIVIDEND AND DDT PAID	0.00	(651.72)
टीयर I व टीयर II बांडों पर ब्याज का भुगतान / PAYMENT OF INTEREST ON TIER I AND TIER II BONDS	(1368.52)	(1053.08)

नए सिरे से अधीनस्थ ऋण सहित बांडों के निर्गम FRESH ISSUE OF BONDS INCLUDING SUB-ORDINATED DEBTS	368.64	1568.84
वित्तीय गतिविधियों से सृजित नकद (ग) / CASH GENERATED FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	124.11	2331.36
नकद व नकद समतुल्य (क+ख+ग) में निवल वृद्धि / (कमी) NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C)	2091.80	8092.57
अथ नकद व नकद समतुल्य / OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS	56733.66	48641.09
इति नकद व नकद समतुल्य / CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS	58825.46	56733.66

नोट / Notes:

नकद व नकद समतुल्य में मौजूदा नकद, भा.रि.बै. व अन्य बैंकों के साथ शेष एवं मांग व अल्प नोटिस पर उपलब्ध राशि शामिल है।

Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice

नकद व नकद समतुल्य के घटक / Components of Cash & Cash Equivalents	31.03.2017	31.03.2016
भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकद व शेष / CASH & BALANCE WITH RBI	19922.50	20664.05
बैंकों के साथ शेष एवं मांग पर व अल्प नोटिस पर निधि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	38902.96	36069.61
कुल / TOTAL	58825.46	56733.66

एम स्वामिनाथन
मंडल प्रबंधक

हरिदीश कुमार बी
कार्यपालक निदेशक

पी विथोबा
सहायक महा प्रबंधक

राकेश शर्मा
प्रबन्ध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कृष्णामूर्ति एच
निदेशक

वी रामाचन्द्रा
उप महा प्रबंधक

टी एन मनोहरन
अध्यक्ष

महादेव नागेंद्र राव
निदेशक

एन सेल्वराजन
महा प्रबंधक

सुचिन्द्र मिश्रा
निदेशक

वेंकटचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

पी वी भारती
कार्यपालक निदेशक

उमा शंकर
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
राम राज एण्ड कं
सनदी लेखाकार

जी वेंकटेश्वर राव
साझेदार

कृते
वी के निरंजन एण्ड कं
सनदी लेखाकार

एम जयराजन
साझेदार

कृते
जे सिंह एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

जे सिंह
साझेदार

कृते
जे एल सेनगुप्ता एण्ड कं
सनदी लेखाकार

एस आर अनंतकृष्णन
साझेदार

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 08 मई, 2017

M SWAMINATHAN
DIVISIONAL MANAGER

HARIDEESH KUMAR B
EXECUTIVE DIRECTOR

P VITHOBA
ASST. GENERAL MANAGER

RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CHIEF
EXECUTIVE OFFICER

KRISHNAMURTHY H
DIRECTOR

V RAMACHANDRA
DEPUTY GENERAL MANAGER

T N MANOHARAN
CHAIRMAN

MAHADEV NAGENDRA RAO
DIRECTOR

N SELVARAJAN
GENERAL MANAGER

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

VENKATACHALAM
RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

P V BHARATHI
EXECUTIVE DIRECTOR

UMA SHANKAR
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For
RAM RAJ & Co.
Chartered Accountants

G VENKATESWARA RAO
Partner

For
V K NIRANJAN & Co.
Chartered Accountants

M JAYARAJAN
Partner

For
J SINGH & ASSOCIATES
Chartered Accountants

J SINGH
Partner

For
J L SENGUPTA & Co.
Chartered Accountants

S R ANANTHAKRISHNAN
Partner

Place : Bengaluru
Dated : May 08, 2017



केनरा बैंक का समेकित
तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा
तथा नकद प्रवाह विवरणी

2016-2017



**CONSOLIDATED
BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT
AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK
2016-2017**

**समेकित वित्तीय विवरणी पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
सेवा में,**

केनरा बैंक के सदस्य

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने केनरा बैंक (आगे “बैंक” कहा जाएगा) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा की है जिसमें इसके अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं व संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईयों (एकसाथ “समूह” कहा जाएगा) की वित्तीय विवरणी सम्मिलित हैं। समेकित वित्तीय विवरणी में यथा 31 मार्च 2017 का तुलन पत्र, तब समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा अन्य स्पष्टकारिणी जानकारियाँ शामिल है (आगे “समेकित वित्तीय विवरणी” कहा जाएगा)। उक्त संदर्भित समेकित वित्तीय विवरणी में निम्न सम्मिलित हैं:

- i) हमारे द्वारा लेखापरीक्षित केनरा बैंक की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी
- ii) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित छः (6) अनुषंगियों एवं तीन (3) सहबद्ध संस्थाओं की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी
- iii) दो (2) अनुषंगियों और एक (1) संयुक्त नियंत्रित इकाई का अलेखापरीक्षित लेखा

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन तंत्र का उत्तरदायित्व:

2. समेकित वित्तीय विवरणी बैंक के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है तथा अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं व संयुक्त उद्यमों के संबंध में अलग वित्तीय विवरणी व अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर प्रबन्धन द्वारा इसे तैयार किया गया है। हमारे द्वारा किये गये लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय देना हमारी जिम्मेदारी है।
3. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 21 - “समेकित वित्तीय विवरणी”, लेखांकन मानक (एएस) 23 - “समेकित वित्तीय विवरणी में सहबद्ध संस्थाओं में निवेश हेतु लेखांकन” तथा लेखांकन मानक (एएस) 27 - “संयुक्त

**INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT ON THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

To

The Members of Canara Bank

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Canara Bank (hereinafter referred to as “the Bank”), in which are incorporated the financial statements of its subsidiaries, associates, and jointly controlled entity (together referred to as “the Group”). The consolidated financial statements comprise of the Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2017, the Consolidated Profit & Loss Account, the Consolidated Cash Flow Statement for the Year ended on that date annexed thereto, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as “the Consolidated Financial Statements”). In the Consolidated Financial Statements referred to herein above are incorporated:

- i) Audited financial statements of Canara Bank audited by us.
- ii) Audited financial statements of six (6) Subsidiaries, and three (3) Associates audited by other auditors.
- iii) Unaudited accounts of two (2) Subsidiaries, and One (1) Jointly Controlled Entity.

**Management’s Responsibility for the Consolidated
Financial Statements**

2. The Consolidated Financial Statements are the responsibility of the Bank’s management and have been prepared by the Management on the basis of separate financial statements and other financial information regarding Subsidiaries, Associates and Joint Ventures. Our responsibility is to express our opinion on these Consolidated Financial Statements based on our audit.
3. The consolidated financial statements have been prepared by the management of the Bank in accordance with the requirement of the accounting Standard (AS) 21 - “Consolidated Financial Statements”, Accounting Standard (AS) 23-“Accounting for Investments in Associates in

उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग” तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों अनुसार बैंक के प्रबन्धन द्वारा समेकित वित्तीय विवरणी तैयार की गई है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

4. बैंक के लेखा पर हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणियों पर राय देना हमारी जिम्मेदारी है। लेखापरीक्षा के आयोजन के दौरान हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों और लेखापरीक्षा के आयोजन के मानकों को विचारार्थ लिया है।

हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा के आयोजन संबंधी मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा आयोजित की है। इन मानकों में हमारे द्वारा नैतिक आवश्यकताओं के अनुपालन की आवश्यकता है तथा इस संबंध में संगत आश्वासन प्राप्त करने हेतु कि वित्तीय विवरणी वस्तुपरक अपकथन से मुक्त है, लेखापरीक्षा आयोजित व निष्पादित करने की आवश्यकता है।

5. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। प्रक्रियाओं का चयन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण, समेकित वित्तीय विवरणियों के वस्तुपरक गलत बयानों के जोखिम के मूल्यांकन सहित, लेखापरीक्षक के न्याय-निर्णय पर निर्भर करता है। ऐसा जोखिम मूल्यांकन करने में लेखापरीक्षक बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरणी की तैयारी व प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को विचारार्थ लेते हैं जो कि परिस्थिति में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं प्रकल्पित करने के क्रम में परंतु बैंक के आंतरिक नियंत्रण पर प्रभावोत्पादकता पर राय देने के उद्देश्य हेतु नहीं, सही व निष्पक्ष राय देता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के उपयुक्तता का मूल्यांकन एवं बैंक के प्रबन्धन द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों की तार्किकता के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण को मूल्यांकित करना भी शामिल है।

हम यह मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा अन्य मामले से संबंधित निम्न पैरा में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अनुसार उनके द्वारा प्राप्त किया गया लेखापरीक्षा साक्ष्य, समेकित वित्तीय विवरणी पर हमारी लेखापरीक्षा राय हेतु आधार उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त व उचित है।

Consolidated Financial Statements” and Accounting Standard (AS) 27 –“Financial Reporting of Interest in Joint Ventures” issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditors’ Responsibility

4. Our responsibility is to express an opinion on these Consolidated Financial Statements based on our audit of the accounts of the Bank. While conducting the audit we have taken into account the applicable accounting standards and the standards of auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

5. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend upon the auditors’ judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal financial control relevant to the Bank’s preparation and presentation of the consolidated financial statements that gives a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness on the Bank’s internal financial controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Bank’s management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence obtained by us and the audit evidence obtained by other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the consolidated financial statements.

अन्य मामले

6. हमने आठ (8) अनुषंगियों (जिनकी वित्तीय विवरणी में यथा मार्च 31, 2017 को ₹12925.71 करोड़ की कुल आस्ति, ₹508.74 करोड़ का कुल राजस्व एवं तब समाप्त वर्ष हेतु ₹85.61 करोड़ का निवल नकद प्रवाह प्रदर्शित है), तीन (3) सहबद्ध संस्थाओं (जिनकी वित्तीय विवरणी में यथा मार्च 31, 2017 को ₹51714.17 करोड़ की कुल आस्ति, ₹4782.13 करोड़ का कुल राजस्व एवं तब समाप्त वर्ष हेतु ₹484.11 करोड़ का निवल नकद प्रवाह प्रदर्शित है), व एक (1) संयुक्त नियंत्रित इकाई (जिनकी वित्तीय विवरणी में यथा मार्च 31, 2017 को ₹719.89 करोड़ की कुल आस्ति, ₹50.67 करोड़ का कुल राजस्व एवं तब समाप्त वर्ष हेतु ₹75.46 करोड़ का निवल नकद प्रवाह प्रदर्शित है), के वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा नहीं की है। इन वित्तीय विवरणियों और अन्य वित्तीय सूचनाओं (इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा 1 में संदर्भित अनुसार) पर हम आश्रित हैं तथा उल्लिखित अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं व संयुक्त उद्यम से संबंधित अभी तक के समेकित वित्तीय विवरणी पर हमारी राय केवल प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुसार सूचना व स्पष्टीकरण और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

हमारी राय

7. हमारी राय में और हमें उपलब्ध स्पष्टीकरण व सूचना के आधार पर:
- लेखांकन नीतियों व नोट के साथ पठित समेकित तुलन-पत्र पूर्ण व निष्पक्ष तुलन-पत्र है जिसमें कि सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं और जिसे कि इस प्रकार से तैयार किया गया है कि वह भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप यथा 31 मार्च, 2017 को समूह के मामलों पर सही व निष्पक्ष राय दे सके।
 - नोट के साथ पठित समेकित लाभ व हानि लेखा, लेखा द्वारा कवर वर्ष हेतु भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप समूह के लाभ का सही शेष प्रदर्शित करता है।
 - समेकित नकद प्रवाह विवरणी उस तिथि पर समाप्त वर्ष हेतु समूह के नकद प्रवाह का सही व निष्पक्ष राय उपलब्ध कराता है।

Other Matters

6. We did not audit the financial statements of Eight (8) subsidiaries (whose financial statements reflect total assets of ₹12925.71 Crore as at 31st March 2017, total revenues of ₹ 508.74 Crore and net cash flows of ₹ 85.61 Crore for the year then ended), Three (3) Associates (whose financial statements reflect total assets of ₹51714.17 Crore as at 31st March 2017, total revenues of ₹4782.13 Crore and net cash flows of ₹(484.11) Crore for the year then ended) and One (1) Jointly Controlled Entity (whose financial statements reflect total assets of ₹719.89 Crore as at 31st March 2017, total revenues of ₹50.67 Crore and net cash flows of ₹(75.46) Crore for the year then ended). These financial statements and other financial information (as referred to in Para 1 of this Audit Report) have been relied upon by us and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the aforesaid subsidiaries, associates and joint Venture are based solely on the report of the other auditors and information and explanation as provided by the management.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters based on our reliance on the work done and the reports of the other auditors/management.

Opinion

7. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- the Consolidated Balance Sheet, read with the accounting policies and notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particular and, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Group as at 31st March 2017 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
 - the Consolidated Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of Profit of the Group, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
 - the Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

अन्य विधिक व विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

8. i) तुलन-पत्र एवं लाभ व हानि लेखा को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तीसरे अनुसूची के क्रमशः प्रपत्र “क” व “ख” में उपलब्ध कराया गया है।
- ii) हमारी राय में, समूह का समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ व हानि लेखा एवं समेकित नकद प्रवाह विवरणी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करता है।

राम राज एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002839एस

कृते वी के निरंजन एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002468एस

For Ram Raj & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002839S

For V K Niranjana & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002468S

के शिव सुब्रमण्य प्रसाद
साझेदार
सदस्यता संख्या. 024456

निरंजन वी के
साझेदार
सदस्यता संख्या. 021432

K Siva Subramanya Prasad
Partner
Membership No. 024456

Niranjana V K
Partner
Membership No. 021432

कृते जे सिंह एण्ड एसोसीएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 110266डब्ल्यू

कृते जे एल सेनगुप्ता एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 307092इ

For J Singh & Associates
Chartered Accountants
FRN: 110266W

For J L Sengupta & Co.
Chartered Accountants
FRN: 307092E

जे सिंह
साझेदार
सदस्यता संख्या. 042023

एस आर अनंतकृष्णन
साझेदार
सदस्यता संख्या. 018073

J Singh
Partner
Membership No. 042023

S R Ananthakrishnan
Partner
Membership No. 018073

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. i) The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Form “A” and “B” respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- ii) In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement of the Group comply with the applicable Accounting Standards.

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 27 मई, 2017

Place : Bengaluru
Date : 27th May, 2017

यथा 31 मार्च, 2017 को समेकित तुलन पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)
पूँजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी / CAPITAL	1	597 29 02	542 99 10
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	34088 11 36	31866 68 32
अल्पसंख्यक हित / MINORITY INTEREST	2क / 2A	498 07 24	449 23 13
जमा / DEPOSITS	3	495266 33 76	479748 93 75
उधार / BORROWINGS	4	39591 75 51	26963 42 32
अन्य देयताएं तथा प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	26117 18 04	24153 65 70
जोड़ / TOTAL		596158 74 93	563724 92 32
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	19924 48 73	20665 03 17
बैंकों में शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	39042 88 92	36078 71 36
निवेश / INVESTMENTS	8	162072 91 95	152469 80 33
अग्रिम / ADVANCES	9	342320 14 17	324992 36 19
अचल आस्तियाँ / FIXED ASSETS	10	7184 99 65	7205 76 12
अन्य आस्तियाँ / OTHER ASSETS	11	25613 31 51	22313 25 15
जोड़ / TOTAL		596158 74 93	563724 92 32
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES	12	432677 01 95	288149 12 66
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION		27176 31 19	26563 00 23

एम स्वामिनाथन
मंडल प्रबंधक

हरिदीश कुमार बी
कार्यपालक निदेशक

के शिव सुब्रमण्य प्रसाद
साझेदार

पी विथोबा
सहायक महा प्रबंधक

रकेश शर्मा
प्रबन्ध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कृष्णामूर्ति एच
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
वी के निरंजन एण्ड कं
सनदी लेखाकार

वी के निरंजन
साझेदार

वी रामाचन्द्रा
उप महा प्रबंधक

टी एन मनोहरन
अध्यक्ष

महादेव नागेंद्र राव
निदेशक

कृते
जे सिंह एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

जे सिंह
साझेदार

एन सेल्वराजन
महा प्रबंधक

सुचिन्द्र मिश्रा
निदेशक

वैकटचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

पी वी भारती
कार्यपालक निदेशक

उमा शंकर
निदेशक

कृते
जे एल सेनगुप्ता एण्ड कं
सनदी लेखाकार

एस आर अनंतकृष्णन
साझेदार

यथा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2017 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2017 (₹ '000)	यथा 31.03.2016 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2016 (₹ '000)
I. आय / I. INCOME			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	13	41456 65 51	44039 48 67
अन्य आय / OTHER INCOME	14	7852 25 92	5131 25 80
जोड़ / TOTAL		49308 91 43	49170 74 47
II. व्यय / II. EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED	15	31540 26 58	34262 99 15
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	8612 19 14	7591 93 76
प्रावधान और आकस्मिक व्यय PROVISIONS AND CONTINGENCIES		7922 84 81	9986 11 28
जोड़ / TOTAL		48075 30 53	51841 04 19
सहयोगियों पर आय की हिस्सेदारी SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES	17	177 19 29	135 17 71
अल्पसंख्यक हित घटाने से पूर्व वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ CONSOLIDATED NET PROFIT FOR THE YEAR BEFORE DEDUCTING MINORITIES' INTEREST		1410 80 19	-2535 12 01
घटाएँ: अल्पसंख्यक हित (निवल हानि) LESS: MINORITY INTEREST (NET LOSS)		52 52 67	71 88 78
समूह के फलस्वरूप वर्ष के लिए समेकित लाभ / CONSOLIDATED PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO THE GROUP		1358 27 52	-2607 00 79
III. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
निम्नांकित को अंतरण / TRANSFERS TO			
सांविधिक आरक्षित निधियाँ / STATUTORY RESERVE		281 00 00	45 00
पूँजी आरक्षित निधियाँ / CAPITAL RESERVE		777 00 00	-
निवेश आरक्षित निधि / INVESTMENT RESERVE		-	-
विशेष आरक्षित निधियाँ / SPECIAL RESERVE		-	-
अंतरिम लाभांश / INTERIM DIVIDEND		-	-
प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND		-	-
लाभांश कर / DIVIDEND TAX		-	-
राजस्व व अन्य आरक्षित निधियों में अग्रेषित शेष BALANCE CARRIED OVER TO REVENUE AND OTHER RESERVES		300 27 52	-2607 45 79
जोड़ / TOTAL		1358 27 52	-2607 00 79
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	18		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	19		
प्रति शेयर अर्जन (मूल व तनुकृत) / EARNINGS PER SHARE (BASIC AND DILUTED) (₹ में / in ₹)		24.98	-49.69

M SWAMINATHAN
DIVISIONAL MANAGER

P VITHOBA
ASST. GENERAL MANAGER

V RAMACHANDRA
DEPUTY GENERAL MANAGER

N SELVARAJAN
GENERAL MANAGER

P V BHARATHI
EXECUTIVE DIRECTOR

HARIDEESH KUMAR B
EXECUTIVE DIRECTOR

RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

T N MANOHARAN
CHAIRMAN

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

UMA SHANKAR
DIRECTOR

KRISHNAMURTHY H
DIRECTOR

MAHADEV NAGENDRA RAO
DIRECTOR

VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For RAM RAJ & Co.
Chartered Accountants

For V K NIRANJAN & Co.
Chartered Accountants

For J SINGH & ASSOCIATES
Chartered Accountants

For J L SENGUPTA & Co.
Chartered Accountants

K SIVA SUBRAMANYA PRASAD
Partner

NIRANJAN V K
Partner

J SINGH
Partner

S R ANANTHAKRISHNAN
Partner

Bengaluru
MAY 27, 2017

यथा 31 मार्च, 2017 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

	यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)
अनुसूची 1 - पूँजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
I. प्राधिकृत पूँजी / Authorised Capital	3000 00 00	3000 00 00
(प्रति शेयर ₹ 10/- के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर / (300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each)		
II. निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त / Issued,Subscribed and Paid up:		
i) प्रति शेयर ₹10/- के 39,59,90,159 इक्विटी शेयर। पिछले वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा धारित ₹10/- के 35,99,91,054 इक्विटी शेयर।		
i) 39,59,90,159 Equity Shares of ₹10/- each. Previous year 35,99,91,054 Equity Shares of ₹10/- each held by Central Government	395 99 02	359 99 10
ii) अन्यो द्वारा धारित प्रति शेयर ₹10/- के 20,13,00,000 इक्विटी शेयर ii) 20,13,00,000 Equity Shares of ₹10/- each Previous year 18,30,00,000 Equity Shares of ₹10/- each held by others.	201 30 00	183 00 00
	597 29 02	542 99 10
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ / Statutory Reserves	8314 06 00	8033 06 00
II. पूँजी आरक्षित निधियाँ / Capital Reserves	2255 67 07	1478 67 07
III. समेकन पर पूँजी आरक्षित निधियाँ / Capital Reserves on Consolidation	2 79 18	2 79 18
IV. शेयर प्रीमीयम / Share Premium	6869 35 64	5799 66 41
V. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधियाँ / Foreign Currency Translation Reserve	116 25 71	190 82 85
VI. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ / Revaluation Reserve	5373 14 97	5444 66 30
VII. निवेश आरक्षित निधियाँ / Investment Reserve	565 80 00	565 80 00
VIII. विशेष आरक्षित निधियाँ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) Special Reserve in terms of Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	4000 00 00	4000 00 00
IX. राजस्व व अन्य आरक्षित निधियाँ / Revenue and Other Reserves	6591 02 79	6351 20 51
जोड़ / TOTAL	34088 11 36	31866 68 32
अनुसूची 2ए - अल्पसंख्यक हित / SCHEDULE 2A - MINORITIES INTEREST		
I. मूल संस्था- अनुषंगी संस्था संबंध अस्तित्व में आने की तारीख को अल्पसंख्यक हित Minority Interest at the date on which the parent- Subsidiary relationship came into existence	110 15 12	110 15 12
II. तदपश्चात वृद्धि / (कमी) / Subsequent Increase / (Decrease)	387 92 12	339 08 01
जोड़ / TOTAL	498 07 24	449 23 13

यथा 31 मार्च, 2017 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

	यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)
अनुसूची 3 - जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
क. I. माँग जमा / DEMAND DEPOSITS		
A.		
i. बैंक से / FROM BANKS	201 45 56	334 26 36
ii. अन्यो से / FROM OTHERS	22360 27 79	19480 00 09
जोड़ / Total	22561 73 35	19814 26 45
II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS	127170 02 95	103714 84 91
जोड़ / Total	127170 02 95	103714 84 91
III. सावधि जमा / TERM DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	33205 65 56	23963 31 34
ii. अन्यो से / FROM OTHERS	312328 91 90	332256 51 05
जोड़ / Total	345534 57 46	356219 82 39
जोड़ (I, II और III) / Total (I, II & III)	495266 33 76	479748 93 75
ख. B. शाखाओं के जमा / DEPOSITS OF BRANCHES		
i. भारत में / IN INDIA	454528 93 86	450719 78 55
ii. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA	40737 39 90	29029 15 20
जोड़ / Total	495266 33 76	479748 93 75
अनुसूची 4 - उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार / BORROWINGS IN INDIA		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक / RESERVE BANK OF INDIA	700 00 00	--
ii. अन्य बैंक / OTHER BANKS	11204 77 74	--
iii. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियाँ / OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	2147 84 54	559 32 32
iv. अप्रतिभूत प्रतिदेय बॉण्ड / UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और गौण ऋण) / (IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT)	14014 60 00	11989 60 00
जोड़ / Total	28067 22 28	12548 92 32
II. भारत के बाहर उधार / BORROWINGS OUTSIDE INDIA		
i. अन्य बैंक / OTHER BANKS	11524 53 23	12758 14 16
ii. अप्रतिभूत प्रतिदेय बॉण्ड / UNSECURED REDEEMABLE BONDS (गौण ऋण / SUB-ORDINATED DEBT)		1656 35 84
जोड़ / Total	11524 53 23	14414 50 00
जोड़ / Total	39591 75 51	26963 42 32

यथा 31 मार्च, 2017 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

	यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
I. देय बिल / BILLS PAYABLE	1355 70 48	1270 24 52
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)	940 69 16	460 11 77
III. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED	1878 98 66	1875 60 04
IV. आस्थगित कर देयताएं / DEFERRED TAX LIABILITY		
V. अन्य (प्रावधान सहित) / OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	21941 79 74	20547 69 37
जोड़ / TOTAL	26117 18 04	24153 65 70
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष SCHEDULE 6-CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / CASH IN HAND (विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (INCLUDING FOREIGN CURRENCY NOTES)	1848 38 26	2012 84 80
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA चालू खाते में / IN CURRENT ACCOUNT	18076 10 47	18652 18 37
जोड़ / TOTAL	18076 10 47	18652 18 37
जोड़ / TOTAL	19924 48 73	20665 03 17
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष तथा माँग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में / IN INDIA		
i. बैंकों में शेष / BALANCE WITH BANKS		
क. चालू खाते में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	169 55 19	280 30 52
ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	24 02 18	13 02 52
जोड़ / TOTAL	193 57 37	293 33 04
ii. माँग और अल्प सूचना पर धन / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
क. बैंकों में / a. WITH BANKS	-	1200 00 00
ख. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS	-	-
जोड़ / TOTAL		1200 00 00
जोड़ / TOTAL	193 57 37	1493 33 04
II. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA		
i. बैंकों में शेष / i. BALANCE WITH BANKS		
क. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	6529 16 88	8712 63 52
ख. जमा खातों में / b. IN DEPOSIT ACCOUNTS	25899 09 40	20433 43 42
ii. माँग और अल्प सूचना पर धन / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	6421 05 27	5439 31 38
जोड़ / TOTAL	38849 31 55	34585 38 32
जोड़ / TOTAL	39042 88 92	36078 71 36

यथा 31 मार्च, 2017 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

	यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)
अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश: सकल INVESTMENTS IN INDIA: GROSS:	16 1520 7614	151777 99 87
घटायें: मूल्यहास व एन पी आई के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION AND NPI	492 95 07	374 64 55
भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA	161027 81 07	151403 35 32
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ GOVERNMENT SECURITIES	138711 85 63	129991 92 42
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ OTHER APPROVED SECURITIES	428 32 73	186 89 42
iii. शेयर SHARES	6641 78 67	5449 84 76
iv. डिबेंचर और बाण्ड DEBENTURES AND BONDS	8598 91 80	8169 52 21
v. सहयोगी संस्थाओं में निवेश INVESTMENTS IN ASSOCIATES	1007 45 86	954 17 85
vi. अन्य (एम एफ, वी सी एफ, सी डी, सी पी आदि) OTHERS (MFs, VCF, CDs, CP ETC.)	5639 46 38	6650 98 66
जोड़ / Total	161027 81 07	151403 35 32
II. भारत के बाहर निवेश- सकल INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS	1048 16 00	1076 92 37
घटायें: मूल्यहास के लिए प्रावधान LESS : PROVISION FOR DEPRECIATION	3 05 12	10 47 36
भारत के बाहर निवल निवेश NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA	1045 10 88	1066 45 01
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / GOVERNMENT SECURITIES (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)	317 06 67	145 47 44
ii. अन्य (बांड आदि) OTHERS (BONDS ETC.)	728 04 21	920 97 57
जोड़ / Total	1045 10 88	1066 45 01
जोड़ / Total	162072 91 95	152469 80 33

यथा 31 मार्च, 2017 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

	यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)	यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)
अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
क. A. i. खरीदे गये तथा बट्टे पर भुनाए गये बिल BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	15501 26 23	11039 30 97
ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट और माँग पर ऋण की चुकौती CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	140774 31 41	131029 19 20
iii. मीयादी ऋण / iii. TERM LOANS	186044 56 53	182923 86 02
जोड़ / Total	342320 14 17	324992 36 19
ख. B. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / SECURED BY TANGIBLE ASSETS (बही ऋणों के प्रति अग्रिम सहित / INCLUDING ADVANCES AGAINST BOOK DEBTS)	275149 51 64	265373 85 60
ii. बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित COVERED BY BANK / GOVT. GUARANTEES	13031 72 99	14048 06 37
iii. अप्रतिभूत / UNSECURED	54138 89 54	45570 44 22
जोड़ / Total	342320 14 17	324992 36 19
सी. C. I. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / PRIORITY SECTOR	136718 80 28	124952 09 90
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / PUBLIC SECTOR	12034 69 38	24180 47 26
iii. बैंक / BANKS	21 87 37	17 54 92
iv. अन्य / OTHERS	166403 29 12	153956 33 57
जोड़ / Total	315178 66 15	303106 45 65
II. भारत से बाहर / ADVANCES OUTSIDE INDIA		
i. बैंकों से देय / Due from Banks	35 97 62	13 25 10
ii. अन्य से देय / Due from Others		
क. खरीदे गये तथा बट्टे पर भुनाए गये बिल a. BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	8232 93 14	4137 55 93
ख. मीयादी / समूहन ऋण / b. TERM / SYNDICATED LOANS	7547 83 13	9479 37 81
ग. अन्य / c. OTHERS	11324 74 13	8255 71 70
जोड़ / Total	27141 48 02	21885 90 54
जोड़ / Total	342320 14 17	324992 36 19

यथा 31 मार्च, 2017 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

	यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)		यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)	
अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS				
I. परिसर / PREMISES				
लागत पर / तथा पिछले तुलन पत्र के अनुसार मूल्यांकन / AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET	6681 11 62		6650 07 43	
वर्ष के दौरान संवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	87 69 85		31 36 37	
	6768 81 47		6681 43 80	
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन REVALUATION MADE DURING THE YEAR				
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	9 49 82		32 18	
	6759 31 65		6681 11 62	
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	709 16 76	6050 14 89	630 89 48	6050 22 14
II. अन्य अचल आस्तियाँ / OTHER FIXED ASSETS (फर्नीचर और जुड़नार सहित) (INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	3461 21 95		3214 43 60	
वर्ष के दौरान संवर्धन ADDITIONS DURING THE YEAR	315 66 80		369 87 29	
	3776 88 75		3584 30 89	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	113 81 20		123 08 94	
	3663 07 55		3461 21 95	
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	2532 43 06	1130 64 49	2310 37 77	1150 84 18
III. पट्टागत आस्तियाँ / LEASED ASSETS				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	93 34 95		96 28 48	
वर्ष के दौरान संवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	63 31		95 25	
	93 98 26		97 23 73	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	3 07 14		3 88 78	
	90 91 12		93 34 95	
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	84 80 06		86 09 21	
	6 11 06		7 25 74	
घटाएं: पट्टेदारी अंतिम समायोजन लेखा LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT	1 90 79	4 20 27	2 68 36	4 57 38
IV. प्रवर्तमान पूँजीगत कार्य / CAPITAL WORK IN PROGRESS				12 42
जोड़ / TOTAL		7184 99 65		7205 76 12

यथा 31 मार्च, 2017 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

	यथा 31.03.2017 को As at 31.03.2017 (₹ '000)		यथा 31.03.2016 को As at 31.03.2016 (₹ '000)	
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS				
I. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED		4534 42 07		4362 23 16
II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/स्रोत पर कर कटौती (निवल) TAX PAID IN ADVANCE / TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)		6394 04 84		6323 06 49
III. लेखन सामग्री व स्टैम्प STATIONERY AND STAMPS		12 47 94		13 40 67
IV. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियाँ NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS		32 13		32 13
V. अन्य / OTHERS		13449 01 04		11544 00 61
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ / DEFERRED TAX ASSETS		1223 03 49		70 22 09
जोड़ / TOTAL		25613 31 51		22313 25 15
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES				
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS		9809 83 34		5997 79 40
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों हेतु देयताएं LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS		36 00		36 00
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS		354452 23 49		221936 97 80
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS				
क. भारत में / a. IN INDIA	40164 95 12		38771 32 57	
ख. भारत से बाहर / b. OUTSIDE INDIA	137 01 60		132 92 76	
		40301 96 72		38904 25 33
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS		26421 39 73		19821 44 14
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिकता के लिए उत्तरदायी है / OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE				
क. पुनः भुनाए गये विनिमय बिल a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED		-		--
ख. अन्य / b. OTHERS	1691 22 67		1488 29 99	
		1691 22 67		1488 29 99
जोड़ / TOTAL		432677 01 95		288149 12 66

यथा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

	यथा 31.03.2017 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2017 (₹ '000)		यथा 31.03.2016 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2016 (₹ '000)	
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED				
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / डिस्काउंट INTEREST/DISCOUNT ON ADVANCES / BILLS		29573 97 76		31334 73 55
II. निवेशों पर आय / INCOME ON INVESTMENTS		10772 70 39		11458 61 19
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेषराशि और अंतर बैंक निधियों पर ब्याज / INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS		779 60 53		884 37 80
IV. अन्य / OTHERS		330 36 83		361 76 13
जोड़ / TOTAL		41456 65 51		44039 48 67
अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME				
I. कमीशन, विनिमय, और दलाली COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE		1274 29 41		994 26 75
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS				
लाभ / PROFIT	3028 72 86		969 67 32	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	37 99 02	2990 73 84	-28 47 88	998 15 20
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ PROFIT ON REVALUATION OF INVESTMENTS				
घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि LESS: LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS	35 96 72	-35 96 72		0
IV. भूमि / भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ PROFIT ON SALE OF LAND/BUILDINGS AND OTHER ASSETS				
लाभ / PROFIT	1 32 64		3 35 56	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS		1 32 64	3 93 45	- 57 89
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS				
लाभ / PROFIT	972 24 73		674 51 57	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	17 47	972 07 26	5 00 60	669 50 97
VI. लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND		57 53 05		68 42 06
VII. विविध आय / MISCELLANEOUS INCOME		2592 26 44		2401 48 71
जोड़ / TOTAL		7852 25 92		5131 25 80
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED				
I. जमा पर ब्याज / INTEREST ON DEPOSITS		29557 77 18		32340 31 85
भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA / INTERBANK BORROWINGS		587 73 51		867 82 14
III. अन्य / OTHERS		1394 75 89		1054 85 16
जोड़ / TOTAL		31540 26 58		34262 99 15

यथा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

	यथा 31.03.2017 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2017 (₹ '000)		यथा 31.03.2016 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2016 (₹ '000)	
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय				
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES				
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES		4962 78 76		4489 51 92
II. किराया, कर, रोशनी / RENT, TAXES, LIGHTING		854 88 57		785 32 80
III. मुद्रण व लेखन सामग्री / PRINTING AND STATIONERY		57 89 04		43 46 53
IV. विज्ञापन व प्रचार / ADVERTISEMENT AND PUBLICITY		42 09 40		30 62 76
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों से अंतरण के बाद का निवल) / DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY (NET OF TRANSFER FROM REVALUATION RESERVE)		331 19 11		172 02 98
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय DIRECTORS FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES		1 42 55		1 83 29
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) / AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDING BRANCH AUDITORS' FEES AND EXPENSES)		63 10 10		59 40 03
VIII. विधि प्रभार / LAW CHARGES		51 29 71		37 41 33
IX. डाक, तार, टेलिफोन आदि POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC.		53 97 40		55 22 04
X. मरम्मत और अनुरक्षण / REPAIRS AND MAINTENANCE		240 30 60		210 16 52
XI. बीमा / INSURANCE		432 00 89		427 32 47
XII. अन्य व्यय / OTHER EXPENDITURE		1521 23 01		1279 61 09
जोड़ / TOTAL		8612 19 14		7591 93 76
अनुसूची 17 - सहयोगी संस्थाओं में आय का अंश / (हानि)				
SCHEDULE 17 - SHARE OF EARNINGS / (LOSS) IN ASSOCIATES				
I. केनफिन होम्स लिमिटेड / CANFIN HOMES LTD		70 57 76		68 26 22
II. कॉमनवेल्थ ट्रस्ट इंडिया लिमिटेड COMMONWEALTH TRUST INDIA LTD		--		--
III. साख विश्लेषण व अनुसंधान लिमिटेड CREDIT ANALYSIS AND RESEARCH LTD		--		--
IV. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / REGIONAL RURAL BANKS				
क. प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक A. PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK		70 58 76		40 56 43
ख. केरल ग्रामीण बैंक B. KERALA GRAMIN BANK		36 02 77	106 61 53	26 35 06
जोड़ / TOTAL		177 19 29		135 17 71

अनुसूची – 18

यथा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. (क) समेकित वित्तीय विवरणी तैयार करने का आधार:

बैंक (प्रधान), इनके अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों (समूह) की समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किया गया है और अन्यथा किये गये वक्तव्यों को छोड़कर भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, संबंधित सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नियामक अपेक्षाओं/ दिशानिर्देशों, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण, कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी की गई लेखांकन मानकों और संबंधित उद्योग / कारोबार के प्रचलित प्रथाओं के महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्यों के अनुरूप है।

(ख) अनुमानों का उपयोग:

समेकित वित्तीय विवरणी की तैयारी के लिए प्रबंधन तंत्र को आस्तियों, देयताओं, व्यय, आय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करनेवाली राशि के संबंध में वित्तीय विवरणी के तारीख को अनुमानों तथा धारणाओं को बनाने की आवश्यकता है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान व धारणाएं उचित व विवेकपूर्ण हैं। तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों के किसी भी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य में मान्यता दी गई है।

[2] समेकन प्रक्रिया

2.1 समूह (8 अनुषंगियों, 3 सहबद्ध संस्थाओं तथा 1 संयुक्त उद्यम) के समेकित वित्तीय विवरणी की तैयारी निम्नलिखितों के आधार पर की गई:

(क) केनरा बैंक (प्रधान) के लेखापरीक्षित लेखा

(ख) बैंक और उसकी अनुषंगियों के वित्तीय विवरणी एक रूपी लेखा नीतियों के अनुरूप होने के लिए आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी राशियों को एक जोड़कर अंतरासामूहिक लेन देनों और उगाहे नहीं गये लाभ/हानि को हटाने के बाद और जहाँ कहीं आचरणीय हो आवश्यक परिवर्तन करके पंक्ति दर पंक्ति आधार पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानक (ले मा) 21 (समेकित वित्तीय विवरणी) के अनुरूप तैयार किये गये हैं।

SCHEDULE – 18

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

1. a) Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank (Parent), its Subsidiaries, Associates and Joint Venture (Group) are drawn up on historical cost convention and conform in all material aspects to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, applicable statutory provisions, regulatory norms / guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Insurance Regulatory and Development Authority, Companies Act, 2013, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevalent market practices, in the respective industry / business except as otherwise stated.

(b) Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized in current and future periods.

[2] Consolidation procedure

2.1 CFS of the Group [comprising of Eight (8) Subsidiaries, Three (3) Associates and One (1) Joint Venture] have been prepared on the basis of:

(a) Audited accounts of Canara Bank (Parent).

(b) Line by line aggregation of each item of asset / liability / income / expense of the Subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances / transactions, unrealised profit / loss and making necessary adjustments wherever required for all significant non-uniform accounting policies as per Accounting Standard (AS) 21 (Consolidated Financial Statements) issued by ICAI.

(ग) सहबद्ध संस्थाओं में की गई दीर्घावधि निवेश के लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई लेखांकन मानक-23 (सहबद्ध संस्थाओं में निवेशों की लेखांकन के लिए समेकित वित्तीय विवरणी) द्वारा सहबद्ध संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर किया गया है। सहबद्ध संस्थाओं के परिचालन परिणामों के निवेशक के हिस्से को समेकित लाभ व हानि विवरणी में अलग से दर्शाया गया है।

(घ) संयुक्त उद्यम के मामले में "समनुपातिक समेकन पद्धति" में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानक 27 (संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग) के अनुसार समेकित किया गया है।

2.2 समेकित वित्तीय परिणाम में अल्पसंख्यक हित से तात्पर्य अनुषंगियों में निवल ईक्विटी / लाभ में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हिस्से से है।

2.3 अनुषंगियों में उसके निवेशों के साथ प्रधान संस्था की लागत तथा अनुषंगियों के ईक्विटी में प्रधान के हिस्से के बीच के अंतर को मामलानुसार साख / पूँजी आरक्षित निधि के रूप में मान्यता दी गई।

[3] विदेशी मुद्रा अंतरण / विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन :

3.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को काल्पनिक दरों पर प्रारंभिक तौर पर अभिलेखित किया गया है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को विदेशी विनिमय विक्रेता संघ (फेडाई) द्वारा प्रकाशित दरों पर पुनः वर्णित किया गया है। पुनः वर्णन से उत्पन्न होनेवाली विनिमय अंतरों को त्रैमासिक दरों पर लाभ-हानि खाते में मान्यता देकर अभिलेखित किया गया है।

3.2 विदेशी शाखा के संबंध में लेनदेनों एवं शेषों को अभिन्न विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे लेन-देनों तथा शेष राशि को बैंक (प्रधान) द्वारा तिमाही आधार पर समेकित किया गया है।

परिसंपत्तियों एवं देयताओं (दोनों मौद्रिक व गैर-मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताएं) का अंतरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 11 - "विदेशी विनिमय दरों पर परिवर्तन के प्रभाव" के अनुरूप एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक तिमाही के अंत में 'फेडाई' द्वारा घोषित अंतिम हाजिर विनिमय दर पर किया जाता है। विदेशी शाखाओं के आय एवं व्यय मदों को 'फेडाई' द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत समापन दर पर अंतरित किया जाता है।

(c) Long Term Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard (AS) 23 (Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements) issued by ICAI based on the Audited Financial Statements of the Associates. The investor's share of the result of the operations of the Associates is reflected separately in the Consolidated Profit & Loss Account.

(d) Interests in Joint Ventures are consolidated on 'Proportionate consolidation method' as prescribed in Accounting Standard (AS) 27 (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures) issued by ICAI.

2.2 Minority interest in the CFS consists of the share of the minority shareholders in the net equity / profit of the subsidiaries.

2.3 The difference between cost to the Parent of its initial investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as goodwill / capital reserve as the case may be.

[3] Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies

3.1 Foreign currency monetary items are initially recorded at a notional rate. Foreign currency monetary items are restated at the rate published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the end of each quarter. Exchange difference arising on restatement of such items at the quarterly rates is recognised in Profit & Loss Account.

3.2 Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated by the Bank (Parent) on quarterly basis.

Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter and Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11 (The effect of Changes in Foreign Exchange rates) issued by the ICAI and as per the guidelines of RBI regarding the compliance of the said standard.

परिणामस्वरूप होनेवाले विनिमय लाभ / हानि को, विदेशी मुद्रा अंतरण प्रारक्षिति में जमा / नामे किया जाएगा।

3.4 वायदा विनिमय संविदाएं

सभी वायदा विनिमय संविदाओं के प्रारंभ में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम या भुनन को व्यय या संविदा पर होनेवाले आय के रूप में परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के अपरिशोधित प्रीमियम या भुनन सहित असामयिक रद्दकरण पर होनेवाले लाभ / हानि, यदि है तो, रद्दकरण तारीख पर मान्यता दी गई। वायदा संविदाओं पर विनिमय अंतरों को रिपोर्टिंग अवधि, जहाँ विनिमय दर परिवर्तित हुए हैं, पर लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई।

3.5 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य बाध्यताओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं का परिकलन अंतिम फेडाई दरों के अनुसार तुलन पत्र में किया गया है।

[4] निवेश

4.1 निवेशों का संवर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। बैंक का संपूर्ण निवेश संविभाग तीन संवर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे 'परिपक्वता के लिए धारित' (एचटीएम), 'बिक्री के लिए धारित' (एएफएस) और 'व्यापार के लिए धारित' (एचएफटी) जिसे प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के समय पर निर्धारित किया गया है।

निवेशों को तुलन-पत्र में छः संवर्गों में प्रकट किया जाता है जैसे (क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बांड (ङ) अनुषंगियाँ तथा संयुक्त उद्यम और (च) अन्य

4.2 निवेशों के अधिग्रहण लागत को निर्धारित करने के लिए :

(क) प्रतिभूतियों की खरीदी के समय उनसे संबंधित दलाली, कमीशन आदि जैसे लागतों को लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।

(ख) अधिग्रहण / निपटान तारीख तक ऋण लिखतों पर खंडित अवधि ब्याज को राजस्व के रूप में माना जाता है।

4.3 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जो यथानुसार है:

(क) परिपक्वता के लिए धारित (एच टी एम)

अवधि समाप्ति हेतु धारित संवर्ग के अंतर्गत निवेश पर अभिग्रहण लागत, निवल प्रतिशोधन, अगर कोई है तो उसके आधार पर किया जाना है। अंकित मूल्य से यदि कोई अधिक अभिग्रहण लागत हो तो उसे शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

The resultant exchange gain / loss is credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.

3.4 Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit / Loss arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on forward contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

3.5 Contingent liabilities in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

[4] Investments

4.1 Classification of investments is made as per the guidelines of the RBI. The entire investment portfolio of the Parent is classified under three categories viz. 'Held to Maturity (HTM)', 'Available for Sale (AFS)' and 'Held for Trading (HFT)'. Such classification is decided at the time of acquisition of securities.

Investments are disclosed in the Balance Sheet under six classifications viz: (a) Government securities, (b) Other approved securities, (c) Shares, (d) Debentures & Bonds, (e) Investments in Associates and (f) Others.

4.2 In determining the acquisition cost of investment:

(a) Cost such as brokerage, commission etc., relating to securities at the time of purchase are charged to Profit & Loss Account.

(b) Broken period interest on debt instruments up to the date of acquisition / disposal is treated as revenue.

4.3 The valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by the RBI as under:

(a) Held to Maturity (HTM)

Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortized over the remaining period of maturity.

अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्य में कोई भी स्थायी ह्रास हो तो उसका पूर्णतः प्रावधान किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और अन्य न्यासी शेयरों में निवेशों को लागत पर रखा जाता है।

वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में दिनांक 23.08.2006 के बाद की गई निवेशों को तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है।

(ख) बिक्री के लिए उपलब्ध (ए एफ एस)

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत प्रत्येक प्रतिभूति त्रैमासिक आधार पर बाजार के लिए अंकित है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख (तुलन पत्र तारीख) को उपलब्ध बाजार दरों पर जो स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार / कोट, भारतीय व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत प्रत्येक वर्ग के संबंध में निवल मूल्यह्रास उपलब्ध किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि नकारा जाता है। प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार के लिए अंकित किए जाने पर बही मूल्य को कोई परिवर्तन नहीं होता है।

तीन वर्षों की अवधि के पश्चात वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में अंतरित एचटीएम श्रेणी के इकाइयों को [उक्त पैरा 4.3 (क) का संदर्भ लें] वेंचर पूँजी निधियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर मूल्यांकित किया जाता है। यदि 18 महीनों के लिए ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी उपलब्ध नहीं है तो, इकाइयों को ₹1 प्रति वेंचर पूँजी निधि के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

(ग) व्यापार हेतु धारित (एच एफ टी)

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत निवेशों को बाजार कोट, भारतीय व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के अनुसार साप्ताहिक आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत निवल मूल्यह्रास को मान्यता दी गई तथा संवर्धन, यदि कोई है तो, नकारा गया। प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार के लिए अंकित किए जाने पर बही मूल्य को कोई परिवर्तन नहीं होता है।

4.4 एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में शेयरों का अंतरण निम्नानुसार किया जाता है:

Investments in Associates are valued under equity method. Any diminution in the value other than temporary in nature is fully provided for.

Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) and other Trustee Shares are valued at carrying cost.

Investment in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and valued at cost.

(b) Available for Sale (AFS)

Investments classified under this category are marked to market on quarterly basis and valued as per RBI guidelines at the market rates available on the last day of each quarter (Balance Sheet date) from trades / quotes on the stock exchanges, prices / yields declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Unquoted securities are also valued as per the RBI guidelines.

The net depreciation under each category / classification is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after these are valued at Mark-to-Market basis.

Units of Venture Capital Funds (VCF) transferred from HTM category after a period of three years [Refer para 4.3 (a) above] are valued at Net Asset Value (NAV) as per the audited financial statements of Venture Capital Funds. In case such audited financial statements are not available continuously for 18 months as on the date of valuation, units are valued at Re. 1 per VCF.

(c) Held for Trading (HFT)

Investments classified under this category are valued at rates based on market quotations, price / yields declared by FIMMDA on a weekly basis.

The net depreciation under each security held is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after "marked to market".

4.4 Transfer of scrips from one category to another is carried on the following basis:

(क) परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी से बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) / व्यापारके लिए धारित (एचएफटी) श्रेणी को अंतरण अधिग्रहण मूल्य / बही मूल्य पर किया जाता है। एच टी एम श्रेणी के तहत निवेशों को मूल रूप से प्रीमियम पर रखा जाता है तो परिशोधित लागत पर अंतरण किया जाता है।

(ख) ए एफ एस / एच एफ टी श्रेणी से एच टी एम श्रेणी में अंतरण बही मूल्य या बाजार मूल्य के निम्न मूल्य पर किया जाता है।

(ग) ए एफ एस से एच टी एम श्रेणी या इसके विपरीत को रखाव लागत पर अंतरित किया जाता है। उपचित मूल्यहास, यदि कोई है तो, एच एफ टी प्रतिभूतियों के प्रति मूल्यहास के लिए प्रावधान को अंतरित किया जाता है।

4.5 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी (प्रकं / पुकं) को बैंक द्वारा बेची गयी अनर्जक निवेश वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में प्रकं / पुकं द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को प्रतिभूति रसीद के प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति के निवल बही मूल्य में से निम्न स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। बहियों में इनका निवेश उपर्युक्तानुसार निर्धारित मूल्य पर इनके विक्रय या वसूली तक किया जाता है और ऐसे विक्रय / वसूली पर हानि या लाभ निम्नानुसार पेश किया जाता है:-

(क) यदि विक्रय निवल बही मूल्य से कम मूल्य पर है तो, तदसंबंधी कमी को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता दिया जाता है।

(ख) यदि विक्रय निवल बही मूल्य से उच्च मूल्य पर है तो, अतिरिक्त प्रावधान को वापस नहीं किया जाता है, लेकिन प्रकं / पुकं को अन्य वित्तीय आस्तियों के विक्रय से होनेवाली कमी / हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है।

4.6 तीनों में से किसी भी श्रेणी में शामिल किए गए प्रतिभूतियों के मामले में जहाँ ब्याज / मूल राशि एक निर्धारित अवधि के लिए बकाया है तो अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे प्रतिभूतियों पर ब्याज आय की गणना नहीं की जाती है तथा निवेशों के मूल्य पर आवश्यक हास / प्रावधान बनाया जाता है। ऐसे अनर्जक निवेशों के प्रति मूल्यहास को अन्य अर्जक आस्तियों के प्रति मूल्यवृद्धि से समंजन नहीं किया जाता है।

4.7 निवेशों की बिक्री पर लाभ

‘बिक्री के लिए उपलब्ध’ तथा ‘व्यापार के लिए धारित’ श्रेणियों के तहत निवेशों की बिक्री पर लाभ को लाभ व हानि खाते में मान्यता दिया जाता है।

‘परिपक्वता के लिए धारित’ श्रेणी के संबंध में निवेशों की बिक्री पर उपलब्ध लाभ को प्राथमिक तौर पर लाभ व हानि खाते में लिया जाता है तथा लाभ की समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित निधि (कर व आरक्षित निधि को अंतरित की जानेवाली राशि का निवल) में विनियोजित किया जाता है।

(a) HTM to AFS / HFT category at acquisition price / book value. In case the investments under HTM category are placed at premium originally the transfer is made at amortised cost.

(b) AFS / HFT to HTM category at lower of the book value or market value.

(c) AFS to HFT category or vice versa, at the carrying value. The accumulated depreciation, if any, to be transferred to the provision for depreciation against HFT securities and vice versa.

4.5 Security Receipts issued by Securitisation / Reconstruction Company (SC / RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC / RC are valued at the lower of the redemption value of the Security Receipt or the Net Book Value of the financial asset. The Investment is carried in the books at the price determined as above until its sale or realisation and on such sale or realisation, loss or gain is dealt with as below:

(a) If sale is at a price below Net Book Value (NBV), the shortfall is recognised as per Reserve Bank of India guidelines.

(b) If the sale is for a value higher than NBV, the excess provision is not reversed but utilized to meet shortfall / loss on account of sale of other financial assets to SC / RC.

4.6 Non-Performing Investments Securities included in any of three categories where interest / principal is in arrears for a specified period, are classified as Non-Performing Investment. Interest Income on such securities is not reckoned and appropriate depreciation / provision in value of Investments is made. Depreciation in respect of such Non-Performing Investments is not set off against appreciation in other performing securities.

4.7 Profit on sale of Investments

Profit on sale of Investments in respect of ‘Available for Sale’ and ‘Held for Trading’ categories is recognized in Profit & Loss Account.

Profit on sale of Investments in respect of ‘Held to Maturity’ category is first taken to the Profit & Loss Account and an equivalent amount of Profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

सभी तीनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री पर हानि को लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई है।

4.8 रेपो / प्रति रेपो का लेखांकन व चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)

आरबीआई के साथ एलएएफ सहित रेपो / रिवर्स रेपो के तहत सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद / पुनर्विक्रय के लिए एक करार के साथ बेचे गए / खरीदी गई प्रतिभूतियां उधार / ऋण देने के रूप में मान्यता प्राप्त हैं।

[5] व्युत्पन्नी संविदाएं

बैंक (प्रधान) ब्याज दर अदला-बदली और मुद्रा व्युत्पन्नियों में व्यवहार करता है। बैंक (प्रधान) द्वारा व्यवहार किये जा रहे ब्याज दर व्युत्पन्नियों रुपया ब्याज दर अदला-बदली, परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार है। बैंक (प्रधान) द्वारा व्यवहार की जा रही मुद्रा व्युत्पन्नियां विकल्प और मुद्रा अदला-बदली है।

ऐसे व्युत्पन्नी संविदाओं को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है:

- (क) व्यापार के लिए प्रयोग की जानेवाली व्युत्पन्नियां बाजार के लिए अंकित की गयी हैं और निवल मूल्यहास की पहचान की गई है तथा निवल मूल्यवृद्धि को नकारा गया है।
- (ख) प्रतिरक्षा के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नियां निम्नानुसार हैं:
 - (i) बाजार के लिए अंकित नहीं की जाती है, जब तक आधारभूत आस्तियां / देयताएं बाजार के लिए अंकित नहीं की गयी हैं।
 - (ii) प्रतिरक्षा अदला-बदली के लिए उपचित आधार पर आय / व्यय का लेखा किया गया।

[6] अग्रिम

- 6.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में संवर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार प्रावधान किए गए हैं।
- 6.2 अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्ति के रूप में संवर्गीकृत किया गया है।
- 6.3 अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू अग्रिमों हेतु प्रावधान किए गए हैं।
- 6.4 विदेशी शाखाओं के अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान स्थानीय विनियम / उस देश के नियमों, जो भी अधिक कड़े हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार किए गए हैं।

Loss on sale of Investments in all the three categories is recognized in Profit & Loss Account.

4.8 Accounting for Repo / Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF)

Securities sold / purchased with an agreement to repurchase / resale on the agreed terms under Repo / Reverse Repo including LAF with RBI are recognized as Borrowing/Lending.

[5] Derivative contracts

The Bank (Parent) deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank (Parent) are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank (Parent) are Options and Currency Swaps.

Such derivative contracts are valued as under:

- (a) Derivative contracts dealt for trading are valued on mark-to-market basis, net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.
- (b) Derivative contracts undertaken for hedging are:
 - (i) Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market.
 - (ii) Income / Expenditure is recognized on accrual basis for Hedging Swaps.

[6] Advances

- 6.1 Advances are classified as Performing and Non-Performing Assets in accordance with the prudential norms issued by RBI.
- 6.2 Advances are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.
- 6.3 Provisions for Domestic Advances are made for Performing/Non-Performing Advances in accordance with the RBI Guidelines.
- 6.4 Provisions for performing/ non-performing advances with foreign branches are made as per regulations of host country or according to the norms prescribed by RBI, whichever is more stringent.

- 6.5 तुलन पत्र में बताए गए अग्रिम अनर्जक आस्तियों, क्रेडिट गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावे और पुनर्भुनाई के लिए किए गए प्रावधानों के निवल हैं।
- 6.6 अनर्जक अग्रिमों में किए गए आंशिक वसूलियों का समायोजन प्रथमतः प्रभार व ब्याज, तत्पश्चात् समझौता निपटान / 'कालातीत ऋणों' के मूल धन के प्रति किया जाता है। वसूलियों को प्रथमतः मूल धन के साथ समायोजित किया जाता है।
- 6.7 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, मूल्यांकन, आय निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

[7] अचल परिसंपत्तियां

- 7.1 बैंक के परिसर में मुक्त भूमि और पट्टेवाली भूमि संपत्ति दोनों शामिल हैं। सभी अचल परिसंपत्तियों का पूंजीयन उसके उपयोग की तिथि के आधार पर किया जाता है।
- 7.2 जहाँ पुनर्मूल्यांकन किया गया है उन्हें छोड़कर परिसर और अन्य अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर बताया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो, उसे 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' खातों में जमा किया जाता है। संवर्धित मूल्य के कारण होनेवाले मूल्यहास / परिशोधन का अंतरण पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से लाभ व हानि खाते में मूल्यहास में जमा किया जाएगा।

[8] मूल्यहास

- 8.1 प्रधान:
- 8.1.1 कंप्यूटरों को छोड़कर, अचल परिसंपत्तियों को मूल्यहासित मूल्य पद्धति के तहत तत्संबंधी परिसंपत्ति के उपयोग्य जीवन पर परिकलित मूल्य के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यहास किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंप्यूटरों पर मूल्यहास को सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर 33.33% प्रभारित करते हुए किया जाता है।
- 8.1.2 3 वर्ष या 5 वर्ष (उदाहरण कम्प्यूटर, सर्वर और ए टी एम इत्यादि) अनुमानित प्रयोज्य जीवन वाली परिसंपत्तियों को छोड़कर जहाँ आस्तियों का कुल लागत प्रयोज्य जीवन से परिशोधित हो सभी परिसंपत्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है।
- 8.1.3 पूंजीकरण का अचल परिसंपत्तियों पर वर्ष में मूल्यहास पूरे वर्ष के लिए वसूल की जाए यदि परिसंपत्ति का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान 180 दिनों से अधिक के लिए किया गया हो अन्यथा लागू दर के 50% हो। बिक्री / निपटान के वर्ष में कोई मूल्यहास प्रदान नहीं किया गया है।

- 6.5 Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non-Performing Assets, claims received from Credit Guarantee Institutions and rediscount.
- 6.6 Partial recoveries in Non-Performing Advances are apportioned first towards charges and interest, thereafter towards principal with the exception of Non-Performing advances involving compromise settlements / 'Loan Past Due' advances, where the recoveries are first adjusted towards principal.
- 6.7 In case of financial assets sold to SC / RC, the valuation and income recognition are done as per RBI guidelines.

[7] Fixed Assets

- 7.1 The premises of the Bank include freehold and leasehold properties. All the Fixed Assets are capitalised based on the date of put to use.
- 7.2. Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except wherever revalued. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value is transferred from Revaluation Reserve to the credit of Depreciation in the Profit and Loss Account.

[8] Depreciation

- 8.1 Parent:
- 8.1.1 Fixed Assets are depreciated under Straight Line Method at the rates determined by the management on the basis of estimated useful life of the respective assets except for the Computers where as per the guidelines of RBI, depreciation is charged under straight line method at 33.33%.
- 8.1.2 5 percent residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life of 3 years or 5 years (Eg. computer, Servers and ATMs etc), where the entire cost of the asset is amortized over the useful life.
- 8.1.3 Depreciation on fixed assets in the year of capitalization is charged for the full year if the asset is used for more than 180 days during that financial year; else it is provided at 50 percent of the applicable rate. No depreciation is provided for in the year of sale/disposal.

8.1.4 पट्टेदाई परिसरों पर प्रदत्त प्रीमियम उसकी पूरी पट्टेदाई अवधि के लिए प्रभारित किया जाता है।

8.1.5 अचल परिसंपत्ति में संवर्धन पर मूल्यहास को अभिग्रहण तारीख की गणना किए बगैर संपूर्ण वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है। बिक्री / निपटान वर्ष के दौरान मूल्यहास के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

8.2 अनुषंगियां:

(क) घरेलू अनुषंगियों की स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित दरों पर किया गया।

(ख) सॉफ्टवेयर खरीदी / विकास तथा लाइसेंस लागत आदि जैसे अमूर्त आस्तियों के मूल्यहास सीधी लाइन आधार पर सॉफ्टवेयर के उपयोग्य जीवन के अनुसार सॉफ्टवेयर के प्रथम उपयोग से अधिकतम 3 वर्षों के लिए मूल्यहासित किया गया है।

(ग) पट्टेदारी परिसंपत्तियों का मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित पद्धति और दरों पर या करारों के अनुसार पट्टेदारी की पूरी प्राथमिक / द्वितीयक अवधि के लिए पट्टेदारी किरायों को वर्ष के दौरान संचित पट्टेदारी किरायों का अनुपात, दोनों में जो अधिक हो उस दर पर किया गया है।

8.3 विदेशी निकायों स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यहास संबंधित देश के विनियमन / मानदंडों के अनुसार किया गया है।

[9] आस्तियों की हानि

प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को किसी आस्ति की अपक्षयन का संकेत है या नहीं का एक निर्धारण किया जाता है। यदि कोई संकेत पाया जाता है तो वसूली योग्य राशि का एक अनुमान बनाया जाता है तथा यदि कोई अपक्षयन है तो, प्रावधान किया जाता है।

[10] राजस्व मान्यता:

निम्नलिखितों को छोड़कर आय व व्यय का लेखांकन सामान्यतया उपचित आधार पर किया जाता है।

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों तथा अनर्जक निवेशों पर ब्याज को मान्यता दी गई है।

(ख) अतिदेय बिलों, कमीशन (सरकारी कारोबार के अलावा), विनिमय, दलाली तथा लॉकर किराया पर ब्याज की गणना वसूली पर की गई है।

(ग) लाभांश की गणना तब की जाएगी जब उसको प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाएगा।

(घ) मुकदमा दायर किए गए लेखों के मामले में संबंधित विधिक तथा अन्य व्ययों को लाभ-हानि खाते में

8.1.4 Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period.

8.1.5 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries

8.2 Subsidiaries:

(a) Fixed Assets of the domestic subsidiaries are depreciated as provided in the Schedule II of the Companies Act, 2013.

(b) Intangible assets comprising of software purchase / developed and licensing cost are depreciated on straight-line method over the useful life of the software upto a maximum of 3 years commencing from the date on which software is first utilized.

(c) In respect of leased assets depreciation is charged either as per the method and rates prescribed under the Companies Act, 2013 or in the ratio of lease rentals accrued during the year to lease rentals for the entire primary / secondary period of the lease, as per agreements, whichever is higher.

8.3 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries.

[9] Impairment of Assets

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for.

[10] Revenue Recognition

Income and expenditure are generally accounted on accrual basis, except the following:

(a) Interest on Non-Performing advances and Non-Performing Investments is recognized as per norms laid down by the RBI.

(b) Interest on overdue bills, Commission (other than Government business), Exchange, Brokerage and rent on lockers are accounted on realization.

प्रभारित किया जाएगा तथा वसूली पर उसकी गणना आय के रूप में की जाएगी।

[11] जीवन बीमा कंपनी

(क) प्रीमियम

वसूली की उचित निश्चितता है तो, पॉलिसी धारकों से देय रहने पर प्रीमियम को आय के रूप में मान्यता दी गई है। इकाई संबद्ध कारोबार के लिए इकाइयों के आबंटन पर आय को मान्यता दी गई है। व्यपगत पॉलिसियों पर प्रीमियम को पॉलिसियाँ बहाल होने पर आय के रूप में मान्यता दी गई है। प्रीमियम को सेवा कर के निवल के रूप में मान्यता दी गई है। टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में माना गया है।

(ख) संबद्ध कारोबार से आय

निधि प्रबंधन प्रभार, प्रशासनिक प्रभार, मृत्यु दर प्रभार और अन्य प्रभार उत्पाद विशेषताओं के अनुसार संबद्ध निधियों से पॉलिसी के नियम व शर्तों के आधार पर वसूल किया जाता है तथा देय होने पर मान्यता दी गई है।

(ग) पुनर्बीमा प्रीमियम

पुनर्बीमा प्रीमियम के भुगतान का लेखांकन पुनः बीमा कंपनी के साथ की गई व्यवस्था या संधि के अनुसार की जाती है।

(घ) प्रदत्त लाभ (दावे सहित)

दावों के लागत में पॉलिसी से लाभ की राशि तथा दावा निपटान लागत, जहाँ लागू हो, शामिल होता है। मृत्यु दावों तथा राइडर दावों की लेखांकन सूचना प्राप्ति के बाद की जाती है।

उत्तरजीवी लाभ दावों तथा परिपक्वता दावों की लेखांकन भुगतान के लिए देय होने पर की जाती है 100

यूनिट लिंक पॉलिसियों के अंतर्गत अभ्यर्पण तथा आहरण (प्रभार का निवल) का लेखांकन, संबद्ध यूनिटों के रह होने पर किया जाता है। परंपरागत पॉलिसियों के अंतर्गत इनका लेखांकन अभ्यर्पण की सूचना प्राप्ति तथा स्वीकार किए जाने पर की जाती है।

लॉक इन अवधि के अंतर्गत संबद्ध पॉलिसियों के मामले में, अर्थात् पॉलिसी जारी किए जाने की तिथि से 5 वर्ष (1 सितंबर 2010 के बाद जारी की गई पॉलिसियों

(c) Dividend is accounted when the right to receive the same is established.

(d) In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted as Income.

[11] Life Insurance Company

(a) Premium

Premium is recognised as income when due from policy holders, if there is a reasonable certainty of collectability. For unit linked business, income is recognized when the units are allocated. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Premiums are recognized net of service tax. Top-up premium is considered as single premium.

(b) Income from Linked Business

Fund management charges, administrative charges, mortality charges and other charges as per the product feature are recovered from linked funds in accordance with terms and conditions of policies and are recognized when due.

(c) Reinsurance Premium

Reinsurance premium ceded is accounted in accordance with the treaty or in principle arrangement with the re-insurer.

(d) Benefits paid (including claims)

Claims costs consist of the policy benefit amount and claim settlement costs, where applicable. Death claims and rider claims are accounted for on receipt of intimation.

Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due for payment.

Surrenders and withdrawals (net of charges) under unit linked policies are accounted for when associated units are cancelled. Under traditional policies these are accounted for when the intimation for the surrender is received and accepted.

के मामले में), जैसे पॉलिसियों के अभ्यर्पण मूल्य को एक नामोद्दिष्ट निधि "यूएल व्यतिक्रम पॉलिसी निधि" में निवेशित किया जाता है तथा पॉलिसी धारक को, लॉक इन अवधि के समाप्ति के बाद न्यूनतम निश्चित प्रतिलाभ या वास्तविक प्रतिलाभ, दोनों में जो अधिक हो, का भुगतान किया जाता है।

बीमित प्रस्तावक के मृत्यु उपरांत यदि बीमा उत्पादों में आगामी प्रीमियम शेष में छूट का प्रावधान हो तो बीमित प्रस्तावक के मृत्यु पर लाभ भुगतान के अंतर्गत देनदारी के रूप में कुल आगामी प्रीमियम माफ कर दी जाएगी। जब आगामी मॉडल प्रीमियम देय हो जाता है तो उक्त प्रीमियम को उक्त दायित्व को कम करते हुए वित्त पोषित किया जाता है और प्रीमियम आय समान रूप से मान्य होता है।

दावों पर पुनर्बीमित वसूली की लेखांकन संबंधित दावों की अवधि में की जाती है।

(ड) अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो प्राथमिक रूप से बीमा संविदा अधिग्रहण से संबंधित होता है तथा जिस अवधि में खर्च होना होता है उसी अवधि में खर्च किया जाता है जिससे यह परिवर्तित होता रहता है। प्रथम वर्ष में भुगतान की गई कमीशन की वसूली यदि की गई हो, यदि कोई हो तो, भविष्य में उसकी लेखांकन उस वर्ष में की जाती है जिसमें उसकी वसूली देय होती है।

च) जीवित पॉलिसियों की देयताएं:

देयताओं के मूल्य का निर्धारण बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ता के अस्तित्वां, देयताएं तथा शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2000 तथा इरडा द्वारा जारी अन्य संबंधित विनियम, समय-समय पर संशोधित, भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी मानक (ए पी एस 2 व ए पी एस 7) बीमांकिक प्रथा तथा भारत में सामान्य तौर से मान्य बिमांकिक सिद्धांतों के अनुसार होता है।

In case of surrender of linked policy within the lock-in period i.e., 5 years from the date of issue of policy (in case of policies issued after 1st September 2010), the surrender value of such policies is invested in a designated fund called 'UL Discontinued Policy Fund' and is paid to the policyholder on the expiry of the lock-in period along with minimum guaranteed return or actual return, whichever is higher.

In case of insurance products having the feature of waiver of the balance future premiums on the death of the life proposer, the entire future premiums waived are recognised as liability under the benefits paid on the occurrence of death of the life proposer. When the subsequent modal premium becomes due, the said premiums are funded by reducing the aforesaid liability and the premium income is recognized for the same.

Re-insurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

(e) Acquisition Costs

Acquisition costs are costs which vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed off in the period in which they are incurred. Recovery on account of claw back of the first year commission paid, if any, in future is accounted in the year in which its recovery is due.

(f) Liability for life policies:

The value of liabilities is determined in accordance with Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities and Solvency Margin of insurers) Regulations, 2000 and other relevant Regulations issued by IRDA as amended from time to time, the Actuarial Practice Standards (APS 2 and APS 7) issued by the Institute of Actuaries of India and generally accepted actuarial principles in India.

[12] कर्मचारी हितलाभ

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं: परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि / पेंशन निधि को व्यय के रूप में मान्यता दिया गया है तथा लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

(ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं

(i) **उपदान:** कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधीयन बैंक (प्रधान) द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है जो दिशानिर्देशों के अनुसार उनके निधि का प्रबंधन करता है। उपदान के तहत बैंक (प्रधान) के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है।

(ii) **पेंशन:** कर्मचारी पेंशन निधि योजना का निधीयन बैंक (प्रधान) द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है। पेंशन के तहत बैंक (प्रधान) के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है।

(ग) विशेषाधिकार छुट्टी को दीर्घावधि लाभ माना गया है तथा प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को 'अनुमानित इकाई साख पद्धति' के स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दिया जाता है।

[13] कराधान के लिए प्रावधान

(क) चालू तथा स्थगित दोनों करों के लिए कर प्रावधान किया गया है।

(ख) समय-अवधि में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं जो कि बाद की अवधियों के दौरान प्रतिवर्तन योग्य हैं को अधिनियमित कर की दरों व नियमों अथवा बाद में तुलन-पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर की दरों व नियमों का प्रयोग करते हुए मान्यता दी गयी है।

[12] Employee Benefits

(a) **Defined Contribution Plans:** Defined Contribution Plans such as Provident / Pension fund are recognized as an expense and charged to Profit & Loss account.

(b) **Defined Benefit Plans**

(i) **Gratuity:** The employee Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank (Parent) and managed by a separate trust who in turn manages their funds as per guidelines. The present value of the Bank's (Parent) obligation under Gratuity is recognized on actuarial basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

(ii) **Pension:** The employee Pension Fund Scheme is funded by the Bank (Parent) and managed by a separate trust. The present value of the Bank's (Parent) obligations under Pension is recognized on the basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

(c) The privilege leave is considered a long term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation on 'projected Unit credit method' at each Balance Sheet date.

[13] Provision for Taxation

(a) Provision for tax is made for both Current and Deferred Taxes.

(b) Deferred Tax assets and liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of the balance sheet date

(ग) स्थगित कर आस्तियों को मान्यता तब तक नहीं दी जाती है जब तक यह पूरी तरह से निश्चित नहीं हो जाता कि पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध हो जायेगी जिसके प्रति ऐसी स्थगित कर आस्तियों को मान्यता दी जायेगी।

[14] प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ :

(क) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 (आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा प्रावधानों को मान्यता दी गई, केवल जब :-

- (i) पूर्ववर्ती घटना के परिणाम के रूप में वर्तमान में कोई बाध्यता हो
- (ii) उस बाध्यता को निभाने के लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर प्रवाह हो
- (iii) जब बाध्यता राशि के उचित परिकलन किए जा सकते हो।

(ख) निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया:

- (i) पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न होनेवाली किसी संभावित दायित्व और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जोकि पूर्ण रूप से बैंक (प्रधान) के नियंत्रण के भीतर हों, के घटने या न घटने पर ही की जाएगी।
- (ii) यह प्रत्याशित नहीं है कि आर्थिक हितों से सुसम्पन्न संसाधनों का बहिर्गमन बाध्यता के निपटान के लिए आवश्यक हो अथवा
- (iii) बाध्यता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया नहीं जा सकता।

ऐसे बाध्यताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में अभिलेखित किया गया है। इसको नियमित अंतरालों पर निर्धारित किया जाता है तथा बाध्यता के उस हिस्सा जिसके लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर प्रवाह संभव है, के लिए प्रावधान दिया गया है। जहाँ पर विश्वसनीय अनुमान बनाया नहीं जा सकता, वहाँ प्रावधान नहीं दिया गया है।

(ग) आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणियों में मान्यता नहीं दी गई है।

(c) Deferred tax assets are not recognized unless there is virtual certainty that sufficient future taxable income would be available against which such deferred tax assets can be recognized.

[14] Provisions, Contingent Liabilities, Contingent Assets

(a) In conformity with Accounting Standard (AS) 29 (Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets) issued by ICAI, the Bank (Parent) recognizes provision only when :

- (i) It has a present obligation as a result of past event.
- (ii) It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and
- (iii) When a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

(b) No provision is recognized for:

- (i) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank (parent).
- (ii) It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or
- (iii) A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which the outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

(c) Contingent Assets are not recognized in the financial Statements.

[15] निवल लाभ

लाभ-हानि खाते में निवल लाभ निम्नलिखित के पश्चात है:

- (क) निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- (ख) कराधान के लिए प्रावधान
- (ग) ऋण हानियों के लिए प्रावधान
- (घ) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान
- (ङ) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान
- (च) अन्य सामान्य व अनावश्यक प्रावधान

[16] प्रति शेयर अर्जन

बैंक (प्रधान), लेखांकन मानक 20 (प्रति शेयर अर्जन) के अनुसार प्रति शेयर का मूल व तनुकृत अर्जन को रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाए ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

[15] Net Profit

The Net Profit in the Profit & Loss Account is after:

- (a) Provision for Depreciation on Investments.
- (b) Provision for Taxation.
- (c) Provision on Loan Losses
- (d) Provision on Standard Assets.
- (e) Provision for Non-Performing Investments.
- (f) Other usual & necessary items.

[16] Earnings per share

The Bank (Parent) reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with Accounting Standard (AS) 20 (Earnings per Share). Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the Year.

अनुसूची – 19

यथा 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखा संबंधी टिप्पणियां

- समूह की समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) में केनरा बैंक (प्रधान) व उसकी निम्नलिखित अनुषंगियों, सहयोगी संस्थाओं व संयुक्त उद्यम का परिणाम शामिल है। अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं व संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणी केनरा बैंक के वित्तीय परिणाम, अर्थात् 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष की उसी रिपोर्टिंग अवधि तक तैयार किया गया है।

1.1 अनुषंगियाँ:

निम्न अनुषंगियों को उनके लेखापरीक्षित / गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर समेकित किया गया है:

क्रम सं.	अनुषंगी का नाम	निगमित देश	लेखापरीक्षित / गैर-लेखापरीक्षित	यथा 31.03.2017 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)	यथा 31.03.2016 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)
1.	केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेस लि.	भारत	लेखापरीक्षित	100.00%	100.00%
2.	केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.	भारत	लेखापरीक्षित	100.00%	100.00%
3.	केनबैंक फैक्टर्स लि.	भारत	गैर-लेखापरीक्षित	70.00%	70.00%
4.	केनरा रोबैको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि.	भारत	लेखापरीक्षित	51.00%	51.00%
5.	केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लि.	भारत	लेखापरीक्षित	69.14%	69.14%
6.	केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि. (पूर्व में जीआईएलटी सेक्यूरिटीज टेडिंग कॉर्पोरेशन लि.)	भारत	लेखापरीक्षित	100.00%	100.00%
7.	केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि.	भारत	लेखापरीक्षित	51.00%	51.00%
8.	केनरा बैंक (तंजानिया) लि.*	तंजानिया	गैर-लेखापरीक्षित	100%	--

*बैंक ने बैंक ऑफ तंजानिया (बीओटी) से लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् 9 मई, 2016 को तंजानिया में दार ई सलाम में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग अनुषंगी स्थापित की है। सीबीटीएल एक बैंकिंग अनुषंगी है तथा जमा स्वीकार करने व क्रेडिट में लाभप्रद रूप से नियोजित करने जैसी कोर बैंकिंग गतिविधियों करता है। यथा 31 मार्च 2017 को बैंक की पूंजी टी.जे.डब्ल्यूएस 32.83 बिलियन (यूएसडी 15 मिलियन के समतुल्य) थी। सीबीटीएल, बैंक ऑफ तंजानिया, तंजानिया में वित्तीय सेवाएं विनियमित करनेवाला स्वतंत्र संगठन, द्वारा विनियमित की जाती है। अनुषंगी हेतु लेखांकन वर्ष प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर को समाप्त होती है।

SCHEDULE – 19

NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2017

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group comprises the result of the Canara Bank (Parent) and following Subsidiaries, Associates and Joint venture. The financial statements of the Subsidiaries/Associates/Joint venture are drawn upto the same reporting date as that of the Parent i.e. year ended March 31, 2017.

1.1 Subsidiaries:

The following subsidiaries have been considered for consolidation based on their Audited / Unaudited Financial Statements:

Sl. No.	Name of the Subsidiary	Country of incorporation	Audited / Unaudited	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2017	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2016
1.	Canbank Financial Services Ltd	India	Audited	100.00%	100.00%
2.	Canbank Venture Capital Fund Ltd	India	Audited	100.00%	100.00%
3.	Canbank Factors Ltd.	India	Unaudited	70.00%	70.00%
4.	Canara Robecco Asset Management Company Ltd	India	Audited	51.00%	51.00%
5.	Canbank Computer Services Ltd	India	Audited	69.14%	69.14%
6.	Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corpn. Ltd)	India	Audited	100.00%	100.00%
7.	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd	India	Audited	51.00%	51.00%
8.	Canara Bank (Tanzania) Ltd*	Tanzania	Unaudited	100%	--

*The Bank has established its wholly owned banking subsidiary at Dar es Salaam in Tanzania on 9th May 2016, after obtaining licence from Bank of Tanzania (BOT). CBTL is a banking subsidiary and undertakes the core banking activities like accepting deposits and deploying profitably in credit. The capital of the Bank as on 31st March 2017 is TZS 32.83 billion (equivalent to USD 15 million). CBTL is regulated by Bank of Tanzania, an independent organization regulating the financial services in Tanzania. The Accounting year for the subsidiary ends on 31st December every year.

1.2. सहयोगी संस्थाएं:

- इनके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर समेकन के उद्देश्य हेतु निम्न सहयोगी संस्थाओं में निवेश को विचारार्थ लिया गया है:

क्रमांक	सहयोगी संस्थाओं के नाम	निगमिति देश	यथा 31.03.2017 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)	यथा 31.03.2016 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)
1	केनफिन होम्स लि*	भारत	30.00%	43.45%
2	प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (पूर्व में प्रगति ग्रामीण बैंक)	भारत	35.00%	35.00%
3	केरल ग्रामीण बैंक (पूर्व में साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक)	भारत	35.00%	35.00%

1.2 Associates:

- The investment in the following Associates have been considered for the purpose of consolidation based on their Audited Financial Statements.

Sl. No.	Name of the Associates	Country of incorporation	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2017	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2016
1.	Canfin Homes Ltd.*	India	30.00%	43.45%
2.	Pragathi Krishna Gramin Bank (Erstwhile Pragati Gramin Bank)	India	35.00%	35.00%
3.	Kerala Gramin Bank (Erstwhile South Malabar Gramin Bank)	India	35.00%	35.00%

*वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्रधान बैंक ने मेसर्स केनफिन होम्स लिमि. में धारित शेयरों के 13.45% को ऑफलोड किया है एवं ₹703.91 करोड़ का लाभ प्राप्त किया है।

- कॉमनवेलथ न्यास (भारत) लिमिटेड, एक सहयोगी संस्थान, जहाँ पर मूल बैंक का 30% धारण है, इसका वित्तीय विवरणी दिनांक 31 मार्च, 2015 तक उपलब्ध होने के कारण समेकन कार्य के लिए विचार नहीं किया गया है। सहयोगी संस्थान का पहले से निम्न स्तर का परिचालन होने के कारण तथा यथा 31.03.2015 को उपलब्ध अंतिम अपर्याप्त वित्तीय विवरणी पर विचार करते हुए, समेकित वित्तीय विवरणी में, इसके निवेशों को शामिल नहीं करने से, कोई प्रभाव नहीं होगा।

1.3 संयुक्त उद्यम:

- रूस में निगमित कमर्शियल इंडो बैंक एल एल सी, संयुक्त उद्यम संस्था के संबंध में जिसमें बैंक का 40% हित है, समेकन 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर किया गया है। संयुक्त उद्यम के लिए लेखा वर्ष दिसंबर 31 को समाप्त होगा।

*During Financial Year 2016-17, the Parent Bank has offloaded 13.45% of shares held in M/s Canfin Homes Ltd., and realised a profit of ₹703.91 Crore.

- Commonwealth Trust (India) Ltd., an Associate, in which Parent has 30% holding, could not be considered for consolidation as its financial statements are available only upto 31st March 2015. Considering the unsubstantial financials of the Associate as per the last available financial statements as at 31.03.2015, there is no material impact of non-inclusion of its investments in the Consolidated Financial Statements.

1.3 Joint Venture:

- In respect of Commercial Indo Bank LLC, Moscow, (formerly Commercial Bank of India LLC., Moscow) the Joint Venture entity, incorporated in Russia wherein the Bank has 40% interest, consolidation has been done based on unaudited accounts for the year ended 31st March, 2017. The Accounting year for the joint venture ends on 31st December.

ख. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक- 27 “संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग” की आवश्यकता के अनुसार उक्त संयुक्त उद्यम में आस्तियों, देयताओं, आय व व्यय राशि में मूल बैंक के शेयर निम्नवत हैं:-

क. तुलन पत्र:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
पूँजी व देयताएं		
पूँजी	95.11	97.17
आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष	12.60	(27.31)
जमा	32.45	26.13
उधार	146.69	149.87
अन्य देयताएं व प्रावधान	1.10	0.58
कुल	287.95	246.44
आस्तियाँ		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद व शेष	0.62	0.46
बैंकों में शेष तथा माँग और अल्पसूचना पर राशि	53.63	85.81
निवेश	187.43	144.20
अग्रिम	50.91	21.04
अचल आस्तियाँ	0.07	0.11
अन्य आस्तियाँ	(4.71)	(5.18)
कुल	287.95	246.44
आकस्मिक देयताएं	18.01	17.85

ख. लाभ और हानि खाता:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
आय		
अर्जित ब्याज	16.84	17.00
अन्य आय	3.43	1.47
कुल	20.27	18.47
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	3.52	2.77
परिचालन व्यय	3.20	3.67
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	(0.70)	(0.01)
कुल	6.02	6.43
लाभ	14.25	12.04

b. As required by Accounting Standard (AS) - 27 - “Financial Reporting of Interest in Joint Ventures” issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) the amount of the Assets, Liabilities, Income and Expenses of Parent’s share in the said Joint Venture is as under:-

A. Balance Sheet:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Capital & Liabilities		
Capital	95.11	97.17
Reserve & Surplus	12.60	(27.31)
Deposits	32.45	26.13
Borrowings	146.69	149.87
Other Liabilities and Provisions	1.10	0.58
TOTAL	287.95	246.44
Assets		
Cash & Balance with RBI	0.62	0.46
Balance with Banks & Money at Call and Short Notice	53.63	85.81
Investments	187.43	144.20
Advances	50.91	21.04
Fixed Assets	0.07	0.11
Other Assets	(4.71)	(5.18)
TOTAL	287.95	246.44
Contingent Liabilities	18.01	17.85

B. Profit & Loss Account:

(₹ in Crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Income		
Interest Earned	16.84	17.00
Other Income	3.43	1.47
TOTAL	20.27	18.47
Expenditure		
Interest Expended	3.52	2.77
Operating Expenses	3.20	3.67
Provision and Contingencies	(0.70)	(0.01)
TOTAL	6.02	6.43
PROFIT	14.25	12.04

- अनुषंगियाँ व संयुक्त उद्यम प्रचलित सिद्धांत व पद्धति के अनुसार लेखांकन नीतियों का अनुसरण कर रही हैं जो संबंधित उद्योग / कारोबारी / देशीय आवश्यकताओं के कारण मूल बैंक से कुछ मामलों में अलग हैं। प्रबंधन की राय है, चूँकि इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है, जिसे समेकित वित्तीय विवरणी में समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
- विभिन्न अनुषंगियों के अधिग्रहण से प्राप्त पूंजी आरक्षित निधियां / (साख) का अलग विवरणी निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

अनुषंगी का नाम	31.03.2017	31.03.2016
केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड	2.54	2.54
केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लि.	0.25	0.25
निवल पूंजी आरक्षित निधियां	2.79	2.79

4. अंतरशाखा लेनदेन और शेषों का पुष्टिकरण:

प्रधान बैंक के अंतर-शाखा / कार्यालय संव्यवहार के तहत प्रविष्टियों का मिलान व सेटिंग, अंतर कार्यालय समाशोधन लेखा के माध्यम से संपूर्ण बैंक के लिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) पर आधारित स्वयं प्रणाली द्वारा किया गया है।

कुछ समूह कंपनियों के संबंध में फुटकर लेनदार, फुटकर देनदार, ऋण और अग्रिम आदि के शेषों का पुष्टिकरण किया जाना है।

5. स्थिर आस्तियाँ

परिसर में ₹56.62 करोड़ की असल लागत वाली (पिछले वर्ष ₹55.46 करोड़) कुछ संपत्तियां शामिल हैं, जिनके अंतरण विलेखों का निष्पादन अभी भी लंबित होने के बावजूद इन्हें प्रयुक्त किया गया है।

6. केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज़ लिमिटेड (केनफिना):

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुपालन में केनफिना पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी जिसकी निवल कीमत खर्च हो गई है वह किसी भी अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में नहीं लगी है। आगे, भारतीय रिज़र्व बैंक ने केनफिना की सभी वित्तीय आस्तियों के निपटान के लिए समय को तीन वर्षों के लिए, अर्थात् 31 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दिया है। उक्त अवधि के दौरान कंपनी कोई गैर

- The Subsidiaries, Associates and Joint Venture are following Accounting Policies consistently as per the prevalent law and practice, which are different from Parent in a few cases because of respective industry / business / country requirements. In the opinion of the management, as the impact of the same is not material, no adjustment is required in Consolidated Financial Statements.
- The breakup of Capital Reserve / (Goodwill) arising on the acquisition of various Subsidiaries is as under:

(₹ in Crore)

Name of the Subsidiary	31.03.2017	31.03.2016
Canbank Factors Limited	2.54	2.54
Canbank Computer Services Ltd.	0.25	0.25
Net Capital Reserve	2.79	2.79

4. Inter Branch transactions and confirmation of balances:

The matching and setting of entries under Inter-Branch / office transactions of the Parent Bank are carried out by the system itself based on Core Banking Solutions (CBS) for the whole of the Bank through Inter Office Adjustment account.

In some of the Group Companies, balances in Sundry Creditors, Sundry Debtors, Loans and Advances etc. are subject to confirmation.

5. Fixed Assets:

Premises include certain properties capitalized at original cost of ₹56.62 Crore (Previous year ₹55.46 Crore) as they have been put to use though conveyance of title deeds is still to be completed.

6. Canbank Financial Services Limited (CANFINA):

Pursuant to the directions of the Reserve Bank of India, Canbank Financial Services Ltd. (CANFINA), a wholly owned Subsidiary whose net worth is totally eroded is not engaged in any of the activities of a Non Banking Financial Company. Further, Reserve Bank of India, has permitted CANFINA a further

बैंकिंग वित्तीय कंपनी का क्रियाकलाप नहीं करने के शर्तों के अधीन विस्तारण अवधि बढ़ाया गया है। तथापि, 31.01.2020 तक अनुमत की गई विस्तारण को ध्यान में रखकर केनफिना के वित्त का समेकन क्रियाशील इकाई के रूप में किया गया है।

7. इक्विटी शेयर पूंजी का नया निर्गमन:

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान राइट्स निर्गमन ऑप्शन के अभ्यास के अनुसार प्रधान बैंक ने ₹1123.99 करोड़ की कुल प्रतिफल हेतु ₹197/- प्रति इक्विटी के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य के 3,59,99,105 इक्विटी शेयर भारत सरकार को तथा 1,83,00,000 इक्विटी शेयर शेयरधारकों को आबंटित किया है।

8 संबंधित पार्टी का प्रकटन:

8.1 संबंधित पार्टियों की सूची और बैंक के साथ उनका संबंध-प्रधान – केनरा बैंक

8.1.1 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक –

- श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- श्री हरिदीश कुमार बी, कार्यपालक निदेशक
- श्री दीनबन्धु महापात्र, कार्यपालक निदेशक
- श्रीमती पी वी भारती, कार्यपालक निदेशक (15.09.2016 से)
- श्री प्रद्युमन सिंह रावत (31.05.2016 तक)

8.1.2 प्रधान-

- केनरा बैंक

8.1.3 अनुषंगियाँ-

- केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज़ लिमिटेड
- केनबैंक वेंचर कैपिटल फण्ड लिमिटेड
- केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड
- केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड
- केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लिमिटेड
- केनरा बैंक सेक्यूरिटीज़ लिमिटेड (पहले गिल्ट सेक्यूरिटीज़ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड)
- केनरा एचएसबीसी ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स जीवन त्बीमा कंपनी लिमिटेड
- केनरा बैंक (तंजानिया) लिमिटेड

extension of three years i.e up to January 31, 2020 to dispose off the financial assets. The extension of time is subject to the condition that the company shall not undertake any NBFC type of activity during the period. However, considering the extension permitted upto 31.01.2020, the financials of CANFINA have been consolidated on going concern basis.

7. Fresh Issue of Equity Share Capital:

During the financial year 2016-17, pursuant to exercise of Rights Issue option, the Parent Bank has allotted 1,83,00,000 equity shares to the Shareholders and 3,59,99,105 equity share to Government of India of face value of ₹10/- each at a premium of ₹197/- per equity share for a total consideration of ₹1123.99 Crores.

8. Related Party Disclosures:

8.1 Names of Related parties and their relationship with the Bank- Parent - Canara Bank

8.1.1 Key Management Personnel –

- Shri. Rakesh Sharma, Managing Director & Chief Executive Officer
- Shri. Harideesh Kumar B, Executive Director
- Shri. Dinabandhu Mohapatra, Executive Director
- Smt. P V Bharathi, Executive Director (From 15.09.2016)
- Shri. Pradyuman Singh Rawat (Till 31.05.2016)

8.1.2 Parent

- Canara Bank

8.1.3 Subsidiaries –

- Canbank Financial Services Ltd.
- Canbank Venture Capital Fund Ltd.
- Canbank Factors Ltd.
- Canara Robecco Asset Management Company Ltd.
- Canbank Computer Services Ltd.
- Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corpn. Ltd)
- Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd
- Canara Bank (Tanzania) Ltd

8.1.4 संयुक्त उद्यम

- i) कमर्शियल इंडो बैंक एल एल सी, मॉस्को (पूर्व में कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल एल सी, मॉस्को)

8.1.5 सहयोगी संस्थाएं

- i) केनफिन होम्स लिमिटेड
- ii) कॉमनवेल्थ ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड
- iii) बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
 - क) प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक
(तत्कालीन प्रगति ग्रामीण बैंक)
 - ख) केरल ग्रामीण बैंक
(तत्कालीन साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक)

8.1.6 मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के संव्यवहारों का प्रकटीकरण निम्नवत है:

- i) मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक: ₹0.99 करोड़
(पिछले वर्ष: ₹0.68 करोड़)

लेखांकन मानक 18 की पैरा 5 के अनुसार महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों तथा उनके संबंधियों के लेन-देन सहित बैंकर-ग्राहक संबंध प्रकृति के लेन-देन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

8.1.4 Joint Ventures

- i) Commercial Indo Bank LLC., Moscow (formerly Commercial Bank of India LLC., Moscow)

8.1.5 Associates

- i) Canfin Homes Ltd.
- ii) Commonwealth Trust (India) Ltd.
- iii) Regional Rural Banks sponsored by the Bank
 - a) Pragati Krishna Gramin Bank
(Erstwhile Pragati Gramin Bank)
 - b) Kerala Gramin Bank
(Erstwhile South Malabar Gramin Bank)

8.1.6 Disclosure about transactions with Key Management Personnel is as under:

- i) Remuneration to Key Management Personnel ₹ 0.99 Crore (Previous Year: ₹ 0.68 Crore)

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed

8.1.7 अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों के साथ लेन देन निम्नवत हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुषंगियाँ	सहबद्ध संस्थाएं व संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	मुख्य प्रबंधन कार्मिक के संबंधी	कुल
उधार –					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	30.00 (30.00)	---	---	30.00 (30.00)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	30.00 (30.00)			30.00 (30.00)
जमाएँ					
यथा वर्षांत को बकाया	43.03 (42.56)	16.63 (388.52)	---	---	59.66 (431.08)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	48.59 (63.41)	406.63 (1792.12)			455.22 (1855.53)
जमाओं का नियोजन –					
यथा वर्षांत को बकाया	19.68 (शून्य)	146.24 (149.41)	---	---	165.92 (149.41)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	19.68 (शून्य)	146.24 (149.41)			165.92 (149.41)
अग्रिम –					
यथा वर्षांत को बकाया	411.36 (537.29)	2293.89 (2218.11)	---	---	2705.25 (2755.40)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	411.36 (616.21)	2651.30 (2972.25)			3062.66 (3588.46)
अचल संपत्तियों की खरीद –					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (31.30)	शून्य (शून्य)	---	---	शून्य (31.30)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (31.30)	शून्य (शून्य)			शून्य (31.30)
चालू खाता में शेष –					
यथा वर्षांत को बकाया	28.00 (26.54)	47.11 (181.68)	----	---	75.11 (208.22)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	28.69 (48.03)	222.57 (282.32)			251.26 (330.35)
अन्य प्राप्य –					
यथा वर्षांत को बकाया	0.10 (20.02)	शून्य (शून्य)	---	---	0.10 (20.02)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	0.10 (20.02)	शून्य (शून्य)			0.10 (20.02)
अंतर बैंक प्रतिभागिता प्रमाणपत्र – निर्गमित					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	---	---	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (400.00)			शून्य (400.00)

8.1.7 Transactions with Subsidiaries, Associates and Joint Venture are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Subsidiaries	Associates & Joint Ventures	Key Management Personnel (KMP)	Relatives of KMP	Total
Borrowings –					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	30.00 (30.00)	---	---	30.00 (30.00)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	30.00 (30.00)			30.00 (30.00)
Deposits-					
Outstanding as at the year end	43.03 (42.56)	16.63 (388.52)	---	---	59.66 (431.08)
Maximum outstanding during the year	48.59 (63.41)	406.63 (1792.12)			455.22 (1855.53)
Placement of Deposits –					
Outstanding as at the year end	19.68 (NIL)	146.24 (149.41)	---	---	165.92 (149.41)
Maximum outstanding during the year	19.68 (NIL)	146.24 (149.41)			165.92 (149.41)
Advances-					
Outstanding as at the year end	411.36 (537.29)	2293.89 (2218.11)	---	---	2705.25 (2755.40)
Maximum outstanding during the year	411.36 (616.21)	2651.30 (2972.25)			3062.66 (3588.46)
Purchase of Fixed Assets-					
Outstanding as at the year end	NIL (31.30)	NIL (NIL)	---	---	NIL (31.30)
Maximum outstanding during the year	NIL (31.30)	NIL (NIL)			NIL (31.30)
Balance in current account					
Outstanding as at the year end	28.00 (26.54)	47.11 (181.68)	----	---	75.11 (208.22)
Maximum outstanding during the year	28.69 (48.03)	222.57 (282.32)			251.26 (330.35)
Other receivable-					
Outstanding as at the year end	0.10 (20.02)	NIL (NIL)	---	---	0.10 (20.02)
Maximum outstanding during the year	0.10 (20.02)	NIL (NIL)			0.10 (20.02)
Inter Bank Participation Certificate – Participated					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)	---	---	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (400.00)			NIL (400.00)

कमीशन प्राप्त - यथा वर्षांत को बकाया	4.61 (2.60)	0.08 (0.11)	---	---	4.69 (2.71)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	4.61 (2.60)	0.08 (0.11)			4.69 (2.71)
अन्य देय - यथा वर्षांत को बकाया	0.01 (शून्य)	शून्य (शून्य)	---	---	0.01 (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	0.01 (शून्य)	शून्य (शून्य)			0.01 (शून्य)
प्रदत्त ब्याज	2.91 (10.14)	31.62 (99.96)	---	---	34.53 (110.10)
प्राप्त ब्याज	16.83 (43.77)	256.60 (178.58)	---	---	273.43 (222.35)
प्राप्त लाभांश	16.96 (2.50)	11.57 (शून्य)	---	---	28.53 (2.50)
प्रदत्त प्रीमियम	152.48 (114.92)	शून्य (शून्य)	---	---	152.48 (114.92)
सेवा उपलब्ध कराना	110.41 (93.87)	3.01 (0.70)	---	---	113.42 (94.57)
सेवाओं के लिए प्रदत्त	30.29 (0.32)	0.01 (0.01)	---	---	30.30 (0.33)
बी एस ई को निर्गमित राइट्स के संबंध में गारंटी	शून्य (शून्य)	शून्य (1.39)	---	---	शून्य (1.39)

कोष्ठकों में दिए गये आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं
(प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणीकृत और लेखापरीक्षकों द्वारा आश्रित अनुसार)

Commission Receivable-					
Outstanding as at the year end	4.61 (2.60)	0.08 (0.11)	---	---	4.69 (2.71)
Maximum outstanding during the year	4.61 (2.60)	0.08 (0.11)			4.69 (2.71)
Other payable					
Outstanding as at the year end	0.01 (NIL)	NIL (NIL)	---	---	0.01 (NIL)
Maximum outstanding during the year	0.01 (NIL)	NIL (NIL)			0.01 (NIL)
Interest paid	2.91 (10.14)	31.62 (99.96)	---	---	34.53 (110.10)
Interest received	16.83 (43.77)	256.60 (178.58)	---	---	273.43 (222.35)
Dividend received	16.96 (2.50)	11.57 (NIL)	---	---	28.53 (2.50)
Premium Paid	152.48 (114.92)	NIL (NIL)	---	---	152.48 (114.92)
Rendering of Service	110.41 (93.87)	3.01 (0.70)	---	---	113.42 (94.57)
Receiving for Services	30.29 (0.32)	0.01 (0.01)	---	---	30.30 (0.33)
Guarantee in respect of rights issued to BSE	NIL (NIL)	NIL (1.39)	---	---	NIL (1.39)

(Figures in brackets relate to previous year).

(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors).

9. प्रति शेयर अर्जन :

9.1 प्रति शेयर मूल व तनुकृत अर्जन

विवरण	2016-2017	2015-2016
मूल और तनुकृत ई पी एस (₹)	24.98	(49.69)

9.2 प्रति शेयर अर्जन का परिकलन:

	विवरण	2016-2017	2015-2016
क	ईक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए निवल लाभ (₹) (करोड़ में)	1358.28	(2607.01)
ख	ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़)	54.37	52.47
ग	यथा 31 मार्च को बकाया शेयरों की संख्या (करोड़)	59.73	54.30
घ	प्रति शेयर मूल व तनुकृत अर्जन (क/ख) (₹)	24.98	(49.69)
ङ	प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	10.00	10.00

9. Earnings Per Share:

9.1 Basic and Diluted Earnings Per Share:

Particulars	2016-2017	2015-2016
Basic and Diluted EPS (₹)	24.98	(49.69)

9.2 Computation of EPS:

	Particulars	2016-2017	2015-2016
A	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (₹ in Crore)	1358.28	(2607.01)
B	Weighted Average Number of Equity Shares (Crore)	54.37	52.47
C	No. of Shares outstanding as on 31st March (Crore)	59.73	54.30
D	Basic and Diluted Earnings per Share (A/B) (₹)	24.98	(49.69)
E	Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

10. आस्थगित कर आस्तियां तथा देयताएं:

यथा 31.03.2017 को निवल आस्थगित कर देयता ₹1223.03 करोड़ थी (यथा 31.03.2016 को ₹70.21 करोड़)। आस्थगित कर आस्तियां व आस्थगित कर देयता के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं: (₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयता	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
उपचित ब्याज लेकिन प्रतिभूतियों पर देय नहीं			828.37	849.68
छुट्टी नकदीकरण / उपदान	338.65	309.40		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास			19.24	17.00
निवेश पर मूल्यहास			1705.10	1705.10
वायदा संविदा पर अप्राप्य लाभ			145.47	52.94
अग्रिम के लिए प्रावधान	4909.42	3775.42		
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(इत्त) के तहत सृजित विशेष अरक्षित निधियों पर डीटीएल			1384.32	1384.32
एफ आई टी एल के लिए प्रावधान	57.46			5.57
अन्य	5305.53	4084.82	4082.50	4014.61

10. Deferred Tax Assets and Liabilities:

Net Deferred Tax Assets computed as on 31.03.2017 amounted to ₹ 1223.03 Crore (₹70.21 Crore as on 31.03.2016).
The components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:-

(₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
Interest accrued but not due on securities			828.37	849.68
Leave Encashment / Gratuity	338.65	309.40		
Depreciation on Fixed Assets			19.24	17.00
Depreciation on Investments			1705.10	1705.10
Unrealised gain on Forward contracts			145.47	52.94
Provision made for advances	4909.42	3775.42		
DTL on Special Reserve created u/s 36(1)(viii) of IT Act,1961			1384.32	1384.32
Others	57.46			5.57
Deferred Tax Asset / Liability	5305.53	4084.82	4082.50	4014.61

11. वर्ष के दौरान बनाई गई प्रावधानों व आकस्मिकताओं का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
निवेश व एन पी आई में मूल्यहास के लिए प्रावधान	161.04	267.75
एन पी ए के प्रति प्रावधान	7576.27	9641.37
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	26.32	(459.29)
कर के लिए प्रावधान (स्थगित कर सहित)	512.67	(378.52)
उचित मूल्य के हास के लिए प्रावधान	(360.00)	531.29
परिसंपत्ति की संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	35.00	4.80
देश ऋण जोखिम के लिए प्रावधान	13.00	8.00
अन्य आकस्मिक व्यय तथा प्रावधान- निवल	(41.45)	370.71
कुल	7922.85	9986.11

11. Details of Provisions and Contingencies made during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Provision for Depreciation on Investment and NPI	161.04	267.75
Provision towards NPA	7576.27	9641.37
Provision towards Standard Asset	26.32	(459.29)
Provision for Tax (Including Deferred Tax)	512.67	(378.52)
Provision for Diminution in Fair Value	(360.00)	531.29
Provision for assets doubtful of recovery	35.00	4.80
Provision for Country Risk Exposure	13.00	8.00
Other Provision and Contingencies –Net	(41.45)	370.71
TOTAL	7922.85	9986.11

12. समेकित खण्ड रिपोर्टिंग

भाग क-कारोबार खण्ड

(₹ करोड़ में)

	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2017	31.03.2016
(1)	खण्ड राजस्व		
क	राजकोषीय परिचालन	14427.03	12811.13
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	16387.47	15516.47
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	17984.63	20382.09
घ	गैर आबंटित	509.79	461.06
	कुल	49308.92	49170.75
	घटायें: अंतर खंड राजस्व	0.00	0.00
	परिचालन से आय	49308.92	49170.75
(2)	खण्ड परिणाम		
क	राजकोषीय परिचालन	4197.48	2156.28
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	2111.83	2429.04
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	2461.72	2373.68
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	कुल	8771.03	6959.00
ड	गैर-आबंटित आय / व्यय (प्रावधान व आकस्मिक व्यय सहित)	(7024.75)	(10007.81)
	कर से पहले कुल लाभ	1746.28	(3048.81)
	आय कर	512.67	(378.52)
	निवल लाभ	1233.61	(2670.29)
	जोड़ें: सहयोगी संस्थाओं में अर्जन का हिस्सा	177.19	135.17
	घटाएं: अल्पसंख्यक हित (निवल हानि)	52.52	71.89
	समूह के कारण वर्ष के लिए समेकित लाभ/(हानि)	1358.28	(2607.01)
(3)	नियोजित पूंजी		
क	राजकोषीय परिचालन	2767.63	15771.98
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	16488.37	10069.32
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	16054.63	10773.20
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ड	गैर आबंटित आस्तियाँ	(625.23)	(4204.83)
	कुल	34685.40	32409.67

12. Consolidated Segment Reporting

Part A-Business Segment

(₹ in Crore)

	PARTICULARS	YEAR ENDED	
		31.03.2017	31.03.2016
(1)	Segment Revenue		
a	Treasury Operations	14427.03	12811.13
b	Retail Banking Operations	16387.47	15516.47
c	Wholesale Banking Operations	17984.63	20382.09
d	Unallocated	509.79	461.06
	Total	49308.92	49170.75
	Less: Inter segment Revenue	0.00	0.00
	Income from operations	49308.92	49170.75
(2)	Segment Results		
a	Treasury Operations	4197.48	2156.28
b	Retail Banking Operations	2111.83	2429.04
c	Wholesale Banking Operations	2461.72	2373.68
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
	Total	8771.03	6959.00
e	Unallocated income / expenses (including provisions and contingencies)	(7024.75)	(10007.81)
	Total Profit Before Tax	1746.28	(3048.81)
	Income Tax	512.67	(378.52)
	Net Profit	1233.61	(2670.29)
	Add: Share of earning in Associates	177.19	135.17
	Less: Minority Interest	52.52	71.89
	Consolidated profit/(loss) for the year attributable to the Group	1358.28	(2607.01)
(3)	Capital Employed		
a	Treasury Operations	2767.63	15771.98
b	Retail Banking Operations	16488.37	10069.32
c	Wholesale Banking Operations	16054.63	10773.20
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated	(625.23)	(4204.83)
	Total	34685.40	32409.67

भाग ख-भौगोलिक खण्ड

(₹ करोड़ में)

	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2017	31.03.2016
क	राजस्व		
	घरेलू परिचालन	48243.46	47908.25
	अंतर्राष्ट्रीय परिचालन	1065.46	1262.50
	कुल	49308.92	49170.75
ख	आस्तियां		
	घरेलू परिचालन	535025.86	509350.66
	अंतर्राष्ट्रीय परिचालन	61132.89	54374.26
	कुल	596158.75	563724.92

Part B – Geographical Segment:

(₹ in Crore)

	Particulars	Year ended	
		31.03.2017	31.03.2016
a	Revenue		
	Domestic	48243.46	47908.25
	International	1065.46	1262.50
	Total	49308.92	49170.75
b	Assets		
	Domestic	535025.86	509350.66
	International	61132.89	54374.26
	Total	596158.75	563724.92

13. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम और सहयोगी संस्थाओं के संचित लाभ / हानि में मूल संस्था का हिस्सा आँकने के बाद समूह की समेकित आरक्षित निधियां ₹34088.11 करोड़ है जिनमें से ₹33088.25 करोड़ मूल संस्था के हैं और अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम व सहयोगी संस्थाओं के ₹999.86 करोड़ हैं। (पिछले वर्ष ₹31866.68 करोड़ जिसमें से ₹31060.21 करोड़ मूल संस्था का तथा शेष ₹806.47 करोड़ अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम व सहयोगी संस्थाओं के थे)

13. The consolidated Reserves of the Group after reckoning Parent's share of accumulated profit / loss of Subsidiaries, Associates and Joint Venture amount to ₹34088.11 Crore of which ₹33088.25 Crore relate to the Parent and the balance ₹999.86 Crore relates to the Subsidiaries, Associates and Joint Venture (Previous year ₹31866.68 Crore of which ₹31060.21 Crore relate to the Parent and the balance ₹806.47 Crore relates to the Subsidiaries, Associates and Joint Venture).

14. मूल संस्था और अनुषंगियों के प्रत्येक वित्तीय विवरणी में प्रकटित अतिरिक्त सांविधिक सूचना के समेकित वित्तीय विवरणी का सच्ची एवं निष्पक्ष राय पर कोई प्रभाव नहीं है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए सामान्य स्पष्टीकरण को दृष्टि में रखते हुए उन मदों की सूचना का, जो महत्वपूर्ण नहीं है, समेकित वित्तीय विवरणियों में प्रकटन नहीं किया है।

15. लेखांकन मानक 28- आस्तियों की हानि:

वर्ष के समापन पर आस्तियों के हानि की समीक्षा की जाती है, जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह सुनिश्चित होता है कि आस्ति की वहन राशि वसूली-योग्य नहीं है। धारित व प्रयुक्त की जाने वाली आस्ति की वसूली-योग्यता को आस्ति के वहन राशि से आस्ति द्वारा उत्पन्न होने हेतु संभावित फ्यूचर निवल भुनाये गये नकद प्रवाह की तुलना करने के द्वारा मापा जाना है। यदि ऐसी आस्ति को हानि माना जाए तो उस हानि को आस्ति के वसूली-योग्य राशि से अधिक हुए आस्ति के वहन राशि द्वारा मान्यता दी जानी है और मापा जाना है। यद्यपि, बैंक के प्रबन्धन की राय में जिस वर्ष में लेखांकन मानक 28 - “आस्तियों की हानि” लागू है, उस वर्ष के दौरान आस्तियों के भौतिक हानि का कोई संकेत नहीं है।

16. आय निर्धारण, परिसंपत्तियों के वर्गीकरण और प्रावधान, आयकर और आस्थगित कर के लिए प्रावधान, निवेश और अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास, अरक्षित विदेशी मुद्रा के साथ इकाईयों के लिए एक्सपोजर और अन्य आवश्यक प्रावधानों हेतु विवेकपूर्ण मानदंडों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का दिशानिर्देश और निर्देश की सीमा का अनुपालन में ऋण हानियों के लिए प्रावधानों को स्वीकार करने के उपरांत 31 मार्च 2017 हेतु वित्तीय परिणाम प्रगणित किया गया है। वर्ष के दौरान, बैंक ने संदिग्ध अग्रिम के वर्ग II हेतु अतिरिक्त प्रावधानीकरण करने के द्वारा अनर्जक अग्रिम के लिये अतिरिक्त प्रावधानीकरण में कुछ संशोधन किया है। अनुवर्ती तौर पर बैंक ने भा.रि.बै. के आईआरएसी मानदंडों के तहत निर्धारित

14. Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the Parent and Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the ICAI.

15. Accounting Standard 28 - Impairment of Assets:

Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

16. The Financial results for the year ended 31st March 2017 have been arrived at after considering provision for Loan Losses in accordance with the extant guidelines and directions of RBI on Prudential Norms for 'Income Recognition, Asset Classification and Provisioning' and Provision for Income Tax and Deferred Tax, Depreciation on Investments and Fixed Assets, provision for exposure to entities with unhedged foreign currency and other necessary provisions. During the year the Parent Bank has made certain modifications in the additional provisioning for non-performing advances by dispensing with additional provisioning for category II of doubtful advances. Consequently the Bank is holding such

न्यूनतम प्रावधान से ज्यादा व अधिक अनर्जक अग्रिम हेतु ₹500 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1486 करोड़) के ऐसे अतिरिक्त प्रावधान को धारित किया है।

additional provision of ₹500 Crore (previous year ₹1486 Crore) for non-performing advances over and above the minimum provision prescribed under IRAC norms of RBI.

17. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

17. Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

एम स्वामिनाथन
मंडल प्रबंधक

पी विथोबा
सहायक महा प्रबंधक

वी रामाचन्द्रा
उप महा प्रबंधक

एन सेल्वराजन
महा प्रबंधक

पी वी भारती
कार्यपालक निदेशक

हरिदीश कुमार बी
कार्यपालक निदेशक

राकेश शर्मा
प्रबन्ध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टी एन मनोहरन
अध्यक्ष

सुचिन्द्र मिश्रा
निदेशक

उमा शंकर
निदेशक

कृष्णामूर्ति एच
निदेशक

महादेव नागेंद्र राव
निदेशक

वेंकटचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
रामराज एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
वी के निरंजन एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
जे सिंह एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

कृते
जे एल सेनगुप्ता एण्ड कं
सनदी लेखाकार

के शिव सुब्रमण्य प्रसाद
साझेदार

निरंजन वी के
साझेदार

जे सिंह
साझेदार

एस आर अनंतकृष्णन
साझेदार

स्थान : बंगलूरु
दिनांक : 27 मई, 2017

M SWAMINATHAN
DIVISIONAL MANAGER

P VITHOBA
ASST. GENERAL MANAGER

V RAMACHANDRA
DEPUTY GENERAL MANAGER

N SELVARAJAN
GENERAL MANAGER

P V BHARATHI
EXECUTIVE DIRECTOR

HARIDEESH KUMAR B
EXECUTIVE DIRECTOR

RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CHIEF
EXECUTIVE OFFICER

T N MANOHARAN
CHAIRMAN

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

UMA SHANKAR
DIRECTOR

KRISHNAMURTHY H
DIRECTOR

MAHADEV NAGENDRA RAO
DIRECTOR

VENKATACHALAM
RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For
RAM RAJ & Co.
Chartered Accountants

For
V K NIRANJAN & Co.
Chartered Accountants

For
J SINGH & ASSOCIATES
Chartered Accountants

For
J L SENGUPTA & Co.
Chartered Accountants

K SIVA SUBRAMANYA PRASAD
Partner

NIRANJAN V K
Partner

J SINGH
Partner

S R ANANTHAKRISHNAN
Partner

Place: Bengaluru
Dated: May 27, 2017

यथा 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकद प्रवाह विवरणी
CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

	31.03.2017	31.03.2016
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Operating activities		
कर के पश्चात निवल लाभ / Net profit after Tax	1358.28	(2607.01)
हेतु समाशोधन / Adjustments for:		
कर हेतु प्रावधान / Provision for Tax	512.67	(378.52)
निवेश मूल्यहास हेतु प्रावधान / Provision for Depreciation on Investments	161.04	267.75
अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधान / Provision for Non Performing Advances	7576.27	9641.37
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान / Provision for Standard Assets	26.32	(459.28)
आक्समिकता व अन्य हेतु प्रावधान / Provisions for Contingencies and Others	(353.45)	914.79
अचल संपत्ति पर मूल्यहास / Depreciation on Fixed Assets	331.19	172.03
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि / Loss on revaluation of Investments	(35.97)	0.00
टीयर I व टीयर II बांड पर ब्याज / Interest on Tier I and Tier II bonds	1368.52	1053.08
निवेशों की बिक्री पर (लाभ) / हानि / (Profit)/ loss on sale of Investments	(2990.74)	(998.15)
अचल संपत्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि / हानि / (Profit)/ loss on sale of Fixed Assets	(1.33)	0.58
उप कुल / Sub total	7952.80	7606.64
हेतु समाशोधन / Adjustments for:		
जमा में वृद्धि / (कमी) / Increase/ (Decrease) in Deposits	15517.40	6023.95
उधारी में वृद्धि / (कमी) / Increase/ (Decrease) in Borrowings	12259.70	2769.44
निवेश में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Investments	(6616.22)	742.73
अग्रिम में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Advances	(17327.78)	5301.51
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Other assets	(1593.14)	(279.55)
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Other liabilities and provisions	(5959.33)	(11380.10)
अल्पसंख्यक हित में वृद्धि / (कमी)/ Increase / (Decrease) in Minority Interest	48.84	70.58
कराधान के पूर्व परिचालनात्मक गतिविधियों से नकद प्रवाह Cash Flow from Operating Activity before taxation	4282.27	10855.20
घटायें: प्रदत्त अग्रिम कर / Less: Advance Tax paid	1706.91	1509.28
परिचालन गतिविधियों द्वारा उपलब्ध कराया गया निवल नकद Net Cashflow from Operating Activities	(क) (A) 2575.36	9345.92
निवेश संबद्ध गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Investing activities		
अनुषंगियों / सहबद्ध संस्थाओं / जेवी में निवेश में (वृद्धि) / कमी (Increase) / Decrease in Investments in Subsidiaries / Associates / JVs	39.81	(92.68)
अचल आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase)/ Decrease in Fixed Assets	(380.61)	(369.57)
अन्य आरक्षित निधि में वृद्धि / (कमी) / Increase/ (Decrease) in Other Reserve	(60.46)	(22.62)
निवेश संबंधित गतिविधियों द्वारा उपलब्ध कराया गया निवल नकद Net Cash used in Investing Activities	(ख) (B) (401.26)	(484.87)
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Financing activities		
शेयर पूँजी / Share Capital	54.30	67.79
शेयर प्रीमियम / Share Premium	1069.69	2399.53
गौण बांड में वृद्धि / कमी / Increase/(Decrease) in Subordinated Bonds	368.64	(1568.84)
टीयर I व टीयर II बांड पर ब्याज का भुगतान Payment of interest on Tier I and Tier II Bonds	(1368.52)	(1053.08)
तत्पश्चात प्रदत्त कर सहित प्रदत्त लाभांश / Dividends Paid including Tax Paid thereon	0.00	(651.73)
वित्तीय गतिविधियों द्वारा उपलब्ध कराया गया निवल नकद Net Cashflow from Financing Activities	(ग) (C) 124.11	(806.33)

विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण नकद प्रवाह Cash Flow on account of Exchange Fluctuation		
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण नकद प्रवाह / Reserves of Foreign Currency Fluctuation	(74.57)	41.46
मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण निवल नकद प्रवाह (घ) Net Cash Flows on Account Of Exchange Fluctuation (D)	(74.57)	41.46
नकद व नकद समतुल्य (क+ख+ग+घ) में निवल वृद्धि / (कमी) Net Increase / (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C+D)	2223.63	8096.18
अथ नकद व नकद समतुल्य / Opening Cash and Cash equivalents	56743.75	48647.56
इति नकद व नकद समतुल्य / Closing Cash and Cash Equivalents	58967.38	56743.75

नोट / Notes:

नकद व नकद समतुल्य में मौजूदा नकद, भारतीय रिज़र्व बैंक व अन्य बैंकों में शेष और माँग और अल्प नोटिस पर धन शामिल है।

Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice

नकद व नकद समतुल्य के घटक / Components of Cash & Cash Equivalents	31.03.2017	31.03.2016
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकद व शेष / Cash & Balance with RBI	19 924.49	20 665.03
बैंकों के साथ शेष एवं माँग पर व अल्प नोटिस पर निधि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	39 042.89	36 078.72
कुल / Total	58 967.38	56 743.75

एम स्वामिनाथन
मंडल प्रबंधक

हरिदीश कुमार बी
कार्यपालक निदेशक

पी विथोबा
सहायक महा प्रबंधक

राकेश शर्मा
प्रबन्ध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कृष्णामूर्ति एच
निदेशक

वी रामाचन्द्रा
उप महा प्रबंधक

टी एन मनोहरन
अध्यक्ष

महादेव नागेंद्र राव
निदेशक

एन सेल्वराजन
महा प्रबंधक

सुचिन्द्र मिश्रा
निदेशक

वेंकटचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

पी वी भारती
कार्यपालक निदेशक

उमा शंकर
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
राम राज एण्ड कं
सनदी लेखाकार
के शिव सुब्रमण्य प्रसाद
साझेदार

कृते
वी के निरंजन एण्ड कं
सनदी लेखाकार
एम जयराजन
साझेदार

कृते
जे सिंह एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
जे सिंह
साझेदार

कृते
जे एल सेनगुप्ता एण्ड कं
सनदी लेखाकार
एस आर अनंतकृष्णन
साझेदार

बेंगलूरु
27 मई, 2017

M SWAMINATHAN
DIVISIONAL MANAGER

HARIDEESH KUMAR B
EXECUTIVE DIRECTOR

P VITHOBA
ASST. GENERAL MANAGER

RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

KRISHNAMURTHY H
DIRECTOR

V RAMACHANDRA
DEPUTY GENERAL MANAGER

T N MANOHARAN
CHAIRMAN

MAHADEV NAGENDRA RAO
DIRECTOR

N SELVARAJAN
GENERAL MANAGER

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

VENKATACHALAM
RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

P V BHARATHI
EXECUTIVE DIRECTOR

UMA SHANKAR
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For
RAM RAJ & Co.
Chartered Accountants

K SIVA SUBRAMANYA PRASAD
Partner

For
V K NIRANJAN & Co.
Chartered Accountants

NIRANJAN V K
Partner

For
J SINGH & ASSOCIATES
Chartered Accountants

J SINGH
Partner

For
J L SENGUPTA & Co.
Chartered Accountants

S R ANANTHAKRISHNAN
Partner

Bengaluru
MAY 27, 2017



(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूरु - 560 002

उपस्थिति पर्ची पंद्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक - 20.07.2017

(प्रवेश के समय प्रस्तुत किया जाए)

दिनांक:			समय:		
स्थान:	बेंगलूरु				
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर					
पंजीकृत फोलियो (अभौतिकृत हो तो)	डी.पी.आई.डी. सं.				
	ग्राहक आई.डी. सं.				
(भौतिकृत हो तो)					
शेयरधारक का नाम					
शेयरों की संख्या					



यहाँ से काटें



प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूरु - 560 002

प्रवेश पास पंद्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक - 20.07.2017

(पूरी बैठक के दौरान पास रखा जाए)

शेयरधारक का नाम					
शेयरों की संख्या					
पंजीकृत फोलियो (अभौतिकृत हो तो)	डी.पी.आई.डी. सं.				
	ग्राहक आई.डी. सं.				
(भौतिकृत हो तो)					
उपस्थित प्रॉक्सी / प्रतिनिधि का नाम					
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर					

बैठक स्थल में प्रवेश करने के लिए शेयरधारकों / शेयरधारक के प्रॉक्सी / प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक के पास पंजीकृत अपने नमूने हस्ताक्षरों के अनुरूप उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पास के साथ दिखाएं। शेयरधारक / प्रॉक्सी धारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश अनुमत किया जाना आवश्यक समझे जानेवाले सत्यापन / जांचों के अधीन होगा और उनको सूचित किया जाता है कि वे पहचान का विधिमान्य साक्ष्य यानि वोटर आई.डी. कार्ड / नियोक्ता पहचान पत्र / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ट्राइविंग लाइसेंस आदि अपने साथ रखें। **किसी भी हालत में बैठक स्थान में किसी प्रकार की डूप्लिकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।**



यहाँ से काटें



प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूरु - 560 002

पंद्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक - 20.07.2017

(मतदान पत्र / ओटीपी जारी कराने के लिए मतदान काउंटर पर प्रस्तुत किया जाए)

शेयरधारक का नाम					
शेयरों की संख्या					
पंजीकृत फोलियो (अभौतिकृत हो तो)	डी.पी.आई.डी. सं.				
	ग्राहक आई.डी.				
(भौतिकृत हो तो)					
उपस्थित प्रॉक्सी / प्रतिनिधि का नाम					
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर					



(A Government of India undertaking)
Head Office: 112, J C Road, Bengaluru- 560 002

ATTENDANCE SLIP
15th ANNUAL GENERAL MEETING - 20.07.2017
(to be surrendered at the time of entry)

Date:		Time :	
Place:	Bengaluru		
Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present			
Regd. Folio (if not dematerialised)	DPID No.		
	Client ID No.		
		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			

----- ✂ ----- Cut here ----- ✂ -----



Head Office: 112, J C Road, Bengaluru- 560 002

ENTRY PASS
15th ANNUAL GENERAL MEETING - 20.07.2017
(to be retained throughout the meeting)

Name of the Shareholder			
Number of shares			
Regd. Folio (if not dematerialised)	DPID No.		
	Client ID No.		
		(If dematerialised)	
Name of the Proxy/Representative present			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised representative			

Shareholders/Proxy or representative of Shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. **UNDER NO CIRCUMSTANCES, ANY DUPLICATE ATTENDANCE SLIP WILL BE ISSUED AT THE VENUE.**

----- ✂ ----- Cut here ----- ✂ -----



Head Office: 112, J C Road, Bengaluru- 560 002

15th ANNUAL GENERAL MEETING - 20.07.2017
(to be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper / OTP)

Name of the Shareholder			
Number of shares			
Regd. Folio (if not dematerialised)	DP ID No.		
	Client ID No.		
		(If dematerialised)	
Name of the Proxy/Representative present			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised representative			



(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूरु - 560 002

पंद्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक - 20.07.2017

फॉर्म "बी"

प्रॉक्सी फार्म


(शेयरधारक द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

मैं / हम निवासी जिला राज्य केनरा बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा श्री / श्रीमती निवासी जिला राज्यको, अथवा इनके न होने पर, श्री / श्रीमती निवासी जिला राज्य को ज्ञानज्योति सभागृह, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूरु - 560001 में दिनांक 20 जुलाई, 2017, गुरुवार को अपराह्न 3.30 बजे होनेवाली केनरा बैंक के शेयरधारकों की पंद्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे / हमारे लिए और मेरी / हमारी ओर से मतदान करने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता / करती हूँ / करते हैं ।

आज वर्ष 2017 माह के दिन को हस्ताक्षरित पंजीकृत फोलियो संख्या / ग्राहक आई डी शेयरों की संख्या :

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नाम और पता:



कृपया ₹ 1
का राजस्व स्टाम्प
चिपकाएँ

.....
प्रथम नामित / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने एवं उसे दर्ज करने संबंधी अनुदेश

- कोई भी प्रतिनिधि लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि,
 - एकल शेयरधारक के मामले में उस पर उनके द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों ।
 - संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों ।
 - एक निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों ।
- यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो प्रतिनिधि लिखत में उसका हस्ताक्षर तब पर्याप्त माना जाएगा, यदि उस पर उसका निशान लगाया गया हो और उसका अधिप्रमाणन किसी जज, मैजिस्ट्रेट, आश्वासनों के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी या फिर केनरा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो ।
- प्रतिनिधि फॉर्म,
 - मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकार (यदि कोई हो), जिसके अधीन उस पर हस्ताक्षर किया गया हो, या
 - किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामे या प्राधिकार की एक प्रति के साथ वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, के चार दिन के पूर्व अर्थात् शनिवार 15 जुलाई, 2017 के समापन समय के पहले केनरा बैंक के सचिवीय प्रभाग, प्रथम तल, प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बेंगलूरु - 560 002 में जमा किया जाए ।
- यदि संबंधित मुख्तारनामा केनरा बैंक या शेयर अंतरण एजेंट के साथ पंजीकृत किया गया हो, तो मुख्तारनामे का पंजीयन संख्या और ऐसे पंजीयन का दिनांक सृजित करना होगा ।
- कोई भी प्रतिनिधि लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि वह फॉर्म 'बी' में न हो और उसको विधिवत् स्टांपित न किया गया हो ।
- बैंक के पास जमा की गई प्रतिनिधि लिखत अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगी ।
- यदि कोई प्रतिनिधि लिखत, दो ग्राहियों के पक्ष में दी गई है तो एक से ज्यादा फॉर्म का निष्पादन नहीं किया जा सकता।
- एक प्रतिनिधि लिखत का निष्पादन करनेवाले शेयरधारक को उस असाधारण आम सभा में स्वयं मत देने की अर्हता नहीं होगी, जिससे ऐसी लिखत संबंधित है ।
- ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जा सकता, जो केनरा बैंक का एक अधिकारी या कर्मचारी हो।



(A Government of India Undertaking)
HO : # 112, J C ROAD, BENGALURU - 560 002

15th Annual General Meeting – 20.07.2017
FORM 'B'
FORM OF PROXY

[To be filled and signed by the Shareholder]

I/We.....Resident ofin
the district of..... in the State of being a shareholder /shareholders of the Canara Bank, hereby appoint
Shri/Smt resident of.....in the district ofin the State of
.....or failing him/her, Shri/Smt resident of in the district of
..... in the State of as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the
Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank to be held on Thursday the 20th July, 2017 at 3.30 P.M.
at Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bengaluru – 560 001 and at any adjournment thereof.

Signed this day of 2017

Regd. Folio No./Client ID:

No. of Shares

Signature of Proxy

Name & Address:.....

.....
.....



.....
Signature of the first named / sole shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him / her or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Canara Bank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with **Canara Bank, Secretarial Department, First Floor, Head Office 112, J C Road Bengaluru – 560 002** not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of Saturday, the 15th July, 2017.
- In case the relevant Power of Attorney is already registered with Canara Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form 'B' and duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Canara Bank.



माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से एमएसई उधारी में उत्कृष्टता हेतु लुधियाना में दिनांक 18.10.2016 को पुरस्कार प्राप्त करते हुए प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राकेश शर्मा
 MD & CEO Sri Rakesh Sharma is seen receiving Awards for Excellence in MSE lending from Honble Prime Minister Sri Narendra Modi at Ludhiana on 18.10.2016



श्रीमती पी.वी. भारती, कार्यपालक निदेशक दिनांक 06.12.2016 को श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी, माननीय एमएसएमई राज्य मंत्री से असोचम का 4था एसएमई उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त करते हुए
 Smt P V Bharathi, ED is seen receiving 4th SME Excellence Award of Assocham from Sri Haribhai Parathibhai Chaudhary, Honble MoS for MSME, Gol, at New Delhi on 06.12.2016



श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनांक 13.01.2017 को झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास को सम्मानित करते हुए
Sri Rakesh Sharma, MD & CEO is seen felicitating Honble Chief Minister of Jharkhand Sri Raghubar Das on 13.01.2017



श्री विनोद राय, अध्यक्ष, बैंक बोर्ड ब्यूरो की उपस्थिति में वित्त व कॉर्पोरेट मामलों के केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल से "प्राथमिकता क्षेत्र उधारी व खुदरा विकास निष्पादन के तहत सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग" डन व ब्रैडस्ट्रीट पुरस्कार प्राप्त करते हुए कार्यपालक निदेशक, श्री हरिदीश कुमार बी
ED Sri Harideesh Kumar B is seen receiving Dun & Bradstreet Awards Best PSB under Priority Sector Lending and Retail Growth Performance from Sri Arjun Ram Meghwal, Union MoS for Finance and Corporate Affairs in the presence of Sri Vinod Rai, Chairman, Banks Board Bureau



श्री दीनबन्धु महापात्र, कार्यपालक निदेशक दिनांक 20.01.2017 को सीएसआर हेतु केनरा बैंक को प्रदत्त गोल्डन पिक्कोक पुरस्कार श्री श्री रविशंकर से प्राप्त करते हुए
Canara Bank Golden Peacock Award 2016 for CSR - Sri Dinabandhu Mohapatra, ED received Award from Sri Sri Ravishankar on 20.01.2017



केनरा बैंक प्रधान कार्यालय, बंगलूरु

Canara Bank Head Office, Bengaluru

केनरा बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)  **Canara Bank** (A Government of India Undertaking)
Together We Can

प्रधान कार्यालय, 112, जे.सी.रोड, बंगलूरु - 560 002 Head Office: No.112, J C Road, Bengaluru - 560 002.